vol 6

4701 सहीह मुस्लिम

हदीस नं. 5884

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सून्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वाराणासी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

सहीह मुस्लिम

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

ज़िल्द नम्बर

हदीस नं. 4701 से 5884 तक

नाम किताब	**सहीह मुस्लिम जिल्द - 6**
तालीफ़	**इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी**
हिन्दी तर्जुमा	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त** **जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तख़रीज	**मौलाना अदनान दुर्वेश**
तक़रीज़	**मौलाना इरशादुल हक़ असरी**
तस्हीह व नज़्रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878)**
लेज़र टाइपसेटिंग	**मुहम्मद गुफ़रान अन्सारी**
मेनेजिग डायरेक्टर	**अली हम्ज़ा, (82338-55857)**
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741**
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस, यादगार मास्टर जहुरुद्दीन साहब** **मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615**
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	जमादिल आख़िर 1441 हिजरी (जनवरी 2020 इस्वी)

तादादा कॉपी : 500	तादाद पेज: 664	क़ीमत: रु. 600/- जिल्द (रु. 4500 आठ जिल्द सेट)

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
ज़ेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

फेहरिस्ते-मजामीन

इस किताब के कुल बाब 56 और 271 हदीसें हैं।

كتاب الإمارة

किताबुल इमारह्

उमूरे हुकूमत का बयान

हदीस नम्बर 4701 से 4971 तक

तआरुफ़ किताबुल इमारत

अल्लाह तआला ने अपनी अफ़ज़ल तरीन मख़्लूक़ (इंसान) की तख़्लीक़ इस तरह फ़रमाई है कि अलग-अलग आज़ा (अंग), अलग-अलग ख़िदमात सर अन्जाम देते हैं। इन सबको समझने, इनसे ख़िदमात हासिल करने और पूरे जिस्म की बहबूद और उसकी हिफ़ाज़त के लिये फ़ैसले करने का काम सर के अंदर रखे हुए दिमाग़ के सुपुर्द है। इस्लाम से पहले अरब के अलग-अलग क़बीले अपने-अपने तौर पर फ़ैसले करते थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अल्लाह की तौफ़ीक़ से एक मुनज़्ज़म (सिस्टमेटिक) मुआशरा तश्कील दे कर मुआशरे की हिफ़ाज़त व निगहदाश्त, उसके अफ़राद की इन्फ़िरादी और इज्तिमाई ज़रूरियात की तक्मील, हर रुक्न की फ़लाह वग़ैरह की ज़िम्मेदारी सर बराह के सुपुर्द कर दी। अमीर को उन तमाम उमूर का ज़िम्मेदार ठहराया गया। इमारत इन्ही ज़िम्मेदारियों की अदायगी का नाम है। कई बार उन ज़िम्मेदारियों की अदायगी के बग़ैर ही कोई शख़्स सर बराह के मन्सब (ओहदा) पर क़ाबिज़ हो जाता है, वो हक़ीक़ी मानी में अमीर नहीं होता।

निज़ामे इमारत के हवाले से अहम तरीन बात ये है कि अमीर ऐसा हो कि लोगों की बड़ी अक्सरियत उसकी इताअत करने पर आमादा हो, बल्कि वो ऐसे लोगों में से हो कि आम्मतुन्नास (जनता) उनकी इताअत के आदी हों। क़ुरआन की रू से मोमिनों की इमारत मोमिनों के मशवरे पर टिकी है, 'और उनका काम आपस में मशवरा करना है।' (सूरह शूरा : 38) और हदीस की रू से अमीर उन लोगों में से मुन्तख़ब होना चाहिये जिनकी इताअत फ़ितरी हो। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शूरा के ज़रिये से अपना अमीर मुन्तख़ब करने की पूरी ज़िम्मेदारी उम्मत पर डाली, किसी को अपना जाँनशीन मुक़र्रर नहीं किया। अलग-अलग हदीसों से पता चलता है कि आप(ﷺ) के बाद क्या होगा, इसके हवाले से अल्लाह तआला ने बहुत सी तफ़्सीलात से आप(ﷺ) को आगाह कर दिया था। आपने ख़बर देने के अन्दाज़ में, उम्मत की रहनुमाई के लिये बहुत कुछ फ़रमाया। किताबुल इमारत में इमाम मुस्लिम (रह.) ने सबसे पहले ये हदीस रिवायत की कि सबसे पहले इस्लाम क़ुबूल करने वाली क़ौम, यानी अरब क़ुरैश के पीछे चलते हैं मुसलमान भी और काफ़िर भी। दोनों के रहनुमा क़ुरैशी ही हैं, इसलिये इन हालात में इमाम (रहनुमा और हुक्मरान) क़ुरैश ही में से होंगे। ये ख़बर भी है और रहनुमाई भी। 'अन्नास' का लफ़्ज़ अरबी में सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक़ बहुत वसीअ (पूरी इंसानियत के) मानी में भी इस्तेमाल हुआ और निस्बतन महदूद बल्कि मख़्सूस मानी में उन लोगों के लिये भी जिन्होंने ख़ास तर्बियत हासिल की, हम मक़सद हुए, बड़ी ज़िम्मेदारियों के अमीन और बड़ी ख़ूबियों के मालिक हुए। क़ुरआन में ये लफ़्ज़

रसूलुल्लाह(ﷺ) पर ईमान लाने वालों, यानी सहाबा के लिये इस्तेमाल हुआ, 'और जब कहा गया इनसे कि ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाये।' (सूरह बक़रह : 13) ये रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथी, जाँ निसार, आपके मिशन के अमानतदार, आपकी तर्बियत का नमूना और आदम (अलै.) की औलाद में से बेहतरीन उम्मत थे। मुस्तक़बिल के हवाले से आपको जो कुछ दिखाया गया उसमें मुस्बत और मन्फ़ी दोनों तरह के वाक़ियात थे। उनके साथ ही, आपकी तसल्ली के लिये आपको दिखाया गया कि उन मख़्सूस लोगों में से जब तक दो शख़्स भी मौजूद होंगे तो इमारत के निज़ाम का बुनियादी उन्सुर यानी 'समअ़ व ताअ़त' का सिलसिला महफ़ूज़ होगा। मुश्किलात के बावजूद हुक्मरान उन्ही में से होंगे जिनकी लोग इताअ़त करते हैं। इसी बात को 12 हुक्मरानों के हवाले से भी बयान किया गया। बाद में बतदरीज (धीरे-धीरे) इन्तिज़ामी मामलात, अ़मलन दूसरों के हाथ में जाने शुरू हो गये।

ख़िलाफ़ते राशिदा के दौरान में एक हुक्मरान के बाद दूसरे की जाँनशीनी का तरीक़ेकार हालात के मुताबिक़ अलग-अलग रहा, लेकिन बुनियाद शूरा पर रही। कभी इस शूरा में जाने वाला इमाम शरीक भी हुआ। जिस तरह हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) को शरीक किया गया और ये भी हुआ कि जाने वाले ने शूरा में शिरकत के बजाय सारी ज़िम्मेदारी बाद वालों पर डाल दी। इसकी मिसाल हज़रत उ़मर (रज़ि.) का तरीक़ा है। हज़रत उ़समान (रज़ि.) के बाद हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने भी इसी तरीक़े पर अ़मल किया और यही ख़ुद रिसालत मआब(ﷺ) का तरीक़ा था कि एक इमाम के बाद अगले का इन्तिख़ाब वही लोग आपसी मशवरों से करें जो मौजूद हों।

इमारत की सलाहियत के साथ-साथ अ़दमे सलाहियत की वज़ाहत भी ज़रूरी है। इमाम मुस्लिम ने इस हवाले से वो हदीसें बयान कीं जिनमें ये सराहत है कि जो शख़्स ओहदे का तलबगार हो वही असलन इस सलाहियत से महरूम क़रार पाता है। ये भी वज़ाहत है कि ये ज़िम्मेदारी है, उसकी ख़्वाहिश करना ग़लत है। ये ज़िम्मेदारी बग़ैर ख़्वाहिश जिसके कन्धे पर डाली गई, अल्लाह की तरफ़ से उसकी मदद होगी और जिसे ख़्वाहिश पर मिली वो तन्हा उसको उठायेगा। जब किसी पर ज़िम्मेदारी पड़ जाये और वो उसका हक़ अदा करने की कोशिश करे, अ़द्ल से काम ले, लोगों को मुश्किलात से बचाये और उन्हें आसानियाँ फ़राहम करने की कोशिश करे तो आख़िरत में भी उसका अज्र बहुत बड़ा होगा।

अमीर चूंकि लोगों के इज्तिमाई अम्वाल का अमीन होता है, इसलिये उसकी ख़यानत बहुत संगीन जुर्म है और उसके लिये सख़्त तरीन अ़ज़ाब की वईद है। खुली ख़यानत के अलावा बहुत से दूसरे मामलात भी मख़्दूश हैं। इसकी मिसाल लोगों की तरफ़ से मिलने वाले 'हदिये' हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

इस मामले में इन्तिहाई एहतियात का हुक्म दिया। फिर इमाम मुस्लिम ने ऐसी हदीसें बयान कीं जिनमें अमीर की इताअ़त की हुदूद मुतअ़य्यन की गई हैं। बुनियादी उसूल ये है कि अच्छे कामों में इताअ़त की जाये और गुनाहों में अ़द्मे इताअ़त से काम लिया जाये क्योंकि अमीर की इताअ़त अल्लाह की इताअ़त की वजह से और उसी के हुक्म पर है। अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी की इताअ़त जाइज़ नहीं।

उसके बाद इमाम की ज़िम्मेदारियों में से अहम तरीन ज़िम्मेदारी, यानी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा), दिफ़ाअ़ और इस ग़र्ज़ से क़िताल व जिहाद के हवाले से अमीर के बुनियादी और मर्कज़ी किरदार का तज़्किरा है। फिर ख़िलाफ़त के हवाले से पैदा होने वाले झगड़ों से निपटने के बारे में रहनुमाई है। फिर इस बात का बयान है कि अगर हुक्मरान मुकम्मल तौर पर अल्लाह से बग़ावत नहीं करते, नमाज़ क़ायम करते रहते हैं तो निज़ाम की हिफ़ाज़त के अ़ज़ीम मक़सद के लिये उनके ज़ुल्म पर भी सब्र करना ही दानाई है, उसके बाद मिल्लत के इत्तिहाद के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में रहनुमाई है। इस तरह जो कोई इन्तिशार का सबब बने उससे छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। फिर हुक्मरानों की रहनुमाई के लिये अलग-अलग अबवाब हैं। अच्छे और बुरे हुक्मरानों की सिफ़ात क्या हैं? अहम मरहलों में लोगों को साथ रखने के लिये उनके मशवरों और ख़ुसूसी मिशन के लिये उनकी बैअ़त के हवाले से रहनुमाई मुहय्या की गई है। ये भी वज़ाहत की गई कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किन मरहलों में किन उमूर पर बैअ़त की। इस किताब के आख़िरी आधे हिस्से में अलग-अलग अबवाब के तहत अमीर की अहम तरीन ज़िम्मेदारी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ाअ़ की अहमियत और उसकी कमा हक़्क़हू तैयारी के हवाले से हदीसें बयान की गई हैं। किताबुल इमारत इन्तिहाई जामेअ़ किताबों में से एक है।

34. किताबुल इमारह्
उमूरे हुकूमत का बयान

बाब 1 : लोग क़ुरैश के ताबेअ़ हैं और ख़िलाफ़त के हक़दार क़ुरैश हैं

باب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلاَفَةُ فِي قُرَيْشٍ

(4701) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हुकूमत और इक़्तिदार के मामले में लोग क़ुरैश के ताबेअ़ हैं, मुसलमान लोग मुसलमान क़ुरैशियों और काफ़िर लोग काफ़िर क़ुरैशियों के।'
(सहीह बुख़ारी : 3495)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِيَانِ الْحِزَامِيَّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ عَمْرٌو رِوَايَةً " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ और इस बाब की दूसरी हदीसों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि ख़िलाफ़त क़ुरैश के साथ ख़ास है। क़ुरैश जाहिलिय्यत और कुफ़्र के दौर में भी लोगों के सरदार थे। यहाँ तक कि इस्लाम लाने में भी लोग इनके मुन्तज़िर थे, जब मक्का फ़तह हो गया और क़ुरैश मुसलमान हो गये, तो लोग जोक़-दर-जोक़ इस्लाम में दाख़िल हो गये और मुसलमानों में हक़ीक़ी

ख़िलाफ़त, जिसमें इस्लाम को ग़लबा था और मुसलमानों को इज़्ज़त व एहतिराम हासिल था और तमाम मुसलमान एक ख़लीफ़ा की रिआया थे, उस वक़्त तक क़ायम रही जब तक ख़लीफ़ा कुरैशी था और जब कुरैश के पास हक़ीक़ी ख़िलाफ़त न रही, सिर्फ़ नाम की ख़िलाफ़त रही या उनसे ख़िलाफ़त निकल गई, तो हक़ीक़ी ख़िलाफ़त वाली बरकात व ख़ैरात भी ख़त्म हो गईं और मुसलमानों की बेशुमार कमज़ोर हुकूमतें क़ायम हो गईं और उनकी इज़्ज़त व वक़ार मलियामेट हो गया, जिसका आज हम खुली आँखों मुशाहिदा कर रहे हैं कि मुसलमानों के मुत्तहिद होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही और इस्लाम के नाम से ग़ैर इस्लामी उमूर रिवाज पज़ीर हैं और हर जगह इक़्तिदार के सिलसिले में रसाकशी है। अगर दीनी तक़ाजे पर अमल पैरा होते मुसलमान कुरैशी को हक़ीक़ी ख़लीफ़ा बनाते तो मुसलमान इस हालते ज़ार में गिरफ़्तार न होते। इसलिये इमाम नववी, क़ाज़ी अयाज़ वग़ैरह ने ख़लीफ़ा के कुरैशी होने पर इज्माअ नक़ल किया है और अगर आज इस बात को नज़र अन्दाज़ किया गया है, तो ये इस तरह जिस तरह दूसरी दीनी बातों को नज़र अन्दाज़ कर दिया है, यहाँ तक कि नमाज़ जैसी बुनियादी इबादत जिस पर कुफ़्र और इस्लाम का मदार है, इसकी भी अहमिय्यत नहीं रही है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ " .

(4702) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने जो अहादीस़ हम्माम बिन मुनब्बिह को सुनाईं उनमें से एक ये है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग ख़िलाफ़त व इमारत के मामले में कुरैश के ताबेअ हैं। मुसलमान कुरैशी मुसलमानों के ताबेअ हैं और काफ़िर लोग, उनके काफ़िरों के ताबेअ रहे हैं।'

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " .

(4703) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोग (अरब) ख़ैर व शर में कुरैश के ताबेअ हैं।'

फ़ायदा : ख़ैर व शर से मुराद इस्लाम और जाहिलिय्यत व कुफ़्र है कि जाहिलिय्यत में भी लोग इनको क़ाइद (लीडर) तस्लीम करते थे और अब इस्लाम में भी क़ाइद वही हैं।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ " .

(4704) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस ख़िलाफ़त व इमारत के अहल कुरैश ही रहेंगे, ख़्वाह वो लोगों में सिर्फ़ दो ही रह जायें।'

(सहीह बुख़ारी : 3501, 7140)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً " . قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيَ عَلَىَّ - قَالَ - فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ قَالَ "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

(4705) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं अपने बाप के साथ नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना, 'ख़िलाफ़ते हक़ीक़ी और इस्लाम की कुव्वत ख़त्म नहीं होगी, यहाँ तक कि मुसलमानों के बारह ख़लीफ़ा पैदा हो जायें।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने आहिस्ता कलाम की जो मुझसे पोशीदा रही, तो मैंने अपने वालिद से पूछा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क्या फ़रमाया है? उसने कहा, आपने फ़रमाया, 'सब कुरैश से होंगे।'

फ़ायदा : इस हदीस़ का मफ़्हूम आने वाली रिवायात की रोशनी में ये है कि बारह ख़लीफ़ा तक दीन ग़ालिब रहेगा, मुसलमानों को भी शान व शौकत और ग़लबा हासिल होगा, उसके बाद इस्लाम के ग़लबे और मुसलमानों की कुव्वत व ताक़त में कमी शुरू हो जायेगी और हक़ीक़ी ख़िलाफ़त ख़त्म हो जायेगी, अगरचे ख़िलाफ़त के नाम से मुलूक व सलातीन (बादशाह) मौजूद रहेंगे।

(4706) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'लोगों का मामला दुरुस्त नहज पर रहेगा, जब तक बारह आदमी हुक्मरान रहेंगे।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक बात आहिस्ता से कही जो मुझसे छिपी रही, तो मैंने अपने बाप से पूछा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क्या फ़रमाया? उसने कहा, आपने फ़रमाया, 'सब क़ुरैश होंगे।'
(सहीह बुख़ारी : 7222)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً " . ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَىَّ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .

(4707) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं और उसमें ये नहीं है, 'लोगों का मामला सहीह नहज (तरीक़े) पर जारी रहेगा।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ " لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا " .

(4708) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'इस्लाम ग़ालिब रहेगा, जब तक बारह ख़लीफ़ा रहेंगे।' फिर आपने एक बात फ़रमाई जो मैं समझ न सका, तो मैंने अपने वालिद से पूछा, आपने क्या फ़रमाया? उन्होंने जवाब दिया, आपने फ़रमाया, 'सब क़ुरैशी होंगे।'

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَزَالُ الإِسْلاَمُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً " . ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .

(4709) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़िलाफ़त का मामला या दीन ग़ालिब रहेगा यहाँ तक कि बारह ख़लीफ़ा हो जायेंगे।' फिर

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ، بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

" لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً". قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

आपने कोई बात कही, जो मैं समझ न सका, तो मैंने अपने बाप से पूछा, आपने क्या फ़रमाया? उसने जवाब दिया, आपने फ़रमाया, 'सब कुरैश से होंगे।'

(अबू दाऊद : 4280)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً " . فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .

(4710) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं अपने बाप के साथ रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, तो मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना, 'ये दीन ग़ालिब और महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहेगा, यहाँ तक कि बारह ख़लीफ़ा हो जायेंगे।' और आपने एक बात कही, जो लोगों (के शोर) ने मुझे सुनने नहीं दी, तो मैंने अपने बाप से पूछा, आपने क्या फ़रमाया? उसने कहा, आपने फ़रमाया, 'सब कुरैश में से होंगे।'

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मनीअ : कुव्वत व ज़ोर वाला, महफ़ूज़। **(2) सम्मनीहन्नास :** लोगों ने मुझे इससे बहरा कर दिया, यानी लोगों के शोर की वजह से मैं उसे सुन न सका।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، -وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاَمِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَىْءٍ، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ يَقُولُ " لاَ يَزَالُ

(4711) आमिर बिन सअद बिन अबी वक़्क़ास बयान करते हैं, मैंने अपने ग़ुलाम नाफ़ेअ के हाथ, हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) को लिखा, मुझे कोई ऐसी बात बताइये, जो आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी हो। तो उन्होंने मुझे लिख भेजा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से जुम्आ की शाम जिस दिन आपने (माइज़) अस्लमी को रजम करवाया, सुना आप फ़रमा रहे थे, 'दीन क़यामत तक

الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ " .

क़ायम रहेगा या तुम पर बारह (12) ख़लीफ़े हुक्मरान होंगे सब क़ुरैश से होंगे।' और मैंने आपको ये फ़रमाते हुए भी सुना, 'मुसलमानों का एक दस्ता, किसरा या आले किसरा के घर सफ़ेद महल को फ़तह करेगी।' और मैंने आपसे ये भी सुना, 'क़यामत से पहले झूठे होंगे, उनसे बचकर रहना।' और मैंने आपसे सुना, 'जब अल्लाह तआला तुममें से किसी को माल व दौलत से नवाज़े, तो सबसे पहले उसे अपने ऊपर और अपने घर वालों पर ख़र्च करे।' और मैंने आपसे सुना, 'मैं हौज़ पर पेशरू हूँगा।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُهَاجِرِ، بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدِّثْنَا مَا، سَمِعْتَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ .

(4712) हज़रत आमिर बिन सअद से रिवायत है कि उन्होंने इब्ने समुरह अदवी (रज़ि.) की तरफ़ पैग़ाम भेजा कि हमें वो हदीस़ सुनायें जो आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी है। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, आगे मज़्कूरा बाला हातिम की हदीस़ की तरह बयान किया।

फ़वाइद : (1) वो बारह ख़ुलफ़ा कौन हैं जिनकी निशानदेही इस हदीस़ में की गई है, उसके बारे में उलमा में बहुत इख़्तिलाफ़ है। (लामिउद्दारमी अला जामिइल बुख़ारी जिल्द 10) के हाशिये में बारह क़ौल नक़ल किये गये हैं, लेकिन इस हदीस़ में जो उनकी मुख़्तलिफ़ सिफ़ात आई हैं कि उनके दौर में ख़िलाफ़त ग़ालिब होगी, इस्लाम क़वी और मुत्तहिद होगा, लोग उस पर अमल पैरा होंगे और लोग उमूमी तौर पर उन पर मुत्तफ़िक़ होंगे, उसकी रू से हाफ़िज़ इब्ने हजर ने क़ाज़ी अयाज़ के क़ौल को तरजीह दी है। हाफ़िज़ इब्ने तैमिया का मिन्हाजुस्सुन्नह में रुझान इसी तरफ़ है वो इस तरह हैं : (1) हज़रत अबू बकर (2) हज़रत उमर (3) हज़रत उस़मान (4) हज़रत अली (5) हज़रत मुआविया (6) यज़ीद बिन मुआविया (7) अब्दुल मलिक बिन मरवान (8) वलीद बिन अब्दुल मलिक (9) सुलैमान बिन अब्दुल मलिक (10) उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (11) यज़ीद बिन अब्दुल मलिक (12) वलीद बिन यज़ीद बिन अब्दुल मलिक ने चार साल की हुकूमत की, अगर हिशाम बिन अब्दुल मलिक को शुमार करें

तो फिर वलीद बिन यज़ीद बिन अब्दुल मलिक शुमार नहीं होगा। क्योंकि चार साल बाद उसको क़त्ल कर डाला गया था और उसके दौर में फ़ित्ने आम हो गये थे। उसके बाद लोग किसी ख़लीफ़ा पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुए। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने मालूम नहीं साहिबुल लामेअ के किस क़ौल से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़ारिज करना मालूम किया है। हालांकि हाफ़िज़ इब्ने हजर ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को शुमार किया है। हाफ़िज़ साहब लिखते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को क्यों निकाल दिया और वलीद बिन यज़ीद को दाख़िल कर दिया, हालांकि उसको निकाला जायेगा और इब्ने हजर हैसमी मक्की ने अस्सवाइक़ुल मुहर्रिका में हिशाम बिन अब्दुल मलिक को शुमार नहीं किया, उसकी जगह वलीद बिन यज़ीद बिन अब्दुल मलिक को शुमार किया है। **(2)** आपने किसरा के महल को बैतुल अबयज़, सफ़ेद घर से मौसूम किया जाता था, के फ़तह करने की पेशीनगोई फ़रमाई थी, जो हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर में पूरी हुई और ये शर्फ़ हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास को हासिल हुआ। **(3)** इज़ा अअ्तल्लाहु अहदकुम ख़ैरा में अगर ख़ैर से मुराद माल व दौलत हो तो मानी होगा, पहले अपने ऊपर और घर वालों पर आसानी और फ़रावानी करे और अगर इससे मुराद, इल्मे दीन हो, तो मानी होगा दावत व तब्लीग़ का आग़ाज़ अपने घर से करे। आमिरी यानी आर बिनसअ सआ की औलाद है। **(4) अनल फ़रतु अलल हौज़ :** कि मैं पहले पहुँचकर तुम्हारा हौज़े कौसर पर मुन्तज़िर हूँगा।

नोट : हज़रत इब्ने समुरह को अदवी क़रार देना दुरुस्त नहीं है, वो तो आदी थे।

बाब 2 : जानशीन मुक़र्रर करना या न करना

باب الاِسْتِخْلاَفِ وَتَرْكِهِ

(4713) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान **करते हैं कि जब मेरे बाप ज़ख़्मी हुए तो मैं हाज़िर था, लोगों ने उनकी तारीफ़ की और कहा, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फ़रमाये। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की नेमतों का उम्मीदवार हूँ और उसके अज़ाब से डरता हूँ। लोगों ने कहा, आप ख़लीफ़ा मुक़र्रर फ़रमा दें। उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हारा ज़िम्मा ज़िन्दगी और मौत दोनों सूरतों में उठाऊँ? मेरी तमन्ना है कि मुझे ख़िलाफ़त से बराबर बराबर**

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا . فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لاَ عَلَىَّ وَلاَ لِي فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ

فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ .

छुटकारा मिल जाये, न मेरी पकड़ हो और न मुझे अजर व सवाब मिले, अगर मैं किसी को ख़लीफ़ा बना दूँ तो मुझसे बेहतर शख़्सियत यानी अबू बक्र (रज़ि.) जानशीन बना चुके हैं और अगर मैं तुम्हें बग़ैर जानशीन के रहने दूँ तो तुम्हें इस तरह मुझसे बेहतर शख़्सियत रसूलुल्लाह(ﷺ) छोड़ चुके हैं।

(सहीह बुख़ारी : 7217)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) राग़िब व राहिब : इसकी तशरीह में इख़्तिलाफ़ है। बक़ौल कुछ मानी ये है मैं तारीफ़ की चाहत नहीं रखता, मैं तो अगली दुनिया में अल्लाह की रहमतों और उसकी नेमतों का उम्मीदवार और ख़्वाहिशमन्द हूँ और उसके अ़ज़ाब से लरज़ाँ हूँ और बक़ौल कुछ लोग मेरी तारीफ़ मेरे तक़र्रुब के हुसूल के लिये या मुझसे डरकर कह रहे हैं या उनमें से कुछ ख़िलाफ़त के ख़्वाहाँ हैं और कुछ उससे डर रहे हैं, अगर मैं ख़्वाहाँ को ख़लीफ़ा बनाऊँ तो वो अल्लाह की तौफ़ीक़ व इआनत से महरूम हो गया और डरने वाले को बताऊँ, तो शायद इस ज़िम्मेदारी को अदा न कर सके। **(2) अतहम्मलु अम्रकुम हय्यंव्व मय्यितन :** मैंने ज़िन्दगी में ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी को उठाई है, तो क्या अब मरते वक़्त ख़लीफ़ा मुक़र्रर करके, मैं फिर उस ज़िम्मेदार को उठाऊँगा कि ख़लीफ़ा के बारे में मुझसे सवाल हो, कैसा आदमी ख़लीफ़ा मुक़र्रर किया था।

फ़ायदा : हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने जानशीन के बारे में जिस राय का इज़हार फ़रमाया है, उससे मालूम होता है ख़लीफ़ा हालात व ज़ुरूफ़ के पेशे नज़र अगर अपना जानशीन मुक़र्रर कर दे, बशर्तेकि वो उसके ख़ानदान से न हो, तो उसके लिये अहले हिल्ल व अ़क़्द (दानिशवरान) से मशवरा लेने का पाबंद नहीं है। अगरचे बक़ौल अहले बसरा, अहले हिल्ल व अ़क़्द उसके तक़र्रुर के पाबंद नहीं हैं, अगर उसको मुनासिब ख़्याल न करें, तो वो उसकी बैअ़त से इंकार कर सकते हैं और आज-कल के ज़ुरूफ़ व हालात का तक़ाज़ा यही है। इस मसले को अहले हिल्ल व अ़क़्द पर छोड़ दिया जाये। इसलिये हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ख़लीफ़ा के तक़र्रुर को (ख़ुद इन्तिख़ाब करने की बजाय) इस मसले को अहले हिल्ल व अ़क़्द की एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन आज-कल के बेदीनी के सैलाब में ये भी मुम्किन नहीं रहा है, क्योंकि आज-कल काफ़िराना सियासत का ग़लबा है, जिसकी रू से इक़्तिदार रसाकशी का नाम है और माल व दौलत का खेल है।

(4714) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास गया, तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाप किसी को जानशीन मुक़र्रर नहीं कर रहे? मैंने कहा, वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, वो ऐसा ही करेंगे। तो मैंने कसम उठाई कि मैं इस मसले में उनसे बातचीत करूँगा, लेकिन मैं ख़ामोश रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और मैंने उनसे बातचीत न की और क़सम उठाने के बाइस मुझे यूँ महसूस हो रहा था, गोया कि मैं पहाड़ उठाये हुए हूँ, यहाँ तक कि मैं वापस आकर उनके पास हाज़िर हुआ, तो उन्होंने मुझसे लोगों का हाल पूछा और मैंने उन्हें आगाह किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने लोगों से एक बात सुनी है और मैंने क़सम उठाई है कि वो आपको बताऊँगा, लोगों का ख़्याल है आप ख़लीफ़ा मुक़र्रर नहीं कर रहे और सूरते हाल ये है, अगर आपके ऊँटों का कोई चरवाहा हो या आपकी बकरियों का चरवाहा हो, फिर वो उन्हें छोड़कर आपके पास आ जाये और आपकी राय में उसने उनको ज़ाया कर दिया होगा। तो लोगों की निगरानी का मामला तो बड़ा संगीन है और उन्होंने मेरी मुवाफ़िक़त की और कुछ देर के लिये अपना सर झुका लिया, फिर उसे उठाकर मेरी तरफ़ देखा और कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने दीन का मुहाफ़िज़ है, वो हिफ़ाज़त करेगा और अगर मैं ख़लीफ़ा न बनाऊँ तो

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ، مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَاقُ وَعَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ . قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ . قَالَ فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ - قَالَ - فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ - قَالَ - ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَىَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَئِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا

بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ . قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ .

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़लीफ़ा नहीं बनाया था और अगर ख़लीफ़ा मुक़र्रर करूँ तो अबू बक्र ख़लीफ़ा बना चुके हैं। अल्लाह की क़सम! जब उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) और अबू बक्र का ज़िक्र किया तो मुझे यक़ीन हो गया, वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के बराबर किसी को क़रार नहीं देंगे और वो ख़लीफ़ा मुक़र्रर नहीं करेंगे।
(अबू दाऊद : 2939, तिर्मिज़ी : 2226)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि हुज़ूर(ﷺ) ने किसी को अपना जानशीन मुक़र्रर नहीं किया था, हज़रत अबू बक्र की ख़िलाफ़त की सूरते हाल उनके फ़ज़ाइल में आयेगी इस बात की दलील है कि आपने उसको उम्मत की सवाबदीद पर छोड़ दिया था, इसलिये उम्मत के अहले हिल्ल व अ़क़्द (सूझ-बूझ रखने वाले लोग), अपने हालात और ज़ुरूफ़ के मुताबिक़ उसके लिये कोई भी तरीक़ा इख़्तियार कर सकते हैं, किसी एक तरीक़े की पाबंदी लाज़िम नहीं है और इसलिये फ़ुक़्हाए उम्मत ने उसके लिये किसी तरीक़े की तअ़यीन नहीं की है और न किसी एक तरीक़े पर ख़ैरुल क़ुरून में अ़मल रहा है।

باب النَّهْىِ عَنْ طَلَبِ الإِمَارَةِ، وَالْحِرْصِ، عَلَيْهَا

बाब 3 : इमारत को तलब करना और उसका आरज़ूमन्द होना मम्नूअ़(मना) है

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا".

(4715) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'ऐ अ़ब्दुर्रहमान! इमारत का सवाल न करना, क्योंकि अगर वो तुम्हें तलब करने की बिना पर दी गई, तो तुम्हें उसके सुपुर्द कर दिया जायेगा और तुम्हें वो बिला तलब मिली, तुम्हारी इआ़नत (मदद) की जायेगी।'

(4716) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से जरीर की हदीस़ की तरह ही बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ، بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है किसी ओहदे और मन्सब को तलब करना और उसके लिये भागदौड़ करना जाइज़ नहीं है, ख़ासकर आज-कल जो जुम्हूरियत के नाम से ड्रामा रचाया जाता है कि हर हल्क़े इन्तिख़ाब में बेशुमार उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और अपनी कामयाबी के लिये, बेशुमार रक़म ख़र्च करके, धोंस, धांदली, जअलसाज़ी और मुख़ालिफ़ उम्मीदवार की किरदारकशी तक का हर हरबा इस्तेमाल करते हैं और उसके लिये नामअ़कूल और झूठे वादे करते हैं। वोट ख़रीदते हैं, दूसरों के एजेण्टों को अग़वा करते हैं, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है और फिर अ़जीब बात है एक चपरासी और क्लर्क के इन्तिख़ाब के लिये तो कोई न कोई अहलिय्यत शर्त है, लेकिन सूबाई असेम्बली और सेन्ट की मेम्बरी के लिये किसी क़िस्म की अहलिय्यत व इस्तिअ़दाद का होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिये बस माल व दौलत, झूठ, दग़ा, फ़रेब, दहशतगर्द और बद दयानत होना काफ़ी है और हुज़ूर(ﷺ) का सरीह फ़रमान है कि ओहदा और मन्सब का तालिब अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ और इआ़नत से महरूम हो जाता है और किसी काम की सेहत के लिये अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ व इआ़नत बुनियादी शर्त है।

(4717) हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं कि मैं और मेरे दो चाचाज़ाद नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआ़ला ने जो उमूर आपके सुपुर्द किये हैं, उनमें से कोई हमारे सुपुर्द फ़रमा दें और दूसरे ने भी यही

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ " .

बात कही। तो आपने फ़रमाया, 'हम (अल्लाह की क़सम!) ये काम (ओहदा व मन्सब) किसी ऐसे फ़र्द के सुपुर्द नहीं करते (उसको वाली मुक़र्रर नहीं करते) जो उसका तालिब हो या उसका हरीस हो।'
(सहीह बुख़ारी : 7149)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَقَالَ " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ قَلَصَتْ فَقَالَ " لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ

(4718) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं नबी(ﷺ) की तरफ़ गया और मेरे साथ दो अश्अरी आदमी थे, उनमें से एक मेरी दायें तरफ़ और दूसरा मेरी बायें जानिब था। दोनों ने ओहदे का सवाल किया, जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) मिस्वाक कर रहे थे। तो आपने फ़रमाया, 'ऐ अबू मूसा! या ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस! तुम क्या कहते हो?' मैंने कहा, उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है मुझे इन दोनों ने अपने दिल की बात से बाख़बर नहीं किया था और न मैंने जाना कि ये दोनों ओहदे के तालिब हैं और मैं गोया कि आपकी मिस्वाक आपके होंट तले देख रहा हूँ और वो सिकुड़ चुका है। तो आपने फ़रमाया, 'हम हर्गिज़ अपना अ़मल (ओहदा व मन्सब) उसके सुपुर्द नहीं करेंगे, नहीं करते हैं जो उसका ख़्वाहिशमन्द हो। लेकिन तू ऐ अबू मूसा या ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस! जा।' तो आपने उसे यमन का आमिल मुक़र्रर फ़रमाया, फिर उनके पीछे हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) को भेज दिया तो जब हज़रत मुआ़ज़ उनके पास पहुँचे, हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, उतरिये और उन्हें तकिया पेश किया और

عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ . قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذٌ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

उनके पास एक आदमी जकड़ा हुआ मौजूद था। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने पूछा, ये कौन है? अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, ये यहूदी था और मुसलमान हो गया, फिर अपने बुरे दीन की तरफ़ लौट गया है और यहूदी बन गया है। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने कहा, जब तक इसे क़त्ल नहीं किया जाता, मैं नहीं बैठूँगा। अल्लाह और उसके रसूल का यही फ़ैसला है। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, आप बैठें! हम आपकी बात पर अमल करते हैं। उन्होंने तीन बार कहा, जब तक इसे क़त्ल नहीं किया जाता, मैं नहीं बैठूँगा, अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला है। तो हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। फिर दोनों ने आपस में रात के क़ियाम के बारे में बातचीत की। तो उनमें से हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने कहा, रहा मैं, तो मैं सोता भी हूँ और क़ियाम भी करता हूँ और अपनी नींद में भी उस अज्र की उम्मीद रखता हूँ जिसकी उम्मीद अपने क़ियाम में रखता हूँ।

(सहीह बुख़ारी : 6923, 2261, 7157, अबू दाऊद : 3579, 4345, नसाई : 1/9-10)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि मुर्तद की सज़ा क़त्ल है और इस हद को नाफ़िज़ करना इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इस पर तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है तफ़्सील किताबुल क़सामह् वल्मुहारिबीन में गुज़र चुकी है।

और इस हदीस़ से ये बात भी स़ाबित होती है अगर इंसान रात को इस निय्यत से सोता है ताकि क़ियामुल्लैल के लिये कुव्वत और चोकसी हासिल कर सके और इत्मीनाने क़ल्बी के साथ खड़ा हो सके तो ये सोना भी अज्र व स़वाब का बाइस़ है।

बाब 4 : मजबूरी के बग़ैर अमीर बनना नापसन्दीदा अमल है

باب كَرَاهَةِ الإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

(4719) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या कोई काम मेरे सुपुर्द नहीं फ़रमायेंगे? (मुझे कोई मन्सब इनायत नहीं फ़रमायेंगे?) तो आपने अपना हाथ मेरे कन्धे पर मारा फिर फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र! तू ज़ईफ़ (कमज़ोर) है और ये एक अमानत (ज़िम्मेदारी) है और ये क़यामत के दिन रुस्वाई और शर्मिन्दगी का बाइस बनेगी, मगर जिसने इसके हक़ का लिहाज़ करते हुए लिया और इसके सबब उसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा किया।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الأَكْبَرِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि इंसान को किस क़िस्म का ओहदा और ज़िम्मेदारी क़ुबूल करने से बचना चाहिये, ख़ुसूसन उस सूरत में जब वो उस मन्सब की ज़िम्मेदारियों और तक़ाज़ों को पूरा करने का अहल न हो, वरना ये ओहदा उसके लिये क़यामत के दिन ज़िल्लत व नदामत का बाइस़ बनेगा। लेकिन अगर वो मन्सब का अहल हो और उसकी ज़िम्मेदारियों से ख़ुश उस्लूबी के साथ ओहदा बरा हो सकता है और अद्ल व इंसाफ़ के तक़ाज़े पूरे कर सकता हो तो फिर ये उसके लिये रिफ़अत व फ़ज़ल का बाइस़ होगा, जैसाकि अगले बाब में आ रहा है।

(4720) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र! मैं तुम्हें कमज़ोर देख रहा हूँ और मैं तेरे लिये वही चीज़ पसंद करता हूँ जो अपने लिये पसंद करता हूँ, तुम दो आदमियों पर भी अमीर न बनना और न यतीम के माल का निगरान बनना।'

(अबू दाऊद : 2868, नसाई : 6/255)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ سَالِمِ، بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

" يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ " .

باب فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

बाब 5 : आदिल इमाम की फ़ज़ीलत और ज़ालिम की सज़ा और रिआया के साथ नर्मी बरतने की तहरीज़ (तरग़ीब) और उनको मशक़्क़त में डालने से मना करना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا " .

(4721) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अद्ल व इंसाफ़ करने वाले हुक्मरान अल्लाह के यहाँ, रहमान अज़्ज़ व जल्ल के दायें तरफ़, नूर के मिम्बरों पर होंगे और उसके (अल्लाह के) दोनों हाथ दायें हैं, ये वो लोग हैं जो अपने फ़ैसलों में अहलो-अयाल और अपनी रिआया के साथ अद्ल करते हैं।'

(नसाई : 8/221)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि जो लोग अपने अहलो-अयाल और दूसरी रिआया के सिलसिले में अद्ल व इंसाफ़ से काम लेते हैं, उन्हें क़यामत के दिन ये ऐज़ाज़ हासिल होगा कि उन्हें अल्लाह तआला की दायें तरफ़ और उसके दोनों हाथ, ही ख़ैर व बरकत वाले हैं, क्योंकि उसकी शान व मक़ाम के मुनासिब हैं, नूर के मिम्बर मिलेंगे, जिन पर वो तशरीफ़ फ़रमा होंगे।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَىْءٍ، فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ . فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا " اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ " .

(4722) अब्दुर्रहमान बिन शुमासह (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में कोई मसला पूछने की ख़ातिर हाज़िर हुआ तो उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से हो (किन लोगों से हो)? मैंने अर्ज़ किया, मैं अहले मिस्र से हूँ। उन्होंने पूछा, तुम्हारा अमीर, तुम्हारे इस ग़ज़्वे में तुम्हारे हक़ में कैसा था? तो उसने कहा, हमने उसमें कोई नापसन्दीदा, नागवार बात नहीं देखी। सूरते हाल ये थी जब हममें से किसी का ऊँट मर जाता था, तो वो ऊँट दे देता था, अगर गुलाम मरता था, तो गुलाम देता था और जब वो ख़र्च का मोहताज होता था तो उसे ख़र्च देता था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, हाँ! उसने मेरे भाई मुहम्मद बिन अबी बक्र के साथ जो सुलूक किया, वो मुझे उस हदीस़ के बयान करने से नहीं रोकता, जो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अपने इस घर में सुनी। आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! जो शख़्स मेरी उम्मत के किसी काम का वाली और हाकिम बना, फिर उनको मशक़्क़त में डाला (उनसे सख़्ती की) तू उस पर सख़्ती फ़रमाना और जो मेरी उम्मत के किसी काम का वाली बना और उनसे नर्मी बरती, तू उनसे नर्मी का सुलूक फ़रमाना।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, किसी अदावत व दुश्मनी की बिना पर या नामुनासिब मसलों से इश्तिआल में आकर किसी के फ़ज़ल व कमाल या ख़ूबी के ऐतराफ़ से बुख़्ल से काम नहीं लेना चाहिये। हज़रत मुहम्मद बिन अबी बक्र को क़त्ल कर दिया गया था और किस तरह क़त्ल किया गया, इसमें इख़्तिलाफ़ है। एक क़ौल है, मैदाने जंग में क़त्ल किये गये। दूसरा क़ौल है वो हज़रत अम्र बिन आस से शिकस्त खाकर, एक वीराने में मुर्दा गधे के पेट में जा छिपे और उसमें उनको जला दिया गया।

तीसरा क़ौल है, उन्हें मैदाने जंग में क़त्ल करके बाद में मुर्दा गधे के पेट में रखकर जला दिया गया। चौथा क़ौल है, उन्हें हज़रत अम्र बिन आस के पास लाया गया, उन्होंने क़त्ल करवाया। क्योंकि वो क़ातिलीने हज़रत उ़समान (रज़ि.) के साथ थे। तफ़्सील के लिये अल्इस्तीआबु अ़ला हामिशिल इसाबह जिल्द 3, पेज नं. 348-349, मतबा दारुल फ़िक्र बेरूत देखिये)।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(4723) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से ऊपर वाली रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .

(4724) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़बरदार! तुमसे हर इंसान निगरान और ज़िम्मेदार है और तुममें से हर इंसान से उसकी रिआया के बारे में सवाल होगा, तो वो हाकिम जो सब इंसानों पर मुक़र्रर है, वो निगरान है और उससे उसकी रिआया के बारे में सवाल होगा और इंसान अपने अहले बैत का निगरान है और उसे उनके बारे में सवाल होगा और औरत अपने ख़ाविन्द के घर और उसकी औलाद की निगरान है और उससे उनके बारे में सवाल होगा और गुलाम अपने आक़ा के माल का निगरान है और उससे उसके बारे में सवाल होगा, ख़बरदार! तुममें से हर इंसान निगरान है और तुममें से हर इंसान से उसकी रिआया के बारे में सवाल होगा।'

(तिर्मिज़ी : 1705)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي الْقَطَّانَ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ،

(4725) इमाम साहब मज़्कूरा बाला हदीस़ अपने नौ 9 उस्तादों की आठ सनदों से बयान करते हैं।
(सहीह बुख़ारी : 2554)

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهَذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ،

(4726) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح .وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،

(4727) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, चार अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से इब्ने उ़मर (रज़ि.) से बयान करते हैं और एक ज़ुहरी के वास्ते से बयान करते हैं और उसमें ये इज़ाफ़ा है कि मेरा ख़याल है आपने फ़रमाया, 'इंसान

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ " الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

अपने बाप के माल का निगरान और मुहाफ़िज़ है और अपनी रिआया के बारे में उससे सवाल होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 7138, 7129, 2751)

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى

(4728) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत की हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, हर इंसान निगरान और मुहाफ़िज़ है। किसी का दायरेकार बहुत वसीअ (बड़ी) है, इसलिये उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी वसीअ हैं और किसी का दायरा महदूद (छोटी) है इसलिये उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी महदूद हैं और हर एक से उसकी हैसियत और मक़ाम व मर्तबे के मुनासिब सवाल होगा। एक इंसान एक मुल्क का हाकिम है और एक सिर्फ़ अपने आज़ा व जवारिह (बॉडी) का निगरान है, अभी उसके ज़िम्मे कोई और काम नहीं है, सिर्फ़ अपने वालिदैन और अपने अज़ीज़ो-अक़ारिब से सुलूक के बारे में मस्ऊल है। इस ऐतबार से कोई भी बालिग़ मर्द या औरत मस्ऊलियत से ख़ाली नहीं है, हर एक जवाबदेह है। इसलिये हर इंसान को अभी से तैयार रहना चाहिये और सोच लेना चाहिये, उसने अपने फ़राइज़ की अदायगी कहाँ तक शरई हुदूद और उनके लवाज़िमात की पाबंदी के साथ की है और कहाँ शरई हुदूद व ज़वाबित को पामाल किया है।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ

(4729) हज़रत हसन बसरी (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत मअक़िल बिन यसार मुज़नी (रज़ि.) के मर्ज़ुल मौत में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उनकी बीमारपुर्सी के लिये गया। तो वो फ़रमाने लगे, मैं तुम्हें एक हदीस़ सुनाने लगा

فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "

हूँ, जो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी है, अगर मुझे यक़ीन होता कि मैं ज़िन्दा रहूँगा तो मैं तुम्हें न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जिस बन्दे को भी अल्लाह तआला, किसी रिआया का निगरान और मुहाफ़िज़ बनाता है और वो जिस दिन मरता है, इस हाल में मरता है कि वो अपने रिआया के साथ धोखेबाज़ और ख़यानतदार होता है, तो अल्लाह उसके लिये जन्नत हराम ठहराता है।'

फ़ायदा : उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, निहायत सख़्तगीर गवर्नर था और उसको वअ़ज़ व तब्लीग़ करना बेकार था, ये चीज़ भी उसकी सख़्तगीरी में इज़ाफ़े का बाइस बनती थी, इसलिये हज़रत मअ़क़िल बिन यसार (रज़ि.) ने अपनी ज़िन्दगी के आख़िरी मरहले में सिर्फ़ कित्माने इल्म से डरते हुए तब्लीग़ का फ़रीज़ा अदा किया, क्योंकि वो समझते थे इसको कुछ कहना लाहासिल (बेकार) है, बल्कि अपने आपको बिला ज़रूरत इसके ग़ैज़ व ग़ज़ब का निशाना बनाना है और मौत के वक़्त, उसकी बद्दिमाग़ी का ख़तरा न था।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ أَلاَّ كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا، قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ، لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثَكَ .

(4730) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि हज़रत मअ़क़िल बिन यसार (रज़ि.) की बीमारी में इब्ने ज़ियाद उनके पास गया, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है और इसमें ये इज़ाफ़ा है, इब्ने ज़ियाद ने कहा, आपने आज से पहले ये हदीस़ मुझे क्यों नहीं सुनाई? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने बयान नहीं की या मैं तुम्हें सुनाना नहीं चाहता था।

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ،

(4731) अबू मलीह (रह.) बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत मअ़क़िल बिन यसार (रज़ि.) की बीमारी में उनके पास गया, तो हज़रत मअ़क़िल (रज़ि.) ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक हदीस़ सुनाने लगा हूँ, अगर

أَنَّانِي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ " .

मैं मौत की कैफ़ियत से दोचार न होता, तो तुम्हें न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जो अमीर भी मुसलमानों के मामलात का ज़िम्मेदार बनता है, फिर वो उनके नफ़ा के लिये कोशिश नहीं करता और उनकी ख़ैरख़्वाही नहीं करता, तो वो उनके साथ जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।'

وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي، الأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، مَرِضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ . نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ، .

(4732) सवादह बिन अबी अस्वद (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि हज़रत मअक़िल बिन यसार (रज़ि.) बीमार हो गये, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उनकी इयादत के लिये गया, आगे हसन बसरी की तरह हज़रत मअक़िल (रज़ि.) की हदीस़ बयान की।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि जो अमीर अपनी रिआया (जनता) के उमूर व मामलात ख़ैरख़्वाही और उनकी भलाई के जज़्बे से सरशार होकर मेहनत और कोशिश से सर अन्जाम नहीं देता, बल्कि धोखादेही और ख़यानत से काम लेता है तो ये इतना संगीन जुर्म है, जो उसके लिये जन्नत से महरूमी का बाइस़ बनता है। इसलिये वो अपनी रिआया के साथ जन्नत में दाख़िल नहीं होगा, अगरचे अपने ईमान की बरकत से सज़ा भुगत कर, अगर उसके दूसरे आमाल की माफ़ी का बाइस़ न बने, जन्नत में दाख़िल होगा।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ

(4733) हज़रत हसन बसरी (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत आइज़ बिन अम्र (रज़ि.) जो रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथियों में से हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास गये और कहा, ऐ बेटे! मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'बदतरीन, ज़लील (निगरान) सख़्तगीर है, तू उनमें से होने से बचाव कर।' तो उसने जवाब दिया, बैठिये! तू तो बस

أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " . فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ .

मुहम्मद(ﷺ) के साथियों का छानबोरा (निकम्मा) है। तो हज़रत आइज़ (रज़ि.) ने कहा, क्या उनमें छानबोरा भी था? छानबोरा तो उनके बाद और दूसरों में पैदा हुआ।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हुतमह् : बहुत ज़्यादा तोड़ने-फोड़ने वाला, जो रिआया के साथ नर्मी की बजाय सख़्ती और शिद्दत से पेश आये और उनको ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाये। **(2) नुख़ालह :** छानबोरा, यानी तू सहाबा में से कोई मक़ाम व मर्तबा नहीं रखता, सिर्फ़ निकम्मा और रद्दी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। इस तरह इब्ने ज़ियाद ने उनसे इन्तिहाई नाशाइस्ता और गुस्ताख़ाना अन्दाज़ इख़्तियार किया। तो उन्होंने इन्तिहाई वक़ार और मतानत के साथ बेबाकाना अन्दाज़ में पूछा कि क्या वो लोग जो तमाम इंसानों में बरगुज़ीदा और पसन्दीदा थे और पूरी उम्मत के पेशवा और रहनुमा थे, जो बाद वाले लोगों के लिये क़ुदवा और नमूना थे, उनमें कोई निकम्मा और हक़ीर हो सकता है। ये जिन्स तो बाद वाले लोगों में पैदा हुई है, इसलिये तुम अपना ख़याल करो।

باب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

बाब 6 : ख़यानत की हुरमत की शिद्दत व नागवारी

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي، زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي . فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ . لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ

(4734) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे दरम्यान ख़िताब के लिये खड़े हुए, तो आपने ग़नीमत में ख़यानत की संगीनी का ज़िक्र किया और उसके मामले को इन्तिहाई संगीन क़रार दिया। फिर फ़रमाया, 'मैं तुममें से किसी को इस हालत में न पाऊँ कि वो क़यामत के दिन आये और उसकी गर्दन पर ऊँट सवार हो, जो बिलबिला रहा हो। वो कहे, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी फ़रियाद रसी कीजिये। तो मैं जवाब दूँगा, मेरे इख़्तियार में तेरे लिये कुछ नहीं, मैं तुम्हें पैग़ाम पहुँचा चुका हूँ। मैं तुममें से किसी

فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ‏.‏ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ‏.‏ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ‏.‏ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ‏.‏ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ‏.‏ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ‏.‏ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ‏.‏ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ‏.‏ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ‏"‏ ‏.‏

को इस हालत में न पाऊँ, वो क़यामत के दिन इस हाल में आये कि उसकी गर्दन पर घोड़ा सवार हो, जो हिनहिना रहा हो और वो कहेगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद फ़रमाइये! तो मैं कहूँगा, मेरे बस में तेरे लिये कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पैग़ाम पहुँचा चुका हूँ। मैं तुममें से किसी को इस हालत में न पाऊँ, वो क़यामत के दिन आये और उसकी गर्दन पर कोई इंसान हो, वो चिल्ला रहा हो वो कहेगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद फ़रमाइये। मैं कहूँगा, मैं तेरे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हें मसला बता चुका हूँ। मैं तुममें से किसी को इस हालत में न पाऊँ, वो क़यामत के दिन आये, उसकी गर्दन पर कपड़े लदे हों और वो भी हरकत कर रहे हों। वो कहेगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद कीजिये। मैं कहूँगा, मैं तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पैग़ाम दे चुका हूँ। मैं तुममें से किसी को इस हालत में न पाऊँ कि उसकी गर्दन पर सोना-चाँदी लदा हो, वो कहेगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद फ़रमायें। मैं कहूँगा, मैं तुम्हें आगाह कर चुका हूँ।'

(सहीह बुख़ारी : 3073)

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) ला उल्फ़ियन्न :** मैं किसी को हर्गिज़ न पाऊँ। **या ला अल्क़ियन्न :** मेरी हर्गिज़ मुलाक़ात न हो। **(2) रुग़ा :** ऊँट की आवाज़, जिसको बिलबिलाना कहते हैं। **(3) हम्हमह :** चारह देखकर घोड़े की आवाज़ जिसको हिनहिनाने से ताबीर करते हैं। **(4) सुग़ाअन :** बकरी की आवाज़ जिसे मिम्याने का नाम दिया जाता है। **(5) रिक़ाअ :** रुक़्अह की जमा है कपड़े के टुकड़े, यहाँ मुराद कपड़े हैं, जो तख़्फ़िक़ु हिल रहे होंगे। **(6) सामित :** सोना-चाँदी, नातिक़ हैवानात के मुक़ाबले में आता है। **(7) सियाहुन :** चीख़ना, चिल्लाना।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन तमाम उमूर की निशानदेही फ़रमा दी है जिसकी इंसान ने पाबंदी करनी है, इसलिये अगर वो किसी शरई हुक्म की मुख़ालिफ़त करेगा, तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी। हुज़ूर(ﷺ) आग़ाज़ में ऐसे किसी इंसान की सिफ़ारिश नहीं फ़रमायेंगे जिसने माली ख़यानत की होगी या किसी का नाजाइज़ ख़ून बहाया होगा और माले ग़नीमत में किसी क़िस्म की ख़यानत इन्तिहाई संगीन है और इसके गुनाहे कबीरा होने पर अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है यहाँ तक कि कुछ अइम्मा के नज़दीक उसका तमाम माल जला दिया जायेगा। लेकिन जुम्हूर अइम्मा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसका माल जलाया नहीं जायेगा। इमाम अपनी सवाबदीद के मुताबिक़ उसको सज़ा देगा। इसलिये अगर किसी ने किसी का माल किसी नाजाइज़ तरीक़े से लिया है, तो उसे तौबा करके पशेमानी और नदामत का इज़हार करते हुए उसके मालिक या उसके वारिसों को वापस कर देना चाहिये, ये मुम्किन न हो तो उसकी तरफ़ से सदक़ा कर देना चाहिये। अगर हुकूमत का माल खाया है तो किसी क़ौमी फण्ड में जमा करा दे।

(4735) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، .

(4736) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़यानत का ज़िक्र फ़रमाया और उसे इन्तिहाई संगीन क़रार दिया, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की। हम्माद कहते हैं, बाद में मैंने ये हदीस़ बराहे रास्त यहया से सुनी, तो उसने इस तरह सुनाई कि हमें उससे (यहया) अय्यूब ने सुनाई थी।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(4737) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान करते हैं।

باب تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

बाब 7 : सरकारी कारिन्दों का तोहफ़ा-तहाइफ़ लेना नाजाइज़ है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ " مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ

(4738) हज़रत अबू हुमैद साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने असद क़बीले के एक इब्ने लुतबिय्या नामी इंसान को सदक़े की वसूली के लिये आमिल मुक़र्रर फ़रमाया। तो जब वो (सदक़ा वसूल करके) वापस आया कहने लगा, ये आपका माल है और ये मेरा माल है जो मुझे तोहफ़ा मिला है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) मिम्बर पर खड़े हुए अल्लाह तआला की हम्दो-स़ना बयान फ़रमाई और फ़रमाया, 'जिस कारिन्दे को मैं भेजता हूँ उसको क्या हुआ है कि वो कहता है, ये तुम्हारा हिस्सा है और ये मुझे तोहफ़े में दिया गया है। वो अपने बाप या अपनी माँ के घर में क्यों बैठा नहीं रहा, ताकि देखता क्या उसे तोहफ़ा भेजा जाता है या नहीं। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! तुममें से कोई सदक़े के माल से कुछ नहीं लेगा, मगर वह क़यामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसे अपनी गर्दन पर उठाये हुए

होगा। अगर ऊँट है तो वो बिलबिला रहा होगा और अगर गाय है, वो डकार रही होगी, बकरी हुई तो मिमिया रही होगी।' फिर आपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये, यहाँ तक कि हमने आपकी बग़लों का मटियाला रंग देखा। फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! क्या मैंने पहुँचा दिया।' दो बार फ़रमाया।
(सहीह बुख़ारी : 1500, 2597, 6636, 6979, 7174, 7197, अबू दाऊद : 2946)

أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ " . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " . مَرَّتَيْنِ .

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने अज़्द क़बीला जिसे बनू असद कहते हैं, के एक फ़र्द को यमन, बनू सुलैम के सदक़ात की वसूली के लिये भेजा, तो उसने वापस आकर कुछ माल के बारे में हदिया होने का दावा किया। तो आपने तमाम कारिन्दों को तम्बीह करने के लिये बड़े गुस्से से मिम्बर पर चढ़कर फ़रमाया, हदिया और तोहफ़ा वो है जो हुकूमती ओहदे और मन्सब हासिल होने से पहले घर बैठे-बिठाये मिले, लेकिन जो हदिया या तोहफ़ा ओहदे और मन्सब के हुसूल के बाद मिलता है, वो तोहफ़ा और अतिया नहीं है, वो तो सिर्फ़ उसके ओहदे और मन्सब से फ़ायदा उठाने के लिये राह हमवार करने के लिये और उसके दिल में अपने लिये नर्म गोशा पैदा करने के लिये बतौरे रिश्वत दिया गया है कि बवक़्ते ज़रूरत काम आये या वो उनसे आसानी और सहूलत से पेश आये। इसलिये हज़रत उमर (रज़ि.) अपने आमिलों का वक़्तन-फ़वक़्तन मुहासबा फ़रमाते रहते और जिसके बारे में ये महसूस करते, उसने अपने ओहदे और मन्सब से फ़ायदा उठाया है और अपने मुशाहरे (तन्ख़्वाह) के मुक़ाबले में ज़्यादा माल जमा कर लिया है तो वो उससे ज़्यादा माल वसूल कर लेते। कई बार उसका सारा या आधा माल ले लेते। लेकिन आज-कल हुकूमत के तमाम लोग माल बनाने में मशग़ूल हैं, तो ऐसी हुकूमत मुलाज़िमों का मुहासबा कैसे करे, इसलिये रिश्वत का बाज़ार भी गर्म है और इसके सिवा माल हड़प करने के और भी ज़राए निकाल लिये गये हैं, जिसकी बुनियाद पर तमाम रिआया माल बनाने के चक्कर में मशग़ूल हैं और उसके लिये इन्तिहाई घिनौने ज़राए (तरीक़े) इख़्तियार किये जा रहे हैं, सूद, रिश्वत, मिलावट, डाका, अग़वा, कमिशन, क़ब्ज़ा सब इसके शाख़साने हैं।

(4739) हज़रत अबू हुमैद साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अज़्द क़बीले के इब्ने लुतबिय्या नामी आदमी को सदक़े की वसूली पर मुक़र्रर किया, तो उसने

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ،

قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ - رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ - عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ" أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لاَ " ‏.‏ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا ‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ ‏.‏

माल लाकर नबी(ﷺ) के हवाले किया और कहने लगा, ये माल आपका है और ये माल मुझे हदिये में दिया गया है। तो नबी(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'तू अपने बाप या अपनी माँ के घर क्यों बैठा नहीं रहा, फिर देखता क्या तुझे तोहफ़ा भेजा जाता है या नहीं?' फिर नबी(ﷺ) ने खड़े होकर ख़िताब फ़रमाया आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الأُتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا " ‏.‏ ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي ‏.‏ أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ

(4740) हज़रत अबू हुमैद साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इब्ने लुतबिय्या नामी एक अज़्दी आदमी को बनू सुलैम के सदक़ात की वसूली के लिये मुक़र्रर फ़रमाया। जब वो वापस आया तो आपने उससे हिसाब माँगा। उसने कहा, ये आपका माल है और ये तोहफ़ा है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू अपने बाप और अपनी माँ के घर क्यों बैठा नहीं रहा ताकि तेरा हदिया तुझे पहुँचता, अगर तू इस मामले में सच्चा है?' फिर आपने हमें ख़िताब फ़रमाया अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान की फिर फ़रमाया, 'अम्मा बअ्द! मैं तुम ही से किसी को इस काम के लिये आमिल बनाता हूँ जो अल्लाह तआला ने मेरे सुपुर्द किया है तो वो आकर कहता है, ये तुम्हारा माल है और ये तोहफ़ा है जो मुझे दिया गया है। तो वो अपने बाप और माँ के घर क्यों नहीं बैठा रहा ताकि उसका तोहफ़ा उसको मिलता, अगर वो सच्चा है। अल्लाह की क़सम! तुममें से कोई माल से

لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعِرُ "[1] . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " . بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي .

नाजाइज़ तरीक़े से कुछ नहीं लेगा, मगर वो क़यामत के दिन अल्लाह तआला को उसे उठाये हुए मिलेगा, मैं तुमसे इसको ज़रूर पहचान लूँगा कि वो अल्लाह तआला को इस हाल में मिलेगा कि उसकी गर्दन पर ऊँट सवार होगा जो बिलबिला रहा होगा या वो गाय उठाये हुए होगा जो डकार रही होगी या बकरी होगी, जो मिम्या रही होगी। फिर आपने अपने दोनों हाथ इस क़द्र बुलंद किये कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी गई। फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! क्या मैंने पहुँचा दिया?' हज़रत अबू हुमैद बयान करते हैं मेरी आँखों ने (आपको) देखा और मेरे कानों ने (आपकी) बात सुनी।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ، أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ . كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ " تَعْلَمُنَّ وَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا " . وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَاىَ . وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي .

(4741) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की तीन सनदों से हिशाम की मज़्कूरा बाला रिवायत से हदीस़ बयान करते हैं, अब्दा और इब्ने नुमैर, अबू उसामा की तरह बयान करते हैं, जब वो आया तो आपने उसका मुहासबा फ़रमाया। इब्ने नुमैर की रिवायत में है, ख़ूब जान लो! अल्लाह की क़सम! उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुममें से कोई इससे कुछ भी लेगा।' और सुफ़ियान की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, मेरी आँखों ने देखा और मेरे कानों ने सुना और ज़ैद बिन स़ाबित से पूछ लो, क्योंकि वो भी मेरे साथ मौजूद थे।

(4742) उर्वा बिन ज़ुबैर अबू हुमैद (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक आदमी को सदक़े की वसूली के लिये मुक़र्रर किया, वो बहुत कुछ माल-मवेशी लेकर आया और कहने लगा, ये तुम्हारा है और ये मुझे तोहफ़ा दिया गया है। आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है, उर्वा (रह.) कहते हैं, मैंने अबू हुमैद साइदी से पूछा, आपने उसे बराहे रास्त रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है? उन्होंने कहा, आपके मुँह से मेरे कानों तक पहुँची।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، - وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَىَّ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي .

मुफ़रदातुल हदीस़ : सवादुन कस़ीर : बहुत सी चीज़ें और हैवानात, क्योंकि सवाद का लफ़्ज़ हर शख़्सियत व ज़ात पर बोला जाता है।

नोट : बेरूत के नुस्ख़े में उ़वरह बिन ज़ुबैर के बाद अन अबी हुमैद साइदी नहीं है, जबकि पाकिस्तानी नुस्ख़े में ये इज़ाफ़ा है और उर्वा का अबू हुमैद साइदी से सवाल भी, उसके होने का तक़ाज़ा करता है।

(4743) हज़रत अ़दी बिन अ़मीरह् किन्दी (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'हमने तुमसे जिस शख़्स को किसी अ़मल का आ़मिल मुक़र्रर किया और उसने हमसे एक सूई या उससे बड़ी-छोटी चीज़ छिपाई, वो ख़यानत होगी। वो उसे क़यामत के दिन लेकर हाज़िर होगा।' तो एक स्याह अन्सारी आदमी आपके पास आकर खड़ा हुआ गोया कि मैं उसे देख रहा हूँ उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझसे अपना अ़मल वापस ले लें। आपने पूछा, 'तुम्हें क्या हुआ?' उसने अ़र्ज़ किया, मैंने आपको इस तरह फ़रमाते सुना है। आपने फ़रमाया, 'मैं

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي، خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ " وَمَا لَكَ " . قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " وَأَنَا

أَقُولُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " .

अब भी यही कहता हूँ, हमने तुममें जिसको भी किसी अमल का ज़िम्मेदार बनाया है, वो उसका कम या ज़्यादा सब कुछ लाये, फिर उसे जो दिया जाये, वो ले ले और जिससे उसे रोक दिया जाये, उससे रुक जाये।'

(अबू दाऊद : 3581)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है हुकूमत का मुलाज़िम या कारिन्दा सिर्फ़ वही मुशाहरा (तन्ख़्वाह) या मुराआत ले सकता है, जो हुकूमत ने ख़ुद दे दी हैं, उससे ज़्यादा अगर वो लेता है तो उसका मुहासबा होगा यहाँ तक कि मिख़्यत सूई या उससे कमो-बेश नाजाइज़ फ़ायदा उठाना भी ख़यानत है, जिसके बारे में क़यामत के दिन जवाब देना होगा, लेकिन आज मुसलमान हुक्मरानों और उनके कारिन्दों या मुलाज़िमों को उसकी परवाह नहीं है कि वो अपने ओहदे से किस क़द्र नाजाइज़ मफ़ादात उठा रहे हैं और उन्हें एक दिन दरबारे इलाही में पेश होकर उसका हिसाबो-किताब देना होगा। यही हाल उन लोगों का है, जो क़ौम और इज्तिमाई कामों के नाम पर माल व दौलत इकट्ठी करते हैं, फिर उसको शीरे मादर (जागीर) समझकर बग़ैर डकार लिये हज़म कर रहे हैं, अल्लाह तआला हम सबको एहसासे मस्ऊलियत (जवाबदेही के एहसास) से नवाज़े और उन हरकात से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाये।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

(4744) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

(4745) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

बाब 8 : उमरा (हुक्मरानों) की इताअत, उन कामों में लाज़िम है जो गुनाह नहीं और गुनाह के कामों में इताअत करना हराम है

باب وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ‏}‏ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ ‏.‏ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏

(4746) इब्ने जुरैज (रह.) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के हवाले से बयान करते हैं कि क़ुरआन मजीद की ये आयत, 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो और अपने हुक्मरानों की।' (सूरह निसा : 59) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन क़ैस बिन अदी सहमी के बारे में नाज़िल हुई। नबी(ﷺ) ने उन्हें एक दस्ते का अमीर बनाकर भेजा था।
(सहीह बुख़ारी : 4584, अबू दाऊद : 2624, तिर्मिज़ी : 1762, नसाई : 1/84)

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा (रज़ि.) को रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक दस्ते का अमीर बनाकर रवाना फ़रमाया था। वो किसी बात पर उनसे नाराज़ हो गये, फिर उनको लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग लगाने का हुक्म दिया। फिर जब आग रोशन हो गई, तो उन्हें कहने लगे, इसमें कूद जाओ, वो इस सिलसिले में पसो-पेश करने लगे, इतने में आग ठण्डी हो गई और उसका ग़ुस्सा भी ठण्डा हो गया। वाक़िये की तफ़्सील आख़िर में आ रही है। आपने फ़रमाया, अगर ये लोग दाख़िल हो जाते तो क़यामत तक उस आग के अज़ाब में मुब्तला रहते। इसलिये इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि उमरा और हुक्मरानों की इताअत सिर्फ़ जाइज़ कामों में लाज़िम है, अगर वो ग़लत या नाजाइज़ काम का हुक्म दें, तो उनकी बात नहीं मानी जायेगी। अगर कोई उनकी ग़लत बात मानेगा, तो उसे उसका ख़मियाज़ा भुगतना होगा। आज अगर हुकूमत के मुलाज़िमीन इस हक़ीक़त को सामने रखें और हुक्मरानों और उनके मन्ज़ूरे नज़र लोगों के नाजाइज़ काम करने से इंकार कर दें, तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। चूंकि हमने दीन और उसकी हिदायात व तालीमात को नज़र अन्दाज़ किया हुआ है। इसलिये किसी मुलाज़िम को इसका एहसास नहीं कि एक दिन उस ग़लत काम करने का ख़मियाज़ा मुझे ही भुगतना होगा और उन हुक्मरानों से कोई मेरे काम नहीं आ सकेगा, इसलिये हुक्मरानों को ग़लत

अहकाम देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, वो हर क़िस्म के ग़लत काम हुकूमती मुलाज़िमों से करवाते हैं और वो अपने मफ़ादात की ख़ातिर ये काम बख़ुशी करते हैं, इल्ला मा शाअल्लाह! और इस वाक़िये में असल मतलूब आयत का आख़िरी टुकड़ा है कि अगर किसी मसले में तुम्हारे दरम्यान झगड़ा पैदा हो जाये तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लौटाओ, यानी किसी चीज़ के जवाज़ और ग़ैर जवाज़ में हर्फ़े आख़िर किताबो-सुन्नत की तालीम व हिदायत है, इसकी पाबंदी हुकूमत और उसके मुलाज़िमीन दोनों के लिये लाज़िमी और क़तई है।

(4747) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जो मेरी नाफ़रमानी करता है, उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की और जो मेरे अमीर की इताअत करेगा, तो उसने मेरी इताअत की और जो मेरे अमीर की नाफ़रमानी करेगा, उसने मेरी नाफ़रमानी की।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

फ़ायदा : रसूल, अल्लाह का नुमाइन्दा और उसका पैग़ाम पहुँचाने वाला होता है, इसलिये उसकी इताअत अल्लाह तआला की इताअत है जैसाकि क़ुरआन मजीद में है, 'जो रसूल की इताअत करता है, उसने अल्लाह की इताअत की।' नीज़ अल्लाह तआला ने अपने रसूल की इताअत का हुक्म दिया है, लिहाज़ा रसूल की इताअत उसके हुक्म की तामील है। इसी तरह रसूलुल्लाह का मुक़र्रर करदा अमीर आप ही की बात का हुक्म देता है और आपने उसकी इताअत का हुक्म दिया है। इसलिये उसकी इताअत रसूल की इताअत है और उसकी नाफ़रमानी रसूल की नाफ़रमानी है। इस हदीस़ से भी यह साबित होता है जिस तरह रसूल, अल्लाह की मन्शा और रज़ा के बग़ैर कोई हुक्म नहीं देता, उसी तरह उमरा और हुक्काम भी किताबो-सुन्नत को नज़र अन्दाज़ करके अपनी तरफ़ से कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपने मक़ाम और हैसियत से आगे बढ़ते हैं, इसलिये उनकी बात नहीं मानी जायेगी।

(4748) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें ये जुम्ला नहीं है, 'और जो अमीर की नाफ़रमानी करता है, वो मेरा नाफ़रमान है।'

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " .

(4749) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने मेरी इताअ़त की, उसने अल्लाह की इताअ़त की और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की और जिसने मेरे अमीर की इताअ़त की तो उसने यक़ीनन मेरी इताअ़त की और जिसने मेरे अमीर की नाफ़रमानी की तो उसने यक़ीनन मेरी नाफ़रमानी की।'
(सहीह बुख़ारी : 7137)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

(4750) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।
(नसाई : 7/154)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

(4751) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की तीन सनदों से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।
(नसाई : 8/276)

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح .وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

(4752) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से मज़्कूरा बाला उस्तादों की तरह रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(4753) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से मज़्कूरा हदीस़ बयान करते हैं। इसमें है, आपने फ़रमाया, 'जिसने अमीर की इताअ़त की' ये नहीं कहा, 'मेरे अमीर की' हम्माम की रिवायत भी इसी तरह है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَقَالَ " مَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ " . وَلَمْ يَقُلْ أَمِيرِي وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(4754) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ मुख़ातब! तुम पर सुनना और इताअ़त करना लाज़िम है अपनी तंगी और आसानी में, तबीअ़त की निशात के वक़्त और नागवारी के वक़्त, चाहे तुम पर किसी को तरजीह ही दी जाये।'
(नसाई : 7/140)

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **उस्र :** तंगी और मशक़्क़त (2) **युस्र :** आसानी और सहूलत (3) **मन्शक :** तुम्हारी निशात और ख़ुशी का बाइस़ हो या (4) **मक्रहुक :** कराहत व नापसंदीदगी (5) **अस़रतुन :** उस़रतुन, इस़रतुन तरजीह और ईस़ार।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, अगर अमीर जाइज़ काम का हुक्म दे, तो हर क़िस्म के हालात में उसकी इताअ़त करना लाज़िम है, ये नहीं कि काम अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ हुआ या आसान और सहल हुआ या अपने मफ़ाद में हुआ तो मान लिया, वरना टाल-मटोल से काम लिया या मुख़ालिफ़त शुरू कर दी और उस पर ऐतराज़ करना शुरू कर दिये।

(4755) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मेरे ख़लील (रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तल्क़ीन फ़रमाई कि मैं सुनूँ और इताअत करूँ चाहे अमीर आज़ा (अंग) कटा ग़ुलाम हो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ .

मुफ़रदातुल हदीस : मुजद्दअल अतराफ़ : जिसके आज़ा काट दिये गये हों, मक़सूद है एक हक़ीर और बदसूरत ग़ुलाम भी अगर हाकिम हो और सहीह काम का हुक्म दे तो उसकी इताअत भी वाजिब है।

(4756) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, इसमें अब्दन के बाद हबशिय्यन का इज़ाफ़ा है कि वो ग़ुलाम हब्शी ही क्यों न हों।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ فِي الْحَدِيثِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ

(4757) एक और उस्ताद से बयान करते हैं, वो आज़ा कटा ग़ुलाम ही क्यों न हो।

وَحَدَّثْنَاه عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثْنَا اَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ۔

(4758) यहया बिन हुसैन (रह.) बयान करते हैं, मैंने अपनी दादी (उम्मे हुसैन) से सुना उसने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को हज्जतुल वदाअ में ये फ़रमाते सुना, 'और अगर तुम पर ऐसा ग़ुलाम मुक़र्रर कर दिया जाये जो तुम्हें अल्लाह के क़ानून के मुताबिक़ चलाये, तो उसकी बात सुनो और इताअत करो।'
(नसाई : 4203, इब्ने माजह : 2861)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ " وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " .

(4759) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें 'हब्शी गुलाम' कहा है।'

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا .

(4760) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं और आपने फ़रमाया, 'नाक कटा हब्शी गुलाम।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا .

(4761) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, उसमें नक्कटा हब्शी नहीं है और ये इज़ाफ़ा है, उसने आपसे मिना या अ़रफ़ात में सुना।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ .

(4762) यहया बिन हुसैन (रह.) अपनी दादी उम्मे हुसैन से बयान करते हैं, उसने बताया, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हज्जतुल वदाअ़ किया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बहुत सारी बातें बयान फ़रमाईं, फिर मैंने आपको ये फ़रमाते सुना, 'अगर तुम पर नक्कटा गुलाम अमीर बना दिया जाये' मेरे ख़याल में उसने कहा, 'स्याह, वो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक़ चलाये, तो उसकी बात सुनो और मानो।'

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي، أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ، حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلاً كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " .

(4763) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो सुने और माने, बात पसंद हो या नापसंद, इल्ला (मगर) ये कि नाफ़रमानी का हुक्म दिया जाये, अगर नाफ़रमानी का हुक्म दिया जाये तो न सुने और न माने।'
(तिर्मिज़ी : 1707, इब्ने माजह : 2864)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .

(4764) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनदों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।
(सहीह बुख़ारी : 2955, 7144, अबू दाऊद : 2626)

وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كِلاَهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4765) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक लश्कर भेजा और उस पर एक आदमी को अमीर मुक़र्रर किया, उसने आग रोशन करवाई और कहा, इसमें दाख़िल हो जाओ। तो कुछ लोगों ने उसमें दाख़िल होना चाहा और दूसरों ने कहा, हम आग ही से तो भागे हैं (इस्लाम क़ुबूल किया है) तो इस वाक़िये का तज़्किरा रसूलुल्लाह(ﷺ) से किया गया, तो आपने उन लोगों के बारे में जिन्होंने दाख़िल होना चाहा था फ़रमाया, 'अगर तुम उसमें दाख़िल हो जाते तो मुसलसल क़यामत तक उसमें रहते।' और दूसरों के बारे में अच्छे कलिमात फ़रमाये (उनकी तहसीन की) और फ़रमाया,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّعليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا . فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا " لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

" . وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ " لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " .

'अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की सूरत में इताअत नहीं होगी, इताअत तो बस मअरूफ़ (अच्छे कामों) में है।'

(सहीह बुख़ारी : 4340, 7145, 7257, अबू दाऊद : 2625)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ - وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْضَبُوهُ فِي شَىْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا . فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا . فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى . قَالَ فَادْخُلُوهَا . قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ . فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " .

(4766) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक दस्ता रवाना फ़रमाया और उन पर एक अन्सारी आदमी को अमीर मुक़र्रर फ़रमाया और उन्हें उसकी बात सुनने और मानने का हुक्म दिया। तो उन्होंने उसे किसी वजह से नाराज़ कर डाला, तो उसने कहा, मेरे लिये लकड़ियाँ जमा करो। उन्होंने लकड़ियाँ जमा कर दीं। फिर कहा, आग रोशन करो। उन्होंने आग जलाई। फिर कहा, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरी बात सुनने और मानने का हुक्म नहीं दिया था? उन्होंने कहा, क्यों नहीं! उसने कहा, तो इसमें दाख़िल हो जाओ। तो वो एक-दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, हम आग ही से तो भागकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ आये हैं। वो इस तरह पसो-पेश में थे और उसका गुस्सा ठण्डा हो गया और आग बुझ गई। जब वो वापस आये तो उन्होंने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह(ﷺ) से किया तो आपने फ़रमाया, 'अगर वो उसमें दाख़िल हो जाते, तो उससे न निकलते, इताअत तो बस मअरूफ़ में है।'

फ़ायदा : इस हदीस़ में अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी को दीन का मुआविन और मददगार होने की हैसियत से अन्सारी क़रार दिया गया है या ये वाक़िया अलग है और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा का वाक़िया अलग है। जो सुनन इब्ने माजह में अबवाबुल जिहाद हदीस़ नम्बर 2893 में बयान किया गया है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक लश्कर हज़रत अल्क़मा बिन मुजज़्ज़िज़ की सरकर्दगी में भेजा था। उसका एक दस्ता उनसे इजाज़त लेकर अलग हो गया, जिसका अमीर उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी को बना दिया, मैं भी उस दस्ते में था। रासते में उन लोगों ने ताँबे के लिये या कोई चीज़ पकाने के लिये आग जलाई। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह जिनकी तबीअ़त में मज़ाह था कहने लगे, क्या तुम मेरी बात सुनने और मानने के पाबंद हो? साथियों ने कहा, क्यों नहीं! तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, मैं जो कुछ कहूँगा, करोगे? उन्होंने कहा, हाँ! हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, मेरा तुम्हें ताकीदी हुक्म है कि इस आग में छलांगें लगा दो। तो कुछ लोग खड़े हो गये और उसके लिये तैयारी करने लगे। जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने समझा कि ये कूद जायेंगे तो कहा, रुक जाओ। मैं तुम्हारे साथ मज़ाक़ कर रहा था। वापस आकर हमने इसका तज़्किरा नबी(ﷺ) से किया। तो आपने फ़रमाया, 'जो अमीर तुम्हें नाफ़रमानी का हुक्म दे उसकी बात न मानो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4767) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا

(4768) उ़बादा बिन वलीद बिन उ़बादा अपने बाप के वास्ते से अपने दादा उ़बादा बिन सामित (रज़ि.) से बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से तंगी और आसानी में, ख़ुशी और नाख़ुशी में और अपने ऊपर तरजीह दिये जाने की सूरत में भी सुनने और मानने पर बैअ़त की और इस पर बैअ़त की कि हम अहले इक़्तिदार के साथ रसाकशी नहीं करेंगे (इक़्तिदार छीनने की कोशिश नहीं करेंगे) और हम हर हालत में जहाँ भी होंगे,

وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .

हक़ बात कहेंगे और अल्लाह के दीन के सिलसिले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे।

(सहीह बुख़ारी : 7199, 7200, नसाई : 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, इब्ने माजह : 2866)

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4769) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

(4770) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4771) हज़रत जुनादह बिन अबी उमय्या (रह.) बयान करते हैं कि हम हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) के पास गये, जबकि वो बीमार थे। हमने अर्ज़ किया, 'हमें आप ..... अल्लाह आपको सेहत अता फ़रमाये ..... कोई ऐसी हदीस सुनायें जो हमारे लिये फ़ायदेमन्द हो और आपने बराहे रास्त रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी हो। तो उन्होंने कहा, हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बुलाया और हमने आपसे बैअत की और आपने हमसे जो अहद

. فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ " إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ " .

लिया, उसमें हमारी ये बैअत थी कि हम सुनेंगे, मानेंगे, हमें पसंद हो या नापसंद, हमारे लिये मुश्किल हो या आसानी और हम पर तरजीह दी गई हो और हम अहले इक़्तिदार से छीना-छीनी नहीं करेंगे। आपने फ़रमाया, 'इल्ला ये कि तुम खुला-खुला कुफ़्र देखो, जिसके बारे में तुम्हारे पास सरीह दलील हो।'

(सहीह बुख़ारी : 7055)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक़्त तक ख़ुरूज जाइज़ नहीं है जब तक वो खुल्लम-खुल्ला कुफ़्र का इर्तिकाब न करे, हाँ अगर वो खुल्लम-खुल्ला कुफ़्र करे, तो फिर उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज जाइज़ है। लेकिन ये उस सूरत में है, अगर उसके नतीजा निकलने का इम्कान हो। सिर्फ़ फ़ित्ना व फ़साद और ख़ूँरेज़ी न हो, जिसका नतीजा पहले से भी ज़्यादा बिगाड़ और फ़साद पैदा हो। जैसाकि आज-कल जुम्हूरी हुकूमतों में इक़्तिदार की रसाकशी, ख़ून-ख़राबा तक पहुँचती है, लेकिन हालात पहले से भी बदतर हो जाते हैं। क्योंकि आज-कल हर पार्टी इक़्तिदार की हवस में मुब्तला है। इस्लाम के साथ कोई भी मुख़्लिस नहीं है। हाँ! अगर शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक़ तमाम लोग मअरूफ़ के पाबंद हों और मअसियत में हुक्मरानों की बात न मानें। तमाम अवाम और हुकूमत के हर क़िस्म के महकमे, अदालत, इन्तिज़ामिया, फ़ौज और क़ानून साज़, ख़ुद इस्लाम के पाबंद हों और हुकूमत के ग़ैर इस्लामी अहकामात मानने से इंकार कर दें , तो हुकूमत ख़ुद-बख़ुद ग़ैर इस्लामी अहकाम ख़त्म करे। इस्लामी शरीअत नाफ़िज़ करने पर मजबूर हो जायेगी, लेकिन उसके बग़ैर आज-कल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हड़तालें और मुज़ाहिरे किये जाते हैं, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं और क़ौमी अम्लाक को नज़रे आतिश किया जाता है, लोगों की अम्लाक में तोड़-फोड़ की जाती है, जिसमें इंसानी जानों को भी कई बार हलाक किया जाता है। ये इज्तिमाई हड़तालें और बेसमर मुज़ाहिरे, शरई नुक़्ते नज़र से, ख़िलाफ़े इस्लाम हैं। इसलिये उनके नतीजे में सिवाय नुक़सान के कुछ हासिल नहीं हो सकता, तारीख़ का तसल्सुल और ख़ास कर हमारी मुल्की तारीख़ इसका बय्यिन सुबूत है कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज व बग़ावत किसी सूरत में भी उम्मत के लिये या इस्लाम के लिये ख़ैर का बाइस साबित नहीं हुई, हालात पहले से भी ज़्यादा ही ख़राब हुए हैं।

باب فِي الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

बाब 9 : इमाम ढाल है (उसकी निगरानी में जंग लड़ी जाती है और उसके ज़रिये बचाव हासिल किया जाता है)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ " .

(4772) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इमाम तो ढाल है, उसकी सरपरस्ती और निगरानी में जंग लड़ी जाती है और उसके ज़रिये बचाव हासिल किया जाता है, अगर वो अल्लाह से डरने का हुक्म देगा और अ़द्ल से काम लेगा, तो उसे उसका स़वाब मिलेगा और अगर इसके सिवा हुक्म देगा, तो उसका गुनाह उस पर होगा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) जुन्नह :** ढाल, सपर **(2) युक़ातलु मिंव्वराइही :** उसकी पुश्त पनाही और सरपरस्ती में जंग लड़ी जाती है। **(3) युत्तक़ा बिही :** उसके ज़रिये ज़ुल्म व सितम से अमान और बचाव हासिल किया जाता है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि हाकिमे आ़ला और इमाम अपनी रिआ़या (जनता) के मफ़ादात का मुहाफ़िज़ (रक्षक) व निगरान है, उनको हर क़िस्म के बेरूनी और अंदरूनी ख़तरात और नुक़सानात से बचाता है, दुश्मन के हमले से बचाव और हिफ़ाज़त की तदबीर और इन्तिज़ाम करता है और दिफ़ाई इन्तिज़ामात करता है, सरहदों की हिफ़ाज़त और अंदुरूनी फ़ित्ने व फ़साद और लोगों को एक दूसरे के ज़ुल्म व सितम से बचाता है, उसकी हैयत व दबदबे की बिना पर लोग एक-दूसरे पर ज़ुल्म नहीं ढहाते और उसका काम ये है कि वो लोगों को अल्लाह की हुदूद की पाबंदी का हुक्म दे और अ़द्ल व इंसाफ़ से काम ले ताकि वो अल्लाह के यहाँ सुर्ख़रू हो और स़वाब हासिल करे, अगर वो उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है, ख़ुद इस्लामी हुदूद को तोड़ता है और ज़ुल्म व सितम से काम लेता है, तो इससे उसकी पकड़ होगी, लेकिन उसके ख़िलाफ़ बग़ावत नहीं की जायेगी।

बाब 10 : उस ख़लीफ़ा की बैअत को पूरा करना वाजिब है, जिसकी सबसे पहले बैअत की है

باب الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ " . قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ " .

(4773) अबू हाज़िम (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की ख़िदमत में पाँच साल रहा, मैंने उनसे रसूलुल्लाह(ﷺ) की ये हदीस़ सुनी तो आपने फ़रमाया, 'बनू इस्राईल के मामलात की निगेहदाश्त अम्बिया करते थे, जब एक फ़ौत हो जाता तो दूसरा नबी उसका ख़लीफ़ा बनता और सूरते हाल ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आयेगा और ख़ुलफ़ा होंगे और बकस़रत होंगे।' सहाबा किराम ने पूछा, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया, 'सबसे पहले की बैअत को पूरा करो और उनको उनका हक़ दो (उनकी मअरूफ़ में इताअत करो) और अल्लाह तआला ने उनको जिन लोगों का निगरान बनाया है, उनके बारे में वो ख़ुद उनसे पूछेगा।'
(सहीह बुख़ारी : 3455, इब्ने माजह : 2871)

मुफ़रदातुल हदीस़ : तसूसुहुमुल अम्बिया : उनके मामलात की निगेहदाश्त और निगरानी अम्बिया करते थे और उनके मफ़ादात के मुहाफ़िज़ (हिफ़ाज़त करने वाले) भी थे।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है इंसानों के दीनी मामलात की तरह, उनके दुनियवी मामलात के निगरान और मुहाफ़िज़ भी अम्बिया होते थे, दीन और दुनिया में इम्तियाज़ न था। लेकिन चूंकि आपसे पहले अम्बिया का सिलसिला जारी था, इसलिये एक नबी की वफ़ात के बाद लोगों के दीनी और दुनियवी उमूर की देखभाल और निगरानी के लिये उसकी जगह दूसरा नबी आ जाता था। लेकिन आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि आप पर नुबूवत ख़त्म हो गई, इसलिये आपके बाद ख़ुलफ़ा का सिलसिला शुरू हुआ, जब एक ख़लीफ़ा के बाद (क्योंकि वो फ़ौत हो गया है) दूसरे की बैअत कर ली जाये, तो उसके बाद किसी और ख़लीफ़ा की बैअत नहीं की जा सकती। जिससे मालूम

होता है, मुसलमानों का एक ही ख़लीफ़ा होना चाहिये और फिर मअरूफ़ में उसकी इताअत करनी चाहिये। अगर वो किसी ऐसी बात का हुक्म दे, जो रिआया की तबीअत के ख़िलाफ़ है या किसी की ज़ाती राय के ख़िलाफ़ है, तो अपनी तबीअत और राय को नज़र अन्दाज़ करना ज़रूरी है। जबकि हाकिम की बात शरीअत के ख़िलाफ़ न हो और अगर हाकिम रिआया के हुक़ूक़ अदा नहीं करता, तो अल्लाह तआला ख़ुद उससे बाज़पुर्स करेगा। रिआया को उसके ख़िलाफ़ महाज़ क़ायम नहीं करना चाहिये। लेकिन आज हमारी बदक़िस्मती है कि हर एक हुक़ूक़ का मुताल्बा करता है, अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तैयार नहीं है, इसलिये अलग-अलग तबक़ात में तबक़ाती जंग जारी रहती है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(4774) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद की सनद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ، وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ " تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ " .

(4775) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की पाँच सनदों से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वाक़िया ये है कि मेरे बाद उमरा अपने आपको तरजीह देंगे और मुन्कर व नापसन्दीदा बातों का ज़ुहूर होगा।' सहाबा किराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से जो इन हालात से दोचार हो, आप उसको क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया, 'तुम अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को अदा करना और अपने हुक़ूक़ की दरख़्वास्त अल्लाह से करना, यानी अल्लाह से दुआ करना कि वो हुक्मरानों को तुम्हारे हुक़ूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ और हिम्मत दे या उनको बदल दे।'

(सहीह बुख़ारी : 3603, 7052, तिर्मिज़ी : 2190)

फ़ायदा : इस हदीस में भी आपने रिआया को अपने फ़राइज़ अदा करने की तल्क़ीन की है, अगर वो हुक्मरान उनके मफ़ादात भी ख़ुद लूट रहे हों तो उनके हक़ में ये दुआ करनी चाहिये कि अल्लाह तआला उनको रिआया के हुक़ूक़ अदा करने की हिम्मत दे और रिआया को उनके शर व फ़साद से बचाये।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ جَامِعَةً ‏.‏ فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ

(4776) अब्दुर्रहमान बिन अब्दिरब्बिल कअबा (रह.) बयान करते हैं, मैं मस्जिद में पहुँचा तो वहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) कअबा के साये में बैठे हुए थे और लोग उनके गिर्द जमा थे। मैं भी लोगों में आकर उनके क़रीब बैठ गया। तो उन्होंने (अब्दुल्लाह रज़ि.) ने बताया, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे। तो हमने एक मन्ज़िल पर पड़ाव किया। तो हममें से कुछ अपना ख़ेमा दुरुस्त करने लगे और हमसे कुछ तीर अन्दाज़ी में मशग़ूल हो गये और कुछ अपने चरने वाले मवेशियों के साथ ठहर गये। अचानक रसूलुल्लाह(ﷺ) के मुनादी ने आवाज़ दी, नमाज़ तैयार है आ जाओ! तो हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जमा हो गये और आपने फ़रमाया, 'वाक़िया ये है मुझसे पहले हर नबी पर लाज़िम था कि वो अपनी उम्मत की रहनुमाई हर उस ख़ैर की तरफ़ करे जो उनके हक़ में जानता हो। यानी अपने इल्म के मुताबिक़ हर ख़ैर से उन्हें आगाह करे और उनको हर उस शर (बुरे काम) से डराये जो उनके बारे में जानता हो और तुम्हारी इस उम्मत के पहले लोगों में सलामती है और उसके बाद वाले लोगों को मुसीबतों में मुब्तला होना पड़ेगा और ऐसी बातें होंगी जिनको तुम बुरा समझोगे और ऐसी आज़माइश आयेंगी जो एक-दूसरे को हल्का

बना देंगी। एक फ़ित्ना ज़ाहिर होगा तो मोमिन कहेगा, ये मुझे तबाह कर देगा। जब वो दूर हो जायेगा (छट जायेगा) दूसरा फ़ित्ना आयेगा और मोमिन कहेगा, ये तो हलाक करके ही छोड़ेगा। तो जो शख़्स इस बात को पसंद करता है कि उसे आग से दूर रखा जाये और जन्नत में दाख़िल किया जाये, तो उसे उसकी मौत इसी हालत में आनी चाहिये कि वो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो और लोगों के साथ वो सुलूक करे, जो सुलूक उनसे अपने बारे में चाहता है और जिसने किसी इमाम की बैअ़त कर ली और उसके हाथ पर अपना हाथ मारा और अपने दिल से उससे मुहब्बत की, तो जहाँ तक उससे हो सके, वो उसकी इताअ़त करे और अगर वो दूसरा शख़्स उसके मुक़ाबले में आ खड़ा हो, तो दूसरे की गर्दन उड़ा दो।' तो मैं उनके क़रीब हुआ और उनसे पूछा, मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ क्या आपने ये हदीस रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी है? तो उन्होंने अपने हाथों से अपने कानों और दिल की तरफ़ इशारा करके कहा, मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने उसको याद रखा। तो मैंने उनसे कहा, ये तेरा चाचाज़ाद मुआविया हमें हुक्म देता है कि हम एक-दूसरे के माल को नाजाइज़ तरीक़े से खायें और एक-दूसरे को क़त्ल करें और अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, 'ऐ ईमान वालो! आपस में एक-दूसरे के माल नाजाइज़ तरीक़ों से न खाओ, इल्ला ये कि तुम्हारी रज़ामन्दी से आपस में

هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي . ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ " . فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .

तिजारत (लेन-देन) हो और अपने आपको (एक-दूसरे को) क़त्ल न करो, बिला शुब्हा अल्लाह तआला तुम पर बहुत मेहरबान है।' (सूरह निसा : 29) तो वो कुछ देर ख़ामोश रहे फिर कहने लगे, अल्लाह की इताअत की सूरत में उनकी इताअत करो और अल्लाह की नाफ़रमानी की सूरत में उनकी नाफ़रमानी करो। (अबू दाऊद : 4248, नसाई : 7/152, इब्ने माजह : 3956)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) युस्लिहु ख़िबाअहु : अपने ख़ेमे को दुरुस्त करने लगा। **(2) फ़यन्तज़िलु :** तीरअन्दाज़ी करने लगा। **(3) जशर :** उन मवेशियों को कहते हैं, जो चरागाह में चरते हैं और वहीं रात गुज़ारते हैं। **(4) अस्सलातु जामिअ़तुन :** सलफ़ को अगर किसी अहम काम के लिये लोगों को जमा करना होता, तो वो इन कलिमात के ज़रिये लोगों को बुलाते, लेकिन इससे मुराद सुबह की अज़ान और इक़ामत के दरम्यान तस़वीब नहीं, दोबारा हय्य अ़लस्सलाह हय्य अ़लस्सलाह कहने पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नमाज़ के लिये तस़वीब रसूलुल्लाह(ﷺ) या सहाबा किराम से स़ाबित नहीं है जबकि दीनी उमूर में सलाह व मशवरा करने के लिये अस्सलात जामिअ़तुन के ज़रिये लोगों को इकट्ठा करना स़ाबित है। क्योंकि जिन लोगों ने नमाज़ के लिये आना है, उनके लिये अज़ान काफ़ी है। जिनको नहीं आना, तशह्हुद के कलिमात या आज-कल अस्सलातु वस्सलामु अ़लैक यारसूलल्लाह के कलिमात, उनको मस्जिद में नहीं ला सकते। इसलिये ये कलिमात लाहासिल हैं। **(5) जुअ़िल आ़फ़ियतुहा फ़ी अव्वलिहा :** आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ उम्मत का शुरूआती तबक़ा दीन पर क़ायम रहा और उसको कोई चीज़ दीन पर अ़मलपैरा होने से न रोक सकी। यही मानी है कि उम्मत की आ़फ़ियत व सलामती इसके पहले तबक़े में है, इसलिये पहली तीन क़ुरून को ख़ैरुल क़ुरून क़रार दिया गया। क्योंकि मज्मूई तौर पर वो दीन पर क़ायम रहे। **(6) युरक़्क़िक़ु बअ़्ज़ुहा :** बाद वाले फ़ित्ने के मुक़ाबले में पहला फ़ित्ना हल्का और कम नुक़सानदेह महसूस होता था। **(7) वल्यअ्ति इलन्नासिल्लज़ी युहिब्बु अंय्युअ्ता इलैहि :** लोगों से वो रवैया और तर्ज़े अ़मल इख़्तियार करे, जो उनसे अपने लिये पसंद करता है, यानी जिस तरह दूसरों से हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही और अच्छे तरीक़े का ख़्वाहाँ है, उस तरह उनके साथ, हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही का रवैया इख़्तियार करे, अगर आज हमारा इस जामेअ़ नसीहत पर अ़मल हो जाये, तो हमारे बहुत से मसाइल ख़ुद-बख़ुद हल हो जायें और हम बेशुमार मुश्किलों व मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लें। **(8) अअ़्ताहु सफ़क़त यदिही व स़मरत क़ल्बिही :** बैअ़त के लिये अपना हाथ उसके हाथ पर रखा है

और दिल की गहराई से तस्लीम किया है। **(9) फ़ज़्रिबू उनुक़ल आख़र :** दूसरे ख़लीफ़ा की गर्दन मार दो, उसे क़त्ल कर दो। **(10) हाज़ा इब्ने अम्मिक मुआविया :** कि तुम्हारे बक़ौल पहले ख़लीफ़ा के बाद ख़िलाफ़त का मुद्दई क़ाबिले क़त्ल है, तो फिर जब हज़रत अली (रज़ि.) ख़लीफ़ा बन चुके हैं, तो फिर मुआविया हज़रत अली (रज़ि.) के ख़िलाफ़ जंग क्यों लड़ रहे हैं, इस तरह अपने लश्कर और हवारियों पर जो माल ख़र्च कर रहे हैं, वो नाजाइज़ तरीक़े से माल खाना है और एक-दूसरे को क़त्ल करने का हुक्म देता है, ये इस साइल का दावा है, हालांकि हज़रत मुआविया ने ख़िलाफ़त का दावा नहीं किया। बल्कि क़ातिलीने उ़समान को अपने हवाले करने की इस्तिदआ की थी और क़ातिलीने उ़समान की साज़िशों के नतीजे में अपना दिफ़ाअ करने के लिये जंग लड़नी पड़ी थी। इसलिये वो इज्तिहाद और अपनी राय की रोशनी में इस लड़ाई को सहीह समझते थे और इसके लिये माल ख़र्च करना, वो नाजाइज़ तरीक़े से माल खाना क़रार नहीं दिया जा सकता। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने एक ख़त लिखवाकर मुल्क के अक्नाफ़ व अतराफ़ में नश्र कर दिया था, जिसमें लिखा हमारा और अहले शाम का मुक़ाबला हुआ और ये खुली हक़ीक़त है, हमारा रब एक है, हमारा नबी एक है, इस्लाम के बारे में हमारी वहदत यकसाँ है। अल्लाह तआला के साथ ईमान लाने और उसके रसूल की तस्दीक़ करने में , हम उनसे बढ़कर नहीं हैं और न वो हम पर इसमें फ़ाइक़ हैं, हमारा मामला यकसाँ है। मगर ख़ूने उ़समान में हमारा और उनका इख़्तिलाफ़ हो गया है और हम उससे बरीउज़्ज़िम्मा हैं। (नहजुल बलाग़त, जिल्द 2, पेज नं. 114 मअ हवाशी इमाम अ़ब्दहू बहवाला रुहमाउ बैनहुम, जिल्द 4 पेज नं. 183 यही बात दुर्रतुन नजफ़िय्या शरह नहजुल बलाग़त पेज नं. 344 में मौजूद है)।

इसलिये जब शाहे रोम ने हज़रत मुआविया (रज़ि.) को मिलाने की ख़्वाहिश की, क्योंकि उनका इक़्तिदार रोमी सल्तनत के लिये ख़तरा बन चुका था और शामी फ़ौजें उसकी फ़ौजों को हरा कर ज़लील कर चुकी थीं, तो वो एक बड़ी फ़ौज के साथ एक क़रीबी इलाक़े में आया और हज़रत मुआविया को तआवुन की पेशकश की, तो हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने उसे ख़त लिखा, अल्लाह की क़सम! अगर तू न रुका और ऐ लईन! तू अगर अपने मुल्क वापस न गया, तो मैं और मेरे चाचाज़ाद दोनों आपस में मिल जायेंगे और तुझे तेरे तमाम क़लमरू से ख़ारिज कर देंगे। (अल्बिदाया वन्निहाया, जिल्द 8, पेज नं. 119)

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) ने साइल को हज़रत मुआविया की इताअ़त का हुक्म इसलिये दिया, क्योंकि 40 हिजरी में हज़रत अ़ली और हज़रत मुआविया (रज़ि.) में सुलह हो गई थी और दोनों ने फ़ौजें एक-दूसरे के मुक़ाबले में वापस बुला ली थीं और हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने शाम का इलाक़ा हज़रत मुआविया के हवाले कर दिया था। (अल्बिदाया वन्निहाया, जिल्द 7, पेज नं. 322, तारीख़े तबरी जिल्द 6 पेज नं. 81, सन 40 हिजरी)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(4777) इमाम साहब यही रिवायत अपने चार उस्तादों से आमश की मज़्कूरा बाला सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ، أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ، رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ .

(4778) अब्दुर्रहमान बिन अब्दिरब्बिल कअबा (रह.) बयान करते हैं कि मैंने एक जमाअत कअबा के पास बैठी देखी, आगे मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत है।

باب الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلاَةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

बाब 11 : हाकिमों के ज़ुल्म और अपने आपको तरजीह देने पर सब्र करने का हुक्म

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ " .

(4779) हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक अन्सारी आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को अकेले में अर्ज़ किया, क्या आप मुझे फ़लाँ की तरह आमिल नहीं बनायेंगे? तो आपने फ़रमाया, 'तुम मेरे बाद तरजीह से दोचार होगे, तो इस पर सब्र करना यहाँ तक कि तुम मुझे हौज़े कौसर पर मिलो।'
(सहीह बुख़ारी : 3792, 7057, तिर्मिज़ी : 2189, नसाई : 8/224-225)

फ़ायदा : आपके फ़रमान और पेशीनगोई के मुताबिक़ आपके बाद अन्सार को ओहदों और मन्सबों से दूर रखा गया।

(4780) हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक अन्सारी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से तन्हाई में मुलाक़ात की, आगे मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ ‏.‏

(4781) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन उसमें ये लफ़्ज़ नहीं है कि उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) से तन्हाई में बात की।

وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ خَلاَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

बाब 12 : उमरा (हुक्मरानों) की इताअ़त करना अगरचे वो हुक़ूक़ से महरूम रखें

باب فِي طَاعَةِ الأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

(4782) अ़ल्क़मा बिन वाइल हज़्रमी अपने बाप हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) से बयान करते हैं कि हज़रत सलमा बिन यज़ीद जुअ़फ़ी (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा ऐ अल्लाह के नबी! बताइये अगर हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हों, जो हमसे अपने हुक़ूक़ की अदायगी का मुताल्बा करें और हमें हमारे हुक़ूक़ से महरूम रखें, तो आप इस सूरत में हमें क्या हुक्म देते हैं? तो आपने उससे मुँह फेर लिया। उसने फिर सवाल किया, तो आपने उससे बेरुख़ी इख़्तियार की। फिर उसने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ

فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ " .

आपसे दूसरी या तीसरी बार सवाल किया, तो उसे हज़रत अश्अस़ बिन क़ैस (रज़ि.) ने खींच लिया और आपने फ़रमाया, 'सुनो और मानो क्योंकि उनका बार (बोझ) उन पर है और तुम्हारा बार तुम पर है।'
(तिर्मिज़ी : 2199)

फ़ायदा : अगर हुक्मरान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी रिआया के हुक़ूक़ अदा नहीं करते तो उसका वबाल और गुनाह उन पर होगा और अगर तुम अपने फ़राइज़ (सुनना और मानना) अदा नहीं करते, तो उसका वबाल तुम पर पड़ेगा। इसलिये तुम्हें अपने फ़राइज़ अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिये और वो चूंकि इसकी इजाज़त चाहता था, क्योंकि उसके सवाल का अन्दाज़ और लब व लहजा इस पर दलालत करता था, इसलिये आपने उससे ऐराज़ किया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ "

(4783) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही हदीस़ बयान करते हैं, इसमें है कि उसे अश्अस़ बिन क़ैस (रज़ि.) ने खींच लिया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सुनो और मानो, क्योंकि उनका बार उन पर है और तुम्हारा बार तुम पर है।'

باب الأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَتَحْذِيرِ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ

बाब 13 : फ़ित्नों के ज़ुहूर के वक़्त ख़ुसूसी और आम हालात में उमूमी तौर पर मुसलमानों की जमाअत के साथ रहना ज़रूरी है और उमरा (अमीरों) की इताअत से निकलना और जमाअत से अलग होना नाजाइज़ है

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ، جَابِرٍ

(4784) हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) से ख़ैर के बारे में सवाल करते थे और मैं आपसे शर के बारे में इस ख़ौफ़ से सवाल करता था

حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ " نَعَمْ " فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ " نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ " . قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ " قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ " . فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ " نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ " نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " . فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " .

कि कहीं मैं उसमें मुब्तला न हो जाऊँ, तो मैंने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम जाहिलिय्यत और शर में थे तो अल्लाह हमारे पास (इस्लाम की सूरत में) ये ख़ैर ले आया तो क्या इस ख़ैर के बाद शर (बेदीनी) होगी? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' तो मैंने पूछा, क्या उस शर (बेदीनी) के बाद ख़ैर होगी? आपने फ़रमाया, 'हाँ! उसमें कदूरत होगी।' फिर मैंने पूछा, उसमें कदूरत क्या होगी? आपने फ़रमाया, 'ऐसे लोग होंगे जो मेरी सुन्नत (तरीक़े) के सिवा राह इख़्तियार करेंगे और मेरी सीरत के अलावा तरीक़ा अपनायेंगे, उनमें मअ़रूफ़ व मुन्कर दोनों पाओगे।' मैंने पूछा, क्या उस ख़ैर के बाद भी शर होगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ! जहन्नम के दरवाज़े पर बुलाने वाले होंगे, जो उनकी उस दावत को क़ुबूल कर लेंगे तो वो उन्हें उस जहन्नम में फेंक देंगे।' तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमें उनकी सिफ़त बताइये? आपने फ़रमाया, 'वो लोग हमारी क़ौम से होंगे और हमारी बोली-बोलेंगे।' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर ये दौर मुझे पा ले तो आपके ख़याल में मैं क्या करूँ? आपने फ़रमाया, 'तू मुसलमानों की जमइय्यत और उनके इमाम के साथ वाबस्ता रहना।' मैंने अ़र्ज़ किया, अगर उनकी जमइय्यत और इमाम न हो? आपने फ़रमाया, 'उन तमाम फ़िर्क़ों से अलग रहो, अगरचे तुम्हें किसी दरख़्त के तने को चबाना पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आये और तुम इसी हालत पर हो।'

(सहीह बुख़ारी : 3606, 7084, इब्ने माजह : 3979)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़हल बअ़्द हाज़ल ख़ैरि शर : क्या इस्लाम की सूरत में जो ख़ैर और अमन व सलामती हुई है उसके बाद शर फ़ित्ना व फ़साद होगा। इससे मुराद वो फ़ित्ना व फ़साद है जो हज़रत उ़स्मान की शहादत के बाद रूनुमा हुआ और मुसलमानों में ख़ाना जंगी शुरू हो गई और शर के बाद ख़ैर हज़रत अ़ली और मुआ़विया और हसन व मुआ़विया की सुलह और हज़रत मुआ़विया पर इत्तिफ़ाक़ है और उसमें दख़न कदूरत ये थी कि पहले जैसा आपस में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ और प्यार व मुहब्बत न रहा था। जैसाकि हदीस़ में है, 'लोगों के दिल पहली हालत की तरफ़ नहीं आयेंगे' और कुछ बिदअ़ती फ़िर्क़ों शीया और ख़्वारिज का ज़ुहूर हो गया था और कुछ उमरा (हुक्मरान) ऐसे थे, जिनमें कुछ क़ाबिले ऐतराज़ और मुन्कर बातें पैदा हो गई थीं, इस आमेज़िश वाली ख़ैर के बाद, बिदअ़ती फ़िर्क़ों की बिदअ़तों को फ़रोग़ मिला और कुछ सलातीन व ख़ुलफ़ा ने उनकी सरपरस्ती की, तो ये लोग जहन्नम के दरवाज़ों पर खड़े होकर लोगों को उन बिदअ़तों की दावत देते थे और उनका प्रचार करते थे, लेकिन वो थे मिन जिल्दतिना वो इस्लाम के नाम लेवा और मुसलमानों में से थे और मुसलमानों वाली बोली बोलते थे, अपने आपको इस्लाम के दाई क़रार देते थे। **(2) तल्ज़मु जमाअ़तल मुस्लिमीन व इमामहुम :** जिस अमीर और इमाम की इमारत व इमामत पर मुसलमानों की अक्स़रियत जमा हो गई है, उसकी इमारत और इमामत को मान कर मुसलमानों की जमइय्यत से वाबस्ता रहना। उसके ख़िलाफ़ अ़लमे बग़ावत (बग़ावत का झण्डा) बुलंद न करना या तहरीक न चलाना और अगर मुसलमान किसी की इमामत या इमारत पर जमा न हों, हर एक अपना-अपना अलग राग अलापे और अलग-अलग डफली बजाये और तवाइफ़ुल मुलूकी हो, तो फिर किसी गिरोह का साथ न देना, सबसे अलग-थलग हो जाना। **(3) वलौ अन तअ़ज़्ज़ा अ़ला असलि शजरह :** अगर इमाम बैज़ावी के बक़ौल ज़मीन में कोई ऐसा ख़लीफ़ा न रहे, जिस पर लोग जमा हों तो फिर अलग-थलग रहना और उसकी ख़ातिर जंगल में रहना पड़े तो उससे भी गुरेज़ न करना, बल्कि हर क़िस्म की मुसीबत व मुश्किलों को बर्दाश्त करना। इस हदीस़ से मालूम होता है जमाअ़तुल मुस्लिमीन के नाम से जो डामा रचाया गया है उसका इस हदीस़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि इस हदीस़ में वो इमाम मुराद है जिसको इख़्तियार व इक़्तिदार हासिल हो, इसलिये हाफ़िज़ इब्ने हजर ने मानी किया है इससे मुराद मुसलमानों की जमइय्यत से वाबस्ता रहना और उनके सलातीन की इताअ़त करना है, अगरचे वो मअ़सियत के भी मुर्तकिब हों और इमाम बैज़ावी ने इमाम का मानी किया है इज़ा लम यकुन फ़िल्अर्ज़ि ख़लीफ़ह अगर ज़मीन में कोई ख़लीफ़ा न हो। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 343, सहीह मुस्लिम जिल्द 2, मअ़ नववी, पेज नं. 127)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ " نَعَمْ " . قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ " نَعَمْ " . قُلْتُ كَيْفَ قَالَ " يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ " . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ " تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ " .

(4785) हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम शर में मुब्तला थे तो अल्लाह ख़ैर ले आया और हम उससे वाबस्ता हैं तो क्या इस ख़ैर के बाद शर होगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' मैंने पूछा, क्या उस शर के बाद भी ख़ैर का दौर होगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' मैंने पूछा, क्या उस ख़ैर के बाद शर होगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' मैंने कहा, क्या कैफ़ियत होगी? आपने फ़रमाया, 'मेरे बाद ऐसे इमाम होंगे जो मेरी हिदायत से रहनुमाई हासिल नहीं करेंगे और न मेरा तरीक़ा अपनायेंगे और उनमें ऐसे अफ़राद पैदा होंगे जिनके दिल शैतानों के दिल होंगे और बदन इंसानों के होंगे।' मैंने पूछा, अगर मैं उनको पा लूँ तो ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या करूँ? आपने फ़रमाया, 'सुनना और अमीर की इताअ़त करना, अगरचे तेरी पुश्त पर मार पड़े और तेरा माल छीन लिया जाये, सुन और मान।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : जुस़मान : जुस्सह : बदन व जिस्म।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ، جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "

(4786) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स (हाकिम) की इताअ़त से निकल गया और जमाअ़त से अलग हो गया और उसी हालत पर मर गया, तो वो जाहिलिय्यत की मौत मरा और जो अन्धेरे में किसी झण्डे तले

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ " .

लड़ा, सिर्फ़ अस्बियत की बिना पर ग़ज़बनाक होता है या अस्बियत की दावत देता है या अस्बियत की बिना पर मदद करता है और क़त्ल कर दिया जाता है, तो वो जाहिलिय्यत की मौत मरता है और जो मेरी उम्मत के ख़िलाफ़ निकलता है, नेक और बद हर एक को मारता है और मोमिन से भी एहतिराज़ नहीं करता और न किसी से किया हुआ अहद (वादा) पूरा करता है, तो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं उससे बरी हूँ।'
(नसाई : 7/123, इब्ने माजह : 3948)

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ غَيْلاَنَ، بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ " لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا " .

(4787) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से यही रिवायत बयान करते हैं, इसमें ला यतहाश है ला यतहाशा नहीं है कोई परवाह नहीं करता।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) इम्मिय्यह : अन्धा मामला जिसकी हक़ीक़त वाज़ेह नहीं है। **(2) असबिय्यत :** हक़ और सच की बजाये सिर्फ़ ख़ानदानी, क़ौमी, लिसानी या सूबाई तअस्सुब पर कारवाई करता है। **(3) फ़क़ित्लतुन जाहिलिय्यह :** फ़िअ्लह का वज़न हैयत या हालत पर दलालत करता है, यानी जिस तरह जाहिलिय्यत में लोग अस्बियत पर लड़ते-मरते थे, हक़ और सच को नहीं देखते थे, उसी तरह ये उस जाहिलिय्यत के दौर की हैयत पर लड़ता है।

फ़ायदा: इन हदीसों से वाज़ेह होता है, सिर्फ़ अपने माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिये हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बग़ावत करना, महज़ लिसानी, क़ौमी, क़बाइली और सूबाई तअस्सुब की बिना पर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करना या बिला सोचे-समझे हर एक के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना और हर एक को अपने ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाना जाइज़ नहीं है और आज बदक़िस्मती से यही सब कुछ हो रहा है।

(4788) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इमाम की इताअत नहीं करता (और यहाँ तक कि) जमाअत से जुदा हो जाता है, फिर मर जाता है तो वो जाहिलिय्यत की मौत मरता है और जो अन्धे झण्डे तले क़त्ल कर दिया जाता है, अस्बियत की ख़ातिर गुस्से में आता है और अस्बियत की बिना पर जंग करता है, तो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और मेरी उम्मत का जो शख़्स मेरी उम्मत के ख़िलाफ़ खड़ा होता है और इसके नेक व बद हर एक को क़त्ल करता है, उम्मत के मोमिन फ़र्द से भी परहेज़ नहीं करता और जिससे अहद किया है उसको भी पूरा नहीं करता, तो वो मुझसे नहीं।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي " .

(4789) इमाम साहब अपने दो उस्तादों इब्ने मुसन्ना और इब्ने बश्शार से रिवायत करते हैं, इब्ने मुसन्ना की रिवायत में नबी(ﷺ) का ज़िक्र नहीं है, लेकिन इब्ने बश्शार ने दूसरों की तरह कहा है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मा-त मय्यितन जाहिलिय्यह : जिस तरह अहले जाहिलिय्यत किसी इमाम को तस्लीम नहीं करते थे, हर क़बीला अपनी जगह ख़ुद मुख़्तार था। इस तरह इमाम की इताअत से निकलकर मुसलमानों की जमाअत से अलग होने वाला इंसान जाहिलिय्यत की मौत मरता है कि उसने किसी के इक़्तिदार व इख़्तियार को तस्लीम नहीं किया, इन हदीसों से ये बात वाज़ेह है कि इमाम से मुराद साहिबे इक़्तिदार व इख़्तियार है, आज-कल हर इमाम और अमीर को ये मक़ाम हासिल नहीं है, वरना बाद में जमाअत बनाने वाला वाजिबुल क़त्ल ठहरेगा। **(2) ला यतहाश या ला यताहशा**

: उससे परहेज़ और सर्फ़े नज़र नहीं करता, उसको क़त्ल करने को कोई अहमिय्यत नहीं देता। **(3) लै-स मिन्नी :** वो मुझसे नहीं, मैं उससे बराअत का इज़हार करता हूँ, क्योंकि उसने मेरा तरीक़ा और मेरी राह को छोड़ दिया।

(4790) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स अपने अमीर में कोई नागवार चीज़ देखता है, वो सब्र से काम ले (बग़ावत न करे) क्योंकि जो शख़्स एक बालिश्त भर जमाअ़त से अलग होता है और मर जाता है, तो उसकी मौत जाहिलिय्यत के अन्दाज़ की है।'
(सहीह बुख़ारी : 7053, 7054, 7143)

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي، رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ".

(4791) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अपने अमीर की किसी बात को नापसंद किया, वो उस (नागवारी) को बर्दाश्त करे (इताअ़त न छोड़े) क्योंकि जो इंसान भी सुल्तान (इक़्तिदार व हुकूमत) से एक बालिश्त भर निकलता है और इसी हालत में मर जाता है, तो वो जाहिलिय्यत के दौर की मौत मरता है।'

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .

(4792) हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो अन्धे झण्डे तले क़त्ल कर दिया जाता है, तअ़स्सुब की दावत देता है या तअ़स्सुब की बिना पर मदद करता है, तो उसकी मौत जाहिलिय्यत के ज़माने की मौत है।' (नसाई : 4126)

حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي، مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ " .

(4793) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.), यज़ीद बिन मुआविया के दौर में, जब हर्रह का वाक़िया पेश आया जैसे भी हुआ, अब्दुल्लाह बिन मुतीअ के पास आये। तो उसने कहा, अबू अब्दुर्रहमान के लिये तकिया रखो। तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, मैं तेरे पास बैठने के लिये नहीं आया, मैं तो तुम्हें वो हदीस सुनाने आया हूँ, जो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुनी है, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जिसने इताअत से हाथ निकाला, वो क़यामत के दिन अल्लाह को इस हाल में मिलेगा कि उसके पास (उज़्र के लिये) कोई दलील नहीं होगी और जो इस हाल में मरेगा कि उसकी गर्दन में किसी की बैअत नहीं होगी, वो जाहिलिय्यत की मौत मरेगा।'

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .

(4794) इमाम साहब ये हदीस अपने एक और उस्ताद की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ

(4795) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से मज़्कूरा रिवायत के हम मानी हदीस इब्ने उमर ही से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

फ़ायदा : अल्बिदाया वन्निहाया की रोशनी में वाक़िये हर्रह का ख़ुलासा ये है कि अहले मदीना के कुछ लोगों ने यज़ीद बिन मुआविया की ख़िलाफ़त से अलग होने का इरादा किया, तो यज़ीद के गवर्नर ने अहले मदीना के बहुत से मुअज़्ज़ज़ अफ़राद को यज़ीद के पास भेजा, उसने उनकी इन्तिहाई तक्रीम की और उनको ख़ूब तोहफ़े-तहाइफ़ से नवाज़ा, लेकिन जब ये वफ़्द वापस आया तो उन्होंने यज़ीद को बहुत बुरा-भला कहा और उस पर बहुत से इल्ज़ामात लगाये और उसकी ख़िलाफ़त से इंकार का इज़हार किया। जब यज़ीद को पता चला तो उसने हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) को भेजा कि वो उन्हें इस काम के बुरे अन्जाम से डरायें और उन्हें दूसरे लोगों की तरह समअ व इताअत पर क़ायम रहने की तल्क़ीन करें। हज़रत नोमान ने आकर उन्हें इस फ़ित्ने के अन्जामे बद से आगाह किया और बताया, अहले शाम का मुक़ाबला करना तुम्हारे बस में नहीं है। लेकिन अहले मदीना ने उसकी बात न मानी, बल्कि क़ुरैश अ़ब्दुल्लाह बिन मुतीअ की सरकर्दगी में और अन्सार अ़ब्दुल्लाह बिन हन्ज़ला की सरकर्दगी में जमा हो गये और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया, यज़ीद के आ़मिल और बनू उमय्या को मदीना से निकाल दिया जाये, बनू उमय्या के अफ़राद मरवान बिन हकम के अहाते में जमा हो गये। हज़रत ज़ैनुल आ़बिदीन और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने लोगों को इससे रोका और अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलाद ने भी अहले मदीना का साथ न दिया, बल्कि हज़रत मुहम्मद बिन हनीफ़ा ने तमाम इल्ज़ामात की पुरज़ोर अन्दाज़ में तर्दीद की और उनको मुनाज़रे की दावत दी, लेकिन लोग बाज़ न आये और बनू उमय्या का मुहासरा कर लिय। बनू उमय्या ने यज़ीद को लिखा, हमें घेर लिया गया है और हमारी तौहीन व तज़्लील की जा रही है और हम भूखे-प्यासे मुहासरे में आये हुए हैं तो यज़ीद ने 63 हिजरी में एक बहुत बड़ा लश्कर मुस्लिम बिन उ़क़्बा (रह.) की क़यादत में रवाना किया और उसे कहा, तीन दिन तक उन्हें इस काम से बाज़ आने की दावत देना, अगर वो इताअत क़ुबूल कर लें, तो उन्हें कुछ न कहना, अगर वो लड़ाई पर इसरार करें तो फिर अल्लाह का नाम लेकर उनसे जंग करना। मुस्लिम बिन उ़क़्बा (रह.) ने मदीना के मश्रिक़ी जानिब के हर्रह में आकर पड़ाव किया और तीन दिन तक उनको इताअत की दावत दी, लेकिन उन्होंने जंग पर इसरार किया तो दोनों फ़िर्क़ों में घमसान की जंग छिड़ी, बहुत से शुरफ़ा काम आये और अहले मदीना शिकस्त खा गये और मदीना की हुरमत पामाल हुई, फ़ौज ने उनके अम्वाल को लूट लिया। (अल्बिदाया वन्निहाया जिल्द 8, पेज नं. 216-220)

बहरहाल जिस क़िस्म के इल्ज़ामात यज़ीद पर लगाये जाते हैं, अगर उनमें हक़ीक़त होती तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर कभी उसकी हिमायत न करते और अपने अहलो-अ़याल और अपने मुताल्लिक़ीन को उसकी इताअत पर क़ायम रहने की तल्क़ीन न करते और उसकी मुख़ालिफ़त करने वालों को क़तअ़ ताल्लुक़ की धमकी न देते, इस तरह हज़रत मुहम्मद बिन हनीफ़ा, उस पर लगाये गये इल्ज़ामात की तर्दीद के लिये मुबाहसे व मुनाज़रे न करते और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, उसके लश्कर की हिमायत न करते।

बाब 14 : मुसलमानों के इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ और जमइय्यत में तफ़रीक़ पैदा करने वाला हुक्म

باب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

(4796) हज़रत अर्फ़जा (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'वाक़िया ये है कि यक़ीनन नापसन्दीदा उमूर और फ़ित्नों का ज़ुहूर होगा, तो जो इंसान इस उम्मत के इत्तिहाद व वहदत को पारह-पारह करने का इरादा करे, तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना, ख़्वाह वो किसी दर्जे का मालिक हो।'

(अबू दाऊद: 4762, नसाई : 7/92, 93)

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ " : إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ"

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि उम्मत की यक्ताइयत (यूनिट) व यगानगत का मामला इन्तिहाई अहम है, इसको बरक़रार रखने के लिये ज़ालिम व फ़ासिक़ हुक्मरान को बर्दाश्त किया जायेगा और उम्मत में तफ़रीक़ पैदा करना इतना संगीन और नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है कि अगर कोई बहुत बड़ी हैसियत और मक़ाम व मर्तबा वाला भी उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करेगा, तो उसको बाज़ रखने के लिये अगर उसको क़त्ल भी करना पड़े तो इससे गुरेज़ नहीं किया जायेगा।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हनात व हनातुन : हनतुन की जमा है हर नापसन्दीदा और मक्रूह काम पर इसका इत्लाक़ होता है। **(2) काइनन मन कान :** कितने ही जाह व मर्तबे और शोहरत का मालिक हो, उसको उड़ा दो।

(4797) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की चार सनदों से हज़रत अर्फ़जा (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, सिर्फ़ ये फ़र्क़ है कि ये उस्ताद फ़ज़्रिबूहु की जगह फ़क़्तुलूहु 'उसे क़त्ल कर दो' कहते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ، زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ

الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَرَجُلٌ، سَمَّاهُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا " فَاقْتُلُوهُ " .

وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ " .

(4798) हज़रत अ़र्फ़जा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जो इंसान तुम्हारे पास आये, जबकि तुम एक-दूसरे आदमी (अमीर) पर मुत्तफ़िक़ हो और वो तुममें इख़्तिलाफ़ पैदा करना चाहे, तुम्हारे इत्तिहाद की लाठी (कुव्वत) को तोड़ना चाहे या तुम्हारी जमइय्यत में तफ़रीक़ पैदा करे तो उसे क़त्ल कर दो।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **अम्रुकुम जमीइन** : तुम एक अमीर पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद रहो। (2) **यशुक़्क़ असाकुम** : तुम्हारी जमइय्यत जो लाठी की तरह तुम्हारी कुव्वत व ताक़त का निशान है, उसको लाठी की तरह तोड़कर, तुम्हारी कुव्वत व हशमत को ख़त्म करना चाहे उसको बर्दाश्त न करो।

باب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

बाब 15 : जब दो ख़लीफ़ों की बैअ़त कर ली जाये

وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

(4799) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब दो ख़लीफ़ों की बैअ़त कर ली जाये तो उनमें से दूसरे को क़त्ल कर दो।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, जब एक ख़लीफ़ा की बैअ़त पर लोग आ़म तौर पर मुत्तफ़िक़ हो गये हैं, फिर दूसरा अपनी ख़िलाफ़त के लिये बैअ़त लेता है और रोकने के बावजूद बाज़ नहीं आता और उसके क़त्ल के सिवा कोई चारा नहीं रहता, तो उसको क़त्ल कर दिया जायेगा, क्योंकि इसके बग़ैर मिल्लते इस्लामिया की वहदत व यगानत (एकता) बरक़रार नहीं रह सकती और उसको इन्तिशार व इफ़्तिराक़ से महफ़ूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज दीन और सियासत के नाम पर, अपने मफ़ादात के लिये, इक़्तिदार पसंद अफ़राद ने लोगों को दीनी और सियासी गिरोहों और जमाअ़तों में तक़सीम कर दिया है और फिर तक़सीम दर तक़सीम का मन्हूस चक्कर चल निकला है, जिसकी बिना पर उम्मत में वहदत व यगानत पैदा करना जूए शेर लाना बन गया है। क्योंकि जुम्हूरियत के नाम पर इन्तिख़ाब की जिस देवी की क़सीदा ख़्वानी की जाती है, उसने आज तक इन्तिशार के सिवा कुछ नहीं दिया।

बाब 16 : उमरा (हुक्मरानों) की ख़िलाफ़े शरीअ़त बातों का इंकार ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो नमाज़ के पाबंद रहें और इस तरह दूसरे फ़राइज़ का एहतिमाम करें, उनसे जंग करना जाइज़ नहीं है

باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ " . قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ " لاَ مَا صَلَّوْا " .

(4800) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'यक़ीनन ऐसे हुक्मरान होंगे वो मअ़रूफ़ और मुन्कर, अच्छे-बुरे दोनों क़िस्म के काम करेंगे, जिसने (अच्छे-बुरे की) शनाख़्त कर ली, वो बरी हो गया और जिसने मुन्कर का इंकार किया, वो (गुनाह से) सलामत रहा। लेकिन जिसने बुरे कामों पर रज़ामन्दी का इज़हार किया और उनकी पैरवी की (वो सलामत न रहा)' सहाबा किराम ने पूछा, क्या हम उनसे जंग न लड़ें? आपने फ़रमाया, 'नहीं! जब तक वो नमाज़ पढ़ते रहें।'

(अबू दाऊद : 4760, 4761, तिर्मिज़ी : 2265)

(4801) नबी(ﷺ) की बीवी उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वाक़िया ये है, तुम पर ऐसे हुक्मरान मुक़र्रर किये जायेंगे, उनकी कुछ बातों को तुम अच्छा समझोगे और कुछ को बुरा ख़याल करोगे, तो जिसने उनकी बुरी बातों को नापसंद समझा तो वो (पकड़ से) बरी हो गया और जिसने उनको मानने से इंकार कर दिया, वो (गुनाह से) सलामत रहा। लेकिन जो उन पर राज़ी हो गया और उनको माना (वो बरी और सलामत न रहा)।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उनसे जंग न लड़ें? आपने फ़रमाया, 'नहीं! जब तक वो नमाज़ पढ़ते रहें।' बुरा जानने से मुराद दिल से बुरा जानना है और इंकार से मुराद दिल से इंकार है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ، -وَاللَّفْظُ لأَبِي غَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ " لاَ مَا صَلَّوْا " . أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

(4802) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, आगे मज़्कूरा रिवायत इस फ़र्क़ के साथ है इसमें है, आपने फ़रमाया, 'जिसने इंकार किया, वो बरी हो गया और जिसने मक्रूह जाना सलामत रहा।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ، زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ " .

(4803) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है, मगर उसमें ये

وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ

بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ قَوْلَهُ " وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ " . لَمْ يَذْكُرْهُ

अल्फ़ाज़ नहीं हैं (लेकिन जो राज़ी हो गया और पैरवी की)।

फ़ायदा : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की हदीस़ से मालूम होता है, अगर हाकिम ख़िलाफ़े शरीअ़त कोई हुक्म जारी करे तो उसको रद्द करना चाहिये, अगर उसको रोकना मुम्किन हो तो लोग मिलकर रोकें, वरना ज़बान से उसका इंकार करें, अगर ये भी मुम्किन न हो तो दिल से उसको बदलने की तदाबीर सोचें और उसको नापसन्दीदा तसव्वुर करें और किसी सूरत में उस काम को क़ुबूल न करें, इस सूरत में वो मुवाख़िज़े और अ़ज़ाब से भी महफ़ूज़ रहेंगे और गुनाह से भी बच जायेंगे। लेकिन अगर वो उन कामों पर राज़ी हो जायेंगे और उनको मान लेंगे, तो गुनाह के मुर्तकिब होंगे, मुवाख़िज़े और अ़ज़ाब से बच नहीं सकेंगे। लेकिन जब हाकिम इस्लाम के बुनियादी अरकान की पाबंदी करें, तो उनके ख़िलाफ़ बग़ावत नहीं करेंगे। लेकिन आज बदक़िस्मती से दुनियवी मफ़ादात को बुनियाद बनाकर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई जाती हैं और दीन के बुनियादी अरकान को तवज्जा के लायक नहीं समझा जाता, अ़वाम हर उस हुक्मरान को क़ुबूल करने के लिये तैयार हैं जो उनके दुनियवी मफ़ादात का मुहाफ़िज़ हो चाहे वो पाँचों उ़यूब से मुत्तसिफ़ हो, इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी बेगाना हो, फ़इलल्लाहि मुश्तकी।

باب خِيَارِ الأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

बाब 17 : अच्छे और बुरे हुक्मरान

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ

(4804) हज़रत औ़फ़ बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे बेहतरीन हुक्मरान वो हैं जिनसे तुम मुहब्बत करते हो और वो तुमसे मुहब्बत करते हैं, तुम उनके हक़ में दुआ़ए ख़ैर करते हो वो तुम्हारे हक़ में दुआ़ए ख़ैर करते हैं। तुम एक-दूसरे की नमाज़े जनाज़ा में शरीक हो और तुम्हारे शरीर (बुरे) यानी बदतरीन हुक्मरान वो हैं जिनको तुम मब्ग़ूज़ समझते हो और वो तुमसे बुग़ज़ व नफ़रत रखते हों, तुम उन पर

أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ " لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ " .

लानत भेजते हो और वो तुम पर लानत भेजते हैं।' हम (सहाबा) ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उनकी बैअ़त का क़लादा उतार न दें (उनकी बैअ़त को तोड़ न दें) और उनके ख़िलाफ़ तलवार उठा लें? आपने फ़रमाया, 'नहीं! जब तक वो तुम्हारे अंदर नमाज़ का एहतिमाम करें और जब तुम अपने हुक्मरानों के अंदर नापसन्दीदा चीज़ देखो, तो ख़ुद उसके इर्तिकाब को नापसंद समझो, लेकिन इताअ़त से दस्तबरदार न हो।'

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ، يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ، - وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ - أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ، قَرَظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ " . قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ " لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا

(4805) हज़रत औ़फ़ बिन मालिक अश्जई (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'तुम्हारे बेहतरीन इमाम (हुक्मरान) वो हैं जिनसे तुम मुहब्बत करते हो और वो तुमसे मुहब्बत करते हैं और तुम उनके हक़ में दुआ़ए ख़ैर करते हो और वो तुम्हारे हक़ में दुआ़ए ख़ैर करते हैं और तुम्हारे बदतरीन या बुरे हुक्मरान वो हैं जिनसे तुम बुग़्ज़ रखते हो और वो तुमसे बुग़्ज़ रखते हैं और तुम उन पर लानत भेजते हो और वो तुम पर लानत बरसाते हैं।' तो हमने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस हालत में उनकी बैअ़त को तोड़ न दें? आपने फ़रमाया, 'नहीं! जब तक वो तुम्हारे अंदर नमाज़ का एहतिमाम करें, नहीं जब तक वो तुम्हारे अंदर नमाज़ का एहतिमाम और बन्दोबस्त करें, ख़बरदार! जिस पर कोई हुक्मरान बना और उसने उसे अल्लाह की किसी नाफ़रमानी का इर्तिकाब

يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ " . قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ - يَعْنِي لِرُزَيْقٍ - حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ آللَّهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهَذَا أَوْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

करते देखा, तो वो जिस गुनाह को करता है, उसको बुरा समझे और हर्गिज़ इताअत से हाथ न खींचे।' इब्ने जाबिर बयान करते हैं, जब रुज़ैक़ ने मुझे ये हदीस सुनाई तो मैंने पूछा, ऐ अबू क़ासिम! तुम्हें अल्लाह की क़सम! क्या तुम्हें उन्होंने ये हदीस सुनाई या तो मुस्लिम बिन क़रज़ा से हदीस सुनी? और उन्होंने कहा, मैंने औफ़ (रज़ि.) से ये कहते हुए सुना, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना। तो वो अपने घुटनों के बल बैठ गये और क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके कहने लगे, हाँ उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है! मैंने मुस्लिम बिन क़रज़ा को ये कहते हुए सुना, मैंने औफ़ बिन मालिक (रज़ि.) को कहते हुए सुना, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ . قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

(4806) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस बयान करते हैं।

और इमाम साहब फ़रमाते हैं, यही रिवायत मुआविया बिन सालेह ने भी अपनी सनद से बयान की है।

फ़ायदा : इस हदीस में दो क़िस्म के हुक्मरानों की निशानदेही की गई है, एक वो हुक्मरान जो अपनी रिआया के हमदर्द और ख़ैरख़्वाह हैं, उनके मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उनकी मुश्किलात को हल करते हैं, इसलिये लोग उनसे प्यार व मुहब्बत करते हैं, उनके हक़ में दुआयें करते हैं और उनकी मौत के बाद भी उनके जनाज़े में शिर्कत करते हैं, दूसरे वो हुक्मरान जो अपने मफ़ादात के असीर हैं। लोगों के मफ़ादात और मुश्किलात का उन्हें कोई एहसास नहीं है। अपने सिवा किसी से उन्हें हमदर्दी नहीं है और न ही वो अपने सिवा किसी के ख़ैरख़्वाह हैं। ये दरहक़ीक़त अपने ही दुश्मन हैं, लोगों की

बद्दुआयें लेते हैं, उनके ग़ैज़ व ग़ज़ब और नफ़रत व कराहत का निशाना बनते हैं, उनके मरने पर कोई उनके लिये आँसू नहीं बहाता, इस तरह एक दूसरे अन्दाज़ से हुक्मरानों को अपनी रिआया की हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही पर उभारा गया है, ताकि वो उनकी नेक दुआयें लें और उनकी मुहब्बत व मवद्दत का मर्कज़ बनें, उनकी क़हर आलूद आँखों का निशाना न बनें।

باب اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

बाब 18 : लड़ाई का क़सद करते वक़्त इमाम के लिये ये बेहतर है कि वो लश्कर से (साबित क़दमी की) बैअत ले और दरख़्त के नीचे बैअते रिज़वान का ज़िक्रे ख़ैर

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ . وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلاَّ نَفِرَّ . وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

(4807) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हुदैबिया के दिन चौदह सौ (1400) लोग थे, तो हमने आपकी बैअत एक केकर के दरख़्त के नीचे की, जबकि हज़रत उमर (रज़ि.) आपका हाथ पकड़े हुए थे और हमने बैअत इस शर्त पर की थी कि मैदान से भागेंगे नहीं और हमने आपसे मौत पर बैअत नहीं की थी।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ .

(4808) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मौत पर बैअत नहीं की थी, हमने आपसे सिर्फ़ इस बात पर बैअत की थी कि हम भागेंगे नहीं।

(तिर्मिज़ी : 1594, नसाई : 7/141)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا،

(4809) अबू ज़ुबैर (रह.) बयान करते हैं, हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा गया कि हुदैबिया के दिन सहाबा किराम की तादाद

يُسْأَلُ كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ ابْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.

कितनी थी? उन्होंने बताया, हम चौदह सौ (1400) थे। तो हमने आपसे बैअत की और उमर (रज़ि.) एक दरख़्त के नीचे आपका हाथ मुबारक पकड़े हुए थे और ये केकर का दरख़्त था, जद्द बिन क़ैस अन्सारी के सिवा हमने आपसे बैअत की, वो अपने ऊँट के पेट के नीचे छिप गया था।

नोट : जद्द बिन क़ैस अन्सारी अपने क़बीले बनू मस्लमा का सरदार था, लेकिन उसका अहल नहीं था, इसलिये आपने उसकी जगह हज़रत बिश्र बिन बरा बिन मअरूर को सरदार मुक़र्रर कर दिया, जिससे वो जल-भुन गया और मुनाफ़िक़त इख़्तियार की।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلاَّ الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ .

(4810) अबू ज़ुबैर (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) से सवाल किया गया क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़ुल्हुलैफ़ा में बैअत ली थी? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। लेकिन वहाँ नमाज़ पढ़ी थी और हुदैबिया के दरख़्त के सिवा आपने किसी दरख़्त के पास बैअत नहीं ली और इब्ने जुरैज बयान करते हैं और मुझे अबू ज़ुबैर (रह.) ने बताया कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना, नबी(ﷺ) ने हुदैबिया के कुँऐं पर दुआ की थी।

फ़ायदा : सहाबा किराम जब हुदैबिया के मक़ाम पर पहुँचे तो उन्हें प्यास महसूस हुई और वहाँ के कुँऐं में बहुत कम पानी था, इसलिये नबी(ﷺ) ने उसमें अपना लुआबे दहन (थूक) डाला और बरकत की दुआ फ़रमाई, तो उसमें पानी जोश मारने लगा। लोगों ने ख़ुद भी पिया और सवारियों को भी पिलाया, जैसाकि किताबुल जिहाद वस्सियर की सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) की रिवायत नम्बर 132 में गुज़र चुका है।

(4811) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हुदैबिया के दिन चौदह सौ (1400) लोग थे, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस वक़्त तुम रूए ज़मीन के तमाम लोगों से बेहतरीन हो या रूए ज़मीन के बेहतरीन लोग हो।' हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, अगर मुझे नज़र आता होता तो मैं तुम्हें दरख़्त की जगह दिखाता।

(सहीह बुख़ारी : 4154, 4840)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ، بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ " . وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.

फ़ायदा : इस हदीस़ से बैअ़ते रिज़वान करने वालों की फ़ज़ीलत साबित होती है, हालांकि उस वक़्त उनके सिवा भी मुसलमान मौजूद थे।

(4812) सालिम बिन जअ़द (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से अस्हाबे शजरह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, अगर हम एक लाख भी होते, तो हमारे लिये पानी काफ़ी होता, हम पन्द्रह सौ थे।

(सहीह बुख़ारी:3576, 4152, 5639, नसाई : 1/60)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ، الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ .

(4813) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है अगर हम एक लाख भी होते तो हमारे लिये पानी काफ़ी होता, हम पन्द्रह सौ थे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي الطَّحَّانَ - كِلاَهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً .

(4814) सालिम बिन जअ़द बयान करते हैं मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा, उस दिन आप कितने थे? उन्होंने जवाब दिया, चौदह सौ (1400)।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ .

(4815) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि अस्हाबे शजरह तेरह सौ (1300) थे (मेरा क़बीला) असलम मुहाजिरीन का आठवाँ हिस्सा था।
(सहीह बुख़ारी : 4153, 4155)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاَثَمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ .

फ़ायदा : बैअ़ते रिज़वान या अस्हाबे शजरह की तादाद चौदह सौ (1400) थी, जैसाकि ख़ैबर के हिस्सों की तक़सीम से मालूम होता है, लेकिन चूंकि उनको गिना नहीं गया था, इसलिये अन्दाज़ा लगाते हुए आम तौर पर हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने चौदह सौ कहा और कभी पन्द्रह सौ कह दिया और हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने अपने अन्दाज़े के मुताबिक़ तेरह सौ कह दिया, ये अपने-अपने अन्दाज़े का इख़्तिलाफ़ है, क्योंकि अन्दाज़े में कमी व बेशी हो जाती है।

(4816) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4817) हज़रत मअ़क़िल बिन यसार (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने शजरह के दिन अपने आपको इस हाल में देखा कि नबी(ﷺ) लोगों से बैअ़त ले रहे हैं और मैं दरख़्त की

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ الأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي

يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ .

शाख़ों से एक शाख़ आपके सर से उठाये हुए हूँ और हम चौदह सौ (1400) थे, हमने आपसे मौत पर बैअ़त नहीं की थी, लेकिन आपसे ये बैअ़त की थी कि हम राहे फ़रार इख़्तियार नहीं करेंगे।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(4818) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الشَّجَرَةِ . قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ .

(4819) सईद बिन मुसय्यब (रह.) बयान करते हैं, मेरा बाप उन लोगों में से है, जिन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से दरख़्त के पास बैअ़त की थी, उसने बताया, हम अगले साल हज के लिये गये, तो हमसे उसकी जगह ओझल हो गई और अब अगर तुम लोगों को मालूम हो गई, तो तुम (शुरका बैअ़त से भी) ज़्यादा जानते हो।

(सहीह बुख़ारी : 4162, 4163, 4164, 4165)

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

(4820) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि वो शजरह वाले साल रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे, लेकिन अगले साल उसकी जगह भूल गये या उसे भूल गये।

(4821) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं, मैंने उस दरख़्त को देखा, फिर बाद में उसके पास आया तो उसे पहचान न सका।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا .

फ़ायदा : उलमा ने लिखा है चूंकि उस दरख़्त के नीचे बैअते रिज़वान हुई थी और ख़ैर व बरकत और सकीना का नुज़ूल हुआ था, अगर ये दरख़्त मुतअय्यन और मालूम रहता तो ये ख़दशा था कि लोग आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तअज़ीम व तकरीम में गुलू करते-करते उसकी इबादत करने लग जाते। फिर उसको नफ़ा व नुक़सान पहुँचाने वाला ख़्याल करते हुए मेलागाह बना लेते। जैसाकि बुख़ारी शरीफ़ की इस रिवायत से इसकी तस्दीक़ होती है। तारिक़ बिन अब्दुर्रहमान (रह.) बयान करते हैं, मैं हज के लिये गया और कुछ लोगों को एक जगह नमाज़ पढ़ते हुए देखा। मैंने पूछा, ये कौनसी मस्जिद है? उन्होंने कहा, ये वो दरख़्त है जिसके नीचे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बैअते रिज़वान की थी। इस पर हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने बताया, मेरा बाप इस बैअत में शरीक था, उसको तो अगले साल ही उस दरख़्त का पता न चल सका, तो इन लोगों को कैसे पता चल गया गोया लोगों ने एक दरख़्त को वो दरख़्त समझकर मस्जिद बना लिया, इस तरह ख़तरा पैदा हो गया। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस दरख़्त को कटवा दिया, ताकि उससे शिर्क व बिदअत का दरवाज़ा न खुल जाये।

(4822) हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) के आज़ाद करदा गुलाम यज़ीद बिन अबी इबैद बयान करते हैं, मैंने हज़रत सलमा (रज़ि.) से पूछा, आपने हुदैबिया के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) से किस चीज़ पर बैअत की थी? उन्होंने कहा, मौत पर।

(सहीह बुख़ारी : 2960, 4169, 7206, तिर्मिज़ी : 1592, नसाई : 7/141)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي، عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

(4823) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ، بِمِثْلِهِ .

(4824) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं, उनके पास कोई आदमी आया और कहने लगा, ये हन्ज़ला का बेटा लोगों से बैअ़त ले रहा है। तो उन्होंने पूछा, किस चीज़ पर? उसने कहा, मौत पर। उन्होंने कहा, मैं इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) के बाद किसी से बैअ़त नहीं करूँगा।
(सहीह बुख़ारी : 2959,-4167, 5302)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ، يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ هَذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لاَ أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : बैअ़ते रिज़वान इस शर्त पर ली गई थी कि कोई राहे फ़रार इख़्तियार नहीं करेगा और इसका मक़सद यही था, हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। इसलिये कुछ सहाबा किराम ने अल्फ़ाज़ का लिहाज़ रखते हुए कहा, हमने मौत पर नहीं, फ़रार न इख़्तियार करने पर बैअ़त की थी। लेकिन कुछ ने अन्जाम या नतीजे और मक़सद का लिहाज़ करते हुए ये कहा कि हमने मौत पर बैअ़त की थी क्योंकि जब मुक़ाबले में डट जाना है और हर क़िस्म के हालात पर सब्र करना है, तो उसका अन्जाम मौत भी हो सकता है।

बाब 19 : मुहाजिर के लिये अपने वतन में दोबारा इक़ामत इख़्तियार करना मना है

باب تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

(4825) हज़रत सलमा बिन अक्वअ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि वो हज्जाज़ के पास गये, तो उसने कहा, ऐ अक्वअ़ के बेटे! आप उल्टे पाँव लौट गये हैं? दोबारा बदवियत इख़्तियार कर ली है। इब्ने अक्वअ़ (रज़ि.) ने जवाब दिया, नहीं! लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे जंगल में रहने की इजाज़त दी थी।
(सहीह बुख़ारी : 7087, नसाई : 7/152)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي، عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ .

फ़ायदा : उम्मते मुस्लिमा का इस मसले पर इज्माअ है कि मुहाजिर का अपनी जाए हिज्रत को छोड़कर वापस अपने वतन आना या जंगलों और देहात में जा रहना जाइज़ नहीं है। लेकिन कुछ वजह से रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अस्लम क़बीले के लोगों को फ़रमाया, तुम जहाँ भी रहो मुहाजिर हो और सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) भी उसी क़बीले से ताल्लुक़ रखते थे और कुछ रिवायात से मालूम होता है, उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से ख़ुसूसी तौर पर भी इजाज़त ली थी।

बाब 20 : फ़तहे मक्का के बाद इस्लाम, जिहाद और नेकी पर बैअत लेना और फ़तहे मक्का के बाद हिज्रत नहीं है का मफ़्हूम बयान करना

باب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى» :لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ«

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ " إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ " .

(4826) हज़रत मुजाशिअ बिन मसऊद सुलमी (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से हिज्रत के लिये बैअत करने की ख़ातिर हाज़िर हुआ, तो आपने फ़रमाया, 'हिज्रत, अस्हाबे हिज्रत को मिल चुकी है, लेकिन अब इस्लाम, जिहाद और नेकी के काम के लिये बैअत हो सकती है।'
(सहीह बुख़ारी : 2962, 2963, 3078, 3079, 4305, 4306, 4307, 4308)

फ़ायदा : जिस हिज्रत में फ़ज़ीलत थी और जो मक़सूद और लाज़िमी थी, वो अपने इलाक़े को छोड़कर मदीना में आबाद होना था, ताकि मुसलमानों की क़ुव्वत एक जगह जमा हो जाये और मुश्रिकीने मक्का पर ग़लबा हासिल कर लिया जाये, अब जबकि दारुल इस्लाम बन गया है। तो मदीना की तरफ़ हिज्रत करना, इम्तियाज़ और शर्फ़ का बाइस नहीं रहा। क्योंकि मक्का फ़तह हो चुका और इस्लाम को ग़लबा और क़ुव्वत व शौकत हासिल हो गई। इसलिये इस हिज्रत का शर्फ़ और इम्तियाज़ मुहाजिरीन को हासिल हो चुका है। इसलिये अब अगर कोई ऐसे इलाक़े में रहता है, जहाँ दीन का इज़हार और उसके फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करना मुम्किन नहीं है और वो हिज्रत कर सकता है, तो उसको हिज्रत करना चाहिये। लेकिन इस्लाम का इज़हार और फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी पर कोई क़दग़न नहीं है या हिज्रत करना मुम्किन नहीं है तो उसके लिये हिज्रत करना ज़रूरी नहीं है।

(4827) हज़रत मुजाशिअ बिन मसऊद सुलमी (रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़तहे मक्का के बाद मैं अपने भाई अबू मअबद को रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लाया और मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! इससे हिज्रत पर बैअत लेंगे? आपने फ़रमाया, 'हिज्रत मुहाजिरीन के लिये गुज़र चुकी है।' मैंने पूछा, आप इससे किस चीज़ पर बैअत लेंगे? आपने फ़रमाया, 'इस्लाम, जिहाद और ख़ैर पर।' अबू उसमान कहते हैं, मैं अबू मअबद को मिला और उसे मुजाशिअ की बात बताई तो उसने कहा, उसने सच बताया।

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ . قَالَ " قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا " . قُلْتُ فَبِأَىِّ شَىْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ " عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ " . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ فَقَالَ صَدَقَ .

(4828) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, इसमें है मैं उसके भाई से मिला तो उसने कहा, मुजाशिअ ने सच कहा, अबू मअबद का नाम नहीं लिया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبَدٍ

(4829) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़रमाया, 'अब (मक्का से) हिज्रत नहीं है, लेकिन जिहाद और निय्यत बाक़ी है और जब तुम्हें निकलने के लिये (जिहाद के लिये) कहा जाये तो निकल खड़े हो।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ " لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " .

फ़ायदा : फ़तहे मक्का के बाद इस्लाम के ग़लबे की बिना पर, मक्का या दूसरी जगहों से हिज्रत करके मदीना मुनव्वरा आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस्लाम के ग़लबे व इक़्तिदार की बिना पर अब मुसलमान अपनी-अपनी जगह, अपने-अपने क़बीले में रहकर दीन पर खुले बन्द अमल कर सकते हैं,

लेकिन जिहाद के लिये निकलने की ज़रूरत बाक़ी है और नेक निय्यत के ज़रिये भी इंसान सवाब हासिल कर सकता है। अब जिस इलाक़े पर दुश्मन चढ़ाई करे, उस मुल्क के तमाम मुसलमानों पर जिहाद करना फ़र्ज़े ऐन है, उज़्र वालों के सिवा कोई मुसलमान इससे अलग नहीं है, लेकिन अगर दूसरे मुसलमान मुल्क पर या मुसलमानों पर हमला हो और वो ख़ुद अपना दिफ़ाअ न कर सकते हों, तो फिर उनका दिफ़ाअ करना फ़र्ज़े किफ़ाया है। अगर कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा, तो सब गुनहगार होंगे, अगर बक़द्र ज़रूरत उनकी मदद का इन्तिज़ाम करेंगे, तो गुनाह से बच जायेंगे। (शरहुस्सुन्नह, जिल्द 1, पेज नं. 374)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ، رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهِلٍ - ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(4830) इमाम साहब यही रिवायत अपने कई और उस्तादों की सनदों से भी मन्सूर की मज़्कूरा बाला सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي، ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ " لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " .

(4831) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से हिजरत के बारे में सवाल हुआ तो आपने फ़रमाया, 'फ़तहे मक्का के बाद हिजरत नहीं है, लेकिन जिहाद और निय्यत (ख़ैर) है और जब तुम्हें जिहाद के लिये दावत दी जाये, तो निकल खड़े हो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي

(4832) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आराबी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से हिजरत के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया, 'तुम पर अफ़सोस! हिजरत का मामला बहुत मुश्किल है (हर एक के बस

عطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ " وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " .

का काम नहीं) क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं? उसने कहा, जी हाँ! आपने पूछा, 'क्या उनकी ज़कात अदा करते हो?' उसने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'समुन्द्रों से पार रहकर अमल करते रहो, अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल (के बदले में) कोई कमी नहीं फ़रमायेगा।'
(सहीह बुख़ारी : 1452, 2633, 3923, 6165, अबू दाऊद : 2477, नसाई : 7/143, 144)

फ़ायदा : चूंकि फ़तहे मक्का के बाद हिज्रत लाज़िमी नहीं रही थी, इसलिये आपने उसे ये बात फ़रमाई या इसलिये हिज्रत फ़तहे मक्का से पहले मक्का वालों के लिये या उन लोगों के लिये फ़र्ज़ थी, जो अपने क़बीले में रहकर इस्लामी अहकामात पर अमलपैरा नहीं हो सकते थे और ये अपने इलाक़े और अपनी क़ौम में रहकर इस्लामी ज़िन्दगी गुज़ार सकता था और हिज्रत की पाबन्दियाँ सहना उसके लिये मुश्किल था। इसलिये आपने उसको हिज्रत की इजाज़त न दी।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ " فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " . قَالَ نَعَمْ .

(4833) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें है आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल में किसी क़िस्म की कमी नहीं करेगा।' और ये इज़ाफ़ा है आपने पूछा, 'क्या घाट पर ले जाने के दिन मोहताजों को उनका दूध देते हो?' उसने कहा, जी हाँ!

باب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

बाब 21 : औरतों की बैअत की सूरत

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ

(4834) नबी(ﷺ) की ज़ौजा हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मोमिन औरतें जब रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास हिज्रत करके पहुँचतीं, तो आप इस आयत की बिना पर

عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ‏"‏ ‏.‏ وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ‏.‏ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ ‏"‏قَدْ بَايَعْتُكُنَّ‏"‏ ‏.‏ كَلاَمًا ‏.‏

उनका इम्तिहान लेते थे, 'ऐ नबी! जब आपके पास मोमिन औरतें (बैअत के लिये) आयें, वो इस शर्त पर बैअत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरायेंगी, न वो चोरी करेंगी और न ज़िना करेंगी।' (सूरह मुम्तहिना : 12) तो जो मोमिन औरत इन बातों का इक़रार कर लेती, वो इम्तिहान का इक़रार कर लेती (बैअत हो जाती) और रसूलुल्लाह(ﷺ) जब वो अपनी ज़बान से इन बातों का इक़रार कर लेतीं, रसूलुल्लाह(ﷺ) उनसे फ़रमाते, 'चली जाओ! मैंने तुम्हारी बैअत ले ली है।' अल्लाह की क़सम(ﷺ) रसूलुल्लाह का हाथ कभी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ, हाँ आप उनसे ज़बानी कलामी बैअत लेते थे।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कभी औरतों से उसके सिवा इक़रार नहीं लिया, जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था और रसूलुल्लाह(ﷺ) की हथेली कभी किसी औरत की हथेली को नहीं लगी और आप जब उनसे अहद लेते तो उनसे ज़बानी फ़रमाते, 'मैंने तुमसे बैअत ले ली है।'
(सहीह बुख़ारी : 5288, इब्ने माजह : 2875)

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ

(4835) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उर्वा को औरतों की बैअत के बारे में बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का हाथ कभी किसी औरत को नहीं लगा, मगर उनसे अहद लेते थे, तो

شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ " اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ".

आप उससे ज़बानी अहद लेते थे, वो जब अहद दे देती थी तो आप फ़रमाते, 'जा मैंने तुझे बैअत कर लिया है।'
(अबू दाऊद : 2941)

फ़ायदा : सुलहे हुदैबिया के बाद जब मुसलमान औरतों के लिये मक्का से हिज्रत करके मदीना पहुँचने का रास्ता खुला, क्योंकि वो वापसी के मुआहिदे में दाख़िल न थीं या अल्लाह तआला ने उनको मुस्तसना करने का हुक्म दिया और काफ़िरों ने भी इस पर कोई ऐतराज़ न किया, तो अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हुक्म दिया, उनके ईमान का जायज़ा लें कि क्या वो वाक़ेई सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर हिज्रत करके आई हैं या उसका पसे मन्ज़र ख़ाविन्द से नफ़रत, किसी से इश्क या दुनिया की लालच है, अगर वो ईमान में पुख़्ता और मज़बूत हैं, हिज्रत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर है, तो उनको बैअत कर लें और बैअत की शर्तें भी बयान कर दी गईं जो औरत इन शर्तों का इक़रार कर लेतीं, वो इम्तिहान में कामयाब ठहर जाती और आप उससे हाथ में हाथ लिये बग़ैर ज़बानी कलामी बैअत ले लेते और उसे जाने का हुक्म देते, अगर रसूलुल्लाह(ﷺ) ग़ैर महरम औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे, तो उम्मतियों को इसकी इजाज़त कैसे मिल सकती है।

باب الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

बाब 22 : हस्बे इस्तिताअत सुनने और मानने की बैअत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَيُّوبَ - قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا " فِيمَا اسْتَطَعْتَ " .

(4836) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनने और मानने पर बैअत करते थे, आप हमें फ़रमाते थे, 'तुम्हारी इस्तिताअत की हद तक।'
(तिर्मिज़ी : 1593, नसाई : 7/152)

फ़ायदा : इस हदीस़ से रसूलुल्लाह(ﷺ) की अपनी उम्मत पर शफ़क़त और उल्फ़त का इज़हार होता है कि आप बैअ़त लेते वक़्त ख़ुद ये तल्क़ीन फ़रमाते कि यूँ कहो, 'अपनी इस्तिताअ़त की हद तक।' जिससे स़ाबित होता है कि इंसान को किसी चीज़ का इल्तिज़ाम और पाबंदी अपनी क़ुदरत और ताक़त के दायरे में रहते हुए करना चाहिये और किसी ऐसी चीज़ के इल्ज़ाम को क़ुबूल नहीं करना चाहिये, जो अपनी क़ुदरत और वुस्अ़त से बाहर हो।

बाब 23 : बुलूग़त की उ़म्र का बयान

باب بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

(4837) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जंगे उहुद में लड़ाई के लिये मेरा जायज़ा लिया, जबकि मैं चौदह साल का था तो मुझे शिरकत की इजाज़त न दी और ख़न्दक़ के दिन मेरा जायज़ा लिया जबकि मेरी उ़म्र पन्द्रह साल थी, तो मुझे शिरकत की इजाज़त दे दी। हज़रत नाफ़ेअ़ (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि वो ख़लीफ़ा थे, तो मैंने उन्हें ये हदीस़ सुनाई। इस पर उन्होंने कहा, ये छोटे और बड़े में हद्दे फ़ासिल है। फिर उन्होंने अपने गवर्नरों को लिख भेजा कि जो शख़्स पन्द्रह साल का हो जाये, उसका बैतुल माल में हिस्सा मुक़र्रर करो और जो इससे कम उ़म्र का हो उसको बच्चों में शुमार करो।
(इब्ने माजह : 2543)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي . قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ .

(4838) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं उसमें है, मैं चौदह साल का था, तो आपने मुझे छोटा ख़याल फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ، سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ، - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي .

(अबू दाऊद : 4407, 7923)

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) जंगे उहुद में, चौदहवें बरस में दाख़िल हो चुके थे और जंगे ख़न्दक़ में पन्द्रह से तजावुज़ कर चुके थे, इसलिये पहली जगह कमी को पूरा करके चौदह कहा और दूसरी जगह ज़्यादा को नज़र अन्दाज़ करके पन्द्रह कह दिया। इमाम शाफ़ेई, अहमद और साहिबैन ने इस हदीस़ की बिना पर पन्द्रह साल को सिन्ने बुलूग़त क़रार दिया है और इमाम अबू हनीफ़ा ने लड़के के लिये 18 या 19 साल और लड़की के लिये 17 को सिन्ने बुलूग़त क़रार दिया है। अगर इससे पहले लड़के को एहतिलाम और लड़की को हैज़ आना शुरू हो जाये तो वो बिल्इत्तिफ़ाक़ बालिग़ शुमार होंगे। कई बार ज़ेरे नाफ़ बालों को भी बुलूग़त की अलामत क़रार दिया गया है। इमाम अहमद का यही क़ौल है, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल भी यही है। बक़ौल अल्लामा तक़ी मुफ़्ती ये क़ौल साहिबैन का है। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 382)

باب النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

बाब 24 : जब काफ़िरों के हाथ लगने का ख़तरा हो तो कुरआन का नुस्ख़ा दुश्मन के सरज़मीन में ले जाना मम्नूअ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ .

(4839) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दुश्मन की सरज़मीन में कुरआन ले जाने से मना फ़रमाया है।

(सहीह बुख़ारी : 2990, अबू दाऊद : 2610, इब्ने माजह : 2879)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4840) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) से बयान करते हैं कि आप दुश्मन की सरज़मीन की तरफ़ कुरआन मजीद ले जाने से मना फ़रमाते थे,

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ .

मबादा वो दुश्मन के हाथ लग जाये।
(इब्ने माजह : 2880)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " . قَالَ أَيُّوبُ فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ .

(4841) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम क़ुरआन मजीद के साथ सफ़र न करो, क्योंकि मैं इससे बेख़ौफ़ नहीं हूँ कि वो दुश्मन के हाथ लग जाये।' अय्यूब (रह.) कहते हैं, वो दुश्मन के हाथ लग गया और उन्होंने उसके ज़रिये तुम्हारे साथ बहस-मुबाहिसा शुरू कर दिया।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَالثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِيِّ " فَإِنِّي أَخَافُ " . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ " مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

(4842) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से मज़्कूरा बाला हदीस बयान करते हैं, इब्ने उलय्या और सक़फ़ी की रिवायत में है, आपने फ़रमाया, 'क्योंकि मैं डरता हूँ।' सुफ़ियान और ज़ह्हाक की रिवायत में है, आपने फ़रमाया, 'मबादा वो दुश्मन के हाथ लग जाये।'

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है, अगर क़ुरआन मजीद के काफ़िर के हाथ लगने से ये ख़तरा हो कि वो उसकी तौहीन करेंगे या उसको ग़लत मक़ासिद के लिये इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके हाथ लगने से बचाना चाहिये और अगर ये ख़तरा न हो बल्कि ये उम्मीद हो कि इससे फ़ायदा उठायेंगे, इससे मुतास्सिर होकर इस्लाम की तरफ़ राग़िब होंगे। इस्लाम से उनकी दुश्मनी कम होगी या वो मुसलमान हो जायेंगे, तो फिर उनको देने या उनके पास चले जाने में कोई हर्ज नहीं।

बाब 25 : घुड़दौड़ में मुक़ाबला और उनकी तज़्मीर (टेनिंग)

باب الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا .

(4843) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तज़्मीर शुदा घोड़ों का हफ़्या से सनिय्यतल वदाअ तक दौड़ का मुक़ाबला करवाया और ग़ैर तज़्मीरशुदा का सनिय्या से मस्जिदे ज़ुरेक़ तक मुक़ाबला करवाया, इब्ने उमर (रज़ि.) ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया था।

(सहीह बुख़ारी : 420, अबू दाऊद : 2575, नसाई : 6/226)

मुफ़रदातुल हदीस : उज़्मिरत : तज़्मीर ये है कि घोड़े को पहले ख़ूब खिला-पिला कर मोटा-ताज़ा करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चारह कम करते रहते हैं और उसको झल पहनाकर एक कोठरी में बंद करते हैं, ताकि उसको ख़ूब पसीना आकर ख़ुश्क हो, उसका गोश्त कम हो, ताकि वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सके।

नोट : हफ़िया से सनिय्यतल वदाअ का फ़ासला छः सात मील था और सनिय्या मस्जिदे ज़ुरैक का फ़ासला एक मील था।

फ़ायदा : बिला मुआवज़ा या बिला शर्त घोड़ों को मुक़ाबले में दौड़ाना बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है, इस तरह अगर किसी एक पार्टी या हुकूमत की तरफ़ से अव्वल आने वाले या तमाम शुरका के लिये कोई इनाम मुक़र्रर हो तो फिर भी बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है। इस तरह अगर रक़म एक तरफ़ से मुक़र्रर हो, तो फिर भी बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है। लेकिन अगर दोनों जानिब से शर्त हो तो ये जुवा है, जो बिल्इत्तिफ़ाक़ नाजाइज़ है। इस तरह अगर दो घोड़े दौड़ाने वाले, अपनी-अपनी तरफ़ से रक़म मुक़र्रर कर लें और तीसरे घोड़े को जो आगे निकल जाने का एहतिमाल रखता हो, आगे या पीछे रहना यक़ीनी न हो, शरीक कर लें तो फिर भी मालिकिया के सिवा बाक़ी अइम्मा के नज़दीक जाइज़ है। लेकिन मालिकिया के नज़दीक इस सूरत में भी जाइज़ नहीं है। (अल्मुग़नी, जिल्द 12, पेज नं. 413)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح

(4844) इमाम साहब ने अपने बहुत सारे उस्तादों की नौ सनदों से मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की है,

وحدثنا خلف بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ -عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، . وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ .

हम्माद और इब्ने उलय्या, अय्यूब से ये इज़ाफ़ा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, मैं सबसे आगे आया और मुझे घोड़ा लेकर मस्जिद में कूद गया।

(सहीह बुख़ारी : 2896, 7336, नसाई : 6/225-226, इब्ने माजह : 2877)

मुफ़रदातुल हदीस़ : तफ़्फ़फ़ : चढ़ गया, कूद गया।

बाब 26 : घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक ख़ैर है

باب الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

(4845) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक ख़ैर है।'
(सहीह बुख़ारी : 2849)

फ़ायदा : इस बाब की अहादीस़ से स़ाबित होता है, दीन और मुसलमानों के दुश्मनों से जंग लड़ने के लिये इन्फ़िरादी तौर पर जंग के सामान रखना ख़ैर व बरकत और अज्र व ग़नीमत का बाइस़ है। नीज़ क़यामत तक घोड़े जंगी ज़रूरियात के लिये इस्तेमाल होते रहेंगे और उनमें ख़ैर व बरकत जिहाद में इस्तेमाल होने की वजह से है। अगर ये फ़ख़्र व रिया के लिये रखे जायें तो नहूसत और नुक़सान का बाइस़ भी बन सकते हैं।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ، اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ .

(4846) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों की पाँच सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं।
(नसाई : 3575, इब्ने माजह : 2787, 8287, सहीह बुख़ारी : 3644, 8168)

(4847) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा, आप अपनी उंगली से घोड़े की पेशानी के बालों को (बट) रहे थे और फ़रमा रहे थे, 'घोड़ों की पेशानियों के साथ क़यामत तक ख़ैर यानी अज्र व ग़नीमत बांधी गई है।'
(नसाई : 3574)

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ، قَالَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ " .

(4848) इमाम साहब दो उस्तादों की दो सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ، أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4849) हज़रत उर्वा बारिक़ी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'घोड़ों की पेशानियों के साथ क़यामत तक ख़ैर, अज्र व ग़नीमत बांध दी गई है।'
(सहीह बुख़ारी : 2850, 2852, 3119, 3643, तिर्मिज़ी : 1694, नसाई : 6/222, इब्ने माजह : 2305, 2786)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ " .

(4850) हज़रत उर्वा बारिक़ी (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़ैर घोड़ों की पेशानियों में बंधी हुई है।' आपसे सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ، إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ

بِنَوَاصِي الْخَيْلِ " . قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ ذَاكَ قَالَ " الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

कैसे? आपने फ़रमाया, 'क़यामत तक अजर व ग़नीमत है।'

फ़ायदा : इन अहादीस़ से साबित होता है, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा और जदीद तरीन जंगी सवारियों के बावजूद घोड़ों की ज़रूरत बरक़रार रहेगी, जैसाकि आज तक पहाड़ों और जंगलों में ये काम दे रहे हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ

(4851) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उर्वा बारिक़ी की बजाय उर्वा बिन जअ़द कहते हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي، الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَلَمْ يَذْكُرِ الأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

(4852) इमाम साहब अपने कई उस्तादों की दो सनदों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उसमें अज्र व ग़नीमत का ज़िक्र नहीं है, उर्वा बारिक़ी के नबी(ﷺ) से सिमाअ़ का ज़िक्र सुफ़ियान की रिवायत में है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُرْوَةَ، بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا . وَلَمْ يَذْكُرِ " الأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ " .

(4853) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें अज्र व ग़नीमत का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ " .

(4854) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बरकत घोड़ों की पेशानियों में है।'
(सहीह बुख़ारी : 2851, 3615, नसाई : 6/258)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ، الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(4855) इमाम साहब दो उस्तादों की दो सनदों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

باب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

बाब 27 : घोड़ों की नापसन्दीदा आदात

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ

(4856) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, घोड़े में शिकाल को रसूलुल्लाह(ﷺ) नापसंद फ़रमाते थे (क्योंकि ये नजीब उम्दा नहीं होती)।
(अबू दाऊद : 2547, तिर्मिज़ी : 1698, नसाई : 6/219, इब्ने माजह : 2790)

मुफ़रदातुल हदीस़ : शिकाल : इसकी तफ़्सीर अगली रिवायत में आ रही है, इसके अलावा बक़ौल इब्ने वरीद एक तरफ़ का हाथ पाँव सफ़ेद हो तो वो घोड़ा शिकाल है और बक़ौल अबू उबैद और जुम्हूर

अहले लुग़त जिसके तीन पाँव सफ़ेद हों और एक आज़ाद हो और कभी इसके बरअक्स तीन आज़ाद और एक पाँव सफ़ेद हो।' और इसकी तफ़्सीर में और भी अक़्वाल हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ، الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى

(4857) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की दो सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, शिकाल ये है कि घोड़े के दायें पाँव और बायें हाथ में सफ़ेदी हो या दायें हाथ और बायें पाँव में हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ . وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ .

(4858) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की दो सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इब्ने वहब की रिवायत में अब्दुल्लाह बिन यज़ीद की निस्बत नख़ई का ज़िक्र नहीं है।
(नसाई : 6/219)

باب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

बाब 28 : जिहाद और अल्लाह की राह में निकलने की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(4859) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआ़ला ने अपनी राह में निकलने वाले को ज़मानत दी, जबकि सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिये निकलता है, उस

صلى الله عليه وسلم " تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ " .

पर यक़ीन रखते हुए और उसके रसूलों की तस्दीक़ करते हुए, वो मेरी ज़मानत में है कि मैं उसको जन्नत में दाख़िल करूँगा या अपने जिस घर से निकला, उसमें अज्र या ग़नीमत के साथ वापस लाऊँगा। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! जो ज़ख़्म भी अल्लाह की राह में लगेगा, क़यामत के दिन वो ज़ख़्म इस हालत में आयेगा, जिसमें वो लगते वक़्त था, उसका रंग ख़ून वाला रंग होगा और महक कस्तूरी की तरह होगी। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! अगर मुझे अन्देशा न होता कि मुसलमानों के लिये दुश्वारी होगी, तो मैं किसी दस्ते से कभी पीछे न बैठता, जब वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकलता, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं उन सबको सवारी मुहय्या करूँ और उनके पास अपने तौर पर सवारी हासिल करने की ताक़त नहीं और मुझसे पीछे रहना उनके लिये दुश्वारी का बाइस है। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में मुहम्मद की जान है! मैं चाहता हूँ, मैं अल्लाह की राह में जंग लड़ते शहीद हो जाऊँ (फिर ज़िन्दगी मिले) फिर ग़ज़्वे में हिस्सा लेते शहीद हो जाऊँ (फिर ज़िन्दगी मिले) फिर जिहाद करूँ और शहीद हो जाऊँ।'

(सहीह बुख़ारी: 36, नसाई: 8/11, इब्नेमाजह: 2753)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तज़म्मनल्लाहु और तकफ़्फ़लल्लाहु : का मानी है कि अल्लाह उसका ज़ामिन और कफ़ील है। **(2) फ़हुव अलय्य ज़ामिन :** वो मेरी ज़िम्मेदारी और ज़मानत में है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है अगर इंसान जिहाद में सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ा के हुसूल

के लिये अल्लाह पर ईमान रखते हुए, रसूल ने जो जिहाद के फ़ज़ाइल बताये हैं उनको दिल की गहराई से तस्लीम करते हुए निकलता है, तो शहादत की सूरत में वो जन्नती ठहरता है और वापसी की सूरत में सिर्फ़ अज्र या ग़नीमत दोनों से हिस्सा पाता है और अगर उसे ज़ख़्म लगता है, तो वो क़यामत के दिन ज़ख़्मी हालत में उठेगा, उसके ज़ख़्म से ख़ून बह रहा हो, जिसकी ख़ुश्बू कस्तूरी की तरह होगी और शहादत इस क़द्र बुलंद मर्तबा है कि हुज़ूर(ﷺ) ने इसके बार-बार हासिल होने की तमन्ना और आरज़ू की। हालांकि दुनियवी मुश्किलों और मुसीबतों से घबराकर मौत की ख़्वाहिश करना जाइज़ नहीं है, मक़सद ये है कि शहादत की आरज़ू की सूरत में इंसान अपनी जान का नज़राना पेश करके दीन की सरबुलन्दी और दुश्मन से मुसलमानों के दिफ़ाअ और तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनता है, दुश्मन की कामयाबी की चाहत नहीं रखता है।

(4860) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने दो और उस्तादों की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4861) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने ज़िम्मा उठाया है कि जो उसकी राह में जिहाद करेगा, उसे उसके घर से सिर्फ़ उसकी राह में जिहाद और उसके वादों की तस्दीक़ में निकालेगी, तो वो उसे जन्नत में दाख़िल करेगा या उसके घर में जिससे वो निकला था अज्र या ग़नीमत समेत वापस लायेगा।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ - بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " .

(4862) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान भी अल्लाह की राह में ज़ख़्मी होता है और अल्लाह ही ख़ूब जानता है कौन उसकी

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

राह में ज़ख़्मी होता है, वो क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि उसका ज़ख़्म बह रहा होगा, रंग ख़ून का रंग होगा और ख़ुश्बू कस्तूरी की तरह होगी।'
(नसाई : 3147)

عليه وسلم قَالَ " لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : यस़अब : तेज़ी से बह रहा होगा, जैसाकि दूसरी रिवायत में है, **यतफ़ज्जर** : फूट रहा होगा।

(4863) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर वो ज़ख़्म जो मुसलमान को अल्लाह की राह में लगाया जाता है, क़यामत के दिन वो इस हालत में होगा, जिस हालत में लगा था, उससे ख़ून फूट रहा होगा, रंग ख़ून का रंग होगा और महक कस्तूरी वाली महक होगी।' और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! अगर मुझे ये अन्देशा न होता कि मुसलमानों को दुश्वारी में मुब्तला करूँगा तो मैं किसी दस्ते से पीछे न बैठता, जो अल्लाह की राह में जिहाद करता। लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उन्हें सवार करूँ और उनके पास अपने तौर पर वुस्अत नहीं है कि वो मेरे पीछे रवाना हो पड़ें और उनके नुफ़ूस उनको गवारा नहीं करते कि वो मेरे पीछे रह जायें।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي" .

(4864) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'अगर मुझे ख़तरा न होता

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يقُولُ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ما قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ " . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ . وَبِهَذَا الإِسْنَادِ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى " . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

कि मैं मुसलमानों को मशक़्क़त में डालूँगा, तो मैं किसी दस्ते से पीछे न रहता।' जैसाकि ऊपर ज़िक्र हुआ और इस सनद से ये मन्क़ूल है आपने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ।' जैसाकि ऊपर अबू ज़रआ अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान कर आये हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ " . نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(4865) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं, अबू हुरैरह (रज़ि.) बताते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक़्क़त में डालने का ख़तरा न होता तो मैं पसंद करता कि मैं किसी दस्ते से पीछे न रहूँ।' जैसाकि ऊपर गुज़रा है।

(सहीह बुख़ारी : 2972, नसाई : 8/156)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ - إِلَى قَوْلِهِ - مَا تَخَلَّفْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى " .

(4866) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने उसके लिये ज़िम्मा लिया है, जो उसकी राह में निकलता है।' इससे लेकर यहाँ तक बयान किया, 'मैं किसी ऐसे दस्ते से पीछे न बैठता जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकलता।'

बाब 29 : अल्लाह की राह में शहादत की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلاَ أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ "

(4867) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई इंसान नहीं है जो फ़ौत हो और उसके यहाँ अच्छा मक़ाम हो कि उसे दुनिया में वापस आना पसंद हो, अगरचे उसे दुनिया और उसके अंदर जो हैं सब मिल जाये। मगर शहीद, तो वो आरज़ू करता है कि दुनिया में लौट आये और उसे दोबारा शहादत मिले क्योंकि उसे शहादत की फ़ज़ीलत नज़र आ रही होती है।'

फ़ायदा : शहीद को इसलिये ये मक़ाम मिला है कि उसकी रूह जन्नत में हाज़िर होती है, जबकि आम मुसलमानों की रूहें वहाँ क़यामत को पहुँचेंगी, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उनके जन्नती होने की गवाही देते हैं और वो रूह निकलते ही अपनी इज़्ज़त और अज्र व सवाब का मुशाहिदा कर लेते हैं, मौत के वक़्त फ़रिश्ते उनके पास हाज़िर होते हैं और उनकी रूह ले जाते हैं, उनकी ज़ाहिरी हालत उनके ईमान और ख़ातमा बिल्ख़ैर की गवाह है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ " .

(4868) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान भी जन्नत में दाख़िल होता है, वो दुनिया की तरफ़ लौटना पसंद नहीं करता, अगरचे उसको रूए ज़मीन की हर चीज़ दे दी जाये, मगर शहीद। वो तमन्ना करता है कि वो दुनिया में लौटे और दस बार शहीद हो, उस इज़्ज़त व एहतिराम की बिना पर जो उसे हासिल है।'

(सहीह बुख़ारी : 2817, तिर्मिज़ी : 1662)

(4869) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) से पूछा गया, कौनसी चीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में जिहाद करने के बराबर है? आपने फ़रमाया, 'वो तुम्हारे बस में नहीं है।' तो सहाबा किराम दोबारा या तीसरी बार आपके सामने सवाल करने लगे, आप हर बार यही फ़रमाते, 'वो तुम्हारे बस में नहीं है।' तीसरी मर्तबा फ़रमाया, 'अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की मिसाल, उस इंसान की तरह है जो हमेशा रोज़ा रखता है, रात को क़ियाम करता है (ज़िन्दगी में) अल्लाह तआला की आयात पर अमल पैरा है, रोज़े और नमाज़ से थकता नहीं है, सुस्ती नहीं करता, यहाँ तक कि अल्लाह तआला की राह में जिहाद करने वाला वापस आ जाये।'

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى " .

फ़ायदा : इंसान के लिये ये बहुत मुश्किल काम है कि वो हमेशा दिन भर रोज़ा रखे, रात को क़ियाम करे और अपनी पूरी ज़िन्दगी हर क़िस्म के गर्म व सर्द अच्छे-बुरे हालात फ़रमांबरदाराना गुज़ारे और उसमें किसी क़िस्म की सुस्ती और काहिली न दिखाये। लेकिन इख़्लास के साथ जिहाद में रहने से उसको ये दर्जा हासिल हो जाता है। अगरचे वहाँ हर वक़्त और हालत में जंग नहीं हो रही होती।

(4870) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

(तिर्मिज़ी : 1619)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(4871) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के मिम्बर के पास मौजूद था कि एक आदमी ने कहा, मुझे इस्लाम लाने के बाद हाजियों को

حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ . وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ . فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ{ الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

पानी पिलाने के सिवा कोई अमल न करूँ तो कोई परवाह नहीं है। दूसरे शख़्स ने कहा, अगर मैं इस्लाम के बाद मस्जिदे हराम की आबादी के सिवा कोई अमल न करूँ तो कोई परवाह नहीं है। तीसरे ने कहा, जो कुछ तुमने कहा, जिहाद उससे अफ़ज़ल है। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको डांटा और फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) के मिम्बर के पास अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो और ये जुम्आ का दिन था। लेकिन जब मैं जुम्आ पढ़ लूँगा, आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर जिसमें तुम इख़्तिलाफ़ कर रहे हो, उसके बारे में पूछ लूँगा। तो आपने मुझे अल्लाह तआला का ये फ़रमान सुनाया, 'क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिदे हराम को आबाद करना, उस शख़्स के अमल के बराबर क़रार दिया है, जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में जिहाद किया...।' आख़िर तक (सूरह तौबा की आयत नम्बर 19)।'

फ़ायदा : वो आयते मुबारका जो पहले नाज़िल हो चुकी होती और उससे किसी वाक़िये के लिये इस्तिदलाल किया जाता, तो सहाबा किराम उसको भी नुज़ूल से ताबीर कर देते थे, क्योंकि ये आयत तो मुश्रिकीन के बारे में उतरी थी।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي تَوْبَةَ .

(4872) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

बाब 30 : सुबह या शाम अल्लाह की राह में निकलने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(4873) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'यक़ीनन एक सुबह या एक शाम अल्लाह की राह में निकलना दुनिया और जो उसके अंदर है, उन सबसे बेहतर है।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا "

फ़ायदा : दुनिया व माफ़ीहा (जो कुछ दुनिया में है) का किसी को मिल जाना दुनिया में मुम्किन नहीं है, उसके ओहदे और मन्सब, उसका माल व दौलत, उसकी कोठियाँ और बंगले, दुनिया की हर क़िस्म की आसाइश और सहूलतें, तमाम इंसानों में तक़सीम हैं, लेकिन अगर कोई ईमानदार इंसान ख़ुलूस निय्यत से सुबह व शाम के औक़ात में से कोई वक़्त अल्लाह की राह में निकालता है तो ये उसके लिये दुनिया और जो इसके अंदर है उन सबसे बेहतर है या दुनिया व मा फ़ीहा ख़र्च करके फिर भी उतना अज्र व सवाब हासिल नहीं हो सकता।

(4874) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सुबह का वक़्त जो इंसान अल्लाह की राह में निकलता है, दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है।'

(सहीह बुख़ारी : 6415)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ، بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالْغَدْوَةَ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

(4875) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की राह में सुबह या शाम के वक़्त निकलना दुनिया व मा फ़ीहा (दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस) से बेहतर है।'

(सहीह बुख़ारी : 2794, नसाई : 8/147)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أُمَّتِي " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ " وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

(4876) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर ये ख़तरा न होता कि मेरी उम्मत के लोग...' आगे फ़ज़्लुल जिहाद वाली अबू हुरैरह की रिवायत बयान की, उसमें ये है, 'बिला शुब्हा अल्लाह की राह में शाम को निकलना या सुबह को निकलना दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَاقَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ

(4877) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की राह में सुबह या शाम के वक़्त निकलना उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन पर सूरज तुलूअ और गुरूब होता (उगता और डूबता) है।'

(नसाई : 3119)

फ़ायदा : जिन चीज़ों पर सूरज तुलूअ और गुरूब होता है, से मुराद दुनिया और जो इसके अंदर है।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ، شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

(4878) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

बाब 31 : अल्लाह तआला ने जन्नत में मुजाहिद के लिये जो मर्तबे रखे हैं उनका बयान

باب بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ " وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

(4879) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अबू सईद! जो शख़्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के ज़ाबते हयात होने और मुहम्मद के नबी होने पर राज़ी हो गया, उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई।' अबू सईद को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे दोबारा सुनाइये? आपने ऐसे किया फिर फ़रमाया, 'एक और ख़स्लत है, उससे बन्दे के जन्नत में सौ दर्जे बुलंद किये जाते हैं, दो दर्जों के दरम्यान आसमान व ज़मीन के दरम्यानी फ़ासले के बराबर फ़ासला है।' अबू सईद ने पूछा, वो कौनसी ख़स्लत है? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'अल्लाह की राह में जिहाद, अल्लाह की राह में जिहाद।'

(नसाई : 3131)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है जन्नत में तो इंसान जिहाद के बग़ैर भी चला जायेगा, लेकिन वो मर्तबे व दर्जे जो इन्तिहाई बुलंद व बाला और अशरफ़ हैं, उनसे महरूम हो जायेगा और उन नेमतों से महरूम रहेगा, जिनका तसव्वुर भी इंसान इस दुनिया में नहीं कर सकता।

बाब 32 : जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाये उसकी क़र्ज़ के सिवा तमाम ख़तायें, क़ुसूर माफ़ हो जाते हैं

باب مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلاَّ الدَّيْنَ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ " أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ قُلْتَ " . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ " .

(4880) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हुज़ूर उनके दरम्यान वअ़ज़ के लिये खड़े हुए और बयान फ़रमाया, 'अल्लाह की राह में जिहाद और अल्लाह पर ईमान सबसे बेहतर अ़मल हैं।' तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताइये अगर मैं अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाऊँ, तो क्या मुझे मेरे गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'हाँ! अगर तू अल्लाह की राह में साबिर और सवाब की निय्यत करते हुए, सामने मुँह करके, पुश्त दिखा के नहीं, क़त्ल हो गया।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा, 'तूने क्या कहा?' उसने कहा, बताइये अगर मैं अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाऊँ, तो क्या मुझे मेरे गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ! जबकि तू सब्र करने वाला, रज़ाए इलाही का तालिब, आगे बढ़ने वाला, न कि पुश्त दिखाने वाला हो, बशर्तेकि तुझ पर क़र्ज़ा न हो, क्योंकि जिब्रईल ने अभी-अभी मुझे बताया है।'
(तिर्मिज़ी : 1712, नसाई : 8/158, 159)

फ़ायदा : ईमान बिल्लाह दीन की बुनियाद और असास है, इसके बग़ैर कोई अ़मल क़ाबिले क़ुबूल नहीं है और अरकाने ख़म्सा (पाँचों अरकानों) में से ये असास (बुनियाद) है और जिहाद अगरचे अरकाने ख़म्सा में दाख़िल नहीं है, लेकिन ये उनका मुहाफ़िज़ है और दीन की इक़ामत इसके बग़ैर

मुम्किन नहीं है, लेकिन हुक़ूक़ुल इबाद का मारना इतना संगीन जुर्म है कि जिहाद जैसी अज़ीम चीज़ भी इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकती, लेकिन आज लोगों का पैसा खाना और उनके हुक़ूक़ पामाल करना हक़ीर अमल समझा जाता है और लोगों के माल व जायदाद हड़प करने के लिये क़ब्ज़ाग्रुप दनदनाते फिरते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, नीज़ अगर माल का हड़प करना माफ़ नहीं हो सकता, तो क़त्ल और ख़ून बहाना कैसे माफ़ हो सकता है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ .

(4881) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से हज़रत अबू क़तादा की रिवायत बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आया और कहने लगा, बताइये अगर मैं अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाऊँ, आगे मज़्कूरा वाला (ऊपर की) रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي . بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ .

(4882) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, एक दूसरे से ये ज़्यादा बयान करता है कि एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आया, जबकि आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे, उसने कहा, बताइये! अगर मैं अपनी तलवार चलाऊँ, आगे मज़्कूरा वाला हदीस है।
(नसाई : 8/159)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عَيَّاشٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ

(4883) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'शहीद का क़र्ज़ के सिवा हर गुनाह माफ़ कर दिया जाता है।'

اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ".

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي، أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ " .

(4884) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की राह में क़त्ल होना क़र्ज़े के सिवा हर चीज़ का कफ़्फ़ारा बनता है।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि शहादत से क़र्ज़े के सिवा तमाम हुक़ूक़ माफ़ हो जाते हैं, जबकि दूसरी अहादीस़ की रोशनी में ये स़ाबित होता है कि कबीरा गुनाह तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते, इल्ला (मगर) ये कि अल्लाह तआ़ला ख़ुद माफ़ फ़रमा दे, जिस तरह एक इंसान क़र्ज़ा, अदायगी की निय्यत से लेता है और वो अदायगी की कोशिश भी करता है और उसकी निय्यत भी यही है कि मैं क़र्ज़ा हर सूरत में अदा करूँगा, लेकिन अदा नहीं कर सकता, तो अल्लाह तआ़ला क़र्ज़ ख़्वाह को अपनी तरफ़ से अज्र व स़वाब देकर राज़ी फ़रमा देगा और मक़रूज़ को माफ़ फ़रमा देगा।

باب فِي بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

बाब 33 : शहीदों की रूहें जन्नत में हैं और वो ज़िन्दा हैं, अपने रब के यहाँ रिज़्क़ दिये जाते हैं

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ

(4885) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की तीन सनदों से बयान करते हैं कि मसरूक़ (रह.) ने कहा, हमने अ़ब्दुल्लाह यानी इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से इस आयत के बारे में सवाल किया, 'जो अल्लाह की राह में

يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى . فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا " .

क़त्ल कर दिये जाते हैं, उनको मुर्दे ख़याल न करो, बल्कि वो अपने रब के यहाँ ज़िन्दा हैं, रिज़्क़ दिये जाते हैं।' (सूरह आले इमरान : 169) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने कहा, हाँ! हमने भी आप(ﷺ) से इसके बारे में सवाल किया था तो आपने फ़रमाया, 'उनकी रूहें सब्ज़ परिन्दों के पेटों में हैं, उनके लिये अर्श के साथ क़िन्दीलें लटकाई गई हैं, वो जन्नत में जहाँ चाहती हैं चरती-चुगती हैं, फिर उन क़िन्दीलों में आकर जगह पकड़ती हैं, अल्लाह तआला ने उन पर एक नज़र डाली और फ़रमाया, 'क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख़्वाहिश है?' उन्होंने कहा, हम क्या ख़्वाहिश कर सकते हैं, हम जहाँ चाहते हैं, जन्नत में चरते-चुगते हैं। अल्लाह तआला ने उनके साथ ये मामला तीन बार किया। जब उन्होंने समझा कि सवाल किये बग़ैर उनको छोड़ा नहीं जायेगा, उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब! हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहें हमारे जिस्मों में लौटा दे, ताकि हम तेरी राह में दोबारा क़त्ल किये जायें, तो जब अल्लाह ने ये देखा कि उन्हें किसी क़िस्म की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें छोड़ दिया।'

(तिर्मिज़ी : 3011, इब्ने माजह : 2801)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि शहीदों की रूहें जन्नत में सब्ज़ परिन्दों के पेटों में हैं, यानी उनके जिस्म व बदन की जगह उन्हें सब्ज़ परिन्दों की शक्ल में जिस्म मिला है, जिसमें वो जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अन्दोज़ होते हैं और अर्श से लटके हुए क़नादील में रहते हैं और उनकी दुनिया में आने की ख़्वाहिश पूरी नहीं होती, इस जहाँ से उनका ताल्लुक़ कट चुका है और बरज़ख़ी जहाँ से उनका

ताल्लुक़ क़ायम हो जाता है, लेकिन आम मोमिनों की रूह को परिन्दे की शक्ल दी जाती है। जबकि शहीद की रूह सब्ज़ परिन्दे के पेट में है, इसलिये दोनों में फ़र्क़ है, दोनों का मक़ाम व मर्तबा बराबर नहीं है और जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अन्दोज़ी में भी बराबर नहीं है, लेकिन इस जहाँ में उसकी मुकम्मल तफ़्सीलात को जानना मुम्किन नहीं है, लेकिन इस हदीस़ से तनासुख़ या आवागवन पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तनासुख़ में रूह इसी जहाने फ़ानी में एक जिस्म से निकल कर दूसरे जिस्म में दाख़िल होती है, फिर उससे निकलकर किसी दूसरे में दाख़िल होते हैं। इस तरह अ़ज़ाब व स़वाब का चक्कर इसी दुनिया में चलता रहता है, जबकि शहीदों की रूहें इस दुनिया की बजाय बरज़ख़ के आ़लम में सब्ज़ परिन्दों में हैं, दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और फिर क़यामत तक उनसे निकलकर किसी और जिस्म में नहीं जाना है और तनासुख़ में तो ये चक्कर बार-बार इसी दुनिया में चल रहा है और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है, जन्नत अब भी मौजूद है, जहाँ शहीदों की रूहें नेमतों से भरपूर तरीक़े से मुतमत्तेअ हो रही हैं।

बाब 34 : जिहाद और सरहद पर पहरा देने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

(4886) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी(ﷺ) के पास आकर पूछा, सब लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आपने फ़रमाया, 'वो आदमी जो अपने माल और अपनी जान से अल्लाह की राह में जिहाद करता है।' उसने पूछा, फिर कौन? आपने फ़रमाया, 'वो मोमिन जो पहाड़ी दर्रों में किसी दर्रे में वो अल्लाह की बन्दगी करता है और लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखता है।'

(सहीह बुख़ारी : 2786, 6494, अबू दाऊद : 2485, तिर्मिज़ी : 1660)

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ " رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ " قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ".

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है जो इंसान अरकाने इस्लाम की पाबंदी के साथ-साथ अपने माल और अपनी जान से जिहाद में हिस्सा लेता है और दोनों को क़ुर्बान करने के लिये हर वक़्त

कोशिश करता रहता है और जब ऐसा दौर आ जायेगा जिसमें लोगों के साथ मेल-जोल रखने में अपना दीन महफ़ूज़ नहीं रह सकेगा, तो फिर वो इंसान बेहतर होगा जो सब लोगों से इसलिये अलग-थलग हो जायेगा कि अपने दीन को महफ़ूज़ रख सके और लोगों में रहकर किसी के लिये तकलीफ़ और नुक़सान का बाइस न बने, लेकिन अगर वो अपने अहलो-अयाल के हुक़ूक़ को नज़र अन्दाज़ करके अलग-थलग होता है, तो ये गोशा नशीनी या उज़्लत उसके लिये फ़ज़ीलत का बाइस नहीं है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ، بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " .

(4887) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! सब लोगों में बेहतर फ़र्द कौन है? आपने फ़रमाया, 'वो मोमिन जो अपने नफ़्स और अपने माल से अल्लाह की राह में जिहाद करता है।' उसने पूछा, फिर कौन? आपने फ़रमाया, 'फिर वो आदमी जो पहाड़ी घाटियों में से किसी घाटी में अलग-थलग अपने रब की बन्दगी करता है और लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखता है।'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فَقَالَ " وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ " . وَلَمْ يَقُلْ " ثُمَّ رَجُلٌ " .

(4888) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से इब्ने शिहाब की मज़्कूरा बाला (ऊपर की) सनद से हदीस़ बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'और एक आदमी जो किसी घाटी में है।' 'सुम्म' का लफ़्ज़ नहीं है, बाक़ी रिवायत वही है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْجَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ

(4889) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोगों में से बेहतरीन ज़िन्दगी उस आदमी की है, जो अपने घोड़े की लगाम थामे हुए अल्लाह की राह में घोड़े की पीठ पर लड़ रहा है, जब वो दुश्मन की आवाज़ सुनता है या घबराहट महसूस करता है, उस पर उड़कर पहुँच जाता है। क़त्ल और मौत उसके महल में

عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ " .

तलाश करता है या वो इंसान जो कुछ बकरियों के साथ पहाड़ी चोटियों में से किसी चोटी पर है या उन वादियों में से किसी वादी के अंदर रहता है, नमाज़ का एहतिमाम करता है और ज़कात अदा करता है और अपनी मौत तक अपने रब की बन्दगी करता है, लोगों से ख़ैर के अलावा किसी चीज़ में नहीं।'

(इब्ने माजह : 3977)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्मआश : ज़िन्दगी **(2) हयअह :** दुश्मन की आमद पर ख़तरे की आवाज़ **(3) फ़ज़्अह :** दुश्मन के हमले से ख़तरे के सबब घबराहट तारी होना **(4) यब्तग़िल क़त्ल वल्मौत मज़ान्नहू :** वो शहादत की तलाश में उस जगह पहुँचता है, जो क़त्ल और मौत की जगह है, यानी जहाँ मौत आ सकती है और शहादत की आरज़ू पूरी हो सकती है। **(5) शअफ़ह :** शअफ़ पहाड़ की चोटी। **(6) अल्यक़ीन :** मौत **(7) तार अलैह :** उस पर तेज़ी से उसका रुख़ करता है।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَيَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ "فِي شِعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ " . خِلاَفَ رِوَايَةِ يَحْيَى

(4890) इमाम साहब यही हदीस़ अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं, फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि उसमें है, आपने फ़रमाया, 'उन पहाड़ी घाटियों में से किसी घाटी में।' यहया की रिवायत में शअफ़ह मिन हाज़िही शअफ़ है। यहाँ शिअ्बतुम मिनश्शिआब है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ بَعْجَةَ وَقَالَ " فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ " .

(4891) यही रिवायत इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से अबू हाज़िम की हदीस़ के हम मानी बयान करते हैं, उसमें है, आपने फ़रमाया, 'पहाड़ी घाटियों में से किसी घाटी में।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : शिअ्ब बहुवचन शिआब : पहाड़ों के अंदर का रास्ता, दर्रा या घाटी।

बाब 35 : उन दो आदमियों का बयान जिनमें से एक दूसरे को क़त्ल करता है और दोनों जन्नत में दाख़िल हो जाते हैं

باب بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ " . فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ " .

(4892) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला उन दो आदमियों को देखकर हँसता है, जिनमें से एक दूसरे को क़त्ल करता है और दोनों जन्नत में दाख़िल हो जाते हैं।' सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल! कैसे होगा? आपने फ़रमाया, 'एक अल्लाह की राह में जंग करता है और शहीद कर दिया जाता है, फिर अल्लाह तआला क़ातिल को तौबा की तौफ़ीक़ देता है तो मुसलमान हो जाता है, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में लड़ता है और शहीद कर दिया जाता है।'
(नसाई : 3165)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4893) यही रिवायत इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से बयान करते हैं।
(इब्ने माजह : 191)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(4894) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला उन दो आदमियों को देखकर हँसता है, जिनमें से एक दूसरे को क़त्ल करता है, दोनों जन्नत में दाख़िल हो जाते।' सहाबा ने पूछा, कैसे होगा? ऐ

صلى الله عليه وسلم " يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ " قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الإِسْلاَمِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ "

अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'एक मक़्तूल होकर जन्नत में दाख़िल हो जाता है। फिर दूसरे पर अल्लाह तआला नज़रे रहमत फ़रमाता है और उसे इस्लाम की हिदायत देता है, फिर वो अल्लाह की राह में लड़कर शहादत पा लेता है।'

फ़ायदा : अल्लाह तआला हँसता है लेकिन उसकी हँसी उसी के शान के लायक़ होती है, उसकी हक़ीक़त को नहीं जाना जा सकता है और न ही उसकी कैफ़ियत बयान करने की ज़रूरत है, इसलिये तश्बीह व तम्सील की तरह तावील की भी ज़रूरत नहीं है।

باب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

बाब 36 : जिसने काफ़िर को क़त्ल किया, फिर राहे रास्त पर क़ायम रहने की तौफ़ीक़ मिली

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا "

(4895) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'काफ़िर और उसका (मुसलमान) क़ातिल कभी आग में इकट्ठे नहीं होंगे।'
(अबू दाऊद : 2495)

फ़ायदा : काफ़िर अपने कुफ़्र की बिना पर हमेशा-हमेशा के लिये दोज़ख़ में डाला जायेगा और उसका क़ातिल मुसलमान अगर राहे रास्त पर क़ायम रहा, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न किया या उनसे तौबा कर ली तो वो दोज़ख़ में दाख़िल नहीं होगा, लेकिन अगर वो दीन पर सहीह इस्तिक़ामत न दिखा सका और कबीरा गुनाहों का बिला तौबा इर्तिकाब किया, तो वो गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिये दोज़ख़ में दाख़िल होगा, लेकिन दोनों का मक़ाम अलग-अलग होगा, वो बराबर नहीं होंगे कि काफ़िर उसको ये शर्म दिला सके कि तुम भी तो मेरे साथ हो तेरे इस्लाम ने तुझे क्या फ़ायदा दिया।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ " . قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ " .

(4896) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो दो आग में इस तरह दाख़िल नहीं होंगे कि एक दूसरे को नुक़सान पहुँचा सके।' पूछा गया वो कौन हैं? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'वो मोमिन जिसने काफ़िर को क़त्ल किया, फिर ईमान पर क़ायम रहा।'

फ़ायदा : एक मुसलमान जो ईमान पर क़ायम रहा, लेकिन कबीरा गुनाह करता है, तो वो सज़ा भुगतने के लिये अगर माफ़ी न मिले.... दोज़ख़ में दाख़िल हो सकता है। लेकिन फ़र्क़ मर्तबे की बिना पर काफ़िर और उसकी जगह एक नहीं हो सकती कि वो इकट्ठे हो सकें।

باب فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَضْعِيفِهَا

बाब 37 : अल्लाह की राह में सदक़ा करने की फ़ज़ीलत और उसमें इज़ाफ़ा

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ " .

(4897) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी महार (लगाम) डाली हुई ऊँटनी लाया और कहने लगा, ये अल्लाह की राह में है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुझे क़यामत के दिन इसके बदले में सात सौ ऊँटनियाँ मिलेंगी, सबके महार डाली होगी।'

(नसाई : 3187)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है अगर ख़ुलूस निय्यत से जिहाद के लिये कोई चीज़ दी जाये तो उसमें सात सौ गुना तक इज़ाफ़ा होता है, एक चीज़ के ऐवज़ उसे सात सौ चीज़ें मिलेंगी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ، خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4898) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं।

باب فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ وَخِلاَفَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

बाब 38 : अल्लाह की राह में जंग लड़ने के लिये निकलने वाले की सवारी वग़ैरह के ज़रिये मदद और उसके घर वालों में बेहतरीन अन्दाज़ से जाँनशीनी की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ " مَا عِنْدِي " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ " .

(4899) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, मेरी सवारी हलाक हो गई, मुझे सवारी दीजिये। आपने फ़रमाया, 'मेरे पास तो नहीं है।' तो एक आदमी ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इसे ऐसे इंसान का पता देता हूँ, जो इसे सवारी मुहय्या करेगा। इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स अच्छे काम की राहनुमाई करेगा तो उसे भी करने वाले का अज्र मिलेगा।'

(अबू दाऊद : 5129, तिर्मिज़ी : 2671)

मुफ़रदातुल हदीस़ : उब्दिअ़ बी : मेरी सवारी हलाक हो गई।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, किसी अच्छे काम की तल्क़ीन करना, इल्मे दीन सिखाना, इबादात का तरीक़ा बताना, उतने ही अज्र व स़वाब का बाइस़ बनता है, जितना अज्र व स़वाब उस नेक काम करने वाले को मिलेगा, इसलिये अच्छे और नेक काम की तरफ़ राहनुमाई करके अज्र व स़वाब के हुसूल की कोशिश करना चाहिये।

(4900) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से यही रिवायत आमश ही की मज़्कूरा सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4901) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि अस्लम क़बीले के एक नौजवान ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ग़ज़्वे में हिस्सा लेना चाहता हूँ और मेरे पास इसकी तैयारी के लिये कुछ नहीं है। आपने फ़रमाया, 'उस आदमी के पास जाओ, उसने जंग के लिये तैयारी की थी, लेकिन वो बीमार हो गया।' वो उसके पास आकर कहने लगा, रसूलुल्लाह(ﷺ) तुझे सलाम कहते हैं और फ़रमाते हैं, 'जो सामाने जंग तूने तैयार किया है वो मुझे दे दो।' उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ फ़लाँ! जो सामान मैंने तैयार किया है, उसे दे दे और उसमें से कोई चीज़ न रखना। अल्लाह की क़सम! तू उससे जो चीज़ रखेगी वो तेरे लिये बाइसे बरकत नहीं होगी।'
(अबू दाऊद : 2780)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ح

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَتًى، مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ قَالَ " ائْتِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ " . فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلاَنَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ .

(4902) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले को तैयार किया, तो उसने भी जिहाद किया और उसने ग़ाज़ी के घर का

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ، سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ، بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " .

अच्छाई के साथ ख़याल रखा उसने भी जिहाद में हिस्सा लिया।'

(सहीह बुख़ारी : 2843, अबू दाऊद : 2509, तिर्मिज़ी : 1628, 1631, नसाई : 6/46)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا " .

(4903) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने जिहाद में हिस्सा लेने वाले को सामाने जंग फ़राहम किया, उसने यक़ीनन ग़ज़्वे में हिस्सा लिया और जिसने जिहाद करने वाले के घर वालों में उसकी नियाबत की उसने भी वाक़ेई जिहाद में हिस्सा लिया।'

फ़ायदा : जो इंसान किसी ऐसे इंसान को सामाने हर्ब (हथियार) ख़रीद कर देता है, जो जिहाद में हिस्सा लेना चाहता है, तो ये चूंकि उसके जिहाद में हिस्सा लेने का सबब और वास्ता है, इसलिये उसको भी जिहाद में शिरकत करने वालों की तरह अज्र व सवाब हासिल होगा, इस तरह जो इंसान मुजाहिद के घर वालों की ज़रूरियात पूरी करता है, उनके काम-काज करता है, वो भी उसकी नियाबत करके उसको घर की फ़िक्र से बेनियाज़ करता है ताकि वो जिहाद में यकसूई से हिस्सा ले सके, इसलिये उसको भी अज्र व सवाब हासिल होगा, लेकिन हर एक को सवाब अपने-अपने अमल के मुताबिक़ मिलेगा, सबका सवाब बराबर नहीं होगा।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ - مِنْ هُذَيْلٍ - فَقَالَ " لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا

(4904) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक दस्ता, हुज़ैल क़बीले की एक शाख़ बनू लिह्यान की तरफ़ भेजा और फ़रमाया, 'हर ख़ानदान के दो अफ़राद में से एक फ़र्द निकले और अज्र दोनों को मिलेगा।'

(अबू दाऊद : 2510)

(4905) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक जमाअत रवाना फ़रमाया, ऊपर की रिवायत के हम मानी रिवायत है।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ - قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بَعْثًا . بِمَعْنَاهُ .

(4906) इमाम साहब ने अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4907) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बनू लिह्यान की तरफ़ एक दस्ता ये कहकर रवाना फ़रमाया, 'हर घर के दो मर्दों में से एक मर्द निकले।' फिर घर बैठने वाले को फ़रमाया, 'तुममें से जिसने रवाना होने वाले के घर और उसके माल में बेहतरीन नियाबत की, उसको निकलने वाले के आधे अज्र के बराबर सवाब मिलेगा।'

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ " لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ " . ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ " أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ "

फ़ायदा : जो इंसान जिहाद में अमलन हिस्सा लेता है, उसको दो सवाब मिलते हैं, अज्रे असल और अज्रे फ़ज़्ल (इज़ाफ़ा व ज़्यादती) तो उसकी नियाबत बिलख़ैर करने वाले को असल अज्र का निस्फ़ के बराबर मिलता है और इज़ाफ़ा या तज़्ईफ़ तो सिर्फ़ अमलन हिस्सा लेने वाले के लिये है।

बाब 39 : मुजाहिदीन की बीवियों की हुरमत व इज़्ज़त और उनके सिलसिले में ख़यानत के मुर्तकिब (ख़ाइन) का गुनाह

باب حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ

(4908) सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिहाद में शिरकत करने वालों की बीवी की इज़्ज़त घर बैठे रहने वालों पर अपनी माँओं की इज़्ज़त की तरह है और घर बैठे रहने वालों में से जो आदमी भी किसी मुजाहिद के घर वालों में उसकी नियाबत करता है और उनके सिलसिले में मुजाहिद की ख़यानत करता है, तो उसे क़यामत के दिन उसके सामने खड़ा किया जायेगा, तो वो उसके अमलों में से जितना चाहेगा ले सकेगा, तो तुम्हारा क्या ख़याल है? (क्या वो उसका कोई अमल छोड़ेगा)।'

(अबू दाऊद : 2496, नसाई : 6/50, 51)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ ".

(4909) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ .

(4910) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही हदीस बयान करते हैं, उसमें है फ़रमाया, 'उसकी नेकियों में से जो चाहो ले लो।' तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमारी तरफ़ रुख़ करके फ़रमाया, 'तो तुम्हारा क्या ख़याल है?'

وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ " فَقَالَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ " . فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " فَمَا ظَنُّكُمْ " .

फ़ायदा : जिस तरह इंसान अपनी माँ की इज़्ज़त व एहतिराम करता है, उसे नज़रे बद से नहीं देखता और उसके साथ क़ाबिले ऐतराज़ ख़लवत व बातचीत नहीं करता और उसके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आता है, उसकी ज़रूरियात को पूरी करता है, तो जिहाद से पीछे रहकर मुजाहिदीन की नियाबत करने वालों को उनकी बीवियों के साथ अपनी माँओं वाला तर्ज़े अमल इख़्तियार करना होगा और अगर कोई इंसान ख़यानत का मुर्तकिब होगा, उनकी इज़्ज़त व नामूस पामाल करेगा या माली ख़यानत करेगा, तो ये इस क़द्र संगीन जुर्म है कि मुजाहिद को उस ख़ाइन की तमाम नेकियाँ लेने का इख़्तियार मिलेगा और वो उसकी कोई नेकी छोड़ने का रवादार नहीं होगा।

बाब 40 : फ़र्ज़िय्यते जिहाद मअ़ज़ूरों से साक़ित है (मअ़ज़ूरों पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं है)

باب سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ،

(4911) हज़रत बराअ (रज़ि.) सूरह निसा आयत नम्बर 90 'घर बैठे रहने वाले मोमिन और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन बराबर नहीं हैं' के बारे में फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत ज़ैद को (लिखने का) हुक्म दिया, तो वो लिखने के लिये शाने की हड्डी ले आये, तो हज़रत इब्ने मक्तूम (रज़ि.) ने अपने नाबीना होने की शिकायत रसूलुल्लाह(ﷺ) से की, तो आयत यूँ उतारी गई, 'वो बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं हैं जो मअ़ज़ूर नहीं हैं।' इमाम शोबा, बराअ (रज़ि.) की तरह इस आयत के बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित से भी बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 2831, 4593)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ { لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

(4912) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं, जब ये आयत उतरी, 'घर बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं हैं' तो इब्ने मक्तूम (रज़ि.) ने आपसे बातचीत की, तो ये टुकड़ा उतरा, 'सिवाय मअ़ज़ूरों के।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ‏{‏ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَنَزَلَتْ ‏{‏ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ‏}‏

बाब 41 : शहीद के लिये जन्नत का सुबूत

باب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

(4913) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने पूछा, मैं कहाँ हूँगा? ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं क़त्ल कर दिया जाऊँ? आपने फ़रमाया, 'जन्नत में।' तो उसके हाथ में जो खजूरें थीं, वो उसने फेंक दीं, फिर जंग लड़ी यहाँ तक कि वो शहीद हो गया। सुवेद की रिवायत में है, एक आदमी ने ग़ज़्वे उहुद के दिन नबी(ﷺ) से पूछा।

(सहीह बुख़ारी : 4046, नसाई : 6/33)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ أَيْنَ أَنَا يَا، رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ قَالَ ‏"‏ فِي الْجَنَّةِ ‏"‏ ‏.‏ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ ‏.‏

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है जो इंसान ख़ुलूस़ निय्यत से दुनियवी लज़्ज़तों को छोड़कर जन्नत के लिये तेज़ी दिखाता है, अल्लाह तआला उसके ख़ुलूस की क़द्र दानी फ़रमाते हुए उसके लिये जन्नत में जाने का इन्तिज़ाम फ़रमा देता है, ये कौन था? बक़ौल इमाम ख़तीब बग़दादी ये उ़मैर बिन हम्माम अन्सारी था। जबकि बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर इसका वाक़िया जंगे बद्र से ताल्लुक़ रखता है, जबकि इस हदीस़ में जंगे उहुद का ज़िक्र है। इसलिये ये उ़मैर नहीं हो सकता और उ़मैर का तज़्किरा आगे हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत में आ रहा है।

(4914) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि अन्सार के क़बीले बनू नबीत का एक आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ

الْبَرَاءِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ - قَبِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا " .

होकर कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं और आप उसके बन्दे और उसके रसूल हैं। फिर आगे बढ़कर लड़ने लगा यहाँ तक कि शहीद हो गया। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसने कम अमल करके बहुत ज़्यादा अज्र पा लिया।'

फ़ायदा : बुख़ारी शरीफ़ की हदीस़ से मालूम होता है, ये आदमी मुसल्लह (हथियार बंद) होकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, मैं जंग लड़ूँ या मुसलमान हो जाऊँ। तो आपने फ़रमाया, 'मुसलमान होकर फिर जंग लड़।' तो ये अ़म्र बिन स़ाबित (रज़ि.) जिसे एक नमाज़ पढ़ने का मौक़ा नहीं मिला और वो जन्नत में दाख़िल हो गया और ये उसैरम के नाम से मअरूफ़ था जो बनू अ़ब्दुल अश्हल से था जो बनी नबीत की एक शाख़ है और नबीत अ़म्र बिन मालिक बिन औस का लक़ब है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، -وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى

(4915) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत बुसैसा (रज़ि.) को जासूस बनाकर रवाना फ़रमाया ताकि वो अबू सुफ़ियान के क़ाफ़िले के हालात का जायज़ा ले, वो वापस आया तो मेरे सिवा और रसूलुल्लाह(ﷺ) के सिवा घर में कोई न था। स़ाबित कहते हैं, मुझे मालूम नहीं हज़रत अनस (रज़ि.) ने अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी को मुस्तस़्ना किया था। उसने आपको वाक़िया सुनाया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये और ख़िताब फ़रमाया उसने कहा, 'हमें एक चीज़ मतलूब है, तो जिसकी

بَعْضِ نِسَائِهِ قَالَ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ فَقَالَ " إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا " . فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ " لاَ إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا " . فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَىْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ " . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ " . قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ بَخٍ بَخٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا . قَالَ " فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا " . فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ - قَالَ - فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ . ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ .

सवारी घर में है, वो हमारे साथ सँवार हो जाये।' तो कुछ लोग आपसे उन सवारियों के बारे में इजाज़त माँगने लगे, जो मदीना के बालाई इलाक़े में थीं, आपने फ़रमाया, 'नहीं! वही लोग निकलें जिनकी सवारियाँ मौजूद हैं।' रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपके साथी रवाना हो गये, यहाँ तक कि मुश्रिकों से बद्र में पहले पहुँच गये और मुश्रिक भी आ गये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ न बढ़े, यहाँ तक कि मैं आगे हूँ।' मुश्रिक़ीन क़रीब आ गये, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस जन्नत की तरफ़ बढ़ो, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है।' उमैर बिन हम्माम अन्सारी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' उसने कहा, वाह-वाह। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा, 'तुम वाह-वाह कलिम-ए-तहसीन क्यों कह रहे हो?' उसने कहा, नहीं अल्लाह की क़सम ऐ अल्लाह के रसूल! इस उम्मीद पर कि मैं भी उसके बाशिन्दों में दाख़िल हूँ।' आपने फ़रमाया, 'तू अहले जन्नत में से है।' तो उसने अपने तरकश से चंद खजूरें निकालीं और उन्हें खाने लगा, फिर कहा, अगर मैं इन खजूरों के खाने तक ज़िन्दा रहा तो ये तो बहुत लम्बी ज़िन्दगी होगी और वो खजूरें जो उसके पास थीं, फेंक दीं और दुश्मन से लड़ने लगा, यहाँ तक कि क़त्ल कर दिया गया। (अबू दाऊद : 2618)

मुफ़रदातुल हदीस़ : तलिबह : मतलूबा ज़रूरत, **क़र्न :** तरकश

फ़ायदा : अबू सुफ़ियान एक बहुत बड़ा तिजारती क़ाफ़िला लेकर शाम से वापस आ रहा था, जिसके साथ सिर्फ़ तीस चालीस आदमी थे, आपने उसके हालात से आगाही के लिये जासूस रवाना किया, फिर उसकी रिपोर्ट पर मतलूबा चीज़ से आगाह किये बग़ैर निकलने का हुक्म दिया ताकि ख़बर आम न हो जाये और फ़ौरन पीछा करने की बिना पर लोगों को जमा करने के लिये कुछ इन्तिज़ार नहीं किया और क़ाफ़िले का मक़सद पीछा करना था, इसलिये उसके लिये कोई ख़ास एहतिमाम और तैयारी नहीं की और हज़रत उमैर ने जन्नती होने की पेशीनगोई सुनकर चंद खजूरें खाने के लिये वक़्त ख़र्च करना भी गवारा नहीं किया और उन्हें फेंक कर वहाँ जाने के लिये तैयार हो गये और दुश्मन से जा टकराये, लेकिन इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है कि आपको ये पता था कौन जन्नती है और कौन दोज़ख़ी है, क्योंकि इसका मदार वह्य पर था।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ، بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ " . فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ . ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ .

(4916) अबू बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस (रह.) से रिवायत है कि मैंने अपने बाप से दुश्मन के सामने ये कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बिला शुब्हा जन्नत के दरवाज़े तलवारों के साये तले हैं।' तो एक परागन्दा हालत आदमी खड़ा होकर पूछने लगा, ऐ अबू मूसा (अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस की कुन्नियत है) क्या तूने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है? उन्होंने कहा, हाँ! तो वो अपने साथियों के पास वापस आकर कहने लगा, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ, फिर अपनी तलवार की मियान तोड़कर फेंक दी। फिर अपनी तलवार लेकर दुश्मन की तरफ़ चल पड़ा और उससे चोट लगाई यहाँ तक कि क़त्ल कर दिया गया।

(तिर्मिज़ी : 1659)

फ़ायदा : अगर कोई बहादुर और जरी इंसान, दुश्मन को नुक़सान पहुँचाने के लिये अकेला ही उसके अंदर घुस जाये और शहीद हो जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर अकेला उनका कुछ बिगाड़ न सकता हो, बल्कि पकड़े जाने का अन्देशा हो जिससे मुसलमानों को नुक़सान पहुँच सकता हो, तो फिर ऐसा करना दुरुस्त नहीं है।

(4917) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि कुछ लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आकर कहने लगे, आप हमारे साथ कुछ आदमी रवाना फ़रमायें, जो हमें क़ुरआनो-सुन्नत की तालीम दें। तो आपने उनकी तरफ़ सत्तर अन्सारी आदमी रवाना फ़रमाये, जिन्हें क़ुर्रा (क़ुरआन पढ़ाने वाले) कहा जाता था, उनमें मेरे मामू हराम (रज़ि.) भी थे। ये लोग क़ुरआन मजीद पढ़ते थे और रात को क़ुरआन मजीद पढ़ाते और सीखते और दिन को पानी लाकर मस्जिद में (लोगों के इस्तेमाल के लिये) रखते और लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचते और उस रक़म से अहले सुफ़्फ़हे और मोहताजों के लिये ख़ूराक ख़रीदते। तो नबी(ﷺ) ने उन्हें (उनकी क़ौम की तरफ़) भेज दिया। दुश्मन उनके सामने आया और उन्हें मुक़र्ररह जगह तक पहुँचने से पहले क़त्ल कर डाला। तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह! हमारी तरफ़ से हमारे नबी को पैग़ाम पहुँचा दे कि हम तुझे मिल चुके हैं, हम तुझसे राज़ी हैं और तू हमसे राज़ी हो गया है। हज़रत अनस (रज़ि.) के मामू हराम (रज़ि.) के पीछे से एक आदमी आया और उन्हें इस तरह नेज़ा मारा कि वो पार हो गया, तो हज़रत हराम (रज़ि.) ने कहा, रब्बे कअबा की क़सम! मैंने मन्ज़िल को पा लिया। और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ‏.‏ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ ‏.‏ فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا - قَالَ - وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ ‏.‏ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ ‏"‏ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا

وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا " .

साथियों को बताया, 'तुम्हारे भाई शहीद कर दिये गये हैं और उन्होंने दुआ की है, ऐ अल्लाह! हमारी तरफ़ से हमारे नबी को पैग़ाम पहुँचा दे कि हम तुझे मिल चुके हैं और तुझसे राज़ी हो गये हैं और तू हमसे राज़ी हो गया है।'

फ़ायदा : ये बिअ्रे मऊना का वाक़िया है कि अबू बराअ आमिर बिन मालिक जो मलाइबुल अस्सनह के नाम से मशहूर था। आपने उसके कहने पर उन मुसलमानों को कुरआन व सुन्नत की तालीम देने और काफ़िरों में तब्लीग़ करने के लिये सत्तर कुर्रा (कारियों) को रवाना फ़रमाया। हज़रत हराम बिन मल्हान (रज़ि.) आपका ख़त लेकर अबू बरा आमिर के भतीजे आमिर बिन तुफ़ैल के पास गये। उसने ख़त देखे बग़ैर ही उनको शहीद कर दिया और अपनी क़ौम को उन मुसलमानों पर हमला करने के लिये पुकारा, लेकिन उन्होंने अबू बराअ के अहद की बिना पर उसकी बात मानने से इंकार कर दिया। तो उसने बनू सुलैम के क़बीले उसय्या, रिअ्ल और ज़क्वान को बुलाया, वो हमले के लिये तैयार हो गये और मुसलमानों को घेर कर क़त्ल कर डाला, तफ़्सील अर्रहीकुल मख़्तूम में देखें।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ عَمِّيَ الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدْرًا - قَالَ -فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُيِّبْتُ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَرَانِيَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ - قَالَ - فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا - قَالَ - فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ - قَالَ - فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ

(4918) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरा वो चाचा जिसके नाम पर मेरा नाम रखा गया रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ जंगे बद्र में शरीक न हो सका और ये चीज़ उसके लिये बहुत नागवारी का बाइस बनी कि पहला मअ्रका जिसमें रसूलुल्लाह(ﷺ) शरीक हुए, मैं उससे ग़ैर हाज़िर रहा। अगर अल्लाह तआला ने इसके बाद मुझे कोई मअ्रका रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ में दिखाया तो अल्लाह तआला देखेगा, मैं क्या मअ्रका सर अन्जाम देता हूँ (मैं कैसी लड़ाई करता हूँ), इसके सिवा वो कुछ कहने से ख़ौफ़ज़दा हुए। फिर वो जंगे उहुद में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ शरीक हुए उनके सामने से हज़रत सअ्द बिन मुआज़ (रज़ि.) आये तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने उनसे कहा, ऐ अबू अम्र! किधर जा रहे हो? फिर कहा, हसरत है

بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ فَقَالَ وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ - قَالَ - فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ - قَالَ - فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ - قَالَ - فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِيَ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلاَّ بِبَنَانِهِ . وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ } رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً{ قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ .

(तुम पर) मैं उहुद के पीछे से जन्नत की ख़ुश्बू महसूस कर रहा हूँ और दुश्मन से टकरा गये, यहाँ तक कि क़त्ल कर दिये गये। तो उनके जिस्म पर तलवार, नेज़ा और तीर के अस्सी (80) से ज़्यादा ज़ख़्म पाये गये। तो उनकी बहन और मेरी फूफी रबीअ़ बिन्ते नज़र ने बताया, मैंने अपने भाई को सिर्फ़ उनके पोरों से पहचान की और उनके हक़ में ये आयत उतरी, 'उनमें से कुछ ऐसे मर्दाने मैदान हैं, जिन्होंने अल्लाह से अपने किये हुए अ़हद को सच कर दिखाया, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नज़्र पूरी कर डाली और उनमें से कुछ इसके मुन्तज़िर हैं और उन्होंने उसमें किसी क़िस्म की तब्दीली नहीं की।' (सूरह अहज़ाब : 23) सहाबा किराम समझते थे कि ये उनके और उनके साथियों (शुहदाए उहुद) के बारे में उतरी है। (तिर्मिज़ी : 3200)

باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

बाब 42 : जिसने इसलिये लड़ाई लड़ी ताकि अल्लाह का बोल-बाला हो, वही अल्लाह की राह में लड़ने वाला है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، الأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلاً، أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ

(4919) हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक बद्दू आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! एक आदमी माले ग़नीमत की लालच पर लड़ता है, दूसरा आदमी नामवरी के लिये कि मेरा चर्चा हो, लड़ता है। तीसरा आदमी अपनी जंगी महारत दिखाने के लिये लड़ता है, तो अल्लाह की राह में लड़ने

يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

वाला कौन है? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इसलिये लड़ता है कि अल्लाह का बोल बुलंद व बाला हो, वही अल्लाह की राह में लड़ने वाला है।'

(सहीह बुख़ारी : 2810, 3126, 7458, अबू दाऊद : 2517, 2518, तिर्मिज़ी : 1646, नसाई : 6/23, इब्ने माजह : 2783)

फ़ायदा : लोग लड़ाई में अलग-अलग ग़र्ज़ और मक़सद या फ़ायदे के लिये हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये पोशीदा होते हैं। इसलिये आपने सब लड़ने वालों के सामने एक आइना पेश फ़रमा दिया, जिसमें इंसान अपनी असली शक्ल ख़ुद-बख़ुद देख सकता है या इस कसौटी पर वो ख़ुद अपने आपको परख सकता है और दूसरे भी क़राइन और आसार से कुछ न कुछ राय क़ायम कर सकते हैं, उसूल और ज़ाबता ये है कि जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और रिफ़अत (ऊँचाई) के लिये जिहाद में हिस्सा लेता है, कोई और ग़र्ज़ या फ़ायदा जुड़ा नहीं है, तो वो वाक़ेई अल्लाह की राह में लड़ता है। लेकिन अगर वो ग़नीमत के लिये, इज़हारे शुजाअत (बहादुरी) के लिये, रिया व समअ के लिये, ख़ानदानी ग़ैरत या इश्तिआल में आकर लड़ता है, तो ये फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है, दुनियवी ग़र्ज़ और फ़ायदा हैं जो हासिल हो सकते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي، مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَىُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

(4920) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की सनद से हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया, आदमी शुजाअत (बहादुरी) दिखाने के लिये लड़ता है और ख़ानदानी ग़ैरत की ख़ातिर लड़ता है और दिखावे के लिये लड़ता है, उनमें से अल्लाह की राह में कौन है? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने इसलिये जंग लड़ी ताकि अल्लाह का बोल ही बुलंद हो तो वही अल्लाह की राह में लड़ता है।'

(4921) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से एक आदमी इज़हारे शुजाअत के लिये लड़ता है, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(4922) हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में लड़ने के बारे में सवाल किया पूछा, एक आदमी ग़ुस्से में आकर लड़ता है और ख़ानदानी हमियत की ख़ातिर लड़ता है, तो आपने उसकी तरफ़ सर उठाया और आपने सर सिर्फ़ इसलिये उठाया, क्योंकि वो खड़ा हुआ था, तो आपने फ़रमाया, 'जो इस लिये लड़ता है कि अल्लाह का बोल ही बाला हो, तो वही फ़ी सबीलिल्लाह लड़ता है।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي، مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ - وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

बाब 43 : जो शख़्स दिखावे और नमूदो-नुमाइश की ख़ातिर लड़ा, वो आग का हक़दार (अहल) होगा

باب مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

(4923) सुलैमान बिन यसार (रह.) बयान करते हैं कि लोग हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बिखर गये तो एक शामी सरबर आवर्दा या नातिल नामी शख़्स ने उनसे कहा, ऐ शैख़! हमें वो हदीस़ सुनाइये जो आपने बराहे रास्त रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी है। उन्होंने कहा, हाँ! मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا

الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ . وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ

'सबसे पहले क़यामत के दिन जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा, वो एक शहीद होने वाला आदमी है। उसे लाया जायेगा, तो अल्लाह तआला अपनी नेमतें उसे बतायेगा और वो उनका इक़रार करेगा, अल्लाह तआला पूछेगा, तूने इन नेमतों से क्या काम लिया (किन मक़ासिद के लिये इनको इस्तेमाल किया) है वो कहेगा, मैंने तेरी ख़ातिर जिहाद किया, यहाँ तक कि मुझे शहीद कर दिया गया। अल्लाह फ़रमायेगा, 'तू झूठ बोलता है, तूने तो सिर्फ़ इसलिये जिहाद में हिस्सा लिया, ताकि तेरी जुरअत के चर्चे हों, तो ये चर्चे हो गये।' फिर उसके बारे में हुक्म होगा और उसे ओन्धे मुँह घसीट कर दोज़ख़ में डाल दिया जायेगा और एक आदमी ने इल्म सीखा और सिखाया और क़ुरआन की क़िरअत करता रहा, उसे भी लाया जायेगा, अल्लाह तआला उसको अपनी नेमतों की पहचान करवायेगा और वो उनकी पहचान कर लेगा, अल्लाह उससे पूछेगा, तूने इनसे क्या काम लिया? (इनको किन मक़सदों के लिये इस्तेमाल किया) वो कहेगा, मैंने इल्म सीखा और उसे सिखाया और तेरी ख़ातिर क़ुरआन की क़िरअत की। अल्लाह फ़रमायेगा, 'तू झूठ कहता है, तूने तो इल्म इसलिये हासिल किया ताकि तुझे आ़लिम कहा जायेगा और तूने क़ुरआन पढ़ा, ताकि तुझे क़ारी कहा जायेगा, तो तेरा मक़सद हासिल हो चुका (तेरे आ़लिम और क़ारी होने का ख़ूब चर्चा हुआ)।' फिर उसके बारे में हुक्म होगा और उसे चेहरे के

فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ " .

बल घसीटकर जहन्नम में डाल दिया जायेगा और एक तीसरा आदमी होगा जिसको अल्लाह तआला ने भरपूर दौलत से नवाज़ा होगा और उसे हर क़िस्म का माल इनायत होगा, उसे भी लाया जायेगा और अल्लाह उसे अपनी नेमतों से आगाह फ़रमायेगा और वो उनका ऐतिराफ़ कर लेगा, अल्लाह तआला पूछेगा, तूने इनसे क्या काम लिया? वो कहेगा, मैंने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ तुझे ख़र्च करना पसंद था, मगर तेरी रज़ा के हुसूल की ख़ातिर मैंने वहाँ ख़र्च किया। अल्लाह तआला फ़रमायेगा, 'तूने झूठ कहा, दर हक़ीक़त तूने ये सब कुछ इसलिये किया ताकि तुझे सख़ी कहा जाये (तेरी फ़य्याज़ी और दाद व दहिश के चर्चे हों) सो तेरा ये मक़सद तुझे हासिल हो गया (दुनिया में तेरी सख़ावत और दाद व दहिश के ख़ूब चर्चे हुए)' फिर उसके बारे में हुक्म होगा और उसे चेहरे के बल घसीट कर आग में डाल दिया जायेगा।

(नसाई : 3137)

मुफ़रदातुल हदीस़ : नातिल : आगे बढ़ने वाला, इससे मुराद नातिल बिन क़ैस जुज़ामी है, जो फ़िलिस्तीनी था।

फ़ायदा : जिन आमाल को शोहरत व नुमूदो-नुमाइश के लिये किया जाता है, उनमें सबसे पहले शहीद, आलिम और मालदार के बारे में फ़ैसला होगा और अरकाने दीन, इबादात में सबसे पहले नमाज़ के बारे में फ़ैसला होगा और ज़ुल्म व सितम के कामों में सबसे पहले ख़ून (क़त्ल) का फ़ैसला होगा, इस तरह हर जगह इज़ाफ़ी अव्वलियत मुराद है। क्योंकि हर चीज़ की अव्वलियत उसकी अन्वाअ के ऐतबार से होती है और उन तीनों को झूठा कहा गया है, क्योंकि ये बातें ख़िलाफ़े वाक़िया थीं, ये मअ़सियत है या नहीं, इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस हदीस़ में जिन तीन आमाल का ज़िक्र है, यानी अल्लाह तआला की राह में जान की क़ुर्बानी और माल की क़ुर्बानी और इल्मे दीन

की तहसील व तालीम और क़ुरआन मजीद की तिलावत, ये तीनों आला दर्जे के अमल हैं। लेकिन आमाल की रूह और जान इख़्लासे निय्यत है। अगर इख़्लासे निय्यत के साथ ये अमल हों तो फिर बिला शुब्हा उनका सिला जन्नत के आला दरजात और अल्लाह तआला की रज़ा व ख़ुश्नूदी है, लेकिन यही आमाल जब दिखलावे और शोहरत व नामवरी के हुसूल के लिये किये गये, तो ये संगीन गुनाह ठहरे और सबसे पहले जहन्नम में झोंके जाने का बाइस बने, लेकिन अगर एक इंसान नेक अमल अल्लाह तआला की रज़ा और ख़ुश्नूदी के हुसूल के जज़्बे के तहत ख़ुलूसे निय्यत से करता है और उस नेक अमल की शोहरत हो जाती है और लोग उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं और उससे मुहब्बत व अक़ीदत का इज़हार करते हैं, तो ये भी अल्लाह तआला ही की तरफ़ से आख़िरत में मिलने वाले असल इनाम व इकराम से पहले इस दुनिया में नक़द सिला और उस बन्दे की अल्लाह के यहाँ मक़्बूलियत व महबूबियत की एक अलामत और उसके लिये ख़ुशख़बरी है, जैसाकि मुस्लिम शरीफ़ में ही आगे एक रिवायत आ रही है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल किया गया बतलाइये एक आदमी नेकी का काम करता है और लोग उसकी वजह से उसकी तारीफ़ करते हैं? आपने फ़रमाया, **'ये मोमिन को जल्द (दुनिया में) हासिल होने वाली ख़ुशख़बरी है।'** और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ही से सुनन तिर्मिज़ी में एक रिवायत है कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इंसान एक ख़ैर का काम करता है और उस पर ख़ुश होता है और जब लोगों को उसकी नेकी की इत्तिलाअ मिलती है तो वो उस पर ख़ुश होता है (कि लोगों को मेरी अच्छी बात की ख़बर हुई) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, **'उसको दो अज्र मिलेंगे, एक अज्र पोशीदगी और इख़्फ़ा (छिपे हुए) का और दूसरा अज्र ऐलानिया और इज़हार का।'**

وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ .

(4924) मुसन्निफ़ यही रिवायत अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

बाब 44 : जिसने जिहाद में हिस्सा लिया और उसको ग़नीमत मिली और जिसको ग़नीमत न मिली उनके सवाब की मिक़्दार

باب بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ، شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ " .

(4925) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो जमाअत अल्लाह की राह में जिहाद करती है और उन्हें ग़नीमत हासिल हो जाती है, तो उन्हें आख़िरत के अज्र से दो तिहाई अज्र मिल जाता है और उनका एक तिहाई हिस्सा रह जाता है और अगर उन्हें ग़नीमत नहीं मिलती तो उनका पूरा अज्र बाक़ी रहता है।'

(अबू दाऊद : 2497, नसाई : 6/18, इब्ने माजह : 2785)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अगर मुजाहिद ख़ुलूस निय्यत से जिहाद में हिस्सा लेता है, ग़नीमत उसका मतलूब व मक़सूद नहीं होती, लेकिन वो सहीह सालिम वापस आ जाता है और उसे ग़नीमत भी मिल जाती है, तो मुजाहिद के लिये जो तीन इनामात हैं, सलामती, ग़नीमत और आख़िरत का अज्र व सवाब, उनमें से दो इनामात वो हासिल कर लेता है और सिर्फ़ तीसरा बाक़ी रह जाता है, लेकिन अगर वो शहादत के मर्तबे पर फ़ाइज़ हो जाता है या ग़नीमत से महरूम हो जाता है, तो इस उसूल के मुताबिक़ कि अज्र बक़द्र मशक़्क़त व तकलीफ़ है, उसके अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा हो जाता है और ये खुली हक़ीक़त है कि जो बच न सका या उसे ग़नीमत न मिली उसकी मशक़्क़त व कुल्फ़त उससे ज़्यादा है, जो बच गया और ग़नीमत भी हासिल कर ली। जैसे अहले बद्र को अगर ग़नीमत हासिल न होती तो उनका अज्र व सवाब उससे भी ज़्यादा हो जाता जो उन्हें अब हासिल है। इसलिये इस हदीस से ये साबित नहीं हो सकता कि अहले उहुद का दर्जा अहले बद्र से बुलंद होना चाहिये, क्योंकि उनमें से बहुत से शहीद हो गये और बाक़ी रहने वालों को ग़नीमत नहीं मिली।

(4926) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो जिहाद में शिरकत करने वाली जमाअत या पार्टी जिहाद करती है और ग़नीमत हासिल करने के साथ सलामत रहती है, तो वो दुनिया में अपना दो तिहाई सिला हासिल कर लेते हैं और जो जमाअत या पार्टी ग़नमीत के हासिल करने से महरूम रहती है और नुक़सान उठाती है (शहादत या ज़ख़्म) तो उनका अज्र पूरा रहता है।'

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أُجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : तुख़िफ़क़ु : इख़्फ़ाक़ का मानी है इंसान जिहाद में हिस्सा ले, लेकिन ग़नीमत हासिल न कर सके। यानी उसके हुसूल में नाकाम रहे। तुसाब : वो दस्ता शहादत हासिल करता है या ज़ख़्मी होता है गोया महफ़ूज़ व सलामत नहीं रहा।

बाब 45 : रसूलुल्लाह(ﷺ) का फ़रमान है, 'आमाल का दारोमदार बस निय्यत पर है' इसमें जिहाद वग़ैरह तमाम आमाल दाख़िल हैं

باب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ." وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَعْمَالِ

(4927) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सब इंसानी आमाल का दारोमदार बस निय्यत पर है और आदमी को उसकी निय्यत के मुताबिक़ ही फल मिलता है, तो जिस शख़्स ने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हिज्रत की, (अल्लाह और उसकी रज़ा व ख़ुश्नूदी और इताअत के सिवा उसकी हिज्रत का कोई और मक़सद न था) तो उसकी हिज्रत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हुई

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

और उसको उसका अज्र व सवाब हासिल होगा और जिसने हिज्रत किसी दुनियवी मक़सद के लिये या किसी औरत से निकाह करने की ख़ातिर की, तो (उसकी हिज्रत अल्लाह और उसके रसूल के लिये न हुई बल्कि) उसी ग़र्ज़ के लिये हुई जिसके लिये उसने हिज्रत की।'

(सहीह बुख़ारी : 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, अबू दाऊद : 2201, तिर्मिज़ी : 1647)

फ़ायदा : ये हदीस इस्लाम में बुनियादी हैसियत की हामिल है, इसलिये कुछ अइम्मा ने इसको निस्फ़ुल इस्लाम (आधा इस्लाम) कुछ ने सुलुसुल इस्लाम (तिहाई इस्लाम) और कुछ ने रुबउल इस्लाम (चौथाई इस्लाम) क़रार दिया है और निय्यत का मानी है, जज़्बए मुहर्रिका या दाइया अमल है। इसलिये इस हदीस का असल मक़सद और मन्शा मुसलमानों पर इस हक़ीक़त को वाज़ेह करना है कि तमाम आमाले सालेहा के सलाह व फ़साद और मक़्बूलियत-मर्दूदियत (क़ुबूल होने और न होने) का मदार निय्यत पर है। यानी वही अमल सालेह होगा और उसी की अल्लाह के यहाँ क़द्रो-क़ीमत होगी, जिसका दाइया और मुहर्रिक इख़्लास और लिल्लाहियत होगा। बड़े से बड़ा अमल भी अगर इख़्लास और लिल्लाहियत से ख़ाली होगा, किसी और जज़्बे से किया गया होगा, वो सालेह और मक़्बूल न होगा। बल्कि किसी फ़ासिद निय्यत से किया होगा तो वो जहन्नम में जायेगा। जैसाकि ऊपर शहीद, आलिम और सख़ी के बारे में गुज़र चुका है। मन कानत हिज्रतुहू इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिज्रतुहू इलल्लाहि व रसूलिही में शर्त और जवाबे शर्त यकसाँ है और अरबी उस्लूब में ये अन्दाज़ ताकीद व एहतिमाम पर दलालत करता है और मुबाल्ग़े का मफ़्हूम पाया जाता है, जैसाकि अबू नज्म का क़ौल है, अना अबू नज्म व शेअरी शेअरी मैं अबू नज्म हूँ कि मेरा शेअर ही शेअर कहलाने का हक़दार है। अन्-त अन्-त तू ही दोस्त है कोई दूसरा दोस्ती और रफ़ाक़त में तेरा हम पल्ला नहीं हो सकता। क़ुरआन मजीद में, वमन ता-ब व अमि-ल सालिहन फ़इन्नहू यतूबु इलल्लाहि मताबा (सूरह फ़ुरक़ान : 71) (या मफ़्हूमे हाज़ा... मन कानत हिज्रतुन इला रसूलिही निय्यतन व क़सदन फ़हिज्रतुहू इला रसूलिही अज्रन व सवाबा) इस हदीस में ख़ुसूसी तौर पर निकाह का तज़्किरा है क्योंकि इसका पसे मन्ज़र यही है जैसाकि तबरानी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं, कान फ़ीना रजुलुन ख़-त-ब इम्रातन युक़ालु लहा उम्मे क़ैस... और ज़ुबैर बिन बुकार ने अख़्बारुल मदीना में रिवायत बयान की है... लेकिन ये रिवायत मुर्सल और ज़ईफ़ है क्योंकि मूसा बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस इससे दलील नहीं लेते। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 448)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ -وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى، بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(4928) इमाम साहब ने यही हदीस़ अपने सात और उस्तादों से बयान की है, सुफ़ियान की हदीस़ में है, मैंने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मिम्बर पर नबी(ﷺ) से बयान करते हुए सुना।

باب اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

बाब 46 : अल्लाह की राह में शहादत तलब करना पसन्दीदा अमल है

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ "

(4929) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स सिदक़ दिल (सच्चे दिल) से शहादत का मुतलाशी हो, उसे उसका दर्जा मिल जाता है, अगरचे उसे शहादत न मिले।'

फ़ायदा : शहादत की आरज़ू और तमन्ना करना, इस मक़सद के लिये नहीं है कि काफ़िर को मुसलमान पर ग़ल्बा हासिल हो, बल्कि इसका मक़सद ये है कि जिहाद के लिये जान का नज़राना पेश करने की

ज़रूरत है, क्योंकि इसके बग़ैर दुश्मन पर फ़तह हासिल करना और उसे शिकस्त से दोचार करना मुम्किन नहीं है, इसलिये एक मोमिन दिल में तहेदिल से ये जज़्बा रखता है कि इअलाए कलिमतुल्लाह और इस्लाम की सरबुलन्दी के लिये और मुसलमानों के काफ़िरों पर ग़ल्बा पाने और फ़तह हासिल करने के लिये अपनी जान का नज़राना पेश करूँ ताकि मेरे इस ईसार और क़ुर्बानी के नतीजे में मुसलमानों को मतलूबा नताइज हासिल हों, बहरहाल मक़सद ये है कि जान तो बहरे सूरत जानी है और अपने वक़्ते मुक़र्ररह पर जानी है। तो ये मेरी ख़ुशनसीबी है कि मेरी जान अल्लाह की राह में काम आये, अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों में ये जज़्बा पैदा करे ताकि उन्हें काफ़िरों पर ग़ल्बा और बरतरी हासिल हो क्योंकि कोई बुज़दिल और कोताह हिम्मत क़ुव्वते कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ، بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ " بِصِدْقٍ " .

(4930) हज़रत सह्ल बिन हुनैफ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान सच्चाई के साथ शहादत की अल्लाह से दरख़्वास्त करता है, अल्लाह उसे शहादत के मक़ामात पर पहुँचा देता है, अगरचे वो अपने बिस्तर पर फ़ौत हो।' अबू ताहिर की हदीस में सिद्क़ (सच्चाई) का लफ़्ज़ नहीं है।

(अबू दाऊद : 1520, तिर्मिज़ी : 1653, नसाई : 6112, इब्ने माजह : 2797)

फ़ायदा : हुस्ने निय्यत और दिल की गहराई से किसी अमल की तमन्ना और आरज़ू करना, इस क़द्र पाकीज़ा अमल है कि इंसान को अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से अमल के बग़ैर ही इसका सिला और अज्र इनायत फ़रमा देता है, अल्लाह तआला इख़्लासे निय्यत की तौफ़ीक़ बख़्शे।

बाब 47 : जो इंसान जिहाद में हिस्सा लिये और दिल में उसकी आरज़ू किये बग़ैर फ़ौत हो गया, वो क़ाबिले मज़म्मत है

باب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

(4931) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इस हालत में फ़ौत हुआ कि न उसने जंग की और न उसने अपने दिल से इसकी बात की तो वो एक क़िस्म के निफ़ाक़ पर मरा।' इब्ने सहम कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, हमारे ख़्याल में इसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर के साथ है।
(अबू दाऊद : 2502, नसाई : 6/8)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ " . قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : निफ़ाक़ की दो सूरतें हैं, निफ़ाक़े ऐतक़ादी और निफ़ाक़े अमली। जो इंसान जिहाद में हिस्सा नहीं लेता और न उसके दिल में कभी उसकी ख़्वाहिश पैदा हुई, तो वो मुनाफ़िक़ों वाला रवैया इख़्तियार करता है। जो हीलों-बहानों से पीछे रह जाते थे और उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर से नहीं है, हर दौर में ये बात है। आपके दौर के साथ ख़ास निफ़ाक़े ऐतक़ादी है, निफ़ाक़े अमली हर दौर में रहा है और आज भी मौजूद है, बल्कि बकसरत मौजूद है। इसलिये हर मुसलमान के दिल में हक़ीक़ी जिहाद के लिये आरज़ू और तड़प होनी चाहिये और जिहाद कलिमतुल्लाह की सरबुलन्दी का नाम है, सिर्फ़ ग़ैरत व हमियत का नाम नहीं है।

बाब 48 : उस इंसान का अज्र व सवाब जिसे बीमारी या किसी दूसरे उज़्र ने जिहाद में शिरकत से रोके रखा

باب ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ، مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَقَالَ " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ

(4932) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम एक ग़ज़्वे में नबी(ﷺ) के साथ हाज़िर थे, तो आपने फ़रमाया, 'बिला शुब्हा मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुमने जो मसाफ़त तय की है या वादी से गुज़रे हो वो तुम्हारे साथ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीमारी ने रोके रखा है।' (इब्ने माजह : 2765)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ، يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ وَكِيعٍ " إِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ " .

(4933) इमाम साहब अपने चार और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं, वकीअ की रिवायत में ये है, 'वो अज्र में तुम्हारे साथ शरीक हैं।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है अगर कोई इंसान नेक काम करने की निय्यत और इरादा कर लेता है, लेकिन फिर किसी उ़ज़्र की बिना पर वो काम नहीं कर सकता, तो वो उसके असल अज्र से महरूम नहीं रहता। अगरचे तज़्ईफ़ (इज़ाफ़ा) वाला स़वाब उसको नहीं मिलता है, जो बिल्फ़ैअ़ल या अ़मलन वो काम करता है, लेकिन निय्यत का पता उस हुज़्न व मलाल या उस रंज व अलम से हो सकता है, जो इंसान को किसी इ़बादत के छूट जाने पर लाहिक़ होता है।

बाब 49 : समुन्द्री जिहाद की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ " . يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَالَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . كَمَا قَالَ فِي

(4934) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे और वो आपको खाना पेश करती थीं और वो (वफ़ात के वक़्त) हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) की अहलिया थीं। एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) उसके यहाँ तशरीफ़ ले गये और उसने आपको खाना खिलाया। फिर बैठकर आपके सर से जूऐं देखने लगीं और रसूलुल्लाह(ﷺ) सो गये। फिर आप हँसते हुए बेदार हुए। तो उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस बिना पर हँस रहे हैं? आपने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए पेश किये गये, जो इस समुन्द्र की पुश्त (पीठ) पर इस तरह सवार होंगे जिस तरह बादशाह अपने तख़्तों पर बिराज्मान होते हैं।' (यानी वो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बहरी जंगी सफ़र करेंगे) या आपने मिस्ल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया रावी को शक है। उम्मे हराम (रज़ि.) कहती हैं, 'मैंने अ़र्ज़ की, अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ फ़रमायें कि वो मुझे भी उनमें शरीक करे। तो आपने उसके हक़ में दुआ फ़रमाई, फिर आप सर रख कर सो गये। फिर आप हँसते हुए बेदार हुए। तो वो कहती हैं मैंने

الأُولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ " . فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ .

पूछा, आप क्यों हँस रहे हैं? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए पेश किये गये हैं।' जैसाकि आपने पहली बार फ़रमाया था। तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ फ़रमायें कि वो मुझे उनमें से कर दे। आपने फ़रमाया, 'तू पहले गिरोह में दाख़िल है।' तो उम्मे हराम (रज़ि.) हज़रत मुआविया के दौर में समुन्द्र पर सवार हुईं और जब वो समुन्द्र से बाहर निकलीं, तो उन्हें सवारी ने गिरा दिया, जिससे वो फ़ौत हो गईं।
(सहीह बुख़ारी : 2788, 2789, 6282, 6283, 7001, अबू दाऊद : 2491, तिर्मिज़ी : 2491, नसाई : 3/219)

फ़ायदा : हज़रत उम्मे हराम (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) की महरम थीं, लेकिन इसकी कैफ़ियत में इख़्तिलाफ़ है। बक़ौल कुछ आपकी रज़ाई ख़ाला थीं और बक़ौल कुछ आपके बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब की ख़ाला थीं। क्योंकि उन्ही की वालिदा बनू नज्जार से थीं, इसलिये आप उसके यहाँ जाते और आपने उन्हें अपने ख़्वाब का वाक़िया सुनाया कि मेरी जमाअत के कुछ लोग बड़ी ठाठ-बाठ और शान व शौकत के साथ समुन्द्री जिहाद करेंगे। जिस पर उम्मे हराम (रज़ि.) ने भी उनमें शामिल होने की आरज़ू की, तो आपने उनके हक़ में दुआ फ़रमाई और फिर ये वाक़िया हज़रत उ़समान (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में 28 हिजरी में जबकि हज़रत मुआविया (रज़ि.) शाम के गवर्नर थे, पेश आया और वो आपकी उम्मत के सबसे पहले अमीरुल बहर थे और ये वाक़िया आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ पेश आया। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने हज़रत उ़मर (रज़ि.) से भी बहरी जिहाद की इजाज़त तलब की थी, लेकिन उन्होंने इजाज़त न दी। फिर हज़रत उ़समान (रज़ि.) से इजाज़त तलब की और उस पर इसरार करते रहे, जिसकी बिना पर उन्होंने इस शर्त के साथ इजाज़त दी, जो लोग राज़ी-ख़ुशी, ख़ुद-बख़ुद जाना चाहें, उन्हें ले जाओ। उन्होंने इसको कुबूल कर लिया, इस सफ़र में हज़रत उम्मे मिल्हान (रज़ि.) भी थीं, वो वापसी पर अपने ख़ाविन्द के साथ सवारी पर सवार हुईं और गिर कर मर गईं।

(4935) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) अपनी ख़ाला उम्मे हराम (रज़ि.) से बयान करते हैं, उसने बताया कि एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये और हमारे यहाँ क़ैलूला किया और हँसते हुए बेदार हुए। तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यों हँस रहे हैं? मेरे माँ-बाप आप पर निसार। आपने फ़रमाया, 'मुझे मेरी उम्मत के कुछ लोग दिखाये गये हैं, जो समुन्द्र की पुश्त पर इस तरह (इत्मीनान व सुकून से) सवार होंगे। जिस तरह बादशाह (ठाठ-बाठ के साथ) तख़्त पर बैठते हैं।' मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह से दुआ फ़रमायें वो मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फ़रमाया, 'तू उन्हीं में से है।' फिर आप सो गये और हँसते हुए बेदार हुए। तो मैंने उनसे पूछा, आपने पहले की तरह फ़रमाया, तो मैंने अर्ज़ की, अल्लाह से दुआ फ़रमायें, वो मुझे उनमें से कर दे। आपने फ़रमाया, 'तू पहले लोगों में से है।' बाद के दौर में उनसे हज़रत उ़बादा बिन सामित (रज़ि.) ने शादी कर ली और बहरी ग़ज़्वे के लिये निकले तो साथ में उनको सवार कर लिया। जब वापस आने लगीं, तो उनके लिये ख़च्चर पेश की गई, वो उस पर सवार हो गईं। उसने उन्हें गिरा दिया, जिससे उनकी गर्दन टूट गई।

(सहीह बुख़ारी : 2799, 2800, 2877, 2878, 2894, 2895, अबू दाऊद : 2490, 2892, नसाई : 6/41, 42, इब्ने माजह : 2776)

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ، وَهِيَ خَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ " أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ " . فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ " فَإِنَّكِ مِنْهُمْ " . قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ " . قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا .

(4936) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) अपनी ख़ाला उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (रज़ि.) से रिवायत करते हैं उसने बताया, एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे क़रीब ही सो गये। फिर मुस्कुराते हुए उठे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यों हँस रहे हैं? आपने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर पेश किये गये, वो इस सब्ज़ समुन्द्र की पुश्त पर सवार होंगे।' आगे मज़्कूरा बाल रिवायत है, जैसाकि हम्माद बिन ज़ैद ने बयान की है।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ - قَالَتْ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْضَرِ " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

(4937) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरी ख़ाला मिल्हान की बेटी के यहाँ तशरीफ़ लाये और उसके पास सर रख दिया (सो गये) आगे इस्हाक़ बिन अबी तलहा और मुहम्मद बिन यहया बिन हब्बान की रिवायत के हम मानी रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أَنَسٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ .

बाब 50 : अल्लाह की राह में पहरा देने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(4938) हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'एक दिन, रात सरहदी

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا

لَيْثٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ " .

चोकी पर पहरा देना, एक माह के रोज़े और क़ियाम से बेहतर है और अगर वो इस हालत में फ़ौत हो गया, तो वो जो अमल करता था, वो उसके लिये जारी रहेगा और उसका रिज़्क़ जारी कर दिया जायेगा और वो क़ब्र के आज़माइश करने वाले से महफ़ूज़ रहेगा।'
(नसाई : 3168)

मुफ़रदातुल हदीस : अल्फ़त्तान : अगर फ़ा पर पेश हो तो फ़ातिन की जमा होगा और अगर फ़ा पर ज़बर हो तो ये मुबाल्ग़े का सेग़ा होगा।

फ़ायदा : इस हदीस़ से सरहद पर पहरा देने की फ़ज़ीलत नुमायाँ हो रही है, क्योंकि मरने के बाद मरने वाले के अमल कट जाते हैं लेकिन जो सरहद पर पहरा देते हुए फ़ौत होता है, उसके अमल जारी रहते हैं और ये एक ऐसा इम्तियाज़ (फ़र्क़) है, जिसमें और कोई शरीक नहीं है, इसलिये कुछ रिवायात में ये सराहत मौजूद है कि सरहद पर पहरा देने वाले के सिवा हर शख़्स का अमल मौत से मुन्क़तअ हो जाता है, लेकिन सरहदी मुहाफ़िज़ का अमल क़यामत तक बढ़ता रहता है, गोया ये अमल उसके लिये सदक़-ए-जारिया बनता है।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى .

(4939) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से हज़रत सलमान ख़ैर (रज़ि.) की रसूलुल्लाह(ﷺ) से अय्यूब बिन मूसा के हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

बाब 51 : शहीदों का बयान

باب بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

(4940) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक आदमी रास्ते पर चल रहा था कि इस दौरान उसने रास्ते पर एक ख़ारदार टहनी देखी, तो उसने उसे वहाँ से हटा दिया। अल्लाह तआला ने उससे इस अमल की क़द्रदानी करते हुए बख़्श दिया।' और आपने फ़रमाया, 'शहीद पाँच हैं, ताऊन से मरने वाला, पेट की बीमारी से मरने वाला, डूबने वाला, किसी चीज़ के नीचे दब कर मरने वाला और अल्लाह की राह में शहीद होने वाला।'

(सहीह बुख़ारी : 2363, 2466, 6009, अबू दाऊद : 2550)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " . وَقَالَ " الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की पहली हदीस़ से साबित होता है, आने-जाने के रास्ते से किसी तकलीफ़ देह चीज़ को दूर कर देना अल्लाह के यहाँ बहुत पसन्दीदा अमल है जो इंसान की काया पलटने का बाइस़ बन सकता है और दूसरी हदीस़ से मालूम होता है कुछ मौतें ऐसी हैं जो इंसान के अज्र व सवाब में इज़ाफ़े का बाइस़ बनती हैं और उनको शहादत से ताबीर किया गया है, इस हदीस़ में उनकी तादाद पाँच शुमार की गई है, लेकिन इनमें बतदरीज इज़ाफ़ा होता रहा है, कुछ ने इसकी तादाद पचास तक शुमार की है।

(4941) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा, 'तुम किसको शहीद समझते हो?' सहाबा किराम ने जवाब दिया, जो अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाये, तो वो शहीद है। आपने फ़रमाया, 'इस सूरत में तो मेरी उम्मत के शहीद थोड़े होंगे।' सहाबा किराम ने पूछा, तो

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ " إِنَّ شُهَدَاءَ

أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ " . قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ " . قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ " وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ" .

वो शहीद कौन हैं? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'जो अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाये, वो शहीद है और जो अल्लाह के रास्ते में फ़ौत हो गया वो शहीद है और जो ताऊन में मर गया, वो शहीद है और जो पेट के सबब मर गया वो शहीद है।' इब्ने मिक़्सम ने सुहैल को कहा, मैं तेरे बाप के बारे में गवाही देता हूँ उसने इस हदीस़ में ये कहा, 'और डूबने वाला शहीद है।'

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4942) इमाम साहब एक और उस्ताद से सुहैल की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, हाँ उसने अपनी हदीस़ में कहा, सुहैल ने कहा, उबैदुल्लाह बिन मिक़्सम ने बताया, मैं तेरे भाई के बारे में गवाही देता हूँ कि मैंने इस हदीस़ में ये इज़ाफ़ा किया, 'और जो डूब गया वो शहीद है।'

नोट : अ़ला अख़ी-क की जगह अ़ला अबी-क ही दुरुस्त है, जैसाकि ऊपर की रिवायत में गुज़र चुका है और अगली सनद से भी आ रहा है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ، فِيهِ "وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ".

(4943) इमाम साहब एक और उस्ताद से, सुहैल की ही सनद से बयान करते हैं और इस हदीस़ में ये है, सुहैल ने कहा, मुझे उबैदुल्लाह बिन मिक़्सम ने अबू सालेह (जो सुहैल का बाप है) से ये इज़ाफ़ा सुनाया, 'डूबने वाला शहीद है।'

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ

(4944) हफ़्सा बिन्ते सीरीन (रह.) बयान करती हैं, मुझसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने पूछा, यहया बिन अबी अ़म्रह

حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِمَا مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَتْ قُلْتُ بِالطَّاعُونِ . قَالَتْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

किस बीमारी से फ़ौत हुआ? मैंने कहा, ताऊन से। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ताऊन हर मुसलमान के लिये शहादत है।'

(सहीह बुख़ारी : 5732, 2830)

फ़ायदा : अबू अम्रह हज़रत सीरीन की कुन्नियत है और यहया, हफ़्सा बिन्ते सीरीन का भाई था। इस हदीस़ से मालूम होता है, ये इस्लाम का फ़ैज़ और बरकत है कि कुछ क़िस्म की मौत एक मुसलमान के लिये शहीद का इस्मे गिरामी हासिल करने का सबब बनती हैं और वो शहादत के नाम के शर्फ़ से मुशर्रफ़ होता है।

وَحَدَّثَنَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

(4945) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

باب فَضْلِ الرَّمْيِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

बाब 52 : तीरअन्दाज़ी की फ़ज़ीलत, इस पर उभारना और जो इसे सीखकर भूल जाये उसकी मज़म्मत करना

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ "

(4946) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मिम्बर पर ये फ़रमाते हुए सुना, 'जहाँ तक तुम्हारे बस में है, उनके लिये क़ुव्वत (ताक़त, अस्लहा) तैयार करो। ख़बरदार! क़ुव्वत, तीरअन्दाज़ी है। ख़बरदार! क़ुव्वत तीरअन्दाज़ी है, ख़बरदार! क़ुव्वत तीरअन्दाज़ी है।'

(अबू दाऊद 2514, इब्ने माजह : 2813)

फ़ायदा : रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में बेहतरीन इक़्दामी और दिफ़ाई अस्लहा तीरअन्दाज़ी था, जिसके ज़रिये दुश्मन को नुक़सान पहुँचाया जा सकता था। इससे मालूम होता है, अपने-अपने दौर के अस्लहे

से बेहतरीन हथियार तैयार करने और उसमें महारत हासिल करने की तल्क़ीन की गई है, इसका असल मानी फेंकना है, इसलिये इसके तहत हर क़िस्म का फेंकने वाला अस्लहा आ जाता है।

(4947) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जल्दी तुम्हारे लिये अलग-अलग इलाक़े फ़तह किये जायेंगे और अल्लाह तुम्हारे लिये काफ़ी होगा, सो तुममें से कोई अपने तीरों से मशग़ूल रहने से बस न हो।'

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ" .

(4948) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

फ़ायदा : आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ मुसलमानों को जल्द ही फ़ुतूहात हासिल होने वाली थीं और रोमी लोग बहुत बड़े तीरअन्दाज़ थे। इसलिये मुसलमानों के लिये ज़रूरी था, वो तीरअन्दाज़ी में महारत पैदा करते, ताकि रोमियों से जंगों में, इससे सही फ़ायदा उठा सकते और असल ऐतमाद और भरोसा मुसलमान का अल्लाह तआ़ला पर होगा, वही मुसलमानों को दुश्मन के शर से महफ़ूज़ फ़रमाता है और तीरअन्दाज़ी को लह्व (खेल, तमाशा) से ताबीर किया गया है ताकि इसकी तरफ़ मैलान में आसानी पैदा हो।

(4949) फ़ुक़ैम लख़मी (रह.) ने हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (रज़ि.) से कहा, आप इन दो निशानों के दरम्यान आते-जाते हैं और आप बूढ़े हैं, आपके लिये ये मुश्किल (मशक़्क़त का) काम है। हज़रत उ़क़्बा (रज़ि.) नें कहा, अगर मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ، أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ، قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ . قَالَ عُقْبَةُ لَوْلاَ كَلاَمٌ

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أُعَانِهِ . قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لاِبْنِ شُمَاسَةَ وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ " مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى " .

से एक बात न सुनी होती तो मैं ये मशक़्क़त न झेलता। हारिस़ कहते हैं, मैंने इब्ने शुमासा से पूछा, वो क्या बात है? उसने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने तीरअन्दाज़ी सीखने के बाद उसे छोड़ दिया, वो हममें से नहीं है' या फ़रमाया, 'उसने नाफ़रमानी की।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, जंगी अस्लहे की तर्बियत हासिल करके उसको नज़र अन्दाज़ कर देना बहुत बड़ा जुर्म है।

باب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ«

बाब 53 : हुज़ूर(ﷺ) का फ़रमान है, 'मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर क़ायम रहेगा, किसी की मुख़ालिफ़त से उसे नुक़सान नहीं पहुँचेगा'

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ " . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ " وَهُمْ كَذَلِكَ " .

(4950) हज़रत स़ोबान (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर क़ायम रहेगा, जो उनको बेयारो-मददगार छोड़ेगा, वो उनको नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आन पहुँचे और वो इस तरह होंगे।' क़ुतैबा की हदीस़ में हुम कज़ालि-क नहीं है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ : वो हक़ पर क़ायम रहेंगे या हक़ की बिना पर दूसरों पर ग़ालिब रहेंगे, कई बार क़ुव्वत व ताक़त से और कई बार दलील व बराहीन से। **(2)**

ख़ज़लहुम : उनकी मदद व हिमायत नहीं करेगा, उनकी मुख़ालिफ़त करेगा। (3) **हत्ता यअ्तिय अम्रुल्लाह :** यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से हवा चलेगी जो हर मोमिन की रूह क़ब्ज कर लेगा और बदतरीन लोग ही ज़िन्दा बचेंगे और ये क़यामत के वुक़ूअ के क़रीब चलेगी, इसलिये कुछ रिवायतों में हत्ता तक़ूमुस्साअ़त यहाँ तक कि क़यामत क़ायम हो जायेगी।

फ़ायदा : ज़ाहिरीन अ़लल हक़्क़ गिरोह से मुराद, अहले इल्म और मुहद्दिसीन और मुजाहिदीन का गिरोह है। अहले हदीस दीन का इल्मी दिफ़ाअ़ करते रहते हैं और मुजाहिदीन अ़मली तौर पर क़ुव्वत व ताक़त और जिहाद के ज़रिये दिफ़ाअ़ करते हैं, इसलिये जो अहले इल्म और मुजाहिदीन अल्लाह के दीन के लिये सीना सपर हैं, वो इल्मी और अ़मली जिहाद करते रहते हैं और करते रहेंगे, वही इसका मिस्दाक़ होंगे। इमाम अहमद, यज़ीद बिन हारून और इमाम बुख़ारी के नज़दीक इससे मुराद अहलुल हदीस और अस्हाबुल हदीस हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ " .

(4951) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से हज़रत मुग़ीरह् (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'मेरी उम्मत के कुछ लोग हमेशा लोगों पर ग़ालिब रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचेगा और वो ग़ालिब ही होंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 7311, 7459)

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً.

(4952) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मरवान की हदीस की तरह ही बयान करते हैं।

(4953) हज़रत जाबिर बिन समुरह् (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये दीन हमेशा क़ायम रहेगा और मुसलमानों की एक जमाअत, क़यामत के क़ायम होने तक इसकी ख़ातिर लड़ती रहेगी।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " .

(4954) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ की ख़ातिर लड़ता रहेगा, क़यामत तक वो ग़ालिब रहेंगे।'

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

(4955) उ़मैर बिन हानी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत मुआ़विया (रज़ि.) से मिम्बर पर ये कहते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा अल्लाह के दीन को थामे रखेगा, जो उनको बेयारो-मददगार छोड़ेगा या उनकी मुख़ालिफ़त करेगा, वो उनको नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचेगा और वो लोगों पर ग़ालिब ही होंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 3641, 7312)

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِئٍ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ " .

(4956) यज़ीद बिन असम बयान करते हैं कि मैंने मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) से मिम्बर पर इस हदीस के सिवा कोई हदीस नहीं सुनी थी, उन्होंने बताया रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला जिसके साथ किसी ख़ैर का इरादा करता है, उसे दीन की सूझ-बूझ अता फ़रमाता है और मुसलमानों की एक जमाअत हमेशा दीन की ख़ातिर लड़ती रहेगी, जो क़यामत तक अपने दुश्मनों पर ग़ालिब रहेगी।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) युफ़क़्क़िहहू फ़िद्दीन : उसे दीन की सूझ-बूझ और गहराई इनायत फ़रमायेगा वो दीन की हक़ीक़त और रूह को समझ जायेगा, उसके अंदर दीन समझने की भरपूर सलाहियत पैदा हो जाये।

(2) अला मन नावाहुम : जो उनसे दुश्मनी करेगा।

(4957) अब्दुर्रहमान बिन शुमासा महरी बयान करते हैं, मैं मुस्लिम बिन मुख़ल्लद (रज़ि.) के पास था और उनके पास हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) भी थे, तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बताया, क़यामत सिर्फ़ बुरे लोगों पर क़ायम होगी, जो अहले जाहिलिय्यत से भी बदतर होंगे, वो अल्लाह तआला से जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह उसको रद्द कर देगा।' मज्लिस इस तरह जमी हुई थी कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) भी आ गये, तो हज़रत

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَىْءٍ إِلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ

. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ . فَقَالَ عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَجَلْ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ فَلاَ تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

मस्लमा ने उनसे कहा, अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) जो कुछ कह रहे हैं सुनो! तो उ़क़्बा (रज़ि.) ने कहा, वो ख़ूब जानते हैं लेकिन मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 'मेरी उम्मत की एक जमाअ़त हमेशा अल्लाह के दीन की ख़ातिर लड़ती रहेगी, अपने दुश्मन पर ग़ालिब होंगे, क़यामत तक उनकी मुख़ालिफ़त करने वाला उनको नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा, वो इस हालत में रहेंगे।' तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, ठीक है। फिर अल्लाह तआ़ला कस्तूरी की ख़ुश्बू जैसी हवा भेजेगा, जो छूने में रेशम की तरह होगी और जिस इंसान के दिल में भी राई के दाने के बराबर ईमान होगा, उसकी जान क़ब्ज़ कर लेगी। फिर बदतरीन लोग रह जायेंगे और उन पर क़यामत क़ायम होगी (इसलिये दोनों हदीस़ में टकराव नहीं है)।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " .

(4958) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़ियामे क़यामत तक हमेशा अहले ग़र्ब हक़ पर क़ायम रहेंगे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : अहलुल ग़र्ब : से क्या मुराद है इसमें इख़्तिलाफ़ है। इब्ने मदीनी के नज़दीक इससे मुराद अहले अ़रब हैं। जो ग़र्ब (बड़ा डोल इस्तेमाल करते थे) कुछ के नज़दीक अहले ग़र्ब से मुराद अहले शाम हैं। जैसाकि उन्हीं रिवायात में आया है, कुछ के नज़दीक इससे मुराद अहलुत्तक़्वा वल्जद हैं जो जिहाद में कुव्वत व ताक़त का मुज़ाहिरा करेंगे। ज़ाहिरीन अ़लल हक़्क़ का एक मानी ये भी है, वो खुले आ़म हक़ का प्रचार करेंगे वो पोशीदा और छिपे नहीं होंगे।

बाब 54 : चलने में जानवरों की मस्लिहत का लिहाज़ रखना और रास्ते में रात को उतरने से मना करना (रात को रास्ते में पड़ाव करने से मना करना)

باب مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْىِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

(4959) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम सब्ज़े के मौसम में सफ़र इख़्तियार करो तो ऊँटों को ज़मीन से उनका हिस्सा दो और जब तुम ख़ुश्क साली में सफ़र करो तो तेज़ रफ़्तार को इख़्तियार करो और जब तुम रात को पड़ाव करो तो रास्ते पर उतरने से बचो, क्योंकि रात को वो ज़हरीले कीड़ों का ठिकाना होते हैं।'

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : हवाम : हामह् की जमा है, ज़हरीले कीड़े।

फ़ायदा : इस हदीस़ ने हमें आदाबे सफ़र सिखाये हैं कि जब जानवर पर सफ़र करो, तो उनके खाने-पीने का लिहाज़ रखो। अगर सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े का सफ़र हो तो जानवर को ज़्यादा दौड़ाना नहीं चाहिये और उसको चरने-चुगने का मौक़ा देना चाहिये। लेकिन अगर क़हतसाली का मौसम हो, रास्ते में चारा न हो तो फिर सफ़र में तेज़ रफ़्तारी इख़्तियार करके जल्द अपनी मन्ज़िले मक़सूद पहुँचने की कोशिश करना चाहिये। ताकि वहाँ जाकर उनको चारा पहुँचाया जा सके, इस तरह रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जानवरों से काम लेने के आदाब बताये हैं। आज उसके उम्मती ड्राइवरों के खाने-पीने और आराम व सहूलत का लिहाज़ नहीं रखते। नीज़ आपने फ़रमाया, 'रात को जब पड़ाव करना हो तो रास्ते के दरम्यान पड़ाव नहीं करना चाहिये।' क्योंकि मुम्किन है कुछ और लोग सफ़र कर रहे हों और उन्हें यहाँ से गुज़रना पड़े और उन्हें रास्ते की तंगी से परेशानी का सामना करना पड़ेगा और रास्ता अगर ख़ाली हो तो रात को हशरातुल अर्ज़ (ज़मीन के कीड़े-मकोड़े) अपने बिलों से निकलकर रास्ते में आ जाते हैं, इसलिये रास्ते में पड़ाव करने से उनके डसने का भी एहतिमाल होता है, इसलिये रात को रास्ते से हटकर पड़ाव करना चाहिये। इससे ये भी मालूम होता है, रास्ते में गाड़ियों का खड़ा करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि उससे गुज़रने वालों को तकलीफ़ होती है, इसलिये ट्राफिक के उसूल की पाबंदी ज़रूरी है। ताकि किसी को तकलीफ़ न हो और सड़कों को ब्लॉक करना, इस तरह गाड़ियों की पकड़-धकड़ जो मुसाफ़िरों के लिये परेशानी का बाइस़ बनती, जाइज़ नहीं है।

(4960) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम सब्ज़े में सफ़र करो, तो ऊँटों को ज़मीन से उनका हिस्सा दो और जब तुम क़हतसाली में सफ़र करो, तो उन्हें तेज़ चलाओ। ताकि उनकी क़ुव्वत कमज़ोर न पड़ जाये। (उनकी चर्बी ख़त्म न हो जाये) क्योंकि प्यास से चर्बी पिघल जाती है और जब तुम आख़िर रात में क़ियाम करो, तो रास्ते से एहतिराज़ करो, क्योंकि वो जानवरों का रास्ता और रात के ज़हरीले कीड़ों का ठिकाना होता है।'
(तिर्मिज़ी : 2858)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : तुरुकुद्दवाब्ब : जानवरों के रास्ते उसका मानी ये भी हो सकता है कि रात को दरिन्दे और ज़हरीले कीड़े रास्ते ख़ाली देख गिरी-पड़ी कोई चीज़ उठाने के लिये उन पर चलते हैं और ये भी मुराद लिया जा सकता है कि किसी और क़ाफ़िले वालों को वहाँ से गुज़रने की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसलिये रास्ते पर क़ियाम नहीं करना चाहिये।

बाब 55 : सफ़र अज़ाब (दुख, तकलीफ़) का टुकड़ा है, इसलिये मुसाफ़िरों को अपनी मसरूफ़ियत से फ़ारिग़ होते ही घर लौटना चाहिये

باب السَّفَرِ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

(4961) इमाम मालिक (रह.) के शागिर्द यहया बिन यहया तमीमी ने उनसे पूछा, क्या आपने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की ये रिवायत सुनी है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सफ़र अज़ाब का हिस्सा है, वो तुम्हें अपने सोने, अपने खाने और अपने पीने

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَىٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ " . قَالَ نَعَمْ .

से रोकता है, तो जब तुममें से कोई उस सफ़र से अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, फ़ौरन अपने घर लौट आये।' उन्होंने कहा, हाँ!

(सहीह बुख़ारी : 1804, 3001, 5429, इब्ने माजह : 2882)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) नह्मतहू : अपनी ज़रूरत व हाजत। **(2) मिन वजहिही :** सफ़र पर जाने से।

फ़ायदा : इंसान जब सफ़र पर होता है तो उसे सफ़री तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और अपने मामूलात से कट जाता है और आज-कल हादसात और दहशतगर्दी और डाके का ख़तरा भी रहता है। नीज़ नींद, खाने-पीने के तमाम मामूलात मुतास्सिर होते हैं, हर काम घर वाली सहूलत और आसाइश के साथ सर अन्जाम नहीं पाते, नीज़ अहलो-अयाल और दोस्त अहबाब की जुदाई भी रंज का बाइस बनती है। इसलिये बिला मक़सद और बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं रहना चाहिये। अगरचे सफ़र वसील-ए-ज़फ़र है और सफ़र की मशक़्क़तों से इंसान जफ़ाकशी का आदी बनता है और कड़वी दवाई की तरह वो सेहत का सबब बन जाता है। जैसाकि इमाम इब्ने बत्ताल ने एक मरफ़ूअ हदीस बयान की, 'साफ़िर तसिह्हू' सफ़र करो, सेहतयाब हो जाओ, अगरचे इसकी सनद में कलाम है। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, अगर उससे आगे बढ़ जाये तो वो फ़ायदे की बजाये नुक़सान पहुँचाती है।

باب كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلاً لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

बाब 56 : सफ़र से आने वाले के लिये, रात को घर पहुँचना नापसन्दीदा काम है

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً .

(4962) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रात को घर नहीं आते थे, वो उनके पास सुबह या शाम को तशरीफ़ लाते थे।

(सहीह बुख़ारी : 1800)

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لاَ يَدْخُلُ .

(4963) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उसमें ला यत्रुकु की बजाय ला यदख़ुलु है दोनों का मानी दाख़िल होना है।

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - أَىْ عِشَاءً - كَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ " .

(4964) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हम एक ग़ज़्वा में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे, तो जब हम मदीना पहुँचे हम घरों में दाख़िल होना चाहा, तो आपने फ़रमाया, 'ठहर जाओ! ताकि हम रात को (इशा के वक़्त) दाख़िल हों, ताकि परागन्दा बालों वाली बाल दुरुस्त कर ले और जिस औरत का शोहर ग़ायब था वो ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ कर ले।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है असल मक़सद रात या दिन को दाख़िल होने से रोकना नहीं है, बल्कि असल मक़सद ये है, लम्बे सफ़र के बाद जबकि औरत को ख़ाविन्द के आने का इल्म न हो, अचानक घर नहीं आना चाहिये। क्योंकि औरत ख़ाविन्द के घर में न होने से ज़ेबो-ज़ीनत करने से किनाराकश होती है, परागन्दा हालत में काम-काज के कपड़ों में मल्बूस होती है, उसी हालत में देखकर कई बार ख़ाविन्द के दिल में नफ़रत पैदा हो सकती है। इसलिये अगर ख़ाविन्द के आने के बारे में इल्म हो या सफ़र में ज़्यादा वक़्त न लगा हो तो फिर ख़ाविन्द किसी वक़्त भी आ सकता है। लेकिन आज तो औरतें दीनी आदाब के बरख़िलाफ़ ख़ाविन्द की ग़ैर हाज़िरी में ख़ूब बन-ठनकर रहती हैं, किसी दिन हार-सिंगार से ग़ाफ़िल नहीं होतीं। इसलिये सिर्फ़ बदनामी का सबब ही रोकने का बाइस़ हो सकता है कि ख़्वाह-मख़्वाह बदज़न्नी का शिकार होकर अचानक घर नहीं आना चाहिये।

(4965) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई रात को सफ़र से आये, तो अचानक रात को दरवाज़ा खटखटाये (इतना रुके) ताकि जिस औरत का ख़ाविन्द ग़ायब था वो ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ कर ले और परागन्दा बाल कंघी-पट्टी कर ले।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तस्तहिद्द : वो हदीद (उस्तरा) इस्तेमाल कर ले, मक़सद ये है कि ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ कर ले। इससे मालूम हुआ कि औरत उस्तरा (सेफ्टी) इस्तेमाल कर सकती है। **(2) मुग़ीबह :** जिसका ख़ाविन्द ग़ायब हो। **(3) शइस़ह :** परागन्दा बाल।

(4966) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4967) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि जब आदमी लम्बे अरसे तक ग़ायब रहे (फिर अचानक) रात को अपने घर आ जाये।
(सहीह बुख़ारी : 1801, 5243, अबू दाऊद : 2776)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا .

(4968) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(4969) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रात को इस ग़र्ज़ से घर आने से मना फ़रमाया कि वो उनकी ख़यानत

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ .

पकड़ना चाहे या उनकी लग़्ज़िशों का तजस्सुस करे।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) यतख़व्वनुहुम : उनको ख़ाइन समझकर उसकी टोह लगाये। **(2) अस़रात :** अस़रह की जमा है, लग़्ज़िश, ग़लती, मक़सद ये है कि बदज़न्नी करते हुए जासूसी के लिये अचानक रात को न आये। असल मक़सद ये ख़्वाह-मख़्वाह घर वालों के बारे में बदज़न्नी और बद ऐतमादी का शिकार नहीं होना चाहिये। इस बदज़न्नी और बद गुमानी से बचाने के लिये रात को अचानक आने से मना किया है। लेकिन आज तो मोबाइल की वजह से हर वक़्त राब्ता रहता है इससे इंसान किसी वक़्त भी घर आ सकता है घर वाले उसके लिये इन्तिज़ार में होंगे।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ لاَ أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ لاَ .يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ .

(4970) इमाम साहब यही हदीस़ एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इसमें ये है, सुफ़ियान कहते हैं, मुझे मालूम नहीं ये टुकड़ा हदीस़ में है या नहीं, 'घर वालों का तजस्सुस करे या उन कमज़ोरियों से आगाह हो।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ، جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ .

(4971) हज़रत जाबिर (रज़ि.) नबी(ﷺ) से अचानक रात को घर आने की कराहत बयान करते हैं, लेकिन इस हदीस़ में ये नहीं है, 'उनकी ख़यानत की जुस्तजू करे और उनकी लग़्ज़िशों, कोताहियों से आगाह हो।'

इस किताब के कुल बाब 12 और 92 हदीसें हैं।

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

किताबुस्सैदि वज़्ज़बाइहि वमा युअ्कलु मिनल हैवान

शिकार और ज़बीहे और जो जानवर खाने के लायक़ हैं

हदीस़ नम्बर 4972 से 5063 तक

किताबुस्सैदि वज़्ज़बाइह का तआरुफ़

जहाँ खेतीबाड़ी कसरत से न हो, वहाँ लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात का एक हिस्सा शिकार से पूरा होता है। ये ज़्यादातर सहराई, बर्फ़ानी और साहिली इलाक़ों में होता है। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इस्माईल (अलै.) और उनकी वालिदा को उसके घर के पास बेआबो-ग्याह इलाक़े में ला बसाया तो बड़े होकर हज़रत इस्माईल (अलै.) की गुज़रे औक़ात तीर कमान से शिकार किये हुए जानवरों के गोश्त पर होती थी जो ज़मज़म के पानी के साथ मिलकर मुकम्मल और क़ुव्वतबख़्श ग़िज़ा बन जाती थी।

अरबों के यहाँ शिकार के कई तरीक़े राइज थे, ज़्यादातर तीर-कमान से शिकार होता था और कुछ लोग सधाये हुए कुत्तों के ज़रिये से भी शिकार करते थे। समुन्द्र के किनारों पर बसने वाले मछली के शिकार के आदी थे।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शिकार के हवाले से जो बेमिसाल अहकाम दिये उनमें ज़्यादा ज़ोर पाकीज़गी, जानवरों पर शफ़क़त और अद्ल पर है। सधाया हुआ शिकारी कुत्ता बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा जाये तो उसका मारा हुआ हलाल जानवर, हलाल है। शर्त ये है कि उसने उस जानवर को सिर्फ़ आपके लिये शिकार किया हो। अगर शिकार किये हुए जानवर से थोड़ा सा भी उसने खुद खा लिया है तो वो इंसान के लिये हलाल नहीं क्योंकि ये उसने अपने लिये शिकार किया है। वो ख़ालिसतन इंसान का ज़रिय-ए-शिकार न था। अगर सधाये हुए कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता भी शिकार करने में शामिल हो गया और पता नहीं चलता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सधाये हुए कुत्ते ने शिकार किया है तो आप नहीं खा सकते, अगर किसी तरह के कुत्ते का शिकार ज़िन्दा मिल गया है और उसे ज़िब्ह कर लिया गया है तो हलाल है।

अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर चलाया है और उसके तेज़ हिस्से ने ज़ख़्मी करके शिकार को मार दिया है, तो हलाल है। अगर तेज़ हिस्से के बजाये कोई और हिस्सा शिकार को लगा है और वो ज़िन्दा आपके हाथ में नहीं लगा कि आप ख़ुद उसे ज़िब्ह कर लेते तो फिर वो हराम है क्योंकि वो चोट से मरा है। अगर तीर लगने के बाद वो पानी में जा गिरा या सधाये हुए कुत्ते ने उसका शिकार किया है और वो आपको पानी में पड़ा हुआ मिला है तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो ज़ख़्मी हालत में गिरा हो डूबकर मरा हो, ऐसा शिकार भी हलाल नहीं। अगर तीर का नोकीला हिस्सा लगने के बाद शिकार

आपको लम्बे वक़्फ़े के बाद मिला है तो जब मिले उसे खाया जा सकता है बशर्तेकि उसमें बदबू पैदा न हुआ हो।

अब अहमतरीन मसला ये है कि शिकार किन जानवरों और किन परिन्दों का किया जा सकता है। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के मौक़े पर बुनियादी उसूल बताया और उसका ऐलान भी करवाया। उसूल ये है कि कुचलियों वाले गोश्तख़ोर जानवर और पंजों से शिकार करने वाले (गोश्तख़ोर) परिन्दे हराम हैं। इस हुक्म के ऐलान के बावजूद हिजाज़ के लोग आम तौर पर इस हदीस़ से बेख़बर रहे। इत्तिफ़ाक़ ये हुआ कि जिन सहाबा ने ये हुक्म सुना और आगे बयान किया, जिहाद की ज़रूरतों की बिना पर वो शाम चले गये। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि शाम जाने से पहले हमें इस हदीस़ का बिल्कुल पता न था। (हदीस़ : 4988) इससे ये हक़ीक़त भी वाज़ेह हो जाती है कि कुछ इलाक़ों में जाहिली दौर से शिकार किये जाने वाले जानवरों में से ज़बअ (लगड़ बगड़) क्यों हलाल समझा जाता रहा हालांकि उसकी कुचलियाँ हैं, इसलिये वो दरिन्दा है और मुर्दार ख़ोर है। आबी जानवर जो सिर्फ़ पानी में ज़िन्दा रह सकते हैं और जिनकी शबीह ख़ुश्की पर हराम नहीं, वो सब हलाल है। उनको ज़िब्ह करने की भी ज़रूरत नहीं है। समुन्द्र से निकाल लिये जायें तो वो मर जाते हैं या मुर्दा हालत में मिलें तो हलाल हैं। चाहे बहुत बड़े आकार के हों। उनमें व्हेल मछली की सारी क़िस्में, यहाँ तक कि अम्बर भी सब हलाल हैं। इस उसूल के तहत शार्क भी हलाल हैं।

गोश्त आम ज़बीहे का हो, शिकार का हो या पानी के जानवर का, उसको सम्भालने के कई तरीक़े दुनिया में राइज रहे। एक मुअस्सिर और क़दीम तरीक़ा पहले गोश्त को आग पर पानी के साथ या उसके बग़ैर पकाना और इसी तरह उसका पानी ख़ुश्क कर लेना और फिर धूप में सुखा लेना भी था। मछली भी कई तरह से ख़ुश्क की जाती थी बल्कि अब भी की जाती है। इस तरह महफ़ूज़ (सुरक्षित) किया हुआ गोश्त जब तक दुरुस्त रहे, खाना जाइज़ है।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने पालतू गधों की हुरमत के बारे में कई सारी हदीसें बयान की है। घोड़े के गोश्त की हिल्लत पर रिवायत लाये हैं। वेस्ट एशिया के इलाक़ों में घोड़ा आम तरीन जानवर है जिसका दूध और गोश्त इस्तेमाल होता है। जिन लोगों ने इसको मक्रूह कहा है उनकी मुराद ये है कि जो आदी न हों वो इसके गोश्त और दूध से कराहत करते हैं। इसी तरह के कुछ और जानवर भी हैं। उनकी एक मिसाल 'ज़ब्ब' है, ये बालिश्त डेढ़ बालिश्त का एक घास खाने वाला जानवर है। कुछ लोगों ने 'ज़ब्ब' का तर्जुमा 'गोह' किया है जो बिल्कुल ग़लत है। गोह को अरबी में 'वरल' कहते हैं। ये ज़ब्ब या साण्डा सब सहराई इलाक़ों में खाया जाता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने भुना हुआ ज़ब्ब पेश किया गया तो आपने ये कहते हुए उसे खाने से इंकार कर दिया कि ये जानवर आपके इलाक़े में नहीं होता, इसलिये आप इससे

कराहत महसूस करते हैं। लेकिन आपने फ़रमाया, 'मैं इसे हराम नहीं करता।' आप ही के दस्तरख़्वान पर बैठे हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने इसे अपने आगे करके खा लिया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी इसी बात पर ज़ोर दिया कि ये सहराई चरवाहों की आम ग़िज़ा है और हलाल है। जो इसको खाने के आदी हैं वो आराम से खायें।

ज़ब्ब के हवाले से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तबई नापसन्दीदगी की ये वजह भी बताई कि बनी इस्राईल की एक उम्मत मस्ख़ होकर इसी क़िस्म के जानवरों में तब्दील हो गई थी, इसलिये दिल में ये ख़्याल आता है कि वो मस्ख़ होकर 'ज़ब्ब' ही में न तब्दील हुई हो। ऐसे ही जानवरों में जराद (टिड्डी) दल हैं। सहराई बाशिन्दे इसे खाते थे। सफ़र के दौरान में सहाबा किराम ने भी इसे खाया, ये हलाल है लेकिन कुछ लोगों को इससे घिन आती है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने ख़रगोश की हिल्लत के हवाले से भी हदीस पेश की है। ये ज़ी नाब या कुचलियाँ रखने वाला जानवर नहीं, ख़ालिस घास और सब्ज़ी खाने वाला जानवर है और हलाल है।

शिकार के तरीक़ों में से एक तरीक़ा पत्थर मार कर शिकार करना भी था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे नापसंद किया और इस बात का हुक्म दिया कि शिकार को या दूसरे जानवर को तेज़ छुरी के साथ अहसन (बेहतर) तरीक़े से ज़िब्ह करना चाहिये ताकि वो अज़ियत में न रहे। इमाम मुस्लिम (रह.) ने आख़िर में जानवरों पर शफ़क़त के हवाले से ये हदीस भी बयान की कि किसी जानवर को बांधकर भूखा-प्यासा मारना सख़्त गुनाह है।

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

35. शिकार और ज़बीहे और जो जानवर खाने के लायक़ हैं

باب الصَّيْدِ بِالْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةِ

बाब 1 : सधाये हुए कुत्तों से शिकार करना

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَىَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ " وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا " . قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ " إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ " .

(4972) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सधाये हुए कुत्ते छोड़ता हूँ और वो मेरे लिये शिकार रोक लेते हैं और मैं उस पर अल्लाह का नाम भी लेता हूँ। तो आपने फ़रमाया, 'जब तू अपना सधाया हुआ कुत्ता उस पर अल्लाह का नाम लेकर (बिस्मिल्लाह पढ़कर) छोड़े तो उसे खा ले।' मैंने सवाल किया, अगरचे वो क़त्ल कर डालें? आपने फ़रमाया, 'अगरचे वो क़त्ल कर डालें, जब तक उनके साथ कोई और कुत्ता शरीक न हो।' मैंने आपसे पूछा, मैं शिकार पर मिअराज़ फेंकता हूँ और उससे शिकार कर लेता हूँ? आपने फ़रमाया, 'जब तू मिअराज़ के साथ शिकार करे और वो उसे फाड़ दे (उसके अंदर

घुस जाये) तो उसे खा ले और अगर उसे चौड़ाई से लगे तो उसे न खा।'

(सहीह बुख़ारी : 5477, 7397, अबू दाऊद : 2847, तिर्मिज़ी: 1465, नसाई: 7/194, इब्ने माजह : 3215)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) मिअ्राज़ : मोटा डण्डा, वो तीर जिसका पर न हो, वो लाठी जिसका सर लोहे का हो या नोकदार लाठी। **(2) ख़ज़्क़ :** चीरकर उसके अंदर चला जाये, यानी उससे ख़ून निकाल दे।

फ़वाइद : (1) वो कुत्ता या शिकारी जानवर जिसको शिकार की तालीम दी जाये और वो शिकार की तालीम हासिल कर ले, शिकारी की बात तस्लीम करे, अगर उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर शिकार पर छोड़ा जाये और शिकार कर ले तो उसको खाना बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है। इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर ज़बीहा या शिकार पर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये, तो उस ज़बीहा और शिकार का खाना जाइज़ है और इमाम अहमद के नज़दीक ज़बीहा पर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये तो उसका खाना जाइज़ है। लेकिन सैद (शिकार) पर बिस्मिललाह पढ़ना भूल जाये तो उसका खाना जाइज़ नहीं है। (अलमुग़नी जिल्द 12, पेज नं. 290) लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ज़बीहा और शिकार पर बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। इसलिये अगर जान-बूझकर या भूलकर बिस्मिल्लाह न पढ़े तो खाना जाइज़ है। जुम्हूर उ़लमा का मौक़िफ़ ही दुरुस्त है कि जान-बूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ने की सूरत में खाना जाइज़ नहीं है, इमाम अहमद के नज़दीक स्याह कुत्ते का शिकार जाइज़ नहीं है। **(2)** जो शिकार मिअ्राज़ से किया जाये और वो चौड़ाई से लगे, जिससे शिकार से ख़ून न निकले तो वो मौक़ूज़ा के हुक्म में है जिसका खाना जाइज़ नहीं है। जुम्हूर अइम्मा अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़ वग़ैरह का यही मौक़िफ़ है। शिकारी बन्दूक़ से अगर ख़ून निकल जाये तो फिर उसका शिकार जाइज़ होगा। अगर गुलेल की तरह ख़ून न बहे, तो फिर ज़िब्ह के बग़ैर जाइज़ न होगा। (अल्मुग़नी, जिल्द 12, पेज नं. 283)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ، بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ

(4973) हज़रत अ़दी बिन हातिम (रज़ि.) बायन करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, हम ऐसे लोग हैं जो उन (सधाये हुए) कुत्तों से शिकार करते हैं? आपने फ़रमाया, 'जब तुम अपने सधाये हुए कुत्ते (शिकार पर) छोड़ो और उन पर अल्लाह का नाम लो (बिस्मिल्लाह पढ़ो) तो जो तुम्हारे लिये रोक लें (ख़ुद न खायें) खा लो, अगरचे वो उसे

قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ " .

क़त्ल ही कर डालें, इल्ला ये कि कुत्ता खा ले। अगर वो खा ले तो तुम न खाओ। क्योंकि मुझे अन्देशा है उसने अपने लिये शिकार किया है और अगर उनके साथ और कुत्ते मिल जायें तो न खाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 5483, 5487, अबू दाऊद : 2848, इब्ने माजह : 3208)

फ़ायदा : अगर शिकारी कुत्ता, शिकार को ख़ुद खाना शुरू कर देता है तो इसका मानी ये हुआ कि उसने शिकार अपने लिये किया है। शिकारी के लिये नहीं किया। इसलिये उसका खाना जाइज़ नहीं है। इस तरह अगर शिकार करने में दूसरे कुत्ते शरीक हो जाते हैं, जिनके बारे में ये मालूम नहीं है, वो सधाये हुए हैं या नहीं और उनको बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा गया है या वो ख़ुद ही दौड़ आये हैं, तो उनकी शराकत में किया हुआ शिकार खाना भी जाइज़ नहीं है, अगर कुत्ता ख़ुद शिकार खाना शुरू कर दे, तो इस हदीस़ की रू से इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक इसका खाना जाइज़ नहीं है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक खाना जाइज़ है। (अलमुग़नी, जिल्द 13, पेज नं. 263)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ " . وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ " . قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ "

(4974) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिअ़राज़ के बारे में सवाल किया? आपने फ़रमाया, 'अगर वो अपनी धार से शिकार कर ले तो खा लो और जब अपनी चौड़ाई से लगे और क़त्ल कर दे तो वो चोट ज़दा है, इसलिये न खाओ।' और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुत्ते के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया, 'जब तुम अपना कुत्ता बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ो तो खा लो और अगर वो उसे खा ले तो न खाओ, क्योंकि उसने उसे अपने लिये शिकार किया है।' मैंने कहा, तो अगर मैं अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाऊँ और मैं जान सकूँ उसे किसने शिकार किया है? आपने

فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " .

फ़रमाया, 'फिर न खाओ, क्योंकि तूने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी है और दूसरे कुत्ते पर अल्लाह का नाम नहीं लिया।'
(सहीह बुख़ारी : 2054, 5476, अबू दाऊद : 2854, नसाई : 7/183, 4317)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(4975) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ، أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ، ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ . بِمِثْلِ ذَلِكَ .

(4976) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ " . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ " مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ

(4977) हज़रत अ़दी बिन हातिम (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिअ़राज़ के शिकार के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया, 'जो शिकार अपनी धार से करे तो उसे खा लो और जो अपने अ़र्ज़ से करे तो वो चोट खाया हुआ है (जिसका खाना जाइज़ नहीं है)' और मैंने आपसे कुत्ते के शिकार के बारे में पूछा? तो आपने फ़रमाया, 'जो शिकार तेरे लिये करे और उससे ख़ुद न खाये तो उसे खा लो, क्योंकि

فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ " .

उसका पकड़ लेना ही उसको ज़िब्ह करना है और अगर तू शिकार के पास दूसरा कुत्ता पाये और तुम्हें ये डर हो शायद उसने साथ पकड़ा हो और उसको क़त्ल कर चुका है तो न खाओ, क्योंकि तूने अल्लाह का नाम अपने कुत्ते पर लिया है और दूसरे पर तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया है।'

(सहीह बुख़ारी : 5475, तिर्मिज़ी : 1471, नसाई : 7/180, 7/183, 7/195, इब्ने माजह : 4214)

फ़ायदा : अगर शिकारी कुत्ता शिकार को पकड़ लेता है और वो मर जाता है तो उसका पकड़ना ही बिल्इत्तिफ़ाक़ ज़िब्ह करना है, लेकिन अगर वो उसे ज़िन्दा पकड़ लेता है या उसमें इतनी देर तक ज़िन्दगी रहती है कि उसको ज़िब्ह किया जा सकता है तो फिर उसे ज़िब्ह करना होगा, इस तरह अगर शिकार करने में दूसरा कुत्ता शरीक हो और शिकार को ज़िब्ह कर लिया जाये तो वो जाइज़ होगा।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي، زَائِدَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

(4978) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، - وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلاً وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ . قَالَ " فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " .

(4979) इमाम शोबा (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से नहरैन मक़ाम पर जो हमारे पड़ौसी, जिगरी दोस्त और हमनशीन थे, सुना कि उसने नबी (ﷺ) से पूछा, मैं अपना कुत्ता शिकार पर छोड़ता हूँ और अपने कुत्ते के साथ एक और कुत्ता पाता हूँ, वो शिकार कर चुका है, मैं नहीं जानता किसने शिकार किया है? आपने फ़रमाया, 'तुम न खाओ क्योंकि तूने अपने कुत्ते पर अल्लाह का नाम लिया है और दूसरे पर अल्लाह का नाम नहीं लिया।'

(नसाई : 7/182, 7/183)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) दख़ील : शरीककार, जो इंसान के मामलात में हिस्सा ले। **(2) रबीत :** मुलाज़िम, हर वक़्त साथ रहने वाला या अपने आपको दुनिया से काटकर इबादत के लिये वक़्फ़ कर लिया हो। **(3) नहरैन :** जगह का नाम है।

फ़ायदा : इन हदीसों से मालूम होता है, अगर दूसरे कुत्ते के मालिक ने भी बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना कुत्ता छोड़ा हो और वो भी पहुँच जाये तो फिर वो शिकार खाना जाइज़ होगा।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ

(4980) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

(नसाई : 7/183)

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ "

(4981) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'जब अपना कुत्ता छोड़ो तो अल्लाह का नाम लो, अगर वो तेरे लिये रोक ले और तुम उसे ज़िन्दा पा लो तो उसे ज़िब्ह कर लो और अगर उसे इस हाल में पाओ कि उसने उसको क़त्ल कर डाला हो और उससे खाया नहीं है तो उसे खा लो और अगर अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता देखो और वो शिकार को क़त्ल कर चुका हो, तो न खाओ। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं उनमें से किसने उसे क़त्ल किया है और अपना तीर फेंको, तो अल्लाह का नाम लो और अगर शिकार तुमसे एक दिन ग़ायब रहे और उसमें अपने तीर के सिवा कोई निशान न देखो, तो अगर चाहो तो खा लो और अगर उसे पानी में डूबा हुआ पाओ तो न खाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 5484, अबू दाऊद : 2849, 2850, तिर्मिज़ी : 1469, नसाई : 7/182, 7/181, 7/179, 180, 7/192, 193, इब्ने माजह : 3213)

फ़ायदा : अगर इंसान तीर से शिकार खेलता है और शिकार तीर खाने के बाद ग़ायब हो जाता है और उसमें उसके तीर के सिवा कोई निशान नहीं है और शिकारी ने उसका पीछा किया है, बैठ नहीं गया तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसका खाना जाइज़ है, इमाम अहमद का मशहूर क़ौल यही है, शाफ़ेइया के नज़दीक जाइज़ नहीं है और इमाम मालिक का एक क़ौल है जाइज़ है और दूसरा क़ौल ये है अगर रात गुज़र जाये तो जाइज़ नहीं वरना जाइज़ है और डूबने की सूरत में चूंकि ये एहतिमाल है वो डूबने से मरा इसलिये जाइज़ नहीं है, जिससे मालूम होता है, अगर कहीं दो सबब जमा हो जायें, एक से एबाहत साबित हो और दूसरे से हुरमत, तो हुक्म हुरमत वाले सबब के मुताबिक़ लगाया जायेगा।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ قَالَ " إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ " .

(4982) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा? आपने फ़रमाया, 'जब तुम अपना तीर फेंको तो अल्लाह का नाम लो, फिर अगर उसे क़त्ल किया हुआ पाओ, तो खा लो। इल्ला (मगर) ये उसे पानी में गिरा हुआ पाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं, उसे पानी ने क़त्ल किया है या तीर ने।'

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ أَوْ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ

(4983) हज़रत अबू सअलबा ख़ुशनी (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऐसी सरज़मीन में हैं, जहाँ अहले किताब रहते हैं, उनके बर्तनों में खाते हैं और शिकारी ज़मीन है। मैं अपनी कमान से शिकार करता हूँ और अपने सधाये हुए कुत्ते से शिकार करता हूँ और अपने ऐसे कुत्ते से शिकार करता हूँ जो सधाया हुआ नहीं, तो मुझे बताइये उसमें से कौनसी चीज़ हमारे लिये हलाल है? आपने फ़रमाया, 'तुमने जो ये बयान किया है

ذَلِكَ قَالَ " أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ " .

कि तुम एक अहले किताब की सरज़मीन में रहते हो, उनके बर्तनों में खाते हो, तो अगर उनके बर्तनों के अलावा मुयस्सर हों तो उनमें न खाओ और अगर न मिलें तो उनको धो लो, फिर उनमें खा लो और जो तुमने ये बयान किया है कि तुम शिकार वाली ज़मीन में हो, तो जो शिकार अपनी कमान से अल्लाह का नाम लेकर करो, तो खा लो और जो शिकार अपने सधाये हुए कुत्ते से करो तो उस पर अल्लाह का नाम लो फिर खा लो और जो अपने ग़ैर सधाये हुए कुत्ते से करो उसे ज़िब्ह कर सको, तो खा लो।'

(सहीहबुख़ारी: 5478,5488, 5496, अबूदाऊद: 2855 तिर्मिज़ी: 1560, नसाई: 7/181, इब्नेमाजह: 3207)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، كِلاَهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ .

(4984) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं, मगर इब्ने वहब की हदीस में कमान के शिकार का ज़िक्र नहीं है।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, अहले किताब के बर्तन इस सूरत में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, जबकि दूसरे बर्तन दस्तयाब हों, अगर दूसरे बर्तन मुयस्सर हों, फिर उन लोगों के बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। फ़ुक़्हा इसको अदब व अख़्लाक़ पर महमूल करते हुए नह्ये तन्ज़ीही क़रार देते हैं, इसलिये उनके नज़दीक अहले किताब के बर्तन आम हालात में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर उनके बारे में ये इल्म हो उनमें कोई नजिस चीज़ नहीं डाली गई तो फिर धोये बग़ैर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर उनमें से कोई नजिस (पलीद) यानी ख़िन्ज़ीर और शराब वग़ैरह डाली गई हो तो उनको धोने के बाद इस्तेमाल किया जायेगा।

बाब 2: जब शिकार, शिकारी से ग़ायब हो जाये, फिर वो उसको पा ले

باب إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

(4985) हज़रत अबू स़अ़्लबा (रज़ि.) से रिवायत है नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम अपना तीर (शिकार पर) फेंको और शिकार तुमसे ओझल हो जाये, फिर तुम उसको पा लो, तो उसे खा लो, बशर्तेकि वो बदबूदार न हो।'
(अबू दाऊद : 2861, नसाई : 7/194)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ " .

फ़ायदा : बदबूदार चीज़ खाना जब तक वो नुक़सान का बाइस न हो, महज़ तिब्बी तौर पर नापसन्दीदा होने की बिना पर मक्रूहे तन्ज़ीही है, अगर नुक़सान की हद तक पहुँच जाये तो फिर जाइज़ नहीं है।

(4986) हज़रत अबू स़अ़्लबा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से उस शिकारी के बारे में बयान करते हैं जो अपने शिकार को तीन दिन के बाद पा लेता है, 'उसको खा ले बशर्तेकि उसमें बदबू न पैदा हो चुकी हो।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ " فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ " .

(4987) इमाम साहब अपने उस्ताद मुहम्मद बिन हातिम से अबू स़अ़्लबा (रज़ि.) की शिकार के बारे में हदीस़ बयान करते हैं, फिर मुहम्मद बिन हातिम दूसरी बार दूसरी सनद से पहली सनद की तरह हदीस़ बयान करके कहते हैं, उसमें बदबूदार होने का ज़िक्र नहीं है और कुत्ते के शिकार के बारे में कहा, 'अगर

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ . بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلاَءِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ " كُلْهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ "

बदबूदार न हो तो तीन दिन के बाद खा लो, वरना उसे छोड़ दो।'
(तिर्मिज़ी : 1464)

باب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

बाब 3 : हर कुचली वाला दरिन्दा और हर पन्जे से शिकार करने वाला परिन्दा खाना हराम है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي، ثَعْلَبَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ . زَادَ إِسْحَاقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ .

(4988) हज़रत अबू सअ़लबा (रज़ि.) बयान करते हैं नबी (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे के खाने से मना फ़रमाया। इस्हाक़ और इब्ने उमर ने अपनी हदीस में ज़ोहरी का क़ौल नक़ल किया है कि हमने ये हदीस शाम में आकर सुनी।
(सहीह बुख़ारी : 5530, 5780, अबू दाऊद : 3802, तिर्मिज़ी : 1477, नसाई : 7/200, 201, 7/204, इब्ने माजह : 3232)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि हर कुचली वाला दरिन्दा, जो इंसान पर हमलावर होता है, हराम है। जुम्हूर अइम्मा का यही मौक़िफ़ है और इमाम मालिक के नज़दीक अगर वो चीरता-फाड़ता है तो हराम है। जैसे शेर, चीता, भगयाड़, अगर चीरता-फाड़ता नहीं है तो वो मक्रूह है। जैसे लोमड़ी, क्योंकि उन दरिन्दों के खाने से ये ख़तरा है कि इंसान के अंदर हैवान के औसाफ़ (विशेषतायें) पैदा न हो जायें , इसलिये उनका गोश्त खाने से मना फ़रमा दिया। ज़ीनाब से मुराद वो जानवर है जो अपनी कुचलियों से शिकार करता है, अगर वो इंसान या किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं करता और उन पर खाने के लिये हमलावर नहीं होता तो वो इसमें दाख़िल नहीं है।

(4989) हज़रत अबू सअ़लबा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे के खाने से मना फ़रमाया। इब्ने शिहाब कहते हैं, मैंने अपने उलमा से हिजाज़ में ये रिवायत नहीं सुनी यहाँ तक कि अबू इदरीस ने ये रिवायत सुनाई और वो शामी फ़ुक़्हा में से थे।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ .

(4990) अबू सअ़लबा ख़ुशनी बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे के खाने से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

(4991) इमाम साहब ने अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से ज़ोहरी ही की मज़्कूरा बाला सनद से यही रिवायत बयान की है। सालेह और यूसुफ़ के सिवा सबने खाने का ज़िक्र किया है, मगर उन दोनों की हदीस़ में है, हर कुचली वाले दरिन्दे से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرٍو كُلُّهُمْ ذَكَرَ الأَكْلَ إِلاَّ صَالِحًا وَيُوسُفَ فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ .

(4992) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर कुचली वाला दरिन्दा, उसका खाना हराम है।'
(नसाई : 7/208, 209, इब्ने माजह : 3233)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ " .

(4993) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4994) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे से और हर पन्जे वाले परिन्दे के खाने से मना फ़रमाया।
(अबू दाऊद : 3803)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ، بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

फ़ायदा : ज़ी मिख़लब से मुराद वो परिन्दा है जो अपने नाख़ुनों से शिकार करता है। जैसे चील, बाज़, शाहीन, सक़र अगर वो अपने पन्जे से शिकार करता है तो वो उसमें दाख़िल नहीं है। जुम्हूर उलमा, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम दाऊद वग़ैरह के नज़दीक इनका खाना हराम है। इमाम मालिक, इमाम लैस और औज़ाई के नज़दीक कोई परिन्दा हराम नहीं है। (अल्मुग़नी जिल्द 13 पेज नं. 322)

(4995) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद शोबा की इस सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(4996) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे से और पन्जे वाले परिन्दे के खाने से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

फ़ायदा : इमाम औज़ाई ने इमाम मालिक के नज़दीक पन्जे से शिकार करने वाले परिन्दे का गोश्त मक्रूह क़रार दिया है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى ح

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ.

(4997) इमाम साहब ने अलग-अलग उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।

باب إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

बाब 4 : समुन्द्र में मरने वाले जानवरों की एबाहत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ

(4998) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू उबैद (रज़ि.) के ज़ेरे कमान क़ुरैश के एक क़ाफ़िले के मुक़ाबले में भेजा और हमें खजूरों की एक बोरी ज़ादे राह के तौर पर दी। उसके सिवा आपके पास हमें देने के लिये कुछ न था (आख़िर में) अबू उबैद हमें हर रोज़ एक-एक खजूर देते थे। हज़रत जाबिर के शागिर्द कहते हैं, मैंने पूछा, आप इस पर किस तरह गुज़ारा

تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً - قَالَ - فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لاَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ - أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ

करते थे? उन्होंने जवाब दिया, हम उसको बच्चे की तरह चूसते थे, फिर ऊपर से हम पानी पी लेते थे, तो वो हमें दिन भर रात तक के लिये काफ़ी होती और हम अपनी लाठियों से कीकर के पत्ते झाड़ते, फिर उन्हें पानी से भिगोकर खा लेते और हम साहिले समुन्द्र पर चल पड़े और हमें साहिले समुन्द्र पर बड़े टीले की तरह एक चीज़ पड़ी हुई नज़र आई। हम उसके पास पहुँचे तो वो एक अ़म्बर नामी जानवर निकला। हज़रत अबू उ़बैदा (रज़ि.) कहने लगे, ये तो मुरदार है। फिर कहने लगे, नहीं! हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) के फ़रिस्तादे हैं और अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और तुम लोग लाचार हो चुके हो, इसलिये खा लो। हमने उसे एक माह तक खाया और हम तीन सौ लोग थे और हम मोटे-ताज़े हो गये और मैंने साथियों को देखा, हम उसकी आँखों के ख़ोल या सूराख़ से मटकों से चर्बी निकालते थे और हममें से उससे बैल की तरह टुकड़े काटते थे या बैल के बराबर (बक़द्र) काटते थे और हममें से अबू उ़बैदा ने तेरह आदमी लिये और उन्हें उसकी आँख के ख़ोल में बिठाया और उसने पसली लेकर उसको सीधा खड़ा किया। फिर हमारे पास मौजूद ऊँटों में से सबसे क़द्दावर ऊँट पर पालान कसकर उसके नीचे से गुज़ारा और हमें ज़ादे राह के तौर पर उसका गोश्त उबाल कर दिया। तो जब हम मदीना वापस पहुँचे, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे इसका तज़्किरा किया तो आपने

شَىْءٌ فَتُطْعِمُونَا " . قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ فَأَكَلَهُ .

फ़रमाया, 'वो रिज़्क़ है जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये समुन्द्र से निकाला, क्या उसका कुछ गोश्त तुम्हारे पास है? तो हमें भी खिलाओ।' तो हमने उसमें से रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ भेजा तो आपने उसे खा लिया।

(अबू दाऊद : 3840)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **ईर :** ऊँटों का ग़ल्ला लाने वाला क़ाफ़िला। (2) **जिराब :** चमड़े का थैला। (3) **नमुस्सुहा :** हम उसे चूसते थे। (4) **अल्खबत :** लंग, केकर के पत्ते। (5) **कसीब :** रेत का तोदा या पहाड़ी, अम्बर मछली जिसको आज-कल व्हेल या याल कहते हैं, चूंकि इसकी अंतड़ियों से अम्बर ख़ुश्बू निकलती है, इसलिये इसको अम्बर नाम दे दिया जाता है और ये बड़ी मछलियों में से है और इसका वज़न 54 किलोग्राम से लेकर 136000 किलोग्राम तक होता है। (6) **वक़ब :** आँख का गढ़ा, जहाँ उसकी आँख का ढीला होता है। (7) **क़िलाल :** कुल्लह की जमा है, बड़ा मटका। (8) **फ़िदर :** फ़िदरतुन की जमा है, क़त्आ, टुकड़ा। (9) **क़दर :** मिक़्दार, बराबर। (10) **शाइक़ :** वशीक़ह की जमा है, उबला हुआ गोश्त।

फ़वाइद : (1) ये ग़ज़्वा जो सरिय्या ख़बत भी कहलाता है, क्योंकि इसमें पत्ते झाड़कर खाने पड़े थे और सअद बिन उबादा (रज़ि.) के बेटे, हज़रत क़ैस (रज़ि.) ने उधार लेकर तीन दिन, तीन-तीन ऊँट भी ज़िब्ह किये, क्योंकि पहले उमूमी ख़ूराक ख़त्म हुई और फिर लोग इन्फ़िरादी तौर पर जो ख़ूराक ले गये थे, उसको जमा किया गया, वो भी ख़त्म हो गई। फिर पत्ते खाने पड़े तो आख़िर में अल्लाह तआला ने अपना फ़ज़्ल फ़रमाया और खाने के लिये एक बहुत बड़ी मछली समुन्द्र के किनारे पर फेंक दी। जिसे सहाबा किराम ने पन्द्रह या अठारह दिन तक ख़ूब खाया। जिससे उनकी भूख से पैदाशुदा कमज़ोरी दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने उसकी चर्बी पिघलाकर तेल की सूरत में मली और वो मोटे-ताज़े हो गये। इस तरह मज्मूई तौर पर एक माह तक उसको खाते रहे। इस हदीस़ से मालिकिया ने ये इस्तिदलाल किया है कि इज़्तिरारी हालत में भी इंसान मुरदार से पेट भरकर खा सकता है और इमाम शाफ़ेई का भी एक क़ौल यही है, लेकिन कुरआन की रू से सहीह बात यही है कि इज़्तिरारी हालत में बक़द्रे ज़रूरत ज़िन्दगी बचाने के लिये खाया जा सकता है। इमाम इब्ने कुदामा ने इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई का क़ौल यही नक़ल किया है कि शुब्बअ (सैर होकर) जाइज़ नहीं है। (अल्मुग़नी : जिल्द 13, पेज नं. 320) (2) समुन्द्री हैवानात में से मछली का शिकार बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है और अइम्म-ए-हिजाज़, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक तमाम समुन्द्री हैवानात का शिकार जाइज़ है, लेकिन हन्फ़ियों के नज़दीक सिर्फ़ मछली का शिकार जाइज़ है। जैसाकि इस हदीस़ से स़ाबित होता है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक अगर समुन्द्र के मद व जज़र (उफ़ान) की

सूरत में मर जाये तो फिर जाइज़ है। अगर अंदर मर जाये तो जाइज़ नहीं है। जैसाकि अइम्म-ए-सलासा के नज़दीक जाइज़ है और अहनाफ़ में से जो इसको मछली समझते हैं, उनके नज़दीक इसका शिकार जाइज़ है और जो इसको मछली नहीं समझते उनके नज़दीक जाइज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا - قَالَ - فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ قَالَ وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ - قَالَ - وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ .

(4999) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हम तीन सौ सवारों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुरैश के एक क़ाफ़िले की घात लगाने के लिये भेजा और हमारे अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह (रज़ि.) थे, हम समुन्द्र के किनारे पर पन्द्रह दिन ठहरे, हमें शदीद भूख से वास्ता पड़ा यहाँ तक कि हमने पत्ते झाड़ कर खाये। इसलिये उसको जैशुल ख़बत का नाम दिया गया। हमारे लिये एक जानवर फेंका गया, जिसको अम्बर कहा जाता था। हमने उससे पन्द्रह दिन (आधा माह) खाया और बदन पर उसका रोग़न मला यहाँ तक कि हमारे बदन असल हालत पर लौट आये और अबू उबैदा ने उसकी पस्लियों में एक पसली लेकर उसको गाड़ा, फिर लश्कर में सबसे लम्बे आदमी का और सबसे लम्बे ऊँट का इन्तिख़ाब किया। उसको उस पर सवार करके पसली के नीचे से गुज़ारा और उसकी आँख के गढ़े में कई आदमी बैठ गये और हमने उसके आँख के गढ़े से पसली के नीचे से इतने-इतने मटके चिकनाई निकाली और हमारे पास खजूरों का एक चर्मी थैला या बोरा था। अबू उबैदा हर आदमी को एक-एक मुट्ठी खजूर देते थे, फिर एक-एक खजूर देने लगे। जब वो भी ख़त्म हो गई तो हमें उसके न मिलने का एहसास हुआ।

(सहीहबुख़ारी: 4361, 5494, नसाई : 7/207, 208)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) स़ाबत अज्सामुना : हमारे जिस्म पहली हालत पर लौट आये, हमारी कुव्वत बहाल हो गई। **(2) हजाज :** आँख का ख़ोल, आँख के आस-पास की हड्डी। **(3) वजदना फ़क़्दहू :** न मिलने पर उसका फ़ायदा महसूस हुआ।

(5000) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, पत्तों वाले लश्कर में एक आदमी ने तीन ऊँट ज़िब्ह किये, फिर तीन ज़िब्ह किये, फिर तीन ज़िब्ह किये, फिर उसे हज़रत अबू उ़बैदा (रज़ि.) ने मना कर दिया।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلاً نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلاَثًا ثُمَّ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ .

फ़ायदा : ये ऊँट ज़िब्ह करने वाले हज़रत क़ैस बिन सअ़द बिन उ़बादा थे, हज़रत अबू उ़बैदा (रज़ि.) ने इस बिना पर रोक दिया कि तुम उधार लेकर ऊँट ज़िब्ह कर रहे हो, तुम्हारा अपना माल तो है नहीं, मालूम नहीं तुम्हारा बाप तुम्हें देगा या नहीं। वापसी पर जब हज़रत सअ़द (रज़ि.) को इसका पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को खजूरों का एक बाग़ हिबा कर दिया।

(5001) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने तीन सौ आदमियों को भेजा, हम अपना ज़ादे राह ख़ुद उठाये हुए थे।

(सहीह बुख़ारी : 2483, 2983, 4360, तिर्मिज़ी : 2475, नसाई : 7/207, इब्ने माजह : 4159)

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ، بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا .

(5002) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन सौ लोगों का एक दस्ता भेजा और उनका अमीर अबू उ़बैदा बिन जर्राह (रज़ि.) को बनाया, उनका ज़ादे राह ख़त्म हो गया तो अबू उ़बैदा उनका अपना-अपना ज़ादे राह एक तौशादान में जमा किया, वो हमें ख़ूराक देते थे, यहाँ तक कि हमें हर रोज़ एक-एक खजूर मिलने लगी।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ثَلاَثَمِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَفَنِيَ زَادُهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ.

(5003) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक सरिय्या समुन्द्र की तरफ़ भेजा, मैं भी उनमें था। आगे अ़म्र बिन दीनार और अबू ज़ुबैर की तरह हदीस़ बयान की, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि वहब बिन कैसान की इस हदीस़ में है, उससे लश्कर ने 18 रात दिन खाया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ . وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

फ़ायदा : दस्ते की कुल मुद्दते सफ़र एक माह थी मछली का गोश्त पन्द्रह या अठारह दिन खाया।

(5004) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) एक लश्कर जुहैना क़बीले के इलाक़े की तरफ़ भेजी और उन पर एक आदमी अमीर मुक़र्रर किया, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، كِلاَهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

फ़ायदा : क़ुरैश क़ाफ़िले को जुहैना की ज़मीन से गुज़रना था, उसकी घात में आपने दस्ता उधर रवाना किया।

बाब 5 : पालतू गधों के खाने की हुरमत

باب تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

(5005) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन औरतों से मुत्अह करने से मना फ़रमाया और घरेलू गधों के गोश्त से भी।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) औरतों से मुत्अह और घरेलू गधों की हिल्लत के क़ाइल थे, इसलिये हज़रत अली (रज़ि.) ने उनकी तर्दीद करते हुए उन दोनों का तज़्किरा किया। जुम्हूर सहाबा ताबेईन और फ़ुक़्हा के नज़दीक घरेलू या पालतू गधे हराम हैं , इमाम मालिक से तीन क़ौल मन्क़ूल हैं (1) एबाहत (2) मक्रूहे तन्ज़ीही (3) हुरमत। सहीह अहादीस़ की रोशनी से हुरमत का क़ौल सहीह है और बक़ौल अल्लामा इब्ने अब्दुल बर्र मालिकी, आज मुसलमानों में इसकी हुरमत के बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। (अल्मुग़नी, जिल्द 13, पेज नं. 318)

(5006) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से ज़ोहरी की मज़्कूरा बाला सनद से यही रिवायत बयान करते हैं, यूनुस की हदीस़ में है और पालतू गधों का गोश्त खाने से।

(सहीह मुस्लिम : 3417)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

(5007) हज़रत अबू सअ्लबा (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घरेलू गधे का गोश्त हराम ठहराया।
(सहीह बुख़ारी : 5527)

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

(5008) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया।
(सहीह बुख़ारी : 4215, 4218, 5522)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

(5009) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन घरेलू गधे का गोश्त खाने से मना फ़रमाया और लोगों को गधों की ज़रूरत थी (सवारी के लिये)।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا .

(5010) शैबानी (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से घरेलू गधों के गोश्त के बारे में पूछा? उन्होंने बताया, हमें ख़ैबर के दिन भूख लगी, जबकि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे और हमने यहूदियों के शहर से बाहर निकलने वाले गधे

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ وَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ .

पकड़ कर ज़िब्ह कर लिये, जिनसे हमारी हण्डियाँ जोश मार रही थीं, मगर अचानक रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से ऐलान करने वाले ने ऐलान कर दिया, हण्डियों को उलट दो और गधों का गोश्त बिल्कुल न खाओ। मैंने पूछा, आपने उसे किस अन्दाज़ से हराम क़रार दिया था? उन्होंने कहा, हमने उस पर आपस में बातचीत करते हुए कहा, आपने क़तई तौर पर हराम क़रार दिया है और इसलिये हराम क़रार दिया है कि उससे ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) नहीं निकाला गया।

(सहीह बुख़ारी : 3155, 4220, नसाई : 7/203, इब्ने माजह : 3192)

फ़ायदा : आपने घरेलू गधों का गोश्त खाने से क़तई तौर पर हमेशा के लिये मना फ़रमाया, लेकिन इसका पसे मन्ज़र क्या था इसके बारे में सहाबा किराम की राय अलग-अलग हैं और अपने-अपने इज्तिहाद पर मबनी हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا -قَالَ - فَقَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ . وَقَالَ آخَرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ .

(5011) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं ख़ैबर के दिनों में हम भूख से दोचार हुए। जब ख़ैबर का वाक़िया पेश आया, हम घरेलू गधों पर टूट पड़े और उन्हें नहर किया। जब उनसे हण्डियाँ उबलने लगीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुनादी ने ऐलान किया, हण्डियों को उण्डेल दो और गधों के गोश्त से कुछ न खाओ, तो कुछ लोगों ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ इसलिये उनसे रोका है, क्योंकि इनका ख़ुमुस नहीं निकाला गया और दूसरों ने कहा, आपने इनसे हमेशा के लिये रोक दिया है।

(5012) हज़रत बराअ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने गधे पकड़कर उन्हें पकाया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुनादी ने ऐलान कर दिया, हण्डियाँ उलट दो।
(सहीह बुख़ारी : 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 5525, 5526)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولاَنِ أَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اكْفَئُوا الْقُدُورَ

(5013) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने ख़ैबर के दिन गधे पकड़े, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुनादी ने ऐलान कर दिया, हण्डियाँ उलट दो।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ

(5014) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं, हमें घरेलू गधों के गोश्त से मना कर दिया गया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، .

(5015) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें गधों के कच्चे और पक्के गोश्त को फेंकने का हुक्म दिया, फिर हमें उसके खाने का हुक्म नहीं दिया।
(सहीह बुख़ारी : 4226, नसाई : 7/203, इब्ने माजह : 3194)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नियअह : कच्चा जिसको पकाया न गया हो। (2) नज़ीजह : पका हुआ।

(5016) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(5017) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे मालूम नहीं (मेरे ख़याल में या तो) आप (ﷺ) ने सिर्फ़ इसलिये उनसे रोका था, क्योंकि वो लोगों का बोझ उठाते थे, आपने इस बात को नापसंद फ़रमाया कि उनके बार बरदारी के जानवर ख़त्म हो जायेंगे या ख़ैबर के दिन आपने घरेलू गधों के गोश्त को हराम क़रार दिया था।
(सहीह बुख़ारी : 4227)

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : हमूलह : लोगों की बार-बरदारी का जानवर।

(5018) हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ैबर के लिये निकले, फिर अल्लाह तआला ने उसे मुसलमानों के लिये फ़तह कर दिया। जब फ़तह के दिन की शाम हुई तो लोगों ने बहुत सी आगें रोशन कीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'ये आगें कैसी हैं? किस लिये इन्हें जलाया गया है?' लोगों ने कहा, गोश्त की ख़ातिर। आपने फ़रमाया, 'किस गोश्त के लिये?' लोगों ने कहा, पालतू गधों के गोश्त की ख़ातिर। तो रसूलुल्लाह

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ تُوقِدُونَ " قَالُوا عَلَى لَحْمٍ . قَالَ " عَلَى أَىِّ لَحْمٍ " . قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ . فَقَالَ

(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उन्हें बहा दो और उन्हें तोड़ दो।' एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! या इन्हें बहा दें और इन्हें धो लें? आपने फ़रमाया, 'या ऐसे कर लो।'

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ " أَوْ ذَاكَ " .

फ़ायदा : आपने पहले हाण्डियों को शिद्दत इख़्तियार करते हुए तोड़ने का हुक्म दिया, जब एक आदमी ने अर्ज़ किया, हम इनको धो न लें? तो आपने फ़रमाया, चलो ऐसा कर लो। जिससे मालूम हुआ जिस बर्तन को नजासत लग जाये, उसको धोकर इस्तेमाल करना दुरुस्त है। चूंकि यहाँ अदद की क़ैद नहीं निकाली गई, इससे मालूम होता है अगर ज़रूरत महसूस न हो तो एक बार धोना काफ़ी है, हाँ कुत्ते का झूठा बर्तन सात बार धोना होगा।

(5019) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से यज़ीद बिन अबी उबैद की मज़्कूरा बाला सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5020) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर फ़तह कर लिया, हमने बस्ती से निकलते हुए गधे पकड़ लिये और उनमें से कुछ को पकाना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुनादी ने ऐलान किया, ख़बरदार! अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें इनसे मना करते हैं, क्योंकि ये पलीद शैतानी काम है, तो हण्डियों के अंदर जो कुछ था, उलट दिया गया और वो उससे जोश मार रही थीं।

(सहीह बुख़ारी : 4199, 5528)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلاَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ . فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا .

(5021) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं जब ख़ैबर फ़तह हुआ तो आपके पास एक आने वाला आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! गधे (सब) खा लिये गये। फिर दूसरा आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! गधे ख़त्म कर डाले गये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू तलहा (रज़ि.) को हुक्म दिया, उन्होंने ऐलान किया, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें गधों के गोश्त से रोकते हैं, क्योंकि वो गन्दे या पलीद हैं, तो हण्डियों को जो कुछ उनमें था, उस समेत उलट दिया गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ . قَالَ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुनादी हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) थे। कुछ रिवायतों से स़ाबित हुआ हज़रत बिलाल और अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने भी ऐलान किया था।

बाब 6 : घोड़ों का गोश्त खाने के बारे में

باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

(5022) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नेख़ैबर के दिन घरेलू गधों के गोश्त से मना फ़रमाया और घोड़ों के गोश्त की इजाज़त दी।
(सहीह बुख़ारी : 4219, 5520, 5524, अबू दाऊद : 3788, 3808, तिर्मिज़ी : 1793, नसाई : 7/201)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى -قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि घोड़े का गोश्त हलाल है। जुम्हूर सलफ़ व ख़लफ़ का यही नज़रिया है। अ़ल्क़मा, अस्वद, नख़ई, हम्माद बिन सुलैमान और साहिबैन का भी यही क़ौल है और इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मक्रूह है। कुछ के बक़ौल इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मक्रूहे तहरीमी है और कुछ के नज़दीक मक्रूहे तन्ज़ीही। सईदी साहब ने अइम्म-ए-अहनाफ़ के अक़्वाल नक़ल करने के बाद आख़िर में लिखा है, 'इस बाब में जो अहादीस़े सहीहा वारिद हैं वो सब घोड़े की हिल्लत में नुसूसे सरीहा (साफ दलील) हैं और क़ुरआन मजीद और अहादीस़े सहीहा की सराहत के बाद फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है।' (शरह सहीह मुस्लिम जिल्द 6, पेज नं. 105) इससे पहले लिखा है, क़ुरआन मजीद और अहादीस़ की रोशनी में घोड़े का गोश्त खाना बिला कराहत जाइज़ है। वजहे इस्तिदलाल ये है कि घोड़ा पाक और तय्यिब जानवर है। इस बिना पर फ़ुक़्हाए अहनाफ़ ने भी घोड़े का झूठा पाक क़रार दिया है। (पेज नं. 104, जिल्द 6) अ़ल्लामा तक़ी ने लिखा है, इमाम अबू हनीफ़ा ने घोड़े को उसके एहतिराम और आलाते जिहाद में से होने के बाइस़ मक्रूह क़रार दिया है। (तक्मिला जिल्द 3 पेज नं. 529) और अब सूरते हाल ये है कि जदीद अस्लहा के सबब अब इसको मर्कज़ी अहमियत हासिल नहीं है, इसलिये ये सबब अगर इसको सबब मान लिया जाये तो ख़त्म हो चुका है कि बक़ौल इमाम हस्फ़की इमाम साहब ने अपनी मौत से तीन दिन क़ब्ल, हुरमत के क़ौल से रुजूअ कर लिया था। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 525, दुर्रे मुख़्तार अ़ला हाशिया रद्दुल मुख़्तार : जिल्द 5, पेज नं. 265)

(5023) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने ख़ैबर के दौर में घोड़े और जंगली गधे खाये और नबी (ﷺ) ने हमें घरेलू गधे खाने से रोक दिया।
(नसाई : 7/205, इब्ने माजह : 3192)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ ‏.‏

फ़ायदा : जंगली गधे (नील गाय) का गोश्त खाना बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है।

(5024) इमाम साहब यही रिवायत अपने तीन और उस्तादों से इब्ने जुरैज ही की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ، عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏

(5025) हज़रत असमा (रज़ि.) बयान करती हैं, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में घोड़ा नहर किया और उसे खाया।
(सहीह बुख़ारी : 5510, 5511, 5512, 5519, नसाई : 7/231, 232, इब्ने माजह : 3190)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ .

(5026) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत हिशाम ही की सनद से अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

बाब 7 : सोसमार (गोह, ज़ब्ब) के गोश्त की एबाहत

باب إِبَاحَةِ الضَّبِّ

(5027) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) से गोह के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'न मैं उसको खाता हूँ और न हराम क़रार देता हूँ।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ " لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ " .

(5028) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गोह खाने के बारे में पूछा आपने फ़रमाया, 'न मैं उसको खाता हूँ और न उसे मैं हराम ठहराता हूँ।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ " لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " .

(5029) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गोह खाने के बारे में सवाल किया, जबकि आप मिम्बर पर थे। आपने फ़रमाया, 'न मैं उसको खाता हूँ और न मैं उसको हराम कहता हूँ।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ " لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " .

(5030) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

(5031) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से गोह के बारे में नबी (ﷺ) का फ़रमान हदीस़ नम्बर 40 के मुताबिक़ नक़ल करते हैं, अय्यूब की हदीस़ के अल्फ़ाज़ यूँ हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गोह लाई गई। तो आपने उसे न खाया और न हराम क़रार दिया। उसामा की हदीस़ है, एक आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर थे।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّبِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ .

फ़ायदा : अ़ल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान (अबकरी जिल्द 2, पेज नं. 68) में लिखा है, 'ज़ब्ब' गोह जंगल का एक मशहूर जानवर है। जो कभी पानी की घाट पर नहीं जाता, इसलिये अ़रबों का मुहावरा है 'मैं इस काम को उस वक़्त तक नहीं करूँगा जब तक ज़ब्ब पानी पर न जाये।' इब्ने ख़ालिद ने लिखा है, ज़ब्ब पानी नहीं पीती। ज़ब्ब का मानी कुछ ने साण्डा किया है। जुम्हूर फ़ुक़्हा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद वग़ैरह के नज़दीक अहादीस़ की रोशनी में ज़ब्ब का खाना जाइज़ है और बक़ौल इमाम तहावी इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन के नज़दीक ये मक्रूहे तन्ज़ीही है। लेकिन किताबुल आस़ार में इमाम मुहम्मद के क़ौल से कराहते तहरीमी स़ाबित होती है और इमाम नववी लिखते हैं, मुसलमानों के ज़ब्ब के हलाल होने पर इत्तिफ़ाक़ है। अल्बत्ता इमाम अबू हनीफ़ा के अस्हाब से कराहत मन्क़ूल है। अ़ल्लामा तक़ी ने लिखा है कि हुज़ूर (ﷺ) का इसके खाने से कराहत का इज़हार करना, इसके मक्रूह होने की दलील है, अबू हनीफ़ा का यही क़ौल है। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 528)

लेकिन कराहत का सबब क्या था इसको नज़र अन्दाज़ कर दिया है। बहरहाल इससे इतना स़ाबित होता है हर हलाल चीज़ का खाना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग किसी चीज़ से तबई तौर पर कराहत महसूस करते हैं , तो वो उसको हलाल समझकर छोड़ सकते हैं, लेकिन तबई कराहत या नफ़रत की बिना पर उसको मक्रूहे तहरीमी या मक्रूहे तन्ज़ीही क़रार देना दुरुस्त नहीं है, क्या तमाम इंसानों के तबीअ़त और मिज़ाज बराबर हैं? आपके सामने क़ुरैश ही के लोगों ने ज़ब्ब को खाया है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي " .

(5032) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के साथ आपके कुछ साथी थे, जिनमें हज़रत सअ़द (रज़ि.) भी थे, उनके पास ज़ब्ब का गोश्त लाया गया, तो नबी (ﷺ) की बीवियों में से एक बीवी ने आवाज़ दी, ये ज़ब्ब का गोश्त है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'खाओ क्योंकि ये हलाल है लेकिन ये मेरा खाना नहीं है।'
(सहीह बुख़ारी : 7267, इब्ने माजह : 26)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ

(5033) तौबा अ़म्बरी कहते हैं कि मुझे शोबा ने कहा, क्या आप हसन (बस़री) की नबी (ﷺ) की रिवायात से आगाह हैं,

हालांकि मैं इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ दो साल या डेढ़ साल बैठा हूँ, इतने अरसे में मैंने उनसे सिर्फ़ ये हदीस सुनी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के कुछ साथी थे, उनमें हज़रत सअद भी थे, आगे मज़्कूरा बाला हदीस है।

النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ .

फ़ायदा : हज़रत शोबा (रह.) का मक़सद ये था कि हसन बसरी, अहादीस के बयान के शौक़ में मुर्सल रिवायात भी बयान करते हैं, जबकि इब्ने उमर आपसे बराहे रास्त रिवायात सुनने के बावजूद बहुत कम रिवायात बयान करते थे, क्योंकि वो समझते थे कसरत से रिवायात बयान करने में ग़लती का इम्कान पैदा हो जाता है, जबकि इससे एहतियात रखने की ज़रूरत है।

(5034) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं और ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (अपनी ख़ाला) हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर गये, तो आपके पास भुनी हुई ज़ब्ब लाई गई। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया, तो हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर मौजूद कुछ औरतों ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) को बता दो आप क्या खाना चाह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ उठा लिया। मैंने पूछा, क्या वो हराम है? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'नहीं! लेकिन वो मेरी क़ौम की सरज़मीन (की ख़ूराक) नहीं, इसलिये मैं इससे कराहत महसूस करता हूँ।' हज़रत ख़ालिद कहते हैं तो मैंने उसको खींच कर खा लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) देखते रहे।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ .

(5035) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जिनको सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया जाता है, ने मुझे बताया कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आप (ﷺ) की बीवी हज़रत मैमूना जो हज़रत ख़ालिद और इब्ने अ़ब्बास की ख़ाला हैं, के पास गया। तो आपने उनके यहाँ भुनी हुई ज़ब्ब पाई, जो उनकी हमशीरा हुफ़ैदा बिन्ते हारिस़ नजद से लाई थी। तो उन्होंने ज़ब्ब रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पेश की। आपको जब कोई खाना पेश किया जाता तो उ़मूमन आपको उससे आगाह कर दिया जाता और आपको उसका नाम बता दिया जाता। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ब्ब की तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया। मौजूद औ़रतों में से एक औ़रत ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) को बता दो, तुमने उन्हें क्या पेश किया है। उन्होंने कहा, वो ज़ब्ब है ऐ अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ उठा लिया। ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ज़ब्ब हराम है? आपने फ़रमाया, 'नहीं! लेकिन वो मेरी क़ौम की सरज़मीन में नहीं, इसलिये मैं इससे कराहत महसूस करता हूँ।' ख़ालिद कहते हैं, मैंने उसे खींच लिया और उसे खा लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) देखते रहे, आपने मुझे न रोका। हुफ़ैद की कुन्नियत उम्मे हुफ़ैद है।

(सहीह बुख़ारी : 5391, 5400, 5537, अबू दाऊद : 3794, नसाई : 7/198, इब्ने माजह : 3241)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ . قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي .

फ़ायदा : इंसान जिस इलाक़े में रहता है उस इलाक़े की ख़ूराक का आदी हो जाता है और उससे उन्सियत महसूस करता है। अगर उसे दूसरे इलाक़े की ख़ूराक पेश की जाये, जिससे उसको कभी पहले वास्ता न पड़ा हो तो वो उससे कराहत महसूस करता है और उसकी तबीअत उसके खाने पर आमादा नहीं होती, इसलिये अगर किसी को नई चीज़ पेश की जाये, तो उसको उससे आगाह कर देना चाहिये और जो किसी चीज़ से नफ़रत महसूस करता हो उसको वो चीज़ चुपके से नहीं खिलानी चाहिये।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي، أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا .

(5036) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्हें हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने बताया कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के घर दाख़िल हुए, तो आपको ज़ब्ब का गोश्त पेश किया गया, जो उम्मे हुफ़ैद बिन्ते हारिस़ नजद से लाईं थीं और वो बनू जअफ़र के एक आदमी की बीवी थीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) कोई चीज़ उस वक़्त तक नहीं खाते थे, जब तक ये जान न लेते वो क्या है? आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है, जिसके आख़िर में ये इज़ाफ़ा है और इसे इब्ने असम्म ने भी, हज़रत मैमूना (रज़ि.) से बयान किया और वो उनकी गोद में था।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي، أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُتِيَ

(5037) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, हम नबी (ﷺ) के साथ हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर में थे, आपके पास दो भुनी हुई ज़ब्ब लाई गईं। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدَ بْنَ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ .

है और उसमें यज़ीद बिन असम्म का मैमूना (रज़ि.) से बयान करने का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ، يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِلَحْمِ ضَبٍّ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .

(5038) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जबकि आप मैमूना (रज़ि.) के घर में थे और ख़ालिद बिन वलीद भी आपके पास मौजूद थे, ज़ब्ब का गोश्त लाया गया, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5039) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मेरी ख़ाला उम्मे हुफ़ैद (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में घी, पनीर और ज़ब्ब पेश कीं। आपने घी और पनीर खा लिया और ज़ब्ब को कराहत की बिना पर छोड़ दिया और उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर खाया गया, अगर वो हराम होती तो उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर न खाया जाता।

(सहीह बुख़ारी : 2575, 5389, 5402, 1358, अबू दाऊद : 3793, नसाई : 7/197, 199)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، الأَصَمِّ

(5040) हज़रत यज़ीद बिन असम्म (रज़ि.) बयान करते हैं, मदीना में एक दूल्हे ने हमें दावत दी और हमारे सामने तेरह ज़ब्ब रखे।

قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَآكِلٌ وَتَارِكٌ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ آكُلُهُ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِئْسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مُحِلاًّ وَمُحَرِّمًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ . فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ " هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ " . وَقَالَ لَهُمْ " كُلُوا " . فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ . وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لاَ آكُلُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَىْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

किसी ने खा लिया, किसी ने छोड़ दिया। अगले दिन मैं इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को मिला और उन्हें बताया। लोगों ने उसके बारे में बहुत बातें की, यहाँ तक कि कुछ ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'न मैं इसको खाता हूँ, न मैं इससे रोकता हूँ और न मैं इसे हराम क़रार देता हूँ।' तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, तुमने बहुत बुरी बात कही जो नबी भी अल्लाह ने भेजा है, हलाल या हराम करने के लिये आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) जबकि वो मैमूना (रज़ि.) के यहाँ थे और आपके पास फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास, ख़ालिद बिन वलीद और एक औ़रत थी कि अचानक आपके सामने दस्तरख़्वान लाया गया, उस पर गोश्त था। तो जब नबी (ﷺ) ने खाने का इरादा किया, हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने आपसे कहा, ये ज़ब्ब का गोश्त है। तो आपने अपना हाथ रोक लिया और फ़रमाया, 'ये वो गोश्त है जो मैंने कभी नहीं खाया।' और हाज़िरीन से कहा, 'तुम खाओ।' तो इससे फ़ज़्ल, ख़ालिद बिन वलीद और औ़रत ने खाया और हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने कहा, मैं तो वही चीज़ खाऊँगी जो चीज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) खायेंगे।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ये बात कि 'तुमने बहुत बुरा किया' इसलिये कही कि उनके क़ौल से बज़ाहिर मालूम होता था कि आपने ज़ब्ब का हुक्म वाज़ेह नहीं किया। हालांकि रसूल अल्लाह ने भेजा ही अहकाम की वज़ाहत के लिये है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ، جُرَيْجٍ

(5041) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ज़ब्ब लाई गई तो आपने उसके खाने से

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ " لاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ".

इंकार कर दिया और फ़रमाया, 'मैं नहीं जानता शायद ये उन नस्लों से हो जिन्हें मस्ख़ कर दिया गया।'

फ़ायदा : इस हदीस़ के मज़्मून से ये साबित होता है आपने ये बात शुरू में फ़रमाई थी, जबकि आपको ये नहीं बताया गया कि मस्ख़ करदा लोगों की नस्ल नहीं चलती। जब आपको इससे आगाह कर दिया गया था तो आपने इसके खाने की इजाज़त दी।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ لاَ تَطْعَمُوهُ . وَقَذِرَهُ وَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ . إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ .

(5042) अबू ज़ुबैर (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से ज़ब्ब के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने जवाब दिया, उसे न खाओ और उससे कराहत का इज़हार किया और बताया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने कहा, नबी (ﷺ) ने उसे हराम क़रार नहीं दिया। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल बहुत से लोगों को इससे नफ़ा पहुँचायेगा, अक्सर चरवाहों की ख़ूराक बस यही है और अगर ये मेरे पास होती तो मैं इसे खाता (मक्का और मदीना में ये नहीं थी)। (इब्ने माजह : 3239)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ فَمَا تُفْتِينَا قَالَ " ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ " . فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا

(5043) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं एक शख़्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऐसे इलाक़े में रहते हैं, जहाँ ज़ब्ब बहुत हैं। आप हमें क्या हुक्म देते हैं? या आप हमें क्या फ़तवा देते हैं? आपने फ़रमाया, 'मुझे बताया गया है कि बनू इस्राईल की एक जमाअ़त मस्ख़ कर दी गई (शायद ये वो हो)।' इसलिये आपने न हुक्म दिया और न

كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

रोका। अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं, इस वाक़िये के बाद हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इससे बहुत से लोगों को नफ़ा पहुँचाता है और उन आम चरवाहों की ख़ूराक यही है और अगर मेरे पास होती तो मैं उसे खाता, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो इससे कराहत महसूस की है।
(इब्ने माजह : 3240)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي - قَالَ - فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا عَاوِدْهُ . فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاَثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ " يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا " .

(5044) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आराबी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, मैं एक नशीबी ज़ब्ब वाली ज़मीन में रहता हूँ और ये मेरे घर वालों का उमूमी खाना है। आपने उसे कोई जवाब न दिया, तो हमने कहा, आप दोबारा पूछें। उसने आपसे दोबारा पूछा, तो आपने उसे जवाब न दिया, तीन बार ऐसे हुआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीसरी बार आवाज़ दी और फ़रमाया, 'ऐ आराबी! अल्लाह तआला ने बनू इस्राईल के एक ख़ानदान पर लानत भेजी या उनसे नाराज़ हुआ और उन्हें जानवरों की सूरत में मस्ख़ कर दिया, वो ज़मीन में चलते हैं, मैं नहीं जानता, शायद ये उनमें से हो। इसलिये मैं इसे नहीं खाता और इसे रोकता भी नहीं।'

फ़ायदा : हदीसों की तर्तीब से महसूस होता है कि मुसन्निफ़ ज़ब्ब को हलाल समझता है, लेकिन इससे कराहत महसूस करता है।

बाब 8 : मकड़ी (टिड्डी) खाने का जवाज़

باب إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

(5045) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सात ग़ज़्वात में शिरकत की, हम टिड्डी खाते थे।

(सहीह बुख़ारी : 5495, अबू दाऊद : 3812, तिर्मिज़ी : 1821, 1822, नसाई : 7/210)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ .

फ़ायदा : टिड्डी की एबाहत पर तमाम मुसलमानों का इज्माअ है, इब्नुल अरबी मालिकी ने उन्दुलुस की मकड़ी (टिड्डी) को उसके ज़हरीले होने की बिना पर अलग क़रार दिया है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और जुम्हूर फ़ुक़्हा का नज़रिया है कि मकड़ी (टिड्डी) ख़ुद मर जाये या उसे कोई किसी तरीक़े से मारे, वो हलाल है। लेकिन इमाम मालिक का मशहूर क़ौल यही है कि अगर वो ख़ुद मर जाये तो हलाल नहीं है, अगर उसको मारा जाये जैसे उसके कुछ आज़ा काट दिये जायें या उसे पानी में जोश दिया जाये या आग में भून लिया जाये तो फिर हलाल है। (शरह नववी)

(5046) इमाम साहब ये रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, अबू बक्र की रिवायत में सात ग़ज़्वात है और इस्हाक़ की रिवायत में छ है और इब्ने अबी उमर की रिवायत में छः या सात है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ سِتٌّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سِتٌّ أَوْ سَبْعَ.

(5047) इमाम साहब ये रिवायत अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं, उसमें सात ग़ज़्वात है।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ .

बाब 9 : ख़रगोश खाने का जवाज़

باب إِبَاحَةِ الأَرْنَبِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا . قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ .

(5048) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम मर्रुज़्ज़हरान से गुज़रे और वहाँ हमने एक ख़रगोश को उठाया। सहाबा किराम उसके पीछे दौड़े और थक हार गये और मैंने दौड़कर उसको पकड़ लिया और उसे हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के पास लाया। उन्होंने उसको ज़िब्ह किया और उसकी सुरीन और दोनों रान रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये भेजे और मैं उन्हें लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने उसे क़ुबूल फ़रमा लिया।

(सहीह बुख़ारी : 2572, 5489, 5535, अबू दाऊद : 3791, तिर्मिज़ी : 1789, नसाई : 7/196, 197, इब्ने माजह : 3243)

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا .

(5049) इमाम साहब ये रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं, यहया की हदीस़ में है, उसकी सुरीन या उसके दोनों रान।

मुफ़रदातुल हदीस़ : इस्तन्फ़ज्ना : हमने उसे उठाया, भड़काया।

फ़ायदा : इस हदीस़ और दूसरी अहादीस़ की बिना पर अइम्म-ए-अरबआ और दूसरे उलमा ख़रगोश के हलाल होने पर मुत्तफ़िक़ हैं, अल्बत्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र और इक्रिमा इसको मक्रूह समझते थे।

बाब 10 : शिकार और दुश्मन के ख़िलाफ़ में मुआविन चीज़ों से मदद लेना जाइज़ है और कंकर फेंकना जाइज़ नहीं है

باب إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الاِصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ - أَوْ قَالَ - يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لاَ يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ . ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا .

(5050) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने अपने साथियों से एक आदमी को उंगलियों में रखकर कंकर फेंकते हुए देखा तो उसे कहा, कंकर न फेंको। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) इसको नापसंद करते थे या कहा, ख़ज़्फ़ से मना करते थे। क्योंकि इससे न शिकार किया जा सकता है और न दुश्मन ही को तकलीफ़ पहुँचाई जा सकती है, लेकिन ये दाँत तोड़ता है और आँख फोड़ता है। फिर उसके बाद फिर उसे फिर कंकर फेंकते देखा, तो उसे कहा, मैंने तुम्हें आगाह किया था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कंकर फेंकने को नापसंद करते थे या इससे मना करते थे। फिर मैं तुम्हें कंकर फेंकते देख रहा हूँ, मैं तुम से इतना-इतना अ़रसा बात नहीं करूँगा।
(सहीह बुख़ारी : 5479, नसाई : 4830)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) यख़्ज़िफ़ : दो उंगलियों में रखकर कंकर फेंकना, ये बच्चों का एक मशग़ला है। **(2) ला युन्कउ बिही :** ज़ख़्मी करना, तकलीफ़ पहुँचाना, यानी इसके ज़रिये दुश्मन जो दूर होता है, उसको नुक़सान नहीं पहुँचाया जा सकता, हाँ क़रीबी आदमी के लिये। बाइसे नुक़सान हो सकता है। **(3) यक्सिरुस्सिन्न :** दाँत तोड़ता है। **(4) यफ़्क़उल ऐ़न :** उसकी आँख फोड़ता है, इसलिये उससे किसी फ़ायदे की बजाए नुक़सान होता है।

फ़ायदा : अल्लामा नववी के बक़ौल अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा के अमल से साबित होता है कि अहले बिदअत, अहले फ़िस्क़ और तारिकीने सुन्नत से क़तअ ताल्लुक़ कर लेना जाइज़ है और तीन दिन-से ज़्यादा क़तअ ताल्लुक़ की हुरमत उन लोगों के लिये है जो अपने नफ़्स या किसी दुनियावी वजह की बिना पर क़तअ ताल्लुक़ करें।

حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(5051) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ . قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ . وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ إِنَّهَا لاَ تَنْكَأُ الْعَدُوَّ . وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأُ الْعَيْنَ .

(5052) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ज़्फ़ से मना फ़रमाया। इब्ने जअफ़र की हदीस में है क्योंकि ये न दुश्मन को ज़ख़्मी करता है और न शिकार को क़त्ल करता है, लेकिन ये दाँत तोड़ देता है और आँख फोड़ देता है। इब्ने महदी कहते हैं, ये दुश्मन को ज़ख़्मी नहीं करता, आँख फोड़ने का ज़िक्र नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 4841, 6220, अबू दाऊद : 5270, इब्ने माजह : 3227)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ، بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ - قَالَ - فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ " إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ " . قَالَ فَعَادَ . فَقَالَ

(5053) सईद बिन जुबैर से रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) के एक रिश्तेदार ने कंकर फेंका। तो उन्होंने उसे मना किया और कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ज़्फ़ से मना करते हुए फ़रमाया, 'न ये किसी क़िस्म का शिकार करता है और न दुश्मन को शिकस्त देता है लेकिन ये दाँत तोड़ देता है और आँख फोड़ देता है।' उसने दोबारा ये हरकत की तो कहा, मैंने तुम्हें बताया कि

أَحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है, फिर तुम ख़ज़्फ़ कर रहे हो, मैं तुमसे कभी कलाम नहीं करूँगा। (इब्ने माजह : 3226)

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(5054) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

باب الأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

बाब 11 : अच्छी तरह ज़िब्ह और क़त्ल करने और छुरी तेज़ करने का हुक्म

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " .

(5055) हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने दो बातें रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद रखी हैं, आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने हर चीज़ के साथ अच्छा सुलूक करना लाज़िम ठहराया है, सो जब तुम क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो और जब तुम ज़िब्ह करो तो अच्छे अन्दाज़ से ज़िब्ह करो, तुममें से हर शख़्स को अपनी छुरी तेज़ करनी चाहिये और ज़बीहा को आराम पहुँचाना चाहिये।'

(अबू दाऊद : 2815, तिर्मिज़ी : 1409, नसाई : 7/227, 7/229, 7/230, इब्ने माजह : 3170)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है अगर किसी को क़त्ल करने की या किसी जानवर को ज़िब्ह करने की ज़रूरत हो तो उसके लिये ऐसा उस्लूब या अन्दाज़ और तरीक़ा इख़्तियार करना चाहिये, जिससे बिला वजह और बिला ज़रूरत मक़्तूल या ज़बीहा को तकलीफ़ न हो, ज़िब्ह के लिये शफ़रह छुरी को तेज़ करना चाहिये और उसको तेज़ी और ताक़त से इस्तेमाल करना चाहिये और उसके सामने छुरी तेज़ नहीं करनी चाहिये और उसको आराम से ज़िब्ह करने की जगह पर ले जाना चाहिये।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ .

(5056) इमाम साहब ने अपने बहुत सारे उस्तादों से ख़ालिद हज़्ज़ा की सनद से इसके हम मानी रिवायत बयान की है।

باب النَّهْىِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ،

बाब 12 : चौपायों (हैवनात) को बांधना (मारने के लिये) मम्नूअ (मना) है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ، بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

(5057) हिशाम बिन ज़ैद बिन अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं अपने दादा हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के साथ हकम बिन अय्यूब के घर गया। देखा कुछ लोग मुर्ग़ी को गाड़ कर उसको तीरों का निशाना बना रहे हैं। तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हैवानात को बांधकर मारने से मना फ़रमाया है।

(सहीह बुख़ारी : 5513, अबू दाऊद : 2816, इब्ने माजह : 3186)

(5058) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से शोबा ही की सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5059) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'किसी जानदार चीज़ को तख़्त–ए–मश्क़ न बनाओ या उसको हदफ़ न बनाओ।'
(सहीह बुख़ारी : 5515, नसाई : 7/238, 239)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" .

(5060) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5061) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कुछ लोगों के पास से गुज़रे। उन्होंने एक मुर्ग़ी गाड़कर अपने तीरों का निशाना बनाया हुआ था (उस पर तीर अन्दाज़ी कर रहे थे) तो जब उन्होंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) को देखा तो उससे मुन्तशिर हो गये। तो हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने पूछा, ये हरकत किसने की? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये काम करने वाले पर लानत भेजी है।
(सहीह बुख़ारी : 5515, नसाई : 7/238)

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا .

(5062) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कुछ क़ुरैशी नौजवानों के पास से गुज़रे। उन्होंने एक परिन्दा गाड़ा हुआ था और उस पर तीर बरसा रहे थे और अपना हर चूक जाने वाले तीर उन्होंने परिन्दे के मालिक को देना किया हुआ था। तो जब उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) को देखा तो बिखर गये। इब्ने उमर (रज़ि.) ने पूछा, ये हरकत किसने की है? अल्लाह इस काम करने वाले पर लानत बरसाये, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख़्स पर लानत भेजी है जो किसी जानदार चीज़ को हदफ़ (निशाना) बनाये।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ‏.‏

(5063) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी जानवर को बांधकर क़त्ल करने से मना फ़रमाया है।

(इब्ने माजह : 3188)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ، بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَىْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا ‏.‏

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) ने चूंकि हर चीज़ के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है और जानवर को बांधकर निशाना बनाना, उसके लिये तकलीफ़ और अज़िय्यत का बाइस है, इसलिये आपने उसको बांधकर तख़्त-ए-मश्क़ बनाने से मना फ़रमाया है और ये हरकत करने वाले पर लानत भेजी है, क्योंकि जानवर को ज़िब्ह करने का हुक्म है, इस तरह हदफ़ बनाकर उसको फेंक देना उसका ज़ाया (बर्बादी) है, इस तरह ये दोहरा जुर्म है।

इस किताब के कुल अबवाब 08 और 63 अहादीस़ हैं।

كتاب الأضاحى

किताबुल अज़ाही
क़ुर्बानियों का बयान

हदीस़ नम्बर 5064 से 5126 तक

किताबुल अज़ाही

शिकार और ज़िब्ह करने वाले आम जानवरों के बाद इमाम मुस्लिम (रह.) क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल बयान किये हैं जो बतौर ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिये ज़िब्ह की जाती है। सबसे पहले उन्होंने क़ुर्बानी के वक़्त के बारे में हदीसें बयान की हैं कि क़ुर्बानी का वक़्त नमाज़, ख़ुत्बा और इज्तिमाई दुआ के बाद शुरू होता है। अगर इससे पहले जानवर ज़िब्ह कर दिया जाये तो वो क़ुर्बानी नहीं, आम ज़बीहा है। इसकी मिसाल इसी तरह है जैसे वुज़ू से पहले नमाज़ पढ़ने की, वो उठक-बैठक है, तिलावत, तस्बीह और दुआ भी है मगर नमाज़ नहीं। जिन सहाबा ने लोगों को जल्द गोश्त तक़सीम करने की अच्छी निय्यत से नमाज़ और ख़ुत्बे से पहले क़ुर्बानियाँ कर लीं तो उन्हें दोबारा क़ुर्बानी करने का हुक्म दिया गया। ये फ़क़्र का ज़माना था, दोबारा क़ुर्बानी करना इन्तिहाई मुश्किल था। मुश्किलात के हल के लिये क़ुर्बान किये जाने वाले जानवरों की उम्रों में कुछ सहूलत और रिआयत दे दी गई, लेकिन क़ुर्बानी दोबारा करनी पड़ी। फिर क़ुर्बानी के जानवरों की कम से कम उम्र के बारे में शरीअत के असल हुक्म का बयान है। उसके बाद फिर जिन जानवरों को अल्लाह की रज़ा के लिये ज़िब्ह किया जा रहा है उनको अच्छे तरीक़े से ज़िब्ह करने की वज़ाहत है। फिर आल-ए-ज़िब्ह का बयान है। इसमें वज़ाहत की गई है कि हड्डी या किसी जानवर के दाँत से ज़िब्ह नहीं किया जा सकता। तेज़ धार वाली किसी और चीज़ से ज़िब्ह किया जा सकता है, जिससे तेज़ी के साथ और अच्छी तरह ख़ून बह जाये।

क़ुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक खाया जा सकता है? इसके हवाले से अहकाम में जो तदरीज मलहूज़ रखी गई है उसको वाज़ेह किया गया है। इस हवाले से भी ये हक़ीक़त सामने आती है कि कुछ सहाबा रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक के बाद भी हुक्म से नावाक़िफ़ रह गये थे और शुरूआती हुक्म की पाबन्दी करते रहे। इंसानी मुआशरे में ये एक फ़ितरी बात है। हर किसी को हर एक बात का इल्म हो जाना मुम्किन नहीं। मोतबर उन्हीं की बात है जिन्हें इल्म है। क़ुर्बानियों के साथ किसी मादा जानवर के पहलूठी के बच्चे को बड़ा होने के बाद अल्लाह की रज़ा के लिये ज़िब्ह करने (अल्अतीरह) और रेवड़ के जानवरों की एक ख़ास तादाद के बाद किसी एक जानवर को अल्लाह की राह में क़ुर्बानी करने का बयान भी है। उसके बाद क़ुर्बानी करने वालों के लिये नाख़ुन और बाल न कटवाने (एहराम की जैसी कुछ पाबंदियों को अपनाने) का बयान है और आख़िर में इस बात की वज़ाहत है कि अल्लाह के अलावा किसी और की रज़ा के लिये (या उसके नाम पर) ज़िब्ह करने वाला अल्लाह की लानत का मुस्तौजिब (हक़दार) है। अल्इयाज़ बिल्लाह!

كتاب الأضاحى

36. किताबुल अज़ाही

باب وَقْتِهَا

बाब 1 : क़ुर्बानी का वक़्त

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى، بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ " مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ " .

(5064) हज़रत जुन्दब बिन सुफ़ियान (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं ईदुल अज़्हा में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ शरीक हुआ। जूँ ही आप नमाज़ पढ़कर नमाज़े ईद से फ़ारिग़ हुए सलाम फेरा, तो आपने फ़ौरन क़ुर्बानियों का गोश्त देखा, जिन्हें आपके नमाज़ से फ़ारिग़ होने से पहले ही ज़िब्ह किया जा चुका था तो आपने फ़रमाया, 'जिसने अपनी क़ुर्बानी नमाज़ पढ़ने या हमारे नमाज़ पढ़ने से पहले ज़िब्ह कर डाली, वो उसकी जगह और ज़िब्ह करे और जिसने ज़िब्ह नहीं किया, वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िब्ह करे।'

(सहीह बुख़ारी : 985, 5500, 5562, 6674, 7400, नसाई : 7/248-249, 441, इब्ने माजह : 3152)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अज़ाहिय्य : उज़्हिय्य या इज़्हिय्य की जमा है। इसको ज़हिय्य भी कह देते, जिसकी जमा ज़हाया है और इज़्हाह भी कहते हैं, जिसकी जमा अज़्हा है। क़ुर्बानी को कहते हैं, क्योंकि इसको दिन चढ़े किया जाता है। **(2) लम यअ़्दु अन् सल्ला :** अभी आपने नमाज़ ही पढ़ी थी, इससे तजावुज़ नहीं किया था।

फ़ायदा : क़ुर्बानी बक़ौल इमाम इब्ने क़ुदामा और इमाम नववी, अक्सर अहले इल्म के नज़दीक सुन्नत है। हज़रत अबू बक्र, हज़रत उ़मर (रज़ि.) का यही नज़रिया था। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम इस्हाक़, अल्क़मा अस्वद का यही क़ौल है। इमाम अबू हनीफ़ा, रबीआ़ लैस़ और औज़ाई के नज़दीक ये वाजिब है। इमाम मालिक के नज़दीक बक़ौल इब्ने क़ुदामा वाजिब है और बक़ौल नववी सुन्नत है, जो वाजिब के क़ाइल हैं, उनके नज़दीक मालदार पर वाजिब है। (अल्मुग़नी जिल्द 13, पेज नं. 360) क़ुर्बानी का वक़्त अहले मिस्र (शहर) के लिये, इमाम के ख़ुत्बे के बाद है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, इमाम मालिक, इस्हाक़ और औज़ाई का यही ख़याल है और जहाँ ईद का ख़ुत्बा नहीं होता, वहाँ इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तुलूअ़े फ़ज्र के बाद और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक दिन चढ़ने के बाद, जब नमाज़ और दो ख़ुत्बों का वक़्त गुज़र जाये, फिर क़ुर्बानी की जा सकती है। इमाम अहमद के नज़दीक ये उन लोगों के लिये है जहाँ ईद नहीं पढ़ी जाती। (अल्मुग़नी जिल्द 13, पेज नं. 384,385) सहीह बात यही है कि क़ुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है, इमाम मालिक के नज़दीक बक़ौल नववी, इमाम के ज़िब्ह करने के बाद ज़िब्ह करना जाइज़ है, क़ुर्बानी का आख़िरी वक़्त इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद और स़ौरी के नज़दीक 12 ज़िल्हिज्जा है। इमाम शाफ़ेई, अ़ता और हसन के नज़दीक 13 ज़िल्हिज्जा है और इब्ने सीरीन के नज़दीक सिर्फ़ 10 ज़िल्हिज्जा, अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान और अ़ता बिन यसार के नज़दीक पूरा ज़िल्हिज्जा। (अल्मुग़नी जिल्द 13, पेज नं. 286) बक़ौल इमाम नववी, अ़ली बिन अबी तालिब, इब्ने अ़ब्बास, उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़, मक्हूल और दाऊद ज़ाहिरी वग़ैरह का मौक़िफ़ इमाम शाफ़ेई वाला है, सहीह बात ये है 10 को क़ुर्बानी अफ़ज़ल है और अय्यामे तशरीक़ तक जाइज़ है, हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने इसको तरजीह दी है कि अय्यामे तशरीक़ में क़ुर्बानी जाइज़ है। (ज़ादुल मआ़द)

(5065) हज़रत जुन्दब बिन सुफ़ियान (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने ईदुल अज़्हा रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ पढ़ी, जब आप लोगों को नमाज़ पढ़ाकर फ़ारिग़ हुए, तो आपने एक बकरी देखी जो ज़िब्ह की जा

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الأَسْوَدِ، بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ شَهِدْتُ

الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ " .

चुकी थी, इस पर आपने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी कर दी वो उसकी जगह बकरी ज़िब्ह करे और जिसने ज़िब्ह नहीं की, वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िब्ह करे।'

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ، أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ . كَحَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ .

(5066) इमाम साहब अपने और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं, उसमें भी बिस्मिल्लाह की बजाए अला इस्मिल्लाहि है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ، سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ أَضْحَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ " مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ " .

(5067) हज़रत जुन्दब बजली (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ईदुल अज़्हा की नमाज़ में शरीक हुआ, फिर आपने ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'जिसने नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुर्बानी कर दी है, वो उसकी जगह और क़ुर्बानी करे और जिसने ज़िब्ह नहीं की, वो बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िब्ह कर ले।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5068) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से शोबा ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ

(5069) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं, मेरे मामू अबू बुर्दा (रज़ि.) ने नमाज़ से

पहले क़ुर्बानी कर दी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये गोश्त की बकरी है।' उसने अ़र्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे यहाँ जज़्आ बकरी है। आपने फ़रमाया, 'तुम उसको क़ुर्बानी कर लो, तेरे सिवा किसी के लिये ठीक नहीं होगी।' फिर आपने फ़रमाया, 'जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी कर ली, उसने तो बस अपने खाने के लिये ज़िब्ह की है और जिसने नमाज़ के बाद ज़िब्ह की, तो उसकी क़ुर्बानी मुकम्मल हो गई और उसने मुसलमानों वाला तरीक़ा इख़्तियार किया।'

(सहीह बुख़ारी : 951, 955, 965, 968, 976, 983, 5545, 5560, 5563, 5556, 6673, अबू दाऊद : 2800, 2801, तिर्मिज़ी : 1508, 1580, 4406, 4407, 1562)

عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ " ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ " . ثُمَّ قَالَ " مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तिल्क शातु लह्म : ये गोश्त के लिये बकरी है, यानी ये क़ुर्बानी नहीं है, लेकिन इसको खा सकते हो। **(2) जज़्अह् :** पाँच छः माह का जानवर या बकरी और बक़ौल इमाम शाफ़ेई एक साल की बकरी। जज़्अह् : बकरी जो दूसरे साल में दाख़िल हो, गाय जो तीसरे में दाख़िल हो, ऊँट जो पाँचवें साल में दाख़िल हो, भेड़ बक़ौल जुम्हूर जो पूरे साल की हो लेकिन बक़ौल कुछ छः माह, आठ माह और दस माह। (मिन्नतुल मुन्इम, जिल्द 3, पेज नं. 319)

(5070) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि उनके मामू अबू बुर्दा बिन नियार (रज़ि.) ने नबी(ﷺ) से पहले क़ुर्बानी कर दी। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये ऐसा दिन है जिसमें गोश्त की ख़्वाहिश करना नापसन्दीदा है और मैंने अपनी क़ुर्बानी जल्द ही कर दी, ताकि अपने घर वालों, पड़ौसियों और मुहल्लेदारों को खिलाऊँ। तो

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ، ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ

ذَارِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعِدْ نُسُكًا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ . فَقَالَ " هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़ुर्बानी दोबारा कर।' मैंने अ़र्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास दूध पीती बकरी की बच्ची है, जो दो गोश्त वाली बकरियों से बेहतर है (ख़ूब मोटी-ताज़ी है)? आपने फ़रमाया, 'ये तेरे लिये अच्छी क़ुर्बानी है, तेरे सिवा किसी के लिये जज़अह काफ़ी नहीं है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लह्म फ़ीहि मक्रूह : यानी उस दिन किसी से गोश्त माँगना नापसन्दीदा है या ये ऐसा दिन है जिसमें गोश्त बकस़रत होता है, इसलिये कोई इसका ख़्वाहिशमन्द नहीं होता, इसलिये मैंने सबसे पहले क़ुर्बानी कर दी है, ताकि आम क़ुर्बानियों का गोश्त होने से पहले-पहले, जबकि उसकी तलब और ख़्वाहिश मौजूद है, अपने घर वालों और पड़ौसियों को खिला दूँ और कुछ नुस्ख़ों में मक़रूम है, वो आम रिवायात यश्तही फ़ीहिल्लहम (उसमें गोश्त की सुबह-सुबह यानी इब्तिदा में तलब और ख़्वाहिश होती है) के मुताबिक़ है, क्योंकि क़रम गोश्त की ख़्वाहिश को कहते हैं। **(2) अ़नाक़ लबन :** दूध पीती बकरी, जो बक़ौल ज़ोहरी एक साल की हो और बक़ौल इब्ने अस़ीर एक साल से कम हो, लेकिन ख़ूब मोटी-ताज़ी होने की वजह से गोश्त के लिये की गई, दो बकरियों से बेहतर है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ " لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ " . قَالَ فَقَالَ خَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ .

(5071) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'तुममें से कोई नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुर्बानी ज़िब्ह न करे।' तो मेरे मामू ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये एक ऐसा दिन है, जिसमें गोश्त दिन के आख़िरी हिस्से में) नापसन्दीदा हो जाता है, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،

(5072) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया,

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ " . فَقَالَ خَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي . فَقَالَ " ذَاكَ شَىْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ " . فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ " ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ " .

'जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी और हमारे क़िब्ले का रुख़ किया और हमारी तरह क़ुर्बानी की, वो नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुर्बानी ज़िब्ह न करे।' तो मेरे मामू ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने बेटे की तरफ़ से क़ुर्बानी कर चुका हूँ? आपने फ़रमाया, 'ये तो ऐसी चीज़ है जो तूने अपने घर वालों के लिये उ़ज्लत से कर ली है।' उसने कहा, मेरे पास एक बकरी है जो दो बकरियों से बेहतर है।' आपने फ़रमाया, 'तुम उसको क़ुर्बान कर लो, क्योंकि (ये पहली बकरी के साथ मिलकर) बेहतरीन क़ुर्बानी है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : क़द नसक्तु अनिब्नि ली : यानी मैंने अपने घर वालों की तरफ़ से या उनके खाने के लिये ज़िब्ह कर ली है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَىْءٍ " . وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ " اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

(5073) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'आज के दिन सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर वापस जाकर क़ुर्बानी करेंगे, जिसने इस तरह किया, उसने हमारे तरीक़े पर अ़मल कर लिया और जिसने ज़िब्ह कर लिया है, वो तो गोश्त है जो उसने पहले अपने घर वालों को पेश कर दिया है, उसका क़ुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।' और अबू बुर्दा बिन नियार (रज़ि.) क़ुर्बानी कर चुके थे। उन्होंने कहा, मेरे पास जज़अ़ह् है जो मुसिन्नह से बेहतर है। तो आपने फ़रमाया, 'तुम उसको ज़िब्ह करो, तेरे सिवा किसी के लिये काफ़ी नहीं होगी।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : मुसिन्नह : दो दाँता, जिसके दो दाँत गिर चुके हों और बक़ौल अहनाफ़ एक साल का।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

(5074) यही रिवायत मुसन्निफ़ एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ ‏.‏

(5075) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें कुर्बानी के दिन नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ ‏"‏ فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ‏"‏ ‏.‏

(5076) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें कुर्बानी के दिन ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'कोई नमाज़ पढ़ने से पहले हर्गिज़ कुर्बानी न करे।' एक आदमी ने कहा, मेरे पास दूध से पला बकरी का बच्चा है, जो गोश्त वाली दो बकरियों से बेहतर है? आपने फ़रमाया, 'तुम उसे ज़िब्ह कर लो, तेरे सिवा ज़ज़आ किसी के लिये काफ़ी नहीं होगा।'

(5077) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं हज़रत अबू बुर्दा (रज़ि.) ने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी ज़िब्ह कर डाली। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसका बदल दो।' उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास जज़अह् के सिवा कुछ नहीं। उसने कहा, वो मुसिन्नह से बेहतर है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसकी जगह उसे करो और तेरे सिवा हर्गिज़ किसी को काफ़ी नहीं होगा।'
(सहीह बुख़ारी : 5557)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَبْدِلْهَا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "

(5078) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से शोबा ही की सनद से बयान करते हैं और उसमें इस क़ौल के बारे में शक का इज़हार नहीं किया गया कि वो मुसिन्नह से बेहतर है।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ .

(5079) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन फ़रमाया, 'जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी ज़िब्ह कर दी है, वो दोबारा क़ुर्बानी करे।' तो एक आदमी ने खड़े होकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये ऐसा दिन है (जिसके शुरू में) गोश्त की तलब व ख़्वाहिश होती है और उसने पड़ौसियों की ज़रूरत का तज़्किरा किया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसको सच्चा मान लिया। उसने कहा, मेरे पास एक जज़अह् है जो मुझे गोश्त वाली दो बकरियों से महबूब है, क्या मैं उसे ज़िब्ह कर दूँ? आपने उसे

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ " مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ . وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا قَالَ فَرَخَّصَ لَهُ فَقَالَ لاَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ قَالَ وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا . أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا .

इजाज़त दे दी और मुझे मालूम नहीं इसकी रुख़सत दूसरों को भी हासिल हुई या नहीं? और रसूलुल्लाह(ﷺ) दो मेण्ढों की तरफ़ मुड़े और उन्हें ज़िब्ह किया और लोग बकरियों के एक छोटे रेवड़ की तरफ़ उठे और उसे आपस में तक़सीम किया या बांट लिया।

(सहीह बुख़ारी : 954, 984, 5546, 5549, 5561, 5554, नसाई : 7/222-223, 7/220, 3/193, इब्ने माजह : 3151)

मुफ़रदातुल हदीस़ : तवज़्ज़ऊ या तजज़्ज़ऊ : दोनों हम मानी लफ़्ज़ हैं, मक़सद ये है कि उन्होंने रेवड़ की बकरियाँ आपस में बांट कर ज़िब्ह कर लीं।

फ़ायदा : अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ जज़अह् बकरी की क़ुर्बानी हज़रत अबू बुर्दा के लिये ख़ास थी और कोई इंसान जज़अह् बकरी क़ुर्बानी की सूरत में ज़िब्ह नहीं कर सकता।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

(5080) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाने के बाद ख़ुत्बा दिया और जिस शख़्स ने नमाज़ से पहले जानवर ज़िब्ह कर लिया था, उसको दोबारा क़ुर्बानी करने का हुक्म दिया, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحَى - قَالَ - فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَالَ " مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا .

(5081) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें क़ुर्बानी के दिन ख़ुत्बा दिया और गोश्त की बू महसूस की, तो उन्हें (नमाज़ से पहले) ज़िब्ह करने से मना कर दिया, फ़रमाया, 'जो क़ुर्बानी ज़िब्ह कर चुका है वो दोबारा क़ुर्बानी दे' आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

बाब 2 : क़ुर्बानी के जानवर

باب سِنِّ الأُضْحِيَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ" .

(5082) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सिर्फ़ मुसिन्नह ज़िब्ह करो, इल्ला (मगर) ये कि तुम्हारे लिये दुश्वार हो और न मिले तो जज़अह् दुम्बा, छितरा कर लो।'

(अबू दाऊद : 2797, नसाई : 7/218, इब्ने माजह : 3141)

फ़ायदा : जज़अह् : अहनाफ़ और हनाबिला के नज़दीक जज़अह् छ: माह का बकरा या छितरा है और शवाफ़ेअ के नज़दीक जो साल का हो और बक़ौल इमाम नववी वहुवल अश्हरु इन्द अहलिस्सुन्नह वग़ैरुहुम अहले सुन्नत और दूसरों के यहाँ यही मशहूर है और मुसिन्नह मुसन्ना को कहते हैं जिसके सामने के दाँत गिर गये हों, अहनाफ़ के नज़दीक एक साल का बकरा मुसन्ना हो जाता है, इसलिये वो मुसिन्नह का मानी एक साल का करते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक साल के बाद उसके सामने के दाँत गिर जायें, जबकि क़ुर्बानी के लिये मुसन्ना का होना ज़रूरी है।

फ़ायदा : दुम्बा, छितरा, मेण्ढा अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक जज़अह् भी हो तो क़ुर्बानी किया जा सकता है। क्योंकि कुछ रिवायात में है, जज़अह्, दुम्बा, छितरा बेहतरीन क़ुर्बानी है और मुसिन्नह के न मिलने की क़ैद इस्तिहबाब के लिये है, लेकिन शवाफ़ेअ के नज़दीक दुम्बा, छितरा, बकरा, जज़अह एक साल की उम्र में होगा और अहनाफ़ के नज़दीक बकरा और दुम्बा, छितरा छ: माह का हो तो जज़आ होगा।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ

(5083) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें मदीना में क़ुर्बानी के दिन नमाज़ पढ़ाई। तो कुछ लोगों ने आगे बढ़कर क़ुर्बानी की, उन्होंने ख़याल किया, नबी(ﷺ) ने क़ुर्बानी

فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلاَ يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

कर ली है तो नबी(ﷺ) ने उन लोगों को जिन्होंने आपसे पहले क़ुर्बानी कर ली थी, दोबारा क़ुर्बानी करने का हुक्म दिया और फ़रमाया, 'नबी जब तक क़ुर्बानी न करें, तुम क़ुर्बानी न करो।'

फ़ायदा : अक्सर अइम्मा के नज़दीक इस हदीस़ का मक़सद ये है कि नबी(ﷺ) ख़ुत्ब-ए-ईद के बाद क़ुर्बानी करते थे, इसलिये क़ुर्बानी ईद की नमाज़ के बाद की जायेगी, अगर कोई ईद से पहले क़ुर्बानी कर देगा, तो वो क़ुर्बानी नहीं होगी और मालिकिया के नज़दीक इसका मानी ये है इमाम की क़ुर्बानी के बाद क़ुर्बानी की जायेगी, जिसने इमाम से पहले क़ुर्बानी कर दी, उसकी क़ुर्बानी नहीं होगी।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ضَحِّ بِهِ أَنْتَ " . قَالَ قُتَيْبَةُ عَلَى صَحَابَتِهِ .

(5084) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे साथियों में तक़सीम करने के लिये बकरियाँ दीं ताकि वो क़ुर्बानी कर लें। तो एक अ़तूद बकरी रह गई, उसने उसका रसूलुल्लाह(ﷺ) से ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया, 'ये तुम कर लो।' क़ुतैबा ने अस्हाबिही की जगह सहाबतिही कहा है (मानी एक ही है)।
(सहीह बुख़ारी : 2300, 2500, 5555, तिर्मिज़ी : 1500, नसाई : 4391, इब्ने माजह : 3138)

फ़ायदा : अ़तूद जमअ़ इअ़्तदह : बक़ौल जोहरी एक साल का बकरी का बच्चा जिसको अगली रिवायत में जज़अ़ह् कहा है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

(5085) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर जुहनी (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हममें क़ुर्बानियाँ तक़सीम फ़रमाईं और मुझे जज़अ़ह् मिला। मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह

عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ . فَقَالَ "ضَحِّ بِهِ".

के रसूल! मुझे तो जज़अह् मिला है। आपने फ़रमाया, 'तुम उसे ही क़ुर्बानी कर लो।'

(सहीह बुख़ारी : 5547, तिर्मिज़ी : 1500, नसाई : 7/218, 219)

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ . بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

(5086) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने साथियों में क़ुर्बानी के जानवर तक़सीम फ़रमाये, ऊपर की रिवायत के हम मानी है।

फ़ायदा : कुछ रिवायतों में ये तसरीह मौजूद है कि इसकी रुख़सत तुम्हारे लिये ही है, क्योंकि आपने ख़ुद ही यही जानवर उन्हें दिया था, यही रुख़सत आपने अबू बुर्दा और उक़्बा की तरह हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) को दी थी। (शरह नववी, तक्मिला पेज नं. 560)

باب اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلاَ تَوْكِيلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

बाब 3 : क़ुर्बानी का मुस्तहब होना और ख़ुद बग़ैर वकील के वास्ते से ज़िब्ह करना और बिस्मिल्लाह और तकबीर पढ़ना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

(5087) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने हाथ से बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर कह कर दो सींगों वाले गन्दुमगूँ मेण्ढे क़ुर्बानी किये और अपना पाँव (क़दम) उनके पहलू पर रखा।

(सहीह बुख़ारी:5565, तिर्मिज़ी: 1494, नसाई : 399)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अम्लह : स्याह व सफ़ेद, सफ़ेदी माइल, बक़ौल अस्मई ख़ाकिसतरी रंग और बक़ौल इब्नुल अरबी, ख़ालिस सफ़ेद। सुर्ख़ी माइल यानी गन्दुम गूँ। **(2) अक़रनैन :** सींगों वाले, कुछ रिवायात में मौजौऐन ख़सी का इज़ाफ़ा है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है क़ुर्बानी के जानवर को लिटाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ से ज़िब्ह करना चाहिये और क़ुर्बानी का जानवर ख़ूबसूरत मोटा-ताज़ा होना चाहिये और आपने जानवर की गर्दन पर पाँव रखा ताकि वो हरकत न करे और उसको ज़िब्ह करना आसान हो, अपनी मौजूदगी में किसी दूसरे से ज़िब्ह करवाना जाइज़ है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ .

(5088) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) दो गन्दुमी रंग सींगों वाले मेण्ढे क़ुर्बानी किये और मैंने आपको देखा, आप उन दोनों को अपने हाथ से ज़िब्ह कर रहे थे और मैंने आपको देखा, आपने अपना क़दम उनकी गर्दन पर रखा हुआ था और आपने बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा।

(सहीह बुख़ारी : 5558, नसाई : 7/230, 7/231, इब्ने माजह : 3210, 3155)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ . قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ .

(5089) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं शोबा कहते हैं, मैंने क़तादा से पूछा, क्या तूने ये रिवायत बराहे रास्त हज़रत अनस (रज़ि.) से सुनी है? उसने कहा, हाँ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَقُولُ " بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " .

(5090) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, उसने सम्मा व कब्बर की बजाए बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहा।

(नसाई : 7/231)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا " يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " . ثُمَّ قَالَ " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ " . فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ " . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .

(5091) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुक्म दिया कि एक सींगों वाला मेण्ढा लाया जाये, जिसके पैर, पेट और आँखें स्याह हों, तो उसे लाया गया ताकि आप उसे क़ुर्बानी करें। आपने उसे फ़रमाया, 'ऐ आइशा! छुरी लाओ।' फिर फ़रमाया, 'इसे पत्थर से तेज़ करो।' उन्होंने ऐसा किया, फिर आपने छुरी पकड़ी और मेण्ढा पकड़कर उसे लिटाया, फिर उसे ज़िब्ह करने लगे और फ़रमाया, 'बिस्मिल्लाह ऐ अल्लाह! मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ़ से क़ुबूल फ़रमा।' फिर उसे ज़िब्ह कर डाला। (अबू दाऊद : 2792)

फ़ायदा : मुसलमानों के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ छोटा जानवर बायें पहलू पर लिटाया जायेगा, ताकि दायें हाथ में छुरी पकड़कर बायें हाथ से उसका सर पकड़ा जा सके और ज़िब्ह करने में सहूलत हो और इस हदीस से साबित होता है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने और अपने घर वालों की तरफ़ से एक ही क़ुर्बानी करते थे। इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक इंसान अपने अहलो-अयाल समेत एक क़ुर्बानी कर सकता है। इमाम नववी ने इसको अपना और जुम्हूर का मौक़िफ़ क़रार दिया है और कहा है सौरी और अहनाफ़ के नज़दीक सबकी तरफ़ से एक क़ुर्बानी मकरूह है। लेकिन ख़तीब शिरबीनी और रमली ने लिखा है कि ये सवाब में शिरकत है, क़ुर्बानी में शिरकत नहीं है। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 564) इस तरह हन्फ़ियों और शाफ़ेइयों के नज़दीक दूसरों को सवाब में तो शरीक किया जा सकता है, उनकी तरफ़ से क़ुर्बानी नहीं होगी, यानी अहनाफ़ के नज़दीक क़ुर्बानी सिर्फ़ मालदार पर है। इसलिये ज़ेरे किफ़ालत बच्चों और बीवी पर क़ुर्बानी नहीं है, लेकिन सवाल ये है आपने कहीं ये हुक्म दिया है कि घर का हर मालदार फ़र्द क़ुर्बानी दे, आपने अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि क़ुर्बानी करें।

और ये कहना कि अगर एक बकरी एक से ज़्यादा के लिये काफ़ी है, तो फिर गाय सात से ज़्यादा की तरफ़ से जाइज़ होनी चाहिये, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि गाय में सात हिस्से होंगे, ये मुराद नहीं है कि सात लोगों की तरफ़ से है। इस तरह ये कहना कि अगर बकरी एक घराने की तरफ़ से है तो इसका मानी हुआ कि एक घर के पाँच लोग हैं, तो एक की तरफ़ से पाँचवाँ हिस्सा हुआ, क्योंकि हदीस का

मक़सद तो ये है कि ख़ानदान के निगरान और क़य्यिम की क़ुर्बानी सबकी तरफ़ से है, हर एक पर अलग-अलग क़ुर्बानी नहीं है।

باب جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

बाब 4 : दाँत, नाख़ुन और हड्डियों के सिवा हर ख़ून बहाने वाले चीज़ से ज़िब्ह करना जाइज़ है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ صلى الله عليه وسلم " أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ " . قَالَ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا " .

(5092) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! कल हमारी दुश्मन से टक्कर होने वाली है और हमारे पास छुरी नहीं है (कि ख़ूराक के लिये जानवर ज़िब्ह कर सकें) आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जल्दी से या होशियारी से जिससे ख़ून बह जाये और अल्लाह का नाम लिया जाये, उसको खा लो। दाँत और नाख़ुन न हो और मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, दाँत तो हड्डी है और नाख़ुन हब्शियों की छुरी है।' नाफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, हमें ग़नीमत में ऊँट और बकरियाँ मिलीं, तो उनसे एक ऊँट भाग खड़ा हुआ। तो उसे एक आदमी ने तीर मारकर रोक लिया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उन ऊँटों में कुछ जंगली भागने वाले जानवरों की तरह भगोड़े होते हैं, जब उनमें से कोई तुम पर ग़ालिब आ जाये (क़ाबू में न आये) तो उसके साथ इस तरह करो।'

(सहीह बुख़ारी : 2488, 507, 3075, 5498, 5503, 5509, 5543, 5544, 5506, अबू दाऊद : 2921, तिर्मिज़ी : 1492, नसाई : 4308, 7/228-229, इब्ने माजह : 3183, तिर्मिज़ी : 1491, 1600, नसाई : 7/221, 4415, इब्ने माजह : 3137, 3178)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अवाबिद : आबिदह् की जमा है, भगोड़े, बिदकने वाले। **(2) मुद्‌यतुन मुदा :** छुरी। **(3) अरनी :** इस लफ़्ज़ और इसके मानी में इख़्तिलाफ़ है, जिसका ख़ुलासा इस तरह है :

(1) ये लफ़्ज़ अरान अरानह से अक़िम या अतिअ के वज़न पर अम्र का सेग़ा अरिन है कहते हैं अरानल क़ौमु लोगों के मवेशी हलाक हो गये, इस तरह ये फ़ैअ़ले लाज़िम है, लेकिन यहाँ मुतअ़द्दी का मानी है कि ज़िब्ह करके उसे हलाक करो।

(2) ये इअ़्ति के वज़न इरनि है जिसका मानी होता है किसी चीज़ को मुसलसल देखना, यानी तसल्सुल के साथ बग़ैर सुस्ती के ज़िब्ह कर।

(3) ये लफ़्ज़ अरा युरा इराअह से इरिनी है यानी जिससे तुम ज़िब्ह करना चाहते हो, मुझे दिखाओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ।

(4) ये लफ़्ज़ अरिनी है और तख़्फ़ीफ़ के लिये रा को साकिन करके अरनी बना दिया गया है।

(5) ये लफ़्ज़ अरिन यारनु से इरन बर वज़न इअ़्लम है, निशात में आना, हल्का होना यानी चुस्ती से जल्दी करके ज़िब्ह कर डालो, कहीं उसका गला न घोंट डालो। लेकिन इस सूरत में दूसरा हम्ज़ह या होना चाहिये यानी ईरन होगा।

फ़ायदा : तेज़ धार आला से ज़िब्ह करने से असल मक़सूद ये है जानवर से ख़ून निकालना मतलूब है, जो हराम है। दाँत, नाख़ुन और हर क़िस्म की हड्डी से ज़िब्ह करना, इसलिये मना किया गया है क्योंकि इनसे जानवर सहीह तरीक़े से ज़िब्ह नहीं होता। जबकि उसका गला घुटता है, जो उसके लिये तकलीफ़ का बाइस है। लेकिन जो जानवर भाग खड़ा हो और उसको ज़िब्ह या नहर करना मुम्किन न हो, ये इज़्तिरारी तौर पर उसके जिस्म के किसी हिस्से को भी काटकर ख़ून निकाला जा सकता है, लेकिन अगर उसको पकड़ कर ज़िब्ह या नहर किया जा सकता हो या कुँऐं में गिर गया हो और उसे निकाल कर ज़िब्ह किया जा सकता हो, तो फिर इज़्तिरारी ज़कात काफ़ी नहीं होगी। जुम्हूर उलमा का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम मालिक, रबीआ और लैस के नज़दीक इज़्तिरारी ज़कात सिर्फ़ जंगली हैवानात के लिये है, मानूस हैवानात के लिये ये किसी सूरत में काफ़ी नहीं है।

(5093) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ तिहामा के इलाक़े में ज़ुल्हुलैफ़ा नामी जगह पर थे, हमें ग़नीमत में ऊँट और बकरियाँ

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

हासिल हुईं, लोगों ने जल्दबाज़ी से काम लिया, (उन को ज़िब्ह कर दिया) और उनसे हण्डियों को जोश दिया। आपने उनको उण्डेलने का हुक्म दिया। फिर आपने दस बकरियाँ, एक ऊँट के बराबर क़रार दीं, आगे मज़्कूरा बाला का बाक़ी हिस्सा है।

फ़ायदा : ग़नीमत की तक़सीम में दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर क़रार दिया गया है। इससे सईद बिन मुसय्यब और इमाम इस्हाक़ ने क़ुर्बानी में ऊँट के दस हिस्से क़रार दिये हैं। अगरचे हदी में वो सात हिस्सों में तक़सीम किया जाता है और तिर्मिज़ी की हदीस़ नम्बर 1537 इब्ने माजह की हदीस़ नम्बर 3169 जो हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है उसमें ऊँट को क़ुर्बानी में दस हिस्सों में तक़सीम किया गया है। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक जिनमें अइम्म-ए-अरबआ दाख़िल हैं, ऊँट में भी सात ही हिस्से होंगे। (तक्मिला, जिल्द 3, पेज नं. 571) लेकिन इमाम इब्ने क़ुदामा के बक़ौल इमाम मालिक के नज़दीक इश्तिराक जाइज़ नहीं है। (अल्मुग़नी जिल्द 13, पेज नं. 364)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ .

(5094) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा कल दुश्मन से मुक़ाबला होने वाला है और हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं, क्या हम बाँस की फांक से ज़िब्ह कर सकते हैं, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है। इसमें है हमसे एक ऊँट भाग गया तो हमने उसको तीर मारा यहाँ तक कि हमने उसको ज़मीन पर गिरा लिया।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लीत : हर चीज़ के छिलके को कहते हैं और क़सब बाँस को कहते हैं।**(2) हस्नाहु :** हमने उस पर ज़ोरदार तीर अन्दाज़ी की या उसको ज़मीन पर गिरा लिया।

(5095) इमाम साहब एक और इस्नाद से ये हदीस़ मुकम्मल तौर पर बयान करते हैं और उसमें ये भी है, हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं, क्या हम बाँस से ज़िब्ह कर लें?

وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ

(5096) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान करते हैं, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम कल दुश्मन से टकराने वाले हैं और हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं, आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की, लेकिन उसमें ये नहीं है लोगों ने जल्दबाज़ी से काम लिया और उनसे हण्डियों को जोश दिया और आपके हुक्म से उनको उलट दिया गया, बाक़ी क़िस्सा पूरा बयान किया।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ

बाब 5 : शुरू इस्लाम में तीन दिन से ज़्यादा गोश्त खाना मम्नूअ (मना) था और फिर ये मन्सूख़ हो गया, अब जब तक चाहे कुर्बानी का गोश्त खा सकता है

باب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْىِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ

(5097) अबू उबैद (रह.) बयान करते हैं, मैंने ईद में हज़रत अली बिन अबी तालिब के साथ शिरकत की, तो उन्होंने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुर्बानी का गोश्त तीन दिन के बाद खाने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاَثٍ

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने फ़कीरों और मोहताजों की ज़रूरत के पेशे नज़र तीन दिन से ज़्यादा गोश्त रखने से मना फ़रमाया था ताकि ज़रूरतमन्दों में बांट दिया जा सके। हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत उ़समान (रज़ि.) के मुहासरे के दिनों में, जब फिर अहलुल बवादी (जंगली) मदीना में आ गये और उनकी ज़रूरत व हाजत पूरी करने के लिये गोश्त तक़सीम करने की ज़रूरत महसूस की, तो ये हदीस़ सुनाई। वैसे इल्लत के ख़त्म होने की बिना पर ये हदीस़ मन्सूख़ है जैसाकि आगे तसरीह आ रही है, अक्स़र अहले इल्म का यही क़ौल है और बेहतर ये है कि गोश्त के तीन हिस्से किये जायें, एक हिस्सा घर के लिये, एक हिस्सा दोस्त-अहबाब और पड़ौसियों के लिये और एक हिस्सा फ़क़ीरों-मिस्कीनों के लिये। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से इस तरह मन्क़ूल है। इमाम अहमद का यही क़ौल है और दूसरा क़ौल ये है, आधा घर के लिये और आधा तक़सीम के लिये और अहनाफ़ के नज़दीक जितना ज़्यादा सदक़ा करेगा, वही बेहतर है। सहीह क़ौल यही है इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जितना सदक़ा करेगा, उतना ही अज्र व स़वाब मिलेगा। तफ़्सील के लिये अल्मुग़नी जिल्द 13, पेज नं. 379-380 इमाम अहमद के बक़ौल हज़रत अ़ली और इब्ने उ़मर (रज़ि.) तक तीन दिन से ज़्यादा रुख़सत नहीं पहुँची। इसलिये वो दलील पर क़ायम रहे। (अल्मुग़नी जिल्द 13, पेज नं. 381)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ - فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلاَ تَأْكُلُوا

(5098) इब्ने अज़हर के आज़ाद करदा गुलाम अबू उ़बैद (रह.) बयान करते हैं मैं ईद में हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ हाज़िर हुआ। फिर मैंने हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब के साथ पढ़ी। उन्होंने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तुम्हें इस बात से मना फ़रमाया है कि क़ुर्बानी के गोश्त को तीन रातों से ज़्यादा खाओ, इसलिये मत खाओ।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(5099) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से ज़ुहरी ही की सनद से ये हदीस़ बयान करते हैं।

(5100) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई एक भी अपनी क़ुर्बानी के गोश्त से तीन दिन से ज़्यादा न खाये।'
(तिर्मिज़ी : 1509)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " .

फ़ायदा : ये तीन दिन क़ुर्बानी के बाद हैं जैसाकि फ़ौक़ सलास़ लयालिन से साबित है। इसलिये इस हदीस़ से इस्तिदलाल ये करना कि 13 को क़ुर्बानी करना सहीह नहीं है, दुरुस्त नहीं है।

(5101) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं, जैसाकि लैस़ ने बयान किया है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

(5102) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ुर्बानियों का गोश्त तीन दिन के बाद खाने से मना फ़रमाया है, हज़रत सालिम (इब्ने उमर से) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर क़ुर्बानियों का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा नहीं खाते थे, इब्ने अरबी उमर की रिवायत में फ़ौक़ स़लास़िन की बजाए बअ्द स़लास़ है।
(नसाई : 7/232)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ . قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلاَثٍ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادَّخِرُوا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ " . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَا ذَاكَ " . قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ . فَقَالَ " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا " .

(5103) अ़ब्दुल्लाह बिन वाक़िद (रह.) ने बताया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ुर्बानियों का गोश्त तीन दिन के बाद खाने से मना फ़रमाया। (इब्ने वाक़िद के शागिर्द) अ़ब्दुल्लाह बिन अबी बक्र कहते हैं, मैंने इस हदीस़ का तज़्किरा हज़रत अ़म्रह से किया, तो उसने कहा, उसने सच कहा। मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) को ये बयान करते सुना, 'ईदुल अज़्हा के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में कुछ बादिया नशीन घराने आये। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन दिन के लिये ज़ख़ीरा कर लो और बाक़ी सदक़ा कर दो।' जब उसके बाद ईद आई, सहाबा किराम ने अ़र्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग अपनी क़ुर्बानियों से मश्कीज़े बनाते हैं और उनसे चर्बी पिघलाते हैं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फिर क्या हुआ?' तो उन्होंने अ़र्ज़ किया, आपने क़ुर्बानियों का गोश्त तीन दिन के बाद खाने से मना कर दिया है। आपने फ़रमाया, 'मैंने तो बस आने वाले जमाअ़त की आमद की ख़ातिर मना किया था, खाओ! ज़ख़ीरा करो और सदक़ा भी करो।'

(नसाई : 4443)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अद्दाफ़्फ़ह : शहर में आने वाली बादिया नशीन जमाअ़त।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है मुमानिअ़त का हुक्म क़ानूनी हुक्म नहीं था, ये तो सिर्फ़ एक वक़्ती और आरज़ी ज़रूरत के तहत इस मस्लिहत की ख़ातिर था कि बाहर से आने वाले ज़रूरतमन्दों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, इसलिये आपने सहाबा किराम के इस सवाल पर कि हम क़ुर्बानियों से मश्कें बनाते थे और चर्बी पिघलाते थे, तअ़ज्जुब का इज़हार करते हुए फ़रमाया, 'मा ज़ाक' अब

इसमें क्या हर्ज है या फिर क्या हुआ? इसलिये यहाँ नस्ख़ का सवाल नहीं है, क्योंकि ये फ़िक़्ही या क़ानूनी हुक्म नहीं था, एक वक़्ती मस्लिहत का तक़ाज़ा था और अब भी ये मस्लिहत हो, किसी इलाक़े या शहर और बस्ती में क़ुर्बानियों की तादाद कम हो और मोहताज व ज़रूरतमन्द ज़्यादा हों, तो अब भी लोगों का अख़्लाक़ी फ़र्ज़ यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त सदक़ा किया जाये, जुम्हूर के नज़दीक सदक़ा करने का हुक्म इस्तिहबाबी है, जैसाकि खाने का हुक्म इस्तिहबाबी है, अगरचे कुछ अइम्मा के नज़दीक क़ुर्बानी के गोश्त का कुछ हिस्सा सदक़ा करना फ़र्ज़ है और खाना भी फ़र्ज़ है।

(5104) हज़रत जाबिर (रज़ि.) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने तीन दिन के बाद क़ुर्बानियों का गोश्त खाने से मना किया, फिर बाद में फ़रमाया, 'खाओ! ज़ादे राह बनाओ, और ज़ख़ीरा करो।'
(नसाई : 7/233)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से उन सूफ़ियों की भी तर्दीद होती है जो कहते हैं कि अगले दिन के लिये खाना ज़ख़ीरा करना जाइज़ नहीं है और जो किसी चीज़ का कुछ भी ज़ख़ीरा करता है, वो वली नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह के साथ बदगुमानी है। हुज़ूर(ﷺ) ख़ुद साल भर के लिये ग़ल्ला रखते थे और सहाबा किराम को ज़ख़ीरा करने का हुक्म दे रहे हैं और जाइज़ अस्बाब अपनाना ख़िलाफ़े तवक्कल नहीं है, हाँ ये अलग बात है कि किसी वक़्ती ज़रूरत के तहत अपना सब कुछ सदक़ा कर दे और अल्लाह पर तवक्कल करे कि वो और दे देगा।

(5105) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से बयान करते हैं, हम अपनी हज की क़ुर्बानियों से मिना के तीन दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं खाते थे। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें रुख़सत देते हुए फ़रमाया, 'खाओ और ज़ादे राह तैयार करो।' इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अ़ता से पूछा, जाबिर (रज़ि.) ने ये भी कहा, यहाँ तक कि हम

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ، عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ

مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " . قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ .

मदीना पहुँच गये? उसने कहा, हाँ।
(सहीह बुख़ारी : 1719)

फ़ायदा : बुख़ारी शरीफ़ में (किताबुल अत्ईमह में) है इब्ने जुरैज ने अ़ता से सवाल किया, क्या जाबिर (रज़ि.) ने ये कहा था, यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गये? उन्होंने कहा, नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस रिवायत को तरजीह दी है कि इलल मदीनह् मदीना के लिये ज़ादे राह बनाया, ये तो दुरुस्त है। लेकिन मदीना तक उसका बाक़ी रहना ज़रूरी नहीं है। इसलिये ला से मुराद ये है कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने मदीना तक गोश्त बाक़ी रहने की तसरीह नहीं की, जैसाकि आगे आ रहा है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا لاَ نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا. يَعْنِي فَوْقَ ثَلاَثٍ.

(5106) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हम क़ुर्बानियों का गोश्त (मुराद हदाया हज की क़ुर्बानी) तीन दिन से ज़्यादा नहीं रखते थे, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें उससे ज़ादे राह बनाने और तीन दिन से ज़्यादा खाने का हुक्म दिया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5107) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में हज की हदी का गोश्त मदीना की तरफ़ जाते वक़्त ज़ादे राह बनाते थे।
(नसाई : 2980, 5424, 5567)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ح

(5108) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ मदीना के लोगो! क़ुर्बानियों का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा न खाओ।' इब्ने मुसन्ना

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي، نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ " . وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ . فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ " كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا " . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَى .

कहते हैं, फ़ौक़ सलासति अय्यामिन यानी सलास की जगह सलासति अय्यामिन कहा। तो सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से शिकायत की, हमारे अहलो-अयाल, नौकर-चाकर और ख़िदमतगुज़ार हैं। तो आपने फ़रमाया, 'खाओ-खिलाओ, रोको या ज़ख़ीरा करो।' इब्ने मुसन्ना कहते हैं, अब्दुल आला ने शक का इज़हार किया है (रोको या ज़ख़ीरा करो)।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئًا " . فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ " لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ " .

(5109) हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से जिसने क़ुर्बानी की है, तीसरे दिन के बाद उसके घर में गोश्त का कोई टुकड़ा न रहे।' तो जब अगला साल आया, सहाबा किराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम पिछले साल की तरह करें? आपने फ़रमाया, 'नहीं! पिछले साल तो लोग मशक़्क़त (भूख) में मुब्तला थे, तो मैंने चाहा उनमें गोश्त फैल जाये।'

(सहीह बुख़ारी : 4545)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, सहाबा किराम ने तीन दिन से ज़्यादा गोश्त की बन्दिश के हुक्म को हमेशा के लिये दीन समझा था, इसलिये उन्हें ये कहने की ज़रूरत महसूस हुई कि हम पिछले साल की तरह करें? और आपके जवाब से भी ये मालूम हुआ कि नही (मना) एक ज़रूरत और हाजत के तहत इस मस्लिहत के लिये थी कि गोश्त सब मोहताजों को आसानी के साथ मिल सके।

(5110) हज़रत स़ौबान (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी कुर्बानी ज़िब्ह की, फिर फ़रमाया, 'ऐ स़ौबान! इस गोश्त को, दुरुस्त करो (ताकि ज़ख़ीरा हो सके)।' और मैं आपको मदीना पहुँचने तक उससे खिलाता रहा।
(अबू दाऊद : 2814)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي، الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ " يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ " . فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

(5111) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5112) रसूलुल्लाह(ﷺ) के आज़ाद करदा ग़ुलाम स़ौबान (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ़ के मौक़े पर फ़रमाया, 'इस गोश्त को दुरुस्त कर लो।' मैंने उसको ठीक करके रख लिया, आप उसे मदीना पहुँचने तक खाते रहे।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ " . قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ .

(5113) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें हज्जतुल वदाअ़ का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " .

(5114) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (रह.) की अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था, तो उनकी ज़ियारत करो और मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानियों का गोश्त खाने से मना किया था, अब जब तक चाहो उसे रोके रखो और मैंने तुम्हें मश्कीज़े के सिवा नबीज़ पीने से रोका था, अब हर क़िस्म के बर्तनों में पियो, लेकिन नशावर सूरत में न पियो।'

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ " . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ .

(5115) इमाम साहब एक और उस्ताद से इब्ने बुरैदा की अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें रोका था' आगे मज़्कूरा बाला अबू सिनान की रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की।

फ़ायदा : ज़ियारते क़ुबूर का मसला किताबुल जनाइज़ में गुज़र चुका है और मश्कीज़े में नबीज़ का ज़िक्र आगे किताबुल अशरिबा में आ रहा है और किताबुल ईमान में भी गुज़र चुका है।

बाब 6 : फ़रअ और अ़तीरह्

باب الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

(5116) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रअ और अ़तीरह् की कोई हैसियत नहीं।' इब्ने राफ़ेअ अपनी रिवायत में ये इज़ाफ़ा बयान करते हैं कि फ़रअ से मुराद ऊँटनी का पहला बच्चा जिसे वो (अपने माबूदाने बातिला के लिये) ज़िब्ह करते थे।
(सहीह बुख़ारी : 5473, तिर्मिज़ी : 1512, 5473, 5474, अबू दाऊद : 2831, तिर्मिज़ी : 1512, नसाई : 7/167, इब्ने माजह : 3168)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ " . زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ .

फ़ायदा : फ़रअ वो जानवर का पहला बच्चा है जो अहले जाहिलिय्यत अपने बुतों के लिये ज़िब्ह करते थे। इस तरह जब ऊँट सौ हो जाते, तो वो हर साल बुतों के लिये ऊँट ज़िब्ह करते और ख़ुद उसे न खाते, इसी तरह अ़तीरह् बुतों के लिये रजब के पहले अशरे में ज़िब्ह करते थे और उसको रजबिया भी कहते थे और अब भी अगर उनको ग़ैरुल्लाह के लिये ज़िब्ह किया जाये, तो ये मम्नूअ है। लेकिन अगर कोई अल्लाह तआला के तक़र्रुब व ख़ुश्नूदी के लिये ज़िब्ह करे और अहले जाहिलिय्यत के अमल को नमूना न बनाये, तो जाइज़ है। इसलिये इमाम शाफ़ेई ने इसको मुस्तहब क़रार दिया है, क्योंकि कुछ रिवायात में इसको जाइज़ क़रार दिया गया है।

बाब 7 : जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहे वो अशर-ए-ज़िल्हिज्जा में अपने बाल और नाख़ुन बिल्कुल न काटे

باب نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " . قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لاَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّي أَرْفَعُهُ .

(5117) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब अशर-ए-ज़िल्हिज्जा शुरू हो जाये तो तुममें से जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहे वो अपने बालों और जिस्म को न छेड़े।' सुफ़ियान से पूछा गया कुछ रावी इसको मरफ़ूअ बयान नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, लेकिन मैं मरफ़ूअ बयान करता हूँ।

(अबू दाऊद : 2791, तिर्मिज़ी : 1523, नसाई : 7/211,212, इब्ने माजह : 3149, 3150)

फ़ायदा : इस हदीस़ से कुछ अइम्मा सईद बिन मुसय्यब, रबीआ, अहमद, इस्हाक़ और कुछ शवाफ़ेअ ने अशर-ए-ज़िल्हिज्जा में बालों और नाख़ुनों के काटने को हराम क़रार दिया है। इमाम शाफ़ेई का मशहूर क़ौल ये है कि ये नह्ये तन्ज़ीही है। यानी अदब व एहतिराम से ताल्लुक़ रखती है, ताकि हाजियों के साथ कुछ न कुछ मुशाबिहत पैदा हो जाये। इमाम मालिक का एक क़ौल है, कि ये मक्रूह है, हराम नहीं है और दूसरा क़ौल है कि मक्रूह भी नहीं है। हदीस़ का ज़ाहिरी तक़ाज़ा यही है कि इन कामों से बचना चाहिये, जिस्म के किसी हिस्से से भी बाल किसी तरह भी ज़ाइल नहीं करना चाहिये और न नाख़ुनों को किसी तरह छेड़ना चाहिये। इमाम इब्ने क़ुदामा लिखते हैं, नही (मना) का तक़ाज़ा हुरमत है और हदीस़ के मुक़ाबले में क़ियास और राय बातिल है। (अल्मुग़नी : जिल्द 13, पेज नं. 363)

नोट : मालूम नहीं अल्लामा मुहम्मद फ़व्वाद ने यहाँ नया नम्बर क्यों नहीं दिया और पिछली हदीस़ों के नम्बर की तर्तीब क्यों उलटी है कि हदीस़ नम्बर 37 पर 1977 का नम्बर है और हदीस़ नम्बर 38 पर 1976 है और यहाँ फिर बिला वजह नम्बर 1977 दिया है और हमें भी यहाँ उनकी तरक़ीम की पाबंदी की ख़ातिर नम्बर 1977 देना पड़ेगा।

(5118) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) मरफ़ूअ रिवायत बयान करती हैं आपने फ़रमाया, 'जब ज़िल्हिज्जा के पहले अशरे का आग़ाज़ हो जाये और इंसान के पास क़ुर्बानी की इस्तिताअत हो और वो क़ुर्बानी करना चाहता हो, तो वो हर्गिज़ अपने बाल न काटे और न नाख़ुन काटे।'

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، تَرْفَعُهُ قَالَ " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا " .

(5119) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम ज़िल्हिज्जा का चाँद देखो और तुम्हारा क़ुर्बानी का इरादा हो तो अपने बाल और नाख़ुन को छेड़ने से बाज़ रहो।'

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ " .

(5120) इमाम साहब एक और उस्ताद से इसी तरह रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(5121) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) की बीवी बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके पास क़ुर्बानी ज़िब्ह करने का जानवर हो तो जब ज़िल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाये, वो क़ुर्बानी करने तक हर्गिज़ अपने बालों, अपने नाख़ुनों से कुछ न काटे।'

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ

كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ " .

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا أَوْ يَنْهَى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

(5122) अम्र बिन मुस्लिम बिन अम्मार लैसी बयान करते हैं कि हम ईदुल अज़्हा से कुछ दिन पहले हम्माम में थे, कुछ लोगों ने बाल सफ़ा पोडर इस्तेमाल किया, तो हम्माम के कुछ मालिकों ने कहा, सईद बिन मुसय्यब इसको नापसंद करते थे या इससे मना करते थे। तो मैं सईद बिन मुसय्यब को मिला और उसका उनसे ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा, ऐ भतीजे! ये हदीस भुला दी गई है और इस पर अमल छोड़ दिया गया है। मुझे नबी(ﷺ) की बीवी ने बताया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, आगे मज़्कूरा बाला मुआज़ की हदीस है।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ، بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ . وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

(5123) मुसन्निफ़ एक और उस्ताद से हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला हदीस बयान करते हैं।

बाब 8 : ग़ैरुल्लाह के लिये ज़िब्ह करना मम्नूअ (मना) है और ऐसा करने वाला मलऊन है

باب تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ مَرْوَانَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَىَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ . قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ " .

(5124) हज़रत अबू तुफ़ैल (रज़ि.) आमिर बिन वासिला बयान करते हैं मैं हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) के पास था तो एक आदमी उनके पास आकर कहने लगा, नबी(ﷺ) राज़दाराना अन्दाज़ में आपको क्या बताते थे? तो उन्होंने नाराज़ होकर फ़रमाया, मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चुपके-चुपके कोई ऐसी बात नहीं बताई जो लोगों से छिपाते हों। हाँ आपने मुझे चार बातें बताई थीं। उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! वो क्या बात हैं? उन्होंने जवाब दिया, आपने फ़रमाया, 'जो शख़्स अपने बाप पर लानत भेजे, अल्लाह उस पर लानत भेजे और अल्लाह उस पर लानत भेजे जो अल्लाह के सिवा किसी के लिये ज़िब्ह करे और अल्लाह उस पर लानत भेजे जो किसी बिदअती को जगह या पनाह दे और अल्लाह उस पर लानत भेजे जो ज़मीन (की हद बन्दियों के) निशानात मिटाये।' (नसाई : 7/232)

फ़ायदा : इस हदीस से राफ़िज़ा, शीया और इमामिया की तर्दीद होती है जो ये दावा करते हैं कि नबी(ﷺ) ने कुछ बातें सिर्फ़ हज़रत अली को अपना वसी बनाकर फ़रमाई थीं, किसी और को उनसे आगाह नहीं फ़रमाया। जबकि ख़ुद हज़रत अली (रज़ि.) ऐलानिया, खुले तौर पर इसका इज़हार कर रहे हैं कि आपने हमें दूसरों से अलग कुछ अहकाम नहीं बताये और वालिदैन पर लानत भेजने से मुराद उनको सराहतन सब्ब व शतम (गाली-गलोच) करना या दूसरों के वालिदैन को गाली-गलोच देकर अपने वालिदैन को जवाबन गाली-गलोच करवाना है और ग़ैरुल्लाह के लिये ज़िब्ह करने से मुराद किसी भी शख़्स का बुत, किसी नबी या रसूल या कअबे के नाम से ज़िब्ह करना है, मुसलमान करे या यहूदी व ईसाई, ये काम हराम है और ये ज़बीहा

हलाल नहीं है। अगर उसकी तअ्ज़ीम व तौक़ीर के लिये किया है या उसकी बन्दगी तक़र्रुब व ख़ुश्नूदी के लिये किया है, तो ये कुफ़्र है। अगर ये हरकत करने वाला मुसलमान है, तो वो मुर्तद होगा। (शरह नववी)

अ़ल्लामा अ़लाउद्दीन हस्फ़की ने लिखा है, अमीर या किसी बड़े आदमी के आने पर जानवर ज़िब्ह करना हराम है। क्योंकि ये भी एहलाल लिग़ैरिल्लाह है। चाहे उस पर अल्लाह ही का नाम लिया जाये (क्योंकि इससे उसका तक़र्रुब व ख़ुश्नूदी मक़सूद होती है)। (रद्दुल मुख़्तार, अ़ला हामिश रद्दे मुख़्तार जिल्द 5, पेज नं. 270) आज-कल लोग मज़ारों पर, उनको नफ़ा व नुक़सान का मालिक समझकर कि वो उसको किसी मुसीबत से निजात दिला सकते हैं या उसका कोई काम कर सकते हैं जैसे औलाद, कारोबार में बरकत तो ये तअ्ज़ीम व तौक़ीर इबादत है और ये सूरत कुफ़्र है। जबकि अ़ल्लामा शामी ने लिखा है, किसी इंसान का तक़र्रुब बतौर इबादत हासिल करना कुफ़्र है। (रद्दे मुख़्तार, जिल्द 5, पेज नं. 270 तबाअ़त इस्ताम्बुल) और किसी अमीर, वज़ीर, सदर, वज़ीरे आज़म के आने पर जानवर ज़िब्ह करना अगर उनकी मेहमान नवाज़ी और तवाज़ोअ़ के लिये हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको ये दिखलाना मतलूब हो, मैं आपकी ख़ातिर ये क़ुर्बान कर रहा हूँ और ये सिर्फ़ आपकी ताज़ीम के लिये है तो फिर बक़ौल अ़ल्लामा शामी ये ज़बीहा हराम होगा। अ़ल्लामा सईदी ने ख़ुद तस्लीम किया है, इस बाब की हदीस़ और फ़ुक़्हा की इबारतों से ये मालूम होता है कि अगर कोई शख़्स किसी बुज़ुर्ग की तअ्ज़ीम की ख़ातिर किसी जानवर को ज़िब्ह करे तो वो ज़बीहा हराम होगा, मगर ये कुफ़्र नहीं है। कुफ़्र उस वक़्त होगा, जब वो उस बुज़ुर्ग की तअ्ज़ीम बतौरे इबादत करे। (शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 6, पेज नं. 178)

मज़ारों पर जाकर उनकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने वालों या सज्दा करने वालों को क्या कहा जायेगा? या उनके लिये नज़्र मानने वालों को क्या कहेंगे? उन चीज़ों का ईसाले स़वाब से क्या ताल्लुक़ है? सदक़ा करने के लिये मज़ार पर तो जाने की ज़रूरत नहीं है? क्या कभी किसी ने वालिदैन के लिये सदक़ा करने के लिये भी उनकी क़ब्रों का रुख़ किया है? कि वहाँ जाकर जानवर ज़िब्ह करें या रक़म तक़सीम करें। आवा मुह्दिस़न का मानी किसी बिदअ़ती या फ़सादी की तौक़ीर व तअ्ज़ीम करना या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ व पनाह देना। तफ़्सील किताबुल हज्ज में गुज़र चुकी है ग़य्यर मनारल अर्ज़ का मक़सद दूसरे की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने के लिये हदबन्दी करने वाली अ़लामात या निशानियों को बदलना।

(5125) हज़रत अबू तुफ़ैल (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने हज़रत अ़ली (रज़ि.) से कहा, हमें कोई ऐसी चीज़ बतायें जो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने आपको राज़दाराना अन्दाज़ से बताई हो। उन्होंने जवाब दिया, आपने लोगों से छिपाकर चुपके-चुपके मुझे कोई चीज़ नहीं बताई लेकिन मैंने आपको ये फ़रमाते सुना है,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ، بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَىْءٍ، أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَىَّ شَيْئًا

كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ " .

'अल्लाह की उस पर लानत है जिसने ग़ैरुल्लाह के लिये जानवर ज़िब्ह किया और अल्लाह की उस पर लानत है जिसने बिदअ़ती या फ़सादी को पनाह दी और अल्लाह की उस पर लानत है जिसने अपने वालिदैन पर लानत की और अल्लाह की उस पर लानत है, जिसने ज़मीन के निशानात को बदल दिया।'

फ़ायदा : किसी मेहमान के आने पर मुर्ग़ ज़िब्ह करना या मेहमानों के आने पर बकरा ज़िब्ह करना इसमें दाख़िल नहीं है, क्योंकि मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम का ख़ुद रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुक्म दिया है और हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (अलै.) की भी ये सुन्नत है कि उन्होंने मेहमानों के आने पर फ़ौरन भुना हुआ बछड़ा पेश किया था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا - قَالَ - فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا " .

(5126) हज़रत अबू तुफ़ैल (रज़ि.) बयान करते हैं, हज़रत अ़ली (रज़ि.) से सवाल किया गया, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ुसूसी तौर पर कोई चीज़ बताई है? उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें ख़ुसूसी तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो सब लोगों को बताई न हो। मगर मेरी इस नियाम में कुछ बातें हैं और आपने एक सहीफ़ा निकाला, जिसमें लिखा हुआ था, 'अल्लाह की उस पर लानत है जिसने ग़ैरुल्लाह के लिये जानवर ज़िब्ह किया और अल्लाह की उस पर लानत है या लानत भेजे जिसने ज़मीन के निशानात को चुराया और अल्लाह उस पर लानत भेजे, जिसने अपने वालिद पर लानत भेजी और अल्लाह उस पर लानत बरसाये, जिसने बिदअ़ती या जुर्म करने वालों को पनाह दी।'

इस किताब के कुल बाब 35 और 258 हदीसें हैं।

كتاب الأشربة

किताबुल अश्रिबह
मशरूबात का बयान

हदीस़ नम्बर 5127 से 5384 तक

तआरुफ़ किताबुल अश्‌रिबह

किताबुल अश्‌रिबह अपने मानी के ऐतबार से एक वसीउल मतालिब (लम्बी-चौड़ी मानी वाली) किताब है। मशरूबात में हलाल व हराम मशरूबात की तफ़्सील, शराब के नुक़सानात, वो हालात जिनमें शराब को हतमी तौर पर हराम क़रार दिया गया, सहाबा का जज़्ब-ए-इताअत, मुख़्तलिफ़ चीज़ों से बनने वाली शराबों की मुश्तरका सिफ़त और मज़र्रत (नुक़सान), इससे मुकम्मल इज्तिनाब के लिये मशरूब साज़ी और बर्तनों तक के हवाले से एहतियाती अहकाम, हलाल मशरूबात के हवाले से सेहत के लिये ज़रूरी एहतियाती तदबीरें, पीने और खाने दोनों के मुआशरती और रूहानी आदाब, हिल्लत व हुरमत के हवाले से औहाम पर मबनी तसव्वुरात, शख़्सी नापसन्दीदगी और हुरमत, खाने-पीने में मवासात और बरकत, इस किताब में इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से रहनुमाई के लिये इरशादाते नबविया पेश किये गये हैं।

किताब की शुरूआत उस अफ़सोसनाक वाक़िये से की गई है जो हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) के शराब पीने की बिना पर हज़रत अली (रज़ि.) और ख़ुद रिसालत मआब(ﷺ) को पेश आया। हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) शराब पीने की एक मज्लिस में शरीक हुए, गाने वाली ने शराब के नतीजे में पैदा होने वाली ख़ुद फ़रेबी और अपनी अज़्मत व सख़ावत के इन्तिहाई मुबालग़ा आमेज़ एहसास को मज़ीद उजागर किया और बाहर बैठीं हज़रत अली (रज़ि.) की दो ऊँटनियों के जो उनकी कुल मताअ (सर्माया) थीं, कबाब खिलाने की तान उड़ाई। शराब अपने पीने वालों के एहसासे अज़्मत को इतना बढ़ा देती है कि अक़्ल व दानिश की तमाम क़ैदें टूट जाती हैं। हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) ने गाने वाली के अल्फ़ाज़ के ऐन मुताबिक़ अपनी तलवार उठाई और उन ऊँटनियों की कोहानें काटीं, पेट चाक किये, कलेजे निकाले और कबाब बनाने वालों के हवाले कर दिये। हज़रत अली (रज़ि.) शदीद सदमे के आलम में रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आये, उनकी बात सुनकर आप(ﷺ) चलकर हम्ज़ह (रज़ि.) के पास आये तो पता चला कि हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) शराब के नशे में पहचान और तमीज़ तक खो चुके हैं। शराब की हुरमत के तदरीजी मरहलों की शुरूआत हो चुकी थी। ये वाक़िया पूरे मदीना वालों की आँखें खोल देने और शराब के शदीद नुक़सान को पूरी तरह वाज़ेह करने के लिये काफ़ी था। इसके नतीजे में शराब की हतमी हुरमत का ऐलान कर दिया गया। ये ईमान लाने वालों के लिये एक सख़्त इम्तिहान था। ये रसूलुल्लाह(ﷺ) की बेमिसाल तर्बियत और उसके नतीजे में हासिल होने वाली ईमान की मज़बूती थी कि शराब की हुरमत के ऐलान के साथ ही शराब छोड़ दी गई। मटके तोड़ दिये गये और शराब को गलियों में बहा दिया गया। ये अहले ईमान की अज़ीमुश्शान कामयाबी थी।

अल्लाह की रहनुमाई का बुनियादी मक़सद ये है कि इंसान अपने ख़ालिक़ और हक़ीक़ी मालिक को पहचाने, अपने बुरे-भले में तमीज़ करे, उसके अज़ली दुश्मन शैतान ने उसको तबाह करने के लिये जो फ़रेब के जाल फैला रखे हैं उनके धोखे में न आये, अपनी हक़ीक़ी कामयाबी के मक़सद से ग़ाफ़िल न हो। शराब उससे पहचान और तमीज़ छीनकर उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का शिकार बनने के लिये तैयार कर देती है। ये शैतान का सबसे ख़ौफ़नाक फन्दा है जिसके ज़रिये से इंसान की तबाही यक़ीनी हो जाती है। इसलिये शराब चाहे जिस चीज़ की बनी हुई हो और जिस नाम से हो उसको पूरी सख़्ती से हराम कर दिया गया और उससे बचने को यक़ीनी बनाने के लिये उन ज़रियों को भी मसदूद किया गया जो इंसान को उस तक ले जा सकते हैं।

उस ज़माने में हिजाज़ के इलाक़े में शराब 'नख़ला' (खजूर के दरख़्त) और करमा (अंगूर की बेल) के फलों से बनती थी। शराब बनाने के लिये नीम (आधा), पुख़्ता खजूर और ताज़ा खजूर को या नीम पुख़्ता खजूर और ख़ुश्क ख़जूर को या खजूर और किशमिश को मिलाकर पानी में उसका रस निकाला जाता था, फिर उसे रखा जाता यहाँ तक कि उसमें तख़्मीर (नशे) का अमल होता और वो शराब बन जाती। अलग-अलग क़िस्म के कच्चे, पक्के, ताज़ा और ख़ुश्क फलों का रस मिलाने से उसमें तुन्दी आ जाती और जल्द तख़्मीर का अमल शुरू हो जाता। यमन में शहद के शरबत से शराब बनाई जाती थी जिसे 'बितुअ' कहते थे। जौ से भी शराब बनाई जाती थी इसे 'मिज़्र' कहते थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इससे क़तअ नज़र कि वो किस चीज़ से बनी हुई है, तमाम शराबों को हराम क़रार दिया बल्कि सरीह अल्फ़ाज़ में हर क़िस्म की नशावर चीज़ की हुरमत का ऐलान फ़रमा दिया। क़ाइदा कुल्लिया ये बयान किया, 'हर नशावर चीज़ ख़म्र (शराब) है और हर नशावर चीज़ हराम है।' (सहीह मुस्लिम : 5218)

खजूर को पानी में मिलाकर उसका बनाया हुआ शरबत 'नबीज़' अरबों को बहुत पसंद था लेकिन इस शरबत पर थोड़ा सा वक़्त गुज़र जाता तो अमले तख़्मीर से ये नशावर बन जाता। अगर इसे मसामदार बर्तनों में बनाया जाता तो इस्तेमाल के बाद, धोने के बावजूद उन बर्तनों के मसामों में उसके अजज़ा (शेष) रह जाते और उनका ख़मीर बन जाता। उन बर्तनों में दोबारा रस डालने के बाद तख़्मीर (नशे) का अमल फ़ौरन शुरू हो जाता और नबीज़ नशावर होने लगती। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उम्मत को इस ग़लाज़त से मुकम्मल तौर पर महफ़ूज़ रखने के लिये ये हुक्म दिया कि एक ही क़िस्म के कच्चे और पक्के बर्तनों का इस्तेमाल मना क़रार दिया जिनमें शराब बनाई जाती थी। अगर शराब न बनाई गई हो तो भी मसामदार बर्तनों में मशरूब बनाने की मनाही फ़रमा दी। इन बर्तनों में सूखे कद्दू को खोखला करके बनाये हुए बर्तन, लकड़ी के बर्तन, रोग़ने क़ार मले हुए बर्तन और मिट्टी के घड़े वग़ैरह शामिल थे। मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने की इजाज़त दी क्योंकि उनमें तख़्मीर का अमल जल्द शुरू

नहीं होता। बर्तनों के हवाले से ये पाबंदी कुछ अर्सा बरक़रार रही, जब यक़ीन हो गया कि शराब बनाने वाले पुराने बर्तन ख़त्म हो गये या उनके अंदर से 'ख़मीर' के अजज़ा मुकम्मल तौर पर ज़ाइल हो गये तो उनके आम इस्तेमाल की इजाज़त मरहमत फ़रमा दी। ये ताकीदी हुक्म बाक़ी रहा कि किसी हलाल मशरूब (नबीज़, फलों के रस वग़ैरह) को उसी वक़्त तक इस्तेमाल करना जाइज़ है जब तक उनमें तख़मीर का अमल शुरू होने का इम्कान ही पैदा न हुआ हो और मसामदार बर्तनों में जैसे रोग़न कार मले हुंए, बर्तनों में नबीज़ बनाने की पाबंदी भी बरक़रार रही। (सहीह मुस्लिम : 5210)

इस्लाम ने मुज़िरे सेहत (स्वास्थ्य के लिये हानिकारक) नशावर मशरूबात की मुमानिअत के साथ सेहतबख़्श (हैल्दी) मशरूबात ख़ुसूसन दूध पीने की हौसला अफ़ज़ाई भी की है। सेहत के हवाले से ये हिदायत भी दी कि खाने-पीने की तमाम चीज़ों को हर हालत में ढक कर रखा जाये। खाने-पीने की चीजें अल्लाह तआला की कुदरत, रहमत और लुत्फ़ व करम का ख़ास करिश्मा है। अल्लाह ने इन्हें इस तरह पैदा फ़रमाया है कि ये इंसान के जिस्म को सेहत व तवानाई बख़्शती हैं और इसके साथ मज़े से भरपूर हैं। ये इंसान के काम व दहन को लज़्ज़त बख़्शती है और फिर अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी उम्मत को इस बात की तालीम दी है कि अगर ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़, इन्हें उसकी नेमत समझते हुए, पाकीज़गी का एहतिमाम करते हुए और उसका नाम लेकर इस्तेमाल करें तो अल्लाह तआला उनमें बरकत शामिल कर देता है। इस अज़ीम रूहानी पहलू पर सहीह मुस्लिम के किताबुल अशरिबह में तफ़्सील से रोशनी डाली गई है। बेबरकती के अस्बाब वाज़ेह किये गये हैं। पाकीज़गी के हवाले से दायाँ हाथ इस्तेमाल करने, बर्तन में साँस न लेने, बर्तनों को गन्दा न करने, इत्मीनान और आराम से बैठकर खाने-पीने और पानी वग़ैरह पीते हुए बार-बार बर्तन से मुँह हटाकर साँस लेने और अल्लाह का नाम लेकर खाने-पीने की तालीम दी गई है। इस बात की तरफ़ तवज्जह दिलाई गई है कि खाने-पीने की अदना तरीन मिक़्दार बर्बाद नहीं करनी चाहिये, खाने का बर्तन अच्छी तरह साफ़ करना चाहिये और उंगलियाँ चाट लेनी चाहियें, इसमें बरकत है। मग़रिब ज़दा मुतकब्बिरीन उंगलियाँ चाटने को बुरा समझते रहे। अब जदीद साइंस ने ही, जिसे ये लोग इल्म की इन्तिहा समझते हैं, उनकी सोच की ग़लती वाज़ेह करते हुए ये शहादत पेश कर दी है कि उंगलियों से खाना खाते हुए उनकी सहत पर ऐसा माद्दा पैदा हो जाता है जो खाने के अंदर मुज़िर सहत जरासीम को ख़त्म कर देता है। उंगलियाँ चाट लेना इन्तिहाई सहत बख़्श तरीक़ा है। इस बात की भी तालीम दी गई कि साफ़ धुले हुए दायें हाथ से खाना चाहिये और अपने आगे से खाना चाहिये। अंगूठे के साथ दो उंगलियाँ इस्तेमाल करनी चाहिये। खजूर वग़ैरह खाकर उसकी गुठलियाँ दोबारा उसी बर्तन में नहीं डालनी चाहिये। किसी खाने में ऐबजोई नहीं करनी चाहिये और हलाल चीज़ों में भी नफ़ीस तरीन और बू से पाक चीज़ों को तरजीह देनी चाहिये।

इससे आगे बढ़कर ये वाज़ेह किया गया है कि ऊपर ज़िक्र की गई तमाम हिदायात की पाबंदी के साथ अगर अल्लाह की रज़ा के लिये खाने में मवासात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक करने, ख़ुद पर दूसरों को तरजीह देने का इरादा हो और उस पर अ़मल किया जाये तो खाने में ऐसी बरकत पैदा हो जाती है कि इंसानी अ़क़्ल हैरान रह जाती है। रसूलुल्लाह(ﷺ) तो मवासात से बढ़कर उम्मत के तमाम लोगों के लिये मुजस्समे मुहब्बत, ख़ैरख़्वाही और लुत्फ़ व करम का सरचश्मा थे। अल्लाह के हुक्म से आपकी बरकत से दो-चार लोगों का खाना-पीना तो सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों को सैर कर देता था, फिर भी बचा रहता था। आ़म मुसलमान भी जब दूसरे भाइयों को अपने साथ शरीक करें तो एक आदमी का खाना कम से कम दो को और दो का खाना चार को आसानी के साथ काफ़ी हो जायेगा। मवासात का जज़्बा और इख़्लास जिस क़द्र बढ़ता जायेगा, बरकत में उसी क़द्र इज़ाफ़ा हो जायेगा।

हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) इस बात पर सख़्त परेशान हुए और उन्हें गुस्सा आया कि उनकी नागुज़ीर ग़ैर हाज़िरी के दौरान में उनके मेहमान बहुत देर तक भूखे रहे। इसमें अगरचे मेहमानों के अपने इसरार ही का दख़ल था लेकिन हज़रत अबू बकर (रज़ि.) की परेशानी और गुस्सा अल्लाह की रज़ा के लिये था। अपने मेहमानों की शदीद ख़ैरख़्वाही का जज़्बा भी अल्लाह की रज़ा के लिये था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिये ख़ैरख़्वाही और अल्लाह के लिये गुस्से का मुज़ाहिरा था। इस बिना पर अल्लाह ने थोड़े से खाने में इतनी बरकत डाल दी कि मेहमानों और घर वालों के अ़लावा वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये जाने वालों के भी काम आया।

كتاب الأشربة

37. मशरूबात का बयान

باب تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

बाब 1 : शराब की हुरमत (और ये अंगूर के शीरे, खजूर, डोका (कच्ची खजूर) और मुनक़्क़ा वग़ैरह नशावर चीज़ों से तैयार होती है)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا

(5127) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे बद्र के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ग़नीमत से एक उम्र रसीदा ऊँटनी मिली और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे एक और उम्र रसीदा ऊँटनी दे दी। तो एक दिन मैंने उन दोनों को एक अन्सारी के दरवाज़े पर बिठाया और मैं चाहता था कि उन दोनों पर बेचने के लिये इज़्ख़िर लाऊँ और मेरे साथ बनू क़ैनुक़ाअ का एक ज़रगर भी था। मैं उस रक़म से हज़रत फ़ातिमा से शादी पर वलीमे की तैयारी में मदद हासिल करना चाहता था और हज़रत हम्ज़ह

يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ فَقَالَتْ أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا . قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لآبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ .

बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) उस घर में शराब पी रहे थे। उनके पास एक गाने वाली गा रही थी। उसने कहा, ख़बरदार! ऐ हम्ज़ह! फ़रबा उम्र रसीदा ऊँटनियों को ज़िब्ह करने के लिये उठो। तो हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) तलवार लेकर उन दोनों की तरफ़ कूदे और उन दोनों के कोहान काट लिये और दोनों के कोख चाक कर डाले। फिर उनके जिगर निकाल लिये। इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने इब्ने शिहाब से कहा और कोहान से? उन्होंने कहा, दोनों कोहान काट कर ले गये। इब्ने शिहाब ने कहा, हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा, तो मैंने ऐसा मन्ज़र देखा जिसने मुझे दुख पहुँचाया। तो मैं नबी(ﷺ) के पास आया और ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) भी आपके पास थे। मैंने आपको वाक़िये से आगाह किया, तो आप चल पड़े। हज़रत ज़ैद (रज़ि.) भी आपके साथ थे और मैं भी आपके साथ चला। आप हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) के पास गये, उस पर नाराज़ हुए। तो हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) ने अपनी नज़र ऊपर उठाकर कहा, तुम मेरे बुज़ुर्गों के गुलाम ही तो हो? इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) उल्टे पाँव लौटे और घर से निकल गये।

(सहीह बुख़ारी : 2089, 2375, 3091, 4003, 5793, अबू दाऊद : 2986)

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) शारिफ़ जमा शुरफ़ :** उम्र रसीदा ऊँटनी। **(2) क़ैनतुन :** गुलूकारा, गाने वाली लौण्डी। **(3) निवाअ :** नावियह की जमा है फ़रबा। **(4) लिश्शुरुफ़िन्निवाअ :** फ़रबा, मोटी, उम्र रसीदा ऊँटनियाँ। **(5) स़ार इलैहा :** उन पर झपटे। **(6) जब्ब :** काटा। **(7) अस्निमतुन :** सनाम की जमा है कोहान। **(8) बक़र :** नहर किया, फाड़ा। **(9) ख़वासिर :** ख़ासिरह् की जमा है, कोख। **(10) अकबाद :** कबिदुन, कलेजा, जिगर। **(11) अफ़्ज़अनी :** मुझे मुसीबत व परेशानी में डाल दिया।

(5128) एक और उस्ताद से मुसन्निफ़ यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5129) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि बद्र के दिन ग़नीमत में मेरे हिस्से एक उम्र रसीदा ऊँटनी आई और एक उम्र रसीदा ऊँटनी उस दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) में से इनायत फ़रमाई। तो जब मैंने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) की लख़्ते जिगर की रुख़सती का इरादा किया या शबे ज़फ़ाफ़ गुज़ारने का इरादा किया। मैंने बनू क़ैनुक़ा के एक कारीगर (सुनार) से अपने साथ जाने का वादा लिया। ताकि हम इज़्ख़िर घास लायें। मैंने चाहा, उसको ज़रगरों से बेचकर अपनी दुल्हन के वलीमे की तैयारी करूँगा। इस दौरान कि मैं अपनी दोनों ऊँटनियों के लिये सामाने पालान, बोरे और रस्सियाँ इकट्ठी कर रहा था और दोनों ऊँटनियाँ एक अन्सारी आदमी के कमरे के पहलू में बिठाई हुई थीं। जब मैंने जो सामान जमा करना था, जमा कर लिया तो मैं अचानक देखता हूँ, मेरी दोनों ऊँटनियों को कोहान काटे जा चुके हैं और उनकी कोखें चाक की जा चुकी हैं और उनके कलेजे निकाल लिये गये हैं। जब मैंने उनका ये नज़ारा देखा तो मैं अपनी आँखों पर क़ाबू न रख सका (रो दिया)। मैंने पूछा, ये हरकत किसने की है? लोगों ने बताया, ये काम हज़रत हम्ज़ह बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने किया है और वो इस घर में एक अन्सारी शराबी टोली के साथ मौजूद है। एक मुग़न्निया (गवय्या औरत) ने उसे और उनके साथियों को शेअर सुनाये, शेअर

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ، بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَىَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَاىَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَىَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ

مِنَ الأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - قَالَ -فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ

पढ़ते हुए कहने लगी, ख़बरदार ऐ हम्ज़ह! फ़रबा ऊँटनियों पर पिल पड़ो। तो हज़रत हम्ज़ह तलवार लेकर उठे, उनके कोहान काट लिये, उनकी कोखें चाक करके उनके जिगर निकाल लिये। हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं चल पड़ा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास पहुँच गया। ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) भी आपके पास थे। तो अन्दाज़े से रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझ पर जो गुज़रा मेरे चेहरे से जान लिया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हें क्या हुआ?' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! आज जैसा मन्ज़र मैंने कभी नहीं देखा। हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) मेरी दोनों ऊँटनियों पर हमलावर हुए उनके कोहानें काट लीं और उनकी कोखें फाड़ डालीं और वो एक घर में, उनके साथ शराबी टोली है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी चादर मंगवाकर ओढ़ी फिर पैदल रवाना हो गये। मैं और ज़ैद बिन हारिसा आपके पीछे-पीछे हो लिये, यहाँ तक कि उस दरवाज़े पर पहुँच गये जिसके घर में हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) थे। इजाज़त तलब फ़रमाई, घर वालों ने इजाज़त दे दी और वो शराबी टोली निकली। रसूलुल्लाह(ﷺ) हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) को उनकी करतूत पर मलामत करने लगे और हम्ज़ह की आँखें सुर्ख़ हो चुकीं थीं। तो हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा, फिर नज़र आपके घुटनों तक उठाई, फिर नज़र उठाकर आपकी नाफ़ पर नज़र डाली, फिर नज़र उठाई और आपके चेहरे को देखा और हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) ने कहा, तुम मेरे बाप के ग़ुलाम ही तो हो ना? रसूलुल्लाह(ﷺ) समझ गये वो नशे में

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ .

हैं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) उल्टे पाँव अपनी ऐड़ियों पर लौट आये। घर से निकल गये और हम भी आपके साथ निकल आये।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) शुरब : शारिब की जमा है, शराबी पार्टी को कहते हैं। **(2) युक़हक़िरु :** उल्टे पाँव लौटने लगे और नकस अला अक़िबैहि का भी यही मफ़्हूम है। **(3) स़मिलुन :** नशे में मुब्तला, नशई। **(4) अक़्ताब :** कुतुब पालान। **(5) ग़राइर :** ग़रारा बोरे।

फ़ायदा : इस हदीस़ से कई बातें स़ाबित होती हैं (1) इंसान मेहनत व मज़दूरी करते हुए घास काटकर बेच सकता है और किसी काम में काफ़िर से तआवुन ले सकता है। (2) नशे की हालत में इंसान को पता नहीं चलता, मैं क्या कह रहा हूँ और किसे कह रहा हूँ, मुझे ये कहना चाहिये या नहीं? (3) मज़लूम अपनी दास्तान सुना सकता है और उसकी फ़रियाद रसी करना चाहिये। (4) इंसान अपने घर में ऊपर वाली चादर उतार सकता है और अगर कहीं जाना हो तो फिर मुकम्मल लिबास में जाना चाहिये। (5) बड़ा इंसान भी किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेगा और उसको इजाज़त उसके सबब साथ वालों के लिये होगी। (6) इंसान जब ग़मनाक मन्ज़र देखता है तो उस पर आँसू बहा सकता है। (7) इंसान जब शराब पी लेता है, तो नशे में धुत होकर दूसरों को नुक़सान पहुँचाता है और छोटे-बड़े की तमीज़ से महरूम हो जाता है, इसलिये शराब को हराम क़रार दिया गया है। (8) इंसान को ख़तरे के वक़्त अपनी हिफ़ाज़त करनी चाहिये, हुज़ूर(ﷺ) वापस मुड़ने की बजाए उल्टे पाँव वापस लौटे हैं कि शराब में धुत हम्ज़ह कोई ग़लत क़दम ही न उठा ले। कुछ रिवायात से मालूम होता है कि आपने हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) को दोनों ऊँटनियों की क़ीमत डाली थी।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5130) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ

(5131) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं जिस दिन शराब हराम हुई, मैं हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के घर में लोगों को शराब पिला रहा था और उनकी शराब सिर्फ़ फ़ज़ीख़ यानी गदरी

كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلاَّ الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ . فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي فَقَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ - قَالَ - فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا . فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}

खजूर और छूहारे की मिलावट थी। तो अचानक एक मुनादी करने वाले ने आवाज़ बुलंद की, अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, निकल कर देखो (क्या आवाज़ है) मैंने निकलकर देखा, एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, ख़बरदार! शराब हराम हो चुकी है। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं वो मदीना की गलियों में बहने लगी। मुझे भी अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, बाहर निकलकर इसको बहा दो। मैंने उसे बहा दिया। लोगों ने या कुछ ने कहा, फ़लाँ लोग क़त्ल किये गये, जबकि शराब उनके पेटों में थी। रावी कहते हैं, मुझे मालूम नहीं ये बात हज़रत अनस की हदीस़ में है। तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'जो लोग ईमान लाये और अमले सालेह किये, उन्हें गुनाह नहीं होगा, जो वो हुरमते शराब से पहले पी चुके हैं, जबकि वो तक़वा, ईमान और अमले सालेह की रविश पर क़ायम हों।' (सूरह माएदा : 93)

(सहीह बुख़ारी : 2464, 4620, अबू दाऊद : 3673)

फ़ायदा : (1) इस हदीस़ से साबित हुआ हर नशावर चीज़ हराम है। क्योंकि अबू तलहा और उनके साथी जो शराब पी रहे थे वो बुस्र कच्ची-पक्की खजूर और तम्र पुख़्ता खजूर यानी छूहारे की मिलावट फ़ज़ीख़ नामी थी और उन्होंने शराब की हुरमत का ऐलान सुनते ही फ़ोरन बिला पसो-पेश बहा दिया। इसी तरह सब लोगों ने हर क़िस्म की शराब गलियों की नज़्र कर दी। इससे जुम्हूर अइम्मा जिनमें इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहम्मद बिन हसन दाख़िल हैं, ने कहा है तमाम नशावर मशरूबात ख़म्र हैं। (अल्मुग़नी : जिल्द 12, पेज नं. 495) और नशावर चीज़ कसीर हो या क़लील, हद्दे सकर तक पहुँचे या न, हराम है और नजिस है। पीने वाले को हद लगाई जायेगी। (2) इमाम रबीआ और दाऊद के नज़दीक हर नशावर चीज़ हराम है, लेकिन नजिस नहीं है। (शरहुल मुहज़्ज़ब, जिल्द 2, पेज नं. 569-570 बहवाला तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 599)

नीज़ इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और नख़ई और कुछ अहले बसरा के नज़दीक मशरूबात की तीन क़िस्में हैं। (1) अंगूर का शीरा जब शिद्दत इख़्तियार करते हुए जोश मारने लगे और उसमें झाग उठे, इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक झाग उड़ाना ज़रूरी नहीं है ये असली ख़म्र है। इसका क़लील व

कसीर हराम है और ये नजिस है। इसलिये इसकी ख़रीदो-फ़रोख़्त जाइज़ नहीं। अगर कोई इसका एक क़तरा भी पी लेगा, उसको हद लगाई जायेगी। (2) तीन हराम मशरूबात (अ) अंगूर का शीरा जब पकाया जाये और उसका दो तिहाई से कम हिस्सा उड़ जाये। (ब) नक़ीउत्तमर : जो सकर कहलाते हैं, यानी खजूरों को ताज़ा पानी में डाला जाये, उसमें नशा पैदा हो जाये। (स) नक़ीउज़्ज़बीब : वो कच्चा पानी यानी जिसे पकाया न गया हो, उसमें मुनक़्क़ा डाला गया हो, कई दिन पड़ा रहने से उसमें शिद्दत और जोश पैदा हो जाये। बक़ौल अ़ल्लामा तक़ी ये तीनों भी इमाम अबू हनीफ़ा के सहीह क़ौल के मुताबिक़ ख़म्र हैं, इसलिये हराम और नजिस हैं, क़लील हो या कसीर उसका पीना हराम है। लेकिन उसका शराब होना असली ख़म्र की तरह क़तई और यक़ीनी नहीं है। इसलिये जब तक नशा पैदा न हो, हद नहीं लगाई जायेगी। क्योंकि उसका शराब होना क़तई नहीं हैं। बल्कि शराब होने में शुब्हा मौजूद है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसका बेचना जाइज़ है। लेकिन साहिबैन के नज़दीक बेचना जाइज़ नहीं है। (3) इन चार क़िस्मों के सिवा जितने नशावर मशरूबात हैं, वो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक पीना जाइज़ है। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 599-600) (हिदाया) लेकिन ज़ाहिर है अहादीसे सहीहा की रू से जुम्हूर का मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि आपका सरीह फ़रमान है, 'मा अस्कर कसीरुहू फ़क़लीलुहू हरामुन जिस शराब की ज़्यादा मिक़्दार नशावर है उसकी क़लील मिक़्दार भी हराम है। इसलिये बहुत से अहनाफ़ ने हराम होने में जुम्हूर का मौक़िफ़ क़ुबूल किया है। मगर असली ख़म्र के सिवा की ख़रीदो-फ़रोख़्त को जाइज़ क़रार दिया है और हद उस वक़्त लगाई है, जब नशावर मिक़्दार में पिया जाये। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 608) इब्ने मुन्ज़िर कहते हैं अहले कूफ़ा जिन अहादीस़ से इस्तिदलाल करते हैं, वो सब मअ़लूल हैं और इमाम अस़रम ने उन तमाम अहादीस़ और अक़्वाले सहाबा का ज़ोफ़ वाज़ेह किया है। (अल्मुग़नी : जिल्द 12, पेज नं. 497)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لاَ

(5132) अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब (रह.) बयान करते हैं, लोगों ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से फ़ज़ीख़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमारी शराब तुम्हारे इस फ़ज़ीख़ के सिवा न थी जिसको तुम फ़ज़ीख़ का नाम देते हो मैं खड़ा हज़रत अबू तलहा, अबू अय्यूब और बहुत से दूसरे रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथियों को अपने घर में ये फ़ज़ीख़ पिला रहा था। तो अचानक एक आदमी आया और कहा, क्या तुम्हें ख़बर पहुँच गई है? हमने कहा, नहीं! उसने कहा, शराब हराम हो चुकी

قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا أَنَسُ أَرِقْ هَذِهِ الْقِلاَلَ قَالَ فَمَا رَاجَعُوهَا وَلاَ سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ .

है। तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अनस! उन मटकों को बहा दो। उन्होंने उस आदमी से ख़बर सुनने के बाद उसको नहीं पिया और न उसके बारे में सवाल किया। (सहीह बुख़ारी : 4617)

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़ज़ीख़ : खजूरों का कच्चा शीरा जो पड़े-पड़े जोश मारना शुरू कर दे, कभी-कभी, बुस्र कच्ची-पक्की खजूरों और रुतब ताज़ा खजूरों को मिलाकर बनाते हैं और कभी बुस्र तम्र को मिलाकर बनाते हैं, ऊपर की हदीस़ में हज़रत अनस (रज़ि.) ने बुस्र और तम्र के मिलावट को फ़ज़ीख़ कहा है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में हज़रत अनस ने फ़ज़ीख़ को ही ख़म्र का नाम दिया है और सहाबा किराम ने ख़म्र की हुरमत एक आदमी से सुनी कि इतने में एक मुनादी भी आ गया। तो सहाबा किराम ने फ़ोरन इस हुक्म पर बिला किसी देर के अमल किया। हालांकि शराब उनकी घुट्टी में रची बसी थी और ये सवाल भी नहीं किया, ख़म्र हराम हुआ है और फ़ज़ीख़ तो ख़म्र नहीं। बल्कि फ़ोरन फ़ज़ीख़ के मटके बहा दिये, जो इस बात की सरीह दलील है कि सहाबा किराम सिर्फ़ माउज़्ज़बीब (अंगूर का शीरा) को ही शराब (ख़म्र) नहीं समझते थे, बल्कि हर नशावर चीज़ को ख़म्र समझते थे, इसलिये उन्होंने उसके बारे में सवाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَىِّ عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا اكْفَأْهَا يَا أَنَسُ . فَكَفَأْتُهَا . قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ . قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ . قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا .

(5133) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं मैं ख़ानदान के लोगों को अपने चचों को खड़ा, उनकी फ़ज़ीख़ पिला रहा था, क्योंकि मैं सबसे कम उम्र था कि एक आदमी आकर कहने लगा, वाक़िया ये है कि ख़म्र हराम कर दी गई है। तो उन्होंने कहा, उसको उलट दो, ऐ अनस! तो मैंने उसे उल्टा दिया। सुलैमान तैमी कहते हैं, मैंने अनस (रज़ि.) से पूछा, फ़ज़ीख़ क्या है? उन्होंने कहा, कच्ची-पक्की और ताज़ा खजूरों की मिलावट। हज़रत अबू बकर बिन अनस ने बताया, उन दिनों उनका ख़म्र यही था। सुलैमान कहते हैं, मुझे एक आदमी ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से यही क़ौल नक़ल किया, अबू बक्र वाला।
(सहीह बुख़ारी : 5583, नसाई : 8/287)

(5134) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं क़बीले के लोगों को खड़ा शराब पिला रहा था जैसाकि ऊपर इब्ने उलय्या ने बयान किया है। इसमें ये भी है तो अबू बक्र बिन अनस ने कहा, उन दिनों उनका ख़म्र यही था और हज़रत अनस (रज़ि.) मौजूद थे, तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने उसका इंकार न किया और मोतमिर के बाप कहते हैं, मुझे मेरे कुछ साथियों ने बताया कि उसने हज़रत अनस (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना, उन दिनों उनका ख़म्र यही था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَىِّ أَسْقِيهِمْ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ . وَأَنَسٌ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذَاكَ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ .

(5135) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं एक अन्सारी जमाअत के साथ अबू तलहा, अबू दुजाना और मुआज़ बिन जबल को एक अन्सारी गिरोह में शराब पिला रहा था, तो एक आने वाला हमारे पास आया और कहने लगा, एक वाक़िया रूनुमा हो गया है। ख़म्र की हुरमत का हुक्म नाज़िल हो गया है। तो हमने उस वक़्त उसको उलट दिया और वो बुस्र और तम्र की मिलावट थी। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, शराब (ख़म्र) हराम क़रार दिया गया और उन दिनों उनका उमूमी ख़म्र बुस्र (कच्ची-पक्की खजूर) और तम्र (ख़ुश्क खजूर) की मिलावट थी।
(नसाई : 8/287, 288)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ . فَكَفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ . قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ .

(5136) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं मैं अबू तलहा, अबू दुजाना और सुहैल बिन बैज़ा को एक मश्क से शराब पिला रहा

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا مُعَاذُ، بْنُ

هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ . بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ .

था, जिसमें बुस्र और तम्र की मिलावट थी, ऊपर वाली हदीस़ बयान की।
(सहीह बुख़ारी : 5600)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ .

(5137) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तम्र और गदरी खजूर को मिलाकर पीने से मना फ़रमाया और जिस वक़्त ख़म्र को हराम क़रार दिया गया, उनकी उमूमी शराबें यही थीं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا . فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ .

(5138) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू तलहा और उबय बिन कअब (रज़ि.) को फ़ज़ीख़ और तम्र की शराब पिला रहा था। तो उनके पास एक आने वाला आकर कहने लगा, शराब (ख़म्र) हराम क़रार दे दी गई है। तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अनस! उठो और इस मटके को तोड़ दो। मैंने उठकर अपना एक तराशीदा पत्थर उठाया और उसे घड़े के निचले हिस्से में मारा, यहाँ तक कि वो टूट गया।
(सहीह बुख़ारी : 5582, 7253)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ .

(5139) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं जब अल्लाह तआला ने शराब की हुरमत की आयात उतारी, तो मदीना में खजूर की शराब के सिवा कोई शराब नहीं पी जाती थी।

باب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

बाब 2 : ख़म्र को सिरका बनाना जाइज़ नहीं है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ " لاَ " .

(5140) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं नबी(ﷺ) से पूछा गया, क्या ख़म्र को सिरका बना लिया जाये? आपने फ़रमाया, 'नहीं।'
(अबू दाऊद : 3675, तिर्मिज़ी : 1294)

फ़ायदा : इस हदीस़ की रू से जुम्हूर फ़ुक़्हा, इमाम शाफ़ेई, अहमद, मालिक वग़ैरह के नज़दीक शराब से सिरका बनाना जाइज़ नहीं है। हाँ अगर ख़ुद-बख़ुद बन जाये तो बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, लैस़ और औज़ाई के नज़दीक शराब से सिरका बनाना जाइज़ है और इसके लिये उस हदीस़ से इस्तिदलाल करते हैं, जिसका मानी दो एहतिमाल रखता है जैसे ख़ैरु ख़ल्लिकुम खल्ल ख़म्रुकुम तुम्हारा बेहतरीन सिरका, 'तुम्हारा शराब का सिरका है' इसका सहीह मानी तो ये है, जब वो ख़ुद-बख़ुद सिरका बन जाये ताकि दोनों हदीसों में तज़ाद (टकराव) न हो (हालांकि इस हदीस़ को इब्ने जौज़ी और सन्आनी ने मौज़ूअ क़रार दिया है।)

बाब 3 : शराब से इलाज करना हराम है

باب تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ".

(5141) हज़रत वाइल हज़रमी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत तारिक़ बिन सुवेद जुअफ़ी (रज़ि.) ने नबी(ﷺ) से शराब के बारे में सवाल किया? तो आपने उससे मना फ़रमाया या उसके बनाने को नापसंद किया। उसने कहा, मैं तो इसे बस बतौरे दवा तैयार करता हूँ। आपने फ़रमाया, 'वो दवा नहीं है वो दाअ (बीमारी) है।'

(तिर्मिज़ी : 2046)

फ़ायदा : इस हदीस़ से भी यही स़ाबित होता है, शराब से सिरका बनाना दुरुस्त नहीं है और उससे इलाज-मुआल्जा करना हराम है। क्योंकि ये दवा नहीं है, बल्कि दाअ यानी बीमारी है और अक्स़र फ़ुक़्हा का यही मौक़िफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा की राय यही है कि हराम चीज़ों से इलाज जाइज़ नहीं है और बक़ौल सईदी साहब मुतक़द्दिमीन फ़ुक़्हाए अहनाफ़ ने ख़म्र के साथ इलाज करने से मना किया है और उसको नाजाइज़ कहा है लेकिन मुताख़िख़रीन फ़ुक़्हाए अहनाफ़ ने ज़रूरत की बिना पर ख़म्र के साथ इलाज करने को जाइज़ कहा है। शरह सहीह मुस्लिम जिल्द 6 पेज नं. 235 एक मानी ये है कि बेहतरीन सिरका वो है जो शराब से बनाया जाये दूसरा सिरका सहीह नहीं।

बाब 4 : तमाम नबीज़ जो खजूर और अंगूर से तैयार किये जाते हैं उनको ख़म्र कहा जाता है

باب بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي، عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ،

(5142) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इन दो दरख़्तों खजूर और अंगूर से शराब बनती है।'

(अबू दाऊद : 3678, तिर्मिज़ी : 1875, नसाई : 8/294, इब्ने माजह : 3378)

حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ " .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ "

(5143) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'शराब इन दो दरख़्तों से बनती है खजूर और अंगूर।'

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، بْنِ عَمَّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ " الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ "

(5144) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'शराब इन दो दरख़्तों अंगूर और खजूर से बनती है।' अबू कुरैब की रिवायत में अल्करमति वन्नख़लह की बजाए अल्करम वन्नख़ल है।

باب كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

बाब 5 : तम्र और ज़बीब (छूहारे और मुनक़्क़ा) को मिलाकर नबीज़ बनाना नापसन्दीदा

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .

(5145) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने छूहारों और किशमिश और कच्ची-पक्की खजूर और छूहारों को मिलाने से मना फ़रमाया। यानी उनको मिलाकर नबीज़ बनाना जाइज़ नहीं है।

फ़ायदा : चूंकि वो दो चीज़ें मिलाकर नबीज़ बनाने से उसमें शिद्दत और नशा जल्द पैदा हो जाता है, इसलिये आपने सद्दे ज़रिया के तौर पर इससे मना फ़रमाया। बक़ौल अ़ल्लामा अ़ैनी, अइम्म-ए-हिजाज़, मालिक, शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक ये काम हराम है और बक़ौल अ़ल्लामा नववी ये सद्दे ज़रिया (ज़रिया को रोकने) के लिये है। इसलिये नह्ये तन्ज़ीही है। जब तक सकर (नशा) पैदा न हो, हराम नहीं है। शाफ़ेई और जुम्हूर उ़लमा का क़ौल यही है कुछ मालिकिया के नज़दीक हराम है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है, अ़ल्लामा तक़ी ने कराहते तन्ज़ीह के क़ौल को तरजीह दी है। (तक्मिला जिल्द 3, पेज नं. 619)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا

(5146) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने तम्र और ज़बीब मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया और ताज़ा खजूर (रुतब) और बुस्र कच्ची-पक्की खजूर दोनों को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।

(तिर्मिज़ी : 1876, नसाई : 8/290, इब्ने माजह : 3395)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ، جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا " .

(5147) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नबीज़ बनाने के लिये रुतब व बुस्र और ज़बीब व तम्र को जमा न करो।'

(सहीह बुख़ारी : 5601, नसाई : 8/290)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) रुतब : ताज़ा खजूर। **(2) बुस्र :** कच्ची-पक्की। रुतब दोनों को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।

फ़ायदा : नबीज़ ये है कि पानी में इन चीज़ों को भिगो दिया जाता है, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद इनकी मिठास पानी के अंदर पैदा हो जाती है और ये नशावर होने से पहले-पहले पिया जा सकता है। अलग-अलग भिगोने से जल्द नशा नहीं पैदा होता, अगर दो चीज़ों को मिला दिया जाये तो जल्द नशा पैदा हो जाता है।

(5148) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़बीब व तम्र दोनों को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना किया और बुस्र व रुतब को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना किया।

(नसाई : 8/291, इब्ने माजह : 3395)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .

(5149) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तम्र और ज़बीब दोनों को मिलाने से तम्र और बुस्र दोनों को मिलाने से नबीज़ की ख़ातिर मना फ़रमाया।

(तिर्मिज़ी : 1877)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا

(5150) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें इस काम से मना फ़रमाया कि हम (नबीज़ बनाने के लिये) ज़बीब और तम्र को मिलायें, और बुस्र और तम्र को मिलायें।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ .

(5151) इमाम साहब एक और उस्ताद से अबू मस्लमा की सनद ही से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِي، مَسْلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(5152) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो नबीज़ पीना चाहे वो अकेला मुनक़्क़ा से पिये, सिर्फ़ खजूरों से पिये, अकेली बुस्र से पिये।'
(नसाई : 5585, 5587)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي، الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا " .

(5153) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें मना फ़रमाया कि हम बुस्र को तम्र से मिलायें या ज़बीब को तम्र से मिलायें या ज़बीब को बुस्र से मिलायें और आपने फ़रमाया, 'तुममें से जो इसको पीना चाहता हो ....।' वकीअ़ की तरह रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ . وَقَالَ " مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

(5154) अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने बाप से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़ह्व और रुतब दोनों को मिलाकर नबीज़ न बनाओ, ज़बीब और तम्र दोनों को मिलाकर नबीज़ न तैयार करो, हर एक को अलग-अलग करके नबीज़ बनाओ।'
(सहीह बुख़ारी : 5602, अबू दाऊद : 3704, नसाई : 8/291, 8/292, 8/293, इब्ने माजह : 3397)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ، أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".

मुफ़रदातुल हदीस़ : ज़ह्व : सुर्ख़ी या ज़र्दी माइल कच्ची-पक्की खजूर (गदरी खजूर)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي، عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5155) इमाम साहब एक और उस्ताद से यहया बिन अबी कस़ीर ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ " . وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا .

(5156) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़ह्व और रुतब दोनों को मिलाकर नबीज़ न बनाओ, रुतब और तम्र दोनों को मिलाकर नबीज़ न बनाओ, लेकिन हर एक को अलग-अलग करके नबीज़ बनाओ।' यहया का दावा है वो अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा को मिला तो उसने उसे अपने बाप से यही रिवायत सुनाई।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ "

(5157) इमाम साहब एक और उस्ताद से यहया बिन अबी कस़ीर की दोनों सनदों से इन अल्फ़ाज़ में रिवायत बयान करते हैं, 'रुतब और ज़ह्व, तम्र और ज़बीब।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(5158) अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने बाप से बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी(ﷺ) ने (नबीज़ बनाने के लिये) तम्र और बुस्र के मिलाने से, ज़बीब और तम्र के मिलाने से, ज़ह्व और रुतब

أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ " .

मिलाने से मना फ़रमाया और आपने फ़रमाया, 'हर एक से अलग-अलग नबीज़ बनाओ।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

(5159) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ "يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ".

(5160) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़बीब और तम्र, बुस्र और तम्र (के मिलाने) से मना फ़रमाया और फ़रमाया, 'इन हर दो से अलग-अलग नबीज़ बनाया जाये।'
(इब्ने माजह : 3396)

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، - وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ - حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(5161) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

(5162) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने (नबीज़ बनाने के लिये) तम्र और ज़बीब दोनों को मिलाने से, बुस्र और तम्र दोनों के मिलाने से मना फ़रमाया। अहले जुरश को लिखा कि वो तम्र और ज़बीब न मिलायें।
(नसाई : 8/290-291)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .

(5163) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ तम्र व ज़बीब का ज़िक्र करते हैं, बुस्र और तम्र का तज़्किरा नहीं करते।

وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي الطَّحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ .

(5164) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते थे, उनसे मना किया गया है कि बुस्र और रुतब दोनों को मिलाकर, तम्र और ज़बीब दोनों को मिलाकर नबीज़ तैयार किया जाये।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى، بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .

(5165) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, बुस्र और तम्र दोनों के नबीज़ से और तम्र और ज़बीब दोनों के नबीज़ से मना किया गया है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ، عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .

बाब 6 : तारकोल मले बर्तन, सब्ज़ मटके, तूम्बा (खोखला कद्दू) और खोदे तने में नबीज़ बनाने से मना किया गया, फिर इस हुक्म को मन्सूख़ कर दिया गया और अब उनमें नबीज़ बनाना हलाल है, बशर्तेकि नशावर न हो

باب النَّهْيِ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلاَلٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ .

(5166) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बा और तारकोल मले बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।
(नसाई : 8/305)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .

(5167) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खोखले कद्दू और लाखी बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।
(नसाई : 5646)

قَالَ وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ " . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ .

(5168) ज़ुहरी अबू सलमा से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तूम्बा और लाखी बर्तन में नबीज़ न बनाओ।' फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं, हर क़िस्म के रोग़नी बर्तनों (मटकों) से बचो या सब्ज़ मटकों से बचो।
(नसाई : 5646)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي،

(5169) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने लाख मले बर्तन सब्ज़

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ . قَالَ قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ.

मटके और चट्टू (अंदर से खोदी लकड़ी) से मना फ़रमाया। अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा गया, हन्तम किसे कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, सब्ज़ मटके।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मुज़फ़्फ़त : जिसे तारकोल मला गया हो, इसलिये इसको मुक़य्यर भी कहते हैं। ज़फ़्त और क़ार एक ही चीज़ है, लाख, तारकोल, लुक। **(2) हन्तम :** जमा हनातिम : सब्ज़ मटके। **(3) नक़ीर :** अंदर से खोदा गया तना, चट्टू।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ " أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ - وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ " .

(5170) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने अब्दुल क़ैस के वफ़द से फ़रमाया, 'मैं तुम्हें तूम्बा, सब्ज़ मटके, चट्टू और लाखी बर्तन, मुँह कटे मश्कीज़े से मना करता हूँ, लेकिन अपने चमड़े के मश्कीज़े में पियो और उसका मुँह बांध लो।'
(अबू दाऊद : 3693)

मुफ़रदातुल हदीस़ : हन्तम : का यहाँ दूसरा मानी मुँह कटा मश्कीज़ा बयान किया गया है।

फ़ायदा : शराब की हुरमत के शुरूआती दौर में इन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना कर दिया गया था, इनमें नबीज़ में अगर सकर (नशा) पैदा हो जाये तो उसका पता नहीं चलता था, लेकिन अगर मश्कीज़े में नबीज़ बनाया जाये और उसमें सकर पैदा हो जाये तो वो जोश मारकर मश्कीज़ा फाड़ देता है और जब तक सकर (नशा) पैदा न हो, वो फटता नहीं है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ،

(5171) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से हज़रत अली (रज़ि.) की हदीस़ बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बे और लाखी बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। ये जरीर के अल्फ़ाज़ हैं, अब्स़र और शोबा की हदीस़ है कि

كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ . وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

नबी(ﷺ) ने तोम्बे और लाखी बर्तन से मना फ़रमाया।
(सहीह बुख़ारी : 5594, नसाई : 8/305)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ . قَالَتْ نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ

(5172) इब्राहीम कहते हैं, मैंने अस्वद से पूछा क्या आपने उम्मुल मोमिनीन (आइशा) से सवाल किया था, किन चीज़ों में नबीज़ बनाना नापसन्दीदा है? उसने कहा, हाँ! मैंने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन मुझे बतायें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। उन्होंने जवाब दिया, आपने हमें अहले बैत को तूम्बे और लाखी बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इब्राहीम कहते हैं, मैंने अस्वद से पूछा, क्या उन्होंने (आइशा ने) सब्ज़ मटके और आम मटके का ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें बस वही सुना रहा हूँ जो मैंने सुना है, क्या जो मैंने नहीं सुना वो भी सुनाऊँ?
(सहीह बुख़ारी : 5595)

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5173) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने तूम्बे और सब्ज़ मटके से मना फ़रमाया।

(5174) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(5175) सुमामा बिन हज़्न (रह.) बयान करते हैं मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) को मिला और उनसे नबीज़ के बारे में पूछा? तो उन्होंने बताया, अब्दुल क़ैस का वफ़द नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन्होंने नबी(ﷺ) से नबीज़ के बारे में पूछा? तो आपने उनको तूम्बे मटके, चट्टू लाखी बर्तन और सब्ज़ मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।

(नसाई : 8/307)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ، حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ .

(5176) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बे, सब्ज़ मटके, चट्टू और लाखी बर्तन से मना फ़रमाया।

(नसाई : 8/307)

وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5177) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, मगर उसने मुज़फ़्फ़त की जगह मुक़य्यर कहा है (दोनों का मानी एक है)।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ، سُوَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيَّرِ .

(5178) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, अब्दुल क़ैस का वफ़द रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं तुम्हें तूम्बे, सब्ज़ मटके, चट्टू और लाखी बर्तन से रोकता हूँ।' हम्माद की हदीस में मुक़य्यर की जगह मुज़फ़्फ़त है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ " . وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ - الْمُزَفَّتِ

(5179) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बे, सब्ज़ मटके, लाखी बर्तन और चट्टू से मना फ़रमाया।
(नसाई : 8/290, 291)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .

(5180) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बे, सब्ज़ मटके, लाखी बर्तन और खोखले तने से मना फ़रमाया और डिडरी (जो अभी पकी न हो) को गदरी खजूर से मिलाने से। अल्बलह सब्ज़ी माइल कच्ची खजूर।
(नसाई : 5563)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ .

(5181) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बे, चट्टू और लाखी बर्तन से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي، عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5182) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हर क़िस्म के रोग़नी बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ، أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ .

(5183) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बे, सब्ज़ मटके, चट्टू और लाखी बर्तन से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5184) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(5185) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सब्ज़ मटके, तूम्बे और चड्ढू में नबीज़ पीने से मना फ़रमाया।
(नसाई : 8/306, इब्ने माजह : 3403)

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ

(5186) हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) दोनों ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तूम्बे, सब्ज़ मटके, लाखी बर्तन और चड्ढू से मना फ़रमाया।
(अबू दाऊद : 3690, नसाई : 8/308)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .

(5187) सईद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मटके के नबीज़ के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मटके (घड़े) के नबीज़ को हराम क़रार दिया, तो मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, क्या आप इब्ने उमर (रज़ि.) की बात नहीं सुन रहे? उन्होंने पूछा, वो क्या कहते हैं? मैंने कहा, वो कहते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़े के नबीज़ को हराम क़रार दिया है। उन्होंने कहा, वो सच कहते हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़े के नबीज़ को हराम ठहराया है। मैंने पूछा, घड़े का नबीज़ क्या चीज़ है? उन्होंने जवाब दिया, जो शय (बर्तन) से बनाया जाये, वो जर्र है।
(अबू दाऊद : 3691)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ . فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ . فَقُلْتُ وَأَىُّ شَىْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَىْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ

(5188) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किसी ग़ज़्वे में लोगों को ख़िताब फ़रमाया तो मैं आपकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ इससे पहले कि मैं आप तक पहुँचूँ। तो मैंने पूछा, आप(ﷺ) ने क्या फ़रमाया? लोगों ने बताया, आपने तूम्बे और लाखी बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5189) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से नाफ़ेअ के वास्ते से इब्ने उमर (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला इमाम मालिक वाली हदीस बयान करते हैं। लेकिन मालिक और उसामा के सिवा किसी ने कुछ ग़ज़्वात का तज़्किरा नहीं किया (कि आपने किसी ग़ज़्वे में फ़रमाया)।
(इब्ने माजह : 3402)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي، ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ . إِلاَّ مَالِكٌ وَأُسَامَةُ .

(5190) साबित (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़े के नबीज़ से मना फ़रमाया है? उन्होंने कहा, लोगों का ख़याल यही है। मैंने पूछा, क्या इससे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना फ़रमाया है? उन्होंने कहा, लोगों का यही ख़याल है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ . قُلْتُ أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ .

(5191) ताऊस (रह.) बयान करते हैं एक आदमी ने इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा, क्या अल्लाह के नबी(ﷺ) ने घड़े के नबीज़ से मना फ़रमाया है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर ताऊस ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैंने उनसे ख़ुद सुना है।
(तिर्मिज़ी : 1167, नसाई : 8/302-303)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ أَنَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

(5192) ताऊस (रह.) बयान करते हैं, इब्ने उमर (रज़ि.) के पास एक आदमी आया और पूछा, क्या नबी(ﷺ) ने घड़े और तूम्बे में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया, हाँ।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَهُ فَقَالَ أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعَمْ .

(5193) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़े और तूम्बे से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ .

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ.

(5194) ताऊस (रह.) बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था, तो उनके पास एक आदमी आया और पूछा, क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़े, तूम्बे और लाखी के बर्तन के नबीज़ से मना फ़रमाया है? उन्होंने कहा, हाँ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ .

(5195) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सब्ज़ घड़े, तूम्बे, लाखी बर्तन से मना फ़रमाया। मैंने आपसे कई बार सुना।
(नसाई : 8/306)

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ، دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ . قَالَ وَأُرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ

(5196) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं और वो अपने ख़याल में नक़ीर (चट्टू) का भी ज़िक्र करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ " .

(5197) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़े, तूम्बे, लाखी बर्तन के नबीज़ से मना किया और फ़रमाया, 'चमड़े के मश्कीज़ों में (मुँह बंद करके) नबीज़ बनाओ।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ . فَقُلْتُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ .

(5198) जबलह् (रह.) बयान करते हैं, मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) को ये बयान करते सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हन्तमह् से मना फ़रमाया है। मैंने पूछा, हन्तमह् क्या है? उन्होंने फ़रमाया, घड़ा।
(नसाई : 8/303)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، حَدَّثَنِي زَاذَانُ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي بِمَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا . فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ.

(5199) ज़ाज़ान (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा, अपनी लुग़त में बताइये कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किन मशरूबात से मना फ़रमाया है और उनकी वज़ाहत हमारी ज़बान में कीजिये क्योंकि आपकी ज़बान हमारी ज़बान से अलग है। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हन्तम यानी घड़े, दुब्बा यानी क़रअह, तूम्बे, मुज़फ़्फ़त यानी मुक़य्यर तारकोल मला बर्तन, नक़ीर, खजूर का तना, जिसे छीलकर अंदर से अच्छी तरह खोदा जाता है, से मना फ़रमाया और मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने का हुक्म दिया।
(तिर्मिज़ी : 868, नसाई : 8/308)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तुन्सहु नस्हन : अच्छी तरह ऊपर से छीला जाता है और **(2) तुन्क़र नक़रा :** अंदर से अच्छी तरह खोदा जाता है।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

(5200) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो और उस्तदों से बयान करते हैं।

(5201) सईद बिन मुसय्यब (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से इस मिम्बर के पास.... और रसूलुल्लाह(ﷺ) के मिम्बर की तरफ़ इशारा किया.... सुना अब्दुल क़ैस का वफ़द रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे उन्होंने मशरूबात के बारे में सवाल किया। आपने उन्हें तूम्बे, चट्टू, घड़े के नबीज़ से मना फ़रमाया। मैंने उनसे कहा, ऐ अबू मुहम्मद (सईद की कुन्नियत है) और लाखी बर्तन? हमने समझा वो उसे भूल गये हैं। उन्होंने कहा, मैंने उस दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से नहीं सुना और वो उसको नापसंद करते थे।
(नसाई : 8/306)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ، سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ -وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ . فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتِ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ

(5202) हज़रत जाबिर और इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चट्टू, लाखी बर्तन और तूम्बे से मना फ़रमाया।
(नसाई : 8/309)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ، عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ .

(5203) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को घड़े, तूम्बे और लाखी बर्तन से मना फ़रमाते सुना।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ .

(5204) अबू ज़ुबैर कहते हैं, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़े लाखी बर्तन और चट्टू से मना फ़रमाया। रसूलुल्लाह(ﷺ) को जब नबीज़ बनाने के लिये कोई बर्तन न मिलता, तो आपके लिये पत्थर के बड़े प्याले में नबीज़ बनाया जाता था।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ .

(5205) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) के लिये पत्थर के एक बड़े प्याले में नबीज़ तैयार किया जाता था।
(नसाई : 8/302, इब्ने माजह : 3400)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ .

(5206) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये मश्कीज़े में नबीज़ बनाया जाता था, अगर उन्हें मश्कीज़ा न मिलता तो पत्थर के बड़े प्याले में आपके लिये नबीज़ बनाया जाता था। कुछ लोगों ने अबू ज़ुबैर से पूछा जबकि मैं सुन रहा था, बिराम से? उन्होंने कहा, बिराम से।
(अबू दाऊद : 3702)

मुफ़रदातुल हदीस़ : बिराम : बुरमह् की जमा है, पत्थर की हण्डिया को कहते हैं, मुराद तोर ही है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " .

(5207) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा की अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें, मश्कीज़े के सिवा नबीज़ बनाने से मना किया था, अब सब बर्तनों में नबीज़ बनाकर पियो और नशावर न पियो।'

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ، مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا - لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" .

(5208) इब्ने बुरैदा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें (कुछ) बर्तनों से मना किया था और ज़ुरूफ़ या ज़र्फ़ (बर्तन) किसी चीज़ को हलाल या हराम नहीं करते और हर नशावर चीज़ हराम है।'

फ़ायदा : अलग-अलग बर्तनों में हुरमते शराब के साथ नबीज़ बनाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उनमें नबीज़ जल्द नशावर हद तक पहुँच सकता था और शराब की याद ताज़ा कर सकता था, नीज़ शराब के आदी होने वालों को उसके नशावर हद तक पहुँचने का एहसास नहीं होता था, इसलिये सद्दे ज़रिया के तौर पर उन बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोक दिया गया, लेकिन जब शराब की हुरमत की बिना पर शराब पीने की आ़दत छूट गई और नशावर चीज़ों की हुरमत दिल में बैठ गई और इस बात का ख़तरा न रहा कि नबीज़ के बहाने शराब पी ली जायेगी (क्योंकि नबीज़ में सकर का आग़ाज़ हो चुका होगा और

वो समझेंगे नशा पैदा नहीं हुआ) तो फिर मम्नूआ बर्तनों में नबीज़ बनाने की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि मुमानिअत का सबब ज़ाइल (ख़त्म) हो गया और लोगों को उन बर्तनों की ज़रूरत थी।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ، بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " .

(5209) इब्ने बुरैदा (रह.) अपने बाप बुरैदा (रज़ि.) से बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, **'मैंने तुम्हें चमड़े के बर्तनों में मशरूबात पीने से मना किया था, अब हर बर्तन में पियो, लेकिन नशावर चीज़ न पियो।'**

फ़ायदा : इस रिवायत में हर्फ़े इस्तिस्ना छूट गया है, इसलिये मफ़्हूम उलट हो गया है, असल इबारत ये है, कुन्तु नहैतुकुम अनिल अश्रिबा इल्ला ज़ुरूफ़िल अदम यही रिवायत सुनन अबी दाऊद नम्बर 3698 में इस तरह है नहैतुकुम अनिल अश्रिबति अन तश्रिबू इल्ला फ़ी ज़ुरूफ़िल अदम जो इस बात की सरीह दलील है कि यहाँ इल्ला रह गया है, मानी मैंने तुम्हें चमड़े के ज़ुरूफ़ (बर्तनों) के सिवा में मशरूब पीने से रोक दिया था।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ .

(5210) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं, **जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुछ बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोक दिया, लोगों ने कहा, हर इंसान के पास (चमड़े, मश्कीज़े) नहीं हैं। तो आपने लाखी बर्तन के सिवा आम बर्तनों (घड़ों) की उन्हें इजाज़त दे दी।**

(सहीह बुख़ारी : 5593, अबू दाऊद : 3701, 3702, नसाई : 8/310)

फ़ायदा : पहले आपने आम घड़ों की इजाज़त दी थी, रोग़नी से मना फ़रमाया था, बाद में सब बर्तनों में नबीज़ बनाने की इजाज़त दे दी, जैसाकि हज़रत बुरैदा की हदीस में गुज़र चुका है।

बाब 7 : हर नशावर चीज़ ख़म्र (शराब) है और हर शराब हराम है

باب بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " .

(5211) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से शहद से बनी शराब के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'जो मशरूब नशावर है, वो हराम है।'

(सहीह बुख़ारी : 242, 5585, 5586, तिर्मिज़ी : 1863, नसाई : 8/297, 298, 3386)

मुफ़रदातुल हदीस़ : बित्उ : शहद से बनने वाली शराब और नबीज़।

फ़ायदा : आपने सवाल करने वाले को इन्तिहाई जामेअ़ जवाब दिया, ताकि वो तमाम मशरूबात का हुक्म जान सके और इस हदीस़ से साबित होता है, हर नशावर चीज़ बिला तख़्सीस कम हो या ज़्यादा हराम है।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " .

(5212) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से बित्अ के बारे में पूछा गया? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो मशरूब नशावर है, तो वो हराम है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي،

(5213) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से ज़ोहरी की मज़्कूरा बाला सनद से हदीस़ बयान करते हैं, सुफ़ियान और सालेह की रिवायत में शहद की शराब के बारे में सवाल का ज़िक्र नहीं है। इसका ज़िक्र मअ़मर की रिवायत में है। सालेह की हदीस़ है, हज़रत आइशा

عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'हर नशावर मशरूब हराम है।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5214) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं नबी(ﷺ) ने मुझे और मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) को यमन भेजा, तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी सरज़मीन (यमन) में जौ से एक मशरूब तैयार किया जाता है, जिसे मिज़्र कहा जाता है और एक मशरूब है जिसे बित्अ कहते हैं, शहद से तैयार किया जाता है। तो आपने फ़रमाया, 'हर नशावर चीज़ हराम है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : मिज़्र : ये शराब मक्कई या जौ, गन्दुम से तैयार की जाती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ، سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا " بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلاَ تُنَفِّرَا " .

(5215) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उसे और मुआज़ को यमन की तरफ़ भेजा और दोनों को फ़रमाया, 'बशारत देना, आसानी और सहूलत पैदा करना और सिखाना और नफ़रत न दिलाना।' मेरा ख़याल है आपने ये भी फ़रमाया, 'आपस में इत्तिफ़ाक़ रखना।' तो जब

وَأَرَاهُ قَالَ " وَتَطَاوَعَا " . قَالَ فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهُوَ حَرَامٌ " .

आपने पुश्त फेरी, अबू मूसा (रज़ि.) वापस आये और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! वो एक शराब शहद से बनाते हैं, उसे पकाया जाता है, यहाँ तक कि पकाने में गिरह बंध जाती है और मिज़्र है जिसे जौ से बनाया जाता है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो नमाज़ से नशा पैदा करे वो हराम है।'

फ़ायदा : क़ुरआन मजीद से शराब की हुरमत की इल्लत ज़िक्रे इलाही और नमाज़ से बन्दिश या रुकावट बयान की है और हर नशे में ये चीज़ मौजूद है, आपने इसी की तरफ़ इशारा फ़रमाया है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ، أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " ادْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ " أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ

(5216) हज़रत अबू बुर्दा अपने बाप (हज़रत अबू मूसा) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे और मुआज़ को यमन भेजा तो फ़रमाया, 'लोगों को दीन की दावत दो और बशारत सुनाओ और नफ़रत न दिलाओ और आसानी पैदा करो, तंगी पैदा न करो।' तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमें उन दो मशरूबों के बारे में बतायें जो हम यमन में तैयार करते थे, बित्अ वो शहद का नबीज़ है जो गाढ़ा कर लिया जाता है और मिज़्र है जो मक्कई और जौ का नबीज़ है, यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाता है। रसूलुल्लाह(ﷺ) को जामेअ मानेअ कलाम से नवाज़ा गया था। इसलिये आपने फ़रमाया, 'मैं हर नशावर चीज़ से रोकता हूँ, जो नमाज़ से मदहोश कर दे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : उअ्ति-य जवामिअल कलिमि बिख़वातिमिही : इन्तिहाई कम अल्फ़ाज़ जो बहुत सारे मफ़्हूम व मानी पर मुश्तमिल हों, कोई चीज़ उससे ख़ारिज न हो, यानी जामेअ और मानेअ कलिमात से नवाज़े गये।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ، غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ" .

(5217) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी यमन के इलाक़े जैशान से आया और उसने नबी(ﷺ) से एक मशरूब के बारे में पूछा, जिसे वो अपनी सरज़मीन में मक्कई से बनाकर पीते थे, जिसे मिज़्र कहा जाता था। तो नबी(ﷺ) ने पूछा, 'क्या वो नशावर है?' उसने कहा, जी हाँ। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नशावर चीज़ हराम है, अल्लाह तआला ने ये ज़िम्मा लिया है कि जो नशावर मशरूब पियेगा, उसे वो दोज़ख़ियों की पीप या उनका पसीना पिलायेगा।' उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! तीनतिल ख़बाल से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया, 'दोज़ख़ियों का पसीना या दोज़ख़ियों का पसीना और पीप।'

(नसाई : 8/327)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ " .

(5218) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नशावर चीज़ ख़म्र है और हर नशावर चीज़ हराम है और जो दुनिया में शराब पीता रहा और वो उस पर हमेशगी करता मरा, उससे तौबा न की, वो उसको आख़िरत में नहीं पी सकेगा।'

(अबू दाऊद : 3679, तिर्मिज़ी : 1861, नसाई : 8/296, 297)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साफ़ मालूम होता है शरीअत की नज़र में हर नशावर चीज़ ख़म्र है और उर्फ़ शरई के मुक़ाबले में लुग़वी मानी मतरूक होता है, इसलिये जिस तरह लुग़वी ख़म्र (अंगूरी शराब) की हर मिक़्दार नाजाइज़ है, क़लील व कस़ीर (कम व ज़्यादा) का ऐतबार नहीं है, उसी तरह हर नशावर की हर मिक़्दार हराम है, क़लील व कस़ीर का ऐतबार नहीं है।

(5219) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर नशावर मशरूब ख़म्र है और हर नशावर चीज़ हराम है।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

(5220) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5221) नाफ़ेअ बयान करते हैं, मेरे इल्म की हद तक इब्ने उमर (रज़ि.) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़रमाया, 'हर नशावर मशरूब ख़म्र है और हर नशावर (ख़म्र) हराम है।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ " .

बाब 8 : जो इंसान शराब पीता है और उससे तौबा नहीं करता उसकी सज़ा ये है कि वो क़यामत में उससे महरूम होगा

باب عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الآخِرَةِ

(5222) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने दुनिया में शराब पी, वो उससे आख़िरत में महरूम रहेगा।'
(सहीह बुख़ारी : 5575, नसाई : 8/318)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ

(5223) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है आपने फ़रमाया, 'जिसने दुनिया में शराब पी, फिर उससे तौबा न की, वो आख़िरत में उससे महरूम रहेगा, वो उसे नहीं पिलाई जायेगी।' इमाम मालिक से पूछा गया, उसने उसे आप(ﷺ) की तरफ़ निस्बत की थी? उन्होंने कहा, हाँ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا " . قِيلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ .

फ़ायदा : शराब पर दवाम हमेशगी और इसरार कबीरा गुनाह है, लेकिन अगर कोई इसको हलाल समझता है और शरीअत के क़तई हुक्म से इंकार करता है, तो शरीअत के यक़ीनी हुक्म का इंकार कुफ़्र है। इसलिये ऐसा इंसान जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर वो उसकी हुरमत का इंकार नहीं करता, इख़लासे निय्यत से मुसलमान हुआ है, तो फिर कबीरा गुनाह के इर्तिकाब से इंसान ईमान से ख़ारिज नहीं होता, इसलिये वो सज़ा भुगत कर (अगर किसी दूसरी नेकी के नतीजे में माफ़ी न मिली) जन्नत में चला जायेगा, लेकिन शराब की ख़्वाहिश ख़त्म हो चुकी होगी, उसका दिल उसकी तरफ़ माइल नहीं होगा और वो जन्नत की उस नेमत से महरूम रहेगा।

(5224) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने दुनिया में शराब पी, वो उसे आख़िरत में नहीं पियेगा, इल्ला (मगर) ये कि तौबा कर ले।'
(इब्ने माजह : 3373)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم قَالَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ " .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ - عَنِ ابْنِ، جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ .

(5225) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

باب إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

बाब 9 : जो नबीज़ (गाढ़ा) तेज़ और नशावर न हो, उसको पीना जाइज़ है

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ .

(5226) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये रात के शुरू में पानी में खजूरें डाली जातीं, जब सुबह होती आप उसको पी लेते। दिन भर पीते। बाद वाली रात पीते, अगला दिन पीते, अगली रात पीते, उससे अगला दिन असर तक पीते, अगर कुछ बच जाता उसे ख़ादिम को पिला देते या उसको उण्डेल देने का हुक्म दे देते।

(अबू दाऊद : 3713, नसाई : 8/333, इब्ने माजह : 3399)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि तीन दिनों तक पानी में भिगोई हुई खजूरों या मुनक़्क़ा से नशा पैदा नहीं होता, इसलिये जब तक नशे का ख़तरा न होता आप उसे पीते रहते, जब नशे का एहतिमाल पैदा हो जाता तो शुरू में आप उसे ख़ादिम को पिला देते, लेकिन अगर नशे का कोई असर मालूम होता तो उण्डेलने का हुक्म दे देते।

(5227) यहया बहरानी (रह.) बयान करते हैं लोगों ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास नबीज़ का ज़िक्र छेड़ा, तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये मश्कीज़े में नबीज़ बनाया जाता था। शोबा (रह.) कहते हैं, सोमवार की रात, तो आप उसे सोमवार की सुबह से मंगल की अ़सर तक पीते, अगर उससे कुछ बच जाता, ख़ादिम को पिला देते या उण्डेल देते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ، قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ - قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الاِثْنَيْنِ - فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ .

(5228) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये मुनक़्क़ा पानी में डाला जाता, तो आप उसे दिन भर पीते, अगला दिन पीते और तीसरे दिन की शाम तक पीते फिर उसको पिलाने या बहाने का हुक्म देते।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ .

(5229) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये मश्कीज़े में मुनक़्क़ा का नबीज़ भिगोया जाता, तो आप दिन भर पीते, अगला दिन पीते, तीसरे दिन पीते और जब शाम हो जाती, ख़ुद पीते, पिलाते, अगर कुछ बच जाता तो उसे बहा देते।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ أَهْرَاقَهُ .

(5230) अबू उमर नख़ई (रह.) बयान करते हैं, कुछ लोगों ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से शराब की ख़रीदो-फ़रोख़्त और उसकी तिजारत के बारे में सवाल किया? उन्होंने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? उन्होंने कहा, वाक़िया ये है कि उसको बेचना, उसको ख़रीदना और उसकी तिजारत कुछ भी जाइज़ नहीं है। तो उन्होंने उनसे नबीज़ के बारे में सवाल किया? तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह(ﷺ) सफ़र पर निकले, फिर वापस आये और आपके कुछ साथी सब्ज़ घड़ों, तूम्बे और चट्ट में नबीज़ बना चुके थे तो आपने उसे बहाने का हुक्म दिया। फिर मश्कीज़े लाने का हुक्म दिया, उसमें मुनक़्क़ा और पानी डाला गया, रात भर उसी तरह रहा। सुबह हुई तो आपने उससे उस दिन पिया और अगली रात पिया, अगला दिन शाम तक पिया और पिलाया, जब सुबह हो गई तो जो उसमें बच गया था, उसको बहाने का हुक्म दिया।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ، قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَشِرَائِهَا، وَالتِّجَارَةِ فِيهَا فَقَالَ أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلاَ شِرَاؤُهَا وَلاَ التِّجَارَةُ فِيهَا . قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهَرِيقَ .

(5231) सुमामह् यानी इब्ने हज़्न कुशैरी (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) को मिला और उनसे नबीज़ के बारे में पूछा, उन्होंने एक हब्शी लौण्डी को बुलवाया और फ़रमाया इससे पूछो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये नबीज़ बनाती थी। हब्शन (रज़ि.) ने कहा, मैं आपके लिये रात को मश्कीज़े में नबीज़ बनाती, उसका मुँह बांध देती

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ - حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ، - يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ - قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ .

और उसे लटका देती, जब सुबह होती तो आप उससे पी लेते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاَهُ وَلَهُ عَزْلاَءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً .

(5232) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये नबीज़ एक मश्कीज़े में बनाते, जिसके ऊपर वाला हिस्से का मुँह बांध दिया जाता, उसके नीचे सूराख़ था, हम उसमें सुबह नबीज़ बनाते, तो आप शाम तक पीते और रात को नबीज़ बनाते तो सुबह तक पीते।

(अबू दाऊद : 3711, 1871)

फ़ायदा : अगर खजूर या मुनक़्क़ा को हाथ के साथ अच्छी तरह मलकर पानी में डाला जाये, तो जल्द नबीज़ तैयार हो जाता है और इसमें जल्द नशे का एहतिमाल पैदा हो जाता है, अगर खजूरों और मुनक़्क़ा को इसी तरह डाल दिया जाये तो फिर जल्द सकर पैदा नहीं होता, गर्मी और सर्दी के मौसम का भी फ़र्क़ होता है, गर्मियों में तेज़ी और शिद्दत जल्द पैदा होती है और सर्दियों में ताख़ीर से, इसलिये इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत का ताल्लुक़ सर्दी से होगा और हज़रत आइशा की हदीस़ मौसमे गरमा के बारे में होगी।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - عَنْ أَبِي، حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ .

(5233) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू उसैद साइदी (रज़ि.) ने अपनी शादी के मौक़े पर रसूलुल्लाह(ﷺ) को बुलाया (आपके कुछ साथी भी साथ थे) उस दिन उनकी ख़िदमत अबू उसैद (रज़ि.) की बीवी ने ही की जो दुल्हन थी। हज़रत सहल (रज़ि.) कहते हैं, तुम जानते हो उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) को क्या पिलाया? उसने रात को एक पत्थर के बड़े प्याले में कुछ खजूरें पानी में डाल दीं, जब आपने खाना खा लिया तो आपको ये नबीज़ पिला दिया।

(सहीह बुख़ारी : 6685, 5176, इब्ने माजह : 1912)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है दुल्हन का ख़ाविन्द के घर आने वाले मेहमानों के लिये खाना वग़ैरह तैयार करना और इस सिलसिले के दूसरे काम-काज करना मअयूब (ऐब का काम) नहीं है, वो शादी में आने वाले मेहमानों की ख़ुद इस क़िस्म की ख़िदमत कर सकती है, जो पर्दे में ख़लल अन्दाज़ न हो।

(5234) हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं हज़रत अबू उसैद साइदी (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको दावत दी, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है, लेकिन उसमें ये नहीं है, जब आपने खाना खा लिया, तो आपको नबीज़ पिलाया।

(सहीह बुख़ारी : 5183, 5591)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً، يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ .

(5235) इमाम साहब एक और उस्ताद से सहल बिन सअद (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, इसमें तौर के बाद हिजारह् है और जब आप(ﷺ) खाने से फ़ारिग़ हुए, उसने खजूरों को (नबीज़ को) मिलाया और आपको ख़ुसूसी तौर पर पिलाया।

(सहीह बुख़ारी : 5182)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ - حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि अगर मेहमानों में कोई मुम्ताज़ शख़्सियत हो जिसके इल्म, तक़्वा, नेकी और शर्फ़ व मन्ज़िलत के सब मोतरिफ़ हों और उसको अपने ऊपर तरजीह देते हों, उसकी ख़ुसूसी आवभगत से उन्हें शिकवा व शिकायत पैदा न हो, वो उसको बुरा महसूस न करें, तो फिर उसको ख़ुसूसी खाने या मशरूब पेश करने में कोई हर्ज नहीं है।

(5236) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) से एक अ़रब औरत का ज़िक्र किया गया (कि आप उससे शादी कर लें) तो आपने अबू उसैद को हुक्म दिया उसको पैग़ाम

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا - ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ - أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ " قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي " . فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا فَقَالَتْ لاَ . فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ سَهْلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ " اسْقِنَا " . لِسَهْلٍ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ . قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ " اسْقِنَا يَا سَهْلُ" .

भेजें तो उन्होंने उसे पैग़ाम भेजा, वो आ गई और बनू साइदा की गढ़ी में ठहरी। रसूलुल्लाह(ﷺ) निकलकर उसके पास पहुँच गये तो वो एक औरत थी जो सर झुकाये हुए बैठी थी। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उससे बातचीत की शुरूआत की वो कहने लगी, मैं आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। आपने फ़रमाया, 'मैंने तुझे अपने से पनाह दी।' लोगों ने पूछा, तुझे मालूम है ये कौन है? उसने कहा, नहीं। लोगों ने बताया, ये अल्लाह के रसूल हैं, तुझे मंगनी का पैग़ाम देना चाहते हैं। उसने कहा, मैं ये मक़ाम हासिल करने में इन्तिहाई बदबख़्त रही। हज़रत सहल कहते हैं, उस दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) आकर अपने साथियों के साथ बनू साइदा के सक़ीफ़ा (छप्पर) में बैठ गये। फिर आप(ﷺ) ने सहल से फ़रमाया, 'हमें पानी पिलाओ।' हज़रत सहल (रज़ि.) कहते हैं, तो मैंने उनके लिये ये प्याला निकाला और उन्हें इसमें पानी पिलाया। अबू हाज़िम (रह.) बयान करते हैं, हज़रत सहल (रज़ि.) वो प्याला हमारे पास लाये और हमने उसमें पानी पिया, फिर उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनसे कहा, ये प्याला मुझे हिबा कर दो। तो उन्होंने उसे उन्हें हिबा कर दिया। अबू बक्र बिन इस्हाक़ की रिवायत में है, आपने फ़रमाया, 'हमें पिलाइये, ऐ सहल!'

(सहीह बुख़ारी : 5637)

फ़ायदा : ये औरत उमैमा बिन्ते नोमान बिन शराहील थी, जो इन्तिहाई ख़ूबरू थी और अपने चाचाज़ाद ख़ाविन्द की मौत देख चुकी थी, उसके बाप नोमान बिन शराहील ने ख़ुद पेशकश की थी कि आप मेरी बेटी से जो अज्मलुल अय्यिम फ़िल्अरब अरब की सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत बेवा है, शादी कर लें। क्योंकि वो ख़ुद भी इसकी ख़्वाहिशमन्द है। आपने उसकी पेशकश क़ुबूल कर ली और उसके कहने पर हज़रत अबू उसैद (रज़ि.) को उसके लाने का इन्तिज़ाम करने का हुक्म दिया, वो ख़ुद ही उसके लिये तैयार हो गई और उसे ले आये। चूंकि वो इन्तिहाई ख़ूबसूरत थी इसलिये नाज़ व नख़रे की बिना पर उसका दिमाग़ बहुत ऊँचा था। बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत के मुताबिक़ जब आपने उसे अपने पास आने के लिये कहा तो उसने अपनी बद्दिमाग़ी से कहा, क्या कभी रानी भी आम आदमी के पास आई है। तो आपने आला ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा फ़रमाते हुए उसको तसल्ली व तशफ़्फ़ी देने के लिये, उस पर शफ़क़त का हाथ रखना चाहा तो उसने ये कलिमात कह डाले और इस हदीस़ में जो ये अल्फ़ाज़ हैं, वो आपको मंगनी का पैग़ाम देने आये थे तो इसका मक़सद ये है कि उसका बाप आपसे शादी कर चुका था, वही उसे बताना चाहते थे, क्योंकि दूसरी रिवायात से स़ाबित होता है, आप उसके बाप के कहने पर उससे शादी कर चुके थे, इसलिये आपने उससे ख़ल्वत की और उस पर शफ़क़त का हाथ रखना चाहा, लेकिन जब उसने आपसे अल्लाह की पनाह चाही तो आपने उसे तलाक़ दे दी और हज़रत उसैद (रज़ि.) को फ़रमाया, उसे राज़क़ी कपड़ों का जोड़ा देकर उसके घर वालों के पास पहुँचा दो।

इस हदीस़ से ये स़ाबित होता है कि नबी(ﷺ) की इस्तेमाल की हुई चीज़ से तबर्रुक हासिल किया जा सकता है, जिस चीज़ को आपने छूआ हो, जिस कपड़े को आपने पहना हो, जिस बर्तन से आपने पानी पिया हो, इस पर इज्माअ है, लेकिन इस पर दूसरे हक़ीक़ी या फ़रज़ी औलिया और सुलहा (नेक लोगों) को क़ियास करना दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो सहाबा किराम कम से कम शैख़ैन (अबू बक्र, उमर) की मतरूका (छोड़ी हुई) चीज़ों से तबर्रुक हासिल करते या ताबेईन सहाबा किराम के आस़ार से तबर्रुक हासिल करते, इस क़ियास ने शिर्क व बिदअत का दरवाज़ा खोला है और लोग औलिया के मज़ारात पर तरह-तरह के शिर्किया और बिदई काम करते नज़र आते हैं।

(5237) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को अपने इस प्याले से हर क़िस्म के मशरूबात, शहद, नबीज़, पानी और दूध पिलाये हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ

बाब 10 : दूध पीना जाइज़ है

باب جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

(5238) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) बयान करते हैं, जब हम नबी(ﷺ) के साथ मक्का से मदीना के लिये निकले, हम एक चरवाहे के पास से गुज़रे और रसूलुल्लाह(ﷺ) को प्यास लग चुकी थी तो मैंने आपके लिये थोड़ा सा दूध दूहा और उसे आपकी ख़िदमत में पेश कर दिया, आपने उससे इतना पिया कि मैं मुत्मइन हो गया।

(सहीह बुख़ारी : 3615, 3652, 3908, 3917, 2439, 5607)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : कुस्बह : थोड़ी सी चीज़ को कहते हैं।

फ़ायदा : अरबों का ये दस्तूर था कि अगर किसी मुसाफ़िर को दूध की ज़रूरत होती तो चरवाहा उसको दे सकता था और इस हदीस़ से हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की आपसे मुहब्बत व अ़क़ीदत का भरपूर इज़हार होता है कि वो आपकी प्यास से बेक़रार और परेशान थे, जब उन्होंने आपको दूध पेश किया और आपने पीकर अपनी प्यास बुझाई तो उनकी बेक़रारी को क़रार आ गया और वो राज़ी व ख़ुश हो गये।

(5239) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं जब रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का से मदीना की तरफ़ मुतवज्जह हुए तो सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअ़्शुम ने आपका पीछा किया, आपने उसके लिये बद्दुआ की तो उसकी घोड़ी ज़मीन में धंस गई, उसने दरख़्वास्त की आप मेरे हक़ में दुआ फ़रमायें मैं आपको नुक़सान नहीं पहुँचाऊँगा। तो आपने उसके हक़ में अल्लाह से दुआ फ़रमाई और रसूलुल्लाह(ﷺ) को प्यास लगी तो उनका गुज़र बकरियों के चरवाहे से हुआ, अबू बकर सिद्दीक़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ -قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلاَ

(रज़ि.) ने बताया, मैंने एक प्याला लिया और उसमें रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये थोड़ा सा दूध दूहा और उसे आपकी ख़िदमत में पेश किया, आपने पिया तो मैं आपके पीने से मुत्मइन हो गया।

أَضُرُّكَ . قَالَ فَدَعَا اللَّهَ - قَالَ - فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : साख़त फ़रसुहू : उसकी घोड़ी की टांगें सख़्त ज़मीन में धंस गईं।

फ़ायदा : ये सफ़रे हिज्रत का वाक़िया है। जिससे मालूम होता है अल्लाह अपने बन्दों की दुश्मनों से किस तरह हिफ़ाज़त फ़रमाता है और उनसे किस क़िस्म की हैरत अंगेज़ उमूर का सुदूर होता है, लेकिन इससे ये इस्तिदलाल करना कि अब भी मुसीबत व तकलीफ़ के वक़्त उनसे दुआ और इम्दाद की दरख़्वास्त की जा सकती है, ग़लत बात है। क्योंकि उस वक़्त आपके सामने मौजूद थे और वो आपको देख रहा था और अब ये सूरते हाल नहीं है, हाँ किसी ज़िन्दा नेक आदमी के पास जाकर उससे दुआ की दरख़्वास्त की जा सकती है, नीज़ अगर ज़मीन आपके ताबेअ फ़रमान थी तो फिर अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत क्या थी, आप बराहे रास्त ज़मीन को हुक्म सादिर फ़रमाते।

(5240) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि इसरा की रात ईलिया (बैतुल मक़्दिस) में आपकी ख़िदमत में शराब और दूध के दो प्याले पेश किये गये, आपने उन पर नज़र दौड़ाई और दूध का प्याला पकड़ लिया तो आपसे हज़रत जिब्रईल (अलै.) ने कहा, शुक्र का सज़ावार अल्लाह है, जिसने आपकी रहनुमाई फ़ितरत की तरफ़ की, अगर आप शराब पकड़ते तो आपकी उम्मत भटक जाती।
(सहीह बुख़ारी : 4709, 5603, नसाई : 8/312)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ . فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

(5241) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें ईलिया का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ .

फ़ायदा : दूध और शराब बतौर इम्तिहान आपको पेश किये गये और आप अल्लाह की तौफ़ीक़ से इस इम्तिहान में कामयाब हुए और आपने शराब पर दूध को तरजीह दी, जिस पर इंसान अपनी ज़िन्दगी की शुरूआत करता है और अगर आप इम्तिहान में नाकाम होते तो शराब जो इंसान को ज़िक्रे इलाही से रोकती है, नमाज़ से ग़ाफ़िल करती है और इंसानों में आपस में अदावत व बुग़्ज़ को जन्म देती है, पी लेते तो आपकी उम्मत भी इसकी रसिया होती और राहे रास्त से भटक जाती।

باب فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الإِنَاءِ

बाब 11 : नबीज़ पीना और बर्तन को ढांपना

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ، بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ " أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا " . قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً .

(5242) हज़रत अबू हुमैद साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं नक़ीअ नामी जगह से नबी(ﷺ) के पास दूध लाया, जिसे ढांपा नहीं गया तो आपने फ़रमाया, 'तूने इसे ढांपा क्यों नहीं है? ख़्वाह इस पर लकड़ी ही रख देते।' अबू हुमैद (रज़ि.) कहते हैं, रात ही को मश्कीज़ों के मुँह बांधने का हुक्म दिया गया और दरवाज़ों को रात को बंद करने का हुक्म दिया गया।

मुफ़रदातुल हदीस : मुख़म्मर : ढांपा गया, शराब को इसलिये ख़म्र कहते हैं कि वो अक़्ल को ढांप लेती है और औरत के दुपट्टे को ख़िमार कहते हैं क्योंकि वो उसके सर को ढांप लेता है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, अगर घर से बाहर कोई खाने-पीने की चीज़ ले जानी हो तो उसे किसी चीज़ से ढांप लेना चाहिये। अगर उसको मुकम्मल तौर पर ढांपा न जा सके तो उस पर कोई लकड़ी वग़ैरह ही रख लेनी चाहिये, जो दरहक़ीक़त इस बात की याद दिहानी करायेगी कि ढांपते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लो ताकि ये शैतानी अस़रात से महफ़ूज़ रहे।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّاءُ، بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ، السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ . بِمِثْلِهِ . قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ .

(5243) हज़रत अबू हुमैद साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि वो नबी(ﷺ) के पास दूध का प्याला लाये, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है लेकिन ज़करिया की हदीस़ में रात के बारे में हज़रत अबू हुमैद का क़ौल बयान नहीं किया गया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ " بَلَى " . قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا " . قَالَ فَشَرِبَ .

(5244) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे तो आपने पानी माँगा, एक आदमी ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम आपको नबीज़ न पिलायें? आपने फ़रमाया, 'क्यों नहीं।' वो आदमी दौड़ता हुआ गया और एक नबीज़ का प्याला ले आया तो आपने फ़रमाया, 'तूने इसे ढांपा क्यों नहीं? ख़्वाह इस पर लकड़ी ही रख देते।' फिर आपने पी लिया।

(सहीह बुख़ारी : 5606, अबू दाऊद : 3734)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ कि अगर बर्तन में किसी चीज़ के गिरने का एहतिमाल न हो तो उसको अगर ढांपा न गया हो तो उससे खाने या पीने की चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये आदाबे इस्लामी के मुनाफ़ी (ख़िलाफ़) है कि उसको ढांपा न जाये।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا " .

(5245) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि अबू हुमैद नामी आदमी नक़ीअ जगह से दूध का प्याला लाया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'तूने इसे ढांपा क्यों नहीं? ख़्वाह इस पर चौड़ाई में लकड़ी रख देते।'
(सहीह बुख़ारी : 5605)

باب الأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلاَقِ الأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

बाब 2 : बर्तन को ढांपने, मश्कीज़े का मुँह बांधने, दरवाज़ों को बंद करने और उन पर अल्लाह का नाम लेने का हुक्म और रात को चिराग़ और आग बुझाने का हुक्म और मग़्रिब के बाद बच्चों और मवेशियों को रोकने का हुक्म

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى

(5246) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बर्तन को ढांप दो, मश्कीज़े का मुँह बांध दो और दरवाज़ा बंद कर दो, चिराग़ बुझा दो, क्योंकि शैतान बंधा मश्कीज़ा नहीं खोल सकता, बंद दरवाज़ा खोल नहीं सकता और ढांपा बर्तन नंगा नहीं कर सकता, अगर तुममें से किसी को लकड़ी रखने के सिवा बर्तन के लिये कोई चीज़ न मिले और अल्लाह का नाम ले तो ऐसा कर ले, क्योंकि चूहिया घर वालों के लिये उन पर उनका घर जला देती है।' क़ुतैबा ने अपनी हदीस़ में दरवाज़ा बंद करने का ज़िक्र नहीं किया।
(इब्ने माजह : 3410)

أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ " . وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ " وَأَغْلِقُوا الْبَابَ " .

(5247) इमाम साहब यही रिवायत इमाम मालिक के वास्ते से बयान करते हैं, उसमें है अक्फ़िउल इनाअ औ ख़म्मिरुल इनाअ 'बर्तन उलट दो या ढांप दो' और इसमें बर्तन पर लकड़ी रखने का ज़िक्र नहीं है।'
(अबू दाऊद : 2732, तिर्मिज़ी : 1812)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَاكْفِئُوا الإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الإِنَاءِ .

नोट : तअरीज़ की जगह अर्ज़ का लफ़्ज़ दुरुस्त है।

(5248) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'दरवाज़ा बंद करो।' लैस़ की पहली हदीस़ की तरह रिवायत बयान की, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि आपने फ़रमाया, 'ख़म्मिरुल आनियह्' और फ़रमाया, 'तुज़्रिमु अ़ला अह्लिल बैति स़ियाबहुम' घर वालों के लिये कपड़े जला दिये जाते हैं।'

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَغْلِقُوا الْبَابَ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَخَمِّرُوا الآنِيَةَ " . وَقَالَ " تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ " .

(5249) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, इसमें आपने फ़रमाया, 'अल्फ़ुवैसिक़तु तुज़्रिमुल बैत अ़ला अहलिही चूहिया घर वालों पर घर जला देती है।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ "وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ".

फ़ायदा : इस हदीस़ में आपने अलग-अलग चीज़ों के बारे में ऐसी हिदायात दी हैं कि अगर इंसान उनकी पाबन्दी करे तो बहुत से दीनी और दुनियवी मफ़ासिद (नुक़सानात) से महफ़ूज़ रहता है, लेकिन बुख़ारी शरीफ़ में हर काम के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ने का ज़िक्र है कि चिराग़ बिस्मिल्लाह पढ़कर

बुझाओ, दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करो, बर्तन बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांपो, मश्कीज़े का बिस्मिल्लाह पढ़कर मुँह बांधो।' गोया दीनी और दुनियवी मफ़ासिद और ख़राबियों से बचने के लिये अल्लाह के नाम की पनाह ली गई है, जो इंसान उनकी पाबंदी नहीं करता, वो दुनियवी तौर पर भी नुक़सान उठाता है, जैसे खुले दरवाज़े से कोई नापसन्दीदा आदमी या जानवर दाख़िल होकर नुक़सान पहुँचा सकता है, खुले बर्तन पर कोई गन्दगी या नजासत गिर सकती है, कोई नुक़सान देह कीड़ा, साँप, बिच्छू, छिपकली वग़ैरह गिर सकती है। जलता चिराग़ गिर कर घर को जला सकता है, जैसाकि कई बार रसोई गेस खुला छोड़ा गया रात को वो किस वक़्त आना बंद हुआ, फिर दोबारा आ गया तो कमरे में सोने वाले उसकी बदबू फैलने से मर गये, इस तरह रात भर बिजली का बिला वजह जलना इसराफ़ व तब्ज़ीर (फ़िज़ूल ख़र्ची) का बाइस़ बनता है।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ " .

(5250) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब रात को तारीकी का आग़ाज़ हो यानी सूरज डूबने लगे या शाम हो जाये तो अपने बच्चों को अपने पास रोक लो, बाहर न निकलने दो, क्योंकि उस वक़्त शैतान फैलते हैं, तो जब रात का कुछ वक़्त गुज़र जाये तो उन्हें छोड़ दो, दरवाज़े बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोलता और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने मश्कीज़े का मुँह बांध लो और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बर्तन ढांप लो, चाहे उन पर कोई चीज़ ही रख दो और अपने चिराग़ों को बुझा दो।' जुन्हुल्लैल रात का आग़ाज़।

(सहीह बुख़ारी : 3280, 3304, 5623, अबू दाऊद : 3721)

फ़ायदा : जब सूरज गुरूब होने लगता है और सूरज परस्त उसके सामने सज्दारेज़ होते हैं तो उस वक़्त शैतान भी फैलते हैं, इसलिये उस वक़्त मवेशियों को जैसाकि अगली हदीस़ में आ रहा है और बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि शैतान उन पर अपने नुक़सान देह अस़रात डालते हैं और सालाना वबा भी उन पर उतरती है, अगर उन हिदायात पर अमल किया जाये तो ये चीज़ें शैतानी अस़रात और सालाना वबा के इन्ज़ाल से महफ़ूज़ रहते हैं।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَقُولُ " اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(5251) इमाम साहब एक और उस्ताद से बिस्मिल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كَرِوَايَةِ رَوْحٍ .

(5252) इमाम दो उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ " .

(5253) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब सूरज गुरूब होने लगे तो अपने मवेशियों और बच्चों को न छोड़ो, यहाँ तक कि शाम की तारीकी ज़ाइल (ख़त्म) हो जाये, क्योंकि जब सूरज गुरूब होता है शैतान फेलते हैं, यहाँ तक कि शाम के बाद की तारीकी ख़त्म हो जाये।'

(अबू दाऊद : 2604)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मवाशियकुम : माशियह् की जमा है, फैलने वाले हैवानात। **(2) फ़ह्मतुल इशा :** मग़्रिब और इशा की नमाज़ के दरम्यान फैलने वाली तारीकी।

(5254) इमाम साहब एक और उस्ताद से ज़ुहैर की तरह रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ .

(5255) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'बर्तन ढांप दो, मश्कीज़े का मुँह बांध दो, क्योंकि साल में एक रात है, उसमें आ़म बीमारी उतरती है, वो जिस ऐसे बर्तन से गुज़रती है जिस पर ढकना नहीं होता या ऐसे मश्कीज़े से जिसका मुँह बंधा नहीं होता, तो उस वबा से कुछ हिस्सा उनमें उतरता है।'

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ " .

(5256) इमाम साहब एक और उस्ताद से लैस़ बिन सअ़द ही की सनद से ये हदीस़ बयान करते हैं, मगर इतना फ़र्क़ है आपने फ़रमाया, 'साल में एक दिन है जिसमें वबा उतरती है' और हदीस़ के आख़िर में ये इज़ाफ़ा है लैस़ ने कहा, अजमी लोग इसका अन्देशा कानूनल अव्वल दिसम्बर में रखते हैं।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ " . وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ .

फ़ायदा : साल में एक दिन और रात है जिसमें वबा यानी आ़म बीमारी का नुज़ूल होता है, लेकिन उसकी तअ़यीन की कोई दलील नहीं है, अजमी लोग अपने तौर पर ये महसूस करते थे कि ये दिन, रात दिसम्बर में है।

(5257) हज़रत सालिम अपने बाप (अब्दुल्लाह रज़ि.) से बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब सोते हो तो अपने घरों में आग को जलती न छोड़ो।'
(सहीह बुख़ारी : 6293, अबू दाऊद : 5246, तिर्मिज़ी : 1813, इब्ने माजह : 3769)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " .

(5258) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं मदीना में एक घर अपने अहल समेत जल गया। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) को उनके हाल से आगाह किया गया, आपने फ़रमाया, 'ये आग तो तुम्हारी दुश्मन है तो जब तुम सोने लगो, उसको बुझा दो।'
(सहीह बुख़ारी : 6294, इब्ने माजह : 3770)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَأْنِهِمْ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ "

बाब 13 : खाने और पीने के आदाब और अहकाम

باب آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

(5259) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं, हम जब नबी(ﷺ) के साथ किसी खाने में शरीक होते तो जब तक रसूलुल्लाह(ﷺ) शुरू फ़रमाते हुए अपना हाथ न बढ़ाते हम अपना हाथ न बढ़ाते और एक बार हम आपके साथ खाने के लिये हाज़िर थे तो एक बच्ची आई, गोया उसे धकेला जा रहा है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا " .

हम अपने हाथ न बढ़ाते, तो वो अपना हाथ खाने में डालने लगी। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक बदवी आया, गोया कि उसका पीछा किया जा रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया और फ़रमाया, 'शैतान उस खाने को हलाल समझ लेता है, जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाये और वो उस बच्ची को लाया ताकि उसके ज़रिये खाना हलाल बनाये तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उस आराबी को लाया ताकि इसके ज़रिये हलाल बना ले, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है उसका हाथ भी इस बच्ची के हाथ के साथ मेरे हाथ में है।'

(अबू दाऊद : 3766)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الأَرْحَبِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى طَعَامٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ " كَأَنَّمَا يُطْرَدُ " . وَفِي الْجَارِيَةِ " كَأَنَّمَا تُطْرَدُ " . وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَأَكَلَ .

(5260) हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) बयान करते हैं, जब हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ खाने की दावत मिलती, आगे ऊपर की अबू मुआविया (रज़ि.) की रिवायत के हम मानी रिवायत है और इस कअन्नमा तदफ़ड़ की जगह बच्ची के लिये तुत्रदु है और आराबी के लिये युत्रदु है और उसने आराबी की आमद का तज़्किरा पहले किया है और हदीस़ के आख़िर में ये इज़ाफ़ा किया है, फिर अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू कर दिया। तद्फ़ड़ और तुत्रदु दोनों का मानी भगाना है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि जब लोग दावत में शरीक हों तो अपने में से बड़ी शख़्सियत के आग़ाज़ करने का इन्तिज़ार करें, फिर अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें, ये इस बात का इक़रार और ऐतिराफ़ है कि ये खाना अल्लाह तआला ने हमें अपने फ़ज़्ल व करम से इनायत फ़रमाया है, अगर उसका फ़ज़्ल शामिले हाल न होता तो हमारे लिये उसका हुसूल मुम्किन न था और बिस्मिल्लाह हर खाने और पीने वाली चीज़ पर हर फ़र्द पढ़ेगा, जुन्बी और हाइज़ा भी पढ़ेंगे, अगर हाज़िरीन में से बड़ा आग़ाज़ करते वक़्त बिस्मिल्लाह ऊँची आवाज़ से पढ़े ताकि दूसरे भी उसकी इक़्तिदा करें तो बेहतर है, अगर किसी वजह से आग़ाज़ में बिस्मिल्लाह रह जाये और बाद में याद आ जाये तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आख़िरहू पढ़ ले, जैसाकि सुनन की रिवायत में इसकी तसरीह मौजूद है और बक़ौल अ़ल्लामा नववी अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह का नाम लेने का ज़िक्र है, बिस्मिल्लाह की तअ़यीन नहीं है।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيِّ .

(5261) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उसमें बच्ची की आमद को आराबी की आमद से पहले बयान किया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - عَنِ ابْنِ، جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ " .

(5262) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जब आदमी अपने घर में दाख़िल होते वक़्त और खाते वक़्त अल्लाह को याद करता है, शैतान कहता है, तुम्हारे लिये रात गुज़ारने की जगह नहीं है और न शाम का खाना और जब वो दाख़िल होते वक़्त अल्लाह को याद नहीं करता, शैतान (साथियों को) कहता है, तुम्हें रात गुज़ारने की जगह मिल गई और जब खाते वक़्त अल्लाह को याद नहीं करता, शैतान कहता है, क़ियामगाह और खाना दोनों तुम्हें मिल गये।'

(अबू दाऊद : 3765)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है जब इंसान खाते-पीते वक़्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान भी साथ शरीक हो जाता है और वो हक़ीक़तन खाना खाता है, जुम्हूर उ़लमा सलफ़ हों या ख़लफ़,

मुतकल्लिम हों या फ़क़ीह व मुहद्दिस, सबका नज़रिया यही है कि शैतान खाना खाता है, इस तावील की ज़रूरत नहीं है कि उससे खाने की बरकत ख़त्म होना मुराद है, इसी तरह जब इंसान घर में दाख़िल होते वक़्त अल्लाह को याद नहीं करता, घर में दाख़िल होने की दुआ नहीं पढ़ता तो शैतान उसके साथ घर में दाख़िल हो जाता है और बच्चों और बड़ों को डराता है।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ " .

(5263) यही रिवायत मुसन्निफ़ एक और उस्ताद से बयान करते हैं, मगर इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, 'अगर वो अपने खाने के वक़्त अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता और घर में दाख़िल होते वक़्त अल्लाह को याद नहीं करता।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ " .

(5264) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बायें हाथ से न खाओ, क्योंकि शैतान बायें हाथ से खाता है।'
(इब्ने माजह : 3268)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ، اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ

(5265) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई खाये तो दायें हाथ से खाये और जब पिये तो दायें हाथ से पिये क्योंकि शैतान अपने बायें हाथ से खाता और अपने बायें से पीता है।'
(अबू दाऊद : 3776, तिर्मिज़ी : 1799)

بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "

फ़ायदा : इस हदीस़ से ये स़ाबित होता है कि इंसान के लिये दायें हाथ से खाना और दायें हाथ से पीना लाज़िम है और बायें हाथ से खाना-पीना शैतानी काम है, इसलिये जाइज़ नहीं है और रसूलुल्लाह(ﷺ) हर मामले में दायें हाथ से शुरू फ़रमाते थे, हर काम में तयामुन को पसंद फ़रमाते, जो यमीन और बरकत पर दलालत करता है और इससे ये भी मालूम होता है, फ़ासिक़ और फ़ाजिर लोगों की आदात व ख़साइल से बचना ज़रूरी है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، -وَهُوَ الْقَطَّانُ - كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ .

(5266) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनदों से ज़ुहरी ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا -عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا " . قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا " وَلاَ يَأْخُذُ بِهَا وَلاَ يُعْطِي بِهَا " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ " لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ

(5267) हज़रत सालिम अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई हर्गिज़ अपने बायें हाथ से न खाये और न हर्गिज़ उससे पिये, क्योंकि शैतान अपने बायें से खाता और उससे पीता है।' और नाफ़ेअ इसमें ये इज़ाफ़ा करते थे, 'न बायें से पकड़े और न उससे दे।' अबू ताहिर की रिवायत में, ला यअकुलन्न अहदुकुम मिन्कुम की जगह ला यअकुलन्न अहदुकुम है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि कोई चीज़ लेते देते वक़्त भी बायाँ हाथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिये और शैतान का भी हाथ है, इसलिये आपने उसको पकड़ लिया था।

(5268) हज़रत इयास बिन सलमा बिन अक्वअ अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास अपने बायें हाथ से खाना शुरू किया तो आपने फ़रमाया, 'अपने दायें हाथ से खाओ।' उसने कहा, ये मेरे बस में नहीं है। आपने फ़रमाया, 'तेरे बस में न रहे।' हज़रत सलमा (रज़ि.) कहते हैं, ये उसने महज़ तकब्बुर की बिना पर कहा था, इसलिये बाद में उसको अपने मुँह तक न उठा सका।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ " كُلْ بِيَمِينِكَ " . قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ " لاَ اسْتَطَعْتَ " . مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ . قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बुस्र बिन राई अश्जई को बायें हाथ से खाते देखकर फ़रमाया, अपने दायें हाथ से खाओ, लेकिन चूंकि आपने क़राइन से महसूस कर लिया कि उसका ये कहना ये मेरे बस में नहीं ये महज़ बहाना साज़ी है, इसलिये दुआ फ़रमाई कि तू उस हाथ से काम न ले सके, इससे मालूम हुआ अगर कोई ख़िलाफ़े शरीअ़त बात से टोके और शरीअ़त के मुताबिक़ काम करने की तल्क़ीन करे तो उसको तकब्बुर (ढिटाई) से नज़र अन्दाज़ नहीं करना चाहिये या इस हिदायत को हक़ीर नहीं समझना चाहिये, कहीं ऐसा न हो, अल्लाह तआ़ला फ़ौरन पकड़ कर ले और अपनी किसी नेमत से महरूम कर दे।

(5269) हज़रत उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़ेरे किफ़ालत था और मेरा हाथ प्लेट में घूम रहा था (मैं हर तरफ़ से खा रहा था) तो आपने मुझे फ़रमाया, 'ऐ बच्चे! अल्लाह का नाम लो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने पास से खाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 5376, 5377, 5378, इब्ने माजह : 3267)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ، عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي " يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ " .

(5270) हज़रत उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं, एक दिन मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ खाना खाया और मैं गोश्त प्लेट के हर तरफ़ से लेने लगा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने क़रीब से खाओ, सामने से खाओ।'

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي، مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلْ مِمَّا يَلِيكَ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि खाना अपने सामने से खाना चाहिये, क्योंकि दूसरों के सामने से खाना हिर्स व लालच की अ़लामत है और दूसरों का हक़ मारना है, हाँ अगर एक जगह अलग-अलग खाने हों या अलग-अलग फल हों तो फिर दूसरी जगह से खाना जाइज़ है, क्योंकि किसी को कोई खाना पसंद है और किसी को कोई और या हर क़िस्म से हर इंसान मुतमत्तेअ़ होना (फ़ायदा उठाना) चाहता है।

(5271) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मश्कीज़ों के मुँह मोड़ने से मना फ़रमाया।
(सहीह बुख़ारी : 5625, अबू दाऊद : 3720, तिर्मिज़ी : 1890)

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : इख़्तिनास़ : मुँह मोड़ना या उसका सिरा मोड़ना।

(5272) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने मश्कों का मुँह मोड़कर पानी पीने से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا .

(5273) इमाम साहब एक और उस्ताद से ये रिवायत बयान करते हैं, मगर इसमें ये है इख़्तिनास़ का मानी ये है कि मश्क का मुँह मोड़कर या सिरा मोड़कर उससे पिया जाये।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ .

फ़ायदा : मश्क के मुँह से मुँह लगाकर पानी पीने से आपने मना फ़रमाया है, क्योंकि उसके अंदर कोई मूज़ी (तकलीफ़देह) चीज़ हो सकती है, जो पेट में जाकर ख़राबी का बाइस़ बन सकती है और दूसरे देखने वाले के लिये जिसे बाद में पीना है, ये चीज़ कराहत और नफ़रत का बाइस़ बन सकती है और इस तरह उसमें जल्द बू पैदा होने का भी एहतिमाल है।

बाब 14 : खड़े होकर पानी पीना नापसन्दीदा है

باب كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

(5274) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खड़े होकर पीने से डांटा।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .

(5275) हज़रत अनस (रज़ि.) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने मना फ़रमाया कि इंसान खड़ा होकर पानी पिये। क़तादा कहते हैं, हमने पूछा तो खाना? उन्होंने कहा, वो ज़्यादा बुरा या ख़बीस़ है।

(तिर्मिज़ी : 1879, इब्ने माजह : 3424)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا . قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالأَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ .

(5276) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से करते हैं लेकिन इसमें क़तादा का क़ौल बयान नहीं किया।
(अबू दाऊद : 3717)

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ

(5277) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने खड़े होकर पीने से डांटा।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .

(5278) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने खड़े होकर पीने से डांटा।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا .

(5279) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई खड़ा होकर हर्गिज़ न पिये और जो भूल कर ऐसा कर ले, वो क़य कर दे।'

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ، حَمْزَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ " .

फ़ायदा : खड़े होकर पानी पीने के सिलसिले में अलग-अलग रिवायतें वारिद हैं, इसलिये उनमें तत्बीक़ देने में इख़्तिलाफ़ है, किसी ने जवाज़ की अहादीस़ को मन्सूख़ क़रार दिया और किसी ने मुमानिअ़त की

रिवायात को मन्सूख़ कहा है। किसी ने जवाज़ की अहादीस को तरजीह दी है और किसी ने कहा, खड़ा होने से मुराद चलते-फिरते है। लेकिन अक्सर फ़ुक़्हा के नज़दीक इसका तअल्लुक़ अदब और सलीक़े से है, यानी अदब का तक़ाज़ा और सलीक़ा शिआरी यही है कि इंसान बैठकर पिये। यूँ भी कह सकते हैं कि खड़े होकर पीने को मामूल और आदत बनाना दुरुस्त नहीं है या बैठने में कोई रुकावट न हो और खड़ा होने की मजबूरी न हो तो फिर खड़े होकर पीना दुरुस्त है। इसलिये आपने फ़रमाया, 'जिसने खड़े होकर पिया, वो क़य कर दे।' ताकि आइन्दा वो इस हरकत से बाज़ रहे।

बाब 15 : ज़मज़म खड़े होकर पीना

باب فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

(5280) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ज़मज़म पिलाया तो आपने खड़े होकर पी लिया।

(सहीह बुख़ारी : 1637, 1882, नसाई : 2964, 5/237, इब्ने माजह : 3422)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

(5281) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने ज़मज़म के कुँऐं के डोल से पिया और आप खड़े थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ .

(5282) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़मज़म के कुँऐं से खड़े होकर पिया।

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ .

(5283) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ज़मज़म से पिलाया तो आपने खड़े होकर पिया और आपने बैतुल्लाह के पास पानी तलब फ़रमाया था।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ .

(5284) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से शोबा ही की सनद से बयान करते हैं और इस रिवायत में ये है, मैं आपके पास डोल लेकर आया।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ ज़मज़म खड़ा होकर पिया जा सकता है।

बाब 16 : बर्तन के अंदर साँस लेना नापसन्दीदा है और बर्तन से बाहर तीन साँस लेना पसन्दीदा है

باب كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاَثًا خَارِجَ الإِنَاءِ

(5285) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने बर्तन में साँस लेने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ .

(5286) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बर्तन में (उससे पानी पीते वक़्त,

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ، بْنِ ثَابِتٍ

الأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا .

बाहर) तीन साँस लेते थे।
(सहीह बुख़ारी : 5631, तिर्मिज़ी : 1884, इब्ने माजह : 3416)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا وَيَقُولُ " إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ " . قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا .

(5287) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) पीते वक़्त तीन साँस लेते थे और आप फ़रमाते थे, 'इससे ख़ूब सैराबी होती और ये प्यास से महफ़ूज़ रहने का बाइस और बहुत ज़ल्द हज़म होने वाला है।'
(अबू दाऊद : 3727, तिर्मिज़ी : 1884)

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الإِنَاءِ .

(5288) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से रिवायत करते हैं और उसमें फ़िश्शराब की बजाये फ़िल्इनाइ (बर्तन में) है।

باب اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

बाब 17 : दूध, पानी या और कोई मशरूब तक़सीम करते हुए शुरू करने वाले की दायें तरफ़ से शुरू करना मुस्तहब है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(5289) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को ऐसा दूध पेश किया गया जिसमें पानी की आमेज़िश थी और आपके दायें तरफ़ एक आराबी था और बायें तरफ़

وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ " الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ "

अबू बक्र थे तो आप(ﷺ) ने पिया फिर आराबी को दिया और फ़रमाया, दायाँ फिर दायाँ यानी दायें को पहले दिया जायेगा।

(सहीह बुख़ारी : 5619, अबू दाऊद : 3726, तिर्मिज़ी : 1893, इब्ने माजह : 3425)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ . فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ " .

(5290) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं नबी(ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये जबकि मैं दस साल का था और आप फ़ौत हुए जबकि मैं बीस साल का था और मेरी मायें मुझे आपकी ख़िदमत पर उभारती थीं। आप हमारे यहाँ हमारे घर में दाख़िल हुए तो हमने आपके लिये घरेलू बकरी दूही और उसमें घर के कुँऐं से पानी पिलाया गया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पिया फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने आपसे कहा जबकि अबू बक्र (रज़ि.) आपकी बायें तरफ़ थे, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू बक्र को दीजिये। तो आपने वो आराबी को दिया जो आपके दायें तरफ़ था और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'दायें को पहले, दायें को पहले।'

फ़ायदा : अगर मेहमान को दूध में पानी मिलाकर पिलाया जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ख़रीदार को पानी मिलाकर देना धोखा और फ़रेब है, इसलिये जाइज़ नहीं है और अदब व एहतिराम के ऐतबार से अज़ीज़ो-अक़ारिब से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों को भी माँ कहा जा सकता है।

(5291) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे घर तशरीफ़ लाये तो पानी तलब किया तो हमने आपके लिये बकरी दूही। फिर मैंने उसमें अपने उस कुँआ से उसमें पानी की आमेज़िश की, फिर मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को दिया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पी लिया। अबू बकर आपके बायें थे और उमर सामने और आराबी आपके दायें। हज़रत उमर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये अबू बकर है। उस पर आपकी नज़र दौड़ाते थे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दूध आराबी को दिया और अबू बकर और उमर (रज़ि.) को छोड़ दिया और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दायें, दायें, दायें (मुक़द्दम होंगे) हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़रमाया, तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है।
(सहीह बुख़ारी : 2571)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ح

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ -قَالَ - فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ . يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ " . قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ " أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ " . فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ . وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا " . قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ ﷺ فِي يَدِهِ .

(5292) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को मशरूब पेश किया गया, आपने उसमें से पी लिया। आपके दायें जानिब एक नौ उम्र लड़का था और बायें तरफ़ बड़ी उम्र के लोग थे। आपने नौ उम्र लड़के से पूछा, 'क्या तुम मुझे इजाज़त देते हो कि मैं उनको दे दूँ?' लड़के ने कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम आपसे मिलने वाले अपने हिस्से पर मैं किसी को तरजीह नहीं दूँगा। तो आपने उसे सख़्ती से उसके हाथ में दे दिया।
(सहीह बुख़ारी : 2451, 2602, 2605, 5620)

फ़ायदा : इस वाक़िये में रसूलुल्लाह(ﷺ) की दायें तरफ़ बैठने वाले हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) थे। जो आपके अज़ीज़ थे और बायें तरफ़ बैठने वाले भी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के अज़ीज़ थे। इसलिये आपने इब्ने अब्बास से उनको देने की इजाज़त तलब की कि वो अपना हक़ अपने बड़ों को दे दें और कुछ रिवायतों से मालूम होता है आपने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ख़ालाज़ाद हज़रत ख़ालिद बिन वलीद को देना चाहा। लेकिन उन्होंने हुज़ूर का बाक़ी बचा होने की बरकत की बिना पर इसको गवारा नहीं किया तो आपने इब्ने अब्बास (रज़ि.) को ही दे दिया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ، بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولاَ فَتَلَّهُ . وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

(5293) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं उन्होंने फ़तल्लहू नहीं कहा लेकिन एक रावी ने फ़अअ्ताहु इय्याहु तो वो उसे ही दे दिया कहा है।
(सहीह बुख़ारी : 2366, 4719)

मुफ़रदातुल हदीस़ : तल्लहू फ़ी यदिही : उसे उसके हाथ में दे दिया, ज़ोरो-शिद्दत से रख दिया।

बाब 18 : उंगलियाँ और खाने का बर्तन चाटने और नीचे गिर जाने वाले लुक़्मे को जो नापसन्दीदा चीज़ लगी है उसे साफ़ करके खा लेने का मुस्तहब और उसको चाटने से पहले कि बरकत उसी में हो सकती है हाथ पौंछना मकरूह है और सुन्नत तीन उंगलियों से खाना है

باب اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، -قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ".

(5294) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो तुममें से कोई एक खाना खाये तो वो अपना हाथ (उगलियाँ) चाटे या चटाये बग़ैर अपना हाथ साफ़ न करे।'
(सहीह बुख़ारी : 5456, इब्ने माजह : 3269)

फ़ायदा : इंसान जब खाना खाता है तो उसका कुछ हिस्सा इंसान के हाथों, उंगलियों और बर्तन के साथ लग जाता है और इंसान इससे बेख़बर है कि खाने के किस हिस्से में बरकत है, इसलिये आपने हाथ और बर्तन को चाटने और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उनको धोने और साफ़ करने की तरग़ीब दी और इंसान के मुँह के लुआब से जिस अच्छे तरीक़े से उंगलियाँ साफ़ होती हैं, टिशू पेपर से उस तरह सफ़ाई हासिल नहीं होती। नीज़ इससे ये भी साबित होता है कि खाने के किसी मामूली से हिस्से को भी ज़ाया नहीं करना चाहिये। लेकिन आज हम ग़ैरों की तक़लीद में इस्लाम के इस सुनहरी उसूल पर अमल करने की बजाये टिशू पेपरों को बतौर फैशन इस्तेमाल करते हैं और उगलियों और बर्तन को साफ़ करना गंवारपन और हिर्स व बुख़्ल तसव्वुर करते हैं और अपनी उंगली अपने किसी अज़ीज़ बीवी-बच्चों को

भी चटा सकता है, क्योंकि वो उसको नापसंद नहीं करेंगे और उन्हें इस उसूल का भी पता चल जायेगा और बक़ौल कुछ यहाँ औ तन्वीअ के लिये यानी ये कर लो या न करो, नहीं है बल्कि शक के लिये है कि आपने ये लफ़्ज़ कहा या ये लफ़्ज़ बोला। इस सूरत में मानी होगा, अपने मुँह को चटवाये, दोनों लफ़्ज़ों का मक़सद एक ही होगा कि वो ख़ुद चाटे।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".

(5295) इमाम साहब अलग-अलग सनदों से बयान करते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बताया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई खाना खाये तो उस वक़्त तक अपना हाथ साफ़ न करे, जब तक उसे चाट न ले या चटवा न ले।'

(अबू दाऊद : 3847)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ، مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ مِنَ الطَّعَامِ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلاَثَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ .

(5296) हज़रत कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को खाना खाने की बिना पर उन्हें अपनी तीन उंगलियाँ चाटते हुए देखा। इब्ने हातिम ने तीन का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और इब्ने अबी शैबा ने अपनी रिवायत में इब्ने कअ़ब की जगह अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब कहा।

(अबू दाऊद : 3848)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا .

(5297) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं कि इब्ने कअ़ब अपने बाप कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी तीन उंगलियों से खाते थे और अपने हाथ को साफ़ करने से पहले चाट लेते थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، - أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا .

(5298) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब या अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी तीन उंगलियों से खाते थे और जब फ़ारिग़ होते तो उनको चाट लेते।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّحَدَّثَاهُ - أَوْ، أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ، كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(5299) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब और अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब दोनों ने या उनमें से एक ने रिवायत सुनाई।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि खाने का अदब ये है कि इंसान उसके लिये तीन उंगलियाँ (अंगूठा और उसकी साथ वाली) इस्तेमाल करे, इसलिये बिला ज़रूरत तीन से ज़्यादा उंगलियों से खाना ख़िलाफ़े अदब है। ज़रूरत की सूरत में पाँचों उंगलियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

(5300) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उंगलियों और प्लेट को चाटने का हुक्म दिया और फ़रमाया, 'तुम नहीं जानते

جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ ‏"‏ إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ ‏"‏ ‏.‏

इसके किस हिस्से में बरकत है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ‏"‏ ‏.‏

(5301) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी का लुक़्मा गिर जाये तो वो उसको उठाये और उसको लगने वाली तकलीफ़देह चीज़ (मिट्टी, रेत और तिनके वग़ैरह) दूर करके उसको खा ले और जब तक अपनी उंगली चाट न ले, अपना हाथ रुमाल से साफ़ न करे, क्योंकि उसे मालूम नहीं है उसके खाने के किस हिस्से में ख़ैर व बरकत है।'
(इब्ने माजह : 3270)

फ़ायदा : जब इंसान खाना शुरू कर देता है तो उसका अक्सर हिस्सा उसके पेट में चला जाता है, कुछ बर्तन को लग जाता है, कुछ उंगलियों को लग जाता है। कई बार कुछ बर्तन में रह जाता है और कोई लुक़्मा गिर जाता है। अब इंसान को मालूम नहीं है, खाने के इन सब हिस्सों में से कौनसा हिस्सा या जुज़ उसके लिये ख़ैर व बरकत और सैर होने का बाइस है और उसके लिये क़ुव्वत व ताक़त का सबब है। इसलिये उसे इन तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करना चाहिये। कोई हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिये। यहाँ तक कि गिरने वाला लुक़्मा भी इसी तरह गिरे-पड़े नहीं रहने देना चाहिये और इससे ये भी मालूम होता है बर्तन में उतना ही खाना डालना चाहिये जितना खाना हो।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ مِثْلَهُ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِهِمَا ‏"‏ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ‏"‏ ‏.‏ وَمَا بَعْدَهُ ‏.‏

(5302) यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से भी बयान करते हैं, उनकी हदीस़ में भी है, 'वो अपना हाथ तोलिये से साफ़ न करे यहाँ तक कि उसे चाट ले या चटवाये।' और उसके बाद वाला हिस्सा।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ " .

(5303) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'शैतान तुम्हारे हर मामले के वक़्त आ जाता है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे खाने के वक़्त भी आ जाता है, इसलिये जब तुममें से किसी से कोई लुक़्मा गिर जाये तो वो उससे अज़ियत का बाइस चीज़ गिरा करके उसको खा ले, उसको शैतान के लिये न पड़ा रहने दे और जब फ़ारिग़ हो जाये तो अपनी उंगलियाँ चाट ले, क्योंकि उसे इल्म नहीं है, उसके किस खाने में बरकत है।'

(इब्ने माजह : 3279)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि शैतान हर वक़्त और हर आन इंसान की ताक में रहता है। वो जब भी कोई काम शुरू करता है तो उसकी कोशिश होती है, मेरा भी उस काम में कुछ हिस्सा पड़ जाये। इसलिये वो उकसाकर उससे कोई न कोई काम दीनी हिदायात व तालीमात का मुनाफ़ी करवा लेता है, जिस तरह गिरने वाला लुक़्मा को उठाना वो उसे अपनी शान के मुनाफ़ी बावर करवाता है और उसको ख़स्त व कमीनगी बताता है, इस तरह इंसान उसके फ़रेब में आकर लुक़्मा उसके लिये छोड़ देता है और इंसान को एहसास ही नहीं होता कि शैतान का दाव चल गया है, हाँ अगर लुक़्मा नापाक जगह में गिर जाये या उसको साफ़ करना मुम्किन न हो तो फिर उसे बिल्ली, कुत्ते को डाल दे, उसको ज़ाया (बर्बाद) न करे। क्योंकि शरीअत किसी मामूली चीज़ को बर्बाद होने को भी गवारा नहीं करती।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ " . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ " .

(5304) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें इज़ा सक़तत लुक़्मतु अहदिकुम से आख़िर तक है। इब्तिदाई हिस्सा इन्नश्शैतान यह्ज़ुरु अहदकुम वाला हिस्सा नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي، صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ . وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا .

(5305) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं, वो अबू सालेह और अबू सुफ़ियान दोनों से चाटने का ज़िक्र करते हैं और अबू सुफ़ियान से लुक़्मा वाला हिस्सा बयान करते हैं, जैसाकि ऊपर वाले दोनों उस्ताद बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ وَقَالَ " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ " . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ " فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ "

(5306) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब खाना खाते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाट लेते और आपने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी का लुक़्मा गिर जाये तो वो उससे तकलीफ़देह चीज़ गिरा दे और उसको खा ले और शैतान के लिये उसे न छोड़े।' और आपने हमें प्याला साफ़ करने का हुक्म दिया फ़रमाया, 'क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे किस खाने में बरकत और फ़ैज़बख़्शी है।'
(अबू दाऊद : 3845, तिर्मिज़ी : 1803)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ "

(5307) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई खाये तो अपनी उंगलियाँ चाट ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं है, किस हिस्से में बरकत है।'

(5308) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इतना फ़र्क़ है कि उसमें है आपने फ़रमाया, 'तुममें से एक अपनी प्लेट थाली साफ़ कर ले।' और फ़रमाया, 'तुम्हारे किस खाने में बरकत है?'

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ " . وَقَالَ " فِي أَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ " .

बाब 19 : मेहमान उस वक़्त क्या करे जब उसके साथ (जिसे मेज़बान मेहमान नवाज़ ने दावत नहीं दी है) भी चल पड़े और बेहतर ये है कि खाने का मालिक (मेज़बान) साथ आने वाले को इजाज़त दे

باب مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابُ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

(5309) हज़रत अबू मसऊद अन्सारी बयान करते हैं कि अबू शुऐब नामी अन्सारी का गोश्त फ़रोख़्त गुलाम था, अन्सारी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखकर आपके चेहरे पर भूख के असरात महसूस कर लिये तो अपने गुलाम से कहा, तुम पर अफ़सोस! हमारे लिये पाँच आदमियों का खाना तैयार कर! क्योंकि मैं पाँचों में पाँचवाँ नबी(ﷺ) को दावत देना चाहता हूँ। उसने खाना तैयार किया, फिर वो नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पाँचों में पाँचवाँ आपको बुलाया और एक आदमी ने उनका पीछा किया, तो जब दरवाज़े पर पहुँच गये तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये भी हमारे साथ आ गया है, अगर चाहो तो इसे इजाज़त दे दो और चाहो तो ये वापस चला

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ . قَالَ فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ

رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ " . قَالَ لاَ بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

जाये।' अन्सारी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! वापस न जाये, क्योंकि मैं इसको इजाज़त देता हूँ।
(सहीह बुख़ारी : 2081, 2456, 5434, 5461, तिर्मिज़ी : 1099)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, अगर किसी मेहमान के साथ बिन बुलाया मेहमान चल पड़े और मेहमान उसको ज़रूरतमन्द समझता हो या ये ख़्याल करता हो कि मेज़बान उसको इजाज़त दे देगा तो वो उसको साथ ले जा सकता है और मेज़बान को अगर कोई रुकावट न हो तो उसको इजाज़त दे देनी चाहिये, अगर गुंजाइश न हो या कोई और वजह हो तो उसको वापस भी कर सकता है और मेहमान को मेज़बान से असल हक़ीक़त बयान कर देनी चाहिये और बड़ा अपने छोटों की दावत क़ुबूल कर सकता है और बज़ाहिर हर हक़ीर पेशों वाले (चाहे जो भी बिजनेस करे) अगर उनमें कोई ख़राबी न हो तो उनकी दावत क़ुबूल की जा सकती है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ . قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، الأَنْصَارِيُّ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(5310) इमाम साहब यही हदीस़ अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से अअ़्मश ही की सनद से बयान करते हैं।

(5311) इमाम साहब यही हदीस़ अलग-अलग सनदों से हज़रत अबू मसऊद और हज़रत जाबिर (रज़ि.) से बयान करते हैं।
(अबी दाऊद : 2325)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، - وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، ح

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ

(5312) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का एक फ़ारसी पड़ौसी, शोरबा बहुत अच्छा तैयार करता था तो उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये शोरबा तैयार किया, फिर वो आपको बुलाने आया। तो आपने फ़रमाया, 'और ये?' यानी आइशा (रज़ि.)। उसने कहा, नहीं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं भी नहीं।' उसने दोबारा आपको दावत दी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'और ये?' उसने कहा, नहीं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं।' उसने आकर आपको तीसरी बार दावत दी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'और ये?' उसने तीसरी बार कहा, जी हाँ! तो आप दोनों एक दूसरे के पीछे तेज़ी से चल पड़े यहाँ तक कि उसके घर पहुँच गये।'
(नसाई : 6/158)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ " وَهَذِهِ " . لِعَائِشَةَ فَقَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ " فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَهَذِهِ " . قَالَ لاَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَهَذِهِ " . قَالَ نَعَمْ . فِي الثَّالِثَةِ . فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ .

फ़ायदा : आम तौर पर रसूलुल्लाह(ﷺ) दावत में हज़रत आइशा (रज़ि.) को साथ नहीं ले जाते थे, बल्कि मर्दों में से मख़्सूस साथियों के साथ जाते थे जैसाकि ऊपर की हदीस में अन्सारी ने आपको पाँच साथियों की सूरत में बुलाया। लेकिन ये पड़ौसी था, इसलिये इसको हुज़ूर के साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) को भी दावत देनी चाहिये थी। क्योंकि हुस्ने मुआशरत का यही तक़ाज़ा था और ये भी मुम्किन है। हज़रत आइशा (रज़ि.) को भी खाने की ज़रूरत लाहिक़ हो और घर में खाना न हो। इसलिये आपने अकेले खाना मुनासिब ख़्याल न किया और फ़ारसी ये समझता हो कि खाना एक के लिये है। अगर साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) को भी बुला लिया तो आप सैर न हो सकें और वो चाहता था कि आप सैर होकर खा लें, जब आपने इसरार किया और पड़ौसी के साथ ऐसी बेतकल्लुफ़ी हो सकती है तो वो मान गया, क्योंकि वो समझ गया, आप किसी वजह से आइशा (रज़ि.) को छोड़ना गवारा नहीं कर रहे तो चलो दोनों का गुज़ारा हो जायेगा। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इससे इस्तिदलाल किया है कि दावत में जिस शख़्स को बुलाया जा रहा है, उसके ख़ुसूसी अहबाब को भी बुलाना चाहिये, जैसाकि अन्सारी ने किया था, लेकिन फ़ारसी ने उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी की, इसलिये आपने दावत क़ुबूल करने से इंकार फ़रमाया और अकेले ये उम्दा शोरबा खाना पसंद न फ़रमाया।

बाब 20 : अगर मेज़बान की रज़ामन्दी का पूरी तरह मुकम्मल यक़ीन हो क्योंकि वो भरोसेमंद साथी है तो दूसरे साथियों को साथ लेकर उसके घर बिन बुलाये जाने में कोई हर्ज नहीं है और मिलकर खाना पसन्दीदा अमल है

باب جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

(5313) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, एक दिन या रात को रसूलुल्लाह(ﷺ) निकले तो आपको अबू बक्र व उमर (रज़ि.) मिले तो आपने पूछा, 'इस वक़्त किस बिना पर घरों से निकले हो?' दोनों ने जवाब दिया, भूख के सबब ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'मैं भी उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है मुझे भी उस चीज़ ने घर

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ " مَا

से निकाला है जिसने तुम्हें निकाला है, उठो।' तो वो आपके साथ उठकर खड़े हुए तो आप एक अन्सारी आदमी के घर आये तो वो घर में मौजूद नहीं था। जब उसकी बीवी ने आपको देखा उसने ख़ुश आमदीद कहा। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उससे पूछा, 'फ़लाँ कहाँ है?' उसने कहा, वो हमारे लिये मीठा पानी लेने गया है। इतने में अन्सारी भी आ गया। उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपके दोनों साथियों को देखा फिर कहा, अल्लाह का शुक्र है आज मुझसे ज़्यादा किसी के मेहमान मुअज़्ज़ज़ नहीं हैं। वो गया और खजूरों का एक गुच्छा ले आया जिसमें कच्ची-पक्की खजूरें, ख़ुश्क खजूरें और ताज़ा खजूरें थीं और अ़र्ज़ की, इससे खाइये और छुरी पकड़ ली तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'दूध देने वाली से एहतिराज़ करना।' उसने बकरी ज़िब्ह की और उन हज़रात ने बकरी का गोश्त और ये गुच्छा खाया और पानी पिया तो जब सैर और सैराब हो गये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अबू बक्र और उ़मर (रज़ि.) से फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल होगा, तुम अपने घर में से भूख के सबब निकले, फिर घरों को उस वक़्त तक नहीं लौटे, जब तक तुम्हें ये नेमतें नहीं मिलीं।'

أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ " . قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا " . فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيْنَ فُلاَنٌ " . قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي -قَالَ - فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ . وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ " . فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ " .

(5314) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, इस दौरान कि अबू बक्र उमर के साथ बैठे हुए थे कि उनके पास रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ ले आये और फ़रमाया, 'तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ बिठाया है?' दोनों ने कहा, हमें हमारे घरों से भूख ने निकाला है, उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, फिर मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ، - يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا أَقْعَدَكُمَا هَا هُنَا " . قَالاَ أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ .

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है अपने जिगरी साथियों के साथ अपनी एहतियाज व ज़रूरत या भूख का इज़हार अगर शिकवा-शिकायत के तौर पर न हो तो ज़ुहद व तवक्कल के मुनाफ़ी नहीं है और कई बार आप पर और आपके साथियों पर ऐसे हालात गुज़रते थे कि भूख से तंग आकर घरों से बाहर निकल आते थे, ताकि भूख मिटाने की कोई सूरत पैदा हो। (2) खाने की ज़रूरत पूरी करने के लिये इंसान अपने किसी ऐसे साथी के घर दो-तीन साथियों समेत जा सकता है, जिसके बारे में ये यक़ीन और इत्मीनान हो कि उसको हमारे आने से तकलीफ़ और घुटन की बजाये मसर्रत और शादमानी हासिल होगी और वो शौक़ से ख़ुश होकर खाने की दावत देगा और उसकी बीवी भी ऐसे क़ाबिले एहतिराम और क़ाबिले ऐतमाद साथियों को ख़ाविन्द की ग़ैर मौजूदगी में ख़ुश आमदीद कह सकती है और उन्हें घर में बिठा सकती है और ये सहाबी हज़रत अबुल हैस़म बिन तैहान (रज़ि.) थे, जो आपको देखकर मसर्रत से झूम उठे और आपको साथियों समेत अपने बाग़ में ले गये, उसके खजूरों के बाग़ थे और बहुत बकरियों के मालिक थे, इसलिये फ़ोरन खजूरों का ख़ोशा पेश किया और बकरी ज़िब्ह की और आपने उन चीज़ों को अल्लाह तआला की नेमत क़रार देकर साथियों को शुक्र की तल्क़ीन फ़रमाई और इस हदीस़ से ये भी साबित होता है, खाने के लिये किसी ऐसे साथी का इन्तिख़ाब करना चाहिये जो गुंजाइश और वुस्अत व फ़राख़ी रखता हो और उसको भी साथियों की आमद को बार नहीं समझना चाहिये बल्कि मसर्रत व शादमानी का इज़हार करते हुए, उन्हें अच्छा खाना पेश करना चाहिये और मेहमानों को अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिये कि उसने हमें ये नेमत बख़्शी है कि मेज़बान ने हमें उम्दा खाना और बेहतरीन मशरूब पेश किया है और उन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन बाज़पुर्स भी होगी कि उन पर क्या शुक्र अदा किया।

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَىَّ قَالَ أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمَصًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمَصًا شَدِيدًا . فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ - قَالَ - فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ - قَالَ - فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ . فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّهَلاً بِكُمْ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى

(5315) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं जब ख़न्दक़ खोदी जा रही थी, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) में भूख का असर महसूस किया तो मैं अपनी बीवी की तरफ़ लौटा और उससे पूछा, क्या तेरे पास कोई खाने की चीज़ है? मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को सख़्त भूख लगी है। उसने मुझे एक चमड़े का थेला पेश किया, जिसमें एक साअ़ जौ थे और हमारे पास एक छोटा सा पालतू छितरा था, मैंने उसे ज़िब्ह किया और उसने जौ पीसे और मेरे साथ ही उससे फ़ारिग़ हो गई, मैंने गोश्त छोटा-छोटा करके हाण्डी में डाला, फिर वापस रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ चल दिया। उसने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) को साथियों समेत लाकर मुझे रुस्वा न करना, मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे सरगोशी की। मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमने अपना एक छोटा सा पालतू छितरा ज़िब्ह किया है और बीवी ने हमारे पास एक साअ़ जौ थे, जिसको पीस लिये हैं तो आप चंद साथियों के साथ तशरीफ़ ले आयें तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बुलंद आवाज़ से फ़रमाया, 'ऐ ख़न्दक़ वालो! जाबिर (रज़ि.) ने तुम्हारी दावत की है तो जल्दी करो।' और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपनी हाण्डी हर्गिज़ न उतारना और आटे की रोटियाँ न पकाना, यहाँ तक कि मैं आ जाऊँ।' मैं चल पड़ा और रसूलुल्लाह(ﷺ) लोगों के आगे चल पड़े, यहाँ तक कि मैं बीवी के पास पहुँच गया (उसको सूरते हाल बताई) उसने कहा, तेरी वजह से ऐसा हुआ तू ही रुस्वा होगा। मैंने कहा, मैंने तो तेरी बात पर अ़मल किया था। उसने आपके

أَجِيءَ " . فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ . فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي . فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ " ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا " . وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا -أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ - لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ .

सामने गुन्धा हुआ आटा पेश किया। आपने उसमें लुआबे मुबारक डाला और बरकत की दुआ फ़रमाई। फिर आपने हमारी हण्डिया का रुख़ किया, उसमें लुआबे दहन डाला और बरकत की दुआ फ़रमाई फिर फ़रमाया, 'ए रोटी पकाने वाली बुला लो, वो तुम्हारे साथ रोटियाँ पकाये और अपनी हाण्डी से चमचे से सालन निकालना और उसको चूल्हे से न उतारना।' आपके साथी एक हज़ार थे, मैं अल्लाह की क़सम खाता हूँ, सबने खाया यहाँ तक कि उसको बाक़ी छोड़कर चले गये और हमारी हाण्डी पहले की तरह जोश मार रही थी और हमारा आटा इस तरह पकाया जा रहा था, जो लफ़्ज़ ज़ह्हाक ने कहा।

(सहीह बुख़ारी : 3070, 4102)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि इंसान को अपने साथियों का लिहाज़ रखना चाहिये, वो उनको भूखा महसूस करे और उसके पास गुंजाइश हो तो उसको उनकी भूख मिटाने का इन्तिज़ाम करना चाहिये और उतने ही साथियों को दावत देना चाहिये, जिनका आसानी के साथ इन्तिज़ाम कर सके, ताकि बाद में रुस्वाई न हो, इसलिये हज़रत जाबिर (रज़ि.) की सलीक़ामन्द बीवी ने अपने ख़ाविन्द को तल्क़ीन की कि ज़्यादा साथियों को दावत दे कर मुझे ज़लील व रुस्वा न करना, हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने उसकी बात पर अमल किया और रसूलुल्लाह(ﷺ) को खाने की मिक़्दार से आगाह करके दो तीन साथियों के साथ आने की दावत दी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मन्ज़ूर था, इसलिये आपने तमाम मौजूद साथियों को दावत के लिये चलने के लिये कहा और हज़रत जाबिर (रज़ि.) को कहा, मेरे आने तक रोटियाँ न तैयार करना और न हाण्डी उतारना। हज़रत जाबिर (रज़ि.) बशरी तक़ाज़ों के मुताबिक़ एक हज़ार साथियों को देखकर परेशान हो गये। बीवी को जाकर सूरते हाल से आगाह किया, उसने कहा, ये सब कुछ तेरा किया धरा है, अब सज़ा भुगतो, ज़लील व ख़्वार हो। उन्होंने कहा, मैंने तो तेरी बात पर अमल करते हुए, आपको खाने की मिक़्दार बता दी थी और दो-तीन साथियों के साथ आने के लिये कहा था तो उसने कहा, तो फिर हमें कोई परवा नहीं है। इस तरह उसने मेरी परेशानी दूर कर दी और आपके लुआबे दहन की बरकत और दुआ के नतीजे में कुछ लोगों का खाना एक हज़ार के लिये काफ़ी हो गया और फिर भी ख़त्म न हुआ बल्कि सारा ही बच रहा और उससे एक तरफ़ खाने में इज़ाफ़े के मोअजज़े का इज़हार हुआ तो दूसरी तरफ़ हज़रत जाबिर (रज़ि.) की बीवी की अक़्लमन्दी और

अल्लाह के रसूल पर यक़ीन व ऐतमाद का भी इज़हार हुआ और रसूलुल्लाह(ﷺ) की अपने साथियों से मुहब्बत का भी पता चला कि आपने उनको भूखे छोड़कर ख़ुद खा लेना गवारा न फ़रमाया, अल्लाह तआला से दुआ फ़रमाकर सबको खिलाया।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ . فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ " . قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ " أَلِطَعَامٍ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ " قُومُوا " . قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ

(5316) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) से कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की कमज़ोर आवाज़ सुनी है, जिससे मैंने भूख महसूस की है तो क्या तेरे पास कुछ है? उसने कहा, जी हाँ! तो उसने जौ की कुछ रोटियाँ पेश कीं। फिर अपनी ओढ़नी ली और उसके कुछ हिस्से में रोटियाँ लपेट दीं, फिर उसे मेरे कपड़े के नीचे छिपा दिया और ओढ़नी का बाक़ी हिस्सा मुझ पर डाल दिया। फिर मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ भेज दिया। मैं उसको लेकर चला गया तो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मस्जिद में बैठे पाया और लोग भी आपके साथ थे। मैं जाकर उनके पास ठहर गया (कि अब कैसे पेश करूँ) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुझे अबू तलहा ने भेजा है?' मैंने कहा, जी हाँ। आपने पूछा, 'क्या खाने के लिये?' उसने कहा, जी। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने साथियों से फ़रमाया, 'उठो।' आप चल पड़े और मैं उनके आगे चल पड़ा, यहाँ तक कि अबू तलहा (रज़ि.) के पास पहुँच गया और उन्हें सूरते हाल से आगाह किया। अबू तलहा (रज़ि.) कहने लगे, ऐ उम्मे सुलैम! रसूलुल्लाह(ﷺ) तो साथियों समेत आ रहे हैं और हमारे पास उनको खिलाने का इन्तिज़ाम नहीं है। उम्मे सुलैम ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब जानते हैं। हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) चल पड़े

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ " . فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ " . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ " . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ " . حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ .

यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को जा मिले और रसूलुल्लाह(ﷺ) उसके साथ आगे बढ़े, यहाँ तक कि दोनों घर में दाख़िल हो गये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ उम्मे सुलैम! जो कुछ तेरे पास है लाओ।' तो उसने वो रोटियाँ पेश कीं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें टुकड़े-टुकड़े करने का हुक्म दिया। ऐसा किया गया। हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने उन टुकड़ों पर कुप्पा (चमड़े का गोल बर्तन) निचोड़ा और उनको सालन वाली बना दिया। फिर उन पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने वो दुआ पढ़ी जो अल्लाह को मन्ज़ूर थी। फिर फ़रमाया, 'दस को इजाज़त दो।' तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने उनको इजाज़त दी। वो खाकर सैर हो गये। फिर आपने फ़रमाया, 'दस को इजाज़त दो।' उन्होंने उन्हें इजाज़त दी। उन्होंने खाया, यहाँ तक कि सैर होकर निकल गये। फिर आपने फ़रमाया, 'दस को इजाज़त दो।' यहाँ तक कि तमाम लोगों ने खाया और सैर हो गये। लोगों की तादाद सत्तर (70) या अस्सी (80) थी।

(सहीह बुख़ारी : 3578, 5381, 6688, तिर्मिज़ी : 363)

फ़ायदा : इस हदीस से भी सहाबा किराम का हुज़ूर(ﷺ) से तालुक़ ख़ातिर मालूम होता है कि वो किस तरह आपके चेहरे, आपकी आवाज़ या बैठने-उठने के अन्दाज़ से आपकी भूख पहचान लेते थे और फिर उसको दूर करने की कोशिश करते, हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के कहने पर हज़रत अनस (रज़ि.) के हाथ बहिफ़ाज़त, छिपाकर रोटियाँ भेजीं और आप चूंकि मस्जिद में दूसरे साथियों के साथ तशरीफ़ फ़रमा थे, इसलिये हज़रत अनस (रज़ि.) रोटियाँ पेश करने से हिचकिचाये और हुज़ूर(ﷺ) हज़रत अनस (रज़ि.) की इस तरह आमद से समझ गये कि वो कुछ हदिया लाये हैं और यहाँ भी आपने खाने में इज़ाफ़े के मोजिज़े के इज़हार के लिये साथियों को साथ चलने के लिये कहा और चूंकि ये रोटियाँ ही आपकी हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के घर में आमद का बाइस बनी थीं, इसलिये कुछ

हदीसों में आया है कि अबू तलहा और उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने आपको घर खाने की दावत दी थी और इस वाक़िये में भी हज़रत उम्मे सुलैम की ज़हानत व फ़तानत और आप पर यक़ीन व ऐतमाद का इज़हार होता है कि जब आप सब साथियों को ला रहे हैं तो उनके खाने का भी इन्तिज़ाम फ़रमायेंगे, हमें परेशानी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَدْعُوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا - قَالَ - فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ . فَقَالَ لِلنَّاسِ " قُومُوا " . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا - قَالَ - فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ " أَدْخِلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشَرَةً " . وَقَالَ " كُلُوا " . وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجُوا فَقَالَ " أَدْخِلْ عَشَرَةً " . فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا . فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُخْرِجُ عَشَرَةً حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا .

(5317) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं मुझे हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ आपको उस खाने के लिये बुलाने के लिये भेजा जो उन्होंने तैयार किया था। मैं आया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ लोग थे। आपने मुझे देखा तो मैं शरमा गया और मैंने कहा, आपको अबू तलहा (रज़ि.) दावत के लिये बुलाते हैं। आपने लोगों से फ़रमाया, 'उठो।' अबू तलहा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने तो बस आपके लिये कुछ तैयार किया था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसको छुआ और उसमें बरकत की दुआ फ़रमाई। फिर फ़रमाया, 'मेरे साथियों में से दस लोगों को दाख़िल कर दो।' और आपने उन्हें फ़रमाया, 'खाओ।' और उनके लिये अपनी उंगलियों में से कोई चीज़ निकाली। उन्होंने खाया यहाँ तक कि सैर होकर निकल गये। आपने (अबू तलहा से) फ़रमाया, 'दस को दाख़िल करो।' उन्होंने सैर होकर खाया, आप उन्हें दस-दस दाख़िल करते और निकालते रहे, यहाँ तक कि कोई न रह गया जो दाख़िल न हुआ हो। फिर आपने सैर होकर खाया, फिर आपने खाना एक जगह किया तो वो उतना ही था, जितना उन्होंने खाना शुरू किया था।

(5318) इमाम साहब एक और उसताद से हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि अबू तलहा (रज़ि.) ने मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ भेजा और इब्ने नुमैर की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह बयान की, हाँ आख़िर में कहा, फिर बाक़ी को आपने जमा करवाया, फिर उसमें बरकत की दुआ फ़रमाई तो वो पहली हालत पर लौट आया और आपने फ़रमाया, 'इसको ले लो।'

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ -قَالَ - فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ " دُونَكُمْ هَذَا ".

(5319) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने उम्मे सुलैम (रज़ि.) को ख़ुसूसी तौर पर नबी(ﷺ) के लिये खाना तैयार करने का हुक्म दिया। फिर मुझे आपकी तरफ़ भेजा और मज़्कूरा हदीस़ बयान किया और उसमें ये भी बताया, नबी(ﷺ) ने अपना हाथ रखा और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी। फिर फ़रमाया, 'दस को इजाज़त दो।' अबू तलहा की इजाज़त से वो दाख़िल हो गये, आपने फ़रमाया, 'अल्लाह का नाम लेकर खाओ।' उन्होंने खाया, यहाँ तक कि आपने ये अमल 80 लोगों के साथ किया, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) और घर के लोगों ने खाया और खाना बाक़ी छोड़ा।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ، لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ " . فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ " كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ " . فَأَكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً . ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا .

फ़ायदा : कुछ रिवायात से मालूम होता है, आप तक़सीम के वक़्त ये पढ़ते रहे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म अअ़्ज़िम फ़ीहल बरकत।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ شَىْءٌ يَسِيرٌ . قَالَ " هَلُمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ " .

(5320) इमाम साहब एक और उस्ताद से हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से अबू तलहा के खाने का यही वाक़िया बयान करते हैं, इसमें ये है, हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) दरवाज़े पर खड़े हो गये, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ ले आये तो उनसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! वो तो बहुत थोड़ा है। आपने फ़रमाया, 'इसे लाओ! अल्लाह तआला अभी इसमें बरकत डाल देगा।'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ .

(5321) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही हदीस़ बयान करते हैं और इसमें ये है, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) और घर वालों ने खाया और इतना बाक़ी छोड़ा जो पड़ौसियों तक पहुँचाया गया।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ،

(5322) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, अबू तलहा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मस्जिद में लेटे हुए इस हाल में

سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَأَظُنُّهُ جَائِعًا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا .

देखा कि आप लोट-पोट हो रहे हैं। तो वो उम्मे सुलैम (रज़ि.) के पास आये और कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मस्जिद में इस हाल में लेटे देखा है कि आप पुश्त और पेट को बार-बार ऊपर नीचे कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आप भूखे हैं और मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की और इसमें ये भी है, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ), अबू तलहा, उम्मे सलमा अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने खाया और कुछ खाना बच गया तो वो हमने बतौरे तोहफ़ा पड़ौसियों को दिया।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ - قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُّ - عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ .

(5323) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं एक दिन मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मैंने आपको अपने साथियों के साथ बैठे हुए उनसे बातें करते हुए पाया और आपने अपने पेट पर पट्टी बांधी हुई थी, हदीस़ के रावी उसामा कहते हैं, मुझे शक है कि पट्टी पत्थर पर बांधी हुई थी तो मैंने आपके कुछ साथियों से पूछा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपना पेट क्यों बांधा हुआ है? उन्होंने बताया, भूख की वजह से। तो मैं अबू तलहा (रज़ि.) जो उम्मे सुलैम बिन्ते मिल्हान (मेरी वालिदा) के ख़ाविन्द थे, के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, ऐ अब्बा जान! मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ)

فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ . ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ .

को देखा है, आपने एक पट्टी से अपना पेट बांधा हुआ है। तो मैंने आपके कुछ साथियों से पूछा, उन्होंने बताया, भूख की बिना पर बांधा है। तो अबू तलहा (रज़ि.) मेरी वालिदा के पास गये और पूछा, क्या कोई चीज़ है? उसने कहा, मेरे पास कुछ रोटी के टुकड़े और खजूरें हैं, अगर रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे यहाँ अकेले तशरीफ़ लाये तो हम आपको सैर कर सकेंगे और अगर आपके साथ कोई और आ गया तो खाना उनके लिये कम पड़ जायेगा, फिर रिवायत वाक़िया समेत सुनाई।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(5324) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) की अबू तलहा (रज़ि.) के खाने के बारे में रिवायत दूसरों की तरह बयान करते हैं।

फ़ायदा : हज़रत अनस (रज़ि.) की ये हदीस अलग-अलग राविया ने कमो-बेश उस्लूब में बयान की है। तमाम रिवायतों को जमा करने से इस वाक़िये की पूरी तफ़्सील सामने आती हैं, किसी एक आदमी ने मुकम्मल वाक़िया पूरी जुज़्इयात तफ़्सील के साथ बयान नहीं किया, इसलिये कुछ रिवायात में ख़ला या तज़ाद (टकराव) महसूस होता है, लेकिन तमाम रिवायात को जमा करने से तमाम कड़ियाँ मिल जाती हैं और सबका मुश्तरका मज़्मून यही है कि आपके हाथ लगाने, बरकत की दुआ करने और ख़ुद तक़सीम करने से बहुत कम खाना बहुत से लोगों के लिये काफ़ी हो गया, यहाँ तक कि घर वालों ने ख़ुद खाकर पड़ौसियों को भी भेजा, सब लोगों ने ख़ूब सैर होकर खाया, जिससे मालूम हुआ कभी-कभी ख़ूब शेर-शिकम होकर (पेट भर कर) खाया जा सकता है।

बाब 21 : शोरबे का इस्तेमाल जाइज़ है, कद्दू खाना पसन्दीदा है और एक दस्तरख़्वान पर खाने वाले मेहमान एक-दूसरे के लिये ईसार (क़ुर्बानी) कर सकते हैं, बशर्तेकि साहिबे तआम (मेज़बान) उसको नापसंद न करे

باب جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

(5325) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दर्ज़ी ने आपके लिये तैयार किया हुआ खाने के लिये आपको बुलाया, हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं तो मैं भी उस खाने के लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ गया तो उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) को जौ की रोटी और शोरबा पेश किया, जिसमें कद्दू और ख़ुश्क गोश्त था। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा कि आप प्लेट के चारों तरफ़ से कद्दू तलाश कर रहे हैं, इसलिये मैं उस दिन से कद्दू पसंद करने लगा हूँ।

(सहीह बुख़ारी : 2092, 5379, 5436, 5437, 5439, अबू दाऊद : 3782, तिर्मिज़ी : 1850)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ . قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ . قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَىِ الصَّحْفَةِ . قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ .

फ़ायदा : कद्दू और गोश्त मिलाकर पकाना एक बेहतरीन और मुफ़ीद खाना है। आपने साथियों के साथ ईसार करते हुए कद्दू को खाना पसंद किया, ताकि दूसरे साथी गोश्त खा सकें, ज़ाहिर है ऐसी सूरत में दूसरों के सामने से कमतर चीज़ उठाना और बेहतरीन चीज़ छोड़ना एक पसन्दीदा अ़मल है। लेकिन दूसरों के सामने बेहतरीन उठाना और कमतर उनके लिये छोड़ना ये पसन्दीदा नहीं है, इसलिये तरह-तरह के खानों या फलों की सूरत में, तनव्वोअ के लिये या दूसरों के लिये बेहतर छोड़ने की ख़ातिर उनके आगे से उठाया जा सकता है, लेकिन दूसरों के आगे से पसन्दीदा और बेहतर चीज़ उठाने को पसन्दीदा क़रार नहीं दिया जा

सकता, इससे हज़रत अनस (रज़ि.) ने ये समझा कि आपको कद्दू बहुत पसंद है, इसलिये वो कद्दू को पसंद करने लगे, बहरहाल आपकी पसन्दीदा चीज़ को आपसे मुहब्बत व अक़ीदत की ख़ातिर पसंद करना पसन्दीदा अमल है, वरना अलग-अलग तबीअतों की बिना पर अपनी-अपनी पसंद में इख़्तिलाफ़ हो सकता है और फ़िक़्ही व क़ानूनी तौर पर इंसान इसका पाबंद नहीं है कि उसकी पसंद, आपकी पसंद हो, ये महज़ आपसे मुहब्बत और अक़ीदत की ख़ातिर कर लेना पसन्दीदा अमल बन जायेगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ - قَالَ - فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلاَ أَطْعَمُهُ . قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ .

(5326) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की एक आदमी ने दावत की, मैं भी आपके साथ गया तो शोरबा लाया गया, जिसमें कद्दू था। रसूलुल्लाह(ﷺ) वो कद्दू खाने लगे और उसे पसंद करने लगे, जब मैंने ये सूरते हाल देखी, मैं उसे आपको पेश करने लगा और ख़ुद न खाता था। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, उसके बाद से मैं हमेशा कद्दू पसंद करने लगा।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلاَّ صُنِعَ .

(5327) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दर्ज़ी आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की दावत की, हज़रत अनस (रज़ि.) के शागिर्द साबित इस वाक़िये में ये इज़ाफ़ा करते हैं, हज़रत अनस (रज़ि.) ने बताया, उसके बाद जो खाना भी मेरे लिये तैयार किया गया और मेरे लिये उसमें कद्दू डलवाना मुम्किन था तो उसमें कद्दू डाला गया।

बाब 22 : खजूरों से गुठलियों को अलग कर देना बेहतर है और मेहमान को मेज़बान के लिये दुआ करनी चाहिये और मेज़बान को नेक मेहमान से दुआ की दरख़्वास्त करनी चाहिये और मेहमान उसकी दरख़्वास्त क़ुबूल करे

باب اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لأَهْلِ الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

(5328) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे बाप के यहाँ ठहरे और हमने आपको खाना और बरनी खजूर, पनीर और घी का हलवा पेश किया। आपने उसे खाया, फिर आपको ख़ुश्क खजूरें पेश की गईं, आप उन्हें खा रहे थे और गुठली उंगलियों में डालते, शहादत की उंगली और दरम्यानी उंगली के दरम्यान रखकर फेंकते थे। शोबा कहते हैं, मेरे ख़्याल में इन्शाअल्लाह दो उंगलियों से गुठली फेंकना इस हदीस़ में मौजूद है, फिर आपके पास मशरूब लाया गया, आपने उससे पी कर बाद में दायें वाले को दिया तो मेरे बाप ने आपको सवारी की लगाम पकड़कर दरख़्वास्त की, हमारे लिये अल्लाह से दुआ फ़रमाइये। आपने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! इन को जो कुछ दिया है उसमें बरकत फ़रमा, इन्हें बख़्श दे और इन पर रहम फ़रमा।'
(अबू दाऊद : 3729, तिर्मिज़ी : 3576)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي - قَالَ - فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ - قَالَ - فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ " .

(5329) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से शोबा की इस सनद से रिवायत करते हैं और दो उंगलियों में रखकर गुठली फेंकने के बारे में शक का इज़हार नहीं करते।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : वत्बह : बरनी खजूर, बारीक पनीर और घी से तैयार करदा आमेज़ा।
नोट : इस हदीस़ से अख़ज़ करदा तालीम को तर्जुमतुल बाब में बयान कर दिया गया है।

बाब 23 : खीरे को ताज़ा खजूर के साथ खाना

باب أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

(5330) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जअ़फ़र (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को खीरे के साथ ताज़ा खजूरें खाते देखा।
(अबू दाऊद : 3835, तिर्मिज़ी : 1844, इब्ने माजह : 3325)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا - إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ .

फ़ायदा : खीरा या ककड़ी ठण्डी होती है और खजूर गर्म है, दोनों के मिज़ाज (मिलने) से ऐतिदाल और तवाज़ुन होता है, इससे मालूम होता है एक दूसरे में ऐतिदाल व तवाज़ुन पैदा करने वाली ख़ूराक खाना बेहतर है, इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, शादी के बाद मुझे खीरा और खजूर मिलाकर खिलाई गईं तो मैं उससे मोटी हो गई और इससे ये भी मालूम होता है, अलग-अलग क़िस्म के खाने खाये जा सकते हैं और खानों में वुस्अत व फ़रावानी जाइज़ है, बशर्तेकि हद्दे ऐतिदाल से न बढ़े और इंसान पेटू न बने।

बाब 24 : खाने वाले का तवाज़ोअ इख़्तियार करना पसन्दीदा है और उसके लिये बैठने का तरीक़ा व कैफ़ियत

باب اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ حَفْصٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا .

(5331) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुरीन के बल बैठकर, पिण्डलियाँ खड़ी करके खजूरें खाते देखा।

(अबू दाऊद : 3771)

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) खाना तवाज़ोअ और इन्किसारी के साथ खाते थे, मुतकब्बिरीन और उन लोगों की तरह नहीं खाते थे जो खाना-पीना ही मक़सदे ज़िन्दगी समझते हैं और ऐसे तरीक़े से बैठते हैं, जिससे ख़ूब खाया जा सके, इसलिये आप पूरी चोकड़ी मारकर, ख़ूब खाने के लिये नहीं बैठते थे, बल्कि जल्दी-जल्दी फ़ारिग़ होने की कोशिश करते थे।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعًا . وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ أَكْلاً حَثِيثًا

(5332) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास खजूरें लाई गईं तो नबी(ﷺ) ने उन्हें उकडू बैठकर तक़सीम करने लगे, उनसे जल्दी-जल्दी खा रहे थे। ज़ुहैर की रिवायत में ज़रीअन की जगह हसीसन है, मानी दोनों का एक है।

मुफ़रदातुल हदीस : मुस्तफ़िज़ : उस आदमी को कहते हैं, जो जल्दी में हो, इसलिये इत्मीनान और सुकून के साथ न खाये, बल्कि ग़ैर मुत्मइन होकर बैठकर चंद लुक़्मे लगाकर अपने किसी दूसरे और अहम काम में मशग़ूल हो जाये, इसलिये आपने टेक लगाकर या सहारा के साथ खाना पसंद नहीं किया, लेकिन चोकड़ी मारना या आलती-पालती मारना जाइज़ नहीं है। बेहतर है कि इंसान घुटनों के बल अपने पाँव की पुश्त पर बैठे या दायाँ पाँव खड़ा करके बायें पाँव पर बैठे।

बाब 25 : जब इंसान दूसरों के साथ मिलकर खा रहा हो तो एक लुक़्मे में दो खजूरें या इस क़िस्म की दूसरी चीज़ों को साथियों की इजाज़त के बग़ैर इकट्ठा करके खाना जाइज़ नहीं है

باب نَهْيِ الآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ، بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لاَ تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ . قَالَ شُعْبَةُ لاَ أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلاَّ مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ . يَعْنِي الاِسْتِئْذَانَ .

(5333) जबलह् बिन सुहैम (रह.) बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) हमें खजूरें देते थे, क्योंकि लोग उन दिनों (क़तहसाली की वजह से) ज़रूरतमन्द थे और हम खा रहे होते तो हमारे पास से अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) गुज़रते और फ़रमाते, मिलाकर न खाओ। क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने साथियों की इजाज़त के बग़ैर मिलाने से मना फ़रमाया है। शोबा (रह.) कहते हैं, इजाज़त लेने की बात, मेरे ख़याल में इब्ने उमर (रज़ि.) की बात है।

(सहीह बुख़ारी : 5446, 2455, 2789, 2490, अबू दाऊद : 3834, तिर्मिज़ी : 1814, इब्ने माजह : 3331)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है अगर खाना पूरा न हो, जिसे लोग खुलकर सैर होकर खा सकें तो फिर अपने दूसरे साथियों का भी लिहाज़ रखना चाहिये, ये नहीं है कि अपने साथियों से बेनियाज़ होकर अपना पेट ही भरने की फ़िक्र करे और दूसरों का एहसास न हो, जिस तरह आज-कल आम तौर पर दावतों में देखा जाता है कि हर फ़र्द खाने पर इस तरह टूट पड़ता है कि छोटे-बड़े का लिहाज़ भी नहीं रहता और अपने लिये बेहतर से बेहतर चीज़ का इन्तिख़ाब करता है और दूसरों के लिये कमतर चीज़ छोड़ता है और हर शख़्स लालच का बन्दा नज़र आता है।

(5334) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से शोबा ही की सनद ये रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें शोबा का क़ौल मौजूद नहीं है और न ये बात है कि लोग उन दिनों क़हतसाली का शिकार थे या मशक़्क़त में मुब्तला थे।

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلاَ قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ .

(5335) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि आदमी अपने साथियों की इजाज़त के बग़ैर दो खजूरें मिलाकर खाये।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ .

फ़ायदा : ये हदीस़ इब्ने उमर (रज़ि.) के मौक़ूफ़ (अपना क़ौल) और मरफ़ूअ (आपकी तरफ़ मन्सूब) दोनों तरह स़ाबित है, जिससे मालूम होता है, दानेदार चीज़ें जिनको एक-एक करके और मिला कर के खाया जाता है, उनको साथियों की इजाज़त के बग़ैर मिलाकर खाना जाइज़ नहीं है या कम से कम अदब और वक़ार के मुनाफ़ी (खिलाफ़) है। लेकिन आज-कल इन अख़्लाक़ी हिदायात को क़ाबिले ग़ौर नहीं समझा जाता और खानों में इस्लामी शरीअत की हिदायात की बजाये, मग़रिबी तहज़ीब की पाबंदी की जाती है और उस पर बड़ा ख़ुश हुआ जाता है कि हम बड़े मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लोग हैं।

बाब 26 : खजूर वग़ैरह ख़ूराक को अहलो-अयाल के लिये घर में रखना

باب فِي ادِّخَالِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

(5336) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस घर में लोग भूखे नहीं रहते, जिनके पास खजूरें हों।'

(अबू दाऊद : 3830, तिर्मिज़ी : 1815, इब्ने माजह : 3327)

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ " .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ أَبِي، الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ " . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا .

(5337) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! वो घर जिसमें खजूरें मौजूद नहीं, उसके बाशिन्दे भूखे हैं। ऐ आइशा! जिस घर में खजूरें नहीं, उसके मालिक भूखे हैं।' आपने ये बात दो-तीन बार फ़रमाई।

फ़ायदा : अरबों की उमूमी ख़ूराक खजूरें थीं और वो लोग इन्हीं पर गुज़ारा कर लेते थे, इसलिये जो घर इनसे महरूम हो वो हमेशा भूख के खतरे से दोचार रहता है, इसलिये इस हदीस़ से साबित होता है, घर में आम तौर पर खाये जाने वाले ग़ल्ला या फल का कुछ न कुछ ज़ख़ीरा रहना चाहिये और ये तवक्कल के मुनाफ़ी नहीं है।

बाब 27 : मदीना की खजूरों की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ " .

(5338) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स सुबह के वक़्त मदीना के दोनों किनारों के दरम्यान खजूरों में से सात खजूरें खा ले, वो शाम तक ज़हर के नुक़सान से महफ़ूज़ रहेगा।'

(5339) हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जो शख़्स सुबह के वक़्त सात अजवा खजूरें खा लेगा, उसको उस दिन ज़हर और जादू नुक़सान नहीं पहुँचायेगा।'
(सहीह बुख़ारी : 5445, 5768, 5769, 5779, अबू दाऊद : 3876)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ " .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूर जो खजूरों की आला क़िस्म है, उसमें हुज़ूर(ﷺ) की दुआ की बिना पर ये तासीर और ख़ासियत है कि इसका सुबह-सुबह रोज़ाना सात की तादाद में इस्तेमाल करना इंसान को जादू और ज़हर के नुक़सान से बचाता है।

(5340) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं। लेकिन वो समिअ्तुन्नबिय्य नहीं कहते।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ، شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ كِلاَهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَلاَ يَقُولاَنِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(5341) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना के बालाई इलाक़े की अजवा खजूरों में शिफ़ा है या इनका सुबह-सुबह खाना तिर्याक़ (टॉनिक) है, यानी ज़हर का अकसीर इलाज है।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ،

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है मदीना के बालाई इलाक़े की अजवा में ही ख़ुसूसी तौर पर शिफ़ा रखी गई है।

बाब 28 : खुम्बी की फ़ज़ीलत और उससे आँख का इलाज

باب فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

(5342) हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अ़म्र बिन नुफ़ेल (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'खुम्बी मन्न में से है और उसका पानी आँखों के लिये शिफ़ा है।'
(सहीह बुख़ारी : 4478, 4639, 5708, तिर्मिज़ी : 2067, इब्ने माजह : 3454)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو، بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " .

(5343) हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'खुम्बी मन्न में से है और उसका पानी आँख के लिये शिफ़ा है।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ، عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " .

फ़ायदा : खुम्बी उस मन्न का हिस्सा है जो अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल के लिये उतारा था और इसमें आँख के लिये शिफ़ा है और इसके पानी को खुम्बी निचोड़कर निकाला जाता है और ये पानी ख़ास तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और सुर्मा वग़ैरह में डालकर भी इस्तेमाल किया जाता है, ये मुफ़रद इस्तेमाल हो या मुरक्कब (तन्हा इस्तेमाल हो या मिलावट के साथ), इसका इन्हिसार आँखों की बीमारी और इंसान के मिज़ाज पर है। कुछ बीमारियों और अफ़राद के लिये मुफ़रद मुफ़ीद है और कुछ के लिये मुरक्कब, इसलिये किसी एक तरीक़े को ज़रूरी ठहराना हदीस़ से स़ाबित नहीं होता, इसलिये अपने इलाक़े के मुसलमान हकीम या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक़ इस्तेमाल करना चाहिये, वाक़ियात से ये स़ाबित होता है कि ये कुछ के लिये मुफ़रद सूरत में मुफ़ीद स़ाबित हुआ और कुछ के लिये मुज़िर, फ़तहुल बारी बाब अल्मन्न शिफ़ाउल ऐन देखें।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ .

(5344) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से ये बयान करते हैं और यहाँ शोबा एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, इसलिये कहते हैं, जब ये रिवायत मुझे हकम ने सुनाई तो मैंने उसका इंकार न किया, क्योंकि मैं सुन चुका था।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " .

(5345) हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'खुम्बी उस मन्न में से है जिसे अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल पर उतारा और उसका पानी आँखों के लिये शिफ़ा है।'

(5346) हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'खुम्बी उस मन्न में से है जिसे अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै.) पर नाज़िल फ़रमाया और उसका पानी आँखों के लिये शिफ़ा है।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

(5347) हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'खुम्बी मन्न में से है और इसका पानी आँख के लिये शिफ़ा है।'

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو، بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " .

(5348) हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'खुम्बी मन्न में से है और उसका पानी आँख के लिये शिफ़ा है।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ، شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " .

बाब 29 : पीलू के स्याह फल या स्याह पीलू की फ़ज़ीलत

باب فَضِيلَةِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

(5349) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम मक़ामे मर्रुज़्ज़हरान में नबी(ﷺ) के साथ थे और हम पीलू चुन रहे थे तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इनमें से स्याह को चुनो।' हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! गोया आप बकरियाँ चराते रहे हैं। आपने फ़रमाया, 'हर एक नबी ने इनको चराया है।' या इस क़िस्म की बात फ़रमाई।

(सहीह बुख़ारी : 5453, 3406)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ " . قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ " نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا " . أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ .

फ़ायदा : जलीलुल क़द्र अम्बिया (अलै.) अपनी शुरूआती ज़िन्दगी में बकरियाँ चराते रहे हैं, अल्लाह तआला की तरफ़ से इसका इन्तिज़ाम इसलिये किया गया है कि बकरी एक कमज़ोर जानवर है, जिसको चराने के लिये इंसान को सब्र व तहम्मुल और प्यार व शफ़क़त की ज़रूरत है, वो इधर-उधर भागती है और इसको अलग-अलग जगहों में ले जाना पड़ता है, इसलिये रेवड़ को इकट्ठा करने के लिये चरवाहे को भागदौड़ करना पड़ती है, लेकिन वो इन पर गुस्सा नहीं निकाल सकता। इसलिये उनकी चराने की सूरत में इंसान को तवाज़ोअ़ व फ़रौतनी इख़्तियार करनी पड़ती है और इनकी अलग-अलग तबीअ़तों को समझना और इसका लिहाज़ रखना पड़ता है। इस तरह अम्बिया को अपनी उम्मतों के साथ तवाज़ोअ़ और शफ़क़त से पेश आने और उनको इकट्ठा रखने का तजुर्बा पहले से हासिल हो जाता है।

बाब 30 : सिरके की फ़ज़ीलत और इसको बतौर सालन इस्तेमाल करना

باب فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نِعْمَ الأُدُمُ - أَوِ الإِدَامُ - الْخَلُّ " .

(5350) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेहतरीन सालन सिरका है या सालनों में से बेहतरीन सालन सिरका है।'
(तिर्मिज़ी : 1840, इब्ने माजह : 3316)

मुफ़रदातुल हदीस़ : इदाम : इदाम की जमा उदुम है जिस तरह किताब की जमा कुतुब है।

وَحَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " نِعْمَ الأُدُمُ " . وَلَمْ يَشُكَّ

(5351) इमाम साहब एक और उस्ताद से सुलैमान बिन बिलाल ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'सालनों में से बेहतरीन सालन सिरका है।' इसमें उदुम बिला शक आया है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ . فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ " نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ " .

(5352) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने अपने घर वालों से सालन माँगा तो उन्होंने कहा, हमारे पास तो सिर्फ़ सिरका है, आपने उसे ही मँगवा लिया और उसके साथ रोटी खाने लगे और फ़रमाते, 'सिरका बेहतरीन सालन है, बेहतरीन सालन सिरका है।'

फ़ायदा : अरबों के लिये उस दौर में सिरके का हुसूल बहुत आसान था, इसलिये ये आम था। जिससे मालूम होता है कि आप खाने में तकल्लुफ़ रवा नहीं रखते थे, जो मुयस्सर आ जाता, खा लेते और अंगूरी सिरका वैसे भी लज़ीज़ होता है।

(5353) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) एक दिन मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गये और मुझे रोटी के टुकड़े पेश किये और आपने पूछा, 'कोई सालन है?' घर वालों ने कहा, थोड़े से सिरके के सिवा कुछ नहीं। आपने फ़रमाया, 'सिरका बेहतरीन सालन है।' हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, जबसे मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से ये सुना है मैं सिरके को पसंद रखता हूँ। हज़रत जाबिर (रज़ि.) के शागिर्द तलहा (रह.) कहते हैं, जबसे मैंने ये हज़रत जाबिर (रज़ि.) से सुना है, मैं सिरके को पसंद रखता हूँ।

(अबू दाऊद : 3821, नसाई : 7/14)

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ " مَا مِنْ أُدُمٍ " . فَقَالُوا لاَ إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ خَلٍّ . قَالَ " فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الأُدُمُ " . قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ طَلْحَةُ مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़िलक़ : फ़िल्क़ह् की जमा है, टुकड़े को कहते हैं किसरह् का हमवज़न और हम मानी है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, इंसान दूसरे को हाथ पकड़कर घर ले जा सकता है या चलते वक़्त दूसरे का हाथ पकड़ा जा सकता है।

(5354) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ)उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गये, जैसाकि मज़्कूरा बाला हदीस़ है और इसमें सिर्फ़ आपके इस फ़रमान तक हदीस़ है, 'सिरका बेहतरीन सालन है।' बाद वाला हिस्सा नहीं , जाबिर व तलहा का क़ौल बयान नहीं किया।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَى قَوْلِهِ " فَنِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

(5355) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मेरे पास रसूलुल्लाह(ﷺ) गुज़रे, आपने मुझे इशारा फ़रमाया तो मैं उठकर आपके पास चला गया। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम चल पड़े, यहाँ तक कि अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे के पास पहुँच गये तो अंदर दाख़िल हो गये। फिर आपने मुझे इजाज़त दी और मैं पर्दे की हालत में उनके पास पहुँच गया। आपने पूछा, 'क्या सुबह का खाना है?' उन्होंने कहा, जी हाँ। आपको तीन रोटियाँ पेश की गईं और उन्हें एक दस्तरख़्वान पर रख दिया गया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक रोटी पकड़कर अपने आगे रख ली और दूसरी रोटी पकड़कर मेरे आगे रख दी, फिर तीसरी रोटी पकड़कर उसके दो हिस्से किये और उसका आधा हिस्सा अपने आगे रख लिया और आधा हिस्सा मेरे आगे रख दिया। फिर पूछा, 'कोई सालन है?' उन्होंने कहा, नहीं। मगर थोड़ा सा सिरका है। आपने फ़रमाया, 'उसे लाओ, वो तो बेहतरीन सालन है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي، زَيْنَبَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَىَّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَأُتِيَ بِثَلاَثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ " هَلْ مِنْ أُدُمٍ " . قَالُوا لاَ . إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ خَلٍّ . قَالَ " هَاتُوهُ فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : बनिय्युन : खजूर के पत्तों का दस्तरख़्वान। बनिय्य बा पर ज़बर और नून पर ज़ेर है, खजूर के पत्तों का थाल।

बाब 31 : लहसुन खाना जाइज़ है, लेकिन अगर बड़ों से बातचीत करनी हो तो इसको नहीं खाना चाहिये, इस जैसी दूसरी बदबूदार चीज़ों का भी यही हुक्म है

باب إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

(5356) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जब कोई खाना लाया जाता, आप उससे खा लेते और उसका बचा हुआ हिस्सा मेरी तरफ़ भेज देते और आपने एक दिन मुझे बचा हुआ खाना भेजा, जिससे आपने खाया नहीं था क्योंकि उसमें लहसुन था। तो मैंने आपसे पूछा, क्या वो हराम है? आपने फ़रमाया, 'नहीं! लेकिन मैं इसे इसकी बू की वजह से नापसंद करता हूँ।' मैंने कहा, जो आपको नापसंद है मुझे भी नापसंद है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَىَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَىَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ " لاَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ " . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ .

फ़ायदा : कच्चा लहसुन खाना पसन्दीदा नहीं है, क्योंकि इसमें बू होती है, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह पका कर इसकी बू ख़त्म कर दी जाये तो इसके खाने में कोई हर्ज नहीं है। कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में या मज्लिस में आना दुरुस्त नहीं है और इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है, अगर खाना भेजने वाला ज़्यादा खाना भेज दे या कोई दूसरा उसमें से कुछ खाने का ख़्वाहिशमन्द हो तो उसका कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहिये। क्योंकि इस हदीस़ में उस दौर की सूरते हाल बयान की गई, जब आप हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी के यहाँ ठहरे हुए थे।

(5357) इमाम साहब एक और उस्ताद से ये रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

(5358) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) उनके यहाँ ठहरे तो नबी(ﷺ) निचली मन्ज़िल में ठहरे और अबू अय्यूब (रज़ि.) ऊपर की मन्ज़िल में थे। सो अबू अय्यूब एक रात बेदार हुए तो कहने लगे, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के सर (ऊपर) पर चलें तो वो एक तरफ़ हट गये और एक तरफ़ रात गुज़ारी। फिर नबी(ﷺ) से बात की तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'निचली मन्ज़िल में आसानी है।' उन्होंने अर्ज़ किया, मैं इस छत पर नहीं चढ़ सकता, जिसके नीचे आप हों। तब नबी(ﷺ) ऊपर की मन्ज़िल में मुन्तक़िल हो गये और अबू अय्यूब निचली मन्ज़िल में आ गये और वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये खाना तैयार करवाते थे। जब खाना उनके पास वापस आता, वो आपकी उंगलियों की जगह के बारे में पूछते और आपकी उंगलियों की जगह की जुस्तजू करते। उन्होंने एक दिन आपके लिये खाना तैयार करवाया, उसमें लहसुन था। जब उनके पास वापस लाया गया उन्होंने नबी(ﷺ) की उंगलियों की जगह (जहाँ से आपने खाया था) के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया, आपने खाया नहीं है। तो वो घबराकर ऊपर चढ़कर आपके पास गये और पूछा, क्या वो हराम है? तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं! लेकिन मैं इसे नापसंद करता हूँ।' उन्होंने अर्ज़ किया, जिसे आप नापसंद करते हैं या नापसंद किया है, मैं भी उसे

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ، - وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، - فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ بْنِ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الأَحْوَلُ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ - قَالَ - فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " السُّفْلُ أَرْفَقُ " . فَقَالَ لاَ أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا . فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُلْوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ لَمْ

नापसंद करता हूँ। अबू अय्यूब (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) के पास वह्य लाई जाती थी।

يَأْكُلْ . فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ " . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ . قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى .

फ़ायदा : इस हदीस़ से सहाबा किराम की हुज़ूर(ﷺ) से अक़ीदत व मुहब्बत और आपकी इ़ज़्ज़त व तौक़ीर का इज़हार होता है कि हज़रत अबू अय्यूब खाने में आपकी उंगलियों वाली जगह से खाते और आपका पसे ख़ुरदा खाते (यानी जहाँ से आप खाते वहीं से अबू अय्यूब रज़ि. भी खाते)। आपकी पसंद और नापसंद का लिहाज़ रखते और आपके ऊपर वाली मन्ज़िल में रहना गवारा नहीं किया, हालांकि आपके लिये और आपके पास आने वालों के लिये आपका निचली मन्ज़िल में रहना सहूलत और आसानी का बाइस़ था, लेकिन आपने अपने मेज़बान के जज़्बात का लिहाज़ रखा और ऊपर की मन्ज़िल पर मुन्तक़िल हो गये। लेकिन हमारे यहाँ अदब व एहतिराम को एक तकल्लुफ़ ख़्याल किया जाता है और नबी(ﷺ) बदबूदार चीज़ से इसलिये भी परहेज़ करते थे कि आपके पास फ़रिश्ते को आना होता था और मालूम होता है, लहसुन को अच्छी तरह पकाया नहीं गया था। इसलिये उसकी बू बाक़ी रह गई थी, अब इससे समझा जा सकता है। हुक़्क़ा और सिगरेट पी कर मस्जिद में आना और बदबूदार मुँह से अल्लाह तआ़ला से मुनाजात करना कितना नापसन्दीदा काम है और मुँह में नसवार रखकर नमाज़ पढ़ना किस क़द्र बुरी हरकत है।

बाब 32 : मेहमान की तकरीम और उसके लिये ईस़ार (क़ुर्बानी) करने की फ़ज़ीलत

باب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

(5359) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आकर कहने लगा, मैं भूखा हूँ। तो आपने अपनी किसी बीवी के पास पैग़ाम भेजा। उसने कहा, उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! मेरे पास पानी के सिवा कुछ नहीं। फिर आपने दूसरी की तरफ़ पैग़ाम भेजा, तो उसने भी ये बात कही। यहाँ तक कि उन

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ . فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ

सबने यही जवाब दिया, नहीं! उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! मेरे पास सिर्फ़ पानी है। तो आपने फ़रमाया, 'जो आज रात इसकी मेहमान नवाज़ी करेगा अल्लाह उस पर रहम फ़रमायेगा।' तो एक अन्सारी आदमी खड़ा हुआ और कहा, मैं, ऐ अल्लाह के रसूल! वो इसको लेकर अपने घर चला गया और अपनी बीवी से कहा, क्या तेरे पास कुछ है? उसने कहा, नहीं! सिवाये मेरे बच्चों की ख़ूराक के। उसने कहा, उन्हें किसी चीज़ से बहला दे और जब हमारा मेहमान अंदर आये तो चिराग़ गुल कर देना और उसे यूँ दिखाना कि हम खा रहे हैं। तो जब वो खाने के लिये बढ़े तो उठकर चिराग़ बुझ देना। सो वो सब बैठ गये और मेहमान ने खाना खा लिया। जब सुबह हुई, वो नबी(ﷺ) के पास गया तो आपने फ़रमाया, 'आज रात तुमने अपने मेहमान के साथ जो सुलूक किया अल्लाह तआला उस पर बहुत ख़ुश हुआ।'
(सहीह बुख़ारी : 3798, 4889, तिर्मिज़ी : 3304)

نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ . فَقَالَ " مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ . قَالَتْ لاَ إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي . قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ بِشَىْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ . قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ " .

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि जहाँ तक मुम्किन हो ज़रूरतमन्द और मोहताज के साथ हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही से पेश आना चाहिये। अगर इंसान ख़ुद ये काम न कर सकता हो तो फिर दूसरों को इसकी तरग़ीब दे। हुज़ूर(ﷺ) ने पहले अपने घरों से उसको खाना मुहैया करने की कोशिश फ़रमाई। ये न हो सका तो फिर दूसरों को तरग़ीब दी। फिर हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) जो एक मालदार सहाबी थे, वो उसको साथ ले गये। लेकिन इत्तिफ़ाक़न इस रात उनके घर में मेहमान के लिये वाफ़िर खाना न था। इसलिये उन्होंने एक तदबीर के ज़रिये उसे खाना खिलाया और उसे ये महसूस न होने दिया कि उनके पास खाना कम है, उससे सब सैर नहीं हो सकते, ताकि वो खाने में हिचकिचाहट महसूस न करे।

(5360) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है एक आदमी एक अन्सारी का रात को मेहमान बना और उसके पास अपने और बच्चों की ख़ूराक के

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي، حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَجُلاً، مِنَ

الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ - قَالَ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

सिवा कुछ न था तो उसे अपनी बीवी को कहा, बच्चों को सुला दे और चिराग़ गुल कर दे और जो कुछ तेरे पास है, वो मेहमान को पेश कर दे, इसी सिलसिले में ये आयत उतरी, 'वो अपने नफ़्सों पर तरजीह देते हैं, ख़्वाह ख़ुद भूखे हों।' (सूरह हश्र : 9)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अन्सारी सहाबी के पास अपने और अपने बच्चों के लिये बक़द्र गुज़ारा खाना मौजूद था, लेकिन इतना न था कि सब उससे सैर हो सकते, इसलिये उन्होंने मेहमान के लिये ईसार करते हुए एक तदबीर और हीला सोचा कि पता नहीं, वो कब का भूखा है और उसे कितना खाना दरकार हो, इसलिये अगर बच गया तो बच्चों को खिला देंगे, जिससे मालूम होता है कि बच्चे शदीद भूख में मुब्तला न थे, वरना उनको बहलाकर सुलाना मुम्किन न होता।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُضِيفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ فَقَالَ " أَلاَ رَجُلٌ يُضِيفُ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ.

(5361) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आया ताकि आप उसकी मेहमान नवाज़ी करें और आपके पास उसकी मेहमान नवाज़ी के लिये कुछ न था, इसलिये आपने फ़रमाया, 'क्या कोई शख़्स है जो इसकी मेहमान नवाज़ी करे, अल्लाह उस पर रहम फ़रमाये।' तो एक अन्सारी अबू तलहा नामी खड़ा हुआ और उसे अपने घर ले गया और आगे जरीर की तरह हदीस बयान की और वकीअ की तरह आयत के उतरने का तज़्किरा किया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ

(5362) हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं और मेरे दो साथी आये और हमारे कान और हमारी आँखें भूख की वजह से ख़त्म हो रहे थे।

ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ، لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا " . قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَصِيبَهُ - قَالَ - فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ - قَالَ - ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ - قَالَ - نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلاَ يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ

यानी हमारी समाअत और बसारत मुतास्सिर हो रही थी तो हम अपने आपको रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथियों के सामने पेश करने लगे और उनमें से कोई हमें कुबूल करने की सकत न रखता था तो हम नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप हमें लेकर अपने घर चले गये तो वहाँ तीन बकरियाँ मौजूद थीं। सो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमारे लिये मुश्तरका तौर पर इनको दूह लो।' तो हम उनका दूध निकाल लेते और हममें से हर इंसान अपना हिस्सा पी लेता और हम नबी(ﷺ) का हिस्सा उठा रखते तो आप रात को तशरीफ़ लाते और इस तरह सलाम कहते जिससे सोने वाला बेदार न हो और बेदार सुन ले, फिर मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते। फिर अपने मशरूब के पास आकर उसे नोश फ़रमा लेते। एक रात मेरे पास शैतान आया। जबकि मैं अपना हिस्सा पी चुका था, कहने लगा, मुहम्मद अन्सार के पास जाता है, वो उसे तोहफ़े पेश करते हैं और वो उनके यहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ पा लेते हैं। उसे इस घूंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसके पास आया और उसे पी लिया तो जब वो मेरे पेट में समा गया और मैंने जान लिया, अब उस तक पहुँचने की कोई राह नहीं (वो वापस नहीं आ सकता) शैतान ने मुझे पशेमान करना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम पर अफ़सोस! तूने क्या हरकत की? क्या तूने मुहम्मद(ﷺ) का मशरूब भी पी लिया है? वो आयेगा और उसे न पाकर तेरे ख़िलाफ़ दुआ करेगा और तू हलाक हो जायेगा, जिससे तेरी दुनिया और आख़िरत तबाह हो जायेगी और मुझ पर एक चादर

थी। जब मैं उसे अपने पाँव पर डालता तो सर खुल जाता और जब मैं उसे अपने सर पर डालता तो मेरे पाँव ज़ाहिर हो जाते और मुझे नींद नहीं आ रही थी। जबकि मेरे दोनों साथी सो चुके थे और उन्होंने मेरे वाले हरकत न की थी। इतने में नबी(ﷺ) तशरीफ़ ले आये और आपने मामूल के मुताबिक़ सलाम कहा। फिर मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ी, फिर अपने मशरूब के पास आये। उससे पर्दा उठाया तो बर्तन में कुछ न पाया, आपने अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया। मैंने दिल में कहा, अब आप मेरे ख़िलाफ़ दुआ करेंगे, जिससे मैं हलाक हो जाऊँगा। आपने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! मुझे खिलाने वाले को खिला और मुझे पिलाने वाले को पिला।' तो मैंने अपनी चादर की तरफ़ तवज्जह की और उसे अपने ऊपर अच्छी तरह बांध लिया और छुरी पकड़ी और बकरियों की तरफ़ चल पड़ा ताकि जो उनमें से ज़्यादा मोटी हो उसे रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये ज़िब्ह करूँ तो उसके थन दूध से भरे हुए थे और उन सब के थनों में जमा हो चुका था। तो मैंने मुहम्मद(ﷺ) के घर वालों का वो बर्तन लिया, जिसमें वो दूध निकालने की ख़्वाहिश नहीं कर सकते थे, मैंने उसमें दूध दूहा। यहाँ तक कि उस पर झाग आ गई। फिर मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने पूछा, क्या आज रात तुमने अपना मशरूब पी लिया?' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! पीजिये। आपने पी लिया, फिर मुझे पकड़ा दिया। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! पीजिये, आपने पिया और फिर मुझे पकड़ा दिया। जब मैंने

فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ . وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَىَّ خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَاىَ وَجَعَلَ لاَ يَجِيئُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ - قَالَ - فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ " اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي " . قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَّ وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ - قَالَ - فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ . فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اشْرَبْ . فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ - قَالَ - فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا " . قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ .

समझ लिया कि नबी(ﷺ) सैर हो चुके हैं और मैंने आपकी दुआ भी ले ली, मैं खिल-खिला कर हँस पड़ा, यहाँ तक कि ज़मीन पर लोट-पोट होने लगा। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरी हरकतों में से एक है, ऐ मिक़्दाद!' इस पर मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे साथ ये मामला पेश आया और मैंने ये काम किया। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये तो सिर्फ़ अल्लाह की रहमत है तूने मुझे आगाह क्यों न किया, हम अपने दोनों साथियों को जगाते और वो भी इस रहमत से हिस्सा पा लेते।' मैंने कहा, उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब आपने इसको पा लिया और मैंने आपके साथ इसको पा लिया, ये लोगों में से किसको मिलती है।

(तिर्मिज़ी : 2719)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्जुरअह : घूंट **(2) व ग़लत फ़ी बतनी :** मेरे पेट में उसने जगह बना ली। **(3) हाफ़िलह :** वो दूध जमा कर चुकी थी। हाफ़िलह की जमा हुफ़्फ़ल है सबने दूध जमा कर लिया था। सब के थनों में दूध भर गया था। रग़्वह : दूध के ऊपर उठने वाली झाग, इह्दा सवाअतिक : तेरी करतूतों में से एक करतूत है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में सहाबा किराम के फ़क़्रो-फ़ाक़ा का इज़हार हो रहा है कि उनमें से (जिनको वो मिले) किसी के पास इतनी सकत न थी कि वो तीन आदमियों की मेहमान नवाज़ी कर सकता, मजबूर होकर वो आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप भी दूध के सिवा उन्हें कुछ पेश न कर सके और वो आपके साथ दूध पर ही गुज़ारा कर रहे थे। यहाँ तक कि शैतान ने हज़रत मिक़्दाद के दिल में अजीब सोच पैदा की और उन्हीं से एक हरकत सरज़द करवाकर उन्हें पशेमान (शर्मिन्दा) करना शुरू कर दिया। जिसके नतीजे में अल्लाह की रहमत का ज़ुहूर हुआ और बकरियों के थनों में दोबारा दूध जमा हो गया, ताकि शर्मसार होने वाला आपका मोजिज़ा भी देख ले और आप दूध से महरूम भी न रहें और हज़रत मिक़्दाद, आपकी दुआ के मुस्तहिक़ ठहरे, जिससे वो ख़ौफ़ और ग़म व हुज़्न से निकलकर ख़ुशी से सरशार हो गये।

(5363) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5364) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) के साथ हम एक सौ तीस लोग थे। तो नबी(ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुममें से किसी शख़्स के पास खाना है?' तो एक आदमी के पास एक साअ या उसके क़रीब आटा निकला, उसे गूंधा गया। फिर एक मुश्रिक आदमी परागन्दा बाल या लम्बा तड़ंगा बकरियाँ हांकते हुए आया। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेचते हो या अतिया है या फ़रमाया, हिबा है?' उसने कहा, नहीं। बल्कि बेचूँगा। आपने उससे एक बकरी ख़रीद ली। उसे तैयार किया गया और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी कलेजी को भूनने का हुक्म दिया और अल्लाह की क़सम! एक सौ तीस आदमियों में से हर एक के लिये आपने उस कलेजी से एक टुकड़ा काटा। अगर मौजूद था तो उसको दे दिया और अगर ग़ैर मौजूद था तो उसके लिये रख लिया गया और बकरी के गोश्त को दो प्यालों में डाला। उनसे सब ने खाया और हम सैर हो गये और दोनों प्यालों में खाना बच गया। उसे मैंने ऊँट पर रख लिया या जो बात उन्होंने कही।

(सहीह बुख़ारी : 2216, 2618)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، - وَحَدَّثَ أَيْضًا، - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ " . فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ - أَوْ قَالَ - أَمْ هِبَةٌ " . فَقَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى . قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِينَ وَمِائَةٍ إِلاَّ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُزَّةً حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ - قَالَ - وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ . أَوْ كَمَا قَالَ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मुश्आन्न : परागन्दा और बिखरे हुए बालों वाला, दराज़ क़द जैसाकि रावी ने तफ़्सीर की है। **(2) हुज़्ज़ह :** टुकड़ा, हिस्सा।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि मुश्रिक के साथ ख़रीदो-फ़रोख़्त करना जाइज़ है और उससे तोहफ़े भी क़ुबूल किया जा सकता है और इससे आपके मोजिज़े का इज़हार हो रहा है कि आपने एक बकरी की कलेजी को एक सौ तीस आदमियों में तक़सीम फ़रमाया और वो सब एक बकरी के गोश्त से सैर हो गये और खाना बच भी गया। जबकि आटा सिर्फ़ एक साअ़ (ढाई किलो या बक़ौल अहनाफ़ चार किलो) था। जिससे ये भी मालूम होता है कि खाना इकट्ठे खाना बाइस़े बरकत है, क्योंकि इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद में बरकत है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَرَّةً " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاَثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ " . أَوْ كَمَا قَالَ . وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلاَثَةٍ - قَالَ - فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلاَ أَدْرِي هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا

(5365) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि अस्हाबे सुफ़्फ़ह मोहताज लोग थे। एक बार रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके पास दो आदमियों का खाना है, वो तीन को ले और जिसके पास चार का खाना, वो पाँचवाँ छठा ले जाये।' या जो आपने फ़रमाया, 'और अबू बक्र (रज़ि.) तीन लोग को ले आये और रसूलुल्लाह(ﷺ) दस लोगों को ले गये और अबू बक्र (रज़ि.) तीन लोग लाये क्योंकि घर में मैं, मेरा बाप और और मेरी माँ थे (और अ़ब्दुर्रहमान के शागिर्द कहते हैं) मैं नहीं जानता क्या उन्होंने कहा, मेरी बीवी और हमारे दोनों का मुश्तरका ख़ादिम और अबू बक्र (रज़ि.) ने शाम का खाना नबी(ﷺ) के यहाँ खाया। फिर इशा की नमाज़ पढ़ने तक वहीं ठहरे रहे। फिर दोबारा वहीं आये यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सोने लगे और जिस क़द्र अल्लाह को मन्ज़ूर था, उतनी रात गुज़रने के बाद आये। उनकी बीवी ने उनसे कहा, अपने मेहमानों या मेहमान से क्यों रुके रहे? उन्होंने पूछा, क्या तुमने उनको शाम का खाना नहीं खिलाया? उसने कहा,

وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ - ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ - قَالَ - فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا غُنْثَرُ . فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنِيئًا . وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا - قَالَ - فَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا - قَالَ - حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ . قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مِرَارٍ - قَالَ - فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ - قَالَ - وَكَانَ

उन्होंने आपकी आमद तक इंकार किया, घर वालों ने उनके सामने पेश किया था और वो अपनी बात पर डटे रहे। अब्दुर्रहमान (रज़ि.) कहते हैं, मैं जाकर छिप गया। अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा, ऐ अहमक़, नादान! तेरी नाक कटे और बुरा-भला कहा और मेहमानों को कहा, खाओ। ये तुम्हारे लिये ख़ुशगवार न हो और कहा, अल्लाह की क़सम! मैं कभी भी उसको नहीं खाऊँगा और अल्लाह की क़सम! हम जो लुक़्मा उठाते उससे ज़्यादा नीचे से उभर आता, यहाँ तक कि हम सैर हो गये और वो पहले से ज़्यादा हो गया। अबू बक्र (रज़ि.) ने उस पर नज़र दौड़ाई तो वो उतना ही या उससे ज़्यादा था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ऐ बनू फ़रास के फ़र्द! ये क्या हुआ? उसने कहा, नहीं! मेरी आँखों की ठण्डक की क़सम! ये अब पहले से तीन गुना ज़्यादा है और इससे अबू बक्र (रज़ि.) ने भी खाया और फ़रमाया, वो क़सम तो शैतानी काम था। फिर उससे लुक़्मा उठाया, फिर उसे उठाकर रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले गये। वो सुबह तक आपके पास रहा। हमारे और एक क़ौम के दरम्यान मुआहिदा था। मुद्दत गुज़र गई और हमने बारह निगरान मुक़र्रर किये, हर आदमी के मातहत लोग थे। अल्लाह ही जानता है, हर एक आदमी के तहत कितने लोग थे, इतनी बात है कि आपने खाना उनके साथ भेजा और उन सबने उससे खाया या जो अल्फ़ाज़ उस्ताद ने कहे।

(सहीह बुख़ारी : 3581, 6140, 6141, अबू दाऊद : 3270, 3271)

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ فَعَرَّفْنَا
اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ
اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ إِلاَّ أَنَّهُ بَعَثَ
مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ . أَوْ كَمَا قَالَ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) या ग़ुन्सुर : ऐ नादान! जाहिल, कमीने क्योंकि उन्होंने समझा अब्दुर्रहमान ने मेहमानों को खाना खिलाने में कोताही की है, इसलिये उन्हें बुरा-भला कहा और नाक कटने की बात की। **(2) ला हनीअन :** तुमने घर वालों को परेशान किया और बेटे की बजाए बाप की हाज़िरी पर इसरार किया, इसलिये खाना तुम्हारे लिये ख़ुशगवार न हो या खाना पड़े-पड़े ठण्डा हो गया, इसलिये ख़ुशगवार नहीं है।

फ़ायदा : अस्हाबे सुफ़्फ़ह तालिबे इल्म थे जो घर-बार छोड़ कर तालीम के लिये आपके पास आते थे और मस्जिद के छप्पर में ही रहते थे और हुज़ूर(ﷺ) उनके खाने का इन्तिज़ाम फ़रमाते और वो ख़ुद भी उसके लिये कोशिश करते और आपने लोगों के दिलों में उनके लिये हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही का जज़्बा पैदा करने के लिये एक दिन साथियों से फ़रमाया, हर आदमी अपने वुस्अत व गुंजाइश के मुताबिक़ उनमें से एक या दो को ले जाये और दूसरों को तरग़ीब देने के लिये ख़ुद अपने घर के लोगों की तादाद के मुताबिक़ दस आदमियों को ले गये, इस तरह आपने आग़ाज़ अपने घर से किया और सबसे ज़्यादा जूदो-सख़ा का मुज़ाहिरा फ़रमाया और ये उस्व-ए-हसना ही दरअसल लोगों को हौसला दिलाता है और उनके अंदर काम करने की रग़बत पैदा करता है, जो बदक़िस्मती से आज मफ़क़ूद है, कोई दीनी व दुनियवी लीडर दूसरों के लिये नमूना नहीं बनता सिर्फ़ ज़बानी कलामी नारों से लोगों का पेट भरता है, आज ये लोग अपनी तिजोरियों का मुँह खोल दें तो लोग भी यक़ीनन उनकी इक़्तिदा में अपना माल फ़ुक़रा और मसाकीन को देने के लिये तैयार हो जायें और ग़ुरबत का इलाज हो जाये और इस हदीस़ से हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का रसूल(ﷺ) से क़ल्बी ताल्लुक़ और रब्त भी वाज़ेह होता है कि वो अपने मेहमान अपने बेटे के सुपुर्द करके हुज़ूर(ﷺ) के साथ चले गये और रात गये तक जब तक आप सोने नहीं गये, घर वापस नहीं आये और फिर मेहमानों की ख़िदमत में कोताही का मुर्तकिब ख़्याल करके अपने शादीशुदा बेटे को भी बुरा-भला कहा और वो डर के मारे छिप गया, जिससे मालूम हुआ वो दूसरों के लिये तो बहुत नर्म और शफ़ीक़ थे, लेकिन बेटों का सख़्त मुहासबा करते थे और उन्होंने मेहमानों के बेजा इसरार पर ग़ुस्से का इज़हार फ़रमाते हुए, खाना खाने से इंकार किया और क़सम उठा दी, लेकिन जब मेहमानों ने भी क़सम उठा दी तो अपनी क़सम को तोड़ डाला ताकि मेहमान भूखे न रहें और इसकी बिना पर अल्लाह तआला ने उनकी करामत ज़ाहिर कर दी कि खाने में बरकत डाल दी, जिसको देखकर उन्होंने दोबारा लुक़्मा लिया और फिर वो खाना आपको पेश कर दिया, जिसमें आपकी करामत का ज़ुहूर हुआ कि वो खाना बारह लोगों के मातहत लोगों के लिये काफ़ी हो गया।'

(5366) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) बयान करते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आये और मेरे वालिद रात को रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जाकर बातचीत किया करते थे, इसलिये वो चले गये और मुझे कह गये, अ़ब्दुर्रहमान! अपने मेहमानों से फ़ारिग़ हो जाना, यानी उनकी ज़ियाफ़त करना। तो जब शाम हो गई, हमने उन्हें उनकी ज़ियाफ़त पेश की, उन्होंने (खाने से) इंकार कर दिया, कहने लगे, घर का मालिक आकर हमारे साथ खाना खाये तो हम खायेंगे। मैंने उनसे कहा, वो सख़्तगीर आदमी है और अगर तुमने खाना न खाया तो मुझे ख़तरा है कि तो वो मुझे सज़ा देंगे। यानी मुझे उनसे तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उन्होंने फिर भी इंकार कर दिया तो जब वो आये, उनके बारे में सवाल करने से पहले कोई बातचीत नहीं की। पूछा, क्या तुम अपने मेहमानों से फ़ारिग़ हो गये हो? घर वालों ने कहा, नहीं अल्लाह की क़सम! हम फ़ारिग़ नहीं हुए। उन्होंने कहा, क्या मैं अ़ब्दुर्रहमान को हुक्म देकर नहीं गया था? और मैं उनसे एक तरफ़ हट गया। उन्होंने कहा, ऐ अ़ब्दुर्रहमान! तो मैं दूर हट गया। उन्होंने कहा, ऐ अहमक़! कमीने! मैं तुम्हें क़सम देता हूँ, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आ जाओ तो मैं हाज़िर हो गया और अ़र्ज़ किया, अल्लाह की क़सम! मेरा कोई क़ुसूर नहीं, ये आपके मेहमान हैं, इनसे पूछ लीजिये। मैंने उन्हें उनकी ज़ियाफ़त पेश की थी। उन्होंने आपकी आमद तक खाने से इंकार कर दिया तो अबू बक्र ने उनसे पूछा, तुमने हमारी ज़ियाफ़त क़ुबूल करने से क्यों इंकार किया और अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! आज रात मैं खाना नहीं

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا - قَالَ - وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ - قَالَ - فَانْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ . قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ - قَالَ - فَأَبَوْا فَقَالُوا حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى - قَالَ - فَأَبَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَىْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوا لاَ وَاللَّهِ مَا فَرَغْنَا . قَالَ أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ . قَالَ فَتَنَحَّيْتُ - قَالَ - فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلاَّ جِئْتَ - قَالَ - فَجِئْتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلاَءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ - قَالَ - فَقَالَ مَا لَكُمْ أَلاَ تَقْبَلُوا

عَنَّا قِرَاكُمْ - قَالَ -فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ - قَالَ - فَقَالُوا فَوَاللَّهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ . قَالَ فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوا قِرَاكُمْ - قَالَ - فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى فَأَكَلَ وَأَكَلُوا - قَالَ -فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا وَحَنِثْتُ - قَالَ - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ ". قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ .

खाऊँगा। तो उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! हम भी उसे नहीं खायेंगे, जब तक आप उसे नहीं खाते। अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा, आज की रात जैसा शर कभी नहीं देखा, तुम पर अफ़सोस, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमारी दावत क़ुबूल नहीं करते हो? फिर अबू बक्र ने कहा, पहली बात (क़सम) तो शैतानी फ़ेअल है, अपनी ज़ियाफ़त की तरफ़ बढ़ो। खाना लाया गया, अबू बक्र (रज़ि.) ने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू कर दिया और वो भी खाने लगे। जब सुबह हुई तो अबू बक्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास पहुँच गये और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेहमानों ने क़सम को पूरा किया और मैंने क़सम तोड़ डाली और आपको पूरा वाक़िया सुनाया। आपने फ़रमाया, बल्कि तू उनसे ज़्यादा वफ़ादार और इताअतगुज़ार है और उनसे बेहतरीन है।' अब्दुर्रहमान (रज़ि.) कहते हैं, मुझे कफ़्फ़ारे का इल्म नहीं हो सका।

(तिर्मिज़ी : 1820)

फ़ायदा : मेहमानों ने हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के एहतिराम में खाना खाने से इंकार किया था कि वो आ जायें तो उनके साथ मिलकर खाना खायेंगे, लेकिन अबू बक्र (रज़ि.) अपने उ़ज़्र की बिना पर ज़ियाफ़त का काम बेटे के सुपुर्द कर गये और उसे ताकीद फ़रमा गये थे कि मेहमानों की ख़िदमत में कोताही न करना और अबू बक्र (रज़ि.) के बेटे ने उन्हें उससे आगाह भी कर दिया था, इसलिये उन्हें खाना खा लेना चाहिये था, घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिये था। इसलिये अबू बक्र (रज़ि.) ने नाराज़गी का इज़हार किया, लेकिन फिर ज़ियाफ़त का हक़ मल्हूज़ रखते हुए अपनी क़सम तोड़ दी और शरीअ़त का यही तक़ाज़ा है कि अगर क़सम तोड़ना बेहतर हो तो उसको तोड़कर कफ़्फ़ारा अदा करना चाहिये, कफ़्फ़ारे से डरकर क़सम पर इसरार नहीं करना चाहिये और अबू बक्र (रज़ि.) ने शरीअ़त के ज़ाब्ते के मुताबिक़ क़सम तोड़ दी और ज़ाहिर है कफ़्फ़ारा भी दिया होगा, जिसका आपके बेटे या रावी को इल्म नहीं हो सका।

बाब 33 : कम खाने में ग़मगुसारी और हमदर्दी करने की फ़ज़ीलत और वाक़िया ये है कि दो का खाना तीन को काफ़ी कर जाता है और इससे मिलती सूरत में भी

باب فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

(5367) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'दो का खाना तीन लोगों के लिये है और तीन लोगों का खाना चार के लिये काफ़ी है।'
(सहीह बुख़ारी : 5392)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ " .

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) का मक़सद उम्मत को क़नाअत और हमदर्दी का सबक़ देना है कि खाना कम हो तो फिर भी दूसरों के साथ मवासात और हमदर्दी का रवैया इख़्तियार करना चाहिये, दो आदमियों का खाना तीन, चार के लिये काफ़ी हो सकता है, इसका इन्हिसार वुस्अत ज़रफ़ी और कुशादा दिली पर है, जितना ज़र्फ़ (दिल) बड़ा होगा, उतनी बरकत ज़्यादा होगी। क्योंकि हर वक़्त और हर हालत में पेट भरना ज़रूरी नहीं है, इंसान कई बार थोड़े खाने पर भी गुज़ारा कर सकता है, सिर्फ़ हौसले की ज़रूरत है, जो मवासात और हमदर्दी के जज़्बे से पैदा होता है।

(5368) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'एक का खाना दो के लिये काफ़ी है और दो का खाना चार के लिये काफ़ी है और चार का खाना आठ के लिये काफ़ी है।' इस्हाक़ की रिवायत में जाबिर (रज़ि.) के सिमाअ का ज़िक्र नहीं है, इतना है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया।
(इब्ने माजह : 3254)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ

الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ " . وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ .

(5369) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

(5370) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक आदमी का खाना दो के लिये काफ़ी हो जाता है और दो आदमियों का खाना चार के लिये काफ़ी हो जाता है।'
(तिर्मिज़ी : 1820)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي، سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ " .

(5371) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक आदमी का खाना दो आदमियों के लिये काफ़ी होता है और दो आदमियों का खाना चार को काफ़ी होता है और चार का खाना आठ के लिये काफ़ी हो जाता है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً " .

बाब 34 : मोमिन एक आँत में खाता है और काफ़िर सात आँतों में खाता है

باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا أَخْبَرَنَا يَحْيَى، -وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ" .

(5372) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'काफ़िर सात आँतों में खाता है और मोमिन एक आँत में खाता है।'
(तिर्मिज़ी : 1818)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ، حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(5373) इमाम साहब यही रिवायत अपने चार और उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं।
(इब्ने माजह : 3257, 7950)

मुफ़रदातुल हदीस़ : मिअन : की जमा अम्आउन है अंतड़ी, आँत।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि एक मोमिन आदमी को काफ़िर की तरह खाना-पीना ही मक़सदे ज़िन्दगी नहीं समझना चाहिये, काफ़िर चूंकि ज़िन्दगी बराए ख़ूंर्दन समझता है, इसलिये ख़ूब पेट भर कर खाता है, जैसाकि कुरआन मजीद में है, वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व यअ्कुलून कमा

तअ्कुलुल अन्आम (सूरह मुहम्मद) और मोमिन ज़िन्दगी बराए बन्दगी समझता है, इसलिये उसको ख़ूब पेट भरकर नहीं खाना चाहिये। नीज़ मोमिन क़नाअत पसंद होता है और काफ़िर हरीस व लालची, इसलिये दोनों के खाने में बहुत फ़र्क़ है। सात की गिनती सिर्फ़ कसरत और मुबालग़े के लिये है। हक़ीक़तन सात की गिनती मुराद नहीं है और उसमें कम खाने की तरग़ीबन्दी गई है और बताया गया है कि मोमिन को कमख़ोर होना चाहिये। बिस्यारख़ोरी (पेटू होना) काफ़िरों का काम है। इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने ऐसे आदमी को खाने में शरीक करने से मना कर दिया था जो काफ़िरों की तरह बिस्यारख़ोर (पेटू) था। इस हदीस का ये मक़सद नहीं है कि हर मोमिन कम खाता है और हर काफ़िर ज़्यादा खाता है।

(5374) इमाम नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक मिस्कीन आदमी को देखा और उसके सामने खाना रखने लगे, उसके आगे रखते रहे और वो ख़ूब खाने लगा, तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, ये मेरे पास बिल्कुल न आये, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'काफ़िर ही सात आँतों में खाता है।'
(सहीह बुख़ारी : 5393)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا - قَالَ - فَقَالَ لاَ يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَىَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " .

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) खाने के वक़्त किसी न किसी को बुलाते थे और उसको खाने में शरीक करते थे, इसलिये जब उस मिस्कीन में काफ़िरों वाली ख़ूब पेट भरकर खाने की ख़स्लत देखी तो कहा, आइन्दा इसको मेरे खाने में शिरकत के लिये न लाया जाये। बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत से मालूम होता है ये आदमी अबू नुहैल आदमी बिस्यारख़ोर (पेटू) था।

(5375) हज़रत जाबिर और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हक़ीक़ी मोमिन एक आँत में खाता है और काफ़िर सात आँतों में खाता है।'

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " .

(5376) इमाम साहब ने एक और उस्ताद से यही रिवायत हज़रत जाबिर (रज़ि.) से बयान की है, इब्ने उमर (रज़ि.) का नाम नहीं लिया।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ .

(5377) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कामिल मोमिन एक आँत से खाता है और निरा काफ़िर सात आँतों में खाता है।' (तिर्मिज़ी : 4010, इब्ने माजह : 3258)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " .

(5378) इमाम साहब एक और उस्ताद से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से यही रिवायत बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

(5379) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के यहाँ एक काफ़िर मेहमान ठहरा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके लिये एक बकरी दूहने का हुक्म दिया। वो दूही गई और उसने उसका दूध पी लिया। फिर दूसरी दूही गई तो उसने उसका बर्तन भी ख़ाली कर दिया। फिर तीसरी दूही गई, यहाँ तक कि उसने सात बकरियों का दूध पी लिया, फिर वो मुसलमान हो गया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके लिये एक बकरी दूहने का हुक्म दिया तो उसने उसका दूध पी लिया, फिर दूसरी के दूहने का हुक्म दिया तो वो उसका सारा

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ، أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " .

दूध न पी सका। इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कामिल मोमिन एक आँत में पीता है और काफ़िर सात आँतों में पीता है।'
(तिर्मिज़ी : 1819)

फ़ायदा : इस क़िस्म का वाक़िया कई मुसलमान होने वाले काफ़िरों के साथ पेश आया, अबू ग़ज़्वान, जहजाह ग़िफ़ारी, अबू बसरह ग़िफ़ारी, नज़लह बिन अ़म्र, सुमामा बिन उसाल। क़ाज़ी अयाज़ और इमाम नववी ने इस हदीस का मिस्दाक़ नज़लह बिन अ़म्र को क़रार दिया है लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर इस पर मुत्मइन नहीं है। फ़तहुल बारी अल्मुअ्मिनु यअ्कुलु मिअन वाहिद जिल्द 9

باب لاَ يَعِيبُ الطَّعَامَ

बाब 35 : खाने में ऐब न निकाले

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

(5380) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कभी किसी खाने में ऐब न निकाला, अगर किसी चीज़ की तलबे ख़्वाहिश होती, उसे खा लेते और अगर उसको नापसंद करते, छोड़ देते।
(सहीह बुख़ारी : 3563, 5409, अबू दाऊद : 3763, तिर्मिज़ी : 2031, इब्ने माजह : 3259)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(5381) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(5382) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद की सनद से अअ्मश ही की सनद से बयान करते हैं।

फ़ायदा : हर क़िस्म का हलाल और पाक खाना, ऐब से मुबर्रा और पाक है। हाँ कुछ खानों से इंसान को तबई मुनासिबत नहीं होती, इसलिये नफ़्से तआम पर ऐतिराज़ करना जाइज़ नहीं है। हाँ अगर खाने पकाने वाले ने खाना दुरुस्त नहीं पकाया, उसमें नमक-मिर्च कमो-बेश डाला है या उसको अच्छी तरह पकाया नहीं है तो फिर अगर उसकी दिल शिक्नी मक़सूद नहीं है बल्कि इस्लाह मक़सूद है ताकि वो आइन्दा ख़्याल रखे, तो फिर प्यार व मुहब्बत के साथ आगाह करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ज़ियाफ़त की तहक़ीर मक़सूद है या दावत करने वाले की शुक्रगुज़ारी से इन्हिराफ़ के लिये है कि क्या खाना खिलाया है या पकाने वाले का मज़ाक़ उड़ाना मक़सूद है तो फिर जाइज़ नहीं है। हाँ इंसान अपनी तबई कराहत का इज़हार कर सकता है कि मैं तबई तौर पर इस खाने को पसंद नहीं करता, इसलिये नहीं खा रहा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ .

(5383) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को कभी किसी खाने में ऐब निकालते नहीं देखा, जब उसकी इश्तिहा (ख़्वाहिश) होती उसे खा लेते और अगर उसकी इश्तिहा न होती, ख़ामोश रहते।

(इब्ने माजह : 3259)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(5384) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

इस किताब के कुल बाब 35 और 201 हदीसें हैं।

كتاب اللباس والزينة

किताबुल्लिबास वज़्ज़ीनत

लिबास और ज़ीनत की किताब

हदीस नम्बर 5385 से 5585 तक

लिबास और ज़ीनत के अहकाम

लिबास शर्म व हया, सेहत और मौसम के हवाले से इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और उसके लिये ज़ीनत का सबब भी। अल्लाह तआला ने औरत और मर्द को अलग-अलग अन्दाज़ से ख़ूबसूरत बनाया है। दोनों के लिये ज़ीनत के अन्दाज़ भी अलग-अलग हैं। मर्द अगर औरत की तरह ज़ीनत इख़्तियार करे तो बुरा लगता है और औरत अगर मर्द की तरह ज़ीनत इख़्तियार करे तो बुरी लगती है।

इसी तरह ज़ीनत और इस्तिकबार (घमण्ड) भी दो अलग-अलग चीज़ें हैं। इनके दरम्यान जो लकीर हाइल हैं वो मिट जाये तो आम इंसानों के लिये बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं। इंसान का रहना-सहना भले आरामदेह हो लेकिन अम्मारा की नुमूद व नुमाइश का ऐसा ज़रिया न हो जिससे आम लोग मरऊब हों और उनके दिलों में अपनी महरूमी और दूसरों की बेहद्दो-हिसाब और ग़ैर मुन्सिफ़ाना इमारत का अज़ियतनाक एहसास पैदा हो।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल्लिबास वज़्ज़ीनत में इंसानी रहन-सहन, लिबास और सवारी वग़ैरह के हवाले से रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रामीने मुक़द्दसा को बयान किया है। सबसे पहले अम्मारा की बेजा नुमाइश और इन्तिहाई मुसरिफ़ाना ज़िन्दगी के हवाले से सोने-चाँदी के बर्तन वग़ैरह के इस्तेमाल की हुरमत बयान की है। उसके बाद सिर्फ़ औरतों के लिये सोने के ज़ेवरात के जवाज़ का बयान है। मर्दों के लिये इसे क़तई तौर पर हराम क़रार दिया गया है। इसी तरह रेशम का लिबास भी सिर्फ़ औरतों के लिये जाइज़ क़रार दिया गया है, मर्दों के लिये हराम है। अगर ग़ौर किया जाये तो इससे ज़ीनत के हवाले से औरतों को वसीअ तर मैदान मिलता है। इसमें औरतों को एक तरह से बरतरी हासिल है। ये चीज़ें अगर मर्द इस्तेमाल करें तो ये उनकी वजाहत और वक़ार के ख़िलाफ़ है। चूंकि ये चीज़ें औरतों के लिये हलाल हैं इसलिये मर्द इनकी ख़रीदो-फ़रोख़्त कर सकते हैं। मर्दों को इस हवाले से इतनी सहूलत दी गई है कि उनके लिबास में बहुत मामूली मिक़्दार में रेशम मौजूद हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम जिल्दी (चमड़ी की) बीमारी वग़ैरह की सूरत में तिब्बी ज़रूरत के तहत रेशम का लिबास पहनने की इजाज़त है।

मर्दों को इस तरह के शोख़ रंग पहनने की भी इजाज़त नहीं जो सिर्फ़ औरतों ही को अच्छे लगते और निस्वानी जमाल को नुमायाँ करते हैं। अल्बत्ता इस्राफ़ से परहेज़ करते हुए मर्दों के लिये भी धारियों वाले या दूसरे जाइज़ नक़्शो-निगार से मुज़य्यन लिबास की इजाज़त है। लिबास के ज़रिये से किब्र व नुख़ुव्वत का इज़हार और मुतकब्बिराना (घमंडियाना) लिबास पहनना मम्नूअ हैं। ज़मान-ए-क़दीम से कपड़ों को लटकाना, मर्दों के लिये इज़हारे तकब्बुर की एक अलामत है। मुसलमानों को इससे मना किया

गया है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जब आस-पास के बादशाहों और हाकिमों को इस्लाम की दावत देने के लिये ख़त लिखने का इरादा फ़रमाया तो बतौर मुहर इस्तेमाल करने के लिये चाँदी की अंगूठी तैयार करवाई। ज़रूरतन दीगर मुसलमानों को भी इसकी इजाज़त दी गई और ये भी बताया गया कि किस उंगली में पहनना मौज़ूँ हैं। जूते पहनने के हवाले से आप(ﷺ) किन बातों को मल्हूज़ रखते, इसकी वज़ाहत है। किस तरह का लिबास इस्तेमाल करते हुए क्या-क्या एहतियात मल्हूज़ रखनी चाहिये ताकि सतर और हया के तक़ाज़े पामाल न हों, इसकी भी वज़ाहत है। बालों के रंगने के हवाले से इस्लामी आदाब भी इसी किताब में बयान हुए हैं। घर में ख़ास तौर पर कपड़ों पर जानदारों की तस्वीरों की मुमानिअत इस्लाम का शिआर है। इसके साथ ही इमाम मुस्लिम (रह.) ने तस्वीरें बनाने के हवाले से इस्लामी तालीमात को बयान किया है।

उसके बाद सवारियों और दीगर जानवरों के बारे में और रास्ते के हुक़ूक़ के हवाले से रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रामीन बयान किये गये हैं। आख़िर में बालों की क़बीह सूरतों और सजाने और ख़ूबसूरती की ग़र्ज़ से दजल व फ़रेब पर मबनी इक़्दामात का रद्द है। इसका मक़सद ये है कि इंसान एक-दूसरे को सिर्फ़ ज़ाहिरी हुस्न के हवाले से पसंद, नापसंद करने के बजाय पूरी शख़्सियत के ख़ालिस और हक़ीक़ी जमाल को तरजीह दें ताकि कोई भी इंसान, ख़ुसूसन औरत न सिर्फ़ आराइश की चीज़ बनकर अपने आपको पेश करे, न ही कोई औरत ज़ाहिरी जमाल में कमी की बिना पर कम क़द्र क़रार दी जाये। सादगी, हक़ीक़त पसंदी और ज़ाहिरी ख़ूबियों के साथ बातिनी ख़ूबियों को सराहना मुआशरे की मज़बूती का बाइस बनता है। ज़ाहिरी ख़ूबियों के दिलदादा लोगों के नज़दीक चंद बच्चों की पैदाइश के बाद औरत क़ाबिले नफ़रत बन जाती है, जबकि ख़ानदान के लिये उस वक़्त उसकी ख़िदमात और ज़्यादा नागुज़ीर क़ाबिले क़द्र होती हैं, सिर्फ़ ज़ाहिरी जमाल ही को सराहा जाने लगे तो घर उजड़ने और नुमूद व नुमाइश की दुकानें आबाद होने लगती हैं।

كتاب اللباس والزينة

38. लिबास और ज़ीनत की किताब

باب تَحْرِيمِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

बाब 1 : पानी पीने वग़ैरह के लिये सोने और चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल मर्दों और औरतों के लिये हराम है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " .

(5385) नबी(ﷺ) की बीवी उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान चाँदी के बर्तन में पीता है, वो बस अपने पेट में जहन्नम की आग गटागट डालता है।'

(सहीह बुख़ारी : 5634, इब्ने माजह : 3413)

मुफ़रदातुल हदीस़ : युजरजिर : गटागट, मुसलसल आवाज़ के साथ।

फ़ायदा : सोने-चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल खाने-पीने के लिये हो या किसी और सूरत के लिये जैसे सुर्मा दानी या सलाई बनाना, उनमें तेल डालना जुम्हूर के नज़दीक हराम है। क्योंकि इसमें इसराफ़ व तबज़ीर है और इंसान के फ़ख़्र व गुरूर और ख़ुद पसन्दी के जज़्बात उभरते हैं। नादार और मोहताज लोगों की दिल शिक्नी होती है और काफ़िरों के साथ मुशाबिहत पाई जाती है।

(5386) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने उस्तादों की सात सनदों से बयान करते हैं, अली बिन मुस्हिर की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, 'जो शख़्स चाँदी और सोने के बर्तन में खाता या पीता है।' इब्ने मुस्हिर के सिवा किसी की रिवायत में खाने और सोने का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي، شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، ح . وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، السَّرَّاجِ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ، وَزَادَ، فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، " أَنَّ الَّذِي، يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ" . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلاَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ .

(5387) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स सोने या चाँदी के बर्तन में पीता है, वो बस अपने पेट में गटागट जहन्नम की आग भरता है।'

وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ " .

बाब 2 : मर्दों और औरतों के लिये सोने और चाँदी के बर्तन का इस्तेमाल नाजाइज़ है, सोने की अंगूठी और रेशम मर्दों के लिये हराम है और औरतों के लिये जाइज़ है और मर्दों के लिये नक़्शो-निगार वग़ैरह बशर्तेकि चार अंगुल से ज़्यादा न हो, जाइज़ है

باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

(5388) मुआविया बिन सुवेद बिन मुक़र्रिन (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन्हें ये कहते सुना, हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सात चीज़ों का हुक्म दिया और सात चीज़ों से मना फ़रमाया। आपने हमें बीमारपुर्सी, जनाज़े के साथ जाने, छींकने वाले को दुआ देने, क़सम पूरी करने या क़सम देने वाले की बात पूरी करने, मज़लूम की मदद करने, दावत क़ुबूल करने और सलाम को आम करने का हुक्म दिया और हमें अंगूठियों या सोने की अंगूठी पहनने, चाँदी के बर्तन में पीने, रेशमी गद्दों पर बैठने, क़सी, रेशम, इस्तबरक़ और दीबाज पहनने से मना फ़रमाया।

(सहीह बुख़ारी : 1239, 2445, 5175, 5635, 5650, 5838, 5849, 5863, 6222, 6235, 6654, तिर्मिज़ी ; 1760, 2809, नसाई : 4/54, 9/6-7, 8/201, इब्ने माजह : 2115, 3589)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ، بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ . وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इबरारिल क़सम : अपनी क़सम पूरी करना, बशर्तेकि तोड़ना बेहतर न हो। **(2) इबरारिल मुक़्सिम :** क़सम उठाने वाले की क़सम बशर्तेकि उसको पूरा करना मुम्किन हो, पूरी करना, जैसे कोई इंसान क़सम उठाता है कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे मैं आपसे जुदा नहीं हूँगा और आप ये काम कर सकते हैं तो आपको ये काम कर देना चाहिये, ताकि उसकी क़सम न टूटे। **(3) मयासिर :** मय्यसिरह की जमा है, वो गद्दे जो ज़मीन पर रखे जाते हैं, जो उमूमन रेशम और दीबाज से बनाये जाते हैं और काफ़िर लोग इस्तेमाल करते थे। अगर रेशम और दीबाज के हों तो हराम होंगे और अगर अरग़वानी हों तो कुफ़्फ़ार से मुशाबिहत की सूरत में नाजाइज़ होंगे। **(4) क़स्सिय :** क़स्स इलाक़े में रेशम से बनने वाले कपड़े, रेशम की बिना पर मम्नूअ हैं। **(5) इस्तबरक़ :** मोटा रेशम, दीबाज, बारीक रेशम, बहरहाल रेशम की हर क़िस्म हराम है।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلاَّ قَوْلَهُ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ وَإِنْشَادِ الضَّالِّ .

(5389) इमाम साहब एक और उस्ताद से अश्अस़ बिन सुलैम ही की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, मगर इसमें क़सम को पूरा करने या क़सम देने वाले की तस्दीक़ करने का ज़िक्र नहीं है और उसकी जगह गुमशुदा चीज़ के ऐलान का ज़िक्र है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي، شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ .

(5390) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से ज़ुहैर की तरह हदीस़ बयान करते हैं और उसमें बग़ैर शक के क़सम पूरी करने का ज़िक्र करते हैं और हदीस़ में ये इज़ाफ़ा करते हैं, चाँदी के बर्तन में पानी पीने से क्योंकि जो उसमें दुनिया में पीयेगा आख़िरत में नहीं पी सकेगा।

(5391) इमाम साहब यही रिवायत अबू कुरैब से बयान करते हैं लेकिन उसमें जरीर और इब्ने मुस्हिर वाला इज़ाफ़ा नहीं है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، وَلَيْثُ بْنُ، أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ

(5392) और यही रिवायत पाँच और उस्तादों की चार सनदों से बयान करते हैं, मगर उसमें सलाम आम करने की जगह सलाम का जवाब देना बयान किया है और कहा है, आपने हमें सोने की अंगूठी या सोने के छल्ले से मना फ़रमाया और इमाम साहब पाँच और उस्तादों की चार सनदों से बयान करते हैं।

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ، مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ، الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ إِلاَّ قَوْلَهُ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ . فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَرَدِّ السَّلاَمِ . وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ .

(5393) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं और इसमें शक के बग़ैर बयान किया है, सलाम को आम करना और सोने की अंगूठी पहनना।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ .

(5394) अब्दुल्लाह बिन उकैम (रह.) बयान करते हैं कि हम मदाइन में हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के साथ थे तो हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने पानी माँगा तो उनके पास ज़मीनदार चाँदी के बर्तन में पानी लाया तो

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، قَالَ كُنَّا

مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لاَ يَسْقِيَنِي فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

उन्होंने वो बर्तन उसे दे मारा और कहा, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि मैं उसे कह चुका हूँ, मुझे इस बर्तन में पानी न पिलाना। क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है, 'सोने और चाँदी के बर्तन में न पियो और दीबाज व हरीर (रेशम) न पहनो, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिये (काफ़िरों के लिये) दुनिया में है और तुम्हारे लिये क़यामत के दिन आख़िरत में हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 5426, 5632, 5633, 5831, 5837, अबू दाऊद : 3723, तिर्मिज़ी : 1878, इब्ने माजह : 3590, 2414)

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ.فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5395) इमाम साहब यही हदीस़ एक और उस्ताद से बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन उकैम (रह.) कहते हैं, हम मदाइन में हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के पास थे। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है और इसमें क़यामत का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَوَّلاً عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ، عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5396) इमाम साहब अलग-अलग सनदों से इब्ने उकैम से बयान करते हैं कि हम मदाइन में हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के साथ थे और मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की और क़यामत के दिन का ज़िक्र नहीं।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى - قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ .فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ .

(5397) अ़ब्दुर्रहमान यानी इब्ने अबी लैला बयान करते हैं मैं हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के पास मदाइन में था, उन्होंने पानी माँगा तो उनके पास एक इंसान ने चाँदी का बर्तन लाया, आगे इब्ने उ़कैम की रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، . بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ . غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى.

(5398) यही रिवायत इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मुआ़ज़ की हदीस़ और सनद की तरह बयान करते हैं और किसी ने भी हदीस़ में ये बयान नहीं किया, मैं हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के पास था। सिर्फ़ मुआ़ज़ ये बयान करता है, बाक़ियों ने सिर्फ़ ये कहा, हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने पानी माँगा।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا .

(5399) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा उस्ताद की तरह हदीस़ बयान करते हैं।

फ़ायदा : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के दहक़ान (किसान) को बर्तन दे मारने से मालूम होता है कि चाँदी के बर्तन में पीना हराम है और रोकने के बावजूद अगर कोई उसमें पानी पिलायेगा तो उसको सरज़निश

और तौबीख़ (डांट-डपट) की जा सकती है और उसे सज़ा भी दी जा सकती है और अगर इंसान कोई ऐसा काम करे जिस पर दूसरों को ख़ल्जान हो सकता हो तो उसका सबब और दलील या वजह बयान करना चाहिये।

(5400) अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला बयान करते हैं, हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने पानी तलब किया तो एक मजूसी ने उन्हें चाँदी के बर्तन में पेश किया तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'न रेशम पहनो और न दीबाज और न सोने और चाँदी के बर्तन में पियो और न उनकी प्लेटों में खाओ, क्योंकि ये बर्तन दुनिया में उनके लिये (काफ़िरों के लिये) हैं।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا"

मुफ़रदातुल हदीस़ : सिहाफ़ : सहफ़ह् की जमा है प्लेट, रकाबी।

(5401) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मस्जिद के दरवाज़े के पास रेशमी धारीदार जोड़ा देखा तो अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ऐ काश! आप इसको ख़रीद लें और जुम्आ के दिन लोगों के लिये और वफ़द के लिये जब वो आपके पास आये पहन लें। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसको तो बस वो लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है यानी काफ़िर।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास इस क़िस्म के जोड़े आये तो आपने उनमें से एक जोड़ा हज़रत उमर (रज़ि.) को इनायत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

फ़रमाया तो उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ये मुझे इनायत किया है हालांकि आप उतारिद के हुल्ले (जोड़े के बारे में जो कह चुके हैं) आपको मालूम है? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें ये पहनने के लिये नहीं दिया है।' तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने वो मक्का में अपने एक मुश्रिक भाई को दे दिया।

(सहीह बुख़ारी : 2612, अबू दाऊद : 1076, नसाई : 3/96-97)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हुल्लह : जोड़ा, तहबंद और चादर जब एक ही कपड़े के हों। **(2) सियराअ :** रेशमी धारियों वाला, अहले तहक़ीक़ और माहिर अरबीदान हुल्लह सियरा को मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ते हैं, अगरचे इमाम क़ुर्तुबी और इमाम ख़त्ताबी इसको मुरक्कब तौसीफ़ी हुल्लतन सियरा क़रार देते हैं। **(3) ला ख़लाक़ लहू :** उसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी आख़िरत को जिसे ये नसीब होगा, कुफ़्र की वजह से या मुसलमान होने की सूरत में दुनिया में हमेशा पहनने की वजह से।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि जुम्आ के दिन अच्छे और उम्दा कपड़े ज़ेबतन करना चाहिये और वुफ़ूद (आने वाली जमाअतों) के सामने ख़ुशपोशी का इज़हार हो सकता है। नीज़ मुसलमान अपने काफ़िर अज़ीज़ व अक़ारिब को तोहफ़ा-तहाइफ़ दे सकता है और उनसे हुस्ने सुलूक कर सकता है और मर्दों को रेशमी लिबास तोहफ़े में दिया जा सकता है। क्योंकि वो उसे अपनी औरतों को पहना सकते हैं या बेच सकते हैं। काफ़िर अगरचे शवाफ़ेअ के नज़दीक अहकामे शरइय्या के मुकल्लफ़ हैं लेकिन वो इसकी पाबंदी नही करते और अपने आपको आज़ाद तसव्वुर करते हैं और अहनाफ़ के नज़दीक, अहकामे शरइय्या के मुख़ातब नहीं हैं, लेकिन एक मुसलमान ग़लत कामों में उनकी मदद नहीं कर सकता, इसलिये हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये तोहफ़ा ख़ुद पहनने के लिये नहीं दिया था, बल्कि इसलिये दिया था कि वो अपनी औरतों में से किसी को दे दे।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا

(5402) इमाम साहब यही रिवायत अपने चार उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं।

(नसाई : 5310)

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ .

(5403) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने उतारिद तमीमी को देखा, बाज़ार में एक रेशमी धारीदार जोड़ा फ़रोख़्त कर रहा है। वो ऐसा आदमी था जो बादशाहों के पास जाता और उनसे इनाम पाता था। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उतारिद को देखा है, वो बाज़ार में रेशमी धारीदार जोड़ा फ़रोख़्त करना चाहता है। ऐ काश! आप उसे ख़रीद लें और अरबी वुफ़ूद जब आपके पास आयें तो उसे पहन लें और मेरे ख़याल में ये भी कहा, जुम्आ के दिन पहन लें। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे जवाब दिया, 'इसको दुनिया में सिर्फ़ वो लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है।' उसके कुछ अरसा बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास इस क़िस्म के जोड़े लाये गये तो आपने एक जोड़ा उमर (रज़ि.) की तरफ़ भेजा। एक जोड़ा उसामा बिन ज़ैद की तरफ़ भेजा और एक जोड़ा हज़रत अली (रज़ि.) बिन अबी तालिब को दिया और फ़रमाया, 'इसको फाड़कर अपनी औरतों के दुपट्टे बना दो।' और हज़रत उमर (रज़ि.) अपना जोड़ा उठाकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ऐ

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ - وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ - فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ - وَأَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ " شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ " . قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَىَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا " . وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَىَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بِهَا فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ " .

अल्लाह के रसूल! आपने मुझे ये भेज दिया है, हालांकि आप कल उतारिद के जोड़े के बारे में जो फ़रमा चुके हैं, आपको मालूम है। तो आपने फ़रमाया, 'मैंने ये तुझे इसलिये नहीं भेजा है कि उसे पहन लो, लेकिन मैंने तो इसलिये भेजा इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लो।' रहे हज़रत उसामा (रज़ि.) तो वो अपना जोड़ा पहनकर चल पड़े तो उन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऐसी नज़र से देखा कि वो समझ गये कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी हरकत को बुरा महसूस किया है तो अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे किस नज़र से देख रहे हैं, आप ही ने तो मुझे ये भेजा है। आपने फ़रमाया, 'मैंने तेरी तरफ़ इसलिये नहीं भेजा कि तू इसे पहन ले, बल्कि मैंने तो तुझे इसलिये भेजा है कि तू इसे फाड़कर अपनी औरतों के लिये दुपट्टे बना, उनमें तक़सीम कर दे।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) युक़ीमु फ़िस्सूक़ : बाज़ार में बेच रहा है। **(2) ख़ुमुर :** ख़िमार की जमा है दुपट्टा।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ

(5404) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने बाज़ार में एक रेशमी जोड़ा फ़रोख़्त होते पाया तो उसे लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और गुज़ारिश की, ऐ अल्लाह के रसूल! आप इसे ख़रीद लें और ईद के मौक़े पर और वफ़्द के लिये ख़ुशपोशी का इज़हार फ़रमायें तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये तो बस उन लोगों का लिबास है जिनका कोई हिस्सा नहीं

है।' फिर जब तक अल्लाह तआला को मन्ज़ूर था, हज़रत उमर ठहरे। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनकी तरफ़ दीबाज का जुब्बा भेजा। हज़रत उमर (रज़ि.) उसको लेकर बढ़े, यहाँ तक कि उसे लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास पहुँच गये और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! आप कह चुके हैं, 'ये तो बस उन लोगों का लिबास है जिनका कोई हिस्सा नहीं है।' या 'इसे तो बस वो लोग पहनते हैं, जिनका कोई हिस्सा नहीं है।' फिर आपने ये मुझे भेज दिया है तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें जवाब दिया, 'और इसे बेचकर, इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लो।'

(अबू दाऊद : 1077, 4041, नसाई : 3/181)

فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . أَوْ " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ " .

(5405) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत इसी तरह बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5406) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने उतारिद के ख़ानदान के किसी आदमी के पास दीबाज या रेशम की कुबा देखी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) से अर्ज़ किया, ऐ काश! आप इसे ख़रीद लें? तो आपने फ़रमाया, 'इसको सिर्फ़ वो लोग पहनते हैं, जिनका कोई हिस्सा नहीं है।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) को एक धारीदार रेशमी जोड़ा तोहफ़े में मिला तो आपने वो मुझे (उमर) भेज दिया। मैंने कहा, आपने ये मेरी तरफ़ भेज दिया

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ، حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوِ اشْتَرَيْتَهُ . فَقَالَ " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ . قَالَ قُلْتُ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ " إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا" .

है, हालांकि मैं इसके बारे में जो कुछ आपने फ़रमाया था, आपसे सुन चुका हूँ। आपने फ़रमाया, 'मैंने तो तुझे सिर्फ़ इसलिये भेजा है ताकि तुम इससे फ़ायदा उठा लो।'

(सहीह बुख़ारी : 2104)

وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا "

(5407) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने उतारिद के ख़ानदान के एक आदमी पर जैसाकि मज़्कूरा बाला रिवायत है हाँ इसमें ये है, आपने फ़रमाया, मैंने तो तेरी तरफ़ सिर्फ़ इसलिये ये भेजा ताकि इससे फ़ायदा उठा लो और मैंने ये इसलिये नहीं भेजा कि तुम इसे पहन लो।'

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الإِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ . فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ " إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالاً " .

(5408) यहया बिन अबी इस्हाक़ (रह.) बयान करते हैं कि मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने इस्तबरक़ के बारे में पूछा, मैंने कहा, वो दीबाज जो मोटा और खुरदुरा हो? तो उसने कहा, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को ये कहते सुना है, हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक आदमी को इस्तबरक़ का जोड़ा पहने देखा तो वो जोड़ा लेकर नबी(ﷺ) के पास आये, आगे मज़्कूरा बाला रावियों की तरह हदीस़ बयान की। हाँ इसमें ये है, आपने फ़रमाया, 'मैंने तेरी तरफ़ सिर्फ़ इसलिये भेजा ताकि तुम इससे माल व दौलत हासिल कर लो।'

(सहीह बुख़ारी : 6081, नसाई : 8/198)

(5409) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (रज़ि.) के आज़ाद करदा ग़ुलाम अ़ब्दुल्लाह जो उ़तारिद की औलाद के मामू थे, बयान करते हैं, मुझे हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के पास भेजा और कहा, मुझे ख़बर मिली है कि आप तीन चीज़ों को हराम ठहराते हैं, कपड़ों के नक़्शो-निगार, अरग़वानी गद्दे और पूरे रजब के रोज़े? तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने मुझे जवाब दिया, जो तूने रजब के बारे में कहा, तो वो इंसान जो हमेशा रोज़ा रखता है तो वो ये कैसे कह सकता है। रहा जो तूने कपड़े के नक़्शो-निगार के बारे में कहा है तो मैंने उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को ये फ़रमाते सुना, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'रेशम वही पहनता है जिसका कोई हिस्सा नहीं है।' इसलिये मुझे अन्देशा है कि नक़्शो-निगार इसमें दाख़िल न हो। रहे इन्तिहाई सुर्ख़ (अरग़वानी) गद्दे तो ये अ़ब्दुल्लाह का गद्दा है और वो अरग़वानी था तो मैं हज़रत अस्मा (रज़ि.) के पास वापस आया और उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, ये रसूलुल्लाह(ﷺ) का जुब्बा है और उन्होंने मेरे सामने एक अरग़वानी कसरवानी जुब्बा पेश किया जिसका गिरेबान दीबाज का था और उसके दामन दीबाज से सिले हुए थे और उन्होंने बताया, ये हज़रत आइशा (रज़ि.) की वफ़ात तक उनके पास था। जब वो वफ़ात पा गईं तो

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ . فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله

عليه وسلم يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا .

मैंने ले लिया और नबी(ﷺ) उसे पहनते थे और हम उसे सेहतयाबी के लिये धोकर बीमारों को पिलाते थे।

(अबू दाऊद : 4054, तिर्मिज़ी : 2817, इब्ने माजह : 2819, 3594)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्अलमु फ़िस्सौब : कपड़े के नक़्शो-निगार, बेल-बूटे। **(2) उरजुवान :** इन्तिहाई सुर्ख़ रंग, अगर गद्दा सुर्ख़ रेशम का हो तो जाइज़ नहीं है, रेशम के अलावा सुर्ख़ गद्दा जाइज़ है। **(3) कैफ़ बिमन यसूमुल अबद :** ये बात वो कैसे कह सकता है जो मम्नूआ अय्याम (वह सब दिन जिनमें रोज़ा रखना मना है) के अलावा हमेशा रोज़ा रखता है। **(4) ख़िफ़्तु अंय्यकूनल अलमु मिन्हु :** मुझे ये अन्देशा है कि रेशमी नक़्शो-निगार रेशम के हुक्म में न हों। **(5) तयालसतिन :** तैलिसान की जमा है, बादशाहों और सरदारों का मख़्सूस लिबास। **(6) किस्रवानिय्यह :** किसरा ईरान की तरफ़ मन्सूब। **(7) लिब्नह :** गिरेबान का नक़्श। **(8) फ़ुरूजुल जुब्बह :** जुब्बे का दामन। **(9) ख़ुरुजान :** अगला और पिछला चाक़। **अल्मक्फ़ूफ़ :** सिला हुआ, गिरेबान, आस्तीन और दामन पर रेशमी बेल-बूटे, बशर्तेकि चार उंगली से ज़्यादा न हों, जाइज़ हैं।

फ़ायदा : हज़रत अस्मा ने रसूलुल्लाह(ﷺ) का जुब्बा दिखाया ताकि ये मालूम हो सके रेशम के नक़्शो-निगार रेशम के हुक्म में नहीं हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ، أَبِي ذُبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ يَقُولُ أَلاَ لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ " .

(5410) अबू ज़ीबान ख़लीफ़ा बिन कअब (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) को ख़ुत्बे में ये कहते हुए सुना, ख़बरदार अपनी औरतों को रेशमी लिबास न पहनाओ, क्योंकि मैंने उमर बिन ख़त्ताब को ये कहते सुना, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'रेशम न पहनो, क्योंकि जिसने इसे पहना, वो इसे आख़िरत में नहीं पहन सकेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 5828, 5829, 5830, अबू दाऊद : 4042, नसाई : 8/177, इब्ने माजह : 2820, 3593)

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीस के उमूम से ये समझते थे कि रेशम मर्दों और औरतों दोनों के लिये हराम है। कुछ सहाबा और ताबेईन का यही मौक़िफ़ था।

लेकिन हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीस में गुज़र चुका है कि आपने हज़रत अली और उसामा (रज़ि.) को फ़रमाया था कि रेशमी जोड़े के दुपट्टे बनाकर औरतों को दे दें और सुनन और मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिसे इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह क़रार दिया है कि आपने रेशम और सोने को मर्दों के लिये हराम क़रार दिया और औरतों के लिये हलाल ठहराया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي، عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِلاَّ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هَذَا فِي الْكِتَابِ ‏.‏ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ ‏.‏

(5411) अबू उ़स्मान (रह.) बयान करते हैं हम आज़रबायजान में थे कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने हमें ख़त लिखा, ऐ उ़तबा बिन फ़रक़द! सूरते हाल ये है कि तेरे पास जो माल है वो तेरे मेहनत व मशक़्क़त का नतीजा नहीं है, न तेरे बाप की मेहनत की कमाई है और न तेरी माँ की मेहनत का फल है, इसलिये मुसलमानों को उनके घरों में उससे सैर करो जिससे तुम अपने घर में सैर होते हो और अपने आपको ऐशो-इ़शरत, मुश्रिकों के लिबास और शक्ल व सूरत और रेशम के लिबास से बचाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रेशमी लिबास से मना फ़रमाया है, मगर इतनी मिक़्दार से और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमारे सामने अपनी दो उंगलियाँ दरम्यानी उंगली और शहादत की उंगली दोनों मिलाकर बुलंद (ज़ाहिर) कीं। आ़सिम ने कहा, ये ख़त में मौजूद है और ज़ुहैर ने अपनी दोनों उंगलियाँ बुलंद कीं।

(सहीह बुख़ारी : 5828, 5829, 5830, अबू दाऊद : 4042, नसाई : 8/177, इब्ने माजह : 2820, 3593)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ

(5412) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से नबी(ﷺ) से रेशम के बारे में ऐसी ही हदीस़ बयान करते हैं।

غِيَاثٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ

(5413) अबू उसमान (रह.) बयान करते हैं हम हज़रत उतबा बिन फ़रक़द (रज़ि.) के साथ थे तो हमारे पास हज़रत उमर का ख़त पहुँचा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'रेशम वही पहनता है जिसका आख़िरत में उसमें कोई हिस्सा नहीं है, मगर इतनी मिक़्दार।' अबू उसमान ने अपने अंगूठे के साथ मिली हुई दोनों उंगलियों से इशारा किया, मैंने देखा वो दोनों उंगलियाँ तयालिसा के अतराफ़ के बक़द्र हैं , जब मैंने तयालिसा देखा।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَهُوَ عُثْمَانُ - وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَىْءٌ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ هَكَذَا " . وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ . فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : अज़रार : ज़िर की जमा है, बटन, घण्टी। मुराद अतराफ़ व जवानिब हैं।

(5414) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

(5415) अबू उसमान नहदी (रह.) बयान करते हैं हमारे पास हज़रत उमर (रज़ि.) का ख़त आया जबकि हम हज़रत उतबा बिन फ़रक़द (रज़ि.) के साथ आज़रबायजान या शाम में थे, हम्द व सलात के बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रेशम से मना फ़रमाया है। मगर इतना दो उंगलियों के बक़द्र । अबू

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا

بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلاَمَ.

उ़समान कहते हैं, हमने ये समझने में ताख़ीर नहीं की कि उनका मक़सद नक़्शो-निगार है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : **अत्तम :** ताख़ीर या देर करना।

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، -وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ .

(5416) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से यही हदीस़ बयान करते हैं और अबू उ़समान का क़ौल बयान नहीं करते।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ .

(5417) इमाम साहब अपने छः उस्तादों से हज़रत सुवेद बिन ग़फ़लह् (रह.) की रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने जाबिया के मक़ाम पर ख़ुत्बे में फ़रमाया, अल्लाह के नबी(ﷺ) ने रेशम पहनने से मना फ़रमाया है मगर दो या तीन या चार उंगलियों के बक़द्र।

(तिर्मिज़ी : 1721)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ،عَنْ قَتَادَةَ،بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(5418) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि कपड़े में तीन, चार उंगली के बक़द्र रेशमी नक़्शो-निगार या गुल-बूटों की गुंजाइश है। लेकिन आज बदक़िस्मती से नौजवान रेशम पहनने से आ़र महसूस नहीं करते। जबकि हुज़ूर(ﷺ) का सरीह फ़रमान है कि दुनिया में रेशम पहनने वाले को आख़िरत में रेशम की कोई चीज़ नसीब न होगी।

(5419) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दीबाज की क़बा पहनी, जो आपको तोहफ़तन दी गई थी। फिर आपने उसे जल्दी खींच डाला और उसे हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब की तरफ़ भेज दिया। आपसे अ़र्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने इसे फ़ौरन ही उतार डाला है। तो आपने फ़रमाया, 'मुझे जिब्रईल (अ़लै.) ने इससे मना कर दिया है।' तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) रोते हुए आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! एक चीज़ आपने नापसंद फ़रमाई है और वो मुझे अ़ता कर दी है तो मेरे लिये क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया, 'मैंने वो तुम्हें पहनने के लिये नहीं दी, सिर्फ़ इसलिये दी है कि तुम उसे बेच लो।' तो उन्होंने वो दो हज़ार दिरहम में बेच दी।

(नसाई : 8/200)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَبِيبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ ‏"‏ ‏.‏ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ ‏"‏ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ ‏"‏ ‏.‏ فَبَاعَهُ بِأَلْفَىْ دِرْهَمٍ ‏.‏

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि ये उस वक़्त का वाक़िया है जब अभी आपको रेशम पहनने से मना नहीं किया गया था। जब आपने रेशमी क़बा पहन ली तो फ़ौरन जिब्रईल (अ़लै.) ने आकर इससे मना कर दिया और आपने तामीले हुक्म करते हुए उस वक़्त उसे उतार डाला। जिससे मालूम हुआ जिब्रईल (अ़लै.) क़ुरआन के अ़लावा भी अहकाम व हिदायात लेकर आपके पास आते थे। चूंकि रेशम का इस्तेमाल सिर्फ़ मर्दों के लिये मना है इसलिये आपने हज़रत उ़मर (रज़ि.) को इसके

बेचने का हुक्म दिया और इससे ये भी मालूम हुआ अगर किसी के काम के बारे में कोई ख़ल्जान हो तो वो उससे जुड़े हुए आदमी के सामने पेश करके उसे हल करवा लेना चाहिये, ख़्वाह-मख़्वाह दिल में उसके बारे में बदगुमानी पैदा नहीं करनी चाहिये और ये वाक़िया अलग है और 'मुश्रिक' को देने का वाक़िया इससे अलग है।

(5420) हज़रत अ़ली (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) को तोहफ़े में रेशमी धारीदार जोड़ा दिया गया और आपने वो मुझे भेज दिया तो मैंने वो पहन लिया। फिर मैंने आपके चेहरे पर नाराज़गी के आसार देखे और आपने फ़रमाया, 'मैंने तुम्हें ये इसलिये नहीं भेजा कि तुम इसको पहन लो, मैंने तो सिर्फ़ इसलिये ये भेजा था कि तुम इसे फाड़कर औरतों में दुपट्टे बांट दो।'

(अबू दाऊद : 4043, नसाई : 8/197)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ " .

(5421) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं, मुआ़ज़ की रिवायत में है आपने मुझे हुक्म दिया तो मैंने उसे अपनी औरतों में तक़सीम कर दिया और मुहम्मद बिन जअ़फ़र की रिवायत में है, मैंने उसे अपनी औरतों में तक़सीम कर दिया, इसमें हुक्म देने का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمَرَنِي.

मुफ़रदातुल हदीस़ : अतर्तुहा : मैंने उसे तक़सीम कर दिया।

(5422) हज़रत अ़ली (रज़ि.) से रिवायत है दूमा इलाक़े के रईस उकैदिर ने नबी(ﷺ) को रेशम कपड़ा तोहफ़तन भेजा। आपने वो

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ أَبُو

كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ أُكَيْدِرَ، دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ " شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ" . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ " بَيْنَ النِّسْوَةِ " .

हज़रत अली (रज़ि.) को दे दिया और फ़रमाया, 'इसे फ़ातिमा में दुपट्टे बनाकर तक़सीम कर दो।'

फ़ायदा : फ़वातिम से मुराद रसूलुल्लाह(ﷺ) की लख़्ते जिगर फ़ातिमा (रज़ि.) हज़रत अ़ली (रज़ि.) की वालिदा, फ़ातिमा बिन्ते असद और हज़रत हम्ज़ह की बेटी फ़ातिमा है। कुछ ने हज़रत अ़क़ील (रज़ि.) की बीवी फ़ातिमा बिन्ते शैबा को भी दाख़िल किया है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ - فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .

(5423) हज़रत अ़ली (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे धारीदार रेशमी जोड़ा दिया मैं उसे पहन कर निकला तो आपके चेहरे पर नाराज़ी के आसार देखे तो मैंने उसे अपनी औ़रतों में बांट दिया।

(सहीह बुख़ारी : 2614, 5366, 5840)

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتَ بِهَا إِلَىَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا " .

(5424) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत उ़मर (रज़ि.) की तरफ़ सुन्दुस का एक जुब्बा भेजा तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, आपने ये मुझे भेजा है हालांकि आप इसके बारे में जो फ़रमा चुके हैं आपको मालूम है? आपने फ़रमाया, 'मैंने तुझे इसलिये नहीं भेजा कि तुम इसे पहन लो, मैंने तो सिर्फ़ इसलिये भेजा है कि तुम इसकी क़ीमत से फ़ायदा उठा लो।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ "

(5425) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने दुनिया में रेशम पहना, वो इसे आख़िरत में नहीं पहनेगा।'

(इब्ने माजह : 3588)

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ "

(5426) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने दुनिया में रेशम पहना, वो इसे आख़िरत में नहीं पहनेगा।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ".

(5427) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को रेशमी क़बा तोहफ़े में दी गई तो आपने उसे पहन लिया, फिर उसमें नमाज़ पढ़ी। फिर सलाम फेरा तो उसे बड़ी सख़्ती से नापसंद करते हुए खींच डाला। फिर फ़रमाया, 'ये हुदूद के पाबंद मुत्तक़ी लोगों के शायाने शान नहीं।'

(सहीह बुख़ारी : 5801, नसाई : 2/21)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ، الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5428) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

बाब 3 : ख़ारिश वग़ैरह की बिना पर मर्द के लिये रेशम पहनना जाइज़ है

باب إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا

(5429) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ और ज़ुबैर बिन अ़व्वाम (रज़ि.) को एक सफ़र में रेशमी क़मीस पहनने की रुख़सत दी। क्योंकि उन दोनों को ख़ारिश या कोई और तकलीफ़ थी।

(सहीह बुख़ारी : 2919, अबू दाऊद : 4056, नसाई : 8/202, इब्ने माजह : 5392)

मुफ़रदातुल हदीस़ : हिक्कह : ख़ारिश।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ .

(5430) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं और उसने सफ़र का ज़िक्र नहीं किया।

फ़ायदा : जुम्हूर के नज़दीक इस हदीस़ की बिना पर ख़ारिश या किसी और उ़ज़्र की बिना पर ख़ालिस रेशम पहनना जाइज़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर बाना रेशम का हो और ताना ग़ैर रेशमी हो तो फिर जाइज़ है, ख़ालिस रेशम सिर्फ़ इज़्तिरारी हालत में जाइज़ है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَوْ رُخِّصَ - لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .

(5431) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रुख़सत दी या ज़ुबैर बिन अ़व्वाम और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) को रेशम पहनने की इजाज़त उनको ख़ारिश के सबब दी गई।

(सहीह बुख़ारी : 2921, 2922, 5839)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5432) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا

(5433) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ और हज़रत ज़ुबैर बिन अ़व्वाम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जूओं की शिकायत की तो आपने उन्हें एक जंग में रेशमी क़मीस पहनने की इजाज़त दी।

(सहीह बुख़ारी : 2920, तिर्मिज़ी : 1722)

फ़ायदा : जूओं की बिना पर ख़ारिश पैदा हो गई थी, जंग का मौक़ा था इसलिये आपने रेशमी क़मीस की रुख़्सत दे दी।

باب النَّهْىِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

बाब 4 : मर्दों के लिये ज़र्द रंग में रंगे कपड़े पहनना जाइज़ नहीं है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا".

(5434) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे ज़र्द रंग के दो कपड़े पहने हुए देखा तो आपने फ़रमाया, 'ये काफ़िरों के कपड़े हैं, इसलिये इनको मत पहनो।'

(नसाई : 5331)

मुफ़रदातुल हदीस़ : इ़स्फ़ुर : एक सुर्ख़ी माइल ज़र्द रंग की बूटी है, जिससे अ़रब कपड़े रंगते थे।

(5435) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، .

(5436) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) बयान करते हैं नबी(ﷺ) ने मुझे दो (कुम्बे) ज़र्द रंग में रंगे हुए कपड़े पहने देखा तो फ़रमाया, 'क्या तेरी माँ ने तुझे ये कपड़े पहनने का हुक्म दिया है?' मैंने अ़र्ज़ किया, मैं उन्हें धो देता हूँ। आपने फ़रमाया, 'बल्कि इनको जला दो।' (नसाई : 8/203, 204)

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا " . قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا . قَالَ " بَلْ أَحْرِقْهُمَا " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है औरतों के लिये कपड़ों को ज़र्द कुम्बा रंग देना जाइज़ है, इसलिये आपने फ़रमाया, 'तेरी माँ ने इसे पहनने का हुक्म दिया है।' लेकिन मर्दों के लिये जाइज़ नहीं है इसलिये आपने सख़्ती से रोकते हुए उनको जलाने का हुक्म दिया। लेकिन बक़ौल इमाम नववी सहाबा व ताबेईन की अक्सरियत ने इसको जाइज़ क़रार दिया है। जिससे मालूम होता है ज़र्द रंग गहरा और शोख़ हो जिससे औरतों से मुशाबिहत पैदा होती हो तो जाइज़ नहीं है। अगर हल्का पीला रंग हो तो जाइज़ है क्योंकि कुछ रिवायात से ज़र्द रंग का कपड़ा पहनना जाइज़ मालूम होता है। इस सूरत में जाइज़ नहीं जब काफ़िरों से मुशाबिहत पैदा होती हो या जब बाद में रंगा गया हो।

(5437) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रेशमी और कसम्बे रंग में रंगे कपड़े पहनने, सोने की अंगूठी पहनने और रुकूअ़ में क़िरअते क़ुरआन से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ .

(5438) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने मुझे रुकूअ की हालत में क़ुरआन पढ़ने, सोना पहनने और ज़र्द रंग में रंगे कपड़े पहनने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ .

(5439) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) बयान करते हैं मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने, रेशमी लिबास पहनने, रुकूअ और सज्दे में क़ुरआन पढ़ने और ज़र्द रंग में रंगे लिबास पहनने से मना फ़रमाया।

باب فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

बाब 5 : धारीदार कपड़ों का लिबास पहनने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ قُلْنَا لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْحِبَرَةُ .

(5440) जनाब क़तादा (रह.) बयान करते हैं कि हमने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, कौनसा लिबास रसूलुल्लाह(ﷺ) को महबूब था? या रसूलुल्लाह(ﷺ) को पसंद था? उन्होंने कहा, धारीदार या मुनक़्क़श यमनी चादर।

(सहीह बुख़ारी : 5812, अबू दाऊद : 4060)

(5441) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुलह(ﷺ) को सब कपड़ों से यमनी धारीदार मुनक़्क़श चादर पसंद थी।

(सहीह बुख़ारी : 1787, नसाई : 8/203)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةُ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : हिबरह् : बरवज़न। **इनबह् :** धारीदार मुनक़्क़श यमनी चादर जो बक़ौल बाज़ सब्ज़ रंग की होती है जो अहले जन्नत का लिबास है और बक़ौल इब्ने बत्ताल रूई से बनती थीं और अहले यमन के यहाँ सबसे उम्दा और अशरफ़ लिबास था, जिससे साबित होता है आला और उम्दा ख़ूबसूरत लिबास पहनना पसन्दीदा है।

बाब 6 : लिबास में तवाज़ोअ इख़्तियार करना और मोटे-झोटे और थोड़े लिबास और बिस्तर वग़ैरह पर इक्तिफ़ा करना और बालों का बना हुआ ऊनी और मुनक़्क़श लिबास पहनना जाइज़ है

بَاب التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا

(5442) हज़रत अबू बुर्दा (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ गया तो उन्होंने यमन में बनाई जाने वाली एक मोटी तहबंद और एक कम्बल निकाला जिसको मुलब्बदह् कहते हैं और अल्लाह की क़सम खाकर कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) की रूह इन कपड़ों में क़ब्ज़ की गई।

(सहीह बुख़ारी : 3108, 5818, अबू दाऊद : 4036, तिर्मिज़ी : 1733, इब्ने माजह : 3551)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ - قَالَ - فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ

मुफ़रदातुल हदीस़ : मुलब्बदह् : अलग-अलग टुकड़ों को मिलाकर बनाई गई या पेवन्द लगी लोई (ऊनी चादर)।

(5443) अबू बुर्दा (रह.) बयान करते हैं हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हमारे सामने एक तहबंद और एक पेवन्द लगी हुई लोई (ऊनी चादर) निकाली और फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इन कपड़ों में वफ़ात पाई। इब्ने अबी हातिम ने अपनी हदीस़ में कहा, एक मोटी तहबंद।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيظًا.

(5444) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं इसमें भी मोटी तहबंद कहा है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا.

(5445) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों की सनदों से हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि एक सुबह रसूलुल्लाह(ﷺ) स्याह बालों का कम्बल जिस पर पालान की तस्वीर बनी हुई थी, ओढ़कर निकले।

(सहीह मुस्लिम : 6211, अबू दाऊद : 4032, तिर्मिज़ी : 2813)

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मिर्त : कम्बल जो ऊन, बालों या कत्तान या रेशम से बनाया जाता है। **(2) मुरह्हल :** जिस पर पालान की तस्वीर बनी हुई, जानदार की तस्वीर बनाना हराम है। बेजान चीज़ की तस्वीर बनाने में कोई हर्ज नहीं है।

(5446) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) का वो गाव तकिया जिस पर आप टेक लगाते थे चमड़े का था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी।

(तिर्मिज़ी : 2469)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अदम : अदयम की जमा है, रंगा हुआ चमड़ा। (2) लीफ़ : खजूर की छाल।

(5447) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का बिस्तर जिस पर आप सोते थे, सिर्फ़ चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी।

(तिर्मिज़ी : 1761)

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ .

(5448) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं इसमें फ़िराश की जगह ज़िजाअ है जिस पर लेटा जाता है और अबू मुआविया की हदीस़ में इस पर आप सोते थे।

(इब्ने माजह : 4151, अबू दाऊद : 4146)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْهِ .

फ़ायदा : इन हदीसों से साबित होता है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) लिबास और बिस्तर के बारे में किसी तकल्लुफ़ में नहीं पड़ते थे, जो मोटा-झोटा और मामूली लिबास और फ़िराश (बिस्तर) मुयस्सर आता उस पर क़नाअत फ़रमाते।

बाब 7 : क़ालीन या ग़ालीचे रखना जाइज़ है

باب جَوَازِ اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجْتُ " أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا " . قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ " أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ " .

(5449) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं जब मैंने शादी की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे पूछा, 'क्या तुमने क़ालीन रखे हैं?' मैंने अर्ज़ किया, हमारे यहाँ क़ालीन कहाँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ! अब जल्द ही होंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 5161, अबू दाऊद : 4145, नसाई : 8/218)

नुफ़रदातुल हदीस़ : इन्मात : नमत की जमा है, बिस्तर के अबरा यानी दोहरे कपड़े की ऊपर की तह को या बिस्तर पोश को कहते हैं, क़ालीन और ग़ालीचे पर भी इसका इत्लाक़ होता है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में आपने फ़ुतूहात के सबब माल व दौलत के हुसूल और आसाइशों की फ़राहमी की पेशीनगोई फ़रमाई जो हर्फ़-बहर्फ़ पूरी हुई। ख़ुलफ़ाए राशिदीन के दौर में फ़ुतूहात के नतीजे में मुसलमानों को हर क़िस्म की सहूलतें और आसानियाँ मुयस्सर आईं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا " . قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ " أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ " . قَالَ جَابِرٌ وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ فَأَنَا أَقُولُ نَحِّيهِ عَنِّي . وَتَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا سَتَكُونُ" .

(5450) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, जब मैंने शादी की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया, 'क्या तुमने क़ालीन रखे हैं?' मैंने अर्ज़ किया, हमारे पास क़ालीन कहाँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ! ये अन्क़रीब होंगे।' हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, मेरी बीवी के पास एक ग़ालीचा है। मैं कहता हूँ उसे मुझसे दूर कर दो। वो कहती है, रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़रमा चुके हैं, 'ये अन्क़रीब होंगे।' (सहीह बुख़ारी : 3631, तिर्मिज़ी : 2774)

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فَأَدَعُهَا .

(5451) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं इसमें ये इज़ाफ़ा है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, यानी क़ालीन को घर से नहीं निकालता।

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) ज़ेबो-ज़ीनत दुनिया से एहतिराज़ करने के लिये बीवी को ग़ालीचे घर से निकाल देने की बात करते तो वो आगे से कहती, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसके मुयस्सर आने की पेशीनगोई फ़रमाई थी और इस पर इंकार नहीं किया, ऐतिराज़ नहीं फ़रमाया था। इसलिये इसके रखने में कोई हर्ज नहीं है तो इस पर हज़रत जाबिर (रज़ि.) ख़ामोश हो जाते।

باب كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

बाब 8 : ज़रूरत से ज़्यादा बिस्तर और लिबास नापसन्दीदा है

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ" .

(5452) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'एक बिस्तर ख़ाविन्द के लिये और एक बिस्तर उसकी बीवी के लिये और तीसरा मेहमान के लिये और चौथा शैतान के लिये है।'

(अबू दाऊद : 4142, नसाई : 8/218)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है ज़ुरूफ़ और हालात के मुताबिक़ बिस्तर बनाना सही है। लेकिन सिर्फ़ फ़ख़्र व मबाहात और अपनी दौलतमन्दी के इज़हार के लिये बिस्तरों की भरमार करना, हालांकि कभी उनकी ज़रूरत पेश नहीं आ सकती, ये इसराफ़ और तबज़ीर (फ़िज़ूलखर्ची) है जिस पर शैतान ख़ुश होता है और आमादा करता है और बक़ौल कुछ ऐसे बिस्तरों पर शैतान ही रात गुज़ारता है और क़ैलूला करता है। जैसाकि उस इंसान के घर रात गुज़ारता है जो रात को घर दाख़िल होते वक़्त अल्लाह को याद नहीं करता और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है, हालात के पेशे नज़र ख़ाविन्द बीवी अलग-अलग भी सो सकते हैं। हर हालत में इकट्ठे सोना लाज़िम नहीं है, हालात इजाज़त दें तो फिर इकट्ठे सोना अफ़ज़ल है। जैसाकि हुज़ूर(ﷺ) का मामूल था।

बाब 9 : तकब्बुर और घमण्ड के लिये कपड़ा घसीटना हराम है और वो हद जहाँ तक लटकाना जाइज़ है और जहाँ तक पसन्दीदा है

باب تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلاَءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبّ

(5453) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान तकब्बुर और घमण्ड से अपना कपड़ा घसीटता है अल्लाह तआला उस पर नज़रे रहमत नहीं डालता।'

(सहीह बुख़ारी : 5783, 5791, तिर्मिज़ी : 1731)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ، بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : ख़ुयलाअ : ख़ुदपसन्दी, इंसान का अपने आपको कुछ समझना और अपनी किसी मौहूम ख़ूबी पर इतराना।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि टख़्नों से नीचे तहबंद, शलवार, पाजामा, क़मीस वग़ैरह लटकाना जबकि तकब्बुर, घमण्ड और ख़ुदपसन्दी के लिये हो, हराम है। लेकिन अगर बिला तकब्बुर व ग़ुरूर लटकाता है तो वो इस्लामी आदाब के मुनाफ़ी है। इसलिये कुछ रिवायात में इसको बिला क़ैद नापसन्दीदा क़रार दिया गया है। जैसाकि बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि 'तहबंद का जो हिस्सा टख़्नों से नीचे होगा, वो जहन्नम में होगा।' तकब्बुर या ख़ुदपसन्दी एक छिपा अम्र है और चादर लटकाना इसका फ़ित्ना और महल है। इसलिये चादर लटकाना, तकब्बुर और ख़ुदपसन्दी के क़ायम मक़ाम होगा। जैसाकि सफ़र की इल्लत मशक़्क़त है। लेकिन ये एक छिपी चीज़ है। इसलिये सफ़र को बिला क़ैद क़स्र और इफ़्तार का सबब क़रार दिया जाता है। इसलिये अगर कोई जान-बूझकर चादर लटकाता है और कहता है, मैं तकब्बुर के लिये ऐसे नहीं करता, तो उसकी बात क़ाबिले क़ुबूल नहीं होगी, हाँ अगर ग़ैर शऊरी तौर पर इत्तिफ़ाक़न ऐसे हो जाये तो इस पर कोई पकड़ नहीं है। इसलिये नबी(ﷺ) का फ़रमान है, इय्याक व जर्रल इज़ार, फ़इन्ना जर्रल इज़ार मिनल मख़ीलह चादर घसीटने से बचो, क्योंकि चादर घसीटना ख़ुदपसन्दी (घमंड) की बात है।

(5454) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सात सनदों से यही हदीस़ बयान

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا

أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادُوا فِيهِ " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

करते हैं और उन्होंने इसमें 'यौमुल क़ियामह क़यामत के दिन' का इज़ाफ़ा किया है। यानी क़यामत के दिन उसको प्यार व मुहब्बत से नहीं देखेगा।

(इब्ने माजह : 3569, 7835, 7952, तिर्मिज़ी : 1731, सहीह बुख़ारी : 5791, नसाई : 8/206)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5455) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स इतराकर अपने कपड़े घसीटता है क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे मुहब्बत की नज़र से नहीं देखेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 5791)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَجَبَلَةَ بْنِ، سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

(5456) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनदों से यही हदीस़ बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 5791, नसाई : 8/206)

(5457) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने तकब्बुर की बिना पर अपना कपड़ा घसीटा, क़यामत के दिन अल्लाह तआला उस पर नज़र नहीं डालेगा।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(5458) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, आगे मज़्कूरा हदीस़ इस फ़र्क़ के साथ है कि यहाँ स़ौब की स़ियाब जमा का लफ़्ज़ है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ .

(5459) मुस्लिम यन्नाक़ हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के बारे में बयान करते हैं कि उन्होंने एक आदमी को देखा अपनी तहबंद घसीट रहा है तो पूछा, तुम किस ख़ानदान से हो? उसने अपना नसब बयान किया तो वो बनू लैस़ का आदमी निकला और इब्ने उमर (रज़ि.) ने उसे पहचान लिया और कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अपने इन दोनों कानों से ये फ़रमान सुना है, 'जिसने सिर्फ़ ख़ुदपसन्दी (घमंड) की बिना पर अपनी तहबंद घसीटी तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उस पर नज़र नहीं डालेगा।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ، بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَىَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلاَّ الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5460) इमाम साहब तीन उस्तादों की तीन सनदों से मुस्लिम बिन यन्नाक़ ही से ये रिवायत बयान करते हैं सबने मन जर्र इज़ारहू कहा है किसी ने स़ौबहू नहीं कहा।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ - ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو

يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ - كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ " . وَلَمْ يَقُولُوا ثَوْبَهُ .

(5461) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं मुहम्मद बिन अ़ब्बाद बिन जअ़फ़र (रह.) कहते हैं, मैंने नाफ़ेअ़ बिन अ़ब्दुल हारिस़ के मौला मुस्लिम बिन यसार को हुक्म दिया कि वो हज़रत इब्ने इ़मर (रज़ि.) से पूछे जबकि मैं उन दोनों के दरम्यान बैठा हुआ था, क्या आपने नबी(ﷺ) से उस इंसान के बारे में कुछ सुना है, जो इतराकर अपनी तहबंद घसीटता है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने आपको ये फ़रमाते सुना है, 'अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ، مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، - قَالَ - وَأَنَا جَالِسٌ، بَيْنَهُمَا أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5462) हज़रत इब्ने इ़मर (रज़ि.) से रिवायत है मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास से गुज़रा और मेरी तहबंद कुछ लटकी हुई थी तो आपने फ़रमाया, 'ऐ अ़ब्दुल्लाह! ऊपर उठाओ।' मैंने उसे ऊपर किया। आपने फिर फ़रमाया, 'और उठाओ।' तो मैंने और ऊपर

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ "

يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ " . فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ " زِدْ " . فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ .

कर ली, उसके बाद मैं हमेशा इसकी कोशिश करता रहा तो कुछ लोगों ने पूछा, कहाँ तक? तो कहा, आधी पिण्डलियों तक।'

फ़ायदा : मर्दों के लिये बेहतर ये है.... जबकि औरतों के पाँव की पुश्त ढांपी हुई होनी चाहिये कि उनकी तहबंद शलवार, पाजामा वग़ैरह आधी पिण्डलियों तक हो और टख़नों से ऊपर रखना ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ -قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى، رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الأَمِيرُ جَاءَ الأَمِيرُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا " .

(5463) मुहम्मद जो ज़ियाद का बेटा है बयान करता है मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, जबकि उन्होंने एक आदमी को देखा वो अपनी तहबंद घसीट रहा है तो वो ज़मीन पर अपना क़दम मारने लगे और वो बहरैन के अमीर थे और वो कह रहे थे, अमीर आ गया, अमीर (हाकिम) आ गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला उस इंसान पर नज़र नहीं डालता जो इतराने की ख़ातिर अपनी तहबंद घसीटता है।'

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को बहरैन का अमीर मुक़र्रर किया था और उनका मुहासबा भी किया था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ .

(5464) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही हदीस़ बयान करते हैं और इब्ने जअ़फ़र की हदीस़ में है, मरवान अबू हुरैरह (रज़ि.) को अपना जाँनशीन बनाता था और इब्ने मुसन्ना की हदीस़ में है अबू हुरैरह (रज़ि.) को मदीना का हाकिम बनाया जाता था।

باب تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْىِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

बाब 10 : अपने कपड़ों पर घमण्ड करते हुए अकड़कर चलना हराम है

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " .

(5465) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस दौरान कि एक आदमी चल रहा था और अपने कन्धों पर पड़ने वाले बालों और अपने दोनों चादरों पर इतरा रहा था तो उसे ज़मीन में धंसा दिया गया और वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता रहेगा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जुम्मह् : सर से कन्धों पर पड़ने वाले बाल। **(2) यतजल्जलु :** वो मुसलसल हरकत के साथ धंस रहा है।

फ़ायदा : बक़ौल इमाम सुहैली (रह.) ये धंस जाने वाला फ़ारसी ईरानी जंगली हैरन है और एक इन्तिहाई ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक़ क़ारून है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ هَذَا .

(5466) इमाम साहब तीन और उस्तादों से इस हदीस़ के हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 5789)

(5467) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस दौरान कि एक इंसान अपनी दो चादरों में चलते हुए अकड़ रहा था, वो ख़ुदपसन्दी का शिकार था तो अल्लाह तआला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक इसमें धंसता रहेगा।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

(5468) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जबकि एक आदमी अपनी दो चादरों में इतराता हुआ चल रहा था...' आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

(5469) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'तुमसे पहले लोगों में से एक आदमी जोड़े में इतराता हुआ चल रहा था...' आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ " . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ .

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है अपने कपड़ों पर अपनी डील-डोल पर इतराते हुए चलना, अल्लाह तआला के यहाँ इन्तिहाई नापसन्दीदा हरकत है, जो इंसान के लिये ज़मीन में धंसने का बाइस़ भी बन सकती है, इसलिये ये चाल चलकर अल्लाह तआला के ग़ुस्से को दावत नहीं देना चाहिये।

बाब 11 : मर्दों के लिये सोने की अंगूठी पहनना हराम है और शुरूआती इस्लाम की एबाहत या जवाज़ मन्सूख़ है

بَاب تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ

(5470) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया।

(सहीह बुख़ारी : 5864, नसाई : 8/192, 5289)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

फ़ायदा : मर्दों के लिये सोने की अंगूठी पहनना बिल्इत्तिफ़ाक़ हराम है, अगर किसी सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी है तो उन्हें इस मनाही का इल्म नहीं हो सका होगा और शुरू इस्लाम की एबाहत पर क़ायम रहा होगा और हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से सोने की अंगूठी पहनने की रिवायत मन्क़ूल है। अगर इसको सहीह माना जाये... चूंकि उनसे मना करने की रिवायत मुस्लिम में गुज़र चुकी है तो वो मनाही को तन्ज़ीही समझते होंगे या चूंकि उन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पहनाई थी, इसलिये वो अपने लिये ख़ुसूसी इजाज़त के क़ाइल होंगे। (फ़तहुल बारी दारुल मअ़रिफ़ह् जिल्द 10, पेज नं.317)

और औ़रतों के लिये जाइज़ है, क्योंकि आपने ख़ुद हज़रत उमामा बिन्ते अबी आ़स को पहनाई थी, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 पेज नं. 278

और इस पर बक़ौल इमाम नववी मुसलमानों का इज्माअ़ है कि औ़रतों के लिये सोने की अंगूठी जाइज़ है और मर्दों के लिये सोने की अंगूठी हराम है और इब्ने हज़म का मर्दों के लिये सोने की अंगूठी को जाइज़ क़रार देना या कुछ का मक्रूह कहना ख़िलाफ़े इज्माअ़ है, इब्ने हज़म से मुराद अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन हज़म है और इसको इब्ने हज़म ज़ाहिरी क़रार देना, इन्तिहाई दीदा दिलेरी है।

(5471) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ " . فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5472) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो उसे उतारकर फेंक दिया और फ़रमाया, 'तुममें से कोई आग के अंगारे का रुख़ करता है, फिर उसे अपनी उंगली में डाल लेता है।' जब रसूलुल्लाह(ﷺ) चले गये तो उस आदमी से कहा गया, अपनी अंगूठी उठा लो और इसको बेच कर फ़ायदा उठा लो। उसने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! जब रसूलुल्लाह(ﷺ) इसको फेंक चुके हैं मैं इसको कभी नहीं लूँगा।

फ़ायदा : इस हदीस से सहाबा किराम का जज़्ब-ए-इम्तिसाल फ़रमाबंरदारी साबित होता है और अगरचे आपका मक़सद मुबाल्ग़े के साथ इसको पहनने से रोकना था, इससे फ़ायदा उठाने से रोकना नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) की फेंकी हुई चीज़ से उसने फ़ायदा उठाना भी गवारा न किया और यही चीज़ उनकी कामयाबी और कामरानी का राज़ है, जिससे आज हम महरूम हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى

(5473) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई। जब उसको पहनते तो उसका नगीना हथेली के अंदर की तरफ़ कर लेते। सो लोगों ने भी ऐसी अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और उसे उतार दिया और फ़रमाया, 'मैं इस अंगूठी को पहनता था और इसका नगीना अंदर

الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ " إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ " . فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى .

की तरफ़ कर लेता था।' फिर आपने उसे फेंक दिया फिर फ़रमाया, 'अल्लाह की क़सम! मैं इसको कभी नहीं पहनूँगा।' तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दीं।

(सहीह बुख़ारी : 6651, नसाई : 8/195)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ، بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى .

(5474) इमाम साहब यही हदीस़ सोने की अंगूठी के बारे में चार उस्तादों की चार सनदों से बयान करते हैं, उक़्बा बिन ख़ालिद की हदीस़ में ये इज़ाफ़ा है कि आपने उसे दायें हाथ में पहना था।

(नसाई : 5308, सहीह बुख़ारी : 5865)

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ . نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

(5475) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की चार सनदों से सोने की अंगूठी के बारे में हदीस़ नम्बर 53 की तरह हदीस़ बयान करते हैं।

(तिर्मिज़ी : 1741)

बाब 12 : नबी(ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी पहनी जिसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह नक़्श था और आपके बाद यही अंगूठी ख़ुलफ़ा ने पहनी

بَاب لُبْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرٍ . وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ .

(5476) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चाँदी की एक अंगूठी बनवाई और वो आपके हाथ में रही। फिर अबू बक्र (रज़ि.) के हाथ में रही। फिर उमर (रज़ि.) के हाथ में रही। फिर उसमान (रज़ि.) के हाथ में रही। यहाँ तक कि उनसे अरीस कुँवे में गिर गई। उस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह नक़्श था। इब्ने नुमैर की रिवायत में है यहाँ तक कि वो कुँऐं में गिर गई, मिन्हु उनसे का लफ़्ज़ नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 5873)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि चाँदी की अंगूठी मुहर लगाने के लिये बनवाना दुरुस्त है और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर सिर्फ़ ज़ीनत व ज़ेबाइश के लिये पहनना ख़िलाफ़े औला है और जुम्हूर उलमा मर्दों और औरतों दोनों के लिये चाँदी की अंगूठी जाइज़ क़रार देते और कुछ के नज़दीक हाकिम के लिये जाइज़ है। क्योंकि उसे मुहर लगाने की ज़रूरत होती है, दूसरों के लिये नापसन्दीदा है और रसूलुल्लाह(ﷺ) की अंगूठी जब तक हज़रत उसमान (रज़ि.) के पास रही उनके ख़िलाफ़ फ़ित्ना व फ़साद बर्पा नहीं हुआ, जब अपने गुलाम हज़रत मुऐक़ीब को पकड़ाते या उनसे लेते वक़्त अरीस नामी कुँऐं में गिर गई जो मस्जिदे क़ुबा के क़रीब एक बाग़ में था और अब एक बड़ी सड़क की ज़द में आकर ख़त्म हो चुका है तो उनके ख़िलाफ़ शोरिश बर्पा हो गई, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गये।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، -

(5477) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सोने की एक अंगूठी पहनी, फिर उसे फेंक दिया, फिर चाँदी

وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . وَقَالَ " لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا " . وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ .

की एक अंगूठी बनवाई और उसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह नक़्श करवाया और फ़रमाया, 'मेरी इस अंगूठी के नक़्श पर कोई नक़्श न बनवाये।' और जब आप उसे पहनते तो उसका नगीना अपनी हथेली के अंदर की तरफ़ कर लेते और यही अंगूठी हज़रत मुऐक़ीब से अरीस नामी कुँऐं में गिर गई।

(अबू दाऊद : 4219, तिर्मिज़ी : 95, नसाई : 8/178, 8/196, इब्ने माजह : 3639)

फ़ायदा : ये अंगूठी उस वक़्त गिरी जबकि हज़रत उ़समान का दौरे ख़िलाफ़त था और उनके क़ब्ज़े में थी इसलिये कुछ रिवायात में गिरने की निस्बत उनकी तरफ़ की गई है। क्योंकि उनके बाद किसी ख़लीफ़ा को उनकी तरफ़ से मुन्तक़िल नहीं हो सकी या उसकी वजह वो है जो हम मज़्कूरा बाला फ़ायदे में बयान कर चुके हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّوسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . وَقَالَ لِلنَّاسِ " إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ "

(5478) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने चाँदी की एक अंगूठी बनवाई और उसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह कन्दा करवाया और लोगों से फ़रमाया, 'मैंने चाँदी की एक अंगूठी बनवाई है और मैंने उसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह कन्दा करवाया है तो कोई और आदमी ये अल्फ़ाज़ नक़्श न करवाये।'

(सहीह बुख़ारी : 5877)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि अपने नाम का नक़्श अंगूठी में कन्दा करवाना दुरुस्त है।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

(5479) इमाम साहब यही हदीस़ अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं और हदीस़ में मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़िक्र नहीं है।

(नसाई : 8/193, इब्ने माजह : 3640)

باب فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

बाब 13 : नबी(ﷺ) ने उस वक़्त अंगूठी बनवाई जब अ़जमियों को ख़ुतूत लिखना चाहा

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ - قَالَ - قَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا . قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

(5480) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (शाहे) रोम की तरफ़ ख़त लिखना चाहा, सहाबा ने अ़र्ज़ किया, वो लोग बिला मुहर ख़त नहीं पढ़ते। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चाँदी की एक मुहर बनवाई, गोया कि मैं अब भी रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ में उसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ, उसका नक़्श मुहम्मद रसूलुल्लाह है।

(सहीह बुख़ारी : 2938, 5875, 7162, नसाई : 8/174, 8/192)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ

(5481) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने अ़जमियों की तरफ़ ख़त लिखने का इरादा किया था, तो आपसे कहा गया,

نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ . فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ . قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ .

अजमी वही ख़त क़ुबूल करते हैं जिस पर मुहर हो। तो आपने चाँदी की एक अंगूठी बनवाई, गोया कि मैं अब भी उसकी सफ़ेदी आपके हाथ में देख रहा हूँ।

(तिर्मिज़ी : 2718)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ . فَقِيلَ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتِمٍ . فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَّةً وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

(5482) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने किसरा, क़ैसर और नजाशी की तरफ़ ख़त लिखने का इरादा फ़रमाया तो कहा गया, वो सिर्फ़ मुहर वाला ख़त क़ुबूल करते हैं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चाँदी की गोल अंगूठी बनवाई और उसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह नक़्श करवाया।

फ़ायदा : आपने अलग-अलग बादशाहों को सुलहे हुदैबिया के बाद ख़ुतूत लिखवाये, इस तरह अंगूठी 6 हिजरी के आख़िर में बनवाई गई, क्योंकि ख़ुतूत मुहर्रम 7 हिजरी में रवाना किये गये।

باب فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

बाब 14 : अंगूठियों का फेंकना

حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا - قَالَ - فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ

(5483) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ में एक ही दिन चाँदी की एक अंगूठी देखी तो लोगों ने भी चाँदी की अंगूठियाँ बनवाकर पहन लीं। इस पर नबी(ﷺ) ने अपनी अंगूठी फेंक दी। तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दीं।

(सहीह बुख़ारी : 5868, अबू दाऊद : 4221)

(5484) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ में एक ही दिन चाँदी की अंगूठी देखी। फिर लोगों ने भी जल्दी करते हुए चाँदी की अंगूठियाँ बनवाकर पहन लीं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी अंगूठी फेंक दी, फिर लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दीं।

(सहीह बुख़ारी : 5868)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ .

(5485) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही हदीस़ नक़ल करते हैं।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

फ़ायदा : हज़रत अनस (रज़ि.) के अक्स़र शागिर्द सोने की अंगूठी फेंकने का ज़िक्र करते हैं, लेकिन इमाम ज़ुहरी ने चाँदी की अंगूठी फेंकने का तज़्किरा किया है। इसलिये अक्स़र उ़लमा के नज़दीक ये रावी यानी इमाम ज़ुहरी का वहम है कि उन्होंने सोने की जगह चाँदी कह दिया और कुछ हज़रात ने इसकी तावील की है कि लोगों ने भी आपके अन्दाज़ में अंगूठियाँ बनवा लीं, जिससे इम्तियाज़ (फ़र्क़) ख़त्म हो गया और असल मक़सद फ़ौत हो गया, तो आपने अंगूठी फेंक दी और फिर दोबारा अंगूठी बनवाई जिसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह था और लोगों को उस नक़्श से मना कर दिया, ताकि ख़ुतूत पर मुहर लगाने का मक़सद हासिल हो सके।

बाब 15 : हब्शी नगीने वाली चाँदी की अंगूठी बनवाना

باب فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

(5486) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) की अंगूठी चाँदी की थी और उसका नगीना हब्शी था।

(सहीह बुख़ारी : 5868, अबू दाऊद : 4216, तिर्मिज़ी : 1739, नसाई : 8/173, 8/192, इब्ने माजह : 3641, 3646)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا .

फ़ायदा : नगीना हब्शी था का मफ़्हूम कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि इसका नगीना हब्शा से आने वाले पत्थर का था और बक़ौल कुछ स्याह रंग था। लेकिन कुछ अहादीस में आया है, इसका नगीना चाँदी का था, इसलिये सहीह मानी ये है कि उसका उस्लूब व अन्दाज़ हब्शी तर्ज़ पर था।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، -وَهُوَ الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .

(5487) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी अपने दायें हाथ में पहनी, जिसमें हब्शी नगीना था और आप उसके नगीने को हथेली की तरफ़ करते थे।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ، بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى .

(5488) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

باب فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ .

बाब 16 : अंगूठी हाथ की छंगली में पहनी जायेगी

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ . وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى .

(5489) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) की अंगूठी इसमें थी और अपने बायें हाथ की छंगली की तरफ़ इशारा किया।

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) से अंगूठी दायें और बायें दोनों हाथों में पहनना साबित है, इसलिये दोनों हाथों में से किसी में भी पहनी जा सकती है और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ज़ेबो-ज़ीनत के लिये हो तो दायें में

पहनना बेहतर है और अगर ज़रूरत के लिये हो तो बायें में पहनना अफ़ज़ल है और अंगूठी छंगली में इसलिये पहनी जाती है कि वो एक तरफ़ और काम-काज करते वक़्त अलग-अलग चीज़ों के साथ टकराने से बची रहती है, क्योंकि ये काम-काज में कम ही इस्तेमाल होती है, इसलिये आपने दरम्यान उंगली और शहादत की उंगली में अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया, क्योंकि काम-काज का वज़न इन पर ज़्यादा होता है।

باب النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ، فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

बाब 17 : दरम्यानी उंगली और उसके साथ वाली (शहादत वाली उंगली) में अंगूठी पहनना मम्नूअ (मना) है

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا -لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَىِّ الثِّنْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ . قَالَ فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَىْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ .

(5490) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे आपने यानी नबी(ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया कि मैं अंगूठी इसमें या इसके साथ वाली में डालूँ। आसिम को मालूम नहीं, वो कौनसी उंगलियाँ हैं और आपने मुझे क़सी पहनने से और रेशमी ज़ीन पोशों पर बैठने से मना फ़रमाया और बताया क़सी से मुराद वो चार ख़ानेदार कपड़े हैं, जो मिस्र और शाम से आते थे, उनमें इस क़िस्म की तस्वीर होती, रहे मयासिर तो ये एक चीज़ है जो औरतें अपने ख़ाविन्दों के पालान पर डालती थीं, जिस तरह उर्जुवानी चादरें होती हैं।

(सहीह बुख़ारी : 5838, अबू दाऊद : 4225, तिर्मिज़ी : 1786, नसाई : 8/219, 8/177, 5301, 5302, इब्ने माजह : 3648)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي، مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، . فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

(5491) इमाम साहब एक और उस्ताद से ये हदीस बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(5492) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं, आपने यानी नबी(ﷺ) ने मना फ़रमाया, या मुझे रोका, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ . قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا .

(5493) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे, मेरी इस उंगली या इस उंगली में अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया और दरम्यानी उंगली और उसके साथ वाली (शहादत की उंगली) की तरफ़ इशारा किया।

بَاب اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

बाब 18 : जूता और इस जैसी चीज़ पहनना पसन्दीदा है

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا " اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ " .

(5494) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक ग़ज़्वे में जो हमने किया था, रसूलुल्लाह(ﷺ) से ये फ़रमाते सुना, 'जूते ख़ूब इस्तेमाल करो, बकसरत पहनो, क्योंकि इंसान जब तक जूता पहनेगा, सवार होता है।'

फ़ायदा : जो शख़्स जूता पहनता है वो मशक़्क़त और थकान के कम होने और पाँव के महफ़ूज़ होने में सवार के मुशाबेह है, क्योंकि उसके पाँव रास्ते में कांटे, पत्थर वग़ैरह तकलीफ़देह चीज़ों से महफ़ूज़ रहते हैं।

बाब 19 : जूता पहनते हुए दायें पाँव में पहना जायेगा और पहले बायें पाँव से उतारा जायेगा और एक जूता पहनकर चलना मकरूह है

بَاب اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمْنَى أَوَّلاً وَالْخَلْعِ مِنْ الْيُسْرَى أَوَّلاً وَكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا " .

(5495) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई जूती पहने तो दायें पैर से शुरू करे और जब उतारे तो बायें से शुरू करे और दोनों जूते इकट्ठे पहने या दोनों जूते उतार दे।'

फ़ायदा : जूता पहनना इज़्ज़त व शर्फ़ का बाइस है, क्योंकि पाँव के लिये आरामदेह हिफ़ाज़त का बाइस है, चूंकि आप हर शर्फ़ व इज़्ज़त वाला काम दायें तरफ़ से शुरू करते थे, इसलिये आपने जूतों के लिये भी यही हुक्म दिया और उतारना इज़्ज़त व शर्फ़ नहीं, इसलिये बायाँ पहले उतारा जायेगा। चूंकि जूता पहनना इज़्ज़त व शर्फ़ और पाँव की हिफ़ाज़त व ज़ीनत का बाइस है, इसलिये दोनों जूते पहने जायेंगे या दोनों उतारे जायेंगे। ताकि दोनों पैरों में मसावात और बराबरी क़ायम रहे, अगर एक जूता पहनेगा तो दूसरा पाँव ग़ैर महफ़ूज़ और ज़ीनत से महरूम होगा और उसकी हिफ़ाज़त के लिये ख़ुसूसी एहतिमाम करना पड़ेगा। नीज़ इंसान की चाल-ढाल में भी तवाज़ुन क़ायम नहीं रहेगा और इंसान को लोग अजीब नज़रों से देखेंगे। क्योंकि वो बेढंगी चाल चलेगा और ऊँच-नीच की बिना पर गिरने का भी ख़तरा है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا" .

(5496) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई जूता पहन कर न चले, दोनों को पहन ले या दोनों को उतार ले।'

(सहीह बुख़ारी : 5856, अबू दाऊद : 4136, तिर्मिज़ी : 1774)

(5497) हज़रत अबू रज़ीन (रह.) बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हमारी तरफ़ आये, फिर अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा, ख़बरदार! तुम आपस में बातें करते हो कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के बारे में झूठ बोलता हूँ, ताकि तुम राहयाब हो जाओ और मैं राहे रास्त से भटक जाऊँ। सुनो! मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 'जब तुममें से किसी का तस्मा टूट जाये तो वो दूसरे जूते में, उसको ठीक कराने तक न चले।'

(नसाई : 8/218)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ أَلاَ إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ أَلاَ وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا " .

(5498) इमाम साहब एक और उस्ताद से इसके हम मानी रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى .

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से तमाम सहाबा किराम से ज़्यादा रिवायात मन्क़ूल हैं, इसलिये कुछ लोग इस पर हैरत का इज़हार करते थे कि दूसरे सहाबा किराम के मुक़ाबले में उनकी रिवायात क्यों इतनी ज़्यादा हैं और ये इस कसरत से रिवायात क्यों बयान करते हैं। एक जूता पहनकर चलने में भी हज़रत आइशा (रज़ि.), हज़रत अली, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) उनके मुख़ालिफ़ थे। इसलिये उन्होंने फ़रमाया, तुम ये समझते हो, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते नहीं सुना है। बाक़ी रहा कुछ सहाबा किराम का एक जूता पहनकर चलना तो उन्हें या तो ये हदीस पहुँची न थी या वो इसको आदाब व अख़्लाक़ की चीज़ समझते थे, फ़िक़्ही और क़ानूनी तौर पर मम्नूअ नहीं समझते थे। यानी नह्ये तन्ज़ीही क़रार देते थे और थोड़ी दूर तक जहाँ कोई ख़तरा न हो एक जूते में चल लेते थे।

बाब 20 : एक ही कपड़ा सारे बदन पर ओढ़ना और एक ही कपड़े में गोठ मारना

باب النَّهْىِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ .

(5499) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि आदमी अपने बायें हाथ से खाये या एक जूती पहनकर चले या गूंगी बकल मारे और एक कपड़े में इस तरह गोठ मारने से कि उसकी शर्मगाह खुली हो।

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अस्सम्माअ : अहले लुग़त के नज़दीक इसका मानी गूंगी बकल है, जिसमें हाथ बंध जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने की गुंजाइश नहीं रहती, इस तरह इंसान ज़रूरत के वक़्त अपना तहफ़्फ़ुज़ या दिफ़ाअ नहीं कर सकता और फ़ुक़्हा के नज़दीक इसका मानी ये है कि इंसान अपना जिस्म एक कपड़े से ढांप ले, फिर उसको आगे से या पीछे से उठाकर सर पर रख ले या चादर को एक तरफ़ से उठाकर कन्धे पर रख ले जिससे शर्मगाह खुल जाये तो ये शर्मगाह के खुलने की बिना पर मम्नूअ (मना) है। **(2) यहतबि-य :** इंसान अपनी सुरीन के बल बैठकर अपनी पिण्डलियाँ खड़ी कर ले और उन्हें एक कपड़े से घेर ले। यानी घुटनों के गिर्द कपड़े या हाथों का हल्क़ा बांध लें, इससे अगर शर्मगाह खुल जाये तो नाजाइज़ है, अगर शर्मगाह नंगी न हो जबकि इंसान शलवार, क़मीस पहनकर ऐसा करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

(5500) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना, 'जब तुममें से किसी का तस्मा टूट जाये या जिसकी जूती का तस्मा टूट जाये तो वो एक जूता पहनकर न चले, यहाँ तक कि अपना तस्मा दुरुस्त करवाये (और दूसरी जूती पहन ले) और एक मोज़े में न चले

صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ "

और बायें हाथ से न खाये और एक कपड़े में गोठ न मारे और गूंगी बकल न मारे।'

(अबू दाऊद : 4137)

फ़ायदा : ला यहतबी बिस्सौबिल वाहिद ला यजतबी जुम्ला ख़बरिया है, यानी वो एक कपड़े में गोठ नहीं मारता है, लेकिन जुम्ला इन्शाइया के मानी में है कि वो ऐसा न करे।

باب فِي مَنْعِ الاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى

बाब 21 : चित लेटकर एक टांग दूसरी टांग पर रखना मना है

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

(5501) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने गूंगी बकल, एक कपड़े में गोठ मारने और पुश्त के बल लेटकर एक टांग दूसरी टांग पर रखने से मना फ़रमाया।

(अबू दाऊद : 4865, तिर्मिज़ी : 2667, नसाई : 8/210)

फ़ायदा : चित लेटकर, टांग खड़ी करके, दूसरे पाँव घुटने पर रखना मना है। क्योंकि इससे शर्मगाह खुलने का एहतिमाल है और हेयत कज़ाई भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर पाँव फैलाकर, एक पाँव दूसरे पर रख लिया जाये तो इसमें शर्मगाह खुलने का एहतिमाल या ख़तरा नहीं है और ये जाइज़ है और आप इस तरह लेट जाते थे। अबू बक्र, उसमान (रज़ि.) भी ऐसे लेट जाते थे।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ، حَاتِمٍ حَدَّثَنَا

(5502) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक जूता पहन कर न चलो, न एक

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ، اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلاَ تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ" .

तहबंद में गोठ मारो, न बायें हाथ से खाओ, न गूंगी बकल मारो और न चित लेट कर एक टांग दूसरी टांग पर रखो।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الأَخْنَسِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى " .

(5503) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई चित न लेटे कि फिर एक टांग दूसरी टांग पर रख ले।'

باب فِي إِبَاحَةِ الاِسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى .

बाब 22 : चित लेट कर एक पाँव, दूसरे पाँव पर रखना जाइज़ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .

(5504) हज़रत अ़ब्बाद बिन तमीम अपने चाचा (अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम माज़िनी) से बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मस्जिद में चित लेटे देखा, एक पाँव दूसरे पाँव पर रखा हुआ था।

(सहीह बुख़ारी : 5969, 6287, अबू दाऊद : 4866, तिर्मिज़ी : 2765, नसाई : 2/50)

फ़ायदा : इस सूरत की वज़ाहत हम पिछले बाब में कर चुके हैं यानी पाँव पर पाँव रखना जाइज़ है घुटना खड़ा करके उस पर पाँव रखना दुरुस्त नहीं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5505) इमाम साहब अपने बहुत सारे उस्तादों की तीन सनदों से ज़ुहरी ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं।

بَاب نَهْيِ الرَّجُلِ عَنْ التَّزَعْفُرِ

बाब 23 : मर्द के लिये ज़ाफ़रान में रंगे कपड़े पहनना मम्नूअ (मना) है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ، بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ . قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ .

(5506) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने (यानी जिस्म और कपड़ों पर) से मना फ़रमाया। हम्माद कहते हैं, ज़ाफ़रान लगाना मर्दों के लिये मना है।

(अबू दाऊद : 4179, तिर्मिज़ी : 2815, नसाई : 5/142)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

(5507) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया है।

(अबू दाऊद : 4179, तिर्मिज़ी : 2815, नसाई : 5/141, 142, 5271)

फ़ायदा : ज़ाफ़रान लगाने से आपने क्यों मना फ़रमाया है, इसमें इख़्तिलाफ़ है। कुछ लोगों के नज़दीक रंग और ख़ुश्बू होने की बिना पर मना फ़रमाया है, क्योंकि रंगदार ख़ुश्बू औरतों के लिये है, इसलिये अगर इससे ख़ुश्बू ज़ाइल (ख़त्म) कर दी जाये तो इसका लगाना या कपड़ा रंगना मर्दों के लिये भी जाइज़ है। कुछ ने पीला रंग होने की बिना पर मना किया है। इमाम शाफ़ेई और अहनाफ़ के नज़दीक ज़ाफ़रान से कपड़े रंगना जाइज़ नहीं है लेकिन इमाम मालिक और कुछ दूसरे उलमा के नज़दीक ये मुमानिअत मुहरिम (एहराम बांधने वाले) के साथ ख़ास है। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की बुख़ारी शरीफ़ में रिवायत है कि मैं ज़र्द रंग में कपड़े इसलिये रंगता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ज़र्द रंग में रंगे हुए कपड़े पहने देखा है। मुस्लिम शरीफ़ में भी ये रिवायत बाबुल हज में गुज़र चुकी है और ज़ाफ़रान का रंग भी ज़र्द है, लेकिन अगर ख़ुश्बू मुमानिअत का सबब हो तो फिर ये हदीस ज़ाफ़रान के जवाज़ की दलील नहीं बन सकती।

बाब 24 : सफ़ेद बालों को ज़र्द या सुर्ख़ रंग से रंगना पसन्दीदा है और स्याह ख़िज़ाब मम्नूअ (मना) है

بَاب اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ

(5508) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, अबू क़ुहाफ़ा को लाया गया या वो फ़तहे मक्का के साल या फ़तह के दिन आया और उसका सर और उसकी दाढ़ी सग़ामा बूटी के सफ़ेद फूलों की तरह थी तो आपने हुक्म दिया या उनकी औरतों को ये हुक्म दिया गया, आपने फ़रमाया, 'इसकी सफ़ेदी को किसी चीज़ से बदल दो।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوِ الثَّغَامَةِ فَأَمَرَ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ " غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ " .

(5509) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हज़रत अबू क़ुहाफ़ा (रज़ि.) को फ़तहे मक्का के दिन लाया गया, उसका सर और उसकी दाढ़ी सग़ामा की तरह सफ़ेद थे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस सफ़ेदी को किसी रंग से बदल दो और स्याह रंग से बचना।'

(अबू दाऊद : 4204, नसाई : 78/138)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ".

फ़ायदा : हज़रत अबू क़ुहाफ़ा उ़समान बिन आ़मिर तैमी (रज़ि.) अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के वालिदे गिरामी हैं। जो फ़तहे मक्का के मौक़े पर मुसलमान हुए और स़ग़ामा एक बूटी है जिसके फूल इन्तिहाई सफ़ेद होते हैं। इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि अगर बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गये हों तो उनको रंगना बेहतर है और जिन हदीस़ों में मुमानिअ़त आई है वो इस सूरत में है, जब बाल मुकम्मल तौर पर सफ़ेद न हों या उनको स्याह रंग किया जाये। क्योंकि स्याह रंग से रंगना आपने सराहतन मना फ़रमाया है और कुछ सहाबा व ताबेईन से जो स्याह रंग का इस्तेमाल मन्क़ूल है वो मेहन्दी के साथ मिलाकर है या जंग की हालत में है और असल चीज़ सुन्नत है, इसके मुक़ाबले में किसी का अ़मल हुज्जत नहीं है।

बाब 25 : यहूद की मुख़ालिफ़त में बाल रंगना

باب فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ

(5510) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'यहूदी और ईसाई बाल नहीं रंगते तो तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो।'

(सहीह बुख़ारी : 5899, अबू दाऊद : 4203, नसाई : 8/137, 8/185, इब्ने माजह : 3621)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, रोज़मर्रा की आ़दात, लिबास और वज़अ़ में काफ़िरों की तक़लीद नहीं करनी चाहिये, बल्कि उनकी मुख़ालिफ़त करनी चाहिये और ये उस वक़्त है जब वो उनका शिआ़र, निशान या अ़लामत हो, अगर शिआ़र और अ़लामत न रहे तो फिर मुख़ालिफ़ भी न रहेगी और बक़ौल इमाम नववी, क़ाज़ी अयाज़ ने इस सिलसिले में सहाबा किराम के दो मौक़िफ़ नक़ल किये हैं, एक गिरोह के नज़दीक रंग न करना अफ़ज़ल है। दूसरे के नज़दीक सफ़ेद बालों को रंगना अफ़ज़ल है। अगरचे रंग के बारे में इख़्तिलाफ़ है और इमाम तबरानी ने लिखा है, सफ़ेद बालों की रंगत की तब्दीली और ग़ैर तब्दीली दोनों सहीह रिवायात से स़ाबित हैं, तग़य्युर व तब्दीली का हुक्म उनके लिये है, जिनके बाल अबू क़ुहाफ़ा (रज़ि.) की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हों और मुमानिअ़त उनके लिये है, जिनके

बाल स्याह व सफ़ेद मिले-जुले हों और अम्र व नह्य यहाँ बिल्इत्तिफ़ाक़ वुजूब के लिये नहीं है। इसलिये सलफ़ व सहाबा व ताबेईन ने एक दूसरे पर ऐतिराज़ नहीं किया, इसलिये यहाँ हदीसों को नासिख़ या मन्सूख़ बनाने की ज़रूरत नहीं है और बक़ौल इमाम नववी सहीह यही है, सफ़ेद बालों को मर्दों और औरतों के लिये ज़र्द रंग से रंगना बेहतर है और स्याह रंग से बदलना मम्नूअ (मना) है।

बाब 26 : जानदार की तस्वीर बनाना हराम है और उस चीज़ को रखना भी हराम है जिसमें तस्वीर है और उसको बिछाने वग़ैरह के ज़रिये पामाल और रुस्वा नहीं किया जाता और फ़रिश्ते उन घरों में दाख़िल नहीं होते जहाँ तस्वीर या कुत्ता हो

بَاب تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ مَا فِيهِ صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ " مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ " . ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا " . فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ . فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(5511) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जिब्रईल (अलै.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से एक मख़्सूस वक़्त में आपके पास आने का वादा किया, वो मुअय्यन वक़्त आ गया, लेकिन जिब्रईल (अलै.) न आये। आपके हाथ में एक असा (डण्डा) था, आपने उसे अपने हाथ से फेंक दिया और फ़रमाया, 'अल्लाह और उसके फ़रिस्तादे, अपने वादे की मुख़ालिफ़त नहीं करते।' फिर आपने तवज्जह की या नज़र दौड़ाई तो अपनी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला देखा और पूछा, 'ऐ आइशा! ये कुत्ता यहाँ कब आ गया?' उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! मुझे पता नहीं है। तो आपके हुक्म से इसको निकाल दिया गया। तो जिब्रईल (अलै.) भी आ गये, इस

الله عليه وسلم " وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ". فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ .

पर आपने (रसूलुल्लाह(ﷺ) ने) फ़रमाया, 'आपने मुझसे वादा किया तो मैं आपके इन्तिज़ार में बैठा, लेकिन आप आये ही नहीं।' इस पर उसने जवाब दिया, 'मुझे उस कुत्ते ने आने से रोका जो आपके घर में था, क्योंकि हम उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो।'

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي، حَازِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ جِبْرِيلَ، وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَهُ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ .

(5512) यही हदीस़ इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से बयान करते हैं कि जिब्राईल (अलै.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से आपके पास आने का वादा किया, लेकिन ये मज़्कूरा बाला (ऊपर की) हदीस़ की तरह मुफ़स्सल नहीं है।

फ़ायदा : इमाम नववी ने इस हदीस़ की तशरीह करते हुए लिखा है, हमारे फ़ुक़्हा और दूसरे उ़लमा ने कहा है कि जानदार की तस्वीर बनाना, इन्तिहाई सख़्त तौर पर हराम है और ये कबीरा गुनाहों में से है। क्योंकि अहादीस़ में इस पर सख़्त वईद बयान की गई है। ख़्वाह उसको इ़ज़्ज़त व एहतिराम के साथ रखने के लिये बनाया जाये या बेक़द्री और ज़िल्लत के लिये, तस्वीर बनाना हर हाल में हराम है। क्योंकि इसमें अल्लाह तआ़ला की सिफ़ते तख़्लीक़ के साथ मुशाबिहत पाई जाती है और जानदारों की ये तस्वीर कपड़े में हो या बिछौने में, दिरहम में हो या दीनार में या ऐसे टक्के में, बर्तन में हो या दीवार में या किसी और चीज़ में, अल्बत्ता दरख़्तों, पालानों और उनके सिवा दूसरी बेजान चीज़ों की तस्वीर तो वो हराम नहीं है ये तो तस्वीर बनाने का हुक्म है। रहा तस्वीर वाली चीज़ रखने का हुक्म तो वो अगर दीवार पर लटकी हो या पहनने वाले लिबास और पगड़ी में, इस तरह किसी ऐसी चीज़ में हो जिसको पामाल और ज़लील नहीं किया जाता तो ये हराम है और अगर बिछौने पर हो जिसे पामाल किया जाता है या छोटे-बड़े तकिये पर या किसी और चीज़ पर जिसे ज़लील किया जाता है तो वो हराम नहीं है। लेकिन उस घर में रहमत के फ़रिश्ते जो इंसान के लिये बख़्शिश तलब करते हैं, बरकत की दुआ़ करते हैं और शैतानी वस्वसों से बचाते हैं, दाख़िल नहीं होते। जुम्हूर सहाबा व ताबेईन के नज़दीक इसमें कोई फ़र्क़ नहीं कि वो तस्वीर सायेदार यानी मुजस्सम हो, मूरत और मुजस्सम की शक्ल में या ग़ैर मुजस्सम हो यानी मत्बूअ़ हो। काग़ज़, कपड़े वग़ैरह पर हो। अइम्म-ए-स़लास़ा इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई

और इमाम अहमद का यही मौक़िफ़ है लेकिन मालिकिया के नज़दीक मुजस्सम तस्वीर हराम है और ग़ैर मुजस्सम अक्सर के नज़दीक मक्रूह है और कुछ के नज़दीक जाइज़ है, लेकिन ये मौक़िफ़ हज़रत आइशा (रज़ि.) की पर्दे वाली हदीस़ के ख़िलाफ़ है और रक़्मुस्सौब से मुराद नक़्शो-निगार या बेल-बूटे हैं। इसलिये इस हदीस़ से इस्तिदलाल भी दुरुस्त नहीं है या इससे मुराद ग़ैर जानदार की तस्वीर है। तस्वीर हाथ से बनाई जाये या केमरे से हर हालत में नाजाइज़ है। (तफ़्सील के लिये देखिये, तक्मिलह जिल्द 4, पेज नं. 155-164) लेकिन अगर तस्वीर किसी नागुज़ीर मजबूरी के लिये बनवाई जाये जैसे शनाख़्ती कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, इम्तिहान, हज वग़ैरह के लिये जहाँ इंसान मजबूर है तो इसकी बक़द्रे ज़रूरत गुंजाइश है। बशर्तेकि शौक़िया न हो और मुकम्मल तस्वीर न हो।

जिस घर में कुत्ता हो, उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते के बारे में दो नज़रियात हैं कि इससे मुराद हर क़िस्म का कुत्ता है उसका रखना जाइज़ हो या नाजाइज़। इमाम क़ुर्तुबी और इमाम नववी का यही नज़रिया है और इमाम ख़त्ताबी वग़ैरह के नज़दीक वो कुत्ते अलग हैं जिनको रखने की इजाज़त है और घर से मुराद हर वो जगह है, जहाँ इंसान ठहरता है, घर हो या ख़ेमा या छप्पर।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي " . قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ " قَدْ كُنْتَ

(5513) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) एक दिन सुबह के वक़्त ग़मज़दा थे। हज़रत मैमूना (रज़ि.) कहती हैं, मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सुबह से आपकी हैयत ऊपरी अनोखी देख रही हूँ। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिब्रईल ने आज रात मेरे साथ मुलाक़ात का वादा किया था, लेकिन मिला नहीं है। हाँ अल्लाह की क़सम! उसने मेरे साथ कभी वादा ख़िलाफ़ी नहीं की।' तो दिन भर रसूलुल्लाह(ﷺ) इस हालत में रहे, फिर आपके जी में आया, हमारे ख़ेमे के नीचे कुत्ते का पिल्ला है तो आपके हुक्म से उसे निकाल दिया। फिर आपने बज़ाते ख़ुद पानी लेकर उसकी जगह पर छिड़का तो जब शाम हुई, जिब्रईल (अ़लै.) आप से मिले। आपने उनसे

وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ " . قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ .

पूछा, 'आपने कल शाम मिलने का वादा किया था?' उन्होंने कहा, हाँ! लेकिन हम उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। तो उस दिन सुबह को रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुत्तों के क़त्ल करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि आप छोटे बाग़ के कुत्ते को भी क़त्ल करने का हुक्म देते और बड़े बाग़ के कुत्ते को छोड़ देते।

(अबू दाऊद : 4157, नसाई : 7/186)

फ़ायदा : हज़रत मैमूना (रज़ि.) आपकी रंजीदा हालत देखकर परेशान हो गईं और आपसे रंजीदगी का सबब पूछा। ताकि अगर उनके लिये उसको मदद करना मुम्किन हो, उसको दूर कर सकें या आपके ग़म को हल्का करने की कोशिश करें, इंसान को अपने साथियों के साथ यही तर्ज़े अमल इख़्तियार करना चाहिये। हज़रत आइशा और हज़रत मैमूना (रज़ि.) का वाक़िया अगर एक ही है तो इसका मानी ये है कि आपने शाम के वक़्त कुत्ता देखा और उसको निकालने का हुक्म दिया, जिसके बाद जिब्रईल (अलै.) आ गये।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ " .

(5514) हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिश्ते ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते, जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो।'

(सहीह बुख़ारी : 3225, 2322, 4002, 5949, तिर्मिज़ी : 2804, नसाई : 7/185, 8/212, इब्ने माजह : 3649)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(5515) हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'फ़रिश्ते ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते, जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो।'

عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ " .

(5516) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ فِي الإِسْنَادِ .

(5517) रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबी अबू तलहा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते, जिसमें तस्वीर हो।' बुस्र (रह.) बयान करते हैं, उसके बाद ज़ैद (रह.) (जिसने मुझे रिवायत सुनाई थी) बीमार हो गये तो हम उनकी बीमार पुर्सी के लिये गये तो उनके दरवाज़े पर एक पर्दा पाया, जिसमें तस्वीर थी। तो मैंने (अपने साथी) नबी(ﷺ) की ज़ौजा हज़रत मैमूना (रज़ि.) के परवरदा उबैदुल्लाह ख़ोलानी से पूछा, क्या ज़ैद ने गुज़िश्ता दिनों हमें तस्वीर के बारे में हदीस़ नहीं सुनाई थी? तो उबैदुल्लाह (रह.) ने कहा, क्या तुमने उनसे ये बात नहीं सुनी थी, मगर कपड़े में मुनक़्क़श।

(सहीह बुख़ारी : 3226, 5958, अबू दाऊद : 4153, 4154, 4155, नसाई : 8/212, 213, 3754, 3775)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ " . قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ - قَالَ - فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : रक़्मन् : का असल मानी तहरीर व किताबंत होता है, इसलिये इससे मुराद नक़्श और बेल-बूटे हैं।

फ़ायदा : इस हदीस़ से उन लोगों ने इस्तिदलाल किया है, जो कहते हैं, वो तस्वीर जिसका साया न हो यानी जिस्म न हो, वो जाइज़ है। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक इसका मानी ग़ैर जानदार चीज़ों का नक़्श है। यानी फूल, कलियाँ, दरख़्त वग़ैरह का नक़्श। क्योंकि रक़्म का मानी बक़ौल इब्ने मन्ज़ूर ख़ुततुन मिनल वशी बेल-बूटों के नुक़ूश और बक़ौल इमाम राग़िब, अल्ख़त्तुल ग़लीज़ मोटी धारी या मोटा नक़्श और बक़ौल इब्ने अस़ीर अर्रक़्म, अन्नक़्शु व अस्लुहू अल्किताबतु नक़्शो-निगार और उसका असल मानी लिखना या तहरीर है। इसलिये इसका मानी तस्वीर करना दुरुस्त नहीं है।

(5518) बुस्र बिन सईद (रह.) बयान करते हैं कि मुझे हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) से हदीस़ सुनाई और मेरे साथ उबैदुल्लाह ख़ोलानी भी थे, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते, जिसमें तस्वीर हो।' बुस्र (रह.) कहते हैं, हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बीमार हो गये, तो हम उनकी इयादत के लिये गये। तो हमने उनके घर में पर्दा देखा जिसमें तस्वीरें थीं। तो मैंने उबैदुल्लाह ख़ोलानी से कहा, क्या उन्होंने हमें तस्वीर के बारे में हदीस़ नहीं सुनाई थी? उसने जवाब दिया, उन्होंने कहा था, 'मगर कपड़े में नक़्शो-निगार' क्या तूने ये बात नहीं सुनी? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, क्यों नहीं! हज़रत ज़ैद (रज़ि.) ने ये बात बयान की थी।

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ، الأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ، بُسْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ " . قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لاَ . قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ .

फ़ायदा : मम्नूआ (मना की गई) तस्वीरों से मुराद जानदार चीज़ों की तस्वीरें हैं और ग़ैर जानदार चीज़ों की तस्वीरें दरहक़ीक़त नक़्शो-निगार होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ बेजान नक़्श या ख़ुतूत हैं।

(5519) हज़रत अबू तलहा अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ، بْنِ يَسَارٍ أَبِي

الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ".

फ़रमाते हुए सुना, 'फ़रिश्ते ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते, जिसमें कुत्ता या तस्वीर हों।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : तमास़ील : तिम्स़ाल की जमा है, किसी की नज़ीर व शबीह, मूरत हो या सूरत।

قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ " . فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لاَ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ". قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَىَّ.

(5520) हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे कहा, इस अबू तलहा ने मुझे ये हदीस़ सुनाई है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर व मुजस्समे हों।' तो क्या आपने भी रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अभी आपका वाक़िया सुनाती हूँ, जो मेरा चश्मदीद है। मैंने आपको देखा कि आप अपने किसी ग़ज़्वे में चले गये तो मैंने एक झोलदार पर्दा लिया और उसे दरवाज़े का पर्दा बना दिया। तो जब आप तशरीफ़ लाये और उस ज़ीनपोश को देखा तो मैंने आपके चेहरे पर नाराज़गी के आस़ार देखे। तो आपने उसको खींच कर फाड़ डाला या चीर डाला और फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने हमें, पत्थरों और मिट्टी को कपड़े पहनाने का हुक्म नहीं दिया।' वो बयान करती हैं, हमने उससे दो तकिये बना लिये और मैंने उनमें खजूर की छाल भर दी तो उस पर आपने ऐतराज़ नहीं फ़रमाया।

मुफ़रदातुल हदीस़ : नमतुन : ग़ालीचा, बिस्तर की चादर, ज़ीन पोश, होदज पर डाले जाने वाली ऊनी चादर।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है दीवारों पर ख़ूबसूरती और ज़ेबाइश के लिये पर्दे लटकाना पसन्दीदा काम नहीं है और तस्वीरों को फाड़कर, अगर उनको पामाल किया जाये तो ऐसी सूरत में उनमें कोई हर्ज नहीं है।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " حَوِّلِي هَذَا فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا " . قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا

(5521) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हमारा एक पर्दा था। जिसमें परिन्दे की शबीह थी और दाख़िल होने वाले की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ती। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि मैं जब दाख़िल होता हूँ और इस पर मेरी नज़र पड़ती है, मुझे दुनिया याद आ जाती है।' वो बयान करती हैं और हमारे पास एक चादर थी, हम कहते थे इसके नक़्शो-निगार रेशमी हैं और हम उसको पहनते थे।
(तिर्मिज़ी : 2468, नसाई : 2/213)

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الأَعْلَى - فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْعِهِ .

(5522) इमाम साहब यही हदीस़ एक और उस्ताद से बयान करते हैं और उसमें ये इज़ाफ़ा है तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें चादर को काटने का हुक्म नहीं दिया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .

(5523) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) एक सफ़र से वापस आये और मैं अपने दरवाज़े पर एक पर्दा डाल चुकी थी, जिसमें परों वाले घोड़ों की शबीह थी तो आपने मुझे उसके उतारने का हुक्म दिया तो मैंने उसे उतार दिया।

(5524) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं और अब्दह की हदीस में सफ़र से वापसी का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ .

मुफ़रदातुल हदीस : दुर्नूक : पर्दा, बिछौना।

(5525) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये और मैंने एक बारीक पर्दा ताना हुआ था जिसमें तस्वीर थी, तो आपके चेहरे का रंग बदल गया। फिर आपने उस पर्दे को पकड़कर चाक कर दिया। फिर फ़रमाया, 'क़यामत के दिन जो लोग सबसे सख़्त अ़ज़ाब में मुब्तला होंगे उनमें वो लोग जो अल्लाह की तख़्लीक़ की मुशाबिहत करते हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 5954, नसाई : 8/213)

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ " .

(5526) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाये, जैसाकि मज़्कूरा बाला (ऊपर की) हदीस है, मगर इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, फिर आप पर्दे की तरफ़ झुके और उसे अपने हाथ से फाड़ दिया।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا . بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ .

(5527) मुसन्निफ़ यही रिवायत अपने पाँच उस्तादों की दो सनदों से बयान करते हैं, लेकिन इसमें अशद्दन्नास से पहले मिन नहीं है, यानी उन लोगों को सबसे सख़्त अ़ज़ाब होगा।

حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا " . لَمْ يَذْكُرَا مِنْ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ .

(5528) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये और मैंने एक ताक़ या मचान पर ऐसा पर्दा डाला हुआ था, जिसमें तस्वीरें थीं। तो जब आपने उसे देखा, उसे फाड़ दिया और आपके चेहरे का रंग बदल गया और फ़रमाया, 'ऐ आइशा! क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ, सबसे सख़्त अ़ज़ाब उन लोगों को होगा, जो अल्लाह की तख़्लीक़ की मुशाबिहत इख़्तियार करते हैं।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हमने उसको फाड़कर, उससे एक या दो तकिये बना लिये।
(सहीह बुख़ारी : 5954, नसाई : 8/213, 214)

मुफ़रदातुल हदीस़ : सह्वतन : अलमारी, ताक़चा, खिड़की, मचान, छोटा सा तहख़ाना।

फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस हदीस़ पर ये इश्काल पेश किया है कि नस्से क़ुरआनी की रू से सख़्त तरीन अ़ज़ाब तो आले फ़िरऔन को होगा और इस हदीस़ में सख़्त तरीन अ़ज़ाब मुसव्विर फोटोग्राफर के लिये बयान किया गया है। उ़लमा ने इसके अलग-अलग जवाब दिये हैं, लेकिन सहीह बात ये है कि आयत में आले फ़िरऔन के लिये सख़्त तरीन अ़ज़ाब होने का मानी ये नहीं है कि बस उनके लिये ख़ास है। इस सख़्त तरीन अ़ज़ाब में और लोग भी मुब्तला होंगे, फोटोग्राफर भी उनमें दाख़िल हैं, इसलिये कुछ जगह मिन अशद्दिन्नास की तसरीह मौजूद है और ये हदीस़ हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से अलग-अलग शागिर्दों ने नक़ल की है और उनसे आगे बहुत से रावियों ने नक़ल की है और हर एक ने उसको अपने-अपने अल्फ़ाज़ और अपने-अपने अन्दाज़ में बयान की है और किसी एक ने भी मुकम्मल तफ़्सीलात और जुज़्इयात बयान नहीं कीं, इस वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात जमा करने से इसकी सहीह सूरते हाल समझ में आती है, अलग-अलग देखने से ये अलग-अलग वाक़ियात नज़र आते हैं, हालांकि ये एक ही वाक़िया है और आपने पर्दे के चाक करने की अलग-अलग वजह और सबब बयान फ़रमाये, किसी ने कोई वजह नक़ल कर दी, किसी ने कोई दूसरी वजह बयान कर दी।

(5529) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उनके पास एक कपड़ा था, जिसमें तस्वीरें थीं, उसे ताक़ पर लटकाया गया था। नबी(ﷺ) उस तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे तो आपने फ़रमाया, 'इसे मुझसे दूर कर दीजिये।' तो मैंने उसको हटाकर उसके तकिये बना लिये।

(नसाई : 2/68, 5369)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ " أَخِّرِيهِ عَنِّي " . قَالَتْ فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ .

(5530) इमाम साहब यही रिवायत और उस्तादों से भी बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5531) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, नबी(ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये और मैंने एक तस्वीर वाला पर्दा ताना हुआ था तो आपने उसको हटा दिया। तो उससे मैंने दो तकिये बना लिये।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.

(5532) नबी(ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उसने तस्वीरों वाला एक पर्दा लटकाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो आपने उसे खींच डाला तो मैंने काटकर उसके दो तकिये बना लिये। तो उस वक़्त मज्लिस में एक आदमी जिसे रबीआ

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ

بِن अता कहा जाता था और बनू ज़ुहरा का आज़ाद किया हुआ गुलाम था, उसने कहा, क्या तूने अबू मुहम्मद (रह.) को ये बयान करते नहीं सुना कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) उन पर आराम फ़रमाते थे? इब्ने क़ासिम ने कहा, नहीं! लेकिन ये मैंने क़ासिम बिन मुहम्मद से सुना है। (नसाई : 8/314)

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ . فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ . قَالَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ . يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ .

(5533) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उसने एक तस्वीरों वाला तकिया ख़रीदा तो जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे देखा, दरवाज़े पर खड़े हो गये, अंदर तशरीफ़ नहीं लाये। तो मैंने महसूस कर लिया या आपके चेहरे पर कबीदगी के आसार महसूस हुए तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लौटती हूँ, मुझसे क्या गुनाह सरज़द हुआ है? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये गद्दा, तकिया किस लिये है?' तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने इसे आपके लिये ख़रीदा है। आप इस पर बैठें और इसका सहारा लें, तकिया बनायें। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये तस्वीरें बनाने वाले, इनको अज़ाब दिया जायेगा और इनसे कहा जायेगा, अपनी मख़लूक़ को ज़िन्दा करो।' फिर आपने फ़रमाया, 'जिस घर में तस्वीरें हों, उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।'

(सहीह बुख़ारी:2105,3224, 5181, 5975, 5961)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ أَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ " . فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, जिस गद्दे और तकिये को पामाल किया जाता है या उसको ज़मीन पर फेंका जाता है, काटे बग़ैर उसको घर में रखना दुरुस्त नहीं है। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने काटकर उसके दो तकिये बना लिये, ताकि तस्वीर मस्ख़ हो जाये। इसलिये जुम्हूर का इससे ये इस्तिदलाल करना कि तस्वीर वाला कपड़ा पामाल किया जाये तो फिर उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है, दुरुस्त नहीं। क्योंकि नुम्रुक़ह के बारे में ये सराहत मौजूद है कि आप इस पर बैठें और इसका सहारा लें और अगर नुम्रुक़ह् से मुराद यहाँ पर्दा हो तो फिर भी उसको चाक किया गया है। क्योंकि पर्दा लटकाया भी जा सकता है और बिछाया भी जा सकता है।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي، الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ قَالَتْ فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ

(5534) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों की पाँच सनदों से नाफ़ेअ ही की सनद से ये हदीस़ बयान करते हैं और कुछ ने तफ़्सील ज़्यादा बयान की है, माजिशून के भतीजे की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने उस गद्दे को उठाया और उसके दो तकिये बना दिये और आप घर पर उनका सहारा लेते थे या उन पर आराम करते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي،

(5535) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो तस्वीरें बनाते हैं, उन्हें क़यामत के दिन अ़ज़ाब दिया जायेगा। उनसे कहा जायेगा, जिनकी तुमने तख़्लीक़ की थी, उनको ज़िन्दा करो।'

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " .

फ़ायदा : बेजान तस्वीर या मुजस्सम (पुतले) में ज़िन्दगी पैदा करना या उसको ज़िन्दगी बख़्शना इंसान के लिये मुम्किन नहीं है। इसलिये इससे मक़सूद सरज़निश व तौबीख़ और अ़ज़ाब की लम्बाई है। इसलिये कुछ रिवायात में तसरीह मौजूद है, वो उनमें ज़िन्दगी पैदा नहीं कर सकेगा या रूह नहीं फूंक सकेगा।

(5536) मुसन्निफ़ यही रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 7558, नसाई : 8/215)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(5537) हज़रत अ़ब्दुल्लाह यानी इब्ने मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बिला शुब्हा, क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वालों को, लोगों में सख़्त तरीन अ़ज़ाब होगा।' अशज्ज की रिवायत में अशद्द से पहले इन्-न नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 5950, नसाई : 8/216)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ" . وَلَمْ يَذْكُرِ الأَشَجُّ إِنَّ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ " . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ .

(5538) यही रिवायत इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं, उनमें से दो की रिवायत में ये अल्फ़ाज़ हैं, 'अहले नार में से सख़्त तरीन अ़ज़ाब, क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वालों को होगा।' या 'मुसव्विर क़यामत के दिन सख़्त तरीन अ़ज़ाब वाले लोगों में से होंगे' और चौथे उस्ताद की रिवायत वकीअ़ की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह है।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ . فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى . فَقُلْتُ لاَ هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ . فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ " .

(5539) मुस्लिम बिन सुबैह (रह.) बयान करते हैं कि मसरूक़ (रह.) के साथ एक ऐसे घर में था जिसमें मरयम की तस्वीरें या मूर्तियाँ थीं तो मसरूक़ ने कहा, ये किसरा की तस्वीरें हैं। तो मैंने कहा, नहीं! ये मरयम की तस्वीरें हैं। तो मसरूक़ (रह.) ने कहा, हाँ! मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) को ये कहते सुना है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन शदीद तरीन अ़ज़ाब वाले लोग मुसव्विर (तस्वीर बनाने वाले) होंगे।'

फ़ायदा : मुस्लिम बिन सुबैह, अबू ज़ुहा का नाम है। जो हज़रत मसरूक़ (रह.) के शागिर्द हैं और ये घर हज़रत उ़मर (रज़ि.) के आज़ाद किये हुए गुलाम यसार बिन नुमैर का था, जो उन्होंने किसी ईसाई से ख़रीदा होगा और ये नक़्शो-निगार की सूरत में किसी बिछौने पर होंगी, जो छप्पर या चबूतरे में पड़ा था। जिस तरह आज कपड़े और काग़ज़ पर किसी का तस्वीरी ख़ाका बनाया जाता है और वो तस्वीरी ख़ाके को दुरुस्त समझते होंगे।

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ

(5540) सईद बिन अबी हसन (रह.) बयान करते हैं कि एक आदमी हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने

الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا . فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي . فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّي . فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ " . وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ . فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ .

लगा, मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं ये तस्वीरें बनाता हूँ, तो आप मुझे इनके बारे में फ़तवा दें। तो उन्होंने उससे कहा, मेरे क़रीब हो जा। तो वो उनके क़रीब हो गया। फिर उन्होंने कहा, मेरे क़रीब हो जा। वो और क़रीब हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने उसके सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ, जो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी है। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'हर तस्वीर बनाने वाला दोज़ख़ में होगा और अल्लाह उसे हर तस्वीर के ऐवज़ में जो उसने बनाई होगी, एक जान देगा, जो उसको जहन्नम में दुख पहुँचायेगी।' और फ़रमाया, अगर तुझे ज़रूर ही तस्वीर बनाना है तो दरख़्त की तस्वीर और बेजान चीज़ की तस्वीर बना। इमाम मुस्लिम (रह.) ने ये हदीस़ अपने उस्ताद नस्र बिन अ़ली जहज़मी को सुनाई तो उन्होंने इसका इक़रार किया। (सहीह बुख़ारी : 2225)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, शजर, हजर, दरिया, पहाड़, इमारत और हर उस चीज़ की तस्वीर बनाना जाइज़ है, जिसमें रूह नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ें इंसान अपने लिये बनाता है या काश्त करता है, जिनमें रूह नहीं है और ये बेशुमार हैं। इसलिये अगर किसी को फोटोग्राफी ही का शौक़ है या यही उसका पेशा है तो वो इन चीज़ों की तस्वीरें बना सकता है या उतार सकता है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلاَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى

(5541) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के बेटे नज़्र बयान करते हैं, मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था, आप लोगों को मसले बताने लगे, लेकिन ये नहीं कहते थे, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है। यहाँ तक कि एक आदमी ने उनसे सवाल किया और कहा, मैं ये तस्वीरें बनाने वाला आदमी हूँ। तो

سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنُهْ . فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ " .

इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उससे कहा, क़रीब हो जा! तो वो आदमी क़रीब हो गया। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है, आपने फ़रमाया, 'जिसने दुनिया में तस्वीर बनाई तो क़यामत के दिन उसे उसमें रूह फूंकने का मुकल्लफ़ (पाबंद) बनाया जायेगा और वो रूह नहीं फूंक सकेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 2225, 5963, नसाई : 8/215)

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(5542) नज़्र बिन अनस (रह.) से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने उसे नबी(ﷺ) से ऊपर की रिवायत सुनाई।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً" .

(5543) अबू ज़ुर्आ (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ मरवान के घर गया, उन्होंने वहाँ तस्वीरें देखीं तो कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'अल्लाह तआला फ़रमाता है उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है, जो मेरी तख़्लीक़ जैसी तख़्लीक़ करने लगता है? वो एक ज़र्रा पैदा करें या दाना ही पैदा करें या जो पैदा करें।'

(सहीह बुख़ारी : 5953, 7559)

फ़ायदा : इस हदीस़ का मक़सद ये है कि इंसान बेजान चीज़ें ज़र्रा, दाना गन्दुम, जो पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको ज़मीन में काश्त करता है, पैदा अल्लाह तआला ही करता है तो वो ज़िन्दा चीज़ों की तस्वीर कशी की जुरअत क्यों करता है, हिम्मत है तो उनमें जान डाले।

(5544) अबू ज़ुर्आ (रह.) बयान करते हैं, मैं और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) एक घर में दाख़िल हुए, जो मदीना में सईद या मरवान के लिये बनाया जा रहा था। तो उन्होंने एक मुसव्विर (तस्वीर बनाने वाला) देखा, जो घर में तस्वीरें बना रहा था। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया और ऊपर की हदीस़ बयान की। लेकिन इसमें 'या एक जो पैदा करें' का ज़िक्र नहीं किया।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ . قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ " أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً" .

फ़ायदा : सईद बिन आ़स और मरवान (रज़ि.) हज़रत अमीर मुआ़विया (रज़ि.) के दौर में बारी-बारी मदीना मुनव्वरा के गवर्नर बनते थे और उनके हुक्म से घर के दरो-दीवार पर नक़्शो-निगार बनाये जा रहे थे, उनमें किसी जानदार की तस्वीर भी होगी, इसलिये हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ये हदीस़ सुनाई।

(5545) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते, जिसमें मूर्तियाँ या तस्वीरें हों।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ" .

बाब 27 : सफ़र में कुत्ता और घण्टी नापसन्दीदा है

باب كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

(5546) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले वालों के साथ नहीं रहते जिसमें कुत्ता और घण्टी हो।'

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ" .

फ़ायदा : क़ाफ़िले वालों ने कुत्ता अगर शौक़िया तौर पर साथ रखा हो, क़ाफ़िले की हिफ़ाज़त और चोरों से आगाही और बेदारी के लिये न हो और इस तरह घण्टी बिला ज़रूरत व मक़सद सिर्फ़ ज़ीनत व ज़ेबाइश और शौक़ के लिये हो, कोई ज़रूरत और मक़सद न हो तो ये दोनों चीज़ें जुम्हूर फ़ुक़्हा के नज़दीक नापसन्दीदा हैं, अगर किसी वाक़ेई ज़रूरत के लिये हों तो फिर कुछ ने इसकी गुंजाइश रखी है, क्यों कि आपने खेती और मवेशियों के लिये कुत्ता रखने की इजाज़त दी है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5547) इमाम साहब दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

(तिर्मिज़ी : 1703)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ " .

(5548) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'घण्टी शैतानी आवाज़ है या शैतान की बांसुरी है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : मज़ामीर : मज़मूर की जमा है, गीत, बांसुरी।

باب كَرَاهَةِ قِلاَدَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

बाब 28 : ऊँट की गर्दन में तांत का हार डालना मकरूह है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ، بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ - فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ

(5549) हज़रत अबू बशीर अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ आपके किसी सफ़र में शरीक थे तो आपने एक क़ासिद रवाना किया। अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र (रज़ि.) कहते हैं, मेरे ख़याल में उन्होंने कहा, जबकि लोग अपनी आरामगाह में थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

صلى الله عليه وسلم رَسُولاً - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - " لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ " . قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

फ़रमाया, 'किसी ऊँट की गर्दन में तांत का हार या कोई हार बाक़ी न रहे, मगर उसे काट दिया जाये।' इमाम मालिक कहते हैं, मेरा ख़्याल है लोग उसको बद नज़री का इलाज समझते थे।

(सहीह बुख़ारी : 3005, अबू दाऊद : 2552)

फ़ायदा : जाहिलिय्यत के दौर में लोग हैवानात, ख़ास कर ऊँट की गर्दन में तांत का हार डालते थे और समझते थे इसमें नज़रे बद से बचाने का ख़ास्सह (ताक़त) है। इसलिये आपने उसको काटने का हुक्म दिया कि उसका नज़रे बद से बचाने में कोई दख़ल नहीं। कुछ हज़रात का ख़्याल है ये हैवान के लिये तकलीफ़ का बाइस है, इससे चरने और साँस लेने में दिक़्क़त पैदा होती है, किसी दरख़्त में फँसकर दम घुटने का भी अन्देशा है और कुछ का ख़्याल है उसमें घण्टी बांधते थे। अगर हार खुला हो, किसी क़िस्म का अन्देशा न हो, सिर्फ़ ज़ेबो-ज़ीनत के लिये हो तो बक़ौल इमाम नववी जाइज़ है और बक़ौल अल्लामा अैनी अगर ये तअवीज़ के लिये हो और इसमें कुरआन की आयत हो या अल्लाह का नाम हो, जिसका मक़सद बरकत हासिल करना या अल्लाह के अस्मा और उसके ज़िक्र की पनाह लेना हो तो मम्नूअ नहीं है, इस तरह अगर तबज़ीर (फ़िज़ूल ख़र्ची) और इसराफ़ से बचकर ज़ीनत के लिये हो तो फिर भी मम्नूअ नहीं। (उम्दतुल क़ारी जिल्द 7 पेज नं. 43)

باب النَّهْىِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ، فِي وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيهِ

बाब 29 : हैवान के चेहरे पर मारना और चेहरे को दाग़ना (निशान लगाना) मना है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

(5550) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चेहरे पर मारने और चेहरे को दाग़ने से मना फ़रमाया।

(तिर्मिज़ी : 2710)

फ़ायदा : इमाम नववी फ़रमाते हैं, हर क़ाबिले एहतिराम जानदार के चेहरे पर मारना मना है। इंसान, गधा, घोड़ा, ऊँट, खच्चर और भेड़-बकरी वग़ैरह सब इसमें दाख़िल हैं। लेकिन आदमी के चेहरे पर मारना इन्तिहाई तौर पर मना है। क्योंकि चेहरा तमाम महासिन का मर्कज़ है और लतीफ़ (नर्म व

नाज़ुक) अंग है। जिस पर मारना असर व निशान पड़ जाता है और कई बार उसकी बद सूरती का बाइस बनता है और कई बार उससे उसको तकलीफ़ पहुँच जाती है और चेहरे पर दाग़ देना भी जाइज़ नहीं है। इंसान के सिवा बाक़ी हैवानात के चेहरे के सिवा दाग़ना ज़रूरत के वक़्त जाइज़ है, इस तरह चेहरे के सिवा ज़रूरत के तहत मारना भी जाइज़ है।

मुफ़रदातुल हदीस : अल्वस्म : दाग़, अलामत, निशान।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، . كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ، بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

(5551) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ " .

(5552) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) के पास से एक गधा गुज़रा उसके चेहरे को दाग़ा गया था, तो आपने फ़रमाया, 'जिसने इसे दाग़ा है, उस पर अल्लाह लानत भेजे।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ، بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ فَوَاللَّهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ فِي أَقْصَى شَىْءٍ مِنَ الْوَجْهِ . فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ .

(5553) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक गधा देखा जिसका चेहरा दाग़ा गया था तो आपने इसको बुरा फ़ैअल क़रार दिया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, सो अल्लाह की क़सम! मैं उसे दाग़ नहीं दूँगा, मगर चेहरे से इन्तिहाई दूर जगह में। तो उन्होंने अपने गधे के बारे में हुक्म दिया तो उसकी सुरीन को दाग़ा गया और वो सबसे पहले फ़र्द हैं जिन्होंने सुरीन को दाग़ा।

मुफ़रदातुल हदीस : जाइरतैन : दोनों चूतड़ों का उभरा हुआ हिस्सा।

बाब 30 : इंसान के सिवा हैवान के चेहरे के सिवा दाग़ देना जाइज़ है, ज़कात और जिज़्या के जानवरों को दाग़ना बेहतर है

بَاب جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلاَمَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ . قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ .

(5554) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, जब उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने बच्चा जना, मुझे कहा, ऐ अनस! इस बच्चे का ध्यान रख, ये कोई चीज़ न खा ले, यहाँ तक कि तू इसे नबी(ﷺ) के पास ले जाये, आप इसको घुट्टी दें। तो मैं उसको ले गया, तो आप एक बाग़ में थे और आप पर हुवैती चादर थी और आप उन सवारियों को दाग़ लगा रहे थे, जो फ़तह में (माले ग़नीमत) आपके पास थीं।

(सहीह बुख़ारी : 5470, 5824)

मुफ़रदातुल हदीस़ : हुवैतिय्यतुन : मछली की तरह धारीदार।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि इमाम बैतुल माल के जानवरों को इम्तियाज़ और अलामत के तौर पर ख़ुद निशान या दाग़ लगा सकता है और बक़ौल कुछ इस पर सहाबा किराम का इज्माअ़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ، حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا . قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا .

(5555) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसकी माँ के यहाँ जब बच्चा पैदा हूआ तो वो लोग बच्चे को नबी(ﷺ) के पास ले गये, ताकि आप उसको घुट्टी दें। तो नबी(ﷺ) बाड़े में मिले, आप बकरियों को निशान लगा रहे थे। शोबा (रह.) कहते हैं, मेरा ग़ालिब इल्म यही है कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, उनके कानों में।

(सहीहबुख़ारी:5542,अबूदाऊद:2563, इब्नेमाजह:3565)

फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है, ज़कात और जिज़्या के जानवरों को चेहरे के अलावा जगह पर अलामत के तौर पर दाग़ना पसन्दीदा है। दूसरे जानवरों को दाग़ना जाइज़ है और बेहतर ये है कि बकरियों के कानों में दाग़ा जाये, ऊँट और गाय की रान की जड़ में दाग़ा जाये। क्योंकि सख़्त जगह में दर्द कम होता है और बाल कम होने की वजह से दाग़ नुमायाँ होगा और दाग़ने का फ़ायदा ये है कि हैवान एक-दूसरे से मुम्ताज़ (अलग) हो जायेंगे। जिज़्या के जानवरों पर जिज़्या या सिग़ार लिखा जायेगा और ज़कात के जानवरों पर ज़कात या सदक़ा। शवाफ़ेअ़ कहते हैं, बेहतर है कि बकरियों का निशान, गाय से कम और गाय का निशान ऊँट से कम बनाया जाये। तमाम सहाबा और जुम्हूर उ़लमा का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ये दाग़ना मक्रूह है। क्योंकि ये हैवान को अ़ज़ाब में मुब्तला करना है और शक्ल बिगाड़ना है। लेकिन अ़ल्लामा अ़ैनी ने लिखा है, हमारे अहबाब ने अपनी किताबों में लिखा है कि हैवानात को निशानी के तौर पर दाग़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये नफ़ाबख़्श है और बच्चों को किसी बीमारी के इलाज के लिये दाग़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये इलाज मुआलजा है। (तक्मिलह : जिल्द 4, पेज नं. 185)

पिछली हदीस़ और इस हदीस़ को मिलाने से मालूम होता है कि बाड़ा, बाग़ में था और आपने ऊँटों और बकरियों दोनों को दाग़ा था और इस हदीस़ से मालूम होता है बच्चों को घुट्टी किसी नेक और सालेह बुज़ुर्ग से दिलवानी चाहिये और हुज़ूर(ﷺ) इन्तिहाई मुतवाज़ेअ़ थे और काम-काज ख़ुद कर लेते थे। मुसलमानों के मसालेह का ख़्याल रखते और उनके हैवानात की हिफ़ाज़त के लिये बतौरे एहतियात, उनको दाग़ते थे।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ، زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا . قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا .

(5556) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक बाड़े में गये और आप बकरियों को दाग़ रहे थे और मेरे ख़्याल में हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, उनके कानों में।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5557) इमाम साहब कहते हैं, यही रिवायत इस तरह मुझे दो और उस्तादों ने भी अपनी-अपनी सनद से सुनाई।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .

(5558) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ में दाग़ लगाने का आला देखा और आप सदक़े के ऊँटों को दाग़ लगा रहे थे।

(सहीह बुख़ारी : 1502)

باب كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

बाब 31 : सर के कुछ हिस्से को मूण्डना और कुछ को छोड़ना नापसन्दीदा है

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ . قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ .

(5559) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ज़अ से मना फ़रमाया। उबैदुल्लाह ने नाफ़ेअ से पूछा, क़ज़अ किसे कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बच्चे के सर का कुछ हिस्सा मूण्ड दिया जाये और कुछ को छोड़ दिया जाये।

(सहीह बुख़ारी : 5920, अबू दाऊद : 4193, नसाई : 8/131, 8/182,183, इब्ने माजह : 3637)

फ़ायदा : इमाम नववी ने लिखा है, क़ज़अ की सहीह तारीफ़ यही है, जो नाफ़ेअ ने की है। अगरचे कुछ ने ये कहा है कि क़ज़अ मुतफ़र्रिक़ मक़ामात (अलग–अलग जगह) से बाल मूण्डने का नाम है। लेकिन उबैदुल्लाह से बुख़ारी शरीफ़ में जो तारीफ़ मन्क़ूल है, वो यही है कि इज़ा हल्लक़स्सबी व त-र-क हाहुना शअ्रतन व हाहुना व हाहुना जिसका मानी है पेशानी और सर के दोनों तरफ़ से बाल मूण्डना और दरम्यान में बाल छोड़ देना, नीज़ उबैदुल्लाह ने नाफ़ेअ से नक़ल किया है। लड़के के लिये कनपट्टी और गुद्दी के बाल मुण्डवाने में कोई हर्ज नहीं है। इमाम नववी ने लिखा है, उलमा का इस पर इज्माअ है, क़ज़अ अगर अलग-अलग मक़ामात से हो तो मक्रूहे तन्ज़ीही है, इल्ला ये कि इलाज वग़ैरह के लिये हो। शवाफ़ेअ के नज़दीक मर्द और औरत दोनों के लिये बिला क़ैद मक्रूह है और इमाम मालिक के नज़दीक लड़के के और लड़की के लिये भी बिला क़ैद मक्रूह है। जबकि कुछ मालिकिया का

ख़्याल है, कनपट्टी और गुद्दी के बाल लड़के लिये मुण्डवाना मक्रूह नहीं है और क़ज़अ के मक्रूह होने की वजह ख़िल्क़त को बिगाड़ना और बुरे लोगों की रविश इख़्तियार करना है और सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत की रू से ये यहूदियों की शक्ल और हैयत है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

(5560) इमाम साहब कहते हैं, यही रिवायत मुझे दो उस्तादों ने अपनी-अपनी सनद से सुनाई और अबू उसामा ने क़ज़अ की तफ़्सीर, उबैदुल्लाह का क़ौल क़रार दिया है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ، نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ . مِثْلَهُ وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ .

(5561) इमाम साहब कहते हैं, मुझे यही रिवायत दो और उस्तादों ने अपनी-अपनी सनद से सुनाई और क़ज़अ की तफ़्सीर हदीस का हिस्सा बनाया।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ، زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ .

(5562) इमाम साहब कहते हैं, मुझे यही रिवायत चार उस्तादों ने दो सनदों से सुनाई।

बाब 32 : रास्तों पर बैठने की मनाही और रास्ते के हक़ की अदायगी का हुक्म

باب النَّهْىِ عَنِ الْجُلُوسِ، فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

(5563) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम रास्तों पर बैठने से बचो।' सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, हमें अपनी ऐसी मज्लिसों में बैठे बग़ैर चारा नहीं, जहाँ हम उनमें आपस में बातचीत करते हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुम्हें बैठने पर इसरार है तो रास्ते का हक़ अदा करो।' उन्होंने पूछा, उसका हक़ क्या है? आपने फ़रमाया, 'नज़र नीची रखना, तकलीफ़ देने से बाज़ रहना, सलाम का जवाब देना, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना।'

(सहीह बुख़ारी : 2465, 6229, अबू दाऊद : 4810)

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ، بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " . قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ "غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

फ़ायदा : आपने सद्दे ज़रिया यानी मफ़ासिद से तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) और बचाव के लिये रास्तों पर बैठने से सहाबा किराम को मना फ़रमाया, लेकिन जब उन्होंने अपना उ़ज़्र पेश किया कि आपस में बातचीत के लिये हमारे पास कोई और जगह नहीं है तो फिर आपने रास्ते पर बैठने के आदाब बताये। जिनकी तादाद 14 है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने उनको नज़्म में बयान किया है :

सलाम को आ़म कर, अच्छी बातचीत कर, छींकने वाले को दुआ दे और सलाम का बेहतर तौर पर जवाब दे। बोझ उठाने में मदद कर, मज़्लूम की मदद कर, मोहताज व ज़रूरतमन्द की फ़रियाद रसी कर, रास्ते बता और साथियों को तोहफ़ा दे, नेकी की तल्क़ीन कर, बुराई से रोक, तकलीफ़ देने से बाज़ रह, नज़र नीची रख और अल्लाह तआला को ख़ूब याद कर। इमाम नववी तकलीफ़ देने से बाज़ रह की वज़ाहत करते हुए लिखते हैं, ग़ीबत, बद ज़न्नी, गुज़रने वालों में से किसी को हक़ीर समझना, रास्ते को तंग करना, इसमें दाख़िल है। इस तरह अगर बैठने वालों से गुज़रने वाले मरऊ़ब होते हों या उनसे ख़ौफ़ज़दा हों और अपने काम-काज के लिये ख़ौफ़ की वजह से गुज़र न सकते हों। हालांकि गुज़रगाह यही है तो ये भी तकलीफ़देह बात है।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ، أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5564) इमाम साहब कहते हैं, हमें ये रिवायत दो और उस्तादों ने भी अपनी-अपनी सनद से सुनाई है।

بَاب تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

बाब 33 : मसनूई बाल मिलाना, मिलवाना, सुर्मा गूदना, गूदवाना, पलकों के बाल उखेड़ना, उखड़वाना, दाँतों को कुशादा करना और अल्लाह की तख़लीक़ में तब्दीली करना, ये सब काम करने वालियों का फ़ेअल (अमल) हराम है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ، الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ " .

(5565) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (रज़ि.) बयान करती हैं, एक औरत नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक बच्ची दुल्हन है, उसे चेचक निकली, जिससे उसके बाल झड़ गये, तो क्या मैं उसके बालों के साथ बाल मिला सकती हूँ? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली पर लानत की है।'

(सहीह बुख़ारी : 5936, 5941, नसाई : 8/145, 8/187, 188, इब्ने माजह : 1988)

(5566) इमाम साहब कहते हैं, यही रिवायत मुझे चार और उस्तादों ने अपनी-अपनी सनद से सुनाई। मगर शोबा और वकीअ की हदीस़ में तमर्रक़ की जगह तमर्रत है।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَعَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّحَدِيثِهِمَا فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) हस्बह : सॉद साकिन है, अगरचे इस पर ज़बर और ज़ेर पढ़ना भी दुरुस्त है, चेचक। **(2) तमर्रक़ :** और तमर्रत दोनों का मानी बालों का गिरना या झड़ना है और तमज़्ज़क़ का मानी टूटना है। **(3) अल्वासिलह :** बालों के साथ और बाल जोड़ने वाली। **(4) अल्मुस्तौसिलह :** बालों के साथ और बाल जोड़ने का मुतालबा करने वाली, जिसको मूसिला भी कहते हैं।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, बालों के साथ बाल मिलाना इन्तिहाई क़बीह जुर्म है, जो लानत के सज़ावार है। उलमा के इसके बारे में चार क़ौल हैं (1) बालों के साथ कोई चीज़ जोड़ना, इंसान के बाल हों या ग़ैर इंसान के, कोई चीथड़ा मिलाया जाये या ऊन, जुम्हूर का मौक़िफ़ यही है। (2) इंसानी बाल जोड़ना या पलीद बाल जोड़ना, नाजाइज़ है, लेकिन इंसान के सिवा, किसी हैवान के पाक बाल अपने ख़ाविन्द या अपने आक़ा की इजाज़त से जाइज़ है। कुछ शवाफ़ेअ का यही क़ौल है। (3) बाल जोड़ना मम्नूअ है, इंसान के हों या किसी और हैवान के लेकिन कोई और चीज़, जैसे ऊन, चीथड़ा वग़ैरह जाइज़ है, लैस़ बिन सअद का यही क़ौल है। (4) बालों के सिवा कोई और चीज़ जोड़ना जबकि वो बालों के मुशाबेह न हो या बाल महसूस न हो तो फिर जाइज़ है, हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इसको तरजीह दी है, अहनाफ़ के नज़दीक दूसरा क़ौल राजेह है, सहीह बात यही मालूम होती है कि बालों के साथ बाल जोड़ना मम्नूअ है।

(5567) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगी, मैंने अपनी बेटी की शादी की है और उसके सर के बाल झड़ गये हैं और उसका ख़ाविन्द उसे

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي

ख़ूबसूरत देखना चाहता है, तो क्या मैं उसके बालों के साथ बाल जोड़ दूँ? ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने उसको रोक दिया।

(सहीह बुख़ारी : 5935)

زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَهَاهَا .

(5568) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक अन्सारी लड़की ने शादी की और वो बीमार हो गई, जिससे उसके बाल झड़ गये। उन्होंने उसके बालों को जोड़ना चाहा तो उसके बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा। तो आपने बाल जोड़ने वाली और जोड़ने का मुतालबा करने वाली पर लानत भेजी।

(सहीह बुख़ारी : 5205, 5934, नसाई : 8/146)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ، مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جَارِيَةً، مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

(5569) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक अन्सारी औरत ने अपनी बच्ची की शादी की और वो बीमार हो गई, जिससे उसके बाल गिर गये तो वो नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, उसका ख़ाविन्द रुख़सती का ख़्वाहाँ है तो क्या मैं उसके बालों में पेवन्द लगा दूँ? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जोड़ने वालियों पर लानत भेजी गई है।'

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لُعِنَ الْوَاصِلاَتُ " .

(5570) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'जोड़ने वाली वासिलात' की जगह 'मूसिलात है, पर लानत की गई है।'

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ " .

(5571) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जोड़ लगाने वाली, जोड़ लगवाने का मुतालबा करने वाली, गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत भेजी है।

(इब्ने माजह : 1987, 7953, सहीह बुख़ारी : 5947, अबू दाऊद : 4168, तिर्मिज़ी : 2783, नसाई : 8/145, 8/187)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ، بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

(5572) यही रिवायत इमाम साहब ने एक और उस्ताद से इसी तरह सुनाई है।

(सहीह बुख़ारी : 5942)

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ، جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : अल्वाशिमह : शम करने वाली, यानी हथेली की पुश्त, कलाई, होंट, पेशानी या औरत के बदन के किसी हिस्से में सूई वग़ैरह चुभोकर ख़ून निकालना फिर उस जगह सुर्मा या नील भरना ताकि उस जगह नक़्शो-निगार बनाये जायें और मुस्तौशिमह वो औरत है जो इसका मुतालबा करती है, मक़सद ये है कि अल्लाह तआला ने औरत को जो हुस्नो-जमाल और ख़ूबसूरती बख़्शी है, उस पर किफ़ायत करना चाहिये। उसमें तब्दीली करना, इन्तिहाई घिनौना जुर्म है, जो लानत का मुस्तहिक़ है। लेकिन बद क़िस्मती से मुसलमान औरतें मग़रिबी अक़्वाम से नित नये फैशन सीख रही हैं और उसके लिये मुस्तक़िल तौर पर ब्यूटी पार्लर के नाम पर दुकानें खुल गई हैं, जिनमें मसनूई हुस्नो-जमाल के हुसूल के लिये बेइन्तिहा पैसा बर्बाद हो रहा है। एक दौर का फैशन ये था कि औरतें बालों के साथ जोड़ लगवाती थीं और आज का फैशन बालों को काटना है, नाख़ुन जिनको काटने का हुक्म है, उनको ख़ुंख़ार दरिन्दों की तरह बढ़ाया जाता है और उन पर सुर्ख़ या अपने हम रंग पॉलिश लगाई जाती है।

हालांकि नाख़ुनों पर गहरी पॉलिश से वुज़ू भी मशकूक हो जाता है। अक्सर उलमा के नज़दीक इस सूरत में वुज़ू नहीं होता, क्योंकि नाख़ुनों पर पॉलिश होने की वजह से, वो सहीह तौर पर धुल नहीं पाते, इसके अलावा ये काफ़िरों की निशानी है, जो पसन्दीदा नहीं है, अगर ये उनका शिआर हो तो फिर हराम है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِيَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ . فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ] وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

(5573) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं, गोदने वाली और गुदवाने का मुतालबा या ख़्वाहिश करने वाली, बाल उखेड़ने वाली और उखड़वाने का मुतालबा करने वाली और ख़ूबसूरती के लिये दाँतों को कुशादा करने वाली, जो अल्लाह की तख़्लीक़ में तब्दीली करती हैं, अल्लाह ने लानत भेजी है। ये बात बनू असद की एक औरत उम्मे याक़ूब नामी तक पहुँची, जो क़ुरआन की तिलावत करती रहती थी तो वो इब्ने मसऊद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, वो बात क्या है, जो मुझे आपकी तरफ़ से पहुँची है कि आप बदन गोदने वालियों, गुदवाने वालियों, बाल उखड़वाने वालियों और ख़ूबसूरती के लिये दाँत कुशादा करवाने वालियों पर लानत भेजते हैं, जो अल्लाह की बनावट में तब्दीली पैदा करती हैं तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, मैं उन औरतों पर लानत क्यों न भेजूँ, जिन पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लानत भेजी है और उसका ज़िक्र अल्लाह की किताब में मौजूद है तो औरत कहने लगी, मैंने क़ुरआन मुकम्मल तौर पर पढ़ा है तो मुझे तो ये ज़िक्र नहीं मिला तो उन्होंने फ़रमाया, अगर तू तवज्जह के साथ पढ़ती तो तुझे ये मिल जाता, अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'रसूल तुम्हें जो दें ले लो और जिससे तुम्हें रोक दें,

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ . قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي . قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا . فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا .

उससे रुक जाओ।' (सूरह हश्र : 7) तो वो औरत कहने लगी, मैं देख रही हूँ (ख़याल करती हूँ) उनमें कुछ काम तो अब आपकी बीवी भी करती है। उन्होंने कहा, मेरे घर जाओ और देख लो तो वो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी के पास गई और उसे कुछ नज़र न आया, वो उनके पास आकर कहने लगी, मैंने कुछ नहीं देखा तो उन्होंने कहा, हाँ अगर वो इन उमूर में से किसी का इर्तिकाब करती, हमारे साथ न रहती वो उसको साथ न रखते।

(सहीह बुख़ारी : 4776, 4887, 5931, 5939, 5943, 5944, 5948, अबू दाऊद : 4169, तिर्मिज़ी : 2782, नसाई: 8/146, 8/188, इब्ने माजह : 1989)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नासिमात : बाल उखेड़ने वाली जो चेहरे के बाल उखेड़ती है और मुतनम्मिसात जो दूसरी औरत से बाल उखड़वाती है। आम तौर पर औरतें ये काम हुस्नो-ज़ेबाइश के लिये पलकों और चेहरे के अतराफ़ में करती हैं। अहनाफ़ के नज़दीक औरत के लिये दाढ़ी, मूंछें और बच्चे के बाल ज़ाइल करना दुरुस्त है और शवाफ़ेअ का भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम तबरी, ने इसको भी नाजाइज़ क़रार दिया है, जबकि इमाम नववी इस इज़ाले को मुस्तहब क़रार देते है। **(2) मुतफ़ल्लिजात :** रुबाई और सनाया दाँतों को रेती के ज़रिये बारीक करना ताकि दरम्यान में कुशादगी पैदा हो और औरत कम उम्र नज़र आये।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है अपने बदन और जिस्म में हुस्नो-जमाल की ख़ातिर कमी व बेशी करके, ऐसा रद्दो-बदल करना जो दाइमी और मुसलसल हो और तख़्लीक़ व बनावट महसूस हो तो ये धोखादेही और कुछ बनावट में तब्दीली है जो नाजाइज़ है। लेकिन आरज़ी रंगो-रोग़न या सुर्ख़ी, पोडर, सिर्फ़ ख़ाविन्द की ख़ातिर इस्तेमाल करना जाइज़ है। लेकिन बाज़ारू औरतों की तरह हार-सिंघार करके और मुकम्मल दावते नज़ारा बनकर, दूसरों के सामने अपने हुस्नो-जमाल का मुज़ाहिरा करना ताकि लोग दीदे फाड़-फाड़कर उसे देखें और उसके हुस्नो-जमाल का शोहरत हो और वो शमअ महफ़िल बन जाये। उसके फोटो उतरें तो ये इन्तिहाई शदीद जुर्म और कबीरा गुनाह है और इस हदीस़ से मालूम होता है। इंसान दूसरों के सामने जो कुछ बयान करता है, लोग फ़ौरन उसके घर पर नज़र डालते हैं कि उन बातों पर उसके घर कहाँ तक अमल हो रहा है और इंसान को अपने घर की सफ़ाई देने के लिये तैयार रहना चाहिये और

बद क़िस्मती है कि ये चीज़ आज मफ़क़ूद है। हमारे क़ौलो-अमल में तज़ाद है, जो हमारी तबाही और बर्बादी का बाइस है और उस बीमारी में आम व ख़ास, आलिम व जाहिल तमाम तबक़ात मुब्तला हैं, लेकिन उलमा की ज़िम्मेदारी बहरहाल दूसरों से ज़्यादा है, इसलिये हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमाया, अगर मेरी बीवी इनमें से किसी का इर्तिकाब करती तो मैं उसको अपने साथ न रखता, बल्कि तलाक़ देकर अलग कर देता। नीज़ रसूलुल्लाह(ﷺ) का अम्र व नही किताबुल्लाह के अम्र और नही के हुक्म में है, इससे राहे फ़रार इख़्तियार करना मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ - كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ . وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ

(5574) इमाम साहब बयान करते हैं कि हमें ये हदीस़ तीन और उस्तादों ने अपनी दो सनदों से बयान की। सुफ़ियान की रिवायत में अल्वाशिमात वल्मुस्तौशिमात है और मुफ़ज़्ज़ल की हदीस़ में अल्वाशिमात वल्मौशूमात है, मुस्तौशिमत गुदवाने का मुतालबा करने वाली और मौशूमह जिसे गूदा गया है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ .

(5575) इमाम साहब बयान करते हैं कि हमें ये हदीस़ तीन उस्तादों ने एक सनद से सुनाई, लेकिन उसमें पूरा वाक़िया महज़ूफ़ है इमाम याक़ूब का ज़िक्र नहीं है, यानी ख़ालिस हदीस़ सुनाई।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(5576) इमाम साहब बयान करते हैं, हमें एक और उस्ताद ने ये हदीस़ सुनाई।

(नसाई : 8/147, 8/188)

(5577) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने औरत को अपने सर के साथ किसी चीज़ को जोड़ने से सरज़निश फ़रमाई है।

وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا .

फ़ायदा : जुम्हूर के नज़दीक दूसरी रिवायतों की रोशनी में, शैअन कोई चीज़ से मुराद इंसानी बाल हैं।

(5578) हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि जिस साल हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने हज किया, मिम्बर पर बालों का एक गुच्छा पकड़ कर, जो एक मुहाफ़िज़ के हाथ में था, मैंने उनसे ये कहते सुना, ऐ अहले मदीना! तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को इस क़िस्म के काम से रोकते हुए सुना, आपने फ़रमाया, 'बनू इस्राईल बस उस वक़्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने इस क़िस्म के कामों को अपना लिया।'

(सहीह बुख़ारी : 3468, 5932, अबू दाऊद : 4167, तिर्मिज़ी : 2781, नसाई : 8/187)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ " إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : हरसिय्युन : बॉडीगार्ड, मुहाफ़िज़, पहरेदार।

फ़ायदा : ये हज हज़रत मुआविया (रज़ि.) का अपने दौरे ख़िलाफ़त में आख़िरी हज था। जो उन्होंने 51 हिजरी में किया। इस हदीस़ से मालूम होता है, अगर किसी बुराई का ज़ुहूर हो रहा हो तो उलमा को उससे रोकना चाहिये और अरबाबे इख़्तियार, हुक्मरान भी अगर किसी बुराई को फैलते देखें तो उलमा को भी उसकी तरफ़ मुतवज्जह करें, अगर बुराई के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा तो हलाकत व तबाही का ख़तरा है और औरतों के फैशन ही तबाही व बर्बादी का पेश ख़ेमा बनते हैं और हमारी बद क़िस्मती है। आज रोज़ औरतों में बेहयाई और उरयानी बढ़ रही है और वो नित नये फैशन निकाल रही हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकने-टोकने वाला नहीं है, बल्कि ख़ुद हुकूमत उसको ग़िज़ा फ़राहम कर रही और उसकी इशाअ़त का बाइस़ बन रही है।

(5579) इमाम साहब बयान करते हैं, हमें ये हदीस़ तीन उस्तादों ने अपनी-अपनी सनद ज़ुहरी ही की सनद से सुनाई, मअमर की हदीस़ में ये है, बनू इस्राईल को अ़ज़ाब इसलिये दिया गया।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ " إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ " .

(5580) इमाम सईद बिन मुसय्यब (रह.) बयान करते हैं, हज़रत मुआविया (रज़ि.) मदीना तशरीफ़ लाये तो हमें ख़िताब फ़रमाया और बालों का एक गुच्छा पकड़कर दिखाया और कहा, मैं नहीं समझता था कि यहूद के सिवा कोई और भी ये हरकत करता है, रसूलुल्लाह(ﷺ) को इसकी ख़बर पहुँची तो आपने उसको झूठ का नाम दिया।

(सहीह बुख़ारी : 3488, नसाई : 8/144, 8/186, 187)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ .

(5581) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने कहा, तुमने बुरी हेयत व शक्ल ईजाद कर ली है और नबी(ﷺ) ने झूठ से मना फ़रमाया है और एक आदमी लाठी लेकर आया, जिसके सिरे पर एक चीथड़ा था। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने कहा, ख़बरदार! यही झूठ है। क़तादा कहते हैं, यानी चीथड़ों से औरतें अपने बालों को ज़्यादा बनाकर पेश करती हैं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ . قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلاَ وَهَذَا الزُّورُ . قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ

फ़ायदा : हज़रत मुआविया (रज़ि.) के क़ौल से मालूम होता है, उनके नज़दीक किसी मसनूई तरीक़े से बालों की तक्सीर या इज़ाफ़ा जअलसाज़ी और धोखा व फ़रेब है। असल बात ये मालूम होती है, हर वो मसनूई विग, जिससे असली बालों का इश्तिबाह पड़ता है और वो बाल ही महसूस होती है, वो नाजाइज़ है, लेकिन वो बालों से मुम्ताज़ हो और उससे बालों में इज़ाफ़ा न होता हो, जैसे औरतों का परान्दा, तो ये जाइज़ है। क्योंकि इसमें तदलीस व तल्बीस या जअलसाज़ी नहीं है।

बाब 34 : वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हैं, ख़ुद राहे रास्त से हटी और दूसरों को भी मोड़ती हैं

باب النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلاَتِ الْمُمِيلاَتِ

(5582) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले नार (दोज़ख़ियों) की दो क़िस्में ऐसी हैं, जो मैंने देखी नहीं है, एक क़िस्म वो लोग हैं जिनके पास बैलों की दुमों जैसे कोड़े हैं, उनसे लोगों को पीटते हैं और दूसरी क़िस्म वो औरतें हैं, जो लिबास पहनती हैं, मगर नंगी हैं। सीधी राह से बहकने वाली और दूसरों को बहकाने वाली, उनके सर बुख़्ती ऊँटों की कोहानों की तरह एक तरफ़ झुके होंगे, वो जन्नत में दाख़िल नहीं होंगी, न उसकी ख़ुश्बू पायेंगी, हालांकि उसकी ख़ुश्बू-महक इतनी-इतनी मसाफ़त से महसूस होती है।'

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) माइलात :** राहे रास्त और हक़ से हटी हुई मुमीलात और दूसरों को अपनी इस हरकत से आगाह करने वाली। **(2) माइलात :** नाज़ो-नख़रे से चलने वाली, मुमीलात : अपने कूल्हों को झुकाने वाली। **(3) माइलात :** बाज़ारू औरतों की तरह अपने बालों को एक तरफ़ करने वाली। **(4) मुमीलात :** दूसरी औरतों को भी इस क़िस्म की कंघी पर उकसाने वाली। **(5) माइलात :** ज़िना के मुहर्रिकात और दवाई और ज़िना की मुर्तकिब। मुमीलात : दूसरों के दिलों को बेहयाई और उरयानी की दावत देने वाली। **(6) कासियातुन आरियातुन :** हुस्नो-जमाल के इज़हार

के लिये अपने लिबास, बदन के कुछ हिस्सों को नंगा रखने वाली, जिस तरह आज-कल औरतें अपना सर, बाज़ू और पेट का कुछ हिस्सा नंगा कर लेती हैं या यूरोपियन औरतें, अण्डरवियर और बनियान पहनकर बाज़ारों में दावते नज़ारा देती हैं और बेहयाई और ज़िना के मौक़े तलाश करती हैं या वो औरतें जिन्हें अल्लाह तआला ने अपनी नेमतों से मालामाल फ़रमाया है। लेकिन वो अल्लाह के शुक्र से आ़री हैं या इस क़द्र बारीक लिबास पहनती हैं जो उनके बदन को नुमायाँ करता है। ज़ाहिर है नेमतों से मालामाल और शुक्र से आ़री औरतें तो आपके मुबारक ज़माने में भी मौजूद थीं, इसलिये दूसरे दोनों मफ़्हूम मुराद हैं और आपकी ये पेशीनगोई हर्फ़-बहर्फ़ सच्ची हो चुकी है। (7) **रुऊसुहुन्न कअस्निमतिल बुख़्त** : उनके सर बुख़्ती ऊँटों की कोहानों की तरह होंगे। आज-कल औरतें अपने खुले बालों को गुद्दी पर बांध लेती हैं या सर के दरम्यान इकट्ठा कर लेती हैं, जो ऊँट की कोहान की तरह नज़र आता है और आपकी ये पेशीनगोई भी पूरी हो चुकी है और लोगों को बैलों की दुमों जैसे कोड़ों से मारने वाले वो लोग हैं जो मुल्ज़िम से इक़रार करवाने के लिये लोगों को मारते-पीटते हैं या वो जल्लाद और पुलिस वाले हैं जो लोगों को ज़ुल्मो-सितम का निशाना बनाते हैं या हुक्मरान की हिफ़ाज़त के नाम पर लोगों पर कोड़े बरसाते हैं, इस तरह हदीस़ में बयान करदा दोनों क़िस्में ज़ाहिर हो चुकी हैं।

बाब 35 : लिबास वग़ैरह में फ़रेबदेही और जो न मिला हो उसके मिलने का इज़हार मम्नूअ है

باب النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

(5583) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं जो चीज़ ख़ाविन्द ने नहीं दी वो देने का इज़हार कर सकती हूँ? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो चीज़ मयस्सर नहीं, उससे सैरी का इज़हार करने वाला, वो झूठे कपड़े पहनने वाले की तरह है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अल्मुतशब्बिउ बिमा लम युअ्त : भूखा, सैर होने वाले की मुशाबिहत इख़्तियार करे, जो ख़ूबी मौजूद नहीं है उससे मुत्तसिफ़ होने का इज़हार करे, झूठी ज़ेबाइश के लिये, कंगाल बहुत कुछ होने का दावा करे, औरत अपनी सौकन को जलाने के लिये जो कुछ ख़ाविन्द ने नहीं

दिया है उसके देने का इज़हार करे। (2) **कलाबिसि सौबय ज़ूरिन :** (1) नेक और पारसा लोगों का लिबास पहनकर अपने ज़ुहद और वरअ का इज़हार करना। (2) झूठ बोलने को शिआर बनाना जिस तरह पसन्दीदा अख़्लाक़ को ज़ाहिरूस्सौब कह दिया जाता है। (3) झूठी गवाही देने के लिये बन-ठन कर जाना, ताकि उससे मुतास्सिर होकर उसकी गवाही क़ुबूल कर ली जाये। (4) दोहरी आस्तीन बनाना, असल मक़सद सर ता पा झूठा होना है कि ऐसा आदमी मुजस्सम (पक्का) झूठ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ " .

(5584) हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं, नबी(ﷺ) के पास एक औरत आई और कहने लगी, मेरी एक सौकन है तो क्या मुझे गुनाह होगा, अगर मैं ये ज़ाहिर करूँ, मुझे ख़ाविन्द ने फ़लाँ माल दिया है, हालांकि उसने दिया नहीं है? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख़्स के पास कोई चीज़ न हो और वो ज़ाहिर करे कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ है, वो झूठी ज़ेबाइश के कपड़े पहनने वाले की तरह है।'

(सहीह बुख़ारी : 5319, अबू दाऊद : 4997)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

(5585) इमाम साहब बयान करते हैं, हमें दो उस्तादों ने अपनी-अपनी सनद से हिशाम की इस सनद से ये रिवायत सुनाई।

इस किताब के कुल अबवाब 11 और 60 हदीसें हैं।

كتاب الآداب

किताबुल आदाब

हदीस नम्बर 5586 से 5645 तक

तआरुफ़ किताबुल आदाब

अदब से मुराद ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़ों में से बेहतरीन तरीक़ा सीखना और इख़्तियार करना है। ऐसा तरीक़ा जिससे इन्फ़िरादी (तन्हा) और इज्तिमाई (सामाजिक) ज़िन्दगी आसान, मुश्किलात से महफ़ूज़, ख़ुशगवार और इज़्ज़तमन्द हो जाये। रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रमान, 'मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और बेहतरीन अन्दाज़ में सिखाया' में इसी मफ़्हूम की तरफ़ इशारा है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने वही बेहतरीन अदब अपनी उम्मत को सिखाया है। आपने ऐसे उ़मूमी आदाब भी सिखाये जो हर इंसान के लिये हैं और उसे मुअज़्ज़ज़ लोगों का महबूब बना देते हैं। आप(ﷺ) ने ख़ास ज़िम्मेदारियों और पेशियों के हवाले से भी बेहतरीन आदाब सिखाये हैं, मुदर्रिस के आदाब, तालिबे इ़ल्म के आदाब, क़ाज़ी और हाकिम वग़ैरह के आदाब।

अदब का लफ़्ज़ किसी ज़बान की उन तहरीरों पर भी बोला जाता है जो इंसान की दिली वारदात की तर्जुमानी करती हैं या उनके ज़रिये से अलग-अलग शख़्सियात के हवाले से किसी इंसान के जो जज़्बात हैं, उनका इज़हार होता है। उसके लिये नज़्म व नस्र के नोअ़-दर-नोअ़ कई पैराये इख़्तियार किये जाते हैं। उन पर भी लफ़्ज़ अदब के इत्लाक़ का एक सबब यही है कि उससे भी कई मुआशरती हवालों से इंसानों की तर्बियत होती है। उर्दू इस्तिलाह में फ़ुनूने अदब के लिये 'अदबियात' की इस्तिलाह मुरव्वज (प्रचलित) है।

इमाम मुस्लिम (रह.) ने इन्फ़िरादी और इज्तिमाई ज़िन्दगी के आदाब के हवाले से रसूलुल्लाह(ﷺ) के ख़ूबसूरत तरीक़े और आपकी तालीमात इस किताब में और इसके बाद की मुतअ़द्दिद ज़ेली कुतुब में जमा की हैं। वो सभी हक़ीक़त में किताबुल आदाब ही का हिस्सा हैं। उन्हें अपनी अहमियत की वजह से अलग-अलग किताब का उ़न्वान दिया गया है लेकिन सब का ताल्लुक़ आदाब ही से है। कुछ शारेहीन ने किताबुर्रुअ्या तक अगले तमाम बाबों को किताबुल आदाब ही में शामिल कर दिया है। इस सिलसिले की पहली किताब में जिसका नाम भी किताबुल आदाब है, इसमें सबसे पहले रसूलुल्लाह(ﷺ) की कुन्नियत और आपके नामे नामी के हवाले से अदब बयान किया गया है। उसके बाद नाम रखने के आदाब, नामुनासिब नामों से बचने और अगर रखे हुए हों तो उनको बदलने की अहमियत, पैदाइश के बाद गुट्टी दिलवाकर नाम रख देने का इस्तिहबाब, इ़ज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिये कुन्नियत की अहमियत, एहतिराम, मुहब्बत व शफ़क़त के इज़हार के लिये किसी अच्छे रिश्ते के नाम पर किसी को पुकारने का जवाज़ वग़ैरह जैसे उ़न्वानात के तहत हदीसें बयान की गई हैं। उसके बाद किसी के घर दाख़िल होने के लिये इजाज़त माँगने, इजाज़त न मिले तो वापस चले जाने के आदाब बयान हुए हैं। आख़िर में घरों की ख़लवत के एहतिराम की ताकीद के मुताल्लिक़ हदीसें ज़िक्र की गई हैं।

كتاب الآداب

39. किताबुल आदाब

باب النَّهْىِ عَنِ التَّكَنِّي، بِأَبِي الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ

बाब 1 : अबुल क़ासिम कुन्नियत रखना मम्नूअ (मना) है और कौनसा नाम रखना पसन्दीदा है

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ، لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي " .

(5586) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है एक आदमी ने बक़ीअ में दूसरे आदमी को आवाज़ दी, ऐ अबुल क़ासिम! तो रसूलुल्लाह(ﷺ) उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुए तो उसने अ़र्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा मक़सूद आप नहीं हैं (मैंने आपको आवाज़ नहीं दी) मैंने तो फ़लाँ को पुकारा है (बुलाया है)। इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरा नाम रख लो और मेरी कुन्नियत मत रखो।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि आपने अपनी कुन्नियत रखने से इसलिये रोका कि इससे इल्तिबास (कन्फ्यूज) पैदा होता था, क्योंकि जब आदमी ने दूसरे आदमी को अबुल क़ासिम कहकर पुकारा तो आपने ख़याल किया मुझे पुकारा है, इसलिये आप मुतवज्जह हुए, उसने जब ये कहा कि मैंने

आपको नहीं बुलाया, तब आपने ये इरशाद फ़रमाया, मेरा नाम रख लो, लेकिन मेरी कुन्नियत न रखो, जिससे ये भी मालूम होता है कि अरब आम तौर पर दूसरे को कुन्नियत से याद करते थे, ख़ास कर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम फ़र्द को नाम लेकर नहीं पुकारते थे, इसलिये नाम रखने की सूरत में इश्तिबाह का एहतिमाल कम था और उसकी एक वजह और है, जो आगे आ रही है इसलिये अबुल क़ासिम कुन्नियत रखने के बारे में उलमा के अलग-अलग नज़रियात हैं (1) इमाम मालिक, जुम्हूर सलफ़ और जुम्हूर फ़ुक़्हा का ये मौक़िफ़ है कि इस मुमानिअत का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर से है, जबकि इस कुन्नियत के रखने से इल्तिबास का ख़तरा था और अब इल्तिबास का ख़दशा बाक़ी नहीं रहा है, इसलिये अब जो चाहे ये कुन्नियत रख सकता है, चाहे उसका नाम मुहम्मद या अहमद हो या न हो। (2) इमाम शाफ़ेई और अहले ज़ाहिर का नज़रिया ये है, ये अबुल क़ासिम कुन्नियत रखना किसी के लिये भी जाइज़ नहीं है, ख़्वाह उसका नाम मुहम्मद हो या न हो। (3) इमाम इब्ने जरीर के नज़दीक ये नस्स तन्ज़ीह या अदब व एहतिराम के लिये है (4) ये कुन्नियत रखना उस शख़्स के लिये मम्नूअ है, जिसका नाम मुहम्मद या अहमद और जिसका ये नाम न हो उसके लिये अबुल क़ासिम कुन्नियत रखने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ मुतक़द्दिमीन का यही मौक़िफ़ है। (5) अबुल क़ासिम कुन्नियत रखना, हर एक के लिये मम्नूअ है, इस तरह क़ासिम नाम रखना जाइज़ नहीं है, ताकि उसके बाप को अबुल क़ासिम न कहा जा सके।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، - وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلاَنَ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَهُ مِنْهُمَا، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ " .

(5587) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे नामों से अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है।'

(अबू दाऊद : 4949, तिर्मिज़ी : 2834, इब्ने माजह : 3728)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, अल्लाह के यहाँ बन्दे का वो नाम पसन्दीदा है जिसमें उसकी अब्दियत और बन्दगी का इज़हार व ऐतराफ़ होता है और इंसान जिस क़द्र उबूदियत में तरक़्क़ी करता जाता है उतना ही उसका मक़ाम व मर्तबा बढ़ता जाता है।

(5588) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे एक शख़्स के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम मुहम्मद रखा। तो उसकी क़ौम ने कहा, हम तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) के नाम पर नाम रखने की इजाज़त नहीं देंगे। तो वो अपने बेटे को अपनी पुश्त पर उठाकर चल पड़ा और उसे लेकर नबी(ﷺ) के पास आ गया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा एक बच्चा पैदा हुआ है, सो मैंने इसका नाम मुहम्मद रखा है तो मेरी क़ौम मुझे कहती है, हम तुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) के नाम पर नाम नहीं रखने देंगे। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे नाम पर नाम रखो और मेरी कुन्नियत के मुताबिक़ कुन्नियत न रखो, क्योंकि मैं तो क़ासिम हूँ, तुम्हारे दरम्यान तक़सीम करता हूँ।'

(सहीह बुख़ारी : 3114, 3115, 3538, 6187, 6196)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِي قَوْمِي لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि अबुल क़ासिम इस बिना पर थे कि अल्लाह तआला की तरफ़ से आपको जो कुछ मिलता था, वो इल्म व फ़ज़्ल हो या माल व दौलत, आप उसको लोगों में बांट देते थे और दूसरे किसी में ये ख़ूबी कमाल दर्जे में मौजूद नहीं था। इसलिये उसका नाम क़ासिम रखना दुरुस्त नहीं है, ताकि उसका बाप अबुल क़ासिम न कहला सके तो उससे इस कुन्नियत के रखने की एक दूसरी वजह निकली, इस वजह की रू से अब भी ये कुन्नियत रखना दुरुस्त मालूम नहीं होता, लेकिन आपके दौर में तो क़ासिम नाम रखने की सूरत में, ज़हन आपकी तरफ़ मुन्तक़िल हो सकता था और अब इसका एहतिमाल बाक़ी नहीं है, इसलिये ये कुन्नियत रखने में कोई हर्ज नहीं है।

(5589) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे एक शख़्स के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसने उसका नाम

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ . قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّ قَوْمِي أَبَوْا أَنْ يَكْنُونِي بِهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " .

मुहम्मद रखा। तो हमने कहा, हम तेरी कुन्नियत रसूलुल्लाह(ﷺ) वाली कुन्नियत नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आप से मशवरा कर लें। तो वो आपके पास आया और अ़र्ज़ की, मेरा एक बच्चा पैदा हुआ है, तो मैंने उसका नाम रसूलुल्लाह(ﷺ) के नाम पर रखा है और मेरी क़ौम ने उसके नाम पर मेरी कुन्नियत रखने से इंकार किया है, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से इजाज़त ले ले। तो आपने फ़रमाया, 'मेरे नाम पर नाम रखो और मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत न रखो, क्योंकि मैं तो क़ासिम बनाकर भेजा गया हूँ, तुम्हारे दरम्यान (इल्म व माल) बांटता हूँ।'

حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ " فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ "

(5590) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं और उसमें ये बयान नहीं किया, 'मैं तो क़ासिम बनाकर भेजा गया हूँ और तुम्हारे दरम्यान बांटता हूँ।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ " وَلاَ تَكْتَنُوا

(5591) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे नाम को रख लो और मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत न रखो, क्योंकि मैं तो अबुल क़ासिम इसलिये हूँ कि तुम्हारे दरम्यान तक़सीम करता हूँ।' और अबू बक्र की रिवायत में है, 'मेरी कुन्नियत न रखो।'

(5592) इमाम साहब को एक और उस्ताद ने बताया, आपने फ़रमाया, 'मैं तो क़ासिम ठहराया गया हूँ, तुम्हारे दरम्यान बांटता हूँ।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " .

(5593) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक अन्सारी आदमी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम मुहम्मद रखना चाहा तो वो नबी(ﷺ) के पास आया और आपसे पूछा तो आपने फ़रमाया, 'अन्सार ने अच्छा किया, मेरे नाम पर नाम रखो और मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत न रखो।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ " أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي " .

(5594) इमाम साहब ने अलग-अलग उस्तादों से पाँच सनदों से इस हदीस़ को बयान किया है, हुसैन की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं तो क़ासिम बनाकर भेजा गया हूँ, तुम्हारे दरम्यान तक़सीम करता हूँ।' और सुलैमान कहते हैं, 'मैं तो क़ासिम हूँ क्योंकि तुम्हारे दरम्यान तक़सीम करता हूँ।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ، بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمِ، بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ . وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " . وَقَالَ سُلَيْمَانُ " فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " .

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا . فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

(5595) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे एक शख़्स के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और उसने उसका नाम क़ासिम रखा तो हमने कहा, हम तेरी कुन्नियत अबुल क़ासिम नहीं रखेंगे और तेरी आँखों को (इस कुन्नियत से) ठण्डा नहीं करेंगे तो वो नबी(ﷺ) के पास आया और उसका तज़्किरा किया तो आपने फ़रमाया, 'अपने बेटे का नाम अ़ब्दुर्रहमान रख ले।'

(सहीह बुख़ारी : 6186, 6189)

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا .

(5596) इमाम साहब को यही रिवायत दो और उस्तादों ने भी सुनाई, लेकिन इसमें ये ज़िक्र नहीं किया और हम तेरी आँखों को आसूदगी नहीं बख़्शेंगे।

फ़ायदा : ऊपर ये गुज़र चुका है कि अन्सारी ने अपने बेटे का नाम मुहम्मद रखा था और यहाँ ये है कि क़ासिम रखा था और अन्सार का ये कहना हम तेरी कुन्नियत, रसूलुल्लाह(ﷺ) वाली नहीं रखेंगे और आपका ये फ़रमाना, 'अन्सार ने अच्छा किया, नीज़ आपका ये फ़रमाना कि मैं तो क़ासिम इसलिये हूँ कि तुम्हारे दरम्यान इल्म व ख़ैरात और ग़नीमत का माल तक़सीम करता हूँ।' इसका मूईद (ताईद करने वाला) है कि उसने नाम क़ासिम रखा था ताकि उसको अबुल क़ासिम कहा जाये और आपने अपने नाम पर तो नाम रखने की इजाज़त दी है, ये तो क़ाबिले इंकार नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي". قَالَ عَمْرٌو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ .

(5597) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, अबुल क़ासिम(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे नाम पर नाम रखो और मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत न रखो।'

(सहीह बुख़ारी : 3539, 6188, अबू दाऊद : 4965, इब्ने माजह : 3735)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ" إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ " .

(5598) हज़रत मुग़ीरह् बिन शोबा (रज़ि.) बयान करते हैं, जब मैं इलाक़े नजरान आया, लोगों ने मुझसे सवाल किया और कहा, तुम पढ़ते, 'ऐ हारून की बहन' हालांकि मूसा (अलै.), ईसा (अलै.) से इतना-इतना अरसा पहले गुज़र चुके हैं तो जब मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास वापस आया, मैंने आपसे इसके बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया, 'वो अपने अम्बिया और पहले नेक लोगों के नाम पर नाम रखते थे।'

(तिर्मिज़ी : 3155)

फ़ायदा : हज़रत मरयम (अलै.) को या उख़्त हारून कहकर पुकारा गया है हालांकि हारून (अलै.) हज़रत मूसा के भाई हैं, जो हज़रत मरयम और ईसा (अलै.) से काफ़ी अरसा पहले गुज़र चुके हैं, आपने फ़रमाया कि हारून से मुराद यहाँ मूसा (अलै.) का भाई नहीं है। बल्कि और हारून है और बनू इस्राईल। अपनी औलाद के नाम गुज़िश्ता अम्बिया (नबियों) और नेक लोगों के नाम पर रख लेते थे और हज़रत मरयम को उख़्त हारून उस इंसान की नेकी और पारसाई के साथ तश्बीह देते हुए कहा गया, वरना वो उनका हक़ीक़ी भाई न था और अब उलमा के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़, अम्बिया के नाम पर नाम रखना जाइज़ है और हज़रत उमर (रज़ि.) ने जो मुहम्मद नाम रखने से मना फ़रमाया है तो इसकी वजह ये थी कि इस नाम का शख़्स अगर कोई ग़लत हरकत करे तो लोग उसकी ग़लतकारी पर लअन-तअन करते हैं तो गोया उसके सबब आपके नाम को बुरा-भला कहा गया तो ये आपके नाम का इकराम व एहतिराम के मुनाफ़ी हैं, इसलिये हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया था, ये नाम न रखो, लेकिन जब उनको बताया गया कि ये नाम आपने ख़ुद कुछ लोगों का रखा है तो वो ख़ामोश हो गये।

बाब 2 : बुरे नाम और नाफ़ेअ वग़ैरह नाम रखना नापसन्दीदा है

باب كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

(5599) हज़रत समुरह् बिन जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें अपने गुलामों के ये चार नाम रखने से मना फ़रमाया, अफ़लह, रबाह, यसार और नाफ़ेअ।

(अबू दाऊद : 4958, 4959, तिर्मिज़ी : 2836, इब्ने माजह : 3729)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ، سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ .

फ़ायदा : आम तौर पर लोग अपने गुलामों के ये चार नाम रखते थे, अफ़लह (कामयाब), रबाह (नफ़ाबख़्श तिजारत), यसार (आसान और सहल), नाफ़ेअ (सूदमन्द)। अब कोई शख़्स आकर पूछे कि नाफ़ेअ है या रबाह है और जवाब में कहा जाये, मेरे पास या घर में नाफ़ेअ या यसार नहीं है तो ये

एक क़िस्म की क़बीह और बुरी सूरत है और कुछ लोग उससे बदशगूनी में भी मुब्तला हो जाते हैं और इस नह्य का ताल्लुक़ अदब और सलीक़े से है, इसलिये आपने अपने ग़ुलाम रबाह और यसार का नाम तब्दील नहीं किया था और हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) के मशहूर ग़ुलाम और शागिर्द का नाम नाफ़ेअ़ था, जो एक जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं और इमाम मालिक के बड़े उस्तादों में से है, जिनकी सनद को 'सोने की ज़ंजीर' का नाम दिया जाता है।

(5600) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम अपने ग़ुलाम का नाम रबाह या यसार या अफ़लह या नाफ़ेअ़ न रखना।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ يَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِعًا " .

(5601) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'चार बोल अल्लाह तआ़ला को बहुत महबूब हैं, सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इला-ह इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इनमें से किसी से भी शुरू कर लो तो तुम्हारे लिये कोई नुक़सान की बात नहीं है और तुम अपने ग़ुलाम या बच्चे का नाम यसार या रबाह या नजीह (कामयाब) और अफ़लह न रखना, क्योंकि तुम पूछोगे, क्या फ़लाँ इधर है? और वो नहीं होगा तो जवाब देने वाला कहेगा, नहीं। ये चार ही हैं, मुझसे बयान करते वक़्त इन पर इज़ाफ़ा न करना।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ لاَ". إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَىَّ .

फ़ायदा : इस हदीस़ के रावी का क़ौल है कि मैंने ये चार ही नाम सुने हैं, मुझसे बयान करते वक़्त इन पर इज़ाफ़ा न करना, अगरचे क़ियास की रू से इनके हम मानी और हम मक़सूद नाम और भी हो सकते हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ . فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلاَمِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلاَمَ الأَرْبَعَ .

(5602) मुसन्निफ़ को यही हदीस़ चार और उस्तादों ने भी तीन सनदों से सुनाई है, जरीर और रौह की हदीस़ ज़ुहैर की तरह वाक़िया समेत है और शोबा की हदीस़ में सिर्फ़ ग़ुलाम के नाम रखने का तज़्किरा है, चार बोलों का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ .

(5603) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इन नामों को रखने से मना करने का इरादा फ़रमाया, यअ़्ला, बरकत, अफ़लह, यसार, नाफ़ेअ़ और इनके हम मानी नाम। फिर मैंने देखा, बाद में इससे ख़ामोश हो गये और कुछ न फ़रमाया। फिर आपकी वफ़ात हो गई और आपने इनसे मना न फ़रमाया, फिर हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने इन नामों से रोकने का इरादा किया, फिर इसको नज़र अन्दाज़ कर दिया।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इन नामों से अदब व एहतिराम को मल्हूज़ रखते हुए मना फ़रमाया। फिर क़ानूनी और फ़िक़्ही रू से इनसे रोकने का इरादा फ़रमाया। लेकिन इस इरादे को अ़मली जामा नहीं पहनाया और क़तई तौर पर इनसे रोकने का हुक्म नहीं दिया, यहाँ तक कि आप इस जहाँ फ़ानी से चले गये।

बाब 3 : बुरा नाम बदल कर अच्छा नाम रखना और बर्रह नाम को ज़ैनब, जुवेरिया और इन जैसे नामों से बदल देना पसन्दीदा है

بَاب اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ " أَنْتِ جَمِيلَةُ " . قَالَ أَحْمَدُ مَكَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ .

(5604) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने आसियह (नाफ़रमान) नाम बदल कर फ़रमाया, 'तुम जमीला हो।'

(अबू दाऊद : 4952, तिर्मिज़ी : 2838)

फ़ायदा : रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तीन क़िस्म के नामों से रोका है (1) जिनका मानी नापसन्दीदा है जैसे आसिया यानी नाफ़रमान, हालांकि एक मुसलमान के लिये नाफ़रमानी ज़ेबा नहीं है। चाहे उसका नाम नाफ़रमान रख दिया जाये। (2) जिन नामों से बदशगूनी का अन्देशा है, जबकि बद शगूनी जाइज़ नहीं है, जैसे अफ़लह, नजीह और यसार वग़ैरह। (3) जिनमें अपना तज़्किया और सफ़ाई पेश की गई है, जैसे बर्रह, वफ़ादार, इताअत गुज़ार, अगरचे ये दूसरी क़िस्म में भी दाख़िल है और इससे बद शगूनी का अन्देशा है यानी नफ़ी की सूरत में।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ، كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيلَةَ .

(5605) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) की एक बेटी का नाम आसिया था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका नाम जमीला रखा।

(इब्ने माजह : 3733)

(5606) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत जुवेरिया का नाम बर्रह था। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका नाम बदलकर जुवेरिया रखा और आप इस बात को नापसंद करते थे कि कहा जाये, आपके पास से बर्रह चली गई। इब्ने अबी उमर की रिवायत में अन कुरैबिन अन इब्ने अब्बास की जगह अन कुरैबिन, समिअ़तु इब्ने अब्बास है।

(अबू दाऊद : 1508)

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةَ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ‏.‏

फ़ायदा : उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया बिन्ते हारिस़ (रज़ि.) का नाम बर्रह (नेकी, इताअ़त) था। आपने बर्रह की बजाए जुवेरिया नाम रखा। क्योंकि इसमें एक तरफ़ पारसाई का इज़हार है तो दूसरी तरफ़ बद शगूनी का अन्देशा भी मौजूद है। लेकिन नेक शगून के लिहाज़ से ये नाम रखना दुरुस्त होगा, जबकि तज़्किय-ए-नफ़्स और अपनी पारसाई का इज़हार मक़सूद न हो।

(5607) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की दो सनदों से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हज़रत ज़ैनब का नाम बर्रह था तो कहा गया, ख़ुद अपना तज़्किया और सफ़ाई पेश करती हैं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका नाम ज़ैनब रख दिया।

(सहीह बुख़ारी : 6192, इब्ने माजह : 3717)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ ح

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ، كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا ‏.‏ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ ‏.‏ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلاَءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ‏.‏

(5608) हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं, मेरा नाम बर्रह् था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरा नाम ज़ैनब रखा और बयान करती हैं, आपके निकाह में हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) आईं, उनका नाम बर्रह् था तो आपने उसका नाम ज़ैनब रखा।
(अबू दाऊद : 4953)

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ . قَالَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ .

(5909) मुहम्मद बिन अम्र बिन अ़ता (रह.) बयान करते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम बर्रह रखा तो मुझे हज़रत जैनब बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस नाम के रखने से रोका है, मेरा नाम बर्रह रखा गया था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़ुद अपना तज़्किया न करो, अल्लाह तआ़ला तुममें से वफ़ादारों और नेकोकारों को ख़ूब जानता है।' तो मेरे वारिसों ने पूछा, हम इसका क्या नाम रखें? आपने फ़रमाया, 'इसका नाम ज़ैनब रखो।'

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ " . فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ " سَمُّوهَا زَيْنَبَ " .

फ़ायदा : इन हदीसों से साबित होता है, नापसन्दीदा और पारसाई पर दलालत करने वाले नामों को बदल देना चाहिये।

बाब 4 : मलिकुल अम्लाक और मलिकुल मुलूक (शहनशाह) नाम रखना नाजाइज़ है

باب تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

(5610) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा नाम उस आदमी का है जो अपना नाम शहनशाह रखता है।' इब्ने अबी शैबा ने अपनी रिवायत में ये इज़ाफ़ा बयान किया है, 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सिवा कोई मालिक नहीं है।' सुफ़ियान ने कहा, जैसे शाहाने शाह है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, मैंने अबू अम्र से अख़नअ का मानी पूछा तो उसने कहा, सबसे ज़्यादा पस्त व ज़लील।

(सहीह बुख़ारी : 6205, अबू दाऊद : 4961, तिर्मिज़ी : 2837)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالَ الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ " . زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ " لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ الأَشْعَثِيُّ قَالَ سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ فَقَالَ أَوْضَعُ .

मुफ़रदातुल हदीस : अख़नअ यानी अज़ल्ल : ज़लील तरीन। बक़ौल ख़लील अफ़्जर : बदतरीन, क़बीह।

फ़ायदा : इमाम सुफ़ियान (रह.) ने मलिकुल मुलूक का तर्जुमा शाहाने शाह किया है, जो फ़ारसी ज़बान है। जिसका मक़सद ये है कि सिर्फ़ मलिकुल मुलूक ही ज़लील तरीन और सबसे बुरा नाम नहीं है, बल्कि इस मफ़्हूम व मानी का हामिल किसी ज़बान का नाम यही हुक्म रखता है, जैसे ख़ालिक़ुल ख़ल्क़, अहकमुल हाकिमीन, सुल्तानुस्सलातीन, अमीरुल उमरा और बक़ौल कुछ हर वो नाम जो अल्लाह तआला के लिये मख़्सूस है। इसका यही हुक्म है, जैसे जब्बार, क़ह्हार, रहमान, क़ुदूस वग़ैरह इसलिये शरअ़न ये नाम रखना जाइज़ नहीं है।

(5611) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की बयान करदा रिवायात में से एक ये है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे मब्ग़ूज़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ

أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ

आदमी और सबसे ख़बीस फ़र्द, जिस पर वो सबसे ज़्यादा नाराज़ होगा, वो आदमी है जिसका नाम शहनशाह रखा गया, अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं है।'

بَاب اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلاَدَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَم

बाब 5 : बच्चे की पैदाइश के वक़्त उसको घुट्टी देना और घुट्टी के लिये किसी नेक आदमी के पास ले जाना पसन्दीदा है और पैदाइश के दिन उसका नाम रखना जाइज़ है और बेहतर ये है कि उसका नाम अ़ब्दुल्लाह, इब्राहीम और दीगर अम्बिया के नाम पर रखा जाये

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ " هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ " . وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ .

(5612) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं अ़ब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अन्सारी (रज़ि.) को जब वो पैदा हुए रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले गया और रसूलुल्लाह(ﷺ) एक चादर में अपने ऊँट को गंधक मल रहे थे। आपने फ़रमाया, 'क्या तेरे पास खजूरें हैं?' मैंने कहा, जी हाँ! तो मैंने आपको चंद ख़ुश्क खजूरें पकड़ाईं और आपने उन्हें मुँह में डाल लिया और उन्हें चबाया, फिर बच्चे का मुँह खोला और उन्हें उसके मुँह में डाल दिया, तो बच्चा उन्हें चूसने लगा। इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अन्सार की महबूब चीज़ खजूरें हैं।' और आपने उसका नाम अ़ब्दुल्लाह रखा।

(अबू दाऊद : 4951)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) यह्नउ : हिना गंधक से माख़ूज़ है कि आप ऊँट को बज़ाते ख़ुद गंधक मल रहे थे। जिससे मालूम हुआ इमाम को सदक़ा व ज़कात के अम्वाल का बज़ाते ख़ुद ख़्याल रखना चाहिये और ज़रूरत के तहत हैवान को गंधक मलना जो उसके लिये तकलीफ़ का बाइस़ है, दुरुस्त है। **(2) ला कहुन्न : लौक** का मानी है, सख़्त चीज़ को चबाना। यानी आपने बच्चे के मुँह में डालने के लिये खजूरें नर्म कीं। **(3) फ़ग़र :** खोला, ताकि उसमें चबाई हुई खजूरें डाली जा सकें। **(4) यतलम्मज़ु :** ज़बान को मुँह में फेरने लगा।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, बच्चे की पैदाइश के वक़्त किसी नेक शख़्स से उसको घुट्टी दिलवाना चाहिये और अगर घुट्टी खजूरों की दी जाये तो बेहतर है, इस पर उ़लमा का इत्तिफ़ाक़ है और किसी सालेह शख़्स से नाम रखवाना बेहतर है और अ़ब्दुल्लाह बेहतरीन नाम है और नाम पैदाइश के दिन में रखा जा सकता है।

हुब्बुल अन्सारित्तम्रु : हिब्ब अगर हा पर ज़ेर हो तो मानी होगा महबूब और इस सूरत में हिब्बुल अन्सार मुब्तदा होगा और अत्तम्रु ख़बर और अगर हा पर ज़बर पढ़ें तो ये मस्दर होगा और हब्ब फ़ेअ़ल महज़ूफ़ा का मफ़ऊ़ल होने की बिना पर मन्सूब होगी और तम्र पर भी नसब होगी। या हब्बुल अन्सारित्तम्र को मुब्तदा मान कर उसकी ख़बर महज़ूफ़ मान लेंगे, यानी हुब्बुल अन्सारित्तमर वाज़ेह या आदतुम् मिन सिग़रिहिम।

(5613) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, अबू तलहा (रज़ि.) का एक बच्चा बीमार था। हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) घर से बाहर गये तो बच्चे की रूह क़ब्ज़ कर ली गई। जब अबू तलहा (रज़ि.) वापस आये तो उन्होंने पूछा, मेरे बेटे का क्या बना? उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने कहा, वो पहले से ज़्यादा पुर सुकून है और उन्हें शाम का खाना पेश किया। उन्होंने वो खा लिया, फिर उससे ताल्लुक़ात क़ायम किये। जब वो फ़ारिग़ हो गये तो उन्हें कहा, बच्चे को दफ़न कर दीजिये। जब सुबह हुई तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और उन्हें सूरते हाल से आगाह किया। आपने

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ، سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ . فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ " . قَالَ

نَعَمْ قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا " . فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَمَعَهُ شَىْءٌ " . قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ . فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ .

पूछा, 'आज रात तुम ताल्लुक़ात क़ायम कर चुके हो?' उसने कहा, जी हाँ! आपने दुआ फ़रमाई, ऐ अल्लाह! इन दोनों को बरकत से नवाज़।' तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने एक बच्चा जना और मुझे हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, इसे उठाकर नबी(ﷺ) की ख़िदमत में ले जाओ। तो वो उसे नबी(ﷺ) के पास लाये और उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने उसके साथ ख़ुश्क खजूरें भेजीं तो नबी(ﷺ) ने बच्चे को पकड़कर पूछा, 'क्या इसके साथ कोई चीज़ है?' हाज़िरीन ने कहा, जी हाँ! छूहारे हैं। नबी(ﷺ) ने उन्हें लेकर चबाया। फिर उन्हें अपने मुँह से निकाला और उन्हें बच्चे के मुँह में डाल दिया। फिर उसे घुट्टी दी और उसका नाम अ़ब्दुल्लाह रखा।

(सहीह बुख़ारी : 5470)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ .

(5614) इमाम साहब को यही रिवायत वाक़िया, समेत एक और उस्ताद ने सुनाई।

मुफ़रदातुल हदीस़ : हुवा अस्कनु मिम्मा का-न : बीमारी की सूरत में जिस हाल में था, उसे ज़्यादा पुर सुकून है।

फ़ायदा : इस तरह हज़रत उम्मे सुलैम ने तअ़रीज़ व तोरिया से काम लिया। फिर बाद में अपने आप पर क़ाबू पाते हुए ख़ूब बन-ठनकर उनके सामने आईं और उन्होंने ताल्लुक़ात क़ायम कर लिये, हुज़ूर(ﷺ) की दुआ के नतीजे में बच्चा पैदा हुआ और आपने उसे खजूरों की घुट्टी देकर उसका नाम अ़ब्दुल्लाह रखा, अल्लाह तआला ने उसको (9) बेटे दिये। जो सब हाफ़िज़ बने और हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने मौत की इत्तिलाअ़ देने से पहले कहा, ऐ अबू तलहा (रज़ि.)! अगर कोई किसी से कोई चीज़ आ़रियतन ले और बाद में मालिक अपनी आ़रियतन दी हुई चीज़ की वापसी का मुतालबा करे तो क्या उसके

मुतालबे को रद्द किया जा सकता है? हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, नहीं! तो उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने कहा, अपने बेटे का सवाब कमाओ। इस पर हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) नाराज़ हुए कि तूने मुझे ऐसी सूरत में ताल्लुक़ात पर आमादा किया। फिर इसकी शिकायत रसूलुल्लाह(ﷺ) से की, आपने दुआ दी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ .

(5615) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसे नबी(ﷺ) के पास लाया, आपने उसका नाम इब्राहीम रखा और उसे खजूर की घुट्टी दी।

(सहीह बुख़ारी : 5467, 6198)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَاءً فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بِقُبَاءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُحَنِّكَهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ فَإِنَّ أَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ

(5616) हज़रत उरवह बिन ज़ुबैर और फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर बयान करते हैं, हिजरत के मौक़े पर हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र के पेट में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) थे, वो क़ुबा पहुँचीं तो वहाँ अब्दुल्लाह (रज़ि.) पैदा हो गये तो वो उसे लेकर घुट्टी देने के लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं, आपने उसे उससे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया, फिर खजूरें मंगवाईं। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम खजूरें मिलने से पहले कुछ देर उन्हें तलाश करते रहे। आपने उन्हें चबाया, फिर लुआबे दहन (थूक) उसके मुँह में डाल दिया। तो सबसे पहले उसके पेट में रसूलुल्लाह(ﷺ) का लुआब दहन दाख़िल हुआ। हज़रत असमा (रज़ि.) बयान करती हैं, फिर आपने उस पर हाथ फेरा, उसके हक़ में दुआ फ़रमाई और उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। फिर वो सात या आठ साल की उम्र में अपने बाप ज़ुबैर

وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُ مُقْبِلاً إِلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ .

(रज़ि.) के हुक्म से रसूलुल्लाह(ﷺ) से बैअ़त करने के लिये हाज़िर हुए और रसूलुल्लाह(ﷺ) उन्हें अपनी तरफ़ आते हुए देखकर मुस्कुराये, फिर उनसे बैअ़त कर ली।

(सहीह बुख़ारी : 3909, 5469)

फ़ायदा : इन हदीसों से मालूम होता है पहले दिन घुट्टी देने के साथ ही उसका नाम रख लेना बेहतर है और सातवें दिन तक नाम रखने की गुंजाइश है, सात दिन से ज़्यादा ताख़ीर दुरुस्त नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ .

(5617) हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं, उन्हें मक्का में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का हमल ठहरा और मैं पूरे दिनों हिज्रत के लिये निकली, मैंने मदीना पहुँचकर कुबा में क़ियाम किया तो वो कुबा में पैदा हो गये। फिर मैं उसे लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। आपने उसे अपनी गोद में बिठा लिया, फिर आपने छूहारे मंगवा लिये और उन्हें चबाया। फिर उन्हें उसके मुँह में लुआबे दहन डाल दिया तो सबसे पहली जो चीज़ उसके पेट में दाख़िल हुई रसूलुल्लाह(ﷺ) का लुआबे दहन था। फिर आपने उसे खजूरों की घुट्टी दी। फिर उसके लिये दुआ की और उनके लिये बरकत की दरख़्वास्त की और वो (हिज्रत के बाद पैदा होने वाले) पहला बच्चा थे जो मुहाजिरीन के यहाँ पैदा हुए।

मुफ़रदातुल हदीस़ : अना मुतिम्मुन : मैं विलादत के दिन पूरे कर चुकी थी, यानी हमल ठहरे नौ माह का अ़र्सा गुज़र चुका था।

फ़ायदा : मदीना की तरफ़ हिज्रत के बाद ये बात फैल गई थी कि यहूदियों ने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, इसलिये उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिये जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) पैदा हुए तो

मुसलमानों के यहाँ इन्तिहाई ख़ुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक ज़बान होकर ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, जिससे मदीना गूंज उठा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ، بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ .

(5618) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (रज़ि.) बयान करती हैं कि उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ हिज्रत की जबकि उन्हें अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का हमल ठहरा हुआ था, आगे ऊपर वाली रिवायत सुनाई।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ .

(5619) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास बच्चे लाये जाते, आप उन्हें बरकत की दुआ देते और उन्हें घुट्टी देते।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جِئْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا .

(5620) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) को रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लाये, ताकि आप उसे घुट्टी दें, हमने छूहारे तलाश किये और हमारे लिये उनकी दस्तयाबी मुश्किल हो गई।

मुफ़रदातुल हदीस : अज़्ज़ अलैना : हमारे लिये दुश्वार हो गई, क्योंकि वो खजूरें पकने का मौसम नहीं था।

(5621) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं, जब मुन्ज़िर बिन अबी उसैद पैदा हुए तो उन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लाया गया तो नबी(ﷺ) ने उसे अपनी रान पर बिठा लिया और अबू उसैद भी बैठे हुए थे तो नबी(ﷺ) सामने पड़ी हुई किसी चीज़ में मशग़ूल हो गये। तो हज़रत उसैद (रज़ि.) ने अपने बेटे के बारे में हुक्म दिया, उसे रसूलुल्लाह(ﷺ) की रान से उठा लिया गया और उसे घर लौटा दिया गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी मशग़ूलियत से फ़ारिग़ हुए तो पूछा, 'बच्चा कहाँ है?' तो हज़रत अबू उसैद ने अ़र्ज़ किया, हमने उसे वापस भेज दिया है, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने पूछा, 'उसका नाम क्या है?' उसने जवाब दिया, फ़लाँ ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'नहीं! लेकिन उसका नाम मुन्ज़िर है।' तो उसी दिन आपने उसका नाम मुन्ज़िर रखा।

(सहीह बुख़ारी : 6391)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ - حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْلَبُوهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَيْنَ الصَّبِيُّ " . فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " مَا اسْمُهُ " . قَالَ فُلاَنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " لاَ وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ " . فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लहि-य बिशैइन : आप किसी चीज़ में मशग़ूल हो गये और आपकी सहूलत की ख़ातिर बच्चे को आप की रान से उठा लिया गया और किसी दूसरे वक़्त घुट्टी दिलवाने की निय्यत पर वापस भेज दिया गया। **(2) इस्तिफ़ाक़ :** आप अपनी सोच और फ़िक्र से बेदार हुए तो बच्चे को देखा और उसके बारे में पूछा।

फ़ायदा : बच्चे के बाप का चाचाज़ाद मुन्ज़िर बिन अ़म्र, बिअ्रे मऊ़ना के वाक़िये में शहीद हो चुका था, इसलिये आपने नेक शगून के लिये बच्चे का नाम मुन्ज़िर रखा, ताकि वो भी शहीद होने वाले मुन्ज़िर के नक़्शे क़दम पर चले या उसको इन्ज़ार के लिये इल्म नसीब हो।

बाब 6 : जिसके बच्चे न हो उसकी कुन्नियत रखना और छोटे बच्चे की कुन्नियत रखना

بَاب ٦: جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ وَ تَكْنِيَةِ الصَّغِيرِ

(5622) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सब लोगों से अच्छे अख़्लाक़ के मालिक थे। मेरा एक भाई था, जिसे अबू उमैर कहा जाता था। रावी बयान करता है, मेरा ख़्याल है हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, उसे माँ का दूध छुड़ाया जा चुका था। तो जब रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाते और उसे देखते तो फ़रमाते, 'ऐ अबू उमैर! नुग़ैर (सुर्ख़ चिड़िया) ने क्या किया?' वो बच्चा उस सुर्ख़ चिड़िया से खेलता था।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ح

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ - كَانَ فَطِيمًا - قَالَ - فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ قَالَ " أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ " . قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : नुग़ैर : ये एक परिन्दा है, जिसका सर और चोंच सुर्ख़ होती है, कुछ रिवायतों में इस परिन्दे को सअ़वह का नाम दिया गया है। अबू उमैर उससे खेलते थे और ये परिन्दा मर गया था।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, बच्चे और ला वलद शख़्स की भी कुन्नियत रखी जा सकती है और औलाद के नाम पर कुन्नियत रखना ज़रूरी नहीं है और बच्चों के साथ दिल लगी करना दुरुस्त है। बच्चे परिन्दों के साथ खेल सकते हैं और एक शख़्स अगर फ़ित्ने का डर न हो तो किसी औरत के यहाँ ज़ियारत के लिये जा सकता है और इमाम के लिये ज़रूरी नहीं है कि वो सबके यहाँ मुलाक़ात के लिये जाये और सबके साथ बराबर इख़्तिलात रखे, कुछ उलमा ने इस हदीस़ से साठ से ज़्यादा फ़ायदे मुस्तम्बत किये हैं। फ़तहुल बारी बाब कुन्नियतुस्सबी व क़ब्ल अंय्युवल्लिदु लिर्रजुलि जिल्द 10 देखिये।

बाब 7 : किसी दूसरे के बेटे को बतौरे शफ़क़त व प्यार बेटा कहना पसन्दीदा है

باب جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ • وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلاَطَفَةِ

(5623) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'ऐ प्यारे बेटे!'

(अबू दाऊद : 4964, तिर्मिज़ी : 2831)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ، مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا بُنَىَّ".

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है किसी दूसरे इंसान के लिये कम उ़म्र बेटे को प्यार व मुहब्बत और शफ़क़त व लुत्फ़ के लिये, ऐ मेरे बेटे (या इब्नी, या बुनय्या) ऐ मेरे बच्चे (या वलदी) कहना जाइज़ है। जैसाकि अपने हम उ़म्र को इस बिना पर या अख़ी कहना दुरुस्त है और अपने से बड़ी उ़म्र के शख़्स को या अ़म्मी (ऐ चाचा) कहना सहीह है।

(5624) हज़रत मुग़ीरह् बिन शोबा (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) से मुझसे ज़्यादा किसी ने दज्जाल के बारे में नहीं पूछा। तो आपने मुझे फ़रमाया, 'ऐ बेटे! तेरे लिये इससे कौनसी चीज़ दुश्वारी या मशक़्क़त का बाइस़ है? वो तुम्हें हर्गिज़ नुक़सान नहीं पहुँचायेगा?' मैंने कहा, लोगों का ख़याल है, उसके साथ पानी की नहरें और रोटियों के पहाड़ होंगे? आपने फ़रमाया, 'वो अल्लाह के नज़दीक इसी बिना पर ज़लील होगा।'

(सहीह बुख़ारी : 7122, इब्ने माजह : 4073)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي " أَىْ بُنَىَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ " . قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ . قَالَ " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ " .

फ़ायदा : दज्जाल के बारे में तफ़्सीली रिवायात किताबुल फ़ितन में आयेंगी, इसलिये इसके बारे में बहस़ नहीं होगी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ، يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ، رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُغِيرَةِ " أَىْ بُنَىَّ " . إِلاَّ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ .

(5625) इमाम साहब के अलग-अलग उस्ताद चार सनदों से यही रिवायत सुनाते हैं और उनमें से सिर्फ़ यज़ीद ही की रिवायत में मुग़ीरह् (रज़ि.) के बारे में नबी(ﷺ) का ये क़ौल है, 'ऐ बेटे!'

باب الاِسْتِئْذَانِ

बाब 8 : इजाज़त तलब करना या इज़्न (इजाज़त) चाहना

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا - وَاللَّهِ، - يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا . قُلْنَا مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَىَّ

(5626) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं मदीना में अन्सार की मज्लिस में बैठा हुआ था तो हमारे पास हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) घबराये हुए या ख़ौफ़ज़दा आये। हमने पूछा, आपको क्या हुआ? उन्होंने कहा, हज़रत उमर (रज़ि.) ने पैग़ाम भेजा कि मैं उनके पास हाज़िर हूँ, सो मैं उनकी ख़िदमत में उनके दरवाज़े पर पहुँचा और तीन बार सलाम कहा तो उन्होंने जवाब न दिया। जिससे मैं वापस चला गया, तो उन्होंने कहा, तुम हमारे पास क्यों नहीं आये? मैंने कहा, मैं आपके पास आया था और आपके दरवाज़े पर तीन बार सलाम अर्ज़ किया तो घर वालों ने मुझे जवाब न दिया। इस वजह से मैं वापस चला गया और रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़रमा चुके

فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " . فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ أَوْجَعْتُكَ . فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ لاَ يَقُومُ مَعَهُ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ . قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ .

हैं, 'जब तुममें से कोई तीन बार इजाज़त तलब करे और उसे इजाज़त न मिले तो वो वापस लौट जाये।' तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, इस पर शहादत पेश करो, वरना मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। तो हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) ने कहा, उनके साथ हाज़िरीन में सबसे कम उम्र जायेगा। अबू सईद (रह.) कहते हैं, मैंने कहा, मैं सब लोगों से छोटा हूँ। हज़रत उबइ ने कहा, इसे ले जाओ।

(सहीह बुख़ारी : 6245, अबू दाऊद : 5180)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ .

(5627) इमाम साहब को यही रिवायत कुतैबा बिन सईद और इब्ने अबी उमर सुनाते हैं। इब्ने अबी उमर की हदीस में ये इज़ाफ़ा है, अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, मैं उनके साथ उठा और हज़रत उमर (रज़ि.) के पास जाकर शहादत दी।

फ़वाइद : (1) हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) कूफ़ा में अपने गवर्नरी के दौर में लोगों को अपने दरवाज़े पर इन्तिज़ार करवाते थे, जो उनके लिये नागवारी का बाइस बनता था। हज़रत उमर (रज़ि.) तक शिकायत पहुँची तो उन्होंने हज़रत अबू मूसा के साथ सरज़निश और तादीब के लिये यही सुलूक किया। ताकि उन्हें इसका एहसास हो सके कि ये रवैया अच्छा नहीं है। इसके अलावा हज़रत उमर (रज़ि.) किसी काम में मशग़ूल थे, इसलिये उन्हें अंदर न बुलवा सके और तमाम उलमा का कुरआनो-सुन्नत की रोशनी में इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि किसी के घर में इजाज़त लिये बग़ैर दाख़िल होना जाइज़ नहीं है। कुछ हज़रात के नज़दीक सूरह नूर की रोशनी में सलाम कहने से पहले इजाज़त तलब की जायेगी और अक्सरियत के नज़दीक सुन्नत ये है कि पहले सलाम कहे फिर इजाज़त तलब करे। यानी अस्सलामु अलैकुम अ-अद्ख़ुल? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और अ़ल्लामा मावरदी का ख़्याल है, अगर दरवाज़े पर आकर, घर वाले पर नज़र पड़ जाये तो पहले सलाम कहे, फिर इजाज़त तलब करे। वरना पहले इज़्न तलब करे। सहीह अहादीस़ से अक्सरियत के क़ौल की ताईद होती है। आपने एक आदमी को इजाज़त तलब करने का सलीक़ा सिखाया कि यूँ कहो, अस्सलामु अलैकुम अ-अद्ख़ुलु? और इजाज़त तलब करने की हिक्मत ये है कि बिला इजाज़त अचानक दाख़िल होने के सबब मुम्किन है घर वालों पर ऐसी हालत में नज़र पड़

जाये, जिस हालत में उनको देखना, दोनों के लिये शर्मिन्दगी का बाइस हो या जिस हालत में वो नज़र आना पसंद न करते हों या वो किसी ऐसे काम में मशग़ूल हों जिसमें किसी का दख़ल देना, उनके लिये तकलीफ़ का बाइस हो, इसलिये आपने फ़रमाया, तीसरी बार भी इजाज़त न मिले तो लौट जाओ। क्योंकि तीसरी बार इजाज़त न मिलना इस बात की दलील है कि साहिबे बैत किसी सबब से किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहा और वो वापस होने का कह रहा है। इसलिये बरिज़ा व रग़बत वापस लौट जाना चाहिये। इसको नागवार या नापसन्द नहीं करना चाहिये। अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'अगर तुम्हें कहा जाये लौट जाओ, तो लौट जाओ, ये तुम्हारे लिये ज़्यादा पाकीज़ा तरीक़ा है।' (सूरह नूर : 28) और इससे ये भी मालूम होता है किसी की मशग़ूलियत या आराम के वक़्त में उसे टेलीफ़ोन नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये भी एक तरह बिला इजाज़त दाख़िल होना है। इल्ला ये कि शदीद ज़रूरत हो, नीज़ अगर लम्बी बात करनी हो तो बात करने से पहले इजाज़त लेनी चाहिये। मुम्किन है वो किसी इन्तिहाई अहम काम में मशग़ूल हो और लम्बी बात उसके काम में हाइल हो और उसके लिये ज़हनी परेशानी का बाइस होने की बिना पर उस पर शाक़ गुज़र रही हो। नीज़ इजाज़त तलब करने का मसला इस सूरत में है जब दरवाज़े पर खड़े होकर सलाम कहें और इजाज़त तलब करें तो आवाज़ घर वालों तक पहुँच सके। वरना अगर घण्टी लगी हो तो उसको आहिस्ता से दबा दिया जायेगा या आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया जायेगा। घण्टी या दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाना दुरुस्त नहीं होगा। **(2)** हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) से शहादत का मुतालबा इसलिये किया था, ताकि दूसरे लोग आगाह हो जायें कि हदीस़ के बयान करने में हज़म व एहतियात को इख़्तियार करना चाहिये और तहक़ीक़ व वुसूक़ के बग़ैर आपकी तरफ़ कोई चीज़ मन्सूब नहीं करनी चाहिये। ये न हो कि किसी को कोई मामला दरपेश हो तो वो उसके बारे में कोई हदीस़ घढ़ कर पेश कर दे, इसलिये दूसरों के लिये ये दरवाज़ा बंद करने के लिये, उन्होंने हज़रत अब मूसा अश्अ़री जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी से बय्यिना (शहादत) का मुतालबा किया। जिनके बारे में ये तसव्वुर नहीं हो सकता था कि वो ग़लत बयानी से काम लें। इसलिये हज़रत उ़मर (रज़ि.) के इस मुतालबे से ये कशीद करना (मतलब निकालना) कि वो ख़बरे वाहिद को हुज्जत नहीं समझते थे, क़त्अन ग़लत है। क्योंकि जब हज़रत अबू सईद (रज़ि.) जैसे कमसिन सहाबी ने शहादत दी तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसको मान लिया और दो-दो आदमियों की ख़बर भी उसूली रू से ख़बरे वाहिद ही है और इसलिये हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने हज़रत उबइ के ऐतराज़ करने पर कहा था, सुब्हानअल्लाह! मैंने तो एक बात सुनकर उसकी तहक़ीक़ करना पसंद किया। नीज़ इस हदीस़ से मालूम हुआ, कुछ अहादीस़ हज़रत उ़मर (रज़ि.) जैसे हर वक़्त के साथ रहने वाले पर भी मख़फ़ी रह जाती थीं तो दूसरों के बारे में ये कैसे कहा जा सकता है, उन्हें हर हदीस़ का इल्म था।

(5628) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम एक मज्लिस में हज़रत

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

उबइ बिन कअब (रज़ि.) के साथ हाज़िर थे कि हज़रत अबू मूसा अश्अरी नाराज़ी की हालत में आकर रुक गये और कहने लगे, मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ, क्या तुममें से किसी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'इजाज़त तीन बार तलब की जाये, अगर तुझे इजाज़त मिल जाये (तो ठीक), वरना लौट जाओ।' हज़रत उबइ (रज़ि.) ने पूछा, इसकी क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा, कल मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से तीन बार इजाज़त तलब की, मुझे इजाज़त न मिली तो मैं लौट आया, फिर आज मैं उनके यहाँ हाज़िर होकर उनके पास गया और उन्हें बताया कि मैं गुज़िश्ता कल हाज़िर हुआ था और तीन बार सलाम अर्ज़ करके लौट गया था। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी और हम उस वक़्त मसरूफ़ थे। तो आपने इजाज़त तलब करने पर इसरार क्यों न किया, यहाँ तक कि आपको इजाज़त दे दी जाती। हज़रत अबू मूसा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से जैसे सुना था, उसके मुताबिक़ इजाज़त तलब की। उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारी पुश्त और तुम्हारे पेट को दुर्रे से तकलीफ़ से दोचार करूँगा इल्ला ये कि तुम इस पर गवाही देने वाले को पेश करो। तो हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) ने कहा, आपके साथ हमसे सबसे कमसिन ही जायेगा। ऐ अबू सईद! उठो तो। मैं उठा, यहाँ तक कि हज़रत उमर (रज़ि.)

وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ " . قَالَ أُبَىٌّ وَمَا ذَاكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَوَاللَّهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ . أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا . فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَوَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ . فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم يَقُولُ هَذَا .

के पास हाज़िर हुआ और मैंने कहा, मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुन चुका हूँ।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि हज़रत इ़मर (रज़ि.) ने हज़रत अबू मूसा से बय्यिना का मुतालबा दूसरे दिन किया था, चूंकि दूसरी अहादीस़ से मालूम होता है कि हज़रत इ़मर (रज़ि.) ने उस दिन हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) को तलब किया था और उनके जवाब पर बय्यिना (शहादत) का मुतालबा किया था तो इसका जवाब ये है कि हज़रत इ़मर (रज़ि.) ने अपनी मशग़ूलियत से फ़ारिग़ होकर, उनके बारे में पूछा और जब ये बताया गया था कि वो आकर चले गये हैं तो उनकी तरफ़ पैग़ाम रसाँ भेजा, लेकिन वो न मिल सके और ख़ुद ही दूसरे दिन हाज़िर हो गये।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ . ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ . ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلاَثٌ . ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَا وَإِلاَّ فَلأَجْعَلَنَّكَ عِظَةً . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ " . قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ - قَالَ - فَقُلْتُ أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ تَضْحَكُونَ انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ .

(5629) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अबू मूसा, हज़रत इ़मर (रज़ि.) के दरवाज़े पर आये और इजाज़त तलब की तो हज़रत इ़मर (रज़ि.) ने दिल में कहा, एक बार। फिर उन्होंने दोबारा इजाज़त तलब की तो हज़रत इ़मर (रज़ि.) ने सोचा, दो बार। फिर उन्होंने तीसरी बार इजाज़त तलब की तो हज़रत इ़मर (रज़ि.) ने कहा, तीन बार हो गया। फिर अबू मूसा (रज़ि.) वापस चले गये तो हज़रत इ़मर (रज़ि.) ने उनके पीछे आदमी भेजकर उन्हें वापस बुलवाया और कहा, अगर ये ऐसी चीज़ है जो तूने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी है तो शहादत पेश कर, वरना मैं तुम्हें इबरत बना दूँगा। अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, सो वो हमारे पास आये और कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है, 'इजाज़त, तीन बार तलब की जाती है?' तो हाज़िरीन हँसने लगे। मैंने कहा, तुम्हारा मुसलमान भाई, तुम्हारे पास घबराया हुआ आया है और तुम हँस रहे हो? चलो, मैं इस इ़क़ूबत में तुम्हारा

साथी हूँ। तो वो उमर (रज़ि.) के पास आकर कहने लगे, ये अबू सईद (मेरा गवाह) है।

فَأَتَاهُ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ .

फ़ायदा : हाज़िरीने मज्लिस को हज़रत अबू मूसा की घबराहट और उक़ूबत से परेशानी पर तअज्जुब हुआ कि ये बात तो सब लोग जानते हैं, इसमें ख़ौफ़ज़दा या परेशान होने की क्या ज़रूरत है, उनको सज़ा कैसे मिल सकती है।

(5630) इमाम साहब को यही हदीस तीन और उस्तादों ने भी सुनाई, जो ऊपर की हदीस के हम मानी है।

(तिर्मिज़ी : 2690)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالاَ سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، . بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، .

(5631) उबैद बिन उमैर (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से तीन बार इजाज़त माँगी, गोया कि वो किसी काम में मशग़ूल थे (इसलिये इजाज़त न दे सके) तो वो वापस आ गये। हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़ादिम से कहा, क्या तूने अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस की आवाज़ नहीं सुनी, उसे इजाज़त दो। (बाद में) उन्हें बुलवाया गया तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, आपने ये हरकत क्यों की। हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) ने कहा, हमें यही हुक्म दिया जाता था। हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस पर दलील क़ायम कर दी। मैं तुमसे बुरा सुलूक करूँगा। तो

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ . فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا . قَالَ لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً أَوْ لأَفْعَلَنَّ .

वो निकलकर अन्सार की एक मज्लिस की तरफ़ चल पड़े। उन्होंने कहा, इस मसले में आपके हक़ में हममें से सबसे कमसिन ही गवाही देगा। तो अबू सईद (रज़ि.) उठकर गये और कहा, हमें यही हुक्म दिया जाता था। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) का ये फ़रमान मुझसे छुपा रह गया, मुझे इससे बाज़ारों की ख़रीदो-फ़रोख़्त ने मशग़ूल किया।

(सहीह बुख़ारी : 2062, 7353)

فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا ‏.‏ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَىَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ ‏.‏

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) ने अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद अपने ग़ैर इल्म का ऐतराफ़ किया और अपनी इस कोताही का सबब भी बता दिया, गोया अपनी कोताही के ऐतराफ़ को अपने लिये आर और शर्मिन्दगी का बाइस नहीं समझा।

(5632) इमाम साहब को ये हदीस दो और उस्तादों ने भी सुनाई, लेकिन नज़्र ने अपनी हदीस में, बाज़ारों की ख़रीदो-फ़रोख़्त की मशग़ूलियत का तज़्किरा नहीं किया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، - يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ - قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ‏.‏

(5633) हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के यहाँ गये और कहा, अस्सलामु अलैकुम! ये अब्दुल्लाह बिन क़ैस इजाज़त चाहता है। तो उन्होंने इजाज़त न दी। तो उसने दोबारा कहा, अस्सलामु अलैकुम! ये अबू मूसा हाज़िर है। फिर तीसरी बार कहा, अस्सलामु अलैकुम! ये अश्अरी मौजूद है। फिर वो वापस पलट गया। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, मेरे पास वापस लाओ, मेरे पास वापस लाओ। तो

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ، يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ‏.‏ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هَذَا أَبُو مُوسَى السَّلاَمُ

عَلَيْكُمْ هَذَا الأَشْعَرِيُّ . ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رُدُّوا عَلَىَّ رُدُّوا عَلَىَّ . فَجَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغْلٍ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ " . قَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلاَّ فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ . فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى قَالَ عُمَرُ إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ . فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ . قَالَ عَدْلٌ . قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلاَ تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ .

वो हाज़िर हुए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ अबू मूसा! वापस क्यों चले गये? हम तो मशग़ूल थे। अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है? इजाज़त तीन बार तलब की जाये, अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाये (तो ठीक) वरना वापस लौट जाओ।' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, इस पर दलील पेश करो। वरना मैं ये-ये करूँगा। अबू मूसा (रज़ि.) चले गये। हज़रत उमर (रज़ि.) ने (साथियों से) कहा, अगर इसे बय्यिना मिल गई तो वो शाम के वक़्त मिम्बर के पास होंगे, अगर उसे बय्यिना (शहादत) न मिली तो तुम्हें वो नहीं मिलेंगे। जब शाम को हज़रत उमर (रज़ि.) आये तो उन्होंने अबू मूसा को मौजूद पाया। पूछा, ऐ अबू मूसा! आप क्या कहते हैं? क्या आपको शहादत मिल गई? उन्होंने कहा, जी हाँ! उबइ बिन कअब (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा,। वो मुजस्सम-ए-अद्ल हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अबू तुफ़ैल (हज़रत उबइ की कुन्नियत है) ये क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, ऐ इब्ने ख़त्ताब! मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये कहते सुना है, इसलिये आप रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथियों के लिये अज़ाब का बाइस न बनें। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, सुब्हानअल्लाह (इसमें अज़ाब की क्या बात है) मैंने तो एक बात सुनकर उसकी तहक़ीक़ करना पसंद किया।

(अबू दाऊद : 5181)

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) इन्तिहाई बा रौब और साहिबे जलालत शख़्सियत थे। उसके बावजूद हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) ने जुरअत और बेबाकी से उनके अबू मूसा की धमकी देने पर, उनके

सामने उन पर तन्क़ीद की कि आपका ये रवैया उनके लिये तकलीफ़देह है और हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी सफ़ाई पेश की कि मेरा मक़सद हज़रत अबू मूसा को मुत्तहम क़रार देना नहीं था, सिर्फ़ तहक़ीक़ की जुस्तजू (कोशिश) थी। हज़रत अबू सईद की गवाही के बाद फिर ये वाक़िया पेश किया क्योंकि वो भी साथ आ गये थे।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ، بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نَعَمْ فَلاَ تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ سُبْحَانَ اللَّهِ ‏.‏ وَمَا بَعْدَهُ ‏.‏

(5634) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, फ़र्क़ ये है इसमें, ऐ अबू मुन्ज़िर (ये हज़रत उबइ बिन कअ़ब की कुन्नियत है) क्या तूने नबी(ﷺ) से ये सुना है? तो उन्होंने कहा, हाँ! ऐ इब्ने ख़त्ताब। तू रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथियों के लिये अ़ज़ाब न बन। लेकिन इसमें ये नहीं कि उमर ने सुब्हानअल्लाह और बाद का जुम्ला कहा।

باب كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا إِذَا قِيلَ مَنْ هَذَا

बाब 9 : जब ये पूछा जाये कौन है? तो इजाज़त चाहने वाले को (मैं हूँ) कहना नापसन्दीदा है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هَذَا " ‏.‏ قُلْتُ أَنَا ‏.‏ قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ " أَنَا أَنَا "

(5635) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं नबी(ﷺ) के यहाँ आया और आवाज़ दी तो नबी(ﷺ) ने पूछा, 'तुम कौन हो?' मैंने कहा, मैं हूँ। तो आप ये फ़रमाते हुए निकले, 'मैं हूँ, मैं हूँ।'

(सहीह बुख़ारी : 6250, अबू दाऊद : 5187, तिर्मिज़ी : 2711, इब्ने माजह : 3709)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, जब कोई शख़्स इजाज़त तलब करे और घर वाले पूछें, तुम कौन हो? तो जवाब में, मैं हूँ! नहीं कहना चाहिये। क्योंकि आवाज़ न पहचानने की बिना पर तो सवाल हुआ

था और मैं कहने से तो मक़सद हासिल न हो सका। नीज़ इससे तकब्बुर और किब्रियाई की बू आती है कि मुझे पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिये ऐसे मौक़े पर इजाज़त तलब करने वाले को अपनी मुकम्मल पहचान करवानी चाहिये। ताकि कोई वहम न रहे और उसके साथ उसके शायाने शान सुलूक किया जा सके। इसलिये हज़रत अबू मूसा ने हज़रत उ़मर (रज़ि.) से इजाज़त तलब करते वक़्त कहा था, ये अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस इजाज़त तलब कर रहा है। ये अबू मूसा हाज़िर है, ये अश्अ़री मौजूद है। कई बार सिर्फ़ नाम बताने से पहचान नहीं होती, इसलिये ये लतीफ़ा पेश आया था कि इमाम ज़मख़्शरी से किसी नहवी ने इजाज़त तलब की तो उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, उ़मर (लेकिन उससे पहचान न हो सकी) तो ज़मख़्शरी ने कहा, वापस लौट जाओ। इजाज़त तलब करने वाले ने कहा, उ़मर मुन्सरिफ़ नहीं है। ज़मख़्शरी ने कहा, अगर इसको नकिरा बना दिया जाये तो वो मुन्सरिफ़ हो जाता है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ هَذَا " . فَقُلْتُ أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَنَا أَنَا " .

(5636) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से हाज़िरी की इजाज़त तलब की तो आपने फ़रमाया, 'ये कौन है?' मैंने कहा, मैं हूँ। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अना-अना।' (यानी ये तो मैं भी कह सकता हूँ, पहचान कैसे होगी)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ .

(5637) इमाम साहब को ये रिवायत तीन और उस्तादों ने सुनाई, उन सब की रिवायत है, गोया आपने उनके जवाब को पसंद नहीं फ़रमाया।

बाब 10 : दूसरे के घर में झांकना हराम है

باب تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ " .

(5638) हज़रत सह्ल बिन सअ़द साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के दरवाज़े के रोज़न (झिर्री) से झांका और रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास खरखरा था, जिससे अपने सर को खुजला रहे थे। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे देखा तो फ़रमाया, 'अगर मुझे मालूम हो जाता कि तुम मुझे देख रहे हो तो मैं इससे तेरी आँख का निशाना लेता।' और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नज़र से बचने की ख़ातिर अल्लाह तआ़ला ने इजाज़त का हुक्म दिया है।'

(सहीह बुख़ारी : 5924, 6241, 6901, तिर्मिज़ी : 2709, नसाई : 8/65)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जुह्र : गोल सूराख़। **(2) मिद्रन :** बाल संवारने की लोहे की कंघी।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि दरवाज़े पर खड़े होकर अंदर झांकना जाइज़ नहीं है और ये इजाज़त तलब करने की हिक्मत के मुनाफ़ी है और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रू से ऐसे आदमी की आँख फोड़ना जाइज़ है। लेकिन ये इस सूरत में है, जब इसके बग़ैर चारा न हो और दीदा बाज़ी करने वाला इसके बग़ैर बाज़ न आता हो।

(5639) हज़रत सह्ल बिन सअ़द अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के दरवाज़े के सूराख़ से अंदर झांका और रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लोहे का कंघा था, जिससे अपने सर में कंघी कर रहे थे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'अगर मुझे मालूम हो जाता कि तुम देख रहे हो तो मैं उसे तेरी आँखों में मारता, अल्लाह तआ़ला ने इजाज़त नज़र बाज़ी से बचने ही के लिये मुक़र्रर की है।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ " .

(5640) इमाम साहब के पाँच उस्तादों ने ऊपर वाली रिवायत सुनाई।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ .

(5641) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी(ﷺ) को किसी कमरे के अंदर से झांका। तो आप उस की तरफ़ तीर लेकर लपके, गोया कि मैं देख रहा हूँ,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ،

اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ .

रसूलुल्लाह(ﷺ) उसको तीर मारने के लिये हीला (उपाय) या तदबीर कर रहे हैं।

(सहीह बुख़ारी : 6242, 6900, अबू दाऊद : 5171)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मिश्क़स जमा मशाक़िस : चौड़ा तीर। **(2) यख़्तिलु :** हीला और चारा करना, जुस्तजू करना कि उसकी ग़फ़लत से फ़ायदा उठाकर उसको निशाना बनाया जाये।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ " .

(5642) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो इंसान किसी के घर में उनकी इजाज़त के बग़ैर झांकता है तो उनके लिये जाइज़ है कि वो उसकी आँख फोड़ दें।'

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ"

(5643) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर कोई इंसान तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर तुम पर झांके और तुम उसको कंकर मार कर, उसकी आँख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह या तंगी नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 6902, नसाई : 8/61)

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़क़अ्त ऐनहू : आँख फोड़ना।

बाब 11 : अचानक निगाह पड़ जाना

باب نَظَرِ الْفَجْأَةِ

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .

(5644) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में सवाल किया तो आपने मुझे अपनी नज़र फेरने या हटाने का हुक्म दिया।

(अबू दाऊद : 2148, तिर्मिज़ी : 2776)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5645) इमाम साहब को एक और उस्ताद ने यही रिवायत सुनाई।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, अगर ग़ैर इरादी तौर पर किसी ऐसी चीज़ पर नज़र पड़ जाये, जिसे देखना जाइज़ नहीं है, सो पहली नज़र पर कोई गिरफ़्त या गुनाह नहीं है, लेकिन उसे उसी वक़्त नज़र हटा लेनी चाहिये, अगर वो नज़र जमाये रखेगा तो उसको पहली नज़र क़रार देना मुश्किल है, क्योंकि उसने हुज़ूर(ﷺ) के फ़रमान कि उसे फेर लो, की मुख़ालिफ़त की है। जबकि अल्लाह का ये हुक्म है, मोमिनों को फ़रमा दीजिये कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और यही हुक्म औरतों को है।

इस किताब के कुल अबवाब 41 और 216 हदीसें हैं।

كتاب السلام

किताबुस्सलाम

सलाम का बयान

हदीस़ नम्बर 5646 से 5861 तक

सलामती और सेहत की अहमियत व फ़ज़ीलत और उसूल व ज़वाबित

इस्लाम सलामती का दीन है। सिर्फ़ इंसान के लिये नहीं बल्कि तमाम मख़्लूक़ात की सलामती सिखाता है। हर मुसलमान को सिखाया गया है कि दुनिया का हर वो इंसान जो अल्लाह का बाग़ी नहीं और दूसरे इंसान की सलामती का क़ाइल है वो सिर्फ़ उसे सलामती का यक़ीन ही न दिलाये बल्कि सलामती की दुआ भी दे। पहला फ़िक़रा जो कोई मुसलमान दूसरे को कहता है, वो अस्सलामु अलैकुम है। वो सिर्फ़ अपने मुख़ातब को सलामती का पैग़ाम और सलामती की दुआ नहीं देता बल्कि उसके तमाम साथियों को भी उसमें शामिल करता है। क़ुरआन मजीद ने मुसलमानों के दरम्यान सलामती की ख़्वाहिश के इज़हार और दुआ को लाज़िमी क़रार दिया है। इस्लाम को न मानने वालों को भी सलाम कहा जाता था लेकिन जब उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुसलमान बल्कि ख़ुद अल्लाह के रसूल(ﷺ) के लिये भी सलामती के बजाये चालाकी से हलाकत की बद्दुआ देते हैं, तो ये तरीक़ा अपनाने का हुक्म दिया गया कि ग़ैर मुस्लिम अगर सलाम कहें तो जवाब में सलाम कहा जाये और अगर वो सामु अलैकुम (आप पर मौत हो या इस जैसे और अल्फ़ाज़) कहें तो भी तुरकी-ब-तुरकी जवाब देने के बजाये सिर्फ़ अलैकुम कहने पर इक्तिफ़ा किया जाये। ग़ैर मुस्लिमों के साथ पुर अमन बक़ाए बाहमी मुसलमानों का वतीरा है। जो सलामती के बाहमी अहद को तोड़ दे और दरपे आज़ार हो जाये तो उसकी चीरा दस्तियों से दिफ़ाअ ज़रूरी है।

ज़मीन पर बसने वाली अल्लाह तआला की दूसरी मख़्लूक़ात की सलामती को भी यक़ीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। अल्बत्ता जो ज़हरीला जानवर इंसानी आबादियों में घुसकर इंसानों और इंसान के ज़ेरे हिफ़ाज़त दूसरे चौपायों के लिये नुक़सानदेह या हलाकत का बाइस बनें उनसे निजात हासिल करने की इजाज़त दी गई है। ऐसे ज़हरीले जानवरों में बड़े और छोटे सब तरह के जानवर शामिल हैं। अगर कोई जानवर मूज़ी समझा जाता है लेकिन वो भी लम्बे अरसे से इंसानी आबादी में बस रहा है तो अपने अमल से उसे भी सलामती के साथ वहाँ से जाने का पैग़ाम देना चाहिये, अगर फिर भी न जाये तो उससे छुटकारा पाने की इजाज़त है। वरना इंसानी आबादी में अपनी मौजूदगी से ग़लत फ़ायदा उठाकर वो कल-कलाँ (भविष्य में) हलाकत का मूजिब बनेगा।

सलामती के हवाले से मुसलमानों को निहायत उम्दा आदाब सिखाये गये हैं। इजाज़त के बग़ैर किसी के घर में दाख़िल न होना, औरतें ज़रूरी कामों से बाहर जायें तो उनके लिये रास्तों को महफ़ूज़ बनाना और ज़रूरत के वक़्त उनकी मदद करना, मुआशरे, ख़ानदानों, ख़ुसूसन ख़्वातीन की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिये किसी अजनबी ख़ातून के साथ ख़लवत में न रहना और अगर महरम ख़ातून साथ है तो

ज़रूरत महसूस होने पर उसके साथ अपने रिश्ते की वज़ाहत कर देना ज़रूरी है। सलामती के लिये घरों और मज्लिसों की सलामती ज़रूरी है। मज्लिसों में मसावात, एक-दूसरे के हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अहले मज्लिस में से हर एक के आराम का ख़्याल रखने से मज्लिसों की सलामती को यक़ीनी बनाया जा सकता है। घरों में वो लोग दाख़िल न हों, जो फ़ित्ना अंगेज़ी कर सकते हैं। दो आदमियों की बातचीत तक से परहेज़ और ज़रूरत के वक़्त दूसरों की मदद और उनके मसाइल हल करने से सब लोगों के दिल में सलामती का एहसास मज़बूत होता है।

सलामती के मुताल्लिक़ इन तमाम उमूर के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रामीन बयान करने के बाद इमाम मुस्लिम (रह.) ने सेहत से मुताल्लिक़ उमूर को बयान किया है। सबसे पहले उन बीमारियों के हवाले से हदीसें लाई गई हैं जिनके अस्बाब का खोज लगाना आम तबीब के लिये नामुम्किन या कम से कम मुश्किल होता है। उनमें जादू, नज़रे बद और ज़हर ख़ूरानी वग़ैरह शामिल हैं। इनके इलाज के लिये अलग-अलग तदबीरें बताई गई हैं, जिसमें दम करना और दुआ करना शामिल हैं। फिर अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिये उन मुनासिब तरीक़ों का ज़िक्र है जो रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में राइज थे। उनमें से कुछ तरीक़ों को रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पसंद फ़रमाया, कुछ को नापसंद फ़रमाया। ये भी बताया गया कि आप पसंद फ़रमाते थे कि बीमार को दी जाने वाली दवायें और तरीक़-ए-इलाज तकलीफ़देह न हो और ग़िज़ा पसन्दीदा और उम्दा होनी चाहिये। उसके बाद अलग-अलग वबाओं के हवाले से रसूलुल्लाह(ﷺ) की हिदायतें बयान की गई हैं जिनके ज़रिये से ज़्यादा से ज़्यादा जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, बीमार होने वालों की तीमारदारी को यक़ीनी बनाने की हिदायतें हैं, उसके बाद सलामती के हवाले से अलग-अलग औहाम का ज़िक्र है और आख़िर में मूज़ी (ज़हरीले) जानवरों के बारे में हिदायतें हैं और उमूमी तौर पर हर जानदार के साथ रहम दिली का सुलूक करने की तल्क़ीन है।

كتاب السلام

40. सलाम का बयान

باب يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

बाब 1 : सवार पैदल को और कम तादाद, ज़्यादा तादाद को सलाम करे

حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ، مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " .

(5646) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सवार, पैदल को और चलने वाला बैठे को और कम, ज़्यादा को सलाम करें।'

(सहीह बुख़ारी : 6232, 6233, अबू दाऊद : 5199)

फ़ायदा : सलाम कहना सुन्नत और उसका जवाब देना फ़र्ज़ है और अगर सलाम कहने वाले, एक से ज़्यादा हों तो उनके लिये सलाम कहना फ़र्ज़े किफ़ाया है। यानी उनमें से एक भी सलाम कह दे तो हक़ अदा हो जायेगा, वरना सब गुनाहगार होंगे और अगर सब सलाम कहें तो ये अफ़ज़ल है। इस तरह जवाब देने वाले एक से ज़्यादा हों तो सलाम का जवाब देना फ़र्ज़े किफ़ाया है। एक भी सलाम का जवाब दे दे तो फ़र्ज़ अदा हो जायेगा, वरना सब गुनाहगार होंगे और सब का जवाब देना अफ़ज़ल है और कम से कम सलाम, अस्सलामु अलैकुम और बेहतर और अफ़ज़ल अस्सलामु अलैकुम व

रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है। इस तरह कम से कम जवाब व अलैकुम अस्सलाम है और बेहतर और अफ़ज़ल व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है और सवार पैदल को सलाम कहेगा। ताकि सवार होने की बिना पर उसमें बड़ाई और तकब्बुर का एहसास पैदा न हो, बल्कि तवाज़ोअ और फ़रौतनी इख़्तियार करे और गुज़रने वाला जैसाकि बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में है माशी की जगह मार्रुन का लफ़्ज़ है, पैदल हो या सवार चूंकि मज्लिस में आने वाले के हुक्म में है। नीज़ बैठने वाला चूंकि उससे ख़तरा और डर महसूस कर सकता है, ख़ास कर जबकि गुज़रने वाला सवार हो, इसलिये उसके डर और ख़ौफ़ को अदा करने के लिये उन्स व प्यार का इज़हार करने के लिये गुज़रने वाला सलाम कहेगा और ये भी हो सकता है कि बैठने वाला अपने काम में मशग़ूल है और आने-जाने वालों को सलाम कहना, उसके लिये मशक़्क़त का बाइस होगा, इसलिये आने-जाने वाले सलाम कहें और कम तादाद वालों का सलाम कहना, ज़्यादा तादाद के मुक़ाबले में आसान और सहल है। नीज़ कसीर (ज़्यादा) और क़लील (थोड़े) पर एक क़िस्म का इम्तियाज़ हासिल है। इसलिये क़लील, कसीर को सलाम कहेंगे।

बाब 2 : रास्ते में बैठने का हक़ ये है कि सलाम का जवाब दे

باب مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلاَمِ

(5647) हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) बयान करते हैं, हम घरों के सामने के सेहन में बैठे बातचीत कर रहे थे, रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये और हमारे पास आकर ठहर गये और फ़रमाया, 'तुम रास्तों पर मज्लिसें क्यों क़ायम करते हो?' रास्तों की मज्लिसों से परहेज़ करो।' सो हमने अर्ज़ किया, हम किसी बुरे इरादे से नहीं बैठते, हम आपस में मुज़ाकरा और बातचीत के लिये बैठे हैं। आपने फ़रमाया, 'अगर तुम रास्तों पर बैठने से बच नहीं सकते तो उनका हक़ अदा करो, नज़र नीची रखो, सलाम का जवाब दो और अच्छी बातचीत करो।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ " مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ " . فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ . قَالَ " إِمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلاَمِ وَحُسْنُ الْكَلاَمِ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अफ़नियह : फ़िनाअ की जमा है, आँगन, घरों के सामने की जगह। **(2) सुउदात :** सईद की जमा है, रास्तों को कहते हैं, जिस तरह तरीक़ की जमा तुरुक़ात है।

फ़ायदा : रास्तों पर बैठने से बचने और परहेज़ करने का हुक्म आपने इसलिये दिया था कि ये फ़ित्ना व फ़साद का बाइस़ बन सकता है। रास्ते से अजनबी औरतें गुज़रती हैं। इंसान उनके हुस्नो-जमाल से मुतास्सिर होकर, उनको देखने में मगन हो जाता है या उनके बारे में सोच-विचार का शिकार बन जाता है। उनके बारे में किसी ग़लतफ़हमी और बदगुमानी में मुब्तला हो जाता है और शहवत अंगेज़ ख़्यालात का असीर हो जाता है। गुज़रने वालों को कई बार हिक़ारत की नज़र से देखता है और उनकी चुग़ली व ग़ीबत करता है। गुज़रने वालों के लिये रास्ता तंग हो सकता है, औरतें गुज़रने से शर्म महसूस कर सकती हैं, हालांकि उन्हें अपने काम-काज के लिये निकलना होता है। अगर किसी दूसरे के दरवाज़े पर बैठेंगे तो उनको आने-जाने में दिक़्क़त होगी, रास्ते के हुक़ूक़ की अदायगी में कोताही हो सकती है और घर बैठने की सूरत में इन तमाम बातों से इंसान महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहता है। क्योंकि जहाँ मज्लिस क़ायम होती है, वहाँ चुग़ली और ग़ीबत का दौर चलता है। सिर्फ़ हँसने और हँसाने के लिये फ़िज़ूल और ग़लत हरकतें या बातें की जाती हैं। गुज़रने वालों पर आवाज़े कसे जाते हैं, मज्लिस गर्म करने, झूठ बोलने से भी एहतिराज़ नहीं किया जाता। रास्ते पर बैठने के हुक़ूक़ की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ، بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ "غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

(5648) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'रास्तों पर बैठने से बचो।' सहाबा किराम ने गुज़ारिश की, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिये ऐसी मज्लिसों का होना ज़रूरी है, जिनमें हम आपस में बातचीत कर सकें। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुम्हें बैठने पर इसरार है तो फिर रास्ते का हक़ अदा करो।' उन्होंने पूछा, उसका हक़ क्या है? आपने फ़रमाया, 'नज़र नीची रखना, तकलीफ़ देने से बाज़ रहना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامٍ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

(5649) यही रिवायत इमाम साहब को दो और उस्तादों ने अपनी-अपनी सनद से सुनाई।

باب مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلاَمِ

बाब 3 : सलाम का जवाब देना, मुसलमान का मुसलमान पर हक़ है

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ " . ح

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ، الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(5650) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक़ हैं।' रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच चीज़ें, मुसलमान के लिये अपने भाई पर लाज़िम हैं (1) सलाम का जवाब देना (2) छींकने वाले को दुआ देना (3) बीमार की इयादत करना (4) दावत क़ुबूल करना (5) जनाज़ों के पीछे चलना।'

अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ बयान करते हैं, मअ़्मर, ज़ुहरी से ये रिवायत मुरसल बयान करते थे, सहाबी का वास्ता छोड़ देते थे और एक बार इब्ने मुसय्यब से अबू हुरैरह (रज़ि.) के वास्ते से बयान की।

(सहीह बुख़ारी : 1240, अबू दाऊद : 5030)

फ़वाइद : (1) रद्दुस्सलाम : सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है और सलाम में रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के इज़ाफ़े की दलील, फ़रिश्तों का रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अलल बैत और तशह्हुद में अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है। इस तरह हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आपके सामने जिब्रईल (अलै.) के जवाब में कहा था, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ये रिवायत सहीहैन की है और बक़ौल नववी (रह.) सलाम का जवाब फ़ौरन देना चाहिये। चाहे सलाम किसी के हाथ आये या ख़त के ज़रिये और सलाम इतनी आवाज़ से कहना चाहिये कि दूसरे को सुनाई दे दे, अगर दूर हो तो इशारा कर दे। **(2) तश्मीतुल आतिसि, तश्मीत :** दरअसल तस्मीत है और सिम्त रास्ते को कहते हैं और इसका मानी है, रास्ते की हिदायत व राहनुमाई की दुआ करना और यहाँ मक़सद है, ख़ैर व भलाई की दुआ देना यानी यर्हमुकल्लाह कहना। (3) इमाम नववी और अब्दुल वह्हाब मालिकी के नज़दीक तश्मीत सुन्नतुन अलल किफ़ायह यानी किसी एक का दुआ देना काफ़ी है। (4) जुम्हूर अहले ज़ाहिर, कुछ शवाफ़ेअ, इब्ने मज़ीन मालिकी, इब्ने दक़ीक़ुल ईद और और इमाम इब्ने क़य्यिम के नज़दीक तश्मीत फ़र्ज़े ऐन है, हर एक को दुआ देना पड़ेगी। (5) ये फ़र्ज़े किफ़ाया है, किसी एक का यर्हमुकललाह कह देना काफ़ी है। अहनाफ़, जुम्हूर हनाबिला, इब्ने रुश्द और इब्नुल अरबी का यही नज़रिया है और यही सहीह मालूम होता है, जिस तरह एक का सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ की अदायगी के लिये बिल्इत्तिफ़ाक़ काफ़ी है। यही सूरत यहाँ होनी चाहिये और छींकने वाले को छींक की आवाज़ हाथ रखकर आहिस्ता करने की कोशिश करना चाहिये और दूसरों को तकलीफ़ से बचाना चाहिये और बुलंद आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिये। ताकि उसको यर्हमुकल्लाह की दुआ दी जाये और तीन छींकों तक दुआ देना सुन्नत है। काफ़िर की छींक पर यर्हमुकल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहना चाहिये। अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता तो उसको दुआ देना ज़रूरी नहीं है। इजाबतुद्दअ्वह : अगर दावत क़ुबूल करने में कोई मानेअ या रुकावट न हो तो फिर उसको क़ुबूल करना कम से कम सुन्नत है, क्योंकि अम्र के सेग़े की रू से इसको फ़र्ज़ क़रार दिया जा सकता है, अगर दावत में कोई काम ख़िलाफ़े शरीअत हो तो उससे रोकना चाहिये, ये मुम्किन न हो तो फिर उसमें शरीक नहीं होना चाहिये। इयादतुल मर्ज़ : बीमार की बीमार पुर्सी, बक़ौल इमाम नववी बिल्इत्तिफ़ाक़ सुन्नत है। बीमार अजनबी हो या वाक़िफ़कार (मिलने वाला) और इमाम बुख़ारी इसके फ़र्ज़ होने के क़ाइल हैं और बक़ौल इब्ने बत्ताल ये फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। इत्तिबाउल जनाइज़ : जनाज़ों के पीछे चलना बिल्इत्तिफ़ाक़ सुन्नत है।

(5651) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुसलमान के मुसलमान पर छः हक़ हैं।' पूछा

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ -

عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ " . قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ " .

गया, वो कौनसे हैं? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'जब तुम उसे मिलो तो सलाम कहो और जब वो तुम्हें दावत दे तो उसे क़ुबूल करो और जब वो तुमसे नसीहत का तालिब हो तो उसे नसीहत करो और जब वो छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसको यर्हमुकल्लाह कहो और जब वो बीमार हो जाये तो उसकी इयादत करो और जब वो फ़ौत हो जाये तो उसके जनाज़े में शरीक हो।'

फ़ायदा : मौक़ा और महल की मुनासिबत से आपने ये हुक़ूक़ कहीं कम और कहीं ज़्यादा बयान फ़रमाये हैं और एक रिवायत में इन पर और हुक़ूक़ का इज़ाफ़ा है। कमज़ोर की मदद करना, मज़्लूम की फ़रियाद रसी करना, सलाम को आम करना और क़सम दिलाने वाले की क़सम पूरा करना और ये आपस में हुक़ूक़ ऐसे हैं, जो मुसलमानों में उल्फ़त व मुहब्बत व हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही के जज़्बात को जिला बख़्शते हैं। आपसी रब्त व ताल्लुक़ को मज़बूत करते हैं और एक दूसरे के एहतिराम का जज़्बा उभारते हैं।

باب النَّهْىِ عَنِ ابْتِدَاءِ، أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلاَمِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

बाब 4 : अहले किताब को सलाम कहने में पहल करने की मुमानिअत (मनाही) और उनके सलाम का जवाब देने की सूरत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح

وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ "

(5652) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब अहले किताब तुम्हें सलाम कहें तो तुम कहो, व अ़लैकुम।'

(सहीह बुख़ारी : 6258)

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने अहले किताब (यहूदो-नसारा) के सलाम का जवाब व अ़लैकुम सिखाया है। क्योंकि वो कई बार ज़बान को बल दे कर अस्सामु अ़लैकुम (तुम पर मौत वारिद हो) कहते थे। इसलिये जवाब में कहा गया कि मौत तो तुम पर भी आनी है। इससे तो किसी को मफ़र (छुटकारा) नहीं है या हम पर तो मौत आये और तुम पर क्या आयेगा? वही जिसके तुम मुस्तहिक़ हो, इसलिये उनके सलाम का यही जवाब मुनासिब है। अगरचे कई उ़लमा से और अल्फ़ाज़ भी मन्क़ूल हैं, लेकिन सहीह हदीस़ की मौजूदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं है।

(5653) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से, हज़रत अनस (रज़ि.) से बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) के साथियों ने आपसे पूछा, अहले किताब हमें सलाम कहते हैं तो हम उन्हें कैसे जवाब दें? आपने फ़रमाया, 'तुम कहो, व अ़लैकुम (और तुम पर भी)।'

(अबू दाऊद : 5207)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّعليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ " قُولُوا وَعَلَيْكُمْ " .

(5654) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'यहूदी जब तुम्हें सलाम कहते हैं तो उनमें से एक कहता है, तुम पर मौत आये तो तुम कहो, अ़लैक।'

(तिर्मिज़ी : 1603)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ " .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَقُولُوا وَعَلَيْكَ " .

(5655) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से इस फ़र्क़ से बयान करते हैं कि आपने फ़कुल अ़लैक की जगह फ़क़ूलू तो तुम कहो व अ़लैक और तुम पर।

(सहीह बुख़ारी : 6928)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ " . قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ " قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ " .

(5656) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, यहूद के एक गिरोह ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मिलने की इजाज़त तलब करते हुए कहा, अस्सामु अ़लैकुम तुम पर मौत आये। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, बल्कि तुम पर मौत और लानत हो। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! अल्लाह तआ़ला तमाम उमूर (मामलात) में नर्मी पसंद करता है।' आइशा ने जवाब दिया, क्या आपने उनकी कही बात नहीं सुनी? आपने फ़रमाया, 'मैं कह चुका हूँ, व अ़लैकुम।'

(सहीह बुख़ारी : 6927, तिर्मिज़ी : 2701)

حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ " . وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ

(5657) इमाम साहब को यही रिवायत और उस्तादों ने भी अपनी-अपनी सनद से सुनाई, इसमें है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं कह चुका हूँ अ़लैकुम।' यानी अ़लैकुम से पहले वाव नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 6024, 6395)

फ़ायदा : इन हदीसों से मालूम होता है, अलैक और अलैकुम से पहले वाव लाना ज़रूरी नहीं है और जहाँ तक मुम्किन हो, बुलंद अख़लाक़ी का मुज़ाहिरा करते हुए, सब्र व तहम्मुल, हिल्म व बुर्दबारी और नर्मी व मुलायमत का रवैया इख़्तियार करना चाहिये और इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम सौरी और दूसरे कूफ़ी फ़ुक़्हा का ये नज़रिया है कि अगर ज़िम्मी, नबी(ﷺ) को बुरा-भला कहे तो उसको क़त्ल नहीं किया जायेगा और उसका मुआहिदा भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आपने अहले किताब को अस्सामु अलैकुम कहने के बावजूद क़त्ल नहीं किया। लेकिन अगर मुसलमान ये हरकत करे तो उसे क़त्ल कर दिया जायेगा। इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल यही है। लेकिन मवालिक और हनाबिला और कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक उससे मुआहिदा ख़त्म हो जायेगा और ज़िम्मी को क़त्ल कर दिया जायेगा। जैसाकि आपने कअब बिन अशरफ़, अबू राफ़ेअ और इब्ने ख़तल वग़ैरह को क़त्ल करवा दिया था। हाफ़िज़ इब्ने तैमिया ने इस मौज़ूअ पर एक इन्तिहाई उम्दा तफ़्सीली किताब अस्सारिमुल मस्लूल अला शातिमिर्रसूल के नाम से लिखी है और उसमें लिखा है, हुज़ूर(ﷺ) अपने तौर पर माफ़ी और क़त्ल दोनों का इख़्तियार रखते थे और आपने अहवाल व ज़ुरूफ़ का लिहाज़ रखते हुए, दोनों काम किये हैं। लेकिन उम्मते मुस्लिमा का काम ऐसे फ़र्द को क़त्ल करना है, वो ज़िम्मी हो या मुसलमान।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ " وَعَلَيْكُمْ " . قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُونِي فَاحِشَةً " . فَقَالَتْ مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا فَقَالَ " أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ " .

(5658) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, नबी(ﷺ) के पास कुछ यहूदी लोग आये और कहा, अस्सामु अलैक ऐ अबुल क़ासिम! आपने फ़रमाया, 'और तुम पर।' हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने कहा, बल्कि तुम पर मौत और मज़म्मत (साम व ज़ाम) हो। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! बद गो या बद ज़बान मत बनो।' तो उसने कहा, उन्होंने जो कुछ कहा, आपने सुना नहीं? आपने फ़रमाया, 'क्या जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उसका जवाब नहीं दे चुका हूँ? मैंने कह दिया, व अलैकुम।'

(इब्ने माजह : 3698)

حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَهْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ " . وَزَادَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(5659) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से यूँ बयान करते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उनकी बात समझ ली और उन्हें बुरा-भला कहा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'रुक जा! बाज़ रह ऐ आइशा! क्योंकि अल्लाह तआला बदगोई और बद ज़बानी को शुरू और जवाब में पसंद नहीं करता।' और इसमें ये इज़ाफ़ा है, इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'जब ये लोग आपके पास आते हैं, आपको इस तरह सलाम कहते हैं, जिस तरह अल्लाह ने आपको सलाम नहीं कहा।' (सूरह मुजादला : 8)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) अल्फ़ुह्श : बुरा क़ौल व अमल और हुदूद से तजावुज़ करना। **(2) अत्तफ़ह्हुश :** जवाबन फ़हशगोई करना। **(3) मह :** अपनी बात से रुक जा, बाज़ रह।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ " وَعَلَيْكُمْ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ " بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُجَابُونَ عَلَيْنَا " .

(5660) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, कुछ यहूदियों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सलाम कहा, अस्सामु अलैक ऐ अबुल क़ासिम! तो आपने फ़रमाया, 'व अलैक।' हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नाराज़ होकर जवाब दिया, आपने उनकी बात नहीं सुनी? आपने फ़रमाया, 'क्यों नहीं, मैं सुन चुका हूँ और उनको जवाब दे चुका हूँ।' हमारी दुआ उनके ख़िलाफ़ कुबूल होगी और हमारे ख़िलाफ़ उनकी दुआ कुबूल नहीं होगी, इसलिये हमें सख़्त कलामी की ज़रूरत नहीं है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ " .

(5661) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'यहूद और नसारा को पहले सलाम न कहो और जब तुम रास्ते में उनमें से किसी को मिलो तो उसके लिये रास्ता तंग कर दिया कर, तंग रास्ते पर मजबूर करो।'

(तिर्मिज़ी : 1602, 2689)

फ़ायदा : एक हदीस़ से मालूम होता है, काफ़िर को सलाम कहने में पहल नहीं करना चाहिये और जुम्हूर फ़ुक़्हा का यही नज़रिया है और राह चलते उनसे मुलाक़ात हो जाये तो उनके इकराम व एहतिराम में उनके लिये रास्ता नहीं छोड़ना चाहिये। हाँ अपने लिये रास्ता बनायें। इससे उ़लमा ने ये इस्तिम्बात किया है कि बद अक़ीदा और गुमराह लोगों को भी पहले सलाम नहीं कहना चाहिये, हाँ यहूदो-नसारा को भी फ़रिश्तों की निय्यत रखकर सलाम कह दो।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ " إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ " . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ . وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ " إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ " . وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

(5662) इमाम साहब यही रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, वकीअ़ की हदीस़ में है, 'जब तुम यहूद से मिलो।' इब्ने जअ़फ़र, शोबा से बयान करते हैं कि आपने अहले किताब के बारे में कहा और जरीर की हदीस़ में है, 'जब तुम उन्हें मिलो।' और आपने किसी मुश्रिक का नाम नहीं लिया।

(अबू दाऊद : 5205)

बाब 5 : बच्चों को सलाम कहना पसन्दीदा है

باب اسْتِحْبَابِ السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

(5663) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बच्चों के पास से गुज़रे तो आपने उन्हें सलामती की दुआ दी।

(सहीह बुख़ारी : 6247, तिर्मिज़ी : 2696)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ‏.‏

(5664) इमाम साहब को यही रिवायत एक और उस्ताद ने सुनाई है।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि आप इन्तिहाई तवाज़ोअ और इन्किसारी से काम लेते हुए, बच्चों के साथ प्यार व मुहब्बत का इज़हार करने के लिये और उन्हें मुलाक़ात के शरई आदाब बताने के लिये, सलाम कहने में पहल करते थे, लेकिन अगर बच्चा अकेला हो और ख़ूबसूरत हो और ख़ूबरू होने की बिना पर उसको सलाम कहना फ़ित्ने का बाइस़ बन सकता हो तो फिर बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) सलाम कहने में हज़्म व एहतियात से काम लेना चाहिये।

(5665) सय्यार (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत स़ाबित बुनानी (रह.) के साथ जा रहा था, सो वो बच्चों के पास से गुज़रे और उन्हें सलाम कहा और बताया कि वो हज़रत अनस (रज़ि.) के साथ चल रहा था तो वो बच्चों के पास से गुज़रे और उन्हें सलाम कहा और हज़रत अनस (रज़ि.) ने बताया, वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ जा रहे थे तो आप बच्चों के पास से गुज़रे और उन्हें सलाम कहा।

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ‏.‏ وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ‏.‏ وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ‏.‏

बाब 6 : पर्दा वग़ैरह उठा देना, इजाज़त देने की अलामात में से है

باب جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْعَلاَمَاتِ

(5666) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'तेरे लिये मेरी यही इजाज़त है कि पर्दा उठा दिया जाये और तुम मेरी बातचीत सुन लो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें रोक दूँ।'

(इब्ने माजह : 139)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذْنُكَ عَلَىَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : तस्तमि-अ सिवादी : तुम मेरी बातचीत और राज़दाराना बातचीत सुन लो और तुम्हें मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाये।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, किसी को इजाज़त देने के लिये कोई अ़लामत या निशानी मुक़र्रर की जा सकती है, इसी अ़लामत के तौर पर आपने हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) को ये फ़रमाया, तेरे आने पर अगर पर्दा उठा दिया जाये और घर में मेरी मौजूदगी का तुम्हें यक़ीन हो जाये तो तुम बिला रोक-टोक आ सकते हो।

(5667) ये रिवायत इमाम साहब को तीन और उस्तादों ने भी इसी तरह सुनाई है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

बाब 7 : इंसानी ज़रूरत यानी क़ज़ाए हाजत के लिये औरतें घरों से निकल सकती हैं

باب إِبَاحَةُ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ

(5668) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हज़रत सौदा (रज़ि.) पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद अपनी ज़रूरते इंसानी पूरा करने के लिये निकलीं और वो भारी-भरकम औरत थीं। (आम) औरतों से उनका जिस्म लम्बा था, जानने वालों से वो पोशीदा नहीं रह सकती थीं, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने उन्हें देखकर कहा, ऐ सौदा! अल्लाह की क़सम! आप हमसे छुपी नहीं रह सकतीं, सो आप सोचें। आप कैसे बाहर निकलेंगी। वो वहीं से वापस पलट गईं और रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे घर में थे और आप शाम का खाना खा रहे थे और आपके हाथ में एक हड्डी थी। हज़रत सौदा दाख़िल होकर कहने लगीं, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं निकली तो उमर ने मुझे ये-ये कहा। तो आप पर वह्य का नुज़ूल शुरू हो गया। फिर ये कैफ़ियत दूर हुई। हड्डी आपके हाथ में थी, आपने उसे रखा न था, सो आपने फ़रमाया, 'तुम्हें क़ज़ाए हाजत के लिये निकलने की इजाज़त दे दी गई है।' अबू बक्र की रिवायत में है, उसका जिस्म औरतों से बुलंद था। अबू बक्र ने अपनी हदीस में हिशाम से ये इज़ाफ़ा भी बयान किया, वो क़ज़ाए हाजत के लिये खुले मैदान में जाने के लिये निकलीं।

(सहीह बुख़ारी : 147, 4795)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ . قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا . قَالَتْ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ " إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا . زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जसीमह : भारी-भरकम। **(2) तफ़रउन्निसाअ जिस्मन या यफ़रउन्निसाअ जिस्मुहा :** वो क़दावर थीं, उनका जिस्म औरतों से बुलंद था, इसलिये पर्दा करने के बावजूद, वो जानने वालों से छुप नहीं सकती थीं। **(3) अर्क़ :** चूसने वाली हड्डी। **(4) बराज़ :** खुला मैदान। **(5) बराज़ :** जिस्म से निकलने वाला फ़ुज़्ला, पाख़ाना।

फ़ायदा : अरबों के यहाँ मुआशरती मज्लिसों और दावतों में औरत-मर्द इकट्ठे शरीक हो जाते थे और इस क़िस्म की महफ़िलों और मज्लिसों में हर क़िस्म के लोग शरीक होते हैं और मिल-बैठकर खा-पी लेते हैं और हज़रत उमर (रज़ि.) इस बात को पसंद नहीं करते थे कि अजनबी और ग़ैर महरम मर्द हरीमे नबवी को देखें। इसलिये उन्होंने हुज़ूर(ﷺ) से गुज़ारिश की कि अपनी अज़्वाज को पर्दे में रखिये और इसकी ख़ातिर एक रात क़ज़ाए हाजत के लिये निकलने पर टोका। ताकि पर्दे का हुक्म नाज़िल हो, इस पर पर्दे के शुरूआती अहकाम नाज़िल हुए। जिनमें अज़्वाजे मुतह्हरात को मुख़ातब किया गया फ़रमाया, 'और अपने घरों में टिकी रहो और जाहिलिय्यत के पिछले अन्दाज़ की तरह अपनी ज़ीनत की नुमाइश न करो।' (सूरह अहज़ाब : 22) इस सिलसिले में सूरह अहज़ाब की आयत नम्बर 53-55 नाज़िल हुईं। जिनमें ये बताया गया है कि अगर मर्दों को रसूलुल्लाह(ﷺ) के घर में किसी ज़रूरत के तहत जाना पड़े तो उन्हें किन आदाब को मल्हूज़ रखना चाहिये। एक टुकड़ा ये है, 'और जब तुम्हें अज़्वाजे नबी से कोई चीज़ माँगनी हो तो पर्दे के पीछे रहकर माँगो, ये बात तुम्हारे दिलों के लिये भी पाकीज़ातर है और उनके लिये भी।' इस आयत से मालूम होता है कि इन आयतों में अगरचे बराहे रास्त ख़िताब तो अज़्वाजे मुतह्हरात को है, क्योंकि मुआशरती इस्लाह की शुरूआत आप ही के घरों से किया गया। लेकिन मुराद तमाम उम्मत की ख़्वातीन हैं। क्योंकि नबी(ﷺ) की अज़्वाज पूरी उम्मत की ख़्वातीन के लिये नमूना हैं। अगर नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं है कि अज़्वाजे मुतह्हरात के दिल तो पाक रखने के लिये पर्दे के अहकाम की ज़रूरत थी और दूसरी औरतों के दिल पाक थे, नीज़ अज़्वाजे नबवी को नज़रे बद से देखा जा सकता था और दूसरी औरतों पर कोई नज़रे बद नहीं डालता था, इसलिये उनके घरों में दनदनाता हुआ दाख़िल हो सकता है, इन आयतों का ज़ाहिरी तक़ाज़ा यही है कि औरतें अपने घरों में ही रहें और घर से बाहर न निकलें। लेकिन औरतों की तबई ज़रूरियात के लिये बाहर निकलना ही पड़ता है, इसलिये एक दिन हज़रत सौदा पर्दा करते हुए अपने आपको पूरी तरह ढांप कर निकलीं, लेकिन चूंकि वो भारी-भरकम और क़द्दावर (लम्बी) थीं, इसलिये वो पर्दे में भी छुप नहीं सकती थीं, इसलिये इस बार फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको मुख़ातब करते हुए कहा, ऐ सौदा! आप छुप नहीं सकतीं, इसलिये आपको पर्दे में भी बाहर नहीं निकलना चाहिये। लेकिन हज़रत उमर की ये ख़्वाहिश पूरी न हुई और सूरह अहज़ाब की आयत नम्बर 59 उतरी, 'ऐ नबी! अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों को ये हिदायत कर दो कि वो अपने ऊपर अपनी बड़ी चादरों के पल्लू लटका कर निकलें, इस तरह ज़्यादा उम्मीद है कि वो पहचान ली जायें और उन्हें सताया न जाये।' इस तरह अपनी ज़रूरत के तहत बड़ी

चादर ओढ़कर जिसमें जिस्म सर से पैर तक ढपा हो, निकलने की इजाज़त दे दी गई और इसको आपने फ़रमाया, 'तुम्हें ज़रूरत के तहत निकलने की इजाज़त दे दी गई।'

सूरह अहज़ाब की इन आयतों से मालूम हुआ, मुसलमान औरत की असल जगह उसका घर है, उसको सिर्फ़ सैर-सपाटे तफ़रीह और नुमूदो-नुमाइश के लिये ज़ैबो-ज़ीनत के साथ बन-संवर कर घर से नहीं निकलना चाहिये। हाँ तबई ज़रूरत के लिये अगर उसको घर से बाहर क़दम निकालना पड़े तो फिर जिल्बाब पहनकर बाहर निकलें और जिल्बाब उस बड़ी चादर को कहते हैं, अल्लज़ी यस्तुरु मिन फ़ौक़ि इलस्सुफ़्ल (इब्ने अब्बास) जो ऊपर से नीचे तक तमाम जिस्म को ढांप लेती है और हाफ़िज़ इब्ने हज़म ने अल्महल्ली जिल्द 3, पेज नं. 217 पर लिखा है, अल्जिल्बाबु फ़ी लुग़तिल अरब अल्लती ख़ातबा बिहा रसूलुल्लाहि(ﷺ) हु-व मा ग़त्ता जमीअल जिस्म ला बअ्ज़हू। जिल्बाब अरबी ज़बान की रू से जिसके ज़रिये रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी उम्मत को ख़िताब किया है, उस चादर को कहते हैं जो पूरे जिस्म को ढांप लेती है, न कि उसके कुछ हिस्से को।

घर के अंदर रहते हुए औरत को किस क़िस्म का पर्दा करना चाहिये, क्यों कि घरों में अज़ीज़ो-अक़ारिब, घर का काम करने वाली औरतों और मुलाज़िमों या बाऐतमाद दोस्तों को आना पड़ता है, इसके बारे में ज़रूरी तफ़्सीलात या उसूली क़वानीन सूरह नूर की आयतें 27 से 31 में बयान किये गये हैं और कुछ रुख़्सतों की तफ़्सील सूरह नूर की आयतें 58 या 68 में बयान की गई हैं। इस तरह पर्दा जो मुआशरती ज़िन्दगी की असास व बुनियाद है और ख़ानगी ज़िन्दगी की तमाम ख़ुशियाँ और मसर्रतें उससे वाबस्ता हैं। क़ुरआन मजीद में इसके बारे में वाज़ेह हिदायतें दी हैं, ताकि मुसलमानों के अंदर नंगापन व फ़हहाशी, बेहयाई और बेशर्मी के मज़ाहिर से अख़्लाक़ी अक़्दार का तिया पांचा न हो जाये और इसकी मज़ीद तशरीह व तौज़ीह अहादीसे नबवी में कर दी गई है। क़ुरआनी आयतों की तशरीह व तौज़ीह के लिये देखिये (क़ुरआन में पर्दे के अहकाम, अज़ मौलाना अमीन इस्लाही मरहूम) और मुकम्मल तफ़्सीलात के लिये देखिये, तफ़्सीलुल ख़िताब फ़ी तफ़्सीर आयातुल हिजाब, मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ मरहूम और पर्दा मौलाना अबुल आला मौदूदी मरहूम।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا . قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى .

(5669) इमाम साहब को यही रिवायत एक और उस्ताद ने सुनाई, इसमें है, वो एक ऐसी औरत थी जो लोगों से अपने जसामत के ऐतबार से बुलंद व बाला थी और इसमें ये है, आप शाम का खाना खा रहे थे।

(सहीह बुख़ारी : 5237)

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(5670) यही रिवायत इमाम साहब को एक और उस्ताद ने सुनाई।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْجُبْ نِسَاءَكَ . فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ . حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزِلَ الْحِجَابَ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ .

(5671) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह(ﷺ) की बीवियाँ जब क़ज़ाए हाजत के लिये निकलना चाहतीं, वो रात को मनासिअ की तरफ़ निकलतीं, जो एक वसीअ मैदान था और हज़रत उमर (रज़ि.), रसूलुल्लाह(ﷺ) से अर्ज़ करते थे, अपनी औरतों को पर्दा कराइये और रसूलुल्लाह(ﷺ) (हुक्मे इलाही के बग़ैर) ये काम नहीं करते थे। रातों में से किसी रात नबी(ﷺ) की बीवी सौदा (रज़ि.), शाम के बाद निकली और वो एक बुलंद व बाला औरत थी हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे आवाज़ दी, सुन लो! हमने आपको पहचान लिया है ऐ सौदा! उनकी ख़्वाहिश थी, पर्दे का हुक्म नाज़िल हो। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि अल्लाह तआला ने पर्दे का हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया। हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़्वाहिश थी कि अज़्वाजे मुतह्हरात किसी सूरत में घर से न निकलें वो पर्दे के साथ निकलने पर भी मुत्मइन न थे इसलिये पर्दे के साथ निकलने पर भी ऐतराज़ किया। ताकि पर्दे के साथ निकलने पर भी पाबंदी आयद हो जाये इसलिये पर्दे के बारे में आयत दोबारा उतरी जिसमें ज़रूरत के तहत पर्दे के साथ निकलने की इजाज़त बरक़रार है जिसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

(सहीह बुख़ारी, बाब : 146)

(5672) इमाम साहब को यही रिवायत एक और उस्ताद ने सुनाई।

(सहीह बुख़ारी : 6240)

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : सईदुन अफ़्यहु : खुला, वसीअ मैदान।

बाब 8 : अजनबी औरत से अकेलापन इख़्तियार करना और उसके पास जाना नाजाइज़ है

باب تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

(5673) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से इमाम साहब अपने चार उस्तादों से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़बरदार! कोई मर्द, शौहर दीदा (बेवा) औरत के पास रात न रहे, इल्ला ये कि वो उसका शौहर या महरम हो।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ " .

फ़ायदा : अगर शौहर दीदा, बेवा औरत के पास एक ग़ैर महरम मर्द का रात गुज़ारना दुरुस्त नहीं है तो वो एक दोशेज़ा के पास जो तबई तौर पर मर्दों से हिजाब महसूस करती है, के साथ कैसे रात गुज़ारी जा सकती है। उसके पास रात सिर्फ़ उसका ख़ाविन्द या महरम जिसके साथ कभी भी उसकी शादी नहीं हो सकती, गुज़ार सकता है और अगर महरम भी फ़ित्ने का बाइस हो, उससे बद ज़न्नी और बद गुमानी पैदा होती हो तो उसको भी एहतियात करना चाहिये।

(5674) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

फ़रमाया, 'तुम औरतों के पास जाने से बचो।' तो एक अन्सारी आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! देवर के बारे में आपका क्या ख़याल है? आपने फ़रमाया, 'देवर मौत है।'

(सहीह बुख़ारी : 5232, तिर्मिज़ी : 1171)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अल्हम्व : ख़ाविन्द का क़रीबी रिश्तेदार। जैसे भाई, चाचाज़ाद, मामूज़ाद, भतीजा, चाचा। क्योंकि बक़ौल इमाम नववी (रह.) अहले लुग़त के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ अह्मा हम्व की जमा है, से मुराद औरत के ख़ाविन्द के रिश्तेदार हैं। जैसे उसका चाचा, भाई, भतीजा वग़ैरह है और उख़्तान से मुराद, बीवी के अक़ारिब हैं और अस्हार का इत्लाक़ दोनों के अज़ीज़ो-अक़ारिब पर होता है और यहाँ हम्व से मुराद ख़ाविन्द के बाप के बेटे के अलावा अज़ीज़ो-अक़ारिब हैं, क्योंकि ख़ाविन्द का बाप और बेटा तो महरम हैं।

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने हम्व को मौत क़रार दिया है, क्योंकि आम तौर पर उसका औरत के पास तन्हाई में मिलना-बैठना ऐबदार ख़याल नहीं किया जाता और इसकी आड़ में कई बार इन दोनों में जिन्सी ताल्लुक़ात क़ायम हो जाते हैं। जो इंसान यानी मर्द और औरत के दीन की मौत है और अगर पता चल जाये तो औरत के लिये रज्म का बाइस़ है और हम्व शादीशुदा हो तो उसको भी संगसार किया जायेगा और ख़ाविन्द ग़ैरत में आकर, उनको क़त्ल भी कर सकता है या वो बीवी को तलाक़ दे देगा। इसलिये इससे तन्हाई या अकेलापन ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिये हम्व की तन्हाई को मामूली ख़याल नहीं करना चाहिये। बद क़िस्मती से आज इन हिदायतों को अहमियत नहीं दी जाती, जिसकी बिना पर अफ़सोसनाक ताल्लुक़ात ज़ुहूर पज़ीर हो रहे हैं। भाई, भाई की बीवी से ताल्लुक़ात क़ायम कर लेता है, दोस्त, दोस्त की बीवी को ले उड़ता है, इस तरह ख़ानदान तबाह हो रहे हैं।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثِ، بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

(5675) इमाम साहब को यही रिवायत एक और उस्ताद ने भी सुनाई।

(5676) इमाम लैस़ बिन सअ़द (रह.) कहते हैं, हम्व से मुराद ख़ाविन्द का भाई और उससे मिलते-जुलते ख़ाविन्द के रिश्तेदार हैं, जैसे उसका चाचाज़ाद वग़ैरह।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ .

(5677) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) बयान करते हैं, बनू हाशिम के कुछ लोग हज़रत अस्मा बिन्ते उ़मैस (रज़ि.) के पास आये। फिर अबू बक्र सिद्दीक़ भी आ गये और अस्मा उन दिनों उनकी बीवी थीं। अबू बक्र ने उनको देखकर कराहत महसूस की और इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह(ﷺ) से किया और कहा, मैंने ख़ैर ही देखी है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह ने उसको इस (बुराई) से बरी रखा है।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और फ़रमाया, 'आज के दिन के बाद कोई आदमी ऐसी औ़रत के पास न जाये जिसका ख़ाविन्द घर में मौजूद न हो, मगर ये कि उसके साथ एक दो आदमी हों।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ " . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ " لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : मुग़ीबह : जिसका ख़ाविन्द घर में न हो, सफ़र पर हो या घर से बाहर काम-काज के लिये गया हो।

फ़ायदा : हज़रत अस्मा बिन्ते उ़मैस एक जलीलुल क़द्र सहाबिया हैं, जो हज़रत जअ़फ़र बिन अबी तालिब की बीवी थीं। जंगे मूता में उनकी शहादत के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) से शादी कर ली और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अ़ली (रज़ि.) से शादी कर ली। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने अपनी

ग़ैर हाज़िरी में बनू हाशिम के लोगों के आने को तबई ग़ैरत व हमियत की बिना पर पसंद नहीं किया। अगरचे क़ाबिले ऐतराज़ सूरत नहीं देखी थी, इसलिये हुज़ूर(ﷺ) ने तबई ग़ैरत का लिहाज़ रखते हुए फ़रमाया, अजनबी औरत के पास, तन्हाई में इतने लोग जायें, जिनके बारे में शक व शुब्हा न हो सकता हो, दो तीन की क़ैद का असल मक़सद यही है, वरना बनू हाशिम के लोग भी कुछ थे, क्योंकि उनको नफ़र (जमाअत) से ताबीर किया गया है कि नफ़र का इत्लाक़ कम से कम तीन पर होता है, उसके बावजूद हज़रत अबू बकर ने ग़ैरत महसूस की।

बाब 9 : एक आदमी को तन्हाई में किसी औरत के साथ देखा गया, हालांकि वो उसकी बीवी या महरम थी तो बेहतर है, वो बता दे 'ये फ़लाँ औरत है' ताकि इस तरह बदगुमानी का इज़ाला कर दे

باب بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَةً أَوْ مَحْرَمًا لَهُ

(5678) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) अपनी किसी बीवी के साथ खड़े थे कि आपके पास से एक आदमी गुज़रा, आपने उसको आवाज़ दी तो वो आ गया। फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ फ़लाँ! ये मेरी फ़लाँ (सफ़िय्या) बीवी है।' उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! किसी के बारे में तो मैं गुमान कर सकता था, आपके बारे में तो मैं गुमान नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'शैतान, इंसान में ख़ून की तरह गर्दिश करता है।'

(अबू दाऊद : 4719)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ "يَا فُلاَنُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةُ" . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ" .

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में अपनी बीवी को घर छोड़ने जा रहे थे कि आपके पास से दो अन्सारी गुज़रे, उन्होंने तेज़ रफ़्तारी इख़्तियार की, ताकि आप उनकी वजह से बातचीत करने में हिजाब महसूस न करें या वो शर्म व हया की बिना पर तेज़ी से वापस लौटे। लेकिन हुज़ूर(ﷺ) ने

ख़्याल किया, शैतान इंसान में ख़ून की तरह दौड़ता है, कहीं इनके दिल में कोई बदगुमानी ही पैदा न कर दे। इसलिये आपने फ़रमाया, 'सुकून व इत्मीनान से चलो, ये मेरी बीवी है।' इस तरह आपने बदगुमानी पैदा होने का फ़ौरी तौर पर इज़ाला कर दिया, क्योंकि आपके बारे में बदगुमानी बक़ौल इमाम शाफ़ेई कुफ़्र है। इसलिये ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी का तक़ाज़ा ये था, उनको इससे बचाया जाता। दूसरे इंसानों के बारे में बदगुमानी कुफ़्र तो नहीं है, लेकिन गुनाह का बाइस ज़रूर है और इस तरह किसी के बारे में इंसान के दिल में कराहत और नफ़रत पैदा हो सकती है और ये चीज़ चुग़ली और ग़ीबत का बाइस भी बन सकती है। इसलिये किसी को बद गुमानी का मौक़ा नहीं देना चाहिये और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिये जिससे बद ज़न्नी पैदा होती हो और कभी कोई ऐसी सूरत पेश आ जाये तो हक़ीक़ते हाल से आगाह कर देना चाहिये, ताकि दूसरों के दिल में बद गुमानी पैदा न हो और वो गुनाहगार न बनें। इस रिवायत में एक आदमी का तज़्किरा है हालांकि वो दो थे, तो यहाँ रजुल जिन्स के लिये है कि गुज़रने वाले मर्द थे, एक या दो को तअयीन मक़सूद नहीं या एक दूसरे के कुछ पीछे था। अगले को आवाज़ दी तो पिछला भी पहुँच गया।

(5679) हज़रत सफ़िय्या बिन्ते हुई बयान करती हैं, नबी(ﷺ) ऐतिकाफ़ बैठे हुए थे। मैं रात को आपकी मुलाक़ात के लिये आई और आपसे बातचीत करती रही। फिर मैं वापस जाने के लिये उठी तो आप भी मेरे साथ उठ खड़े हुए ताकि मुझे रुख़सत करें और इस (सफ़िय्या) का घर हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) के अहाते में था। तो दो अन्सारी गुज़रे, जब उन्होंने नबी(ﷺ) को देखा, तेज़-तेज़ चलने लगे। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने मामूल की चाल चलो, ये सफ़िय्या बिन्ते हुई है।' उन्होंने कहा, सुब्हानअल्लाह! ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'शैतान इंसान में ख़ून की तरह दौड़ता है और मुझे अन्देशा लाहिक़ हुआ कहीं वो तुम्हारे दिलों में बद गुमानी न डाल दे।' या फ़रमाया, 'कोई

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي ‏.‏ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ

वस्वसा न पैदा कर दे।'

فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا " . أَوْ قَالَ " شَيْئًا " .

(सहीह बुख़ारी : 2035, 2038, 2039, 3101, 3281, 9219, 7171, अबू दाऊद : 2470, 2471, 4994, इब्ने माजह : 1779)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अला रिस्लिकुमा : अपनी चाल चलते रहो, सुकून व इत्मीनान से चलो।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है ऐतिकाफ़ में बैठने वाले के पास उसकी बीवी जाकर बातचीत कर सकती है और वो उसे रुख़सत करने के लिये बाहर आ सकता है और हुज़ूर(ﷺ) अपनी उम्मत के लिये इन्तिहाई शफ़ीक़ और हमदर्द थे, उनको हर ऐसे काम से आगाह करते थे, जो उनके लिये गुनाह का बाइस़ बन सकता था और इंसान को शैतान से बच कर रहना चाहिये। वो इंसान में ख़ून की तरह दौड़ता है और उसके दिल में शुकूक व शुब्हात पैदा करके उसे राहे रास्त से हटाने की कोशिश करता है और अन्सारियों ने इस बात पर तअज्जुब और हैरत का इज़हार करते हुए कि कोई मुसलमान आपके बारे में भी बद गुमानी का शिकार हो सकता है, सुब्हानअल्लाह कहा।

(5680) हज़रत सफ़िय्या नबी(ﷺ) की अहलिया बयान करती हैं कि वो नबी(ﷺ) के पास जबकि आप मस्जिद में ऐतिकाफ़ बैठे हुए थे, मिलने के लिये आईं। ये रमज़ान के आख़िरी अशरे का वाक़िया है। आपके साथ कुछ वक़्त बातचीत की, फिर वापसी के लिये खड़ी हुई और नबी(ﷺ) उसको रुख़सत करने के लिये उठ खड़े हुए। आगे ऊपर वाली रिवायत है। हाँ इतना फ़र्क़ है कि आपने शैतान के लिये यजरी मजरा की जगह यब्लुग़ु मब्लग़ फ़रमाया। यानी 'शैतान इंसान की रगों में ख़ून की तरह पहुँचता है।'

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُهَا . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ " . وَلَمْ يَقُلْ " يَجْرِي " .

बाब 10 : जो इंसान किसी मज्लिस में शिरकत के लिये आता है और उसमें गुंजाइश देखता है तो वहाँ बैठ जाये वरना लोगों के पीछे बैठे

باب مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا وَإِلاَّ وَرَاءَهُمْ

(5681) हज़रत अबू वाक़िद लैसी (रज़ि.) से रिवायत है कि जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) लोगों के साथ मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे, अचानक तीन आदमी आये। दो रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ बढ़ गये और एक चला गया। दोनों जाकर रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास रुक गये। रहा उनमें से एक तो उसने हल्क़े के अंदर गुंजाइश देखी तो उसमें बैठ गया। रहा दूसरा तो वो लोगों के पीछे बैठ गया और लेकिन तीसरा तो वो पीठ फेर कर चला गया। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) (बातचीत से) फ़ारिग़ हुए तो आपने फ़रमाया, 'क्या मैं तुम्हें इन तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ? इनमें से एक ने तो अल्लाह की तरफ़ जगह पकड़ी तो अल्लाह ने उसे जगह दे दी और उनमें से दूसरे ने जाने से शर्म महसूस की तो अल्लाह ने भी उससे हया फ़रमाया, लेकिन तीसरा, तो उसने ऐराज़ किया तो अल्लाह ने उससे ऐराज़ किया।'

(सहीह बुख़ारी, बाब : 66, 474, तिर्मिज़ी : 2724)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّاالله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ . قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **फ़ुर्जह :** दो चीज़ों के दरम्यानी जगह। (2) **हल्क़ह जमा हलक़ुन :** मज्लिस, घेरा बनाकर बैठना। (3) **आवा इलल्लाह :** उसकी पनाह पकड़ी। (4) **आवाहुल्लाह :** अल्लाह ने उसको अपनी रहमत व ख़ुशनूदी की गोद में ले लिया। (5) **इस्तह्या :** उसने वापस जाने से शर्म व हया महसूस की और मज्लिस में जगह न होने की वजह से उसके अंदर घुसना भी गवारा न किया। (6) **इस्तह्यल्लाहु मिन्हु :** अल्लाह ने उसको रहमत से महरूम करने से हया फ़रमाया, उसको अपनी रहमत से नवाज़ा।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ، أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَهُ فِي، هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى .

(5682) इमाम साहब को एक और उस्ताद ने इसके हम मानी रिवायत सुनाई।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है अहले इल्म को खुली जगह में दीनी मज्लिसों के क़ायम करने का एहतिमाम करना चाहिये ताकि उसमें इल्मी व दीनी मसाइल पर बातचीत हो सके और बेहतर ये है कि इल्म व वअ़ज़ की मज्लिसें मस्जिदों में मुन्अ़क़िद की जायें और बाद में आने वाले लोग अगर मज्लिस के अंदर गुंजाइश देखें तो पहले उस ख़ाली जगह को पुर करें, अगरचे उसकी ख़ातिर उन्हें गर्दनों को फलांगना पड़े और अगर हल्क़े के अंदर जगह न हो तो जहाँ जगह मिले, वहाँ बैठ जाना चाहिये। क्योंकि इल्म की मज्लिसों में शिरकत अज्र व स़वाब का बाइस़ है और उनसे ऐराज़ करना अपने आपको अल्लाह की रहमत और अज्र व स़वाब से महरूम रखना है और इस हदीस़ से मालूम होता है, दूसरों के लिये रग़बत व शौक़ पैदा करने के लिये अच्छा काम करने वाले की तारीफ़ भी की जा सकती है और किसी काम से नफ़रत दिलाने के लिये उस काम करने वाले पर तन्क़ीद भी की जा सकती है।

باب تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ

बाब 11 : पहले बैठने वाले को बिला वजह उसकी जगह से उठाना जाइज़ नहीं है

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ " .

(5683) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, तुम में से 'कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को उसकी जगह से उठाकर, उसकी जगह में न बैठें।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि अगर इंसान सबकी मुश्तरका जगह में आकर पहले बैठ जाता है तो उसको वहाँ से उठाना उसके जज़्बात व एहसासात को ठेस पहुँचाना है, इसलिये ये जाइज़ नहीं है। लेकिन अगर मफ़ादे आ़म्मह की कोई जगह ऐसी है जिसके बारे में मालूम है कि फ़लाँ आदमी उस जगह आ़म तौर पर बैठता है, जैसे मस्जिद में एक जगह बैठकर कोई आ़लिम दर्स व तदरीस करता है या वअ़ज़ करता है या फ़तवा देता है या एक जगह कोई अपनी रेढ़ी लगाता है तो फिर किसी दूसरे को उस जगह नहीं बैठना चाहिये। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको वहाँ से उठाया जा सकेगा। सहीह मौक़िफ़ यही है, अगरचे अहनाफ़ के नज़दीक चूंकि ये जगह किसी की मिल्कियत में नहीं हो सकती, इसलिये जो भी पहले आयेगा, वही इस जगह बैठेगा, आ़म तौर पर पहले आकर बैठने वाला अगर किसी दिन पहले न आये तो वो पहले आने वाले को उठा नहीं सकेगा, ज़ाहिर है ये अख़्लाक़ और मुरव्वत के मुनाफ़ी है। अगरचे क़ानूनी और उसूली रू से इसकी गुंजाइश है, लेकिन ये उर्फ़ और रिवाज के मुनाफ़ी है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا " .

(5684) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों की पाँच सनदों से, इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई आदमी दूसरे आदमी को उठा कर उसकी जगह पर न बैठे, लेकिन दूसरों के लिये कुशादगी और वुस्अ़त पैदा करो, यानी मज्लिस वसीअ़ करो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَدَّثَنَا

(5685) इमाम अपने पाँच उस्तादों की चार सनदों से इब्ने उमर (रज़ि.) से पहली रिवायत की तरह बयान करते हैं और आपका ये फ़रमान, 'लेकिन खुल जाओ, वुस्अ़त पैदा

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ، جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ "وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا". وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

करो।' बयान नहीं करते। इब्ने जुरैज की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, मैंने पूछा, जुम्आ के दिन? उस्ताद ने कहा, जुम्आ का दिन हो या कोई और दिन।

(तिर्मिज़ी : 2749, 7541, सहीह बुख़ारी, बाब : 911)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ " . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ .

(5686) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई अपने दीनी भाई को उठाकर उसकी जगह में न बैठे।' और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के लिये अगर कोई आदमी अपनी जगह से उठ जाता तो वो उस जगह में नहीं बैठते थे।

(तिर्मिज़ी : 2750)

फ़ायदा : आपने आने वाले को दूसरे को उठाकर उसकी जगह बैठने से मना फ़रमाया है। लेकिन पहले बैठा हुआ ख़ुश दिली से किसी उम्र रसीदा, इल्म व फ़ज़्ल वाले या किसी ऐतबार से अपने से बरतर शख़्सियत के लिये ख़ुद जगह ख़ाली करता है तो ये एक पसन्दीदा अमल है और अज्र व सवाब में इज़ाफ़े का बाइस है। लेकिन इब्ने उमर (रज़ि.) तवरोंअ और एहतियात इख़्तियार करते हुए, ये समझकर कि शायद ये अपनी ख़ुशी और रज़ामन्दी से ख़ुश दिली से न उठा, बल्कि मेरे दबदबे या मेरी हैबत की वजह से उठा हो, उस जगह नहीं बैठते थे। अगरचे इमाम नववी ने ये वजह भी बयान की है कि पहली सफ़ से उठकर दूसरे की ख़ातिर पीछे हटना पसन्दीदा नहीं है। क्योंकि इबादतों में दूसरों को तरजीह देना नापसन्दीदा है। लेकिन मुझे तो नापसन्दीदगी की कोई वजह नज़र नहीं, ये तो अदब व एहतिराम है जो मतलूब है।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5687) इमाम साहब को यही रिवायत एक और उस्ताद ने भी सुनाई।

وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا " .

(5688) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई आदमी जुम्आ के दिन अपने भाई को हर्गिज़ न उठाये कि फिर जाकर उसकी जगह पर बैठ जाये, बल्कि यूँ कहे, 'दूसरों के लिये खुल जाओ, गुंजाइश पैदा करो।'

फ़ायदा : आम तौर पर किसी को उठाकर उसकी जगह बैठना जुम्आ के दिन होता है, इसलिये आपने इसकी निशानदेही ख़ुसूसी तौर पर फ़रमाई। वरना आम है, किसी दिन के साथ या किसी जगह के साथ ख़ास नहीं है।

باب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

बाब 12 : अगर कोई वापसी के लिये अपनी मज्लिस से उठे तो वो वापस आने की सूरत में वही अपनी जगह का ज़्यादा हक़दार है

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ، قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ " . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ " مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .

(5689) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई उठे।' अबू अवाना की रिवायत में है, 'जो अपनी मज्लिस से उठा, फिर उसकी तरफ़ वापस लौट आया तो वही उसका ज़्यादा हक़दार है।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, अगर कोई इंसान किसी जगह बैठा है, फिर वो किसी आरज़ी तबई या इंसानी ज़रूरत के लिये वापसी की निय्यत से उठकर जाता है और जल्द ही वापस आ जाता है तो वही अपनी जगह का हक़दार है। वो अपनी जगह पर बैठने वाले को उठा सकता है। बेहतर ये है कि

वो ऐसी सूरत में अपनी जगह कोई चीज़ रख कर जाये, ताकि दूसरों को पता चल जाये कि इस जगह कोई बैठा हुआ है। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, कोई इंसान मग़रिब की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर अपनी जगह कपड़ा या मिस्वाक वग़ैरह रख कर चला जाये और फिर इशा के वक़्त आकर उस जगह पर बैठने का तक़ाज़ा करे।

बाब 13 : मुख़न्नस (ज़नाना) को अजनबी औरतों के पास जाने से मना करना

باب مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الأَجَانِبِ

(5690) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उनके पास एक हीजड़ा बैठा हुआ था, जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) घर में मौजूद थे तो उसने उम्मे सलमा (रज़ि.) के भाई से कहा, ऐ अब्दुल्लाह बिन उमय्या! अगर कल अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये ताइफ़ फ़तह फ़रमाया तो मैं तुम्हें ग़ैलान की बेटी का पता दूँगा, क्योंकि उसके सामने से चार सलवटें नज़र आती हैं और पीठ फेरने पर सलवटें आठ बन जाती हैं, यानी वो ख़ूब मोटी ताज़ी है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी उसकी बात सुन ली और फ़रमाया, 'ये तुम्हारे पास न आयें।'

(सहीह बुख़ारी : 4324, 5235, 5887, अबू दाऊद : 4929, इब्ने माजह : 1902)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَيْضًا - وَاللَّفْظُ هَذَا - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنَّثًا، كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ‏.‏ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ لاَ يَدْخُلْ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ ‏"‏ ‏.‏

फ़ायदा : मुख़न्नस दो क़िस्म के होते हैं (1) हीजड़ा जो तबई तौर पर औरतों जैसा अख़्लाक़, इन जैसी हरकात व सकनात और इन जैसे तौर-तरीक़े अपनाता है, ये दीनी तौर पर मअज़ूर है। क़ाबिले मज़म्मत नहीं है, इसको औरतों जैसे रवैये और अन्दाज़ को बदलने की कोशिश करना चाहिये। (2) ज़नाना, जो

जान-बूझकर अम्दन औरतों जैसा रवैया और बातचीत बनाने की कोशिश करता है, ये क़ाबिले मलामत है। अगरचे किसी बुरी हरकत का इर्तिकाब न भी करे। हैत नामी मुख़न्नस ने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के भाई अब्दुल्लाह और हज़रत आइशा (रज़ि.) के भाई अब्दुर्रहमान दोनों को कहा था कि मैं ताइफ़ की फ़तह के बाद तुम्हें सक़ीफ़ के एक सरदार ग़ैलान बिन सलमा की बेटी बादिया नामी का पता दूँगा, वो ख़ूब मोटी ताज़ी और अरबी मिज़ाज के मुताबिक़ क़ाबिले कशिश है, तुम उसे लेने की कोशिश करना।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ - قَالَ - فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ " . قَالَتْ فَحَجَبُوهُ .

(5691) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, नबी(ﷺ) की बीवियों के पास एक हीजड़ा आया करता था, क्योंकि वो उन्हें उन लोगों में समझती थीं, जो औरतों में रग़बत और दिलचस्पी नहीं रखते। नबी(ﷺ) एक दिन अपनी किसी बीवी के पास गये तो उसे एक औरत के औसाफ़ बयान करते पाया कि जब वो सामने आती है तो उसके पेट पर चार सलवटें पड़ती हैं और जब वो पीठ फेरकर चल देती है तो वो सलवटें आठ बन जाती हैं। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़बरदार! मैं देख रहा हूँ, ये तो लोगों की चीज़ों से आगाह है, ये तुम्हारे पास न आये।' उसके बाद उसको घरों में दाख़िल होने से रोक दिया गया।

(अबू दाऊद : 4105)

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) हैत नामी मुख़न्नस के बारे में ये ख़्याल करते थे कि वो औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता, न उनका ख़्वाहिशमन्द है इसलिये उसको अपने घरों में आने से नहीं रोकते थे, लेकिन जब आपको पता चला कि ये औरतों से दिलचस्पी रखता है, उनके महासिन और ख़ूबियों पर उसकी नज़र है और दूसरों को भी उससे आगाह करता है तो उसका दाख़िला बंद कर दिया। बल्कि उसको मदीना से निकलवा दिया और एक ग़ैर आबाद जगह भेज दिया। इसलिये ऐसे हीजड़ों को घरों में दाख़िल नहीं होने देना चाहिये।

बाब 14 : रास्ते में थकी-हारी अजनबी औरत को सवारी पर पीछे बिठाना जाइज़ है

باب جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ

(5692) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (रज़ि.) बयान करती हैं, हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने मेरे साथ ऐसे हालत में शादी की कि उनके पास अपने घोड़े के सिवा कोई माल व दौलत, गुलाम या कोई और चीज़ न थी। मैं उनके घोड़े के लिये चारा लाती और उसकी ज़रूरियात से उनको किफ़ायत करती और में ही उसकी देखभाल या निगेहदाश्त करती और उनके पानी ढोने के ऊँट के लिये गुठलियाँ कूटती और उसको चारा डालती, पानी लाती और उनके डोल को सीती, आटा गूंधती और मुझे अच्छी तरह रोटी पकाना नहीं आता था या मैं अच्छी तरह रोटी नहीं पका सकती थी और मेरी अन्सारी पड़ौसनें, मुझे रोटी पका कर देती थीं और वो बहुत अच्छी औरतें थीं और मैं ज़ुबैर की उस ज़मीन से जो आपने उसे इनायत फ़रमाई थी, अपने सर पर गुठलियाँ ढोती थी, जो मदीना से दो मील के फ़ासले पर थी। एक दिन मैं आ रही थी और गुठलियाँ मेरे सर पर थीं तो मेरी मुलाक़ात रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हो गई। आपके कुछ साथी भी आपके साथ थे, आपने मुझे आवाज़ दी, फिर ऊँट को बिठाने के लिये कहा, 'इख़-इख़' ताकि मुझे अपने पीछे सवार कर लें, मैं शर्मा गई और मुझे (ऐ ज़ुबैर) आपकी ग़ैरत याद आ गई तो ज़ुबैर (रज़ि.) ने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَىْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ - قَالَتْ - فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ - قَالَتْ - وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي وَهْىَ عَلَى ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ - قَالَتْ -فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ " إِخْ إِخْ " . لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ - قَالَتْ - فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ

لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي .

कहा, अल्लाह की क़सम! तेरा गुठलियाँ उठाना मेरे लिये तेरे आपके साथ सवार होने से ज़्यादा संगीन है। अस्मा कहती हैं, यहाँ तक कि बाद में अबू बक्र (रज़ि.) ने मुझे ख़ादिमा दे दी और वो मेरे लिये घोड़े की देखभाल के लिये काफ़ी हो गई। गोया कि उसने मुझे (काम-काज से) आज़ाद कर दिया।

(सहीह बुख़ारी : 3151, 5224)

फ़ायदा : हज़रत अस्मा ने जब मक्का मुकर्रमा में हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) से शादी की तो उनके पास माल-मवेशी, नक़दी, नोकर-चाकर और काश्त के लिये ज़मीन न थी। फिर मदीना मुनव्वरा हिज्रत करके आये तो हज़रत अस्मा घर के और बाहर के तमाम काम सर अन्जाम देती थी। यहाँ तक कि ऊँट और घोड़े के लिये चारा भी ख़ुद लातीं। घोड़े की देखभाल करतीं, पानी ढोती, इस तरह छोटे-मोटे दूसरे काम करतीं और आम तौर पर मुतवस्सित घरानों की औरतें, घरेलू काम, खाना पकाना, सीना-पिरोना, कपड़े और बर्तन धोना वग़ैरह काम ख़ुद ही सर अन्जाम देती हैं, बल्कि घर के बाहर के कामों में भी हाथ बटाती हैं और ये चीज़ मियाँ-बीवी में प्यार व मुहब्बत की निशानी समझी जाती है। घरेलू फ़राइज़ की सर अन्जामदेही तो मुतवस्सित और ग़रीब ख़ानदानों की औरतों के लिये मालिकिया और अहनाफ़ के यहाँ अख़लाक़ी और शरई तौर पर ज़रूरी है और बेरूनी काम ज़रूरी नहीं हैं, वो सिर्फ़ हुस्ने मुआशिरत और एहसान का हिस्सा हैं और अमीर घरानों की औरतें, जो अपने माँ-बाप के यहाँ, काम-काज नहीं करती थीं, उनके लिये अंदुरूनी या बेरूनी काम करना लाज़िम नहीं है। लेकिन उमूमन अच्छी घरानों की औरतें ये काम ख़ुद ही करती हैं। अपने साथ नोकर-चाकर भी रख लेती हैं। लेकिन शवाफ़ेअ के यहाँ हर क़िस्म की औरतों के लिये घरेलू काम-काज करना फ़र्ज़ नहीं है। ये हुस्ने मुआशरत और आपसी प्यार व मुहब्बत के तहत होता है और आम तौर पर औरतें ये काम ख़ुद ही सर अन्जाम देती हैं, हमेशा से लोगों के यहाँ यही मामूल चला आ रहा है और ऐसे ही होना चाहिये। क्योंकि अज़्वाजे मुतह्हरात और आपकी बेटियाँ घरेलू फ़राइज़ ख़ुद ही सर अन्जाम देती थीं। यहाँ तक कि कई बार हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को घरेलू काम-काज में बहुत तकलीफ़ भी उठानी पड़ती थी। लेकिन आपने हज़रत अली (रज़ि.) को ख़ादिमा मुहय्या करने का हुक्म नहीं दिया। इस तरह आपने हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) को हज़रत असमा के लिये ख़ादिमा मुहय्या करने के लिये नहीं फ़रमाया। हज़रत असमा के लिये ऊँट बिठाने से इमाम नववी ने इस्तिदलाल किया है, ये अजनबी औरत को ऊँट पर या सवारी पर पीछे बिठाना जाइज़ है। हालांकि ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऊँट बिठाने से ये लाज़िम नहीं

आता, आप भी साथ ही सवार हो जाते, आप किसी दूसरे साथी के साथ सवार हो सकते थे। नीज़ हज़रत असमा आपके लिये अजनबी न थीं। वो आपके घर आना-जाना रखती थीं, हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के भतीजे की बीवी थीं, हज़रत आइशा (रज़ि.) की हमशेरा थीं और आपके यारे ग़ार की साहबज़ादी थीं। नीज़ आपके पीछे सवार होने की सूरत में किसी क़िस्म का ख़तरा न था। जो कि एक बुनियादी उन्सुर है। इसलिये हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा था, आपके पीछे सवार होना मेरी ग़ैरत के लिये नागवार न था। बल्कि दूसरों के सामने गुठलियाँ उठाना मेरे लिये नागवार है और इस वाक़िये के बाद हुज़ूर(ﷺ) ने अबू बक्र (रज़ि.) को एक नौकरानी दी ताकि वो हज़रत अस्मा को दे दें और इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ सियासत दर हक़ीक़त दूसरों की देखभाल और निगेहदाश्त का नाम है, अपने मफ़ादात और मुनाफ़ा के मौक़े पैदा करने और लूट-खसोट का नाम नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ، قَالَتْ كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَىْءٌ أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ . قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْىٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا . قَالَتْ كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَتَهُ فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ . قَالَتْ إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَىَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ . فَقَالَتْ مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ دَارِي فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ مَا لَكِ

(5693) हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैं हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) के घर की ख़िदमात सर अन्जाम देती थी और उनका घोड़ा था, उसकी भी देखभाल और इन्तिज़ाम करती थी और घोड़े की निगेहदाश्त से ज़्यादा कोई ख़िदमत मेरे लिये संगीन न थी, मैं उसके लिये घास लाती, उसकी ख़िदमत करती और उसकी देखभाल करती। फिर उसे एक नौकरानी मिल गई, नबी(ﷺ) के पास कुछ क़ैदी आये तो आपने उसे एक नौकरानी दी, जो उनके लिये घोड़े के इन्तिज़ाम के लिये काफ़ी हो गई और उसकी मशक़्क़त का बोझ उतार दिया। सो एक दिन मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ अब्दुल्लाह की माँ! मैं एक मोहताज आदमी हूँ, मैं आपके घर के साये में सोदा-सुलफ़ बेचना चाहता हूँ। हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने कहा, अगर मैंने अपने तौर पर तुझे इजाज़त दे दी (तो शायद) हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) उसकी इजाज़त नहीं देंगे, लिहाज़ा तू ज़ुबैर (रज़ि.) की मौजूदगी में आकर मुझसे उसकी इजाज़त

أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي . فَقَالَ هَبِيهَا لِي . قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا .

तलब करना। सो वो आया और कहने लगा, ऐ अब्दुल्लाह की माँ! मैं एक मोहताज आदमी हूँ, आपके घर के साये में सामान फ़रोख़्त करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मदीना में मेरे घर के सिवा तुम्हें कोई घर नहीं मिला? तो हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने हज़रत अस्मा (रज़ि.) से कहा, तुम एक फ़क़ीर आदमी को सामान बेचने से क्यों रोकती हो? तो वो ख़रीदो-फ़रोख़्त करने लगा। यहाँ तक कि उसने कमाई कर ली और वो लौण्डी मैंने उसे फ़रोख़्त कर दी (क्योंकि अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी)। हज़रत ज़ुबैर मेरे पास आये तो उसकी क़ीमत मेरी झोली में थी। उन्होंने कहा, ये रक़म मुझे दे दो। मैंने कहा, मैं ये सदक़ा कर चुकी हूँ।

फ़ायदा : इस हदीस से हज़रत अस्मा के फ़हम व फ़रास्त का पता चलता है कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़हानत और बेदार मग़ज़ी से एक फ़क़ीर आदमी को अपने घर के साये में बैठने की इजाज़त अपने ख़ाविन्द की नफ़्सियात और ग़ैरत का अन्दाज़ा रखते हुए दिलवाई। जिससे मालूम होता है, बीवी को अपने ख़ाविन्द की नफ़्सियात और जज़्बात का लिहाज़ रखना चाहिये। ताकि वो ख़्वाह-मख़्वाह बद गुमानी का शिकार न हो और घर का माहौल कशीदगी से महफ़ूज़ रहे।

باب تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الاِثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

बाब 15 : तीसरे की रज़ामन्दी के बग़ैर दो का बातचीत करना जाइज़ नहीं है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ " .

(5694) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तीन आदमी बैठे हों तो एक को छोड़कर दो आपस में बातचीत न करें।'

(सहीह बुख़ारी : 6288)

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने अपनी उम्मत को तमाम ऐसे कामों से मना फ़रमाया है जो आपस में बद गुमानी और बद ज़न्नी का बाइस बनते हों या उनसे आपस में हसद व बुग़्ज़ व नफ़रत पैदा होती है इसलिये एक दूसरे के जज़्बात व एहसासात को ठेस पहुँचाने से रोक दिया है। अगर एक आदमी को छोड़कर दो या कुछ आदमी आपस में काना-फूसी करें तो ये चीज़ उसके लिये रंज और तकलीफ़ का बाइस बन सकती है कि उन्हें मुझ पर ऐतमाद नहीं है या ये मेरे ख़िलाफ़ कोई साज़िश करना चाहते हैं या मेरे ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे हैं। हाँ अगर दो आदमी बैठकर बातचीत कर रहे हों और तीसरा उनसे दूर बैठा हो तो फिर उसके लिये ये जाइज़ नहीं है कि वो उनके क़रीब आकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करे और बिला वजह ये तजस्सुस करे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, अगर वो ख़ुद उनको शरीक कर लें या वो ख़ुद उनसे अलग हो जाये तो फिर कोई हर्ज नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ .

(5695) इमाम साहब को यही रिवायत उनके नौ उस्तादों ने अपनी छः सनदों से नाफ़ेअ ही की सनद से सुनाई।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ

(5696) इमाम साहब के पास कई उस्ताद, तीन सनदों से अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम तीन लोग हो तो दो, तीसरे को छोड़कर आपस में

إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ".

बातचीत न करो, यहाँ तक कि लोगों से घुल मिल जाओ, इसलिये कि उससे ग़म होगा।

(सहीह बुख़ारी : 6290)

फ़ायदा : जब तीन लोग दूसरे लोगों से घुल मिल जायेंगे तो वो दो अफ़राद की बातचीत की सूरत में तीसरा और आदमियों से मह्वे बातचीत हो सकेगा, इस तरह उसे परेशानी लाहिक़ नहीं होगी।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .

(5697) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम तीन लोग हो तो तीसरे को छोड़कर, दो आदमी बातचीत न करें, क्योंकि इससे उसे यक़ीनन ग़म लाहिक़ होगा।'

(अबू दाऊद : 4851, तिर्मिज़ी : 2825, इब्ने माजह : 3775)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5698) इमाम साहब के दो और उस्ताद अपनी-अपनी सनद से यही रिवायत सुनाते हैं।

फ़ायदा : आइन्दा के अबवाब मज़ामीन के ऐतबार से एक मुस्तक़िल उ़न्वान, किताबुत्तिब्ब के मुतक़ाज़ी हैं, लेकिन अ़ल्लामा मुहम्मद फ़व्वाद अ़ब्दुल बाक़ी ने उन्हें किताबुस्सलाम के तहत ही दर्ज किया है।

باب الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

बाब 16 : तिब्ब, बीमारी और दम झाड़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ .

(5699) नबी(ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) बीमार पड़ते तो जिब्रईल (अलै.) आपको दम करते, ये कलिमात पढ़ते, 'अल्लाह के नाम से, वो आपको सेहत बख़्शेगा और हर बीमारी से शिफ़ा देगा और हसद करने वाले के हसद के हर शर से और हर बद नज़र की नज़र से आपको महफ़ूज़ रखेगा।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि दम-झाड़ जाइज़ है और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) दम-झाड़ के जवाज़ पर उ़लमा का इत्तिफ़ाक़ है, बशर्तेकि नीचे दी गई तीन बातें मल्हूज़ रखी जायें (1) दम, अल्लाह के कलाम और उसके असमा व सिफ़ात के ज़रिये हो। मक़सद ये है, उसमें शिर्क और ग़ैरुल्लाह से मदद लेने का शायबा न हो। (2) अ़रबी ज़बान या ऐसी ज़बान में किया जाये, जिसके मानी और मतलब मालूम हों, उसमें कोई इब्हाम न हो, ताकि शिर्क और ग़ैरुल्लाह से मदद तलब करने से महफ़ूज़ रहा जा सके। (3) ये ऐतिक़ाद हो कि मुअस्सिर अल्लाह तआ़ला की ज़ात है, ये कलिमात बज़ाते ख़ुद मुअस्सिर नहीं हैं, यानी शिफ़ा अल्लाह के हाथ में है, इन कलिमात में नहीं है।

और वो अहादीस़ जिनमें दम-झाड़ कराने से मना किया गया है या उन लोगों की तारीफ़ की गई है, जो दम नहीं करवाते, इससे मुराद वो दम हैं जो जाहिलिय्यत के दौर के दम थे और उनमें शिर्किया कलिमात थे या ग़ैरुल्लाह से मदद तलब की गई थी या वो दम जिनके मानी मालूम न होने की बिना पर शिर्किया कलिमात होने का अन्देशा था।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى

(5700) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि जिब्रईल (अलै.) नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और पूछा, ऐ मुहम्मद! आप बीमार हैं? आपने जवाब दिया, 'हाँ!' तो

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ " نَعَمْ " . قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ .

जिब्राईल (अलै.) ने ये दम किया, 'मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ, हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ दे रही है, हर नफ़्स के शर और हर हसद करने वाली आँख के शर से, अल्लाह आपको शिफ़ा बख़्शे, मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ।'

(तिर्मिज़ी : 972, इब्ने माजह : 3523)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْعَيْنُ حَقٌّ".

(5701) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने हम्माम बिन मुनब्बिह को बहुत सी अहादीस़ सुनाईं, उनमें एक ये है, 'नज़रे बद का लगना स़ाबित है।'

(सहीह बुख़ारी : 5740, 5944, अबू दाऊद : 3879)

फ़ायदा : बक़ौल इमाम माज़री, जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक नज़रे बद का लगना स़ाबित है कि कुछ इंसानों की आँखों में अल्लाह ने ऐसा शोला और ज़हर रखा है कि उनके नज़र भर कर देखने से मुताल्लिक़ा चीज़ को अल्लाह के हुक्म से तकलीफ़ पहुँच जाती है, अल्लाह तआ़ला ने कुछ चीज़ों में ख़वास और तास़ीर रखी हैं, जो अल्लाह तआ़ला की पैदा करदा हैं, उन चीज़ों का अपना उसमें दख़ल नहीं है।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ، طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا " .

(5702) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नज़र लगना, दुरुस्त है और अगर कोई चीज़ तक़दीर पर ग़ालिब आ सकती तो नज़रे बद ग़ालिब आ जाती और जब तुम्हें गुस्ल करने के लिये कहा जाये तो गुस्ल कर लो।'

(तिर्मिज़ी : 2062)

फ़ायदा : लौ का-न शैउन साबक़ल क़द-र सबक़त्हु : अगर कोई चीज़ तक़दीर से सबक़त ले जा सकती और उस पर ग़ालिब आ सकती तो नज़रे बद सबक़त ले जाती। कुछ नज़रे बद अस्बाबे ज़ाहिरिया में से एक मज़बूत सबब है, जो नुक़सान पहुँचा सकता है, लेकिन ये भी दूसरे अस्बाबे ज़ाहिरिया की तरह तक़दीर पर ग़ालिब नहीं आ सकता, जिसके हक़ में अल्लाह तआला ने सेहत व सलामती का फ़ैसला कर दिया है, उसे नज़रे बद किसी सूरत में नुक़सान नहीं पहुँचा सकती। जैसाकि जिसके हक़ में अल्लाह ने ज़िन्दगी का फ़ैसला किया, ज़हरे क़ातिल उसकी ज़िन्दगी का चिराग़ गुल नहीं कर सकता। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कोई ज़ाहिरी सबब कितना ही क़वी और मुस्तहकम (मज़बूत) हो, वो तक़दीर पर ग़ालिब नहीं आ सकता, तक़दीर एक अटल चीज़ है।

इज़ा उस्तुग़िलस्तुम फ़ग़्सिलू : जब तुम्हें ग़ुस्ल के लिये कहा जाये तो ग़ुस्ल करो। अगर किसी इंसान की किसी दूसरे को नज़रे बद लग जाये तो नज़रे बद वाले को अपना चेहरा, दोनों हाथ कोहनियों समेत और अपने पाँव घुटनों समेत और या चादर का अंदरूनी हिस्सा एक बर्तन में धोकर, नज़र लगने वाले को देना चाहिये और वो पानी पीछे से उसके सर और पीठ पर डालना चाहिये, ताकि अल्लाह के हुक्म से नज़रे बद का असर ज़ाइल हो जाये। हज़रत सह्ल बिन हुनैफ़ (रज़ि.) को नज़र लग गई थी, जिससे वो बेहोश हो गये तो आपने ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। (सुनन इब्ने माजह : 3554)

बाब 17 : जादू का बयान

باب السِّحْرِ

(5703) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि बनू ज़ुरैक़ के यहूदियों में से एक यहूदी जिसको लबीद बिन आसम कहा जाता था, ने रसूलुल्लाह(ﷺ) पर जादू कर दिया था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को ख़याल आता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, हालांकि आप वो काम कर नहीं रहे होते थे। यहाँ तक कि एक दिन या एक रात रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दुआ की, फिर दुआ की, फिर दुआ की। फिर फ़रमाया, 'ऐ आइशा! क्या तुम्हें पता चला, अल्लाह तआला से जो मैंने पूछा, वो उसने मुझे बतला दिया है? मेरे पास दो आदमी आये। उनमें से

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ - قَالَتْ - حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ

أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ جَاءَنِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ . فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ . قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ . قَالَ فِي أَىِّ شَىْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ . قَالَ وَجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ . قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ " . قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَحْرَقْتَهُ قَالَ " لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ " .

एक मेरे सर के पास बैठा और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठा। सो जो मेरे सिरहाने बैठा था, उसने मेरे पैरों की तरफ़ बैठने वाले से या जो मेरे पैरों के पास था उसने मेरे सिरहाने बैठने वाले से पूछा, इस आदमी को क्या तकलीफ़ है? उसने कहा, इस पर जादू किया गया है। उसने पूछा, इस पर किसने जादू किया है? उसने कहा, लबीद बिन आसम ने। उसने पूछा, किस चीज़ में? उसने कहा, कंघी और उससे झड़ने वाले बालों में और कहा, नर खजूर के ख़ोशे के ग़िलाफ़ में। उसने कहा, उसको कहाँ रखा है? उसने कहा, ज़रवान कुँऐं में।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने कुछ साथियों के साथ उस कुँऐं पर गये। फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! अल्लाह की क़सम! उस कुँऐं का पानी गोया मेहन्दी का पानी था और उसकी खजूरें गोया शैतान के सर थे।' हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने उसको जला क्यों न दिया? आपने फ़रमाया, 'नहीं! मुझे तो अल्लाह ने शिफ़ा बख़्श दी है और मैं लोगों में शर बरपा करना पसंद नहीं करता, इसलिये मैंने कुँऐं को दफ़न करने का हुक्म दिया और उसे दफ़न कर दिया गया।'

(इब्ने माजह : 3545)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) दआ रसूलुल्लाहि सुम्-म दआ : यानी रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इन्तिहाई लम्बी दुआ फ़रमाई, जिसकी बिना पर दो फ़रिश्ते इंसानी सूरत में भेजकर आपको मर्ज़ से आगाह कर दिया गया। एक फ़रिश्ता जिब्रईल था, लेकिन दूसरे फ़रिश्ते का नाम कहीं सराहतन नहीं आया। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने मीकाईल क़रार दिया है। **(2) मा वजउर्रजुलि :** इस आदमी को क्या बीमारी है,

गोया सिह्र के ज़रिये, आप बीमार हो गये थे। **(3) मुश्त** : कंघी। **(4) मुशाततिन या मुशाक़ह** : कंघी करने पर सर और दाढ़ी के बाल झड़ने वाले बाल। **(5) जुब या जुफ़** : ग़िलाफ़ जिसमें ख़ोशा होता है। तल्अह : ख़ोशा।

फ़ायदा : सिह्र : जुम्हूर अहले सुन्नत के नज़दीक जादू एक हक़ीक़त है, जिससे कई बार सिर्फ़ नज़र पर असर पड़ता है। एक ग़ैर वाक़ेअ चीज़, वाक़ेअ नज़र आती है। जैसाकि आज-कल मिस्मरीज़्म के ज़रिये किया जाता है और कई बार मिज़ाज में तब्दीली होती है। बीमार तन्दुरुस्त हो जाता है या तन्दुरुस्त को बीमार कर दिया जाता है और आप पर बनू ज़ुरैक़ जो ख़ज़रज का एक ख़ानदान है कि एक फ़र्द लबीद बिन आसम ने सुलहे हुदैबिया से वापसी के बाद 7 हिजरी में यहूदी सरदारों के ज़ोर देने पर जादू कर दिया था। ये एक अन्सारी आदमी था और यहूदियों का हलीफ़ था। इसलिये कुछ रिवायतों में इसको यहूदी कहा गया है और कुछ में मुनाफ़िक़ और ये रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत किया करता था। इस तरह आपके बालों तक उसकी पहुँच थी और उस जादू का असर छः माह तक रहा था और जादू एक क़िस्म का जिस्मानी आरिज़ा या बीमारी है और अम्बिया भी इंसान होने के नाते इन अवारिज़ और बीमारियों से दोचार होते हैं। लेकिन इसका असर उनके वज़ीफ़-ए-रिसालत पर नहीं पड़ता। इसलिये उनके फ़रीज़-ए-मन्सबी में इससे किसी क़िस्म का ख़लल वाक़ेअ नहीं होता। न पैग़ाम वसूल करने में और न पैग़ाम पहुँचाने में, इसलिये मफ़रूज़ा (कल्पना) की बिना पर कि इससे आपके फ़रीज़-ए-रिसालत की अदायगी पर ज़द पड़ेगी। सहीह हदीसों का इंकार कर देना, एक मुसलमान का शेवा नहीं है। बाक़ी रहा ये मसला कि इस तरह कुफ़्फ़ार का ये दावा सहीह ठहरेगा। इन तत्तबिऊ इल्ला रजुलम्मस्हूरा ऐ मुसलमाना! तुम एक जादूज़दा इंसान की पैरवी करते हो। तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इनका मक़सद तो ये था कि ये दीन व शरीअत एक जादू है। जिसकी कोई हक़ीक़त नहीं है। जबकि हक़ीक़त ये है कि दीन व शरीअत का जादू से कोई ताल्लुक़ नहीं है और न फ़रीज़-ए-रिसालत पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिये आप पर जादू का ज़्यादा से ज़्यादा ये असर था कि आप बीवियों के पास गये नहीं होते और आपको ये महसूस होता था मैं बीवियों के पास गया हूँ या आप बीवी के पास जाना चाहते, लेकिन जा नहीं सकते थे या कई बार आपका खाना-पीना मुतास्सिर होता था। जैसाकि तबक़ात इब्ने सअद में हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है।

अफ़ला अह्रक़्तहू : कि आपने जादू कुँऐं से निकालकर जला क्यों नहीं दिया? और आपने फ़रमाया, करिह्तु अन उसी-र अलन्नासि शर्रन : मैंने लोगों में शर फैलाना नापसंद किया। क्योंकि अगर उसको बाहर निकाला जाता तो लोग उसको देख लेते और कई शरीर क़िस्म के लोग उसको सीख लेते। जिससे मज़ीद ख़राबी पैदा होती और जादू करना बिल्इत्तिफ़ाक़ नाजाइज़ है और अगर जादूगर उसको हक़ समझता है तो ये ज़िन्दक़ा या इर्तिदाद है और पता चलने पर ऐसा मुसलमान जादूगर वाजिबुल क़त्ल है।

क्योंकि वो मुर्तद या ज़िन्दीक़ है। लेकिन अगर उसका अक़ीदा दुरुस्त है और वो किसी शिर्किया काम का मुर्तकिब नहीं होता तो फिर भी चूंकि ये काम हराम है, मुस्तहिक़े तअज़ीर है। इमाम मालिक के नज़दीक जादूगर काफ़िर है और उसकी तौबा भी क़ुबूल नहीं है इसलिये उसको क़त्ल कर दिया जायेगा। कुछ सहाबा और ताबेईन का भी यही नज़रिया था और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है। इसलिये इमाम क़ुर्तुबी मालिकी ने ये मानी किया है कि आपने लबीद को जला क्यों नहीं दिया, ताकि दूसरों के लिये सामाने इबरत बनता। तो आपने फ़रमाया, ये मस्लिहत के ख़िलाफ़ है। फ़ित्ना व फ़साद के फैलने का बाइस बन सकता है और आपने उस कुँऐं के मुतबादिल कुँआं खुदवाकर उसे दफ़न करवा दिया। (वफ़ाउल वफ़ा, जिल्द 3, पेज नं. 1138, तक्मिला : जिल्द 4, पेज नं. 309) और आपने खजूरों के सरों को उन बद नज़री की बिना पर शैतानों के सरों या साँपों के फन के साथ तश्बीह दी।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِيهِ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ‏.‏ وَقَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْرِجْهُ ‏.‏ وَلَمْ يَقُلْ أَفَلاَ أَحْرَقْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ‏"‏ فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ ‏"

(5704) इमाम साहब के उस्ताद अबू कुरैब ऊपर वाली रिवायत सुनाते हैं और उसमें है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) कुँऐं की तरफ़ निकले, उसे देखा, उस पर खजूरों के दरख़्त थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इसे निकलवाइये। इसमें ये नहीं है कि आपने उसे जलाया क्यों नहीं? और न ये है, 'मेरे हुक्म से उसको दफ़न कर दिया गया है।'

(सहीह बुख़ारी : 5766)

باب السَّمِّ

बाब 18 : ज़हर का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ، بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى

(5705) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि एक यहूदन रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक ज़हर आलूदा बकरी लाई। तो आपने उसमें से खा लिया। तो उस औरत को रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने पेश किया गया और आपने उससे इसका सबब पूछा? उसने

الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ . قَالَ " مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ " . قَالَ أَوْ قَالَ " عَلَىَّ " . قَالَ قَالُوا أَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ " لاَ " . قَالَ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

कहा, मैं आपको क़त्ल करना चाहती थी। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ऐसे नहीं है कि तुझे उसकी क़ुदरत देता या मुझ पर क़ुदरत देता।' सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्या हम इसे क़त्ल न कर दें? आपने फ़रमाया, 'न।' हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, मैं हमेशा उसके असरात आपके कव्वे में पाता रहा।

(सहीह बुख़ारी : 2617, अबू दाऊद : 4508)

फ़ायदा : यहूदी सरदार सलाम बिन मुश्कम की बीवी और मरहब पहलवान की बहन ज़ैनब बिन्ते हारिस ने क़ौमी ग़ैरत की बिना पर आपको ज़हर आलूद बकरी पेश की और उसके बाज़ू में जिसको आप पसंद फ़रमाते थे, ख़ूब ज़हर डाला, ताकि आपको ख़त्म कर सके। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ असर नहीं करती। इसलिये उसका मक़सद पूरा न हो सका और आप इस वाक़िये के बाद तीन साल ज़िन्दा रहे। लेकिन अल्लाह तआला को चूंकि आपको शहादत के सवाब से नवाज़ना था, इसलिये आख़िरी दिनों उसका असर नुमायाँ हुआ और आप वफ़ात पा गये। आपने जब बाज़ू का गोश्त खाना शुरू किया तो उसको चबा न सके और आपने उसको फेंक दिया। लेकिन हज़रत बिश्र बिन बराअ बिन मअरूर एक लुक़्मा निगल गये और फ़ौत हो गये। आपने अपने तौर पर उस औरत को छोड़ दिया और ज़हर का असर निकालने के लिये कन्धों के दरम्यान सेंगी लगवाई। लेकिन बाद में जब हज़रत बिश्र (रज़ि.) फ़ौत हो गये तो कुछ ज़ईफ़ रिवायतों के मुताबिक़ उसे क़िसास के तौर पर क़त्ल कर दिया गया।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - سَمِعْتُ هِشَامَ، بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً، جَعَلَتْ سَمًّا فِي لَحْمٍ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ .

(5706) इमाम साहब के एक और उस्ताद ऊपर वाली रिवायत बयान करते हैं कि एक यहूदन ने गोश्त में ज़हर डाला। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) को पेश कर दिया, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

बाब 19 : बीमार को दम करना पसन्दीदा अमल है

باب اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، زُهَيْرٌ -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا " . فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى " . قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى .

(5707) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, जब हममें से कोई इंसान बीमार हो जाता तो रसूलुल्लाह(ﷺ) उस पर अपना दायाँ हाथ फेरते फिर फ़रमाते, 'तकलीफ़ ख़त्म कर दे, ऐ लोगों के रब! और सेहत बख़्श, तू ही शिफ़ा बख़्शने वाला है, तेरी शिफ़ा ही असल शिफ़ा है, ऐसी शिफ़ा बख़्श जो किसी क़िस्म की बीमारी न छोड़े।' तो जब रसूलुल्लाह(ﷺ) बीमार हुए और उसमें शिद्दत पैदा हुई, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, ताकि आपके साथ उस क़िस्म का सुलूक इख़्तियार करूँ, जो आप इख़्तियार करते थे तो आपने मेरे हाथ से अपना हाथ खींचकर फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा और मुझे रफ़ीक़े आला के साथ मिला दे।' तो मैं देखने लगी तो आपकी रूह क़ब्ज़ हो चुकी थी।

(सहीह बुख़ारी : 5675)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, ये दुआइया कलिमात पढ़ते वक़्त मरीज़ पर हाथ फेरना चाहिये और बीमारी में अल्लाह तआला ही मदद कर सकता है। इलाज-मुआलिजे सिर्फ़ एक ज़ाहिरी सबब है। अल्लाह तआला को मन्ज़ूर हो तो कारगर हो जाता है, वरना नहीं और आख़िरी वक़्त में हर तरफ़ से कटकर अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जह हो जाना, फ़ैअली और अमली तौर पर तौहीद ही का इक़रार करना है और ये कलिम-ए-तौहीद ही के क़ायम मक़ाम है। इसलिये आपका आख़िरी क़ौल, अल्लाहुम्मग़्फ़िरली वजअल्नी मअर्रफ़ीक़िल अअ्ला था और रफ़ीक़े आला से मुराद जन्नत है। जहाँ फ़रिश्ते और अम्बिया वग़ैरह की रिफ़ाक़त हासिल होगी या इससे मुराद अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालेहीन हैं। जो एक क़ल्ब होंगे, इसलिये मुफ़रद (एक वचन) का सेग़ा इस्तेमाल हुआ।

(5708) इमाम साहब के अलग-अलग उस्ताद जरीर ही की सनद से ये रिवायत बयान करते हैं, हुशैम और शोबा की रिवायत में है, उस पर अपना हाथ फेरते। स़ौरी की रिवायत है, अपना दायाँ हाथ फेरते और यहया क़त्तान अपनी हदीस़ के आख़िर में बयान करते हैं, आमश कहते हैं, मैंने ये हदीस़ मन्सूर को सुनाई तो उसने इब्राहीम से मसरूक़ के वास्ते से, हज़रत आइशा (रज़ि.) से इसके हम मानी रिवायत सुनाई।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ . فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ . قَالَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ . وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ .

(5709) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) किसी बीमार की इयादत के लिये जाते तो फ़रमाते, 'बीमारी ख़त्म कर दे, ऐ लोगों के आक़ा! तू इसे शिफ़ा बख़्श, तू ही शिफ़ा बख़्शने वाला है, तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा जो बीमारी को न छोड़े।'

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا " .

(5710) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) जब किसी मरीज़ के पास जाते, उसके लिये इन कलिमात के साथ दुआ फ़रमाते, 'बीमारी ले जा, ऐ लोगों के रब! और

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَدَعَا لَهُ وَقَالَ " وَأَنْتَ الشَّافِي " .

शिफ़ा बख़्श तू ही शिफ़ा देने वाला है, तेरी शिफ़ा ही शिफ़ा है, ऐसी शिफ़ा जो किसी क़िस्म की बीमारी न छोड़े।' और अबू बक्र की रिवायत में यदऊ लहू की जगह फ़दआ लहू है और अन्तश्शाफ़ी से पहले वाव है।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ .

(5711) इमाम साहब के दो और उस्ताद यही रिवायत सुनाते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ " .

(5712) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) इस दम से दम फ़रमाते, 'बीमारी ले जा, ऐ लोगों के रब! तेरे ही हाथ में शिफ़ा है, तेरे सिवा इसको कोई दूर नहीं कर सकता।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(5713) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से ऊपर वाली रिवायत बयान करते हैं।

बाब 20 : मरीज़ को मुअव्विज़ात के साथ दम करना और फूंक मारना

باب رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ، بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي . وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بِمُعَوِّذَاتٍ .

(5714) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के घर वालों से जब कोई फ़र्द बीमार हो जाता तो आप उस पर मुअव्विज़ात पढ़कर फूंक मारते, सो जब आप मर्ज़ुल मौत से दोचार हुए तो मैं आप पर फूंक मारती और आप पर आप ही का हाथ फेरती। क्योंकि आपके हाथ में मेरे हाथ से बरकत ज़्यादा थी। यहया बिन अय्यूब की रिवायत में है, मुअव्विज़ात से फूंक मारती।

फ़ायदा : मुअव्विज़ात से मुराद सूरह फ़लक़ और सूरह नास है या इनके साथ सूरह इख़्लास भी शामिल है। जैसाकि आप रात सोते वक़्त तीनों से फूंक मारते थे।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .

(5715) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) जब बीमार हो जाते तो अपने ऊपर मुअव्विज़ात पढ़कर फूंक मारते तो जब आपकी बीमारी शदीद हो गई तो मैं आप पर पढ़ती और आपका हाथ ही, बरकत की उम्मीद पर फेरती।

(सहीह बुख़ारी : 5016, अबू दाऊद : 3902, इब्ने माजह : 3529)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح

(5716) इमाम साहब अपने बहुत से उस्तादों से ये रिवायत बयान करते हैं, लेकिन बरकत की उम्मीद पर लफ़्ज़ सिर्फ़ इमाम मालिक की रिवायत में है। यूनुस और ज़ियाद

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ . نَحْوَ حَدِيثِهِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا . إِلاَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ .

की रिवायत में है कि नबी(ﷺ) जब बीमार हो जाते तो मुअव्विज़ात पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारते और अपना हाथ फेरते।

(सहीह बुख़ारी : 4439, 5751, 5735, 5751)

नोट : क़ुरआन और मसनून दुआओं से दम करना और फूंक मारना सहीह हदीसों से साबित है। हाफ़िज़ इब्ने तैमिया (रह.) ने अपनी फ़तावा जिल्द 19, पेज नं. 64 पर लिखा है, मुसीबत ज़दा और बीमार को किताबुल्लाह और दुआ जाइज़ सियाही से लिखकर देना, उसको धोकर पिलाना जाइज़ है और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) विलादत की तंगी की सूरत में एक दुआ और चंद आयतें लिखकर (किसी पाक बर्तन में) और उसको धोकर पिलाने का हुक्म देते थे।

जब अल्लाह तआला का कलाम, उसके असमा व सिफ़ात और मसनून दुआओं के ज़रिये दम करना जाइज़ है तो आख़िर किसी मजबूरी की सूरत में उनको लिखकर डालना क्यों शिर्क है। क्या शिर्किया कलिमात के ज़रिये दम करना जाइज़ है? लेकिन इनको फ़ी नफ़्सिही मुअस्सिर समझना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि शिफ़ा अल्लाह के हाथ में है। इस तरह कुछ अहनाफ़ ने जो फ़ातिहा को ख़ून या पेशाब से लिखने को जाइज़ क़रार दिया, ऐसे तो बक़ौल अल्लामा सईदी, ऐसे इंसान का ईमान ख़तरे में है। अगर किसी आदमी को रोज़े रोशन से ज़्यादा यक़ीन हो कि इस अमल से उसको शिफ़ा हो जायेगी, तब भी उसका मर जाना, उससे बेहतर है कि वो ख़ून या पेशाब के साथ फ़ातिहा लिखने की जुरअत करे। (शरह मुस्लिम, जिल्द 6, पेज नं. 557)

बहरहाल तअवीज़ के मसले में इफ़रात या तफ़रीत इख़्तियार करना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह उनको शिर्क क़रार देना दुरुस्त नहीं है। इसको पेशा बनाना भी दुरुस्त नहीं है। आपने रुक़िया (दम) तमीमा, कोड़ियाँ, मुन्के और तौला एक क़िस्म का जादू को बक़ौल अल्लामा शौकानी, इसलिये शिर्क क़रार दिया है, क्योंकि लोग उनके बारे में शिर्किया अक़ीदा रखते थे। (नैलुल अवतार जिल्द 8, पेज

नं. 177) और अल्लामा तक़ी उसमानी ने जाइज़ तअवीज़ लिखने को जुम्हूर फुक़्हा का मौक़िफ़ क़रार दिया है। बल्कि कुछ ने तो इसको मुस्तहब क़रार दिया है, जैसाकि अल्लामा शौकानी ने नक़ल किया है। (तक्मलह, जिल्द 4, पेज नं. 318)

बाब 21 : नज़रे बद, फोड़े-फुन्सी, ज़हर वाली चीज़ के काटने और नज़र से दम करना मुस्तहब है

باب اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ، فَقَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ .

(5717) हज़रत अस्वद (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दम के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक अन्सारी घराने को हर ज़हरीली चीज़ से दम की इजाज़त दी थी।

(सहीह बुख़ारी : 5741)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हुमह : ज़हर। **(2) ज़ी हुमह :** हर डंक मारने वाली चीज़।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ .

(5718) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक अन्सारी घराने को ज़हर से दम करने की इजाज़त दी।

(इब्ने माजह : 3517)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، -وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(5719) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब कोई इंसान बीमार होता या उसे फोड़ा-फुन्सी या ज़ख़्म लगता, नबी(ﷺ) अपनी उंगली इस तरह करते, सुफ़ियान ने अपनी शहादत की उंगली

صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّىْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا " بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا " . قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ " يُشْفَى " . وَقَالَ زُهَيْرٌ " لِيُشْفَى سَقِيمُنَا " .

ज़मीन पर रखकर उठाई। फ़रमाते, 'हमारी ज़मीन की मिट्टी, हममें से किसी के थूक के साथ, ताकि उसके ज़रिये हमारा मरीज़, हमारे रब की इजाज़त से शिफ़ा बख़्शा जाये।' इब्ने अबी शैबा ने कहा, युश्फ़ा और ज़ुहैर ने कहा, लियुश्फ़ा।

(सहीह बुख़ारी : 5745, 5746, अबू दाऊद : 3895, इब्ने माजह : 3521)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने इलाक़े के साथ इंसान के मिज़ाज को मरबूत किया है और इंसानी थूक में भी तासीर रखी है। जो अल्लाह के नाम की बरकत के साथ, अल्लाह को मन्ज़ूर हो तो फोड़े-फुन्सी और ज़ख़्म से शिफ़ा का बाइस़ बनती है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ .

(5720) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उसे नज़र लगने से दम कराने का हुक्म देते थे।

(सहीह बुख़ारी : 5738, इब्ने माजह : 3512)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5721) इमाम साहब को एक और उस्ताद ने यही रिवायत सुनाई।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

(5722) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) मुझे नज़र लगने से दम करवाने का हुक्म देते थे।

(5723) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) दम के बारे में बयान करते हैं, ज़हरीले डंक, फोड़े और नज़र लगने से दम की इजाज़त दी।

(तिर्मिज़ी : 2056, 2057, इब्ने माजह : 3516)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي الرُّقَى قَالَ رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : नम्लह : पहलू पर निकलने वाले फोड़े, कई बार जिस्म के दूसरे हिस्से पर निकल आते हैं।

(5724) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नज़र लगने, ज़हरीले डंक और फोड़े-फुन्सी से दम की इजाज़त मरहमत फ़रमाई।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ، بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ يُوسُفَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ .

(5725) नबी(ﷺ) की बीवी उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर में एक बच्ची के चेहरे पर स्याही या ज़र्दी देखकर फ़रमाया, 'इसे नज़र लगी है, इसको दम करवाओ।' यानी उसका चेहरा ज़र्द था।

(सहीह बुख़ारी : 5739)

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ " بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا " . يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً .

मुफ़रदातुल हदीस़ : सफ़्अ : बक़ौल कुछ ज़र्दी, बक़ौल इब्राहीम हरबी, स्याही और बक़ौल अस्मई सुर्ख़ी जिस पर स्याही ग़ालिब थी और बक़ौल इब्ने कुतैबा, चेहरे के रंग से अलग रंग यानी परछाई।

حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ " مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ " . قَالَتْ لاَ وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ . قَالَ " ارْقِيهِمْ " . قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ " ارْقِيهِمْ " .

(5726) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़्म के ख़ानदान को साँप से दम कराने की इजाज़त दी और अस्मा बिन्ते उ़मैस (रज़ि.) से फ़रमाया, 'क्या वजह है, मैं अपने भाई जअ़फ़र के बच्चों को दुबला-पतला देख रहा हूँ, क्या इन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत है।' उसने कहा, नहीं! लेकिन इन्हें नज़र बहुत जल्द लग जाती है। आपने फ़रमाया, 'उन्हें दम करो।' तो मैंने आप पर दम पेश किया, आपने फ़रमाया, 'इन्हें दम करो।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : ज़ारिअह : नहीफ़, कमज़ोर।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَرْخَصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو .

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْقِي قَالَ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ " .

(5727) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने बनू अ़म्र को साँप के दम की इजाज़त दी और जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हममें से एक आदमी को बिच्छू ने डस लिया, जबकि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ बैठे हुए थे तो एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं दम करूँ? आपने फ़रमाया, 'जो अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सकता हो, वो पहुँचाये।'

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ أَرْقِي .

(5728) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें ये है कि लोगों में से एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इसे दम करूँ, सिर्फ़ मैं दम करूँ नहीं कहा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى - قَالَ - فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ . فَقَالَ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ " .

(5729) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, मेरा एक मामू बिच्छू डसने का दम करता था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दम करने से रोक दिया। तो वो आपके पास आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने दमों से मना फ़रमा दिया है? और मैं बिच्छू डसने का दम करता हूँ। तो आपने फ़रमाया, 'तुममें से जो भी अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सकता हो, पहुँचाये।'

(इब्ने माजह : 3515)

وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5730) इमाम साहब को यही रिवायत एक और उस्ताद ने सुनाई।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ आपने हर क़िस्म के दम से मना नहीं फ़रमाया, सिर्फ़ उन दमों से मना फ़रमाया है, जिनमें शिर्किया कलिमात थे या शिर्क का एहतिमाल था। इसलिये जब आपको दम सुनाया गया तो आपने इजाज़त दे दी।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ

(5731) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दम करने से मना कर दिया। तो उमर इब्ने हज़्म के ख़ानदान के लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! वाक़िया ये है कि हमारे पास एक दम है, जो

كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى . قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ . فَقَالَ " مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ " .

हम बिच्छू के डसने पर करते हैं और आपने दम करने से मना कर दिया है और उन्होंने वो दम आप पर पेश किया तो आपने फ़रमाया, 'मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता, तुममें से जो अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सकता हो, नफ़ा पहुँचाये।'

باب لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

बाब 22 : दम अगर शिर्किया न हो तो उसके करने में कोई हर्ज नहीं है

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ "اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ " .

(5732) हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई (रज़ि.) बयान करते हैं, हम जाहिलिय्यत के दौर में दम करते थे, सो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इसके बारे में आपका क्या ख़याल है? तो आपने फ़रमाया, 'अपना दम मुझ पर पेश करो, मुझे सुनाओ, दम करने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्तेकि उसमें शिर्क न हो।'

(अबू दाऊद : 3886)

फ़ायदा : ये रिवायत इसकी खुली दलील है कि सिर्फ़ वो दम, मंत्र मना हैं जिनमें शिर्क पाया जाता है या मानी का पता न होने की सूरत में शिर्क का ख़तरा है।

باب جَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالأَذْكَارِ

बाब 23 : क़ुरआन और अज़कार के ज़रिये दम करने की उज्रत (मजदूरी) लेना जाइज़ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا، مِنْ

(5733) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के कुछ साथी सफ़र पर थे तो वो अरबी क़बीलों में से एक क़बीले से गुज़रे और उनसे मेहमान नवाज़ी

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِى سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَىٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ . فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَىِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا . وَقَالَ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَتَبَسَّمَ وَقَالَ " وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ " . ثُمَّ قَالَ " خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ " .

चाही, तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाज़ी न की। (बाद में) सहाबा से पूछने लगे, क्या तुममें कोई दम करने वाला है? क्योंकि क़बीले का सरदार, उसे बिच्छू ने डस लिया है या उसकी अक़्ल में ख़राबी पैदा हो गई है। तो उनमें से एक ने कहा, हाँ! सो वो उनके सरदार के पास गया और उसे सूरह फ़ातिहा से दम किया। वो आदमी तन्दुरुस्त हो गया और बकरियों का एक रेवड़ दिया। सो उसने साथियों की बात मानने से इंकार किया और कहा, यहाँ तक कि मैं इसका तज़्किरा नबी(ﷺ) से करूँ। सो वो नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे इस वाक़िये का तज़्किरा किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मैंने तो सिर्फ़ सूरह फ़ातिमा से दम किया। आप मुस्कुरा पड़े और फ़रमाया, 'तुम्हें कैसे पता चला कि ये दम है?' फिर आपने फ़रमाया, 'उनसे ले लो और अपने साथ मेरा भी हिस्सा रखो।'

(सहीह बुख़ारी : 2276, 5749, अबू दाऊद : 3900, 3418, तिर्मिज़ी : 2063, 2064, इब्ने माजह : 2156)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ .

(5734) इमाम साहब को ये रिवायत दो और उस्तादों ने भी अबू बिश्र की ऊपर वाली सनद से सुनाई और इसमें ये है, वो उम्मुल कुरआन पढ़ने लगा और अपनी थूक जमा करके थूकता, वो आदमी तन्दुरुस्त हो गया।

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने किसी काम के लिये सहाब-ए-किराम का तीस लोगों पर बना एक दस्ता भेजा। वो एक अरबी क़बीले से गुज़रा और उनसे ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी) का मुतालबा किया। लेकिन उन्होंने अरबी रिवायात (दस्तूर) के बरख़िलाफ़ उनकी मेहमान नवाज़ी न की। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके सरदार को बिच्छू ने डस लिया। उन्होंने उसके इलाज के लिये हर तरह भागदौड़ की लेकिन कोई टोना-टोटका कारगर साबित न हुआ। तो फिर उनमें से एक ने कहा, इन लोगों के पास जाओ, शायद इनमें से किसी के पास इसका इलाज हो। उन्होंने आकर सहाबा किराम को पूरी हक़ीक़त सुनाई और पूछा, क्या तुममें से कोई इसका दम करता है। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने कहा, हाँ! लेकिन तुमने हमारी मेहमान नवाज़ी नहीं की। इसलिये जब तक उज्रत तय न हो जाये, मैं दम नहीं करूँगा। तीस बकरियाँ मज़दूरी तय हुई। हज़रत अबू सईद के दिल में फ़ातिहा पढ़ने का ख़्याल आया, इसलिये उन्होंने सात बार फ़ातिहा पढ़ी और जिस ज़बान से पढ़ी थी, उससे बरकत के हुसूल के लिये, सरदार पर लुआबे दहन डाला। वो फ़ौरन तन्दुरुस्त हो गया। गोया उसकी बेटी खोल दी गई है। उन्होंने तीस बकरियाँ लीं तो साथी कहने लगे, इनको तक़सीम कर लें। हज़रत अबू सईद के दिल में ख़्याल पैदा हुआ, शायद ये उज्रत हमारे लिये जाइज़ न हो? इसलिये कहने लगे, रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछने के बाद, इनका कुछ करेंगे। आपने उनके इत्मीनान और तसल्ली के लिये फ़रमाया, बांट लो और मेरा हिस्सा भी रख लो। इस हदीस से साबित हुआ, क़ुरआनी आयतों के ज़रिये दम करके उज्रत लेना जाइज़ है और इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन तालीमे क़ुरआन पर उज्रत लेने में इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के एक क़ौल की रू से ये जाइज़ है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जाइज़ नहीं है। मगर मुताख़्ख़िरीने अहनाफ़ ने जवाज़ का फ़तवा दिया है। लेकिन बक़ौल अल्लामा सईदी हुज़ूर(ﷺ) का ये फ़रमान है, 'जिन चीज़ों पर तुम अज्र (मज़दूरी) लेते हो, उनमें अज्र की सबसे ज़्यादा हक़दार अल्लाह की किताब है।' ये हदीस तालीमे क़ुरआन पर उज्रत लेने के बाब में सरीह दलील है। क्योंकि इस हदीस में अल्फ़ाज़ आम हैं, इसको दम से ख़ास करना सहीह नहीं है। शरह मुस्लिम जिल्द 6, पेज नं. 575 और सहीह बात यही है कि क़ारी अपना तमाम वक़्त एक मख़्सूस मदरसे में, मख़्सूस निज़ामुल औक़ात के मुताबिक़ तालीम देता है तो ये उज्रत उसके वक़्त की है, जिसकी वो पाबंदी करता है। जिस तरह ज़कात वसूल करने वाला अपना वक़्त देता है, क़ाज़ी अद्ल व इंसाफ़ करने के लिये वक़्त ख़र्च करता है और उज्रत लेता है, उस तरह क़ारी अपना वक़्त देता है और एक मख़्सूस जगह की पाबंदी करता है और ये एक हम वक़्ती काम है। इसके साथ कोई दूसरा काम करके अपनी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल है। इसलिये अपने वक़्त की उज्रत लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसकी मआशी ज़रूरियात इसके बग़ैर पूरी होती हैं तो बेहतर यही है कि ये काम फ़ी सबीलिल्लाह करे, अगर तालीमे क़ुरआन मुहर बन सकती है तो फिर उज्रत में क्या बुराई है। इमाम बुख़ारी का रुझान भी इसी तरफ़ है।

(5735) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने एक जगह पड़ाव किया तो हमारे पास एक औरत आकर कहने लगी, क़बीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है, तो क्या तुममें कोई दम करने वाला है? सो उसके साथ हममें से एक आदमी खड़ा हुआ। हम नहीं समझते थे कि वो कोई दम अच्छी तरह कर सकता है, उसने उसे सूरह फ़ातिमा से दम किया तो वो तन्दुरुस्त हो गया। उन्होंने हमें बकरियाँ दीं और दूध पिलाया। हमने उससे पूछा, क्या तुम्हें दम करना आता है? उसने कहा, मैंने सूरह फ़ातिमा ही से दम किया है। मैंने कहा, उन बकरियों को न छेड़ो, यहाँ तक कि हम नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो जायें। तो हम नबी(ﷺ) के पास हाज़िर हुए और आपको वाक़िया सुनाया। आपने पूछा, 'उसे कैसे पता चला है ये सूरत दम है? बांट लो और अपने साथ मेरा हिस्सा भी रखो।'

(सहीह बुख़ारी : 5007, अबू दाऊद : 3419)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَىِّ سَلِيمٌ لُدِغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . قَالَ فَقُلْتُ لاَ تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ " مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ " .

(5736) इमाम साहब को यही हदीस़ इस फ़र्क़ के साथ एक और उस्ताद ने सुनाई कि हममें से एक आदमी, उसके साथ खड़ा हुआ, जिसके बारे में हमारा ये गुमान न था कि वो दम करता है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) नअ्बिनुहू : हम उसके बारे में गुमान करते थे, अगरचे आम तौर पर इसका मानी, हम उस पर तोहमत लगाते थे और सलामती और तन्दुरुस्ती के हुसूल की ख़्वाहिश की बिना पर। **(2) लुदीग़ :** (डसा हुआ) को सलीम (महफ़ूज़, अलामत) कहते थे।

باب اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

बाब 24 : दुआ के वक़्त अपना हाथ दर्द व अलम (तकलीफ़) वाली जगह पर रखना पसन्दीदा अमल है

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ . ثَلاَثًا . وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ " .

(5737) हज़रत उ़समान बिन अबी आ़स स़क़फ़ी से रिवायत है कि उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) से शिकायत की कि जब से वो इस्लाम लाये हैं, उनके जिस्म में दर्द रहता है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'जिस्म के जिस हिस्से में दर्द पाते हो, वहाँ अपना हाथ रख कर तीन बार बिस्मिल्लाह कहो और सात बार कहो, मैं अल्लाह की ज़ात और उसकी क़ुदरत की पनाह में आता हूँ, दम करते वक़्त, उस शर से जो मैं पाता हूँ और जिससे मैं डरता हूँ।'

(अबू दाऊद : 3891, तिर्मिज़ी : 2080, इब्ने माजह : 3522)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, दम करते वक़्त दर्द और तकलीफ़ की जगह सिर्फ़ हाथ रखना चाहिये और अगर सारे जिस्म में दर्द हो तो हाथ फेरना चाहिये, ताकि मरीज़ नफ़्सियाती तौर पर भी मुतास़्स़िर हो।

باب التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلاَةِ

बाब 25 : नमाज़ में वस्वसा डालने वाले शैतान से पनाह चाहना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

(5738) अबुल अ़ला बयान करते हैं कि हज़रत उ़समान बिन अबी आ़स (रज़ि.) नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! शैतान मेरे और मेरी नमाज़ और मेरी क़िरअत में हाइल हो जाता है

और मेरी क़िरअत में इल्तिबास (गडमड) पैदा कर देता है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो शैतान ख़िन्ज़िब कहलाता है, सो जब तू उसका असर महसूस करे तो उससे अल्लाह की पनाह लो और तीन बार अपने बायें जानिब थूक दो।' हज़रत उ़समान कहते हैं, मैंने ऐसे ही कहा तो अल्लाह उसको मुझसे दूर ले गया।

الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَىَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا " . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي .

(5739) यही रिवायत इमाम साहब को दो और उस्तादों ने सुनाई, लेकिन सालिम बिन नूह की रिवायत में तीन बार का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ ثَلاَثًا .

(5740) इमाम साहब के एक और उस्ताद यही रिवायत सुनाते हैं कि हज़रत उ़समान बिन अबी आ़स स़क़फ़ी (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आगे ऊपर वाली रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

बाब 26 : हर बीमारी की दवा है और इलाज करवाना अच्छा है

باب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي

(5741) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर बीमारी की दवा है तो जब दवा बीमारी से मुनासिबत रखती है या ठीक बैठती है तो

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ

رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से शिफ़ा मिल जाती है।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि हर बीमारी का इलाज और दवा है। कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बीमारी की दवा का इल्म हो सके। जब अल्लाह तआला बीमारी को तोड़ना चाहता है तो उसकी दवा का पता चल जाता है और जब दवा और बीमारी में मुनासिबत और मुवाफ़िक़त पैदा हो जाती है तो अल्लाह की इजाज़त से शिफ़ा हासिल हो जाती है। दवा सिर्फ़ एक वसीला और वास्ता है, शिफ़ा अल्लाह के हाथ में है। जब तक उसको मन्ज़ूर न हो शिफ़ा नहीं मिलती और इस अक़ीदे के तहत इलाज-मुआलिजा करवाना और करना, जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक पसन्दीदा अमल है। इसलिये ग़ाली सूफ़ियों का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि बीमारी अल्लाह की क़ज़ा और क़दर से है, इसलिये इलाज की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इलाज और दवा भी अल्लाह की क़ज़ा और क़दर में दाख़िल हैं। उसकी मर्ज़ी और हुक्म के बग़ैर शिफ़ा नहीं मिलती। जिस तरह अल्लाह तआला ने दुआ का हुक्म दिया है, कुफ़्फ़ार से जंग और क़िताल का हुक्म दिया है, अपनी हिफ़ाज़त और दिफ़ाअ (बचाव) का हुक्म दिया है। अपने आपको हलाकत में डालने से मना किया है। हालांकि मौत का एक वक़्त मुक़र्रर है। इसमें जल्दी और देरी मुम्किन नहीं है। यही सूरते हाल दवा की है, सेहत व शिफ़ा अल्लाह के क़ब्ज़े में है। जब वो सेहत देना चाहता है, दवा बीमारी के मुवाफ़िक़ बैठती है और अल्लाह के हुक्म से शिफ़ा हो जाती है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ فِيهِ شِفَاءً " .

(5742) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) मुक़न्नअ (रह.) की इयादत के लिये गये फिर कहने लगे, मैं यहाँ से उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा, जब तक तुम सींगी (हजामा) नहीं लगवाते। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 'बिला शुब्हा इसमें शिफ़ा है।'

(सहीह बुख़ारी : 5682, 5701, 5704, 5697)

फ़ायदा : सींगी लगवाना उन लोगों के लिये बेहतरीन इलाज है जो गर्म इलाक़ों के नागरिक हैं और उनका ख़ून पतला और जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से की तरफ़ माइल होकर ख़ारिजी हरारत को जज़्ब करता है। लेकिन जिन लोगों के बदन में हरारत कम होती हैं और वो कमज़ोर होते हैं, उनके लिये ये इलाज मुनासिब नहीं है। (फ़तहुल बारी, जिल्द 10, बाब अल्हिजामा मिनद्दाअ)

حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَىَّ . فَقَالَ يَا غُلاَمُ ائْتِنِي بِحَجَّامٍ . فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا . قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَىَّ . فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ " . قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ .

(5743) आसिम बिन उमर बिन क़तादा (रह.) बयान करते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) हमारे घर आये और एक आदमी को फोड़े निकले हुए थे या ज़ख़्म थे तो उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या शिकायत है। उसने कहा, मेरे लिये फोड़े-फुन्सियाँ, मशक़्क़त का बाइस हैं। तो हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, ऐ लड़के! मेरे पास सिंगी लगाने वाले को लाओ। उस आदमी ने पूछा, ऐ अबू अब्दुल्लाह! आप सिंगी लगवाने वाले को बुलवा कर क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, मैं उन फोड़ों पर सिंगी लगवाना चाहता हूँ। उसने कहा, अल्लाह की क़सम! मुझ पर मक्खी बैठती है या मुझे कपड़ा छूता है तो वो मुझे तकलीफ़ देता है (मैं सिंगी कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा) जब हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने मालूम किया, वो इससे उकताहट महसूस करता है तो कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी दवा में ख़ैर है तो सिंगी से पछने में या शहद के घूंट में या आग के दाग़ में है।' रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं आग के दाग़ को पसंद नहीं करता।' तो लड़का हज्जाम को लाया, उसने उसे पछने लगाये तो उसकी तकलीफ़ दूर हो गई।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मिह्जम : ख़ून चूसने का आला, सिंगी। **(2) शर्ततुन** : निश्तर लगाना, सिंगी लगाने के लिये जिस्म को पछना लगाना। **(3) लज़्अतिन बिन्नार** : आग के ज़रिये दाग़ लगाना।

फ़ायदा : इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह माज़री ने लिखा है कि बीमारियाँ चार क़िस्म की हैं, दमवी, सफ़रावी, बल्ग़मी और सौदावी। अगर ख़ून का ग़ल्बा होने की बिना पर दमवी हैं तो उनका इलाज ख़ून निकालना है और अगर बाक़ी तीन क़िस्म की हैं तो उसका इलाज मुनासिब इस्हाल है (पेट जारी करना) तो नबी(ﷺ) ने शहद के ज़रिये दस्तावर चीज़ों की तरफ़ इशारा फ़रमाया और हिजामा के ज़रिये, ख़ून निकालने वाली चीज़ों की तरफ़ और आख़िरी चारा कार के तौर पर दाग़ लगाने का तज़्किरा फ़रमाया और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) ने लिखा है, बीमारियाँ दर हक़ीक़त हरारत और बरवदत (ठण्डक) के ग़ल्बे का नतीजा हैं। अगर बीमारी गर्मी के ग़ल्बे की बिना पर है तो ख़ून निकाला जायेगा। सिंगी के ज़रिये हो या फ़सदे रग खोल कर। क्योंकि इस तरह ज़्यादा मवाद निकालकर मिज़ाज को ठण्डा किया जाता है और अगर बीमारी बरवदत (ठण्डक) के सबब हो तो मिज़ाज को गर्म करने की ज़रूरत है तो शहद ये काम करता है और अगर बारिद मवाद को ख़ारिज करने की ज़रूरत है तो शहद एक नर्म और मस्हल (दस्तावर) है और अगर बीमारी पुरानी हो तो आख़िरी इलाज दाग़ के ज़रिये बीमारी के मवाद को ख़ारिज करना पड़ता है। (तक्मिला जिल्द 4, पेज नं. 336, 337)

बहरहाल आपने आग से दाग़ने को पसंद नहीं किया और उम्मत को इसके आ़म इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। क्योंकि ये इन्तिहाई तकलीफ़देह इलाज है और इंसान के जिस्म को बदनुमा भी बनाता है, इसलिये इसको आख़िरी चार-ए-कार के तौर पर माहिर मुआलिज (स्पेशल डॉक्टर) के मशवरे से ही काम में लाया जा सकता है। आज-कल इसके लिये बिजली की लहरों (करन्ट) को इस्तेमाल किया जाता है जिससे आग के दाग़ वाले मफ़ासिद पैदा नहीं होते।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا . قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ .

(5744) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सिंगी लगवाने की इजाज़त तलब की तो नबी(ﷺ) ने अबू तैबह (रज़ि.) को हुक्म दिया कि उम्मे सलमा को सिंगी लगाये। अबू ज़ुबैर कहते हैं, मेरा ख़याल है, हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, अबू तैबह, उम्मे सलमा (रज़ि.) का रज़ाई भाई था या नाबालिग़ लड़का था।

(अबू दाऊद : 4015, इब्ने माजह : 3480)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है औरत को इलाज-मुआलिजे के लिये ख़ाविन्द से इजाज़त लेनी चाहिये और बेहतर है कि वो इलाज महरम से कराये, क्योंकि आपने अबू तैबह को भेजा जो उनके रज़ाई भाई थे।

(5745) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत उबइ बिन कअ़ब (रज़ि.) के पास एक तबीब (अपने फ़न का माहिर) भेजा, उसने उनकी रग काटी और उसको दाग़ दिया।

(अबू दाऊद : 3864, इब्ने माजह : 3493)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ .

फ़ायदा : इलाज किसी माहिरे फ़न से करवाना चाहिये और दाग़ के सिवा कोई चारा न हो तो दाग़ देने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि ये काम दाग़ देने का माहिर करे।

(5746) इमाम को ये रिवायत उनके दो और उस्ताद सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने रग काटने का तज़्किरा नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .

(5747) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, जंगे अहज़ाब में हज़रत उबइ की अक्हल यानी रगे हयात में तीर लगा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें दाग़ लगवाया।

وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رُمِيَ أُبَىٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5748) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, हज़रत सअ़द बिन मुआज़ की रगे हयात पर तीर मारा गया तो नबी(ﷺ) ने अपने हाथ मुबारक से उसे छुरी के ज़रिये दाग़ा, वो रग फिर सूज गई तो आपने उसे दोबारा दाग़ा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ -قَالَ -

فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ .

(5749) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने सिंगी लगवाई और हज्जाम को उज्रत दी और नाक के ज़रिये दवाई ली।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : इस्तअत : चित लेट कर किसी चीज़ के ज़रिये सर नीचा करके नाक में दवाई डालना ताकि दवाई दाग़ में पहुँच जाये और छींक के ज़रिये गन्दा मवाद निकल जाये।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह(ﷺ) को सींगी अबू तैबह ने लगाई जिसका नाम नाफ़ेअ था और आपने उसको उज्रत में खजूरों का एक साअ दिया और उसके मालिक मुहय्यिसा बिन मसऊद को उससे आमदनी कम लेने का हुक्म दिया।

(5750) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सिंगी लगवाई और आप किसी की उज्रत में कमी नहीं करते थे।

(सहीह बुख़ारी : 2280)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ، أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لاَ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ .

(5751) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बुख़ार जहन्नम के भाप (जोश) से है, इसलिये उसे पानी से ठण्डा करो।'

(सहीह बुख़ारी : 3264)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ " .

फ़ायदा : बुख़ार और हर तकलीफ़ का मम्बअ और सर चश्मा जहन्नम है और हर लज़्ज़त व फ़रहत का मस्दर और सर चश्मा जन्नत है। इस तरह गोया एक मोमिन के लिये दुनिया में ये गुनाहों का कफ़्फ़ारा है, जिसके सबब वो अज़ाबे जहन्नम से बच जायेगा और बुरे लोगों के लिये ये अलम और दुख-दर्द का बाइस है और बुख़ार के वक़्त नहाना या पानी में तैरना, बुख़ार की बहुत सी क़िस्मों में क़दीम व जदीद डॉक्टरों के नज़दीक इन्तिहाई फ़ायदेमन्द है और आज-कल भी गर्मी के मौसम में जब बुख़ार इन्तिहाई दर्जा तेज़ हो तो डॉक्टर उसके सर पर बर्फ़ की पट्टी लगवाते हैं और तमाम जिस्म को बर्फ़ के पानी में तोलिया भिगोकर साफ़ करवाते हैं, लेकिन ये काम किसी माहिर हकीम या डॉक्टर के मशवरे से किया जा सकता है। क्योंकि हर जगह या हर मौसम में या हर शख़्स का या हर बुख़ार का इलाज नहीं है। बल्कि एक ही शख़्स का इलाज, उम्र, मौसम और ख़ूराक के बदलने से बदल जाता है। तफ़्सील के लिये देखिये तक्मिला जिल्द 4, पेज नं. 343-344

नोट : बक़ौल इमाम नववी फ़ब्रुदूहा को बाब नसर से अम्र का सेग़ा बनाना चाहिये।

(5752) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बुख़ार की शिद्दत, जहन्नम के जोश से है, इसको पानी से ठण्डा करो।'

(इब्ने माजह : 3472)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ " .

(5753) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बुख़ार जहन्नम के जोश से है, इसे पानी से बुझाओ।' (सहीह बुख़ारी : 5723)

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ " .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ " .

(5754) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बुख़ार जहन्नम के जोश से है, इसे पानी से बुझाओ।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ

(5755) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बुख़ार जहन्नम के जोश से है, इसको पानी से ठण्डा करो।'

(इब्ने माजह : 3471)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(5756) इमाम साहब को और कई उस्ताद यही रिवायत बयान करते हैं।

(तिर्मिज़ी : 2074)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ " . وَقَالَ " إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

(5757) हज़रत अस्मा (रज़ि.) से रिवायत है कि उनके पास तप ज़दा (बुख़ार वाली) औरत लाई जाती तो वो पानी मंगवाकर उसके गिरेबान पर छिड़कतीं और फ़रमातीं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसको पानी से ठण्डा करो।' और फ़रमाया, 'ये जहन्नम की भाप से है।'

(सहीह बुख़ारी : 5724, तिर्मिज़ी : 2074, इब्ने माजह : 3475)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ " أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

(5758) यही रिवायत इमाम साहब के उस्ताद अबू कुरैब बयान करते हैं और इब्ने नुमैर की हदीस़ है, वो पानी उसके और उसके गिरेबान के दरम्यान छिड़कतीं और अबू उसामा की हदीस़ में ये नहीं है, 'ये जहन्नम की भाप से है।'

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ، بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ " .

(5759) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'बुख़ार जहन्नम का जोश है, इसको पानी से ठण्डा करो।'

(सहीह बुख़ारी : 3262, 5726, तिर्मिज़ी : 2073, इब्ने माजह : 3473)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ " عَنْكُمْ " . وَقَالَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ .

(5760) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'बुख़ार जहन्नम का जोश है, इसको अपने से पानी के ज़रिये ठण्डा करो।' अबू बकर की रिवायत में 'अन्कुम अपने से' का लफ़्ज़ नहीं है।

बाब 27 : मुँह के एक तरफ़ से दवाई लेना पसन्दीदा नहीं है

باب كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ

(5761) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) की बीमारी में आपको मुँह के एक तरफ़ से दवाई पिलानी चाही तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इशारे से फ़रमाया, 'मुझे मुँह के एक तरफ़ से दवाई न पिलाओ।' तो हमने कहा, बीमार दवा लेना पसंद नहीं करता तो जब आपको इफ़ाक़ा हुआ आपने फ़रमाया, 'तुममें से हर शख़्स को अब्बास के सिवा लुदूद किया जाये, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मौजूद नहीं थे।'

(सहीह बुख़ारी : 4458, 5709, 5710, 5711, 6886, 6897)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي، عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ فَأَشَارَ أَنْ لاَ تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ . فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ " لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

मुफ़रदातुल हदीस़ : लददना : हमने (आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़) आपके मुँह में एक तरफ़ से दवाई पिलाई, क्योंकि लुदूद उस दवा को कहते हैं, जो मुँह के एक जानिब से दी जाये।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है, समझ में आने वाला इशारा तसरीह के क़ायम मक़ाम है। चूंकि लुदूद आपकी बीमारी के मुनासिब न था, इसलिये आपने उससे मना फ़रमाया। लेकिन अज़्वाजे मुतहहरात ने ख़्याल किया, आप बीमार होने के बाइस़ दवा लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिये उन्होंने आपके हुक्म पर अ़मल न किया तो आपने आइन्दा इस हरकत से बाज़ रहने के लिये तादीब व सरज़निश के तौर पर सब हाज़िरीन को लुदूद करवाया। ये क़िसास या इन्तिक़ाम के जज़्बे के तहत न था, क्योंकि आपका मामूल तो अ़फ़्व व दरगुज़र था, इन्तिक़ाम लेना न था। इससे मालूम होता है, लुदूद को नापसंद करना मख़्सूस हालात व ज़ुरूफ़ की बिना पर था, इसलिये इससे लुदूद की नापसन्दीदगी पर इस्तिदलाल ज़्यादा वज़नी नहीं है।

बाब 28 : ऊदे हिन्दी, जिसे कुस्त कहते हैं, से इलाज करना

باب التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ .

(5762) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन, हज़रत उक्काशा बिन मिहसन की हमशीरा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैं अपने बेटे को लेकर, जो खाना नहीं खाने लगा था, रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले गई, उसने आप पर पेशाब कर दिया तो आपने पानी मंगवाकर उस पर छिड़का।

(सहीह बुख़ारी : 5692, 5713, 5715, 5718, अबू दाऊद : 3877, इब्ने माजह : 3462)

قَالَتْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ " عَلاَمَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ " .

(5763) और मैं आपके पास अपने बेटे को लेकर गई, जिसके गले को मैंने तालू के वरम की बिना पर दबाया था तो आपने फ़रमाया, 'तुम इस तरह अपने बच्चों का गला क्यों दबाती हो, तुम इस ऊदे हिन्दी को लाज़िम पकड़ो, इसमें सात चीज़ों से शिफ़ा है, उनमें से एक पस्लियों के वरम और निमोनिया है, गले के वरम की सूरत में नाक-नथुने से और पस्लियों के वरम या निमोनिया, से मुँह की एक जानिब से।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अअ़्लक़्तु अ़लैहि : कव्वे को उंगली के ज़रिये दबाना, हलक़ के इस दबाने को दग़र भी कहते हैं। **(2) इलाक़ :** अ़लाक़ (कव्वा दबाना) के ज़रिये इलाज करने को कहते हैं। **(3) उ़ज़्रह :** गले के वरम, जिसको कव्वा गिरना कहते हैं या हलक़ में ख़ून का जोश मारना, जिससे इंसान हलक़ में दर्द महसूस करता है। **(4) अ़लाम :** यानी अ़ला मा तदग़र्-न तुम हलक़ क्यों

दबाती हो, जिससे बच्चे को तकलीफ़ होती है। **(5) क़ुदे हिन्दी :** इसकी तीन क़िस्में हैं (1) वो क़ुदे हिन्दी जो बतौर बुख़ूर इस्तेमाल होती है, जिसको उर्दू में अगर कहते हैं, जिससे अगरबत्ती बनती है। (2) क़ुस्तुज ज़िफ़ार : ये भी ख़ुश्बू की एक क़िस्म है, जिसको उर्दू में नख़ कहते हैं। (3) क़ुदे हिन्दी : जिसको उर्दू में कोट या गोठ कहते हैं और अंग्रेजी में कॉस्टस कहते हैं, जो एक सफ़ेद या या स्याह रंग लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, इसको क़ुस्ते बहरी भी कह देते थे, क्योंकि क़दीम ज़माना हिन्दुस्तान से, ये समुन्द्र के ज़रिये अरब मुन्तक़िल होती थी और कई बार सफ़ेद को क़ुस्ते बहरी या अरबी और स्याह को क़ुस्ते हिन्दी कह देते हैं और हदीस में यही मुराद है, पहली दोनों क़िस्में मुराद नहीं हैं। (तक्मिला जिल्द 4, पेज नं. 350)

फ़ायदा : इमाम नववी ने लिखा है, अतिब्बा (डॉक्टर्स) का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि क़ुदे हिन्दी (कोट) हैज़ और पेशाब को जारी करती है, अलग-अलग ज़हरों का तिरयाक़ है, शहवते जिमाअ में तहरीक पैदा करती है, अंतड़ियों के ज़ख़्म के लिये मुफ़ीद है, जबकि शहद में मिलाकर पी जाये और मुँह की स्याही पर झाइयाँ लेप करने की सूरत में ख़त्म कर देती है, मेअदा और जिगर की गर्मी और सर्दी में नफ़ाबख़्श है, कुछ बुख़ारों में भी मुफ़ीद है, इनके अलावा और भी फ़ायदे हैं।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - قَالَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ أَعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَةٌ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(5764) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन जो पहली मुहाजिरात में से हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की बैअत की थी और उक्काशा बिन मिहसन की हमशीरा हैं, जो बनू असद बिन ख़ुज़ैमा के एक फ़र्द हैं। वो बयान करती हैं, वो अपने बेटे को जो खाना खाने की उम्र को नहीं पहुँचा था और कव्वा गिरने की बिना पर उसके हलक़ को दबा चुकी थी, लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। यूनुस कहते हैं, उसने कव्वा गिरने के अन्देशे के पेशे नज़र, उसका कव्वा उठाया था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम इस तरह गला दबा कर अपनी औलाद को क्यों तकलीफ़ पहुँचाती हो? तुम उस क़ुदे हिन्दी यानी क़ुस्त (कोट) को

وسلم " عَلاَمَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الإِعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ - يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ ـفَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ " .

लाज़िम पकड़ो, क्योंकि उसमें सात बीमारियों से शिफ़ा है, उनमें से पस्लियों के वरम की बीमारी भी है और बक़ौल बाज़ निमोनिया भी है। डॉक्टर ख़ालिद ग़ज़नवी ने ज़ातुल जम्ब का मानी पिलोरसी किया है।

(सहीह बुख़ारी : 5692, 5713, अबू दाऊद : 3877, इब्ने माजह : 3462, 3463)

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً .

(5765) इबैदुल्लाह कहते हैं, उसने मुझे बताया कि उसके उस बेटे ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की गोद में पेशाब कर दिया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पानी मंगवाकर उसके पेशाब पर छिड़क दिया और उसको अच्छी तरह धोया नहीं।

باب التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

बाब 29 : कलौंजी से इलाज करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ " . وَالسَّامُ الْمَوْتُ . وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ

(5766) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'कलौंजी हर बीमारी में शिफ़ाबख़्श है, सिवाय मौत के।' साम मौत को कहते हैं और हब्बतुस्सौदा शूनीज़ को कहते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 5688, इब्ने माजह : 3447, तिर्मिज़ी : 2041)

मुफ़रदातुल हदीस़ : हब्बतुस्सौदाअ : जिसको फ़ारसी में शूनीज़, उर्दू में कलौंजी और अंग्रेज़ी में ब्लैक क्यूमिन कहते हैं, जो एक क़िस्म के स्याह दाने हैं, जो अंदर से सफ़ेद होते हैं और कुछ ने इसको काली जीरी का नाम दिया है और बक़ौल डॉक्टर ख़ालिद ग़ज़नवी, कलौंजी का पौधा झाड़ियों की मानिन्द तक़रीबन आधा मीटर ऊँचा होता है, जिसको नीले रंग के फूल लगते हैं।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कलौंजी को हर मर्ज़ की दवा क़रार दिया है और ये मबनी बर हक़ीक़त बात है, जैसे-जैसे तहक़ीक़ात बढ़ती जाती हैं, इसके फ़ायदे मालूम होते जाते हैं और आइन्दा मालूम नहीं ये किन-किन बीमारियों में इसकी अफ़ादियत का ज़ुहूर होगा। इसके फ़ायदे की तफ़्सील के लिये देखिये (तिब्बे नबवी और जदीद साइंस पेज नं. 246-254)

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ . وَلَمْ يَقُلِ الشُّونِيزُ .

(5767) इमाम साहब अपने आठ उस्तादों की चार सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, सुफ़ियान और यूनुस की रिवायत में हब्बतुस्सौदा के बाद शूनीज़ का लफ़्ज़ नहीं है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا مِنْ دَاءٍ إِلاَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلاَّ السَّامَ "

(5768) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हर बीमारी से शिफ़ा, सिवाय मौत के कलौंजी में है।'

बाब 30 : तल्बीना मरीज़ के दिल के लिये राहत बख़्श है

باب التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ

(5769) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब उनके ख़ानदान का कोई शख़्स फ़ौत हो जाता और औरतें उसकी तअ़ज़ियत के लिये जमा होतीं, फिर वो मुन्तशिर हो जातीं, सिर्फ़ उनका ख़ानदान और मख़सूस लोग रह जाते तो वो तल्बीना की हण्डिया को पकाने का हुक्म देतीं, उसे पकाया जाता, फिर स़रीद तैयार किया जाता और उस पर तल्बीना डाल दिया जाता, फिर फ़रमातीं, इससे खाओ। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'हरीरा, मरीज़ के दिल के लिये सुकून बख़्श है, कुछ ग़म व हुज़्न को दूर करता है।'

(सहीह बुख़ारी : 5417, 5689, तिर्मिज़ी : 3039)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا - أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ".

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तल्बीना : आटे या मेदा या छान बोरे और शहद मिलाकर तैयार किया गया पतला हरीरा है और बक़ौल कुछ इसमें दूध डाला जाता है, इसलिये इसको तल्बीना दूध रंग कहते हैं। **(2) मजम्मतुन या मुजिम्मतुन :** पहली सूरत में जम्म यजुम्म का मस्दर मीमी है और इस्मे फ़ाइल के मानी में है और दूसरी सूरत में इज्माम से इस्मे फ़ाइल का सेग़ा है। **(3) जम्म :** और इज्माम का मानी आराम और सुकून पहुँचाना है, यानी मरीज़ के दिल को राहत बख़्शता है और उससे ग़म व हुज़्न दूर करता है।

फ़ायदा : बीमार के मेअ़दे में कुछ इख़्लात का ग़ल्बा हो जाता है, जिससे रंजीदा इंसान के आज़ा और मेअ़दे में पेवस्त यानी ख़ुश्की पैदा हो जाती है, ख़ास कर ग़िज़ा की क़िल्लत की बिना पर मेअ़दा मुतास्सिर होता है, हरीरा से उसके लिये रतूबत, ग़िज़ा और तक़वियत का बाइस़ बनता है, क्योंकि इससे मेअ़दे की सफ़ाई हो जाती है, इसलिये ये बीमार के दिल के लिये भी राहत और सुकून का बाइस़ बनता है, इसलिये सुनन नसाई की रिवायत है, तल्बीना तुम्हारे पेट को धो देता है, जिस तरह तुम चेहरे से पानी के ज़रिये मैल-कुचैल को धो डालते हो।

बाब 31 : शहद पीने से इलाज करना

باب التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ

(5770) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगा, मेरे भाई का पेट खुल गया है, यानी उसको दस्त लग गये हैं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे शहद पिलाओ।' उसने उसे शहद पिलाया। फिर आपके पास आकर कहने लगा, मैंने शहद पिलाया है, मगर उसके इस्हाल में इज़ाफ़ा हो गया है। आपने उसे तीन बार यही हुक्म दिया, फिर चौथी बार आया तो आपने फ़रमाया, 'उसे शहद पिलाओ।' उसने कहा, मैं उसे पिला चुका हूँ, इससे इस्हाल में इज़ाफ़ा हुआ है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह ने सच फ़रमाया और तेरे भाई के पेट ने झूठ कहा।' उसने फिर पिलाया तो वो तन्दुरुस्त हो गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْقِهِ عَسَلاً " . فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا . فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ " اسْقِهِ عَسَلاً " . فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ " . فَسَقَاهُ فَبَرَأَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इस्तलक़ बत्नुहू : उसको इस्हाल या दस्त लग गये हैं। **(2) सदक़ल्लाहु :** अल्लाह का फ़रमान 'फ़ीहि शिफ़ा' ये शिफ़ा बख़्श है, दुरुस्त है, तेरे भाई का पेट दुरुस्त होकर रहेगा। **(3) कज़-ब बत्नुहू :** उसका पेट झूठ कहता है, ये इलाज उसके लिये कारगर हो रहा है, लेकिन अभी तक तमाम फ़ासिद मवाद ख़ारिज नहीं हुआ।

फ़ायदा : डॉक्टर ख़ालिद ग़ज़नवी ने लिखा है, इस्हाल का सबब आँतों में सूजन है, जो कि जरासीम या उनकी ज़हरों टॉक्सीन या वायरस से हो सकती है, अगर ऐसे मरीज़ की आँतों में हरकात को फ़ौरी तौर पर बंद कर दिया जाये तो सूजन बदस्तूर रहेगी या ज़हरें वहीं रह जायेंगी, इसलिये इलाज का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि पहले आँतों को साफ़ किया जाये, फिर जरासीम मारे जायें। शहद में ये सलाहियत थी कि वो ये दोनों काम कर सकता था (तिब्बे नबवी(ﷺ) और जदीद साइंस पेज नं. 171) चूंकि उस आदमी को दस्त बद हज़मी और आँतों में बदबू की बिना पर लगे थे, इसलिये उसके

लिये इस्हाल मुफ़ीद थे, इसलिये पहले बार-बार शहद पिलाकर उसके मेअ़दे को साफ़ किया गया, जब मेअ़दा गन्दे मवाद से बिल्कुल साफ़ हो गया तो वो तन्दुरुस्त हो गया।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ . فَقَالَ لَهُ " اسْقِهِ عَسَلاً " . بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ .

(5771) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, मेरे भाई का मेअ़दा ख़राब हो गया है तो आपने फ़रमाया, 'उसे शहद पिलाओ।' आगे ऊपर वाली रिवायत के हम मानी रिवायत है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ, इस्हाल का सबब मेअ़दे की ख़राबी थी, इसलिये फ़ासिद मवाद के निकले बग़ैर, वो बंद नहीं हो सकते थे।

باب الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا

बाब 32 : ताऊ़न, कहानत, बद फ़ाली वग़ैरह का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَأَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ، أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ

(5772) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से पूछा, आपने ताऊ़न के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से क्या सुना है? तो हज़रत उसामा (रज़ि.) ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ताऊ़न एक क़िस्म का रिज्ज़ या अ़ज़ाब है, जो बनी इस्राईल या तुमसे पहले लोगों पर भेजा गया, इसलिये जब तुम किसी ज़मीन में इसके मौजूद होने के बारे में सुन लो तो वहाँ न जाओ और जब ऐसी ज़मीन में पाया जाये जहाँ तुम हो तो इससे डरकर न निकलो।' अबू नज़्र कहते हैं, 'तुम्हें इससे फ़रार ही न निकाले।'

وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ " لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْهُ " .

(सहीह बुख़ारी : 3473, 6974, तिर्मिज़ी : 1065)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) रिजज़ुन : अज़ाब, रिज्सुन इस हदीस़ में हम मानी अल्फ़ाज़ हैं। **(2) ताऊन :** बरवज़न फ़ाऊल, एक आम वबा है और ये एक तबाहकुन ज़हरीला मवाद है, जो इंसानी जिस्म के नर्म हिस्सों, ख़ास कर बग़ल, कोहनी, उंगलियों के जोड़ों, कान के पीछे, घुटनों के अंदरूनी हिस्से में फोड़े की सूरत में ज़ाहिर होता है, इससे वरम और शदीद दर्द उठता है, सूजन पैदा हो जाती है, इसके आस-पास स्याह हो जाता है, जो इन्तिहाई ख़तरनाक है। इससे कम ख़तरनाक आस-पास का ज़र्द होना है और सबसे कम ख़तरनाक सुर्ख़ होना है, इससे दिल धकड़ता है, क़य और ग़शी तारी हो जाती है।

फ़ायदा : ताऊन की वबा पहली उम्मतों पर अज़ाब की सूरत में मुसल्लत की गई। बनी इस्राईल अपने गुनाहों की पादाश में इससे कई बार दोचार हुए। जैसाकि यहूदो-नसारा की किताब 'किताबे मुक़द्दस' के पुराने ज़माने के सहीफ़ों से साबित होता है और फ़िरऔनी भी इससे दोचार हुए। आपने वबाई ज़मीन में जाने से मना फ़रमाया है, क्योंकि इस तरह ज़ाहिरी अस्बाब व वसाइल का तर्क करना लाज़िम आता है, हालांकि तवक्कल का मानी अस्बाब व वसाइल का तर्क नहीं है, बल्कि जाइज़ अस्बाब व वसाइल अपना कर नतीजे अल्लाह के सुपुर्द करना तवक्कल है और वहाँ से भागना, अस्बाब व वसाइल ही को सब कुछ समझना है और ये तवक्कल के मुनाफ़ी है। अस्बाब व वसाइल उस वक़्त नतीजाख़ेज़ हो सकते हैं, जब अल्लाह की इजाज़त और मशियत हो। इसलिये इस्लाम ने ऐतिदाल व तवाज़ुन को इख़्तियार किया है। वबाई ज़मीन से भाग कर ये समझना मैं इस तरह वबा से बच जाऊँगा, तक़दीर का इंकार है और वहाँ जाना, अस्बाब व वसाइल का इंकार है। अबू नज़्र के अल्फ़ाज़, ला युख़्रिजुकुम इल्ला फ़िरारुम् मिन्हु का मफ़्हूम यही कहना होगा कि ताऊन से फ़रार ही निकलने का सबब न हो। वरना ज़ाहिरी मानी कि तुम फ़रार इख़्तियार करते ही निकले, हदीस़ के सियाक़ व सबाक़ के मुनाफ़ी है। इसका मानी तो ये हुआ, फ़रार के सिवा कोई सूरत जाइज़ नहीं है, जबकि अबू नज़्र का मक़सद फ़ला तख़रुजू फ़िरारम् मिन्हु की तौज़ीह व तशरीह है, मक़सद ये है राहे फ़रार इख़्तियार करने के सिवा किसी और ग़र्ज़ और मक़सद के लिये निकलना जाइज़ है। जैसे तहसीले इल्म के लिये, तिजारत के लिये, इलाज व मुआलजे के लिये, अगर सिर्फ़ फ़रार के लिये निकलेंगे तो इस तरह देखा-देखी अहले स़रवत तो निकल जायेंगे, पीछे मोहताज व ज़रूरतमन्द रह जायेंगे, उनको कौन सम्भालेगा। उनके कफ़न व दफ़न का इन्तिज़ाम कौन करेगा और उनके जाने के बाद अगर अल्लाह की मर्ज़ी और मशिय्यत से दूसरी जगह वबा फैल गई तो यही समझा जायेगा कि उनके आने की वजह से यहाँ भी वबा फैल गई है। इस तरह बीमारी के मुतअद्दी (छूतछात) होने का अक़ीदा पुख़्ता होगा, जो इस्लाम की मन्शा के मुनाफ़ी (खिलाफ़) है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ، -وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَفِرُّوا مِنْهُ " . هَذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةُ نَحْوَهُ

(5773) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ताऊ़न, अ़ज़ाब की अ़लामत है, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने अपने कुछ बन्दों को इसमें मुब्तला किया, सो जब तुम इसके बारे में सुनो तो वहाँ न जाओ और अगर किसी ऐसी जगह वाक़ेअ़ हो जाये, जहाँ तुम हो तो उससे मत भागो।' ये क़अ़नबी की रिवायत है और कुतैबा की भी इस जैसी है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا " .

(5774) हज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये ताऊ़न एक अ़ज़ाब है, जो तुमसे पहले लोगों या बनी इस्राईल पर मुसल्लत किया गया, सो जब ये किसी इलाक़े में हो तो वहाँ से इससे भाग कर न निकलो और जब किसी जगह हो तो वहाँ न जाओ।'

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(5775) हज़रत आ़मिर बिन सअ़द (रह.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से ताऊ़न के बारे में पूछा तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहने लगे, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये एक अ़ज़ाब और दुख है, जो अल्लाह ने बनी

ﷺ " هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا " .

इस्राईल के एक गिरोह या तुमसे पहले कुछ लोगों पर भेजा, सो जब तुम किसी ज़मीन में इसका पाया जाना सुनो तो वहाँ न जाओ और जब ये तुम्हारे इलाक़े में पड़ जाये तो इससे भागते हुए, न निकलो।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ، دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ .

(5776) यही रिवायत इमाम साहब को तीन और उस्तादों ने सुनाई।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلاَ يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ " .

(5777) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये दर्द या बीमारी एक अज़ाब है, जिससे तुमसे पहले कुछ उम्मतों को दुख पहुँचाया गया, फिर बाद में ज़मीन में रह गया। सो कभी आ जाता है और कभी चला जाता है। तो जिसने किसी ज़मीन में इसका पाया जाना सुन लिया, तो वो वहाँ न जाये और जो ऐसी ज़मीन में रहता हो, जहाँ ये वबा है तो इससे फ़रार इख़्तियार करते हुए, बिल्कुल न निकले।'

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ .

(5778) यही रिवायत इमाम साहब को एक और उस्ताद ने सुनाई।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا فَلاَ تَخْرُجْ مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلْهَا " . قَالَ قُلْتُ عَمَّنْ قَالُوا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ . قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا غَائِبٌ - قَالَ - فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدْتُ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا " . قَالَ حَبِيبٌ فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ آنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لاَ يُنْكِرُ قَالَ نَعَمْ .

(5779) हबीब (रह.) बयान करते हैं, हम मदीना में थे तो मुझे पता चला कूफ़ा में ताऊन पड़ गया है तो मुझे अता बिन यसार और दूसरों ने बताया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है, 'जब तुम किसी इलाक़े में हो और वहाँ ये पड़ जाये तो वहाँ से न निकलो और जब तुम्हें पता चल जाये कि वो किसी इलाक़े में है तो वहाँ न जाओ।' मैंने पूछा, ये रिवायत किसने बयान की है? उन्होंने कहा, ये हदीस़ आमिर बिन सअद बयान करते हैं, मैं उनके यहाँ गया तो बताया गया, वो मौजूद नहीं है तो मैं उनके भाई इब्राहीम बिन सअद को मिला और इसके बारे में उससे पूछा? उसने कहा, मेरी मौजूदगी में हज़रत उसामा (रज़ि.) ने हज़रत सअद को बताया। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'ये दर्द, रिज्ज़ है या अज़ाब है या अज़ाब का बाक़ी हिस्सा है, जिससे तुमसे पहले लोगों को दुख पहुँचाया गया। लिहाज़ा अगर ये ऐसे इलाक़े में हो जहाँ तुम मौजूद हो तो वहाँ से निकलो नहीं और जब तुम्हें पता चले कि वो किसी ज़मीन (इलाक़े) में है तो वहाँ न जाओ।' हबीब (रह.) कहते हैं, मैंने इब्राहीम से कहा, क्या आपने उसामा (रज़ि.) को सअद (रज़ि.) को ये हदीस़ सुनाते सुना है और वो इंकार नहीं कर रहे थे? उसने कहा, हाँ!

(सहीह बुख़ारी : 5728)

(5780) यही रिवायत इमाम साहब को एक और उस्ताद ने सुनाई, लेकिन अता बिन यसार वाला इब्तिदाई वाक़िया बयान नहीं किया।

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ .

(5781) इमाम साहब यही रिवायत इब्राहीम बिन सअद, सअद बिन मालिक, ख़ुज़ैमा बिन साबित और उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ .

(5782) इब्राहीम बिन सअद बिन अबी वक़्क़ास (रह.) बयान करते हैं, उसामा बिन ज़ैद और सअद (रज़ि.) दोनों बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे तो दोनों ने, रसूलुल्लाह(ﷺ) से ऊपर वाली रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(5783) यही रिवायत इमाम साहब को एक और उस्ताद ने सुनाई।

وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي الطَّحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

(5784) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब शाम जाने के लिये निकले, जब सर्ग़ नामी जगह पर पहुँचे, उन्हें लश्करों के कमाण्डर अबू उबैदा बिन जर्राह और उनके साथी मिले और

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ، الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ . فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ . فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ . فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ . فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ . فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى

उन्हें बताया, शाम में वबा फैल चुकी है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, मेरे पास मुहाजिरीने अव्वलीन को बुलाकर लाओ। तो मैंने उनको बुलाया, सो उन्होंने उनसे मशवरा तलब किया और उन्हें बताया, शाम में वबा फैल चुकी है। उनमें इख़्तिलाफ़ हो गया, कुछ ने कहा, आप एक मक़सद की ख़ातिर निकले, इसलिये हम इससे आपकी वापसी मुनासिब ख़्याल नहीं समझते और कुछ ने कहा, आपके साथ बेहतरीन लोग और रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथी हैं हमारे ख़्याल में आप उन्हें, उस वबाई इलाक़े में न ले जायें। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, तुम मेरे पास से चले जाओ। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास अन्सार को बुला लाओ। मैंने उनको उनके पास बुला लाया तो उन्होंने उनसे मशवरा तलब किया, उन्होंने भी मुहाजिरीन की राह अपनाई और उनकी तरह इख़्तिलाफ़ किया तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, मेरे पास से चले जाओ। फिर कहा, मेरे पास फ़तहे मक्का के वक़्त हिज्रत करने वाले कुरैश के उम्र रसीदा लोगों को बुलाओ। सो मैंने उनको बुलाया उनमें से दो शख़्सों ने भी इख़्तिलाफ़ न किया। सबने कहा, हम समझते हैं, आप लोगों को वापस ले जायें और उन्हें उस वबाई इलाक़े में न ले जायें। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने लोगों में ऐलान करवा दिया। मैं कल सुबह सवारी पर सवार हो जाऊँगा। इसलिये तुम भी सवार हो जाना। इस पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह (रज़ि.) ने

ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ - وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ - نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطْتَ وَادِيًا لَهُ عِدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ ‏.‏

कहा, क्या अल्लाह की तक़दीर से भागते हो? तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ काश! किसी और ने ये कहा होता। ऐ अबू उबैदा! हज़रत उमर (रज़ि.) अबू उबैदा (रज़ि.) की मुख़ालिफ़त को पसंद नहीं करते थे। हाँ! हम अल्लाह की तक़दीर से अल्लाह की तक़दीर की तरफ़ भाग रहे हैं। बताइये! अगर आपके पास ऊँट हों और आप ऐसी वादी में उतरें, जिसके दो किनारे हों, एक किनारा सर-सब्ज़ो-शादाब हो और दूसरा ख़ुश्क-बंजर और वीरान, क्या ऐसे नहीं है अगर आप सर-सब्ज़ो-शादाब किनारे में चरायेंगे तो ये अल्लाह की तक़दीर से होगा और अगर बंजर और वीरान किनारे से चरायेंगे तो ये भी तक़दीरे इलाही से होगा? इतने में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) आ गये, वो अपनी किसी ज़रूरत की बिना पर ग़ायब थे। तो उन्होंने कहा, मेरे पास इसके बारे में यक़ीनी इल्म है, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जब तुम, इसका किसी इलाक़े में पड़ना सुनो, तो वहाँ न जाओ और जब ये ऐसे इलाक़े में पड़ जाये, जहाँ तुम हो तो इससे भागते हुए न निकलो।' इस पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अल्लाह का शुक्र अदा किया (कि उनकी राय हदीस़ के मुताबिक़ थी) फिर वापस रवाना हो गये।

(सहीह बुख़ारी : 5729, अबू दाऊद : 3103)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वबा : इससे मुराद ताऊने अमवास है जो 17 हिजरी या 18 हिजरी में शाम में पड़ा। सफ़र के आख़िर में ख़त्म हो गया, अमवास फिर पड़ गया। हज़रत उमर (रज़ि.) रबीउल

अव्वल में निकले, जब शाम के क़रीब हिजाज़ के आख़िरी इलाक़े सर्ग़ में पहुँचे तो हज़रत अबू उ़बैदा, ख़ालिद बिन वलीद, यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान, शुरहबील बिन हसना और हज़रत अ़म्र बिन आ़स, जो अलग-अलग एक इलाक़े के लश्कर के कमाण्डर थे और कमाण्डराने चीफ हज़रत अबू उ़बैदा थे, ने बताया, ताऊ़न तो शिद्दत इख़्तियार कर चुका है। **(2) मश्यख़ति क़ुरैश मिम् मुहाजिरतिल फ़त्ह :** वो उ़म्र रसीदा लोग जो फ़तहे मक्का के बाद, मदीना चले गये थे, अगरचे शरई रू से ये हिज्रत न थी। लेकिन अपना इलाक़ा छोड़ने की बिना पर उसको हिज्रत से ताबीर किया। मक़सद ये है सिर्फ़ उन क़ुरैशी सरदारों को बुलाया, जो फ़तहे मक्का के बाद मदीना चले गये थे, जो मक्का में रह गये थे, उनको नहीं बुलाया। **(3) अफ़िरारम् मिन क़दरिल्लाह :** क्या अल्लाह की तक़दीर से भागते हैं, अल्लाह की मशिय्यत और इजाज़त के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता, इसलिये हमें वबा में गिरफ़्तार होने से नहीं डरना चाहिये। **(4) लौ ग़ैरु-क क़ालहा या अबा उ़बैदा :** ऐ अबू उ़बैदा! ऐ काश! किसी और ने ये बात कही होती। आप जलीलुल क़द्र सहाबी, जो इल्म व ज़हानत से मुत्तसिफ़ हैं, का ये कहना इन्तिहाई तअ़ज्जुब अंगेज़ और बाइसे हैरत है या जिस मसले में अहले हिल्ल व अ़क़्द और तजुर्बेकार लोगों की अक्सरियत मुत्तफ़िक़ हो चुकी है, कोई और इसकी मुख़ालिफ़त करता तो मैं उसको सज़ा देता, लेकिन आप जैसे साहिबे इल्म व फ़ज़्ल और अपने भरोसेमंद को क्या कहूँ? **(5) व का-न उ़मरु यक्रहु ख़िलाफ़हू :** हज़रत उ़मर (रज़ि.) उनकी ज़हानत व फ़तानत और अहलिय्यत की बिना पर, उनकी राय को नज़र अन्दाज़ करना पसंद नहीं करते या मशवरे के बाद एक राय क़ायम हो जाने के बाद, उनकी मुख़ालिफ़त उनको पसंद न आई। क्यों कि उन्होंने ये राय मशवरा करने के बाद, पूरी सोच-विचार से क़ायम की थी, उनकी इन्फ़िरादी राय न थी। **(6) नफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह :** हज़्म व एहतियात या हिफ़ाज़ती तदाबीर इख़्तियार करना भी अल्लाह की तक़दीर या हिस्सा है, ये तक़दीर का तवक्कल के मुनाफ़ी ख़िलाफ़ नहीं है, अस्बाब व वसाइल अपनाने की तल्क़ीन शरीअ़त का हुक्म है। **(7) इद्वतान : इद्वतुन :** वादी का बुलंद किनारा, ख़स्बतुन : सर-सब्ज़ो-शादाब। जदयतुन : बंजर, बेआबो-गियाह।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, ज़रूरत के तहत सरबराहे हुकूमत (कमाण्डर), अपने मुस्तक़र्र से किसी दूसरे इलाक़े के हालात का मुशाहिदा करने, मज़्लूम की फ़रियाद रसी, अहले ज़रूरत की ज़रूरत पूरी करने और अहले फ़साद का इस्तीसाल करने के लिये जा सकता है और उसे पेश आमदा मसाइल में अहले हिल्ल व अ़क़्द या अस्हाबे राय से मशवरा करना चाहिये और उसकी रोशनी में किसी हतमी राय पर पहुँचकर उसको अ़मली जामा पहनाना चाहिये और अहले इल्म व फ़ज़्ल की क़द्र करनी चाहिये और उनसे उनके मक़ाम व मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक करना चाहिये और अपनी राय के दिफ़ाअ़ में दलील व बुरहान से काम लेना चाहिये और एहतियाती तदबीरों को इख़्तियार करना

तवक्कल या तक़दीर के मुनाफ़ी नहीं है। क्योंकि तदबीरों का एहतिमाम भी मशिय्यते इलाही पर मौक़ूफ़ है। इसके बग़ैर इंसान हज़्म व एहतियात का रास्ता इख़्तियार नहीं कर सकता, अगर इंसान सर-सब्ज़ो-शादाब इलाक़े में अपने मवेशी चराता है तो ये भी अल्लाह की मशिय्यत और इजाज़त से है और अगर ख़ुश्क या बंजर इलाक़े में चरायेगा तो ये भी अल्लाह की मन्शा और इजाज़त से होगा, अल्लाह की मन्शा या इजाज़त के बग़ैर इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसलिये तमाम उमूर में जाइज़ अस्बाब व वसाइल या ज़राए इख़्तियार करके नतीजे अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिये, ये नहीं है कि ताऊन ज़दा इलाक़े में जाने वाला ज़रूर मर जायेगा और वहाँ से भागने वाला ज़रूर बच जायेगा और भागना ही उसकी मौत का बाइस नहीं बनेगा, इंसान को सहीह राय क़ायम करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ही की तरफ़ से मिलती है, इसलिये उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिये।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَسِرْ إِذًا . قَالَ فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَحِلُّ . أَوْ قَالَ هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

(5785) इमाम साहब के तीन और उस्ताद यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा है हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे ये भी कहा, बताइये! अगर वो सर-सब्ज़ो-शादाब जगह को छोड़कर बेआबो-गियाह, बंजर इलाक़े में मवेशी चराये, क्या तुम उसे आजिज़ो-बेबस क़रार दोगे? अबू उबैदा (रज़ि.) ने कहा, हाँ! कहा, तो तब चलिये तो हज़रत उधर रवाना हो गये। यहाँ तक कि मदीना पहुँच गये और कहने लगे, यही महल और मौक़ा है, इन्शाअल्लाह!

फ़ायदा : अगर एक इंसान सर-सब्ज़ो-शादाब जगह को छोड़कर बंजर इलाक़े में मवेशी चराता है तो लोग उसको आजिज़ या बेबस और मजबूर समझकर तअनो-तश्नीअ और मलामत से बाज़ नहीं आयेंगे। बल्कि उस पर तन्क़ीद व तबसरा करेंगे तो मैं अपनी जनता के फ़ायदों को कैसे नज़र अन्दाज़ कर सकता हूँ और उनके लिये हज़्मो-एहतियात अपनाने से बेबसी और मजबूरी का इज़हार कैसे कर सकता हूँ, हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) की राय को तस्लीम कर लिया और कहने लगे चलो, जिससे मालूम हुआ, साहिबे राय को हर हालत में अपनी राय पर अड़ना नहीं चाहिये, अगर दूसरों की राय दुरुस्त हो तो उसको ख़न्दा पेशानी से तस्लीम कर लेना चाहिये।

(5786) यही रिवायत इमाम साहब को दो और उस्तादों ने सुनाई।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ . وَلَمْ يَقُلْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

(5787) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर बिन रबीआ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) शाम की तरफ़ रवाना हुए तो जब सर्ग़ मक़ाम पर पहुँचे, उन्हें इत्तिलाअ़ मिली के शाम में वबा फैल चुकी है तो उन्हें हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है, 'जब तुम किसी इलाक़े में इसका होना सुनो तो वहाँ न जाओ और जब तुम्हारे इलाक़े में पड़ जाये तो इससे भागते हुए वहाँ से न निकलो।' इस वजह से हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) सर्ग़ मक़ाम से वापस लौट आये। हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह कहते हैं, हज़रत उ़मर (रज़ि.) सिर्फ़ अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) की हदीस़ ही के सबब लोगों को वापस लाये थे।

(सहीह बुख़ारी : 5730, 6973)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ . وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " . فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ . وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

फ़ायदा : हज़रत सालिम (रज़ि.) के क़ौल से मालूम होता है, हज़रत उ़मर के अ़ज़्म में पुख़्तगी हदीस़ सुनने से ही पैदा हुई। कुछ रिवायतों से मालूम होता है, हज़रत उ़मर ने वापसी पर नदामत का इज़हार किया तो मुम्किन है जब जल्दी वबा ख़त्म हो गई तो उन्हें ख़याल पैदा हुआ होगा, अगर मैं सर्ग़ में ठहरा रहता और वबा के ख़ातमे के बाद शाम चला जाता तो मैंने जिस मक़सद के लिये सफ़र किया था, वो भी पूरा हो जाता और हदीस़ पर भी अ़मल हो जाता, ये नहीं है कि उनकी राय बदल गई थी और वो वबाई इलाक़े में जाना दुरुस्त समझने लगे थे।

बाब 33 : बीमारी का मुतअद्दी (छूतछात) होना, बद शगूनी, उल्लू, सफ़र, सितारों के सबब बारिश होना और चुड़ैल की कोई हक़ीक़त नहीं है और बीमार को तन्दुरुस्त के पास न ले जाया जाये

باب لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَوَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لأَبِي الطَّاهِرِ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ " . فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ " فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ "

(5788) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अद्वा, सफ़र और हामह की कोई हक़ीक़त नहीं है।' तो एक आराबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! तो क्या वजह है, ऊँट रेगिस्तान में, हिरण की तरह चाक़ो-चोबंद होते हैं तो एक ख़ारिशी ऊँट आकर तमाम को ख़ारिशी कर देता है? आपने फ़रमाया, 'तो पहले को किसने बीमारी लगाई?'

फ़वाइद : (1) ला अद्वा : कोई बीमारी एक मरीज़ से दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल नहीं होती, यहाँ क़ाबिले ग़ौर बात अस्बाबे ज़ाहिरा की तासीर या अशिया (चीज़ों) के ख़्वास और तासीरात हैं कि क्या वो इल्लते ताम्मह् हैं, जिनके पाये जाने से मअ़लूल का पाया जाना या नताइज व असरात का ज़ुहूर यक़ीनी व क़तई है और उन नताइज व असरात का अल्लाह तआ़ला की मशिय्यत और इरादे से कोई ताल्लुक़ नहीं है या अस्बाबे ज़ाहिरा, इल्लते ताम्मह् नहीं हैं और अशिया के ख़्वास व तासीरात के नताइज व असरात यक़ीनी और क़तई नहीं हैं। असल इल्लतुल एलल अल्लाह की मन्शा और इरादा है। वो चाहे तो मअ़लूल ज़ाहिर होता है और अस्बाबे ज़ाहिरा मुअस्सिर बनते हैं, अशिया के ख़्वास और असरात ज़ुहूर पज़ीर होते हैं और ये सिर्फ़ अलामात और इमारात हैं, उसकी मशिय्यत और इरादे के बग़ैर कुछ नहीं होता। अहले जाहिलिय्यत का अक़ीदा ये था कि अस्बाबे ज़ाहिरा इल्लते ताम्मह् है और इल्लत और मअ़लूल एक दूसरे के लिये लाज़िम हैं। अल्लाह के इरादे और मशिय्यत का उनसे

कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह अशिया के ख़्वास व तासीरात के नताइज और असरात यक़ीनी हैं। वो सिर्फ़ अलामत या निशानी नहीं हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस अक़ीदे की बेख़कनी की है कि असल मुअस्सिर और इल्लतुल एलल अल्लाह की मशिय्यत और इरादा है। उसको मअलूल या ग़ैर मुअस्सिर क़रार देना शिर्क और कुफ़्र है। इसलिये बीमार का तन्दुरुस्त के साथ इख़्तिलात व इम्तिज़ाज, बीमारी के जरासीम या वायरस के मुन्तक़िल होने का एक ज़ाहिरी सबब है, जिसका असर अल्लाह की मशिय्यत और इरादे पर मौक़ूफ़ है। उसके इरादे के बग़ैर कोई बीमारी दूसरे को नहीं लगती, इसलिये आपने ये हुक्म दिया कि ताऊन ज़दा इलाक़े में न जाओ, बीमार को तन्दुरुस्त के पास न ले जाओ, कोढ़ी से भागो, ताकि अस्बाबे ज़ाहिरा को बिल्कुल्लिया नज़र अन्दाज़ न कर दिया जाये और ख़ुद आपने कोढ़ी के साथ खाया भी है। ताकि ये न समझ लिया जाये कि अस्बाब की तासीर क़तई है। अल्लाह की मशिय्यत और इरादे पर मौक़ूफ़ नहीं है और बक़ौल कुछ, जरासीम और वायरस के इन्तिक़ाल की कोई हैसियत या हक़ीक़त नहीं है। जिस तरह पहले तन्दुरुस्त को बीमारी लगी है, दूसरे को भी अल्लाह की मशिय्यत और इरादे से लगी है। इसलिये आपने आराबी के जवाब में फ़रमाया, पहले ऊँट को बीमारी किसने लगाई? और आपने ताऊन ज़दा इलाक़े में जाने, बीमार को तन्दुरुस्त के पास न ले जाने और कोढ़ी से भागने का हुक्म इसलिये दिया कि अगर उनको अल्लाह के इरादे और मशिय्यत से बीमारी लग गई तो वो बीमारी के मुतअद्दी (छूतछात) होने के शिर्किया अक़ीदे में मुब्तला हो जायेंगे और इससे आपस में नफ़रतों और कदूरतों में इज़ाफ़ा होगा, इस ग़लत अक़ीदे से बचाने के लिये आपने हिफ़ाज़ती तदबीरें या परहेज़ व इज्तिनाब बरतने का हुक्म दिया। ख़ुलास-ए-कलाम यही है कि असल मुअस्सिर और इल्लतुल एलल अल्लाह तआला है, किसी चीज़ का असर या ख़ास्सह ज़ाती नहीं है, अल्लाह का पैदा किया हुआ है, उसके इरादे और मशिय्यत के बग़ैर कोई असर, नतीजे या ख़ास्सह् ज़ाहिर नहीं हो सकता, कोई इल्लत अपना मअलूल पैदा नहीं कर सकती।

अदवा : बीमारी के मुतअद्दी होने की कोई हक़ीक़त नहीं तफ़्सील के लिये देखें (मिन्नतुल मुन्इम जिल्द 3, पेज नं. 467)

ला सफ़र : सफ़र की कोई हक़ीक़त नहीं। यानी (1) मुहर्रम को सफ़र बनाना, दुरुस्त नहीं। या (2) अहले जाहिलिय्यत की ये बात दुरुस्त नहीं है कि सफ़र ऐसे किसी जानदार या कीड़ों का नाम है, जो पेट में होते हैं, उनकी वजह से भूख लगती है और कई बार इंसानों के क़त्ल का बाइस बन जाते हैं। या (3) पेट की कोई बीमारी ऐसी नहीं जो दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल हो सके और उसको सफ़र का नाम दिया जा सके। या (4) सफ़र को मन्हूस ख़्याल करना दुरुस्त नहीं है।

ला हामह : हामह् की कोई हक़ीक़त नहीं है यानी (1) मक़्तूल का अगर इन्तिक़ाम और बदला न लिया जाये तो उसकी खोपड़ी क़ब्र के गिर्द चक्कर लगाकर ये नहीं कहती, मुझे पिलाओ, मुझे

पिलाओ, यानी मेरा इन्तिक़ाम और बदला लो। (2) किसी घर में उल्लू का आ बैठना, घर के मालिक या किसी अज़ीज़ की मौत की ख़बर देना नहीं है। (3) मुर्दा की हड्डियाँ, उल्लू बनकर परवाज़ नहीं करती और अदवा नामी जानवर की कोई हक़ीक़त नहीं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ". فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ .

(5789) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अदवा, बद शगूनी, सफ़र और हामह् की कोई हक़ीक़त नहीं है।' तो एक आराबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल!.... यानी ऊपर वाला सवाल नक़ल किया।

फ़ायदा : ला तियरतन : बद शगूनी और बद फ़ाली की कोई हक़ीक़त नहीं है, जिसकी शुरूआत इस तरह हुई थी कि अहले जाहिलिय्यत का कोई फ़र्द जब सफ़र पर जाना चाहता तो वो अगर देखता परिन्दा उसकी दायें जानिब उड़कर गया है तो वो उस परिन्दे को सानेह का नाम देता और बाइसे बरकत समझ कर सफ़र जारी रखता और अगर परिन्दा बायें जानिब उड़कर जाता तो वो उसे बारेह का नाम देता और बाइसे नहूसत (मन्हूस) ख़याल करके सफ़र ख़त्म कर देता।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَدْوَى " . فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ . وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ " .

(5790) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई मर्ज़ मुतअद्दी (छूतछात) नहीं है।' तो एक आराबी खड़ा हुआ...., आगे ऊपर वाला सवाल है और साइब बिन यज़ीद नमिरा की बहन के बेटे बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अदवा, सफ़र और हामह् कोई हक़ीक़त नहीं रखते।'

(सहीह बुख़ारी : 5773)

(5791) अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रह.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई मर्ज़ मुतअ़द्दी नहीं।' और ये भी बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बीमार जानवरों वाला अपने जानवर तन्दुरुस्त जानवरों के पास न ले जाये।' अबू सलमा (रह.) बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ऊपर वाली दोनों हदीसें रसूलुल्लाह(ﷺ) से बयान करते थे। फिर बाद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ला अ़दवा से ख़ामोश हो गये और 'बीमार ऊँटों का मालिक तन्दुरुस्त ऊँटों में न ले जाये' पर क़ायम रहे। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के चाचाज़ाद हारिस़ बिन अबी ज़ुबाब ने पूछा, ऐ अबू हुरैरह! मैं आपसे इस हदीस़ के साथ एक और हदीस़ सुना करता था, जिससे आप ख़ामोश हो चुके हैं, आप बयान किया करते थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ला अ़दवा कोई मर्ज़ मुतअ़द्दी नहीं है।' तो अबू हुरैरह (रज़ि.) ने इस हदीस़ के जानने से इंकार कर दिया और कहा, 'बीमार ऊँटों का मालिक, तन्दुरुस्त ऊँटों में न ले जाये।' तो हारिस़ ने उनकी बात को सहीह न समझा, यहाँ तक कि अबू हुरैरह (रज़ि.) नाराज़ हो गये और हब्शी ज़बान में कुछ कहा और हारिस़ से पूछा, क्या जानते हो? मैंने क्या कहा है? उसने कहा, नहीं। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, मैंने कहा, मैं इससे इंकार करता हूँ (तो तुम क्यों इसरार करते हो) अबू

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عَدْوَى " . وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ " .

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ " لاَ عَدْوَى " . وَأَقَامَ عَلَى " أَنْ لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ " . قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَدْوَى " . فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ وَقَالَ " لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ " . فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ قَالَ لاَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . قُلْتُ أَبَيْتُ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عَدْوَى " . فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ.

सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मुझे अपनी ज़िन्दगी की क़सम! अबू हुरैरह (रज़ि.) हमें सुनाया करते थे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ला अदवा, मुतअद्दी बीमारी कोई नहीं।' तो मैं नहीं जानता, अबू हुरैरह (रज़ि.) भूल गये या एक हदीस़ से दूसरी मन्सूख़ कर दी।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ला यूरिदु मुम्रिज़ुन अला मुसिह्हिन : मुम्रिज़ुन, बीमार ऊँटों का मालिक। **(2) मुसिह्हुन :** तन्दुरुस्त ऊँटों वाला, यहाँ मफ़ऊल महज़ूफ़ है। यानी इबिलहू : कि बीमार ऊँटों वाला अपने ऊँट तन्दुरुस्त ऊँटों वाले के पास न ले जाये।

फ़ायदा : इन दोनों हदीसों में कोई तआरुज़ (टकराव) नहीं है। जैंसाकि शुरू में हम बयान कर चुके हैं, इसलिये नासिख़ व मन्सूख़ का सवाल पैदा नहीं होता और ला अदवा वाली हदीस़ हज़रत साइब बिन यज़ीद, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से भी मन्क़ूल है। इसलिये हज़रत अबू हुरैरह का भूल जाना, इस हदीस़ की सेहत पर अस़र अन्दाज़ नहीं होता और जुम्हूर उलमा के नज़दीक रावी अगर रिवायत भूल जाये तो उसकी सेहत से इंकार नहीं किया जा सकता और हज़रत अबू हुरैरह का एक दो रिवायात को भूल जाना, उसके इस दावे के मुनाफ़ी नहीं है कि मैं अल्लाह के रसूल की दुआ के नतीजे में कोई हदीस़ नहीं भूला। क्योंकि उन हज़ारों अहादीस़ में एक-दो रिवायात का भूलना कोई तअज्जुब अंगेज़ नहीं है और न ये उनके दावे पर अस़र अन्दाज़ होता है। जबकि उनको बाद में याद भी आ गई थीं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी हदीसें लिखवाई थीं।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَقَالَ، الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ عَدْوَى " . وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ " لاَ يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ". بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ .

(5792) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ये रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई मर्ज़ मुतअद्दी (छूतछात) नहीं' और उसके साथ ये भी बयान करते, 'बीमार ऊँटों का मालिक तन्दुरुस्त ऊँटों के मालिक के यहाँ अपने ऊँट न ले जाये।'

(5793) इमाम साहब को ये रिवायत एक और उस्ताद ने भी सुनाई।

(सहीह बुख़ारी : 5773)

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(5794) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुतअ़द्दी बीमारी, उल्लू, सफ़र और नक्षत्र की कोई हक़ीक़त नहीं है।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ ".

फ़ायदा : ला नौअ : एक सितारे का ग़ुरूब होना और उसके मुक़ाबिल तुलूअ होना बारिश बरसने का सबब या बाइस़ नहीं है या उसका बारिश बरसाने में कोई दख़ल नहीं है। हाँ वो बारिश बरसने का वक़्त या अ़लामत हो सकता है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह ही है, इसलिये आपने नक्षत्र की तरफ़ बारिश की निस्बत करने को कुफ़्र क़रार दिया है।

(5795) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अ़दवा, तियरह् और ग़ूल की कोई हक़ीक़त नहीं है।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ غُولَ " .

फ़ायदा : ला ग़ूल : अ़रबों का ये नज़रिया था कि जंगलों में चुड़ैल लोगों को नज़र आती हैं, जो अलग-अलग शक्लें बना लेती हैं। लोगों को रास्ते से बहका कर हलाक कर देती हैं तो आपने उनके इस किरदार और गिरगिट की तरह रंग बदलने की नफ़ी की है। ये नहीं कहा, जिन्नियों में चुड़ैल या डायन नामी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सरकश जिन्नियों को चुड़ैल या डायन का नाम दिया जाता है। इसलिये कई हदीस़ों में आया है, जब ग़ूल जमा ग़ीलान का ज़ुहूर हो तो अज़ान कहो, अल्लाह के ज़िक्र से उनके शर से महफ़ूज़ हो जाओ।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ عَدْوَى وَلاَ غُولَ وَلاَ صَفَرَ " .

(5796) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अदवा, ग़ूल और सफ़र की कोई हक़ीक़त नहीं है।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ " . وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ " وَلاَ صَفَرَ " . فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ الصَّفَرُ الْبَطْنُ . فَقِيلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ قَالَ كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ . قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ .

(5797) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'अदवा, सफ़र और ग़ूल कुछ नहीं।' हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने शागिर्दों को सफ़र की ये तफ़्सीर बताई कि इससे मुराद पेट है। तो जाबिर (रज़ि.) से पूछा गया, कैसे? उन्होंने कहा, पेट के कीड़ों को कहा जाता है, उन्होंने ग़ूल की वज़ाहत नहीं की। अबू ज़ुबैर ने कहा, ये रंग तब्दील करने वाली चुड़ैल, जो मुसाफ़िरों को राह से भटकाती है, जिससे वो हलाक हो जाते हैं।

باب الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّؤْمُ

बाब 34 : बद शगूनी, नेक शगून और जिन चीज़ों में नहूसत होती है

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ " الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ " .

(5798) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'तियरह (बद शगूनी) की कोई हक़ीक़त नहीं, नेक शगून अच्छी चीज़ है।' पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल! नेक शगून (फ़ाल) क्या है? आपने फ़रमाया, 'अच्छा बोल, जो तुममें से कोई सुनता है।'

(सहीह बुख़ारी : 5754)

फ़ायदा : तियरह से बद शगूनी और नेक शगून दोनों लेते हैं, इसलिये फ़रमाया, शगून का अच्छा हिस्सा नेक शगून है, जो इंसान अच्छा बोल सुनकर महसूस करता है। जैसे कोई इंसान बीमार है तो वो या सालिम, ऐ सालिम! सुन कर तन्दुरुस्त और सलामती का शगून ले। कोई ज़रूरतमन्द है, वो या नजीअ या वाजिद या राशिद वग़ैरह सुनकर मक़सद पूरा होने या ज़रूरत पूरी होने का शगून ले, क्योंकि ये अल्लाह तआला के साथ हुस्ने ज़न्न है और उसकी रहमत और ख़ैर का उम्मीदवार होना है और बद शगूनी अल्लाह की रहमत व ख़ैर से मायूसी और ना उम्मीदी है, जो नापसन्दीदा चीज़ है।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ . وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ .

(5799) इमाम साहब को यही रिवायत उनके दो और उस्तादों ने अपनी-अपनी सनद से सुनाई।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" .

(5800) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुतअद्दी (छूतछात वाली) बीमारी और बद शगूनी की कोई हक़ीक़त नहीं है और मुझे नेक शगून पसंद है, जो अच्छे बोल और पसन्दीदा बात से लिया जाता है।'

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ

(5801) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं, न बद शगूनी और बद फ़ाली है और नेक शगून को पसंद करता हूँ।' आपसे पूछा गया, नेक फ़ाल, अच्छा शगून क्या है? आपने फ़रमाया, 'पाकीज़ा बोल से

" . قَالَ قِيلَ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ " الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ "

पैदा होने वाला अच्छा ख़याल।'

(सहीह बुख़ारी : 5773, इब्ने माजह : 3538)

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷺ " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ " .

(5802) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं, न बद फ़ाली है और मैं अच्छा फ़ाल पसंद करता हूँ।'

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ " .

(5803) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं और न उल्लू की कोई हक़ीक़त है और न बुरा शगून है और मैं अच्छा, नेक शगून पसंद करता हूँ।'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ".

(5804) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहूसत घर में और औरत में और घोड़े में होती है।'

(सहीह बुख़ारी : 5093, 5772, अबू दाऊद : 3922, तिर्मिज़ी : 2824, नसाई : 3071)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(5805) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है और

عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ " .

न बुरा शगून है, नहूसत सिर्फ़ तीन चीज़ों में है, औरत, घोड़ा और घर।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ، إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الشُّؤْمِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ لاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةَ غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ .

(5806) इमाम मुस्लिम ने अलग-अलग उस्तादों की छः सनदों से यही हदीस़ बयान की है, लेकिन यूनुस बिन यज़ीद के सिवा किसी ने अ़दवा और तियरह् का ज़िक्र नहीं किया।

(नसाई : 3570, 6826, इब्ने माजह : 1995)

फ़ायदा : तीन चीज़ें जिनसे इंसान को लम्बी मुद्दत के लिये वास्ता पड़ता है और रोज़ाना उनकी बार-बार ज़रूरत पेश आती है, अगर वो इंसान के मिज़ाज व तबियत के साथ साज़गार न हों तो वो इंसान के लिये कुल्फ़त और परेशानी का बाइस़ बनती हैं और इंसान बार-बार उनसे रंज और अलम महसूस करता है, इसलिये आपने फ़रमाया, 'ये लम्बे रंज व कुल्फ़त और बार-बार की मशक़्क़त घर, बीवी और घोड़े ही से पहुँचती है। इसलिये हदीस़ में यहाँ मुराद नहूसत नहीं है, बल्कि मशक़्क़त और कुल्फ़त है, इसलिये एक और हदीस़ में है, तीन चीज़ें इब्ने आदम के लिये सआदत या शक़ावत का बाइस़ बनती हैं, नेक बीवी, अच्छा घर और अच्छी सवारी, बाइसे सआदत है। बुरी औरत, बुरा घर और बुरी सवारी, बाइसे शक़ावत (बदबख़्ती) है।

(5807) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर नहूसत में कुछ हक़ीक़त होती, तो घोड़े, औरत और घर में होती।'

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَىْءٌ حَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ" .

फ़ायदा : इंय्यकुम्-मिनश्शूअमि शैउन हक़्क़ुन : अगर नहूसत की कोई हक़ीक़त होती तो वो उन तीन चीज़ों में पाई जाती, जो इंसान के लिये कुल्फ़त (तकलीफ़) और मशक़्क़त का बाइस़ बन सकती हैं, जबकि उनमें भी नहूसत मौजूद नहीं है तो और कहाँ हो सकती है।

(5808) इमाम साहब के और उस्ताद यही रिवायत सुनाते हैं, लेकिन वो 'हक़' का लफ़्ज़ बयान नहीं करते।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ " حَقٌّ " .

(5809) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर शूम (नहूसत) किसी चीज़ में होती तो घोड़े, घर और औरत में होती।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَىْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ " .

(5810) हज़रत सह्ल बिन सअ़द (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर होती तो औ़रत, घोड़े और घर में होती, यानी नहूसत।'

(सहीह बुख़ारी : 5095, 2859, इब्ने माजह : 1994)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ، سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ " . يَعْنِي الشُّؤْمَ .

(5811) इमाम साहब के एक और उस्ताद यही रिवायत सुनाते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(5812) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर (नहूसत) किसी चीज़ में होती तो घर, ख़ादिम और घोड़े में होती।'

(नसाई : 2216)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ، جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ " .

फ़ायदा : घर, औ़रत और घोड़े की तरह नौकर से भी मुसलसल और लम्बी मुद्दत तक वास्ता पड़ता है और वो अगर उनकी तबीअ़त और मिज़ाज को न समझता हो या काम-काज में दिलचस्पी न रखता हो या बद दयानत हो तो वो भी इंसान के लिये इन्तिहाई दुख और रंज व अलम का बाइ़स बनता है और जब तक इन चीज़ों से जान नहीं छूटती, इंसान मुसीबत में गिरफ़्तार रहता है।

बाब 35 : कहानत और काहिन के पास आना-जाना नाजाइज़ है

باب تَحْرِيمِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ

(5813) हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! बहुत से काम हैं जो हम जाहिलिय्यत के दौर में किया करते थे, हम काहिनों के पास जाते थे। आपने फ़रमाया, 'सो काहिनों के पास मत जाओ।' मैंने कहा, हम बद शगूनी लेते थे? आपने फ़रमाया, 'ये एक ऐसी चीज़ है, जिसका तुम्हारे किसी के दिल में वस्वसा पैदा होता है तो वो तुम्हें, तुम्हारे काम से हर्गिज़ न रोके।'

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ ‏"‏

फ़ायदा : अरब में कहानत की तीन सूरतें थीं (1) किसी इंसान का कोई जिन्न दोस्त होता, जो आसमानी ख़बरें सुनकर आता और अपने इंसान दोस्त को उनसे आगाह करता। (2) जिन्न ज़मीन के आस-पास, दूर और नज़दीक घूम-फिरकर कुछ बातें मालूम करते और उनसे अपने इंसानी दोस्त को आगाह कर देते, लेकिन वो उनमें सच और झूठ की मिलावट करते, इसलिये उनको तस्लीम नहीं किया जा सकता था, इसलिये आपने उनकी तस्दीक़ से मना फ़रमा दिया। (3) नजूमी, कुछ लोगों में अल्लाह तआला ये कुव्वत पैदा कर देता है, वो अपने तजुर्बात और कुछ क़राइन से कुछ पेशीनगोइयाँ करते हैं और कुछ ज़ाहिरी अस्बाब से भी फ़ायदा उठाते हैं, उनको अर्राफ़ का नाम दिया जाता है और इन सब सूरतों को कहानत कहा जाता है। लेकिन मुस्तक़बिल के हालात बताने में भी ये लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, इसलिये आपने उनकी तस्दीक़ करने और उन बातों पर अमल पैरा होने और उनके पास जाने से मना फ़रमा दिया।

आपने बद फ़ाल को एक ख़्याली और तसव्वुराती चीज़ क़रार देकर उस पर अमल करने से मना फ़रमाया।

(5814) इमाम मुस्लिम अपने अलग-अलग उस्तादों की चार सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, उनमें इमाम मालिक की रिवायत में,

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ،

ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطِّيَرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ .

बुरी फ़ाल का ज़िक्र है, लेकिन कहानत का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ " كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ " .

(5815) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, यहया बिन अबी कसीर की रिवायत में है कि हज़रत मुआविया बिन हकम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने कहा, हममें से कुछ लोग लकीरें खींचते हैं? आपने फ़रमाया, 'अम्बिया में से एक नबी लकीरें खींचते थे तो जो उनके तरीक़े के मुताबिक़ लकीरें खींचेगा वो ठीक होगा।'

फ़ायदा : रेत पर लकीरें खींच कर तख़्मीन व तजुर्बाती बातों के ज़रिये हालात मालूम करने की कोशिश की जाती है, जिनकी कोई हक़ीक़त नहीं होती। हज़रत दानियाल या हज़रत इदरीस को ये इल्म

मोजिज़ाती तौर पर मिला था और किसी और के लिये ये मुम्किन नहीं है, इसलिये उनकी मुवाफ़िक़त का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह आपने एक नामुम्किन चीज़ से तश्बीह देकर उसकी हुरमत की तरफ़ इशारा फ़रमाया। इसी को इल्मे रमल का नाम दिया जाता है, क्योंकि लकीरें रेत में खींचते हैं, कुछ हज़रात का ख़्याल है ये इल्म मोजिज़ाती तौर पर छः अम्बिया को दिया गया था।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى، بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّىْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ " تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ " .

(5816) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! काहिन हमें कुछ बातें बताते थे तो हम उनको दुरुस्त पाते थे? आपने फ़रमाया, 'वो सच्चा बोल, जिन्न (फ़रिश्तों से) उचक लेता था और वो उसे अपने (काहिन) दोस्त के कान में डाल देता और वो उसमें सौ झूठ मिला देता।'

(सहीह बुख़ारी : 5762, 6213, 7561)

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسُوا بِشَىْءٍ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّىْءَ يَكُونُ حَقًّا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ "

(5817) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से काहिनों के बारे में सवाल किया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उनकी कोई हैसियत नहीं है।' लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो कई बार सच बात बयान करते हैं? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये जिन्न से हासिल किया गया बोल होता है, जिन्न उसे उचक लेता है और उसे अपने दोस्त के कान में डाल देता है, जिस तरह मुर्ग़, क़रक़र करके मुर्गियों को दावत देता है और वो उसमें सौ से ज़्यादा झूठ मिला देते हैं।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، .

(5818) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से सुनाते हैं।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَقَالَ، عَبْدٌ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ

(5819) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे नबी(ﷺ) के एक अन्सारी सहाबी ने बतलाया, इस दौरान में कि वो एक रात रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ बैठे हुए थे, एक सितारा फेंका गया और उसकी रोशनी फैल गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनसे पूछा, 'जाहिलिय्यत के दौर में इस तरह तारा टूटता तो तुम क्या कहते थे?' उन्होंने जवाब दिया, असल हक़ीक़त अल्लाह और उसके रसूल को ख़ूब मालूम है, हम समझते थे, आज रात कोई अ़ज़ीम आदमी पैदा हुआ है और एक अ़ज़ीम आदमी फ़ौत हुआ है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वाक़िया ये है, उसे किसी की मौत या किसी की ज़िन्दगी के लिये नहीं फेंका जाता, यानी किसी की मौत व हयात पर सितारा नहीं टूटता, लेकिन हमारा बरकत वाला रब जिसका नाम बुलंद व बाला है, जब किसी काम का फ़ैसला फ़रमाता है तो अ़र्श के उठाने वाले फ़रिश्ते सुब्हानअल्लाह कहते हैं, फिर उनके क़रीबी आसमान वाले तस्बीह पढ़ते हैं, यहाँ तक कि ये तस्बीह उस क़रीबी आसमान वालों तक पहुँच जाती है, फिर हामिलीने अ़र्श से क़रीब वाले फ़रिश्ते

هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ - قَالَ - فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ "

उन हामिलीने अर्श से पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया है? तो वो उन्हें जो उसने फ़रमाया होता है, उससे आगाह करते हैं। तो आसमान वाले एक दूसरे से पूछते हैं, यहाँ तक कि ख़बर उस क़रीबी आसमान तक पहुँच जाती है तो जिन्न चोरी-छिपे बात उचकते हैं और उसे अपने दोस्तों की तरफ़ फेंकते हैं और उन्हें सितारे पड़ते हैं तो जो वो सहीह सूरत में बताते हैं, वो हक़ होती है, लेकिन वो उसमें मिलावट करते हैं और इज़ाफ़ा करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 3224)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) रुमि-य बिनज्म : सितारा टूटता महसूस हुआ है, गोया सितारा मारा गया है। **(2) सब्बह : हमलतुल अर्श :** हामिलीने अर्श सरे तस्लीम ख़म करते हुए और अल्लाह के हुक्म व फ़ैसले को ऐबो-नुक़्स से मुबर्रा मानते हुए तस्बीह कहते हैं। **(3) युरमौ-न बिही :** अजरामे फ़लकिया या आसमानी कवाकिब के छोटे-छोटे हिस्से शिहाबे साक़िब हैं और उनसे फूटने वाली रोशनी, जो उनकी तेज़ रफ़्तारी और फ़िज़ाई माद्दे के टकराव से पैदा होती है। इससे शैतानों को मारा जाता है। **(4) यक़्रिफ़ून :** वो मिलावट या आमेज़िश करते हैं और अगर यर्क़ौन हो तो मानी होगा बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं, इस तरह इसमें अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा करते हैं, गोया यज़ीदून इसकी तफ़्सीर है।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ، شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ - كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ، قَالَ عَنْ عَبْدِ

(5820) इमाम साहब यही रिवायत अपने उस्तादों की तीन सनदों से बयान करते हैं, औज़ाई की रिवायत है, 'लेकिन वो उसमें मिलावट करते हैं और इज़ाफ़ा करते हैं।' यूनुस की हदीस़ है, 'लेकिन वो उसको बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं और इज़ाफ़ा करते हैं।' और यूनुस की हदीस़ में ये इज़ाफ़ा है, 'अल्लाह तआला फ़रमाता है, जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है, वो पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा? वो कहते हैं, जो

اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ " وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ " . وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ " وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ " . وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللَّهُ " حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ " . وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ " وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ " .

कहा ठीक कहा।' (सूरह सबा : 23) और मअ़क़िल की रिवायत में औज़ाई की तरह यक़्रिफ़ू-न फ़ीहि व यज़ीदून है। यूनुस की तरह यरक़ौन नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " .

(5821) हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) नबी(ﷺ) की बीवी बयान करती हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो अ़र्राफ़ के पास जाकर, उसे किसी चीज़ के बारे में पूछता है, उसकी चालीस दिन की नमाज़ क़ुबूल नहीं होगी।'

मुफ़रदातुल हदीस : अ़र्राफ़ : जो गुमशुदा या चोरी शुदा चीज़ की जगह बताता है या जो कुछ अस्बाब व मुक़द्दमात से कुछ बातों के जानने का दावा करता है, मुस्तक़बिल (भविष्य) के बारे में पेशीनगोई करता है।

फ़ायदा : अगर कोई इंसान अ़र्राफ़ और काहिन की बात की तस्दीक़ करता है, उस पर अ़मल करता है तो उसे चालीस दिन तक नमाज़ का अज्र व सवाब और उसके फ़ायदे व बरकात हासिल नहीं होंगे। अगरचे वो अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो जायेगा, इसलिये क़ुबूल से मुराद यहाँ नमाज़ का सहीह और दुरुस्त नहीं है बल्कि दर्ज-ए-क़ुबूलियत हासिल करना है।

बाब 36 : कोढ़ी वग़ैरह से इज्तिनाब बरतना

باب اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ".

(5822) हज़रत अम्र बिन शरीद (रज़ि.) अपने बाप से बयान करते हैं कि बनू सक़ीफ़ में एक कोढ़ी ज़दा आदमी था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी तरफ़ पैग़ाम भेजा, 'हमने तेरी बैअत ले ली है, लिहाज़ा वापस चले जाओ।'

(नसाई : 7/150)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि हिफ़ाज़ती तदबीरें इख़्तियार करना और संगीन बीमारियों से बचाव करना चाहिये और ज़ाहिरी अस्बाब को बिल्कुल नज़र अन्दाज़ नहीं करना चाहिये। अगरचे वो क़तई और यक़ीनी नहीं होते। इसलिये रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ुद एक कोढ़ी के साथ खाया और फ़रमाया, 'अल्लाह पर तवक्कल और ऐतमाद करके खाना खाओ।' और हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं , ये एक आज़ाद किया हुआ गुलाम था, जो मेरी पलेट में खाता था, मेरे प्याले में पीता था और मेरे बिस्तर पर सो जाता था या आपने कमज़ोर अक़ीदे वाले लोगों को ग़लत अक़ीदे से महफ़ूज़ रखने के लिये एहतियाती तौर पर कोढ़ी को दूर रखा।

बाब 37 : साँपों और दूसरे मूज़ी जानवरों को क़त्ल करना

باب قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

नोट : कुछ नुस्ख़ों में यहाँ से नई किताब की शुरूआत हो रही है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ .

(5823) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दो धारी वाले साँप को क़त्ल करने का हुक्म दिया, क्योंकि वो नज़र को ज़ाइल (ख़त्म) कर देता है और हमल गिरा देता है।

(5824) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें दुम कटे और दो धारी वाले का ज़िक्र है।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ الأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ज़ित्तुफ़्यतैन : तुफ़्यह खजूर के पत्तों को कहते हैं जो लम्बे और बारीक होते हैं और यहाँ मुराद साँप की पुश्त पर दो सफ़ेद धारियाँ हैं। **(2) यल्तमिसुल बसर :** वो नज़र और बसारत को तलाश करता है और इंसान की नज़र पर नज़र डाल कर, उसकी नज़र ज़ाइल (ख़त्म) कर देता है और कुछ नाज़िर नामी साँप, इंसान की आँखों पर नज़र डाल कर अल्लाह तआला की हिक्मत व मशिय्यत के तहत उसको हलाक कर देते हैं या अपनी समिय्यत और ज़हर के सबब हामिला का हमल साक़ित कर देते हैं। **(3) अल्अब्तर :** दुम बुरीदा या छोटी दुम वाला।

(5825) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप से नबी(ﷺ) की हदीस़ नक़ल करते हैं, 'साँपों को क़त्ल कर दो, (ख़ुसूसन) दो धारी वाले और दुम कटे को, क्योंकि ये दोनों हमल गिरा देते हैं और नज़र ज़ाइल कर देते हैं।' इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) जो साँप भी मिल जाता उसको क़त्ल कर देते, उन्हें हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुन्ज़िर (रज़ि.) या ज़ैद बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने देख लिया, जबकि वो एक साँप का पीछा कर रहे थे, तो कहा, घरेलू साँप को मारने से मना कर दिया गया है।

(सहीह बुख़ारी : 3310, 3311, 3313, अबू दाऊद : 5252, 5253, 5254, 5255)

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ " . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .

(5826) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म देते हुए सुना। आप फ़रमा रहे थे, 'साँपों और कुत्तों को क़त्ल कर

وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ يَقُولُ ‏"‏ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلاَبَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لاَ أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلاَّ قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا فَقَالَ مَهْلاً يَا عَبْدَ اللَّهِ ‏.‏ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ ‏.‏ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ ‏.‏

दो, दो धारी वाले और दुम बुरीदा को क़त्ल कर दो, क्योंकि ये बीनाई ख़त्म कर देते हैं और हमल गिरा देते हैं।' इमाम ज़ोहरी (रह.) कहते हैं, हमारे ख़याल में ये उनके ज़हर का असर है। असल हक़ीक़त अल्लाह जानता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, कुछ अरसा मैं हर उस साँप को क़त्ल कर देता रहा जिस पर मेरी नज़र पड़ जाती। एक दिन मैं एक साँप का पीछा कर रहा था कि इस दौरान मेरे पास ज़ैद बिन ख़त्ताब या अबू लुबाबा गुज़रे। मैं घरेलू साँप को भगा रहा था, तो उसने कहा, ठहरो ऐ अबू अब्दुल्लाह! मैंने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इनको क़त्ल करने का हुक्म दिया है। उसने कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घरेलू साँपों को क़त्ल करने से मना कर दिया है।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ، حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا، قَالَ حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالاَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ ‏"‏ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَقُلْ ‏"‏ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ ‏"‏ ‏.‏

(5827) यही रिवायत इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं, फ़र्क़ ये है सालेह कहते हैं, यहाँ तक कि मुझे अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुन्ज़िर और ज़ैद बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने देख लिया और दोनों ने कहा, वाक़िया ये है, आपने घरेलू साँपों को क़त्ल करने से मना कर दिया है और यूनुस की हदीस़ में है, 'साँपों को क़त्ल कर दो।' ये नहीं कहा, 'दो धारी वाले और दुम कटे को।'

(सहीह बुख़ारी : 3297, 3295)

(5828) नाफ़ेअ से रिवायत है कि अबू लुबाबा (रज़ि.) ने इब्ने उमर (रज़ि.) से बातचीत की कि उनके लिये अपने घर में दरवाज़ा खोल दें, इससे वो मस्जिद के क़रीब हो जायेंगे तो बच्चों ने वहाँ एक साँप की कनज या कैंचुली पाई, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, इसको तलाश करके क़त्ल कर दो। तो अबू लुबाबा (रज़ि.) ने कहा, उसे क़त्ल न करो क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन साँपों को क़त्ल करने से मना कर दिया है, जो घरों में रहते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ، لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ . فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : जिनान : जान्नुन की जमा है, सफ़ेद और बारीक या दुबला-पतला साँप।

(5829) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हर क़िस्म के साँप क़त्ल कर देते थे, यहाँ तक कि अबू लुबाबा अब्दुल मुन्ज़िर (रज़ि.) ने हमें हदीस़ सुनाई कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घरेलू साँपों को क़त्ल करने से मना कर दिया है, तो वो रुक गये।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ.

(5830) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि अबू लुबाबा (रज़ि.) ने इब्ने उमर (रज़ि.) को ख़बर दी कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (घरेलू) सफ़ेद बारीक साँपों को क़त्ल करने से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ .

(5831) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अबू लुबाबा ने उसे बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन साँपों को क़त्ल करने से मना फ़रमाया जो घरों में होते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ، اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ .

(5832) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू लुबाबा (रज़ि.) का घर क़ुबा में था, वो मदीना मुन्तक़िल हो गये। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) उनके साथ बैठे हुए उनकी खिड़की खोल रहे थे। अचानक उन्होंने घर में आबाद साँपों में से एक साँप देखा तो उन्होंने क़त्ल करना चाहा, इस पर हज़रत अबू लुबाबा (रज़ि.) ने कहा, वाक़िया ये है इन से यानी घरों में आबाद से मना कर दिया गया है और दुम बुरीदा और दो धारी वाले के क़त्ल करने का हुक्म दिया गया है और बताया गया, वही दोनों बीनाई ख़त्म कर देते हैं और औरतों की औलाद गिरा देते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّ، - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلاَدَ النِّسَاءِ

(5833) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, एक दिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अपनी गिरी दीवार के पास थे और उन्होंने साँप की चमक देखी तो कहा, इस साँप का पीछा करो और इसको क़त्ल कर दो। अबू लुबाबा (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है, आपने उन साँपों के क़त्ल करने से मना फ़रमाया, जो घरों में होते हैं, मगर दुम कटा

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ فَقَالَ اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

और दो धारी वाला। क्योंकि वो दोनों नज़र उचक लेते हैं और औरतों के पेट में जो हमल होता है, उसका तआक़ुब करते हैं, यानी उसको गिरा देते हैं।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ .

(5834) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू लुबाबा (रज़ि.) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पास से गुज़रे, जबकि वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के घर के पास वाक़ेअ महल के क़रीब एक साँप की घात में थे। जैसाकि लैस़ बिन सअद की हदीस़ है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ } وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا{ . فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ " اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا "

(5835) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द रज़ि.) बयान करते हैं, हम एक ग़ार में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे और सूरह मुर्सलात उतर चुकी थी और हम आप से बराहे रास्त ताज़ा-ताज़ा सीख रहे थे कि अचानक हमारे सामने एक साँप निकला तो आपने फ़रमाया, 'उसे क़त्ल कर दो।' सो हम उसके क़त्ल करने के लिये उसकी तरफ़ लपके तो वो हमसे निकल गया। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह ने उसको तुम्हारे शर से बचा लिया, जैसाकि तुम्हें उसके शर से बचा लिया।'

(सहीह बुख़ारी : 1830, 4934, 4931, नसाई : 5/209)

फ़ायदा : ये हालते एहराम का वाक़िया है कि आप अरफ़े की रात मिना में थे तो आपने हरम में और हालते एहराम में साँप को क़त्ल करने का हुक्म दिया लेकिन वो क़ाबू न आ सका। इस तरह क़त्ल होने से बच गया और उसने किसी को डसा भी न था, इस तरह दोनों फ़रीक़ एक-दूसरे को नुक़सान न पहुँचा सके।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ‏.‏

(5836) यही रिवायत इमाम साहब को उनके दो और उस्तादों ने सुनाई।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى ‏.‏

(5837) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक मुहरिम को मिना में साँप को क़त्ल करने का हुक्म दिया।

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ‏.‏

(5838) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ एक ग़ार में थे कि इसी दौरान में .... आगे ऊपर वाली हदीस़ है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، - وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ - أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي

(5839) हिशाम बिन ज़ुहरा के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम अबू साइब (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के पास उनके घर गया तो मैंने उन्हें नमाज़ पढ़ते पाया तो मैं उनके इन्तिज़ार में बैठ गया ताकि वो अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो जायें। सो मैंने घर के एक कोने में पड़ी खजूर की छड़ियों में हरकत सुनी। मैं मुतवज्जह हुआ तो वहाँ साँप

था। मैं उसको क़त्ल करने के लिये झपटा, तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया, सो मैं बैठ गया। जब उन्होंने सलाम फेरा तो उन्होंने घर में एक कमरे की तरफ़ इशारा किया या हवेली के एक घर की तरफ़ इशारा किया और कहा, क्या तुम ये घर देख रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ! उन्होंने कहा, इसमें नई-नई शादी वाला हमारा एक नौजवान था, हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ख़न्दक की तरफ़ चले गये। वो नौजवान दोपहर के वक़्त रसूलुल्लाह(ﷺ) से इजाज़त लेकर, अपनी बीवी के पास लौट आता। उसने एक दिन आपसे इजाज़त तलब की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'हथियार बन्द होकर जाओ, क्योंकि मुझे तेरे बारे में बनू कुरैज़ा से ख़तरा महसूस होता है।' उस आदमी ने अपना अस्लहा ले लिया, फिर वापस घर पहुँचा तो उसकी बीवी दरवाज़े के दोनों किवाड़ों के दरम्यान खड़ी थी तो उसने उसकी तरफ़, उसे मारने के लिये नेज़ा झुकाया, क्योंकि उसे ग़ैरत आ गई थी (कि ये बाहर क्यों खड़ी है) तो उसकी बीवी ने कहा, अपना नेज़ा रोको और घर में दाख़िल होकर देखो, मैं क्यों निकली हूँ। वो दाख़िल हुआ तो उसने एक बहुत बड़ा साँप बिस्तर पर कुण्डली मारे हुए पाया। उसने उसकी तरफ़ नेज़ा झुकाया और उसे उसमें पिरो लिया। फिर बाहर निकलकर उसे हवेली में गाड़ दिया। वो साँप उसकी तरफ़ लौटा तो पता न चल सका, उनमें से पहले कौन मरा, साँप या नौजवान? तो हम

فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَىَّ أَنِ اجْلِسْ ‏.‏ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ - قَالَ - فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي ‏.‏ فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको ये वाक़िया सुनाया और अ़र्ज़ किया, अल्लाह से दुआ़ कीजिये, अल्लाह उसको हमारी ख़ातिर ज़िन्दगी अ़ता फ़रमा दे। आपने फ़रमाया, 'अपने साथी के लिये बख़्शिश तलब करो।' फिर फ़रमाया, 'मदीना में कुछ जिन्न इस्लाम ला चुके हैं, इसलिये जब तुम उनमें से किसी को देखो तो उसे तीन दिन आगाह करो, अगर उसके बाद फिर तुम्हारे सामने आये तो उसे क़त्ल कर दो, क्योंकि वो शैतान है।'

مَوْتَا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا . فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .

(अबूदाऊद: 5256, 5257, 5259, तिर्मिज़ी : 1484)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, मदीना मुनव्वरा में कुछ जिन्न मुसलमान हो गये थे और उन्होंने मदीना के घरों में सकूनत (रिहाइश) इख़्तियार कर ली थी और वो कई बार साँप की शक्ल में नज़र आते थे। इसलिये सहाबा किराम को ये पता नहीं चल सकता था कि ये जिन्न है। तो आपने उन्हें घरेलू साँपों के मारने से मना फ़रमा दिया और ये हिदायत फ़रमाई कि उन्हें कहें, दो-तीन दिन के अंदर-अंदर यहाँ से चले जाओ और हमारे लिये अज़ियत व तकलीफ़ का बाइस़ न बनो। अगर उसके बाद फिर नज़र आयें तो उन्हें क़त्ल कर दो, इसलिये कुछ अइम्मा का ख़्याल है, इस आगाही और तम्बीह का ताल्लुक़ सिर्फ़ मदीना मुनव्वरा से है। लेकिन दूसरी अहादीस़ में बिला क़ैद घरेलू साँपों को क़त्ल करने से मना किया गया है। इसलिये ये हुक्म तमाम घरेलू साँपों का है, वो किसी इलाक़े के हों। कुछ उ़लमा ने इसका ये तरीक़ा नक़ल किया है कि मैं तुम्हें वो वादा याद दिलाता हूँ जो हज़रत सुलैमान बिन दाऊद (अलै.) ने लिया था कि तुम हमें तकलीफ़ न पहुँचाओ और हमारे सामने न आओ और इमाम मालिक (रह.) कहते हैं, ये कहना ही काफ़ी है कि मैं अल्लाह और आख़िरत के दिन के तवस्सुत से तुम पर तंगी करता हूँ, हमारे सामने न आना और हमें तकलीफ़ न पहुँचाना।

(5840) अबू साइब (रह.) बयान करते हैं कि हम हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के यहाँ गये। हम वहाँ बैठे हुए थे कि हमने उनकी चारपाई के नीचे हरकत सुनी, हमने देखा तो

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ -

वो साँप था। आगे ऊपर वाला वाक़िया और हदीस बयान की और ये भी बयान किया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इन घरों को आबाद करने वाले हैं तो जब तुम उनमें से किसी को देखो तो उसके लिये तीन दिन तंगी करो, यानी सिर्फ़ तीन दिन रहने का मौक़ा दो, अगर वो चला जाये तो ठीक है, वरना उसे क़त्ल कर दो, क्योंकि वो काफ़िर है।' और अन्सार को फ़रमाया, 'जाओ अपने साथी को दफ़न कर दो।'

وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ - قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ، سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍّ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاَثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلاَّ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ " . وَقَالَ لَهُمْ " اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ" .

(5841) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना में कुछ जिन्न हैं, जो मुसलमान हो चुके हैं तो जो इन घरों को आबाद करने वाले किसी जिन्न को देखे तो उसे तीन दिन तक इजाज़त दे, अगर उसके बाद सामने आये तो उसे क़त्ल कर दे, क्योंकि वो शैतान है।'

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

बाब 38 : गिरगिट को क़त्ल करना पसन्दीदा अमल है

باب اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

(5842) हज़रत उम्मे शरीक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उसे गिरगिट मारने का हुक्म दिया और इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है, आपने हुक्म दिया, मारने का लफ़्ज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بْنِ

شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَمَرَ .

(सहीह बुख़ारी : 3307, 3359, नसाई : 2885, इब्ने माजह : 3228)

मुफ़रदातुल हदीस़ : औज़ाग़ : वज़ग़ह् की जमा है, ये साम अबरस (छिपकली) की जिन्स से है और बक़ौल अ़ल्लामा दिम्यरी, साँप की तरह अण्डे देता है और सर्दी के चार माह अपने बिल में रहता है, कुछ खाता-पीता नहीं है। ये इन्तिहाई मूज़ी (तकलीफ़ देह) जानदार है, इसलिये आपने इसको क़त्ल करने का हुक्म दिया है। यहाँ गिरगिट से मुराद छिपकली है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا . وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ . اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ .

(5843) हज़रत उम्मे शरीक (रज़ि.) बयान करती हैं कि उसने नबी(ﷺ) से गिरगिट मारने के बारे में पूछा तो आपने उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। उम्मे शरीक (रज़ि.) बनू आ़मिर बिन लुअय की औ़रतों में से एक हैं।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .

(5844) हज़रत आ़मिर बिन रबीआ़ (रह.) अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने गिरगिट को क़त्ल करने का हुक्म दिया और उसको फ़ुवैसिक़ (छोटा फ़ासिक़) का नाम दिया। (अबू दाऊद : 5262)

फ़ायदा : फ़िस्क़ का मानी निकलना है और ये मूज़ी और नुक़सानदेह होने के सबब दूसरे जानदारों की तबीअत व मिज़ाज से बाहर है, इसलिये आपने हरम में क़त्ल करने की इजाज़त मिलने वाले जानदारों को फ़ासिक़ का नाम दिया है।

(5845) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने गिरगिट को फ़ुवैसिक़ कहा और हर्मला की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, मैंने आपसे इसके क़त्ल का हुक्म नहीं सुना।

(सहीह बुख़ारी : 3306, नसाई : 2886, इब्ने माजह : 3230)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ " الْفُوَيْسِقُ " . زَادَ حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ .

(5846) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने गिरगिट पहली चोट से मार डाला, उसको इतनी-इतनी नेकियाँ मिलेंगी और जिसने इसको दूसरी चोट से मारा तो उसको इतनी-इतनी नेकियाँ मिलेंगी, पहले से कम और जिसने इसको तीसरी चोट से मारा तो उसको इतनी-इतनी नेकियाँ मिलेंगी, दूसरी से कम।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ " .

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने पहली वार पर मारने की सूरत में ज़्यादा सवाब मिलने की बशारत दी है, ताकि उसको पूरे एहतिमाम और तवज्जह से निशाना लेकर मारा जाये और वो भाग न सके, नीज़ उसको अज़ियत व तकलीफ़ भी ज़्यादा न हो, अगर दूसरी या तीसरी चोट से मारेगा तो भागने का इम्कान रहा और तकलीफ़ भी ज़्यादा हुई। सबसे बढ़कर ये कि निशाना बेहतर करने की मश्क़ होगी।

(5847) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनदों से यही रिवायत बयान करते हैं, सिर्फ़ जरीर की रिवायत में ये है, 'जिसने गिरगिट को पहली मार से मारा, उसके लिये

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إِلاَّ جَرِيرًا وَحْدَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ " مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ "

सौ नेकियाँ लिखी जायेंगी और दूसरी में उससे कम और तीसरी में उससे भी कम।'

(अबू दाऊद : 5263, 5264)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سُهَيْلٍ، حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً

(5848) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'पहली मार की सूरत में सत्तर नेकियाँ मिलेंगी।'

फ़ायदा : सत्तर का लफ़्ज़ तकसीर (ज़्यादा बोलने) के लिये है, तअयीन के लिये नहीं है, इसलिये कुछ रावियों ने इसको सौ से ताबीर किया और कुछ ने सत्तर से।

باب النَّهْىِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

बाब 39 : चींटी को मारने की मुमानिअत

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ " .

(5849) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) से बयान करते हैं, 'एक चींटी ने अम्बिया में से किसी नबी को काट लिया तो उसके हुक्म से चींटियों का सारा घर (बिल) जला दिया गया तो अल्लाह ने उसकी तरफ़ वह्य की, क्या इस बिना पर कि तुझे एक चींटी ने काट लिया तुमने एक तस्बीह करने वाला गिरोह जला दिया?'

(सहीह बुख़ारी : 3019, अबू दाऊद : 5266, नसाई : 7/211, इब्ने माजह : 3225)

(5850) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक दरख़्त के नीचे अम्बिया में से कोई नबी उतरा तो उसे एक चींटी ने काट लिया, सो उसने अपने सामान को उसके नीचे से निकाल लेने का हुक्म दिया। फिर उसको जलाने का हुक्म दिया, तो उसे जला दिया गया। इस पर अल्लाह ने उसकी तरफ़ वह्य की, एक ही चींटी को सज़ा क्यों नहीं दी?'

(अबू दाऊद : 5265)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً " .

फ़ायदा : ये नबी हज़रत उज़ैर या हज़रत मूसा (अलै.) थे, उनकी शरीअत की रू से जानदार को जलाना जाइज़ होगा, इसलिये जलाने पर ऐतराज़ नहीं हुआ, ऐतराज़ इस पर हुआ कि काटा तो एक चींटी ने था, बाक़ी चींटियों को क्यों जलाया गया, चींटी का घर सामान के नीचे होगा, इसलिये कुछ चीटियाँ सामान पर फिर-घूम रही होंगी, इसलिये अपने सामान की हिफ़ाज़त की, उसको अलग किया, फिर उनका घर जलाया।

(5851) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हम्माम बिन मुनब्बिह (रह.) को सुनाई हुई हदीसों में से एक ये है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अम्बिया में से एक नबी ने एक दरख़्त के नीचे पड़ाव किया तो उसे एक चींटी ने काट लिया तो उन्होंने अपने सामान को उसके नीचे से निकालने का हुक्म दिया और उसके बारे में हुक्म दिया, तो उसे आग में जला दिया गया, सो अल्लाह ने उसकी तरफ़ वह्य की, एक ही चींटी को क्यों क़त्ल न करवाया।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ - قَالَ - فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً".

फ़ायदा : सुनन अबी दाऊद में एक रिवायत है कि आपने शहद की मक्खी, चींटी, हुदहुद और सराद (लटोया) जिसका सर मोटा, पेट सफ़ेद और पुश्त सब्ज़ होती है, छोटे परिन्दों का शिकार करता है, को मारने से मना फ़रमाया।

बाब 40 : बिल्ली को मारना नाजाइज़ है

باب تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ " .

(5852) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक औरत को बिल्ली के सबब अज़ाब मिला। उसने उसको क़ैद रखा, यहाँ तक कि वो मर गई। तो वो उसके सबब आग में दाख़िल हुई, न उसने उसे खिलाया और न उसे पिलाया, जबकि उसको रोके रखा और न उसे छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े-मकोड़े खा ले।'

(सहीह बुख़ारी : 3482)

وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

(5853) यही रिवायत इमाम साहब हज़रत इब्ने उमर और हज़रत सईद मक़बरी के वास्ते से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 3318)

وَحَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ .

(5854) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ "

(5855) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक औरत एक बिल्ली के सबब अज़ाब दी गई, न उसने उसे खिलाया और न उसे पिलाया और न उसे छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े-मकोड़े खा ले।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ، بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا " رَبَطَتْهَا " . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ " حَشَرَاتِ الأَرْضِ " .

(5856) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनदों से बयान करते हैं, 'उसे बांधे रखा।' और अबू मुआविया की रिवायत में ख़शाश की जगह हशरात का लफ़्ज़ है, मानी एक है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, किसी जानदार को बांधकर खाने-पीने से महरूम रखना जाइज़ नहीं है, अगर बांधा है तो उसके खाने-पीने का इन्तिज़ाम करना चाहिये ताकि वो भूखा-प्यासा न मर जाये। इमाम नववी (रह.) ने जो मुत्लक़न बिल्ली को मारने की हुरमत का बाब बांधा है वो इस हदीस़ से स़ाबित नहीं होता। अगर वो मूज़ी है तो मार सकता है बशर्तेकि ज़ुल्म न करे और भूखी-प्यासी रखकर न मारे।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

(5857) इमाम साहब यही रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

(5858) यही रिवायत इमाम साहब अपने उस्ताद की एक और सनद से बयान करते हैं।

باب فَضْلِ سَاقِي الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

बाब 41 : जानवरों को खिलाने-पिलाने वाले की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

(5859) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक आदमी रास्ते पर चल रहा था, इस दौरान उसे शदीद प्यास लगी, उसने एक कुँआँ पाया

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي . فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " .

तो उसमें उतर कर पानी पी लिया। फिर निकला तो एक कुत्ता देखा जो हांप रहा है और प्यास की वजह से नमदार (भीगी) ज़मीन चाट रहा है, उस आदमी ने दिल में कहा, इस कुत्ते को भी प्यास की वजह से वही कोफ़्त (तक्लीफ़) पहुँची है, जो मुझे लाहिक़ हुई थी। सो वो कुँऐं में उतरा और अपने मोज़े में पानी भरा। फिर उसे अपने मुँह से पकड़कर ऊपर चढ़ आया और कुत्ते को पिलाया (अल्लाह ने उसके अमल की क़द्र दानी की और उसे बख़्श दिया) सहाबा किराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमें इन चौपायों के सबब अज्र मिलेगा? आपने फ़रमाया, 'हर तर जिगर वाले यानी ज़िन्दा में अज्र है।'

(सहीह बुख़ारी : 2363, 2466, 6009, अबू दाऊद : 2550)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि हर ज़िन्दा के साथ हमदर्दी और ख़ैरख़्वाही करना और उसकी तबई ज़रूरियात को पूरा करना अज्र व सवाब का बाइस़ है। बशर्तेकि वो जानवर मूज़ी (अज़ियत देने वाला) और नुक़सान पहुँचाने वाला न हो।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا " .

(5860) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) से रिवायत करते हैं, 'एक ज़ानिया औरत ने एक गर्म दिन एक कुत्ता कुँऐं के पास चक्कर लगाते देखा, प्यास के सबब उसने अपनी ज़बान निकाली हुई थी तो उसने उसके लिये अपने मोज़े से पानी निकाला, सो उसे बख़्श दिया गया।'

(5861) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक कुत्ता एक कच्चे कुँऐं के पास चक्कर लगा रहा था, क़रीब था प्यास उसे मार डाले कि अचानक उसे बनी इस्राईल की एक फ़ाहिशा औरत ने देख लिया तो उसने अपना मोज़ा उतारा, उसके ज़रिये उसके लिये पानी निकाला और उसे पिला दिया। इस नेकी के सबब उसे माफ़ कर दिया गया।'

(सहीह बुख़ारी : 3467)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि कई बार एक मामूली सी नेकी जो इख़्लास और हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही के जज़्बे से की जाती है इंसान की काया पलट देती है और वो ग़लतकारी को छोड़कर नेकोकारी का रास्ता इख़्तियार कर लेता है, जिससे उसकी आख़िरत संवर जाती है और पिछले गुनाह धुल जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है कि कौनसा अ़मल कब काया पलट बनता है या नहीं बनता, इसलिये इस क़िस्म की हदीस़ों से गुनाह की जसारत और जुरअत पर इस्तिदलाल करना और गुनाहों को हक़ीर या मामूली ख़्याल करना सहीह सोच नहीं है।

इस किताब के कुल बाब 05 और 23 हदीसें हैं।

كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها

किताबुल अल्फ़ाज़ि मिनल अदबि वग़ैरिहा

अदब वग़ैरह से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अल्फ़ाज़

हदीस नम्बर 5884 से 5962 तक

अदब से अल्फ़ाज़ का ताल्लुक़

पिछले बाबों में ज़िन्दगी के तमाम मरहलों के हवाले से वसीअतर मानी में आदाब पर अहादीसे मुबारका से रहनुमाई पेश की गई है। इसकी शुरूआत दुनिया में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम रखने के आदाब से हुआ, फिर परवरिशगाह, यानी घरों की ख़लवत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ (बचाव) के आदाब बयान हुए, फिर इंसानी सलामती को यक़ीनी बनाने, उठने-बैठने, चलने-फिरने, घरेलू ज़िन्दगी, इयादत और तीमारदारी, इंसानी सलामती के लिये ख़तरनाक जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ के तौर-तरीक़ों और आदाब का ज़िक्र हुआ। उसके बाद बाबों पर मुश्तमिल किताब में हुस्ने ज़ौक़ के साथ अल्फ़ाज़ के सहीह और ख़ूबसूरत इस्तेमाल के अदब पर रोशनी डाली गई है।

अदब का लफ़्ज़ जब लिटेचर के मानी में इस्तेमाल किया जाये तो वहाँ शाइस्तगी और हुस्ने ज़ोक़ के साथ अल्फ़ाज़ के ख़ूबसूरत और सहीह इस्तेमाल से इब्लाग़ को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। इस किताब में इसी पर रोशनी डाली गई है।

जो शख़्स अपनी तबीअत बिगड़ जाने की ताबीर 'ख़बुसत नफ़्सी' (मेरे मिज़ाज में ख़ुबुस पैदा हो गया है) के अल्फ़ाज़ से कर रहा है, वो नफ़्से इंसानी की तरफ़, जिसे अल्लाह ने तकरीम दी है, तौहीन आमेज़ बात की निस्बत कर रहा है। जो ये बावर करते हुए कि उसकी ज़िन्दगी की मुश्किलात उसके अपने फ़िक्र व अमल की बिना पर नहीं, एक और क़ुव्वत की बिना पर पैदा हो रही है, उस क़ुव्वत को दहरिया ज़माने का नाम देकर उसको बुरा-भला कह रहा है, वो दरअसल उस हक़ीक़ी क़ुव्वत को बुरा-भला कह रहा है जिसके हुक्म पर ज़िन्दगी का सारा निज़ाम (सिस्टम) चल रहा है।

ये बात भी मल्हूज़ रहनी चाहिये कि सियाक़ व सबाक़ और मानी की मतलूबा जहत के बदलने से अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल मुनासिब या नामुनासिब क़रार पाता है, जैसे अगर कोई इंसान कुफ़्र, सरकशी और ज़ुल्मो-सितम में हद से गुज़र गया है तो वो हक़ीक़त में अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त व तकरीम को खोकर ख़बुसतिन्नफ़्स का शिकार हो गया है। ऐसे आदमी के बारे में ये तरकीब इस्तेमाल करना ग़ैर मुनासिब नहीं होगा।

रब्ब और अब्द के अल्फ़ाज़ कई मानी में इस्तेमाल हुए हैं। हक़ीक़ी तौर पर रब्ब सिर्फ़ अल्लाह ही है और हर इंसान सिर्फ़ उसी का अब्द है, लेकिन अरबी ज़बान में अब्द का लफ़्ज़ किसी इंसान के मम्लूका ग़ुलाम और रब का लफ़्ज़ उसके आक़ा के लिये भी इस्तेमाल होता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आम हालात में ग़ुलाम और उसके मालिक के लिये मुनासिब तरीन मुतबादिल अल्फ़ाज़ की तरफ़ रहनुमाई की है, लेकिन सूरह यूसुफ़ में ग़ुलाम के सामने उसके बादशाह के लिये रब्ब का लफ़्ज़ इस्तेमाल

करना ज़रूरी था क्योंकि वो बादशाह के लिये, जो उसका आक़ा भी था, इसके अलावा कोई दूसरा लफ़्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करता था। वो इसके बजाये किसी दूसरे लफ़्ज़ के ज़रिये से ये बात समझ ही नहीं सकता था कि उसके सामने बादशाह का ज़िक्र किया जा रहा है। मुतबादिल अल्फ़ाज़ उस माहौल में दूसरों के लिये इस्तेमाल होते थे और बादशाह के लिये जो दूसरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते थे उनका मफ़्हूम इस लफ़्ज़ की निस्बत भी ज़्यादा क़ाबिले ऐतराज़ था।

आख़िर में अल्फ़ाज़ के ख़ूबसूरत इस्तेमाल की तरह ख़ुश्बू इस्तेमाल करने, उसका तोहफ़ा पेश करने और क़ुबूल करने की बात की गई है कि इससे भी ख़ुद को और दूसरे इंसानों को फ़रहत व मसर्रत नसीब होती है।

كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها

41. अदब वग़ैरह से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अल्फ़ाज़

باب النَّهْىِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

बाब 1 : दहर (ज़माने) को बुरा-भला कहने की मुमानिअ़त

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ " .

(5862) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल (इ़ज़्ज़त व जलालत वाला) फ़रमाता है, इब्ने आदम ज़माने को बुरा कहता है और ज़माने (का मुन्तज़िम और मुदब्बिर) मैं हूँ, रात-दिन को गर्दिश मैं देता हूँ।'
(सहीह बुख़ारी : 6181)

फ़ायदा : जाहिलिय्यत के दौर में अ़रबों का ये अ़क़ीदा था कि मौत व ज़िन्दगी और तबाही व बर्बादी का बाइस़ दिन-रात की गर्दिश है। इसलिये जब वो मुसीबतों-तकलीफ़ों, मौत व नाकामी, तबाही व बर्बादी, बीमारी और बुढ़ापा वग़ैरह से दोचार होते, तो वो ज़माने को बुरा-भला कहते थे, हालांकि उन मुसीबतों, हादस़ों में ज़माने का कोई दख़ल नहीं है। इस तरह ये बुरा-भला कहना, दर हक़ीक़त इन चीज़ों के ख़ालिक़ को बुरा-भला कहना है। क्योंकि वही इन चीज़ों को पैदा करने वाला है, इसलिये अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'ज़माने को बुरा-भला कहना मुझे बुरा-भला कहना है, क्योंकि ये काम मैंने किये हैं।'

(5863) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह इज़्ज़त व जलालत का मालिक फ़रमाता है, इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है, ज़माने को बुरा-भला कहता है, ज़माने (का मुदब्बिर, चलाने वाला) मैं हूँ, रात-दिन को गर्दिश मैं देता हूँ।'
(सहीह बुख़ारी : 4826, 7491, अबू दाऊद : 5274)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ " .

फ़ायदा : इंसानी मुहावरे की रू से किसी को बुरा-भला कहना उसके लिये अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस बनता है, इंसानी जज़्बात व कैफ़ियात के लिहाज़ से ज़माने को बुरा-भला कहना, गोया अल्लाह को अज़ियत पहुँचाने की लाहासिल कोशिश करना है और अपने आपको अल्लाह की पकड़ और मुवाख़िज़े का मौरिद और महल बनाना है। ज़माने में जो इन्क़लाबात और तग़य्युरात आते हैं वो अल्लाह तआला के पैदा किये हुए हैं।

(5864) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बताया, 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है, इब्ने आदम मुझे अज़ियत पहुँचाता है, यूँ कहता है, हाय ज़माने की नाकामी व नामुरादी। इसलिये तुममें से कोई न कहे, ऐ ज़माने की नाकामी! क्योंकि ज़माने का इन्तिज़ाम करने वाला मैं हूँ, उसके रात और दिन को गर्दिश देता हूँ और जब चाहूँगा दोनों को क़ब्ज़ कर लूँगा।'

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ، الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ . فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ . فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا " .

(5865) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई ये न कहे, हाय ज़माने की नामुरादी, क्योंकि ज़माने को चलाने वाला अल्लाह है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ . فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ " .

(5866) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ज़माने को बुरा-भला मत कहो, क्योंकि ज़माने को गर्दिश देने वाला अल्लाह ही है।'

باب كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

बाब 2 : अंगूर को कर्म का नाम देना नापसन्दीदा है

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ، سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ . فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .

(5867) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई ज़माने को बुरा-भला न कहे, क्योंकि अल्लाह ही ज़माने को गर्दिश देता है और न तुममें से कोई अंगूर को कर्म कहे, क्योंकि मुजस्सम-ए-कर्म तो मुसलमान आदमी है।'

फ़ायदा : कर्म का मानी जूदो-सख़ा और अख़्लाक़े करीमाना का इज़हार है। जाहिलिय्यत के दौर में लोग शराब पी कर जूदो-सख़ा और फ़य्याज़ी का इज़हार करते थे, इसलिये अंगूर जिससे शराब बनती थी, को वो कर्म का नाम देते थे, लेकिन अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त व तकरीम का हक़दार मुसलमान इंसान है। जिसके दिल में ईमान व तक़वा मौजिज़न (भरपूर) है। इसलिये अंगूर, जो एक हराम चीज़, शराब को याद दिलाता है, उसको कर्म का नाम देना मुनासिब नहीं है।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُولُوا كَرْمٌ . فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ " .

(5868) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अंगूर को कर्म का नाम न दो, क्योंकि कर्म मुसलमान आदमी का दिल है।'

(सहीह बुख़ारी : 6183)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .

(5869) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अंगूर को कर्म का नाम न दो क्योंकि कर्म मुसलमान आदमी है।'

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَرْمَ . فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ " .

(5870) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई (अंगूर को) कर्म न कहे, क्योंकि कर्म (मुजस्सम-ए-इज़्ज़त व शराफ़त) तो मोमिन का दिल है।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ . إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .

(5871) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने हम्माम बिन मुनब्बिह (रह.) को बहुत सी अहादीस़ सुनाईं, उनमें से एक ये है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई हर्गिज़ अंगूर को कर्म न कहे, कर्म तो बस मुसलमान आदमी है।'

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ، بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ . وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبَلَةُ " . يَعْنِي الْعِنَبَ .

(5872) अल्क़मा बिन वाइल (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कर्म न कहो, लेकिन अंगूर को हबलह कहो।'

नोट : हबलह अंगूर की बेल, दरख़्त की जड़ या टहनी और कीकर तकों को कहते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ . وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ " .

(5873) हज़रत अल्क़मा बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कर्म न कहो, लेकिन इनब और हबलह् कहो।'

باب حُكْمِ إِطْلاَقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ

बाब 3 : अब्द और अमत मौला और सय्यिद का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने का हुक्म

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي . كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلاَمِي وَجَارِيَتِي وَفَتَاىَ وَفَتَاتِي " .

(5874) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई ये न कहे, मेरा बन्दा, मेरी बान्दी, तुम सब अल्लाह के बन्दे हो और तुम्हारी सारी औरतें अल्लाह की बन्दियाँ हैं, लेकिन ये कहो, मेरा ग़ुलाम, मेरी लौण्डी, मेरा नौकर, मेरी ख़ादिमा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : अबीदुन : अब्द की जमा है, बन्दा। **इमाअ् :** अमतुन की जमा है, बान्दी।

फ़ायदा : हदीस़ का मक़सद इंसान को किब्र व नुख़ुव्वत और तकब्बुर व बड़ाई के ग़र्रे में मुब्तला होने से बचाना है और उसके अंदर ख़ाकसारी तवाज़ोअ, फ़रौतनी, इज्ज़ व नियाज़ पैदा करना है। इसलिये ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने से रोका गया है, जो इंसान के अंदर एहसासे तफ़व्वुक़ और बरतरी पैदा कर सकते हैं, जिनके नतीजे में उसके अंदर नुख़ुव्वत और घमण्ड या ख़ुद पसन्दी का जज़्बा उभर सकता है, इसलिये इंसान को ख़ुद अपने ग़ुलाम और लौण्डी को मेरा ग़ुलाम, मेरी लौण्डी नहीं कहना चाहिये। हाँ ख़ुद ग़ुलाम और लौण्डी ये कह सकते हैं, अना अब्दु-क, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। अना अमतु-क मैं तेरी बान्दी हूँ और दूसरे कह सकते हैं अब्दु-क अमतु-क तेरा ग़ुलाम, तेरी लौण्डी।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي . فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَاىَ . وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي . وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي " .

(5875) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई ये न कहे, अब्दी, मेरा बन्दा। क्योंकि सब अल्लाह के अब्द (बन्दे) हो। लेकिन यूँ कहे, फ़ता-य मेरा ख़ादिम और ग़ुलाम न कहे, रब्बी मेरा आक़ा। लेकिन यूँ कहे, सय्यिदी मेरा सरदार।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا " وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلاَىَ " . وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ " فَإِنَّ مَوْلاَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

(5876) यही हदीस इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की दो सनदों से बयान करते हैं और इसमें ये इज़ाफ़ा है, 'ग़ुलाम अपने सय्यिद को मौला-य मेरा मौला न कहे।' और अबू मुआविया की हदीस में ये इज़ाफ़ा है, 'क्योंकि तुम्हारा मौला (कारसाज़) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है।'

फ़ायदा : रब्ब का मानी परवरदिगार है या मुदब्बिर व मुन्तज़िम है। जो हक़ीक़ी तौर पर अल्लाह तआला की सिफ़त है। इसलिये इसका बिला इज़ाफ़त इस्तेमाल अल्लाह के लिये मख़्सूस है। लेकिन इज़ाफ़त के साथ इस्तेमाल दूसरों के लिये भी जाइज़ है। जैसे रब्बुद्दार (घर का मालिक), रब्बुल माल (माल का मालिक), रब्बुस्सौब (कपड़े का मालिक) रब्बु-क (तेरा मालिक) रब्बुहू (उसका मालिक) इसलिये ग़ुलाम को अपने आक़ा और मालिक को जो रब्बी कहने से मना किया गया है तो उसका मक़सद सिर्फ़ ये है कि आक़ा के अंदर एहसासे बरतरी पैदा न हो और ग़ुलाम के अंदर एहसासे कमतरी पैदा न हो। इसलिये दूसरे ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे हु-व रब्बु-क (वो तेरा आक़ा/मालिक है) हु-व रब्बुहू वो उसका आक़ा/मालिक है। इसी तरह मौला के बहुत सारे मानी हैं, उनमें से एक कारसाज़ भी है। इसका शायबा पैदा होता है, फिर इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। लेकिन रफ़ीक़, हमदर्द, मुआविन, मददगार वग़ैरह के मफ़्हूम के ऐतबार से ये जाइज़ है। इसलिये दूसरी हदीस जो आगे आ रही है उसमें है इंसान ख़ुद न कहे, अपने रब को पानी पिला या खाना खिलाओ या मेरा रब। लेकिन यूँ कहे, सय्यिदी, मौला-य तो यहाँ मौला कहने की इजाज़त दी है और क़ुरआन मजीद में है, 'हु-व कल्लुन अला मौलाहु' वो अपने मौला (मालिक) पर बोझ है। और फ़रमाया, 'इन्नल्ला-ह हु-व मौलाहु बिला शुब्हा उसका कारसाज़ अल्लाह है, जिब्रईल और नेक मोमिन उसके मौला

मददगार और मुआविन व हमदर्द हैं।' यही हाल सय्यिद के लफ़्ज़ का है, आम रिवायात में इसके इस्तेमाल को सहीह और दुरुस्त क़रार दिया गया है। लेकिन जहाँ ख़ुद पसन्दी का बाइस़ बनता हो, वहाँ रोका है। जैसाकि अल्अदबुल मुफ़रद और सुनन अबी दाऊद में एक रिवायत में है कि बनू आमिर के एक वफ़द ने आपको कहा, अन्त सय्यिदुना तो आपने फ़रमाया, लसय्यिदुल्लाहि तबारक व तआला सियादत (सरदारी) का असल मालिक तो अल्लाह ही है। हालांकि आपने ख़ुद ही कई सहाबा को सय्यिद फ़रमाया। क़ूमू इला सय्यिदुकुम अपने सय्यिद का इस्तिक़बाल करो। इस्मऊ मा यक़ूलु सय्यिदुकुम अपने सय्यिद (सअद बिन उबादा) की बात सुनो। इब्नी हाज़स्सय्यिदु मेरा ये बेटा सय्यिद। अना सय्यिदु वुल्दे आदम मैं औलादे आदम का सरदार हूँ वला फ़ख़्र मैं घमण्ड के लिये नहीं कह रहा।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ . وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي . وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي . وَلْيَقُلْ فَتَاىَ فَتَاتِي غُلاَمِي " .

(5877) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हम्माम बिन मुनब्बिह को सुनाई हदीसों में से एक ये है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये न कहो, अपने रब को पिला, अपने रब को खिला, अपने रब को वुज़ू करा और न ये कहो, मेरा रब, यूँ कहो, मेरा सय्यिद, मेरा मौला और ये न कहो, मेरा अब्द, मेरी अमत (लौण्डी) यूँ कहो, मेरा नौकर, मेरा ख़ादिम, मेरा ग़ुलाम।

(सहीह बुख़ारी : 2552)

باب كَرَاهَةِ قَوْلِ الإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِي

बाब 4 : इंसान का ये कहना मेरा नफ़्स ख़बीस़ हो गया है, मक्रूह है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ

(5878) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई ये न कहे, मेरा नफ़्स ख़बीस़ हो गया है, लेकिन यूँ कहे, मेरा नफ़्स ख़राब हो गया है।' अबू बक्र की हदीस़ में लाकिन का लफ़्ज़ नहीं है।

نَفْسِي . وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي".هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَلَمْ يَذْكُرْ " لَكِنْ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : ख़बस़ और **लक़ि-स :** दोनों एक मानी में आ जाते हैं, यानी जी का भर जाना। नफ़्स का मतलाना, किसी चीज़ की तरफ़ माइल होना। लेकिन ख़बस़ के लफ़्ज़ में उमूम ज़्यादा है। इसलिये इसका मानी पलीद और नापाक होना, रद्दी और निकम्मा होना भी है। इसलिये आपने इस लफ़्ज़ के इस्तेमाल को मुतअय्यन और तशख़्ख़ुस के साथ पसंद नहीं किया, क्योंकि आप अल्फ़ाज़ की शाइस्तगी को भी मल्हूज़ रखते थे। लेकिन अगर ये ग़ैर मुअय्यन शख़्स के लिये, इज्माली अन्दाज़ में बिला तअयीन इस्तेमाल किया जाये तो इसकी गुंजाइश है। इसलिये आपने उस इंसान के बारे में जो सुबह की नमाज़ के वक़्त सोया रहता है फ़रमाया, अस्ब-ह ख़बीसुन्नफ़्स वो सुबह इस हालत में करता है कि उसका नफ़्स परेशान और परागन्दा होता है। इस तरह इस हदीस़ का ताल्लुक़ अल्फ़ाज़ में शाइस्तगी को मल्हूज़ रखने से है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(5879) यही रिवायत इमाम साहब को एक और उस्ताद ने भी सुनाई।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي . وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي " .

(5880) हज़रत अबू उमामा बिन सह्ल बिन हुनैफ़ (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुमसे कोई ये न कहे, मेरा नफ़्स ख़बीस़ हो गया है। यूँ कहे, मेरा नफ़्स काहिल और सुस्त हो गया है।'

(सहीह बुख़ारी : 6180, अबू दाऊद : 4978)

बाब 5 : कस्तूरी इस्तेमाल करना और वो सबसे आला और उम्दा ख़ुश्बू है, रैहान और ख़ुश्बू को रद्द करना मकरूह है

باب اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيبِ

(5881) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बनी इस्राईल में एक पस्ता क़द औरत थी, वो दो लम्बी औरतों के साथ चलती थी। इसलिये उसने लकड़ी की दो टांगें बनवाईं और सोने की ख़ोलदार अंगूठी बनवाई जो बंद होती थी, फिर उसके अंदर कस्तूरी भरी और वो सबसे उम्दा ख़ुश्बू है तो वो उन दो औरतों के दरम्यान से गुज़री तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं तो उसने अपना हाथ झटकाया।' शोबा ने अपना हाथ झाड़ा।

(तिर्मिज़ी : 997,992, नसाई : 4/40, 5134)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا " . وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ .

(5882) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी इस्राईल की एक औरत का तज़्किरा किया, जिसने अपनी अंगूठी में कस्तूरी भरी और कस्तूरी सबसे उम्दा ख़ुश्बू है।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُسْتَمِرِّ، قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ .

फ़ायदा : कस्तूरी अगरचे ख़ून से बनती है या बक़ौल कुछ एक ज़िन्दा जिस्म से अलग किया हुआ हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद बिल्इत्तिफ़ाक़ इसका इस्तेमाल दुरुस्त है, ये पलीद और नजिस नहीं है।

(5883) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ " .

'जिसको ख़ुश्बूदार फूल दिया जाये तो वो उसे वापस न करे, क्योंकि उसको उठाना या उसका अ़तिया देना आसान है और उसकी बू उ़म्दा और पाकीज़ा है।'

(अबू दाऊद : 4172, नसाई : 5274)

मुफ़रदातुल हदीस़ : ख़फ़ीफ़ुल मह्मल : इसका उठाना या बर्दाश्त करना आसान है, जिसको ख़ुश्बू का तोहफ़ा दिया गया है वो उसके लिये बोझ नहीं है और न ही ये तोहफ़ा देने वाले के लिये बोझ है। रद्द करने की सूरत में बिला वजह उसकी दिल शिक्नी होगी, जो मुनासिब नहीं है।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو طَاهِرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5884) हज़रत नाफ़ेअ़ (रह.) बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) जब ख़ुश्बू की धूनी लेते तो अलुव्वह् की धूनी लेते, उसके अंदर किसी और चीज़ की मिलावट न करते या अलुव्वह् के साथ काफ़ूर डाल लेते। फिर बताया, रसूलुल्लाह(ﷺ) इसी तरह धूनी लेते थे।

मुफ़रदातुल हदीस़ : अलुव्वह् : एक ख़ुश्बूदार लकड़ी है, जिसे ख़ुश्बू के लिये सुलगाया जाता है। **ग़ै-र मुतर्राह :** ख़ुश्बू में इज़ाफ़े के लिये उसके अंदर कोई और ख़ुश्बू न डालते, कभी-कभी उसके साथ काफ़ूर डाल देते थे। **मुतर्राह :** आमेज़िश करना, मिलाना।